vol 5

3087
सुनन नसाई
हदीस नं. 3970

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

5

हदीस नम्बर 3087 से 3970

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدّام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

5

हदीस नम्बर 3087 से 3970

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन नसाई (जिल्द - 5)**
तालीफ़	**इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**हाफिज मुहम्मद अमीन**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत** **जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़ व तस्हीह	**हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.)**
नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फी** (63758-92334)
लेज़र टाइपसेटिंग	**अब्दुल वाजिद,** (99506-96917)
मेनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	**अली हम्जा,** (82338-55857) **अहमद अब्बास** (97397-31956)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट,** स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	660	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	मई-2021	कीमत (मुकम्मल 7 जिल्द)	4500/-

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर**
जेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

सल्फी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves, Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI
GALI No.1 NEAR RAILWAY STATION, TELI ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मज़ामीन

जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	17
बाब : (1) जिहाद फ़र्ज़ है	17
बाब : (2) जिहाद छोड़ना सख़्त गुनाह है	27
बाब : (3) लश्कर से पीछे रहने की इजाज़त	28
बाब : (4) (जिहाद से पीछे) बैठे रहने वालों पर मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत का बयान	29
बाब : (5) जिस शख़्स के वालिदैन (हाजतमन्द) हों उसे पीछे रहने की इजाज़त है	32
बाब : (6) जिस शख़्स की वालिदा हो, उसे भी जंग से पीछे रहने की इजाज़त है	32
बाब : (7) जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद करे, उसकी फ़ज़ीलत?	33
बाब : (8) जो शख़्स पैदल अल्लाह तआला के रास्ते में काम करे, उसकी फ़ज़ीलत	34
बाब : (9) उस शख़्स की फ़ज़ीलत जिसके क़दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हों	39
बाब : (10) उस आँख का सवाब जो अल्लाह(عزوجل) के रास्ते में बेदार रहे	39
बाब : (11) अल्लाह तआला के रास्ते में सुबह के वक़्त जाने की फ़ज़ीलत	40
बाब : (12) अल्लाह तआला के रास्ते में शाम के वक़्त जाने की फ़ज़ीलत	40
बाब : (13) जिहाद को जाने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं	41
बाब : (14) अल्लाह तआला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये किस चीज़ का ज़ामिन है?	42
बाब : (15) अगर कोई लश्कर ग़नीमत हासिल न भी कर सके तो उसे सवाब ज़रूर मिलेगा	44
बाब : (16) अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की मिसाल	45
बाब : (17) कौन सा अमल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता है?	45
बाब:(18) मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का दर्जा	47
बाब : (19) उस शख़्स की फ़ज़ीलत जिसने इस्लाम क़बूल किया, हिजरत की और जिहाद किया	48
बाब : (20) उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो अल्लाह (عزوجل) के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे	51
बाब : (21) जो शख़्स इसलिये लड़ाई लड़ता है कि अल्लाह तआला का कलिमा बलन्द हो	52
बाब : (22) जो शख़्स बहादुर कहलाने के लिये लड़े	52
बाब : (23) जो शख़्स जिहाद के लिये जाये लेकिन अपने जिहाद से सिर्फ़ दुनियावी माल हासिल करना चाहता हो	54
बाब : (24) जो शख़्स सवाब और शोहरत कमाने के लिये जिहाद करे	56
बाब : (25) उस शख़्स का सवाब जो अल्लाह के रास्ते में ऊँटनी दूहने के दरम्यानी वक़्फ़े के बक़द्र जिहाद करे	56
बाब : (26) उस शख़्स का सवाब जो अल्लाह तआला के रास्ते में तीर चलाये	58
बाब : (27) जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में ज़ख़्मी हो जाये	62
बाब : (28) जिस शख़्स को दुश्मन नेज़ा मारे तो वह (ज़ख़्म ख़ूरदा) क्या कहे?	63

बाब : (29) जो शख़्स अल्लाह की राह में लड़ा और उसकी तलवार मुड़ कर उसी को लग गई और वह शहीद हो गया	65
बाब : (30) अल्लाह तआला के रास्ते में शहादत की ख़्वाहिश	67
बाब : (31) अल्लाह तआला के रास्ते में मारे जाने वाले के सवाब का बयान	69
बाब : (32) जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करे और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो	69
बाब : (33) अल्लाह तआला के रास्ते में लड़ने वाले की तमन्ना	73
बाब:(34) जन्नत वालों की ख़्वाहिश का बयान	73
बाब : (35) शहीद (शहादत के वक़्त) जिस क़द्र तकलीफ़ महसूस करता है	74
बाब : (36) शहादत माँगने का बयान	74
बाब : (37) शहीद फ़ी सबीलिल्लाह और उसके क़ातिल का जन्नत में जमा होने का बयान	76
बाब : (38) इसकी तफ़्सीर और वज़ाहत	77
बाब : (39) सरहदों पर तैयार बैठने (पहरा देने) की फ़ज़ीलत	78
बाब : (40) समन्दरी जिहाद की फ़ज़ीलत	80
बाब : (41) हिन्दूस्तान से जंग	83
बाब : (42) तुर्कों और हबशियों से जंग	85
बाब : (43) कमज़ोर लोगों से (जंग में) मदद हासिल करना	88
बाब : (44) किसी ग़ाज़ी को सामाने जंग व सफ़र मुहैया करने वाले की फ़ज़ीलत	89
बाब:(45)फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च की फ़ज़ीलत	92
बाब : (46) फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा करने की फ़ज़ीलत	95
बाब : (47) मुजाहिदीन की औरतों के एहतिराम का बयान	96
बाब : (48) जो शख़्स किसी ग़ाज़ी की बीवी से ख़यानत का इर्तिकाब करे	96
निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	100
बाब : (1) निकाह और बीवियों के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसी हैसियत व शान और उस चीज़ का बयान जो अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) के लिये हलाल की है और दूसरे लोगों पर ममनूअ क़रार दी है ताकि आपका अज़ीमुश्शान मर्तबा और फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो	100
बाब : (2) उन चीज़ों का बयान जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) पर फ़र्ज़ फ़रमाई और दूसरे लोगों पर हराम, ताकि अल्लाह तआला आप (ﷺ) को मज़ीद अपना क़ुर्ब नसीब फ़रमाये, इन्शाअल्लाह	105
बाब : (3) निकाह की तर्ग़ीब का बयान	108
बाब : (4) तर्के निकाह की मुमानिअत का बयान	111
बाब : (5) अल्लाह तआला का उस शख़्स की मदद करने का बयान जो पाकबाज़ी के इरादे से निकाह करता है	115
बाब:(6) कुंवारी औरतों से शादी करने का बयान	115
बाब : (7) औरत की शादी उसके हमउम्र मर्द से मुनासिब है	117
बाब : (8) आज़ादकर्दा गुलाम का अरबी (आज़ाद) औरत से शादी करना?	118
बाब : (9) हसब (ख़ानदानी फ़ज़ाइल व मर्तबे) का बयान	123
बाब : (10) औरत से किस बुनियाद पर निकाह किया जाये?	123

बाब : (11) बाँझ औरत से शादी करने की कराहत का बयान	124
बाब : (12) बदकार औरत से शादी	125
बाब : (13) ज़िनाकार औरतों से निकाह की मुमानिअत का बयान	128
बाब : (14) कौन सी औरत बेहतर है?	129
बाब : (15) नेक औरत का बयान	130
बाब: (16) ग़ैरत (रश्क) वाली औरत का बयान	130
बाब : (17) शादी से पहले औरत को देखने का जवाज़	131
बाब : (18) शव्वाल में निकाह करना	132
बाब:(19) निकाह के लिये पैग़ाम भेजने का बयान	133
बाब : (20) किसी के पैग़ामे निकाह पर पैग़ामे निकाह भेजने की मुमानिअत का बयान	134
बाब : (21) जब पहले पैग़ाम भेजने वाला इरादा तर्क कर दे या इजाज़त दे दे तो कोई दूसरा पैग़ाम भेज सकता है	136
बाब : (22) जब कोई औरत किसी से पैग़ाम भेजने वाले के बारे में मश्वरा करे तो क्या वह शख़्स उसकी मालूम खूबियाँ और उयूब बतला सकता है?	139
बाब : (23) जब कोई आदमी दूसरे आदमी से किसी औरत के बारे में मश्वरा ले तो क्या वह मालूम ख़ूबियाँ और उयूब बयान कर सकता है?	140
बाब : (24) आदमी का किसी नेक शख़्स को अपनी बेटी से निकाह की पेशकश करना	141
बाब : (25) औरत का अज़ ख़ुद किसी नेक आदमी को निकाह की पेशकश करना	143
बाब:(26)जब औरत को निकाह का पैग़ाम आये तो वह नमाज़ पढ़ कर अपने रब से इस्तेख़ारा करे	144
बाब : (27) इस्तेख़ारा कैसे किया जाये?	146
बाब : (28) बेटे का अपनी माँ का निकाह करवाना	148
बाब : (29) आदमी अपनी नाबालिग़ बेटी का निकाह कर सकता है	149
बाब : (30) बालिग़ लड़की का निकाह भी उसका बाप ही करेगा	151
बाब : (31) कुंवारी लड़की से उसके निकाह के बारे में इजाज़त ली जाये	153
बाब : (32) बाप को चाहिए कि वह कुंवारी बेटी से भी उसके निकाह के बारे में इजाज़त हासिल करे	155
बाब : (33) बेवा औरत से भी (उसके निकाह के बारे में) मश्वरा किया जाये	155
बाब : (34) कुंवारी लड़की की इजाज़त का बयान	156
बाब : (35) बेवा का बाप उसका निकाह कर दे जबकि वह नापसन्द करती हो तो?	157
बाब : (36) कुंवारी लड़की का बाप उसका निकाह कर दे जबकि वह नापसन्द करती हो तो?	157
बाब : (37) मुहरिम को (हालते एहराम में) निकाह करने की रुख़्सत?	159
बाब : (38) मुह्रिम के लिये निकाह करना मना है	160
बाब : (39) निकाह के वक़्त क्या पढ़ना मुस्तहब है?	161
बाब : (40) किस क़िस्म का ख़ुत्बा मकरूह है?	163
बाब : (41) उस कलाम का बयान जिससे निकाह मुन्अक़िद हो जाता है	164
बाब : (42) निकाह में शर्तों का बयान	165

बाब : (43) किस निकाह के साथ तीन तलाक़ों वाली औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो सकती है?	166
बाब : (44) किसी आदमी के घर में परवरिश पाने वाली पछ लग (रबीबा) लड़की से उसका निकाह हराम है	167
बाब : (45) माँ और उसकी बेटी दोनों से एक साथ निकाह हराम है	169
बाब : (46) दो बहनों से (एक साथ) निकाह हराम है	170
बाब : (47) एक औरत और उसकी फूफी से (एक साथ) निकाह हराम है	171
बाब : (48) किसी औरत और उसकी ख़ाला से एक साथ निकाह हराम है	173
बाब : (49) रज़ाअत की वजह से कौन कौन से रिश्ते हराम होते हैं?	175
बाब : (50) रज़ाई भतीजी से भी निकाह हराम है	177
बाब : (51) किस क़द्र दूध पीने से हुर्मत साबित होती है?	178
बाब : (52) औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी दख़ल है	181
बाब : (53) बड़ी उम्र वाले को दूध पिलाने का बयान	185
बाब : (54) दूध पिलाने की मुद्दत में जिमाअ करना	189
बाब : (55) अज़्ल का बयान	190
बाब : (56) हक़्क़े रज़ाअत (की अदायगी) और उसकी हुर्मत का बयान	192
बाब : (57) रज़ाअत की बाबत गवाही का बयान	192
बाब : (58) आबा की मन्कूहा औरतों से निकाह	193
बाब : (59) अल्लाह तआला के फ़रमान (वल मुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम) की तफ़्सीर	195
बाब : (60) शिग़ार का बयान	196
बाब : (61) निकाहे शिग़ार की तफ़्सीर	198
बाब : (62) क़ुर्आन मजीद की चन्द सूरतों (की तालीम) को महर बनाकर निकाह करना (जायज़ है)	199
बाब : (63) इस्लाम लाने की शर्त पर निकाह करना	201
बाब : (64) आज़ादी को महर मुक़र्रर करके निकाह करना	202
बाब : (65) आदमी का अपनी लौण्डी को आज़ाद कर के उससे निकाह करना	204
बाब : (66) महर मुक़र्रर करने में इन्साफ़ से काम लेना	205
बाब : (67) सोने के नवात को महर मुक़र्रर करना	211
बाब : (68) बग़ैर महर के निकाह के जवाज़ का बयान	213
बाब : (69) औरत का अपने आपको किसी शख़्स के साथ बग़ैर महर के निकाह के लिये पेश करना	218
बाब : (70) किसी के लिये शर्मगाह (बग़ैर निकाह के) हलाल करना?	219
बाब : (71) मुत्आ के हराम होने का बयान	222
बाब : (72) निकाह का ऐलान चर्चे और दुफ़ बजाने के साथ किया जाये	225
बाब : (73) जब कोई शख़्स निकाह करे तो उसे दुआ कैसे दी जाये?	226

बाब : (74) उस शख़्स के दुआ देने का बयान जो निकाह के मौक़े पर मौजूद न हो	227
बाब : (75) शादी के वक़्त (दुल्हे के लिये) रंगदार ख़ुशबू की रुख़्सत का बयान	227
बाब : (76) शबे ज़फ़ाफ़ के मौक़े पर तोहफ़ा देने का बयान	228
बाब : (77) शव्वाल में रुख़्सती का बयान	229
बाब : (78) नौ साल की (बालिग़ा) लड़की की रुख़्सती का बयान	230
बाब : (79) रुख़्सती दौराने सफ़र में भी हो सकती है	231
बाब: (80) शादी के वक़्त गाने बजाने का बयान	235
बाब : (81) आदमी का अपनी बेटी को (रुख़्सती के मौक़े पर कुछ) सामान देना	236
बाब : (82) बिस्तर भी दिये जा सकते हैं	239
बाब : (83) क़ालीनों का बयान	239
बाब : (84) शादी करने वाले को तोहफ़ा देना	240
औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान	243
बाब : (1) बीवियों से मोहब्बत करने का बयान	243
बाब : (2) आदमी का अपनी किसी एक बीवी की तरफ़ दूसरी की निस्बत ज़्यादा झुकाव रखना	244
बाब : (3) आदमी का अपनी किसी एक बीवी को दूसरी से ज़्यादा चाहना	246
बाब : (4) रश्क और जलन का बयान	256
तलाक़ का मफ़हूम व मआनी	267
तलाक़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	268
बाब : (1) उस इद्दत में तलाक़ देने का वक़्त जो अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़र्रर फ़रमाई है	268
बाब : (2) तलाक़े सुन्नत का बयान	272
बाब : (3) हैज़ की हालत में तलाक़ दे बैठे तो क्या करे?	273
बाब : (4) ग़लत वक़्त की तलाक़ (का हुक्म)	274
बाब : (5) ग़लत वक़्त की तलाक़ शुमार की जायेगी	275
बाब : (6) तीन तलाक़ें इकट्ठी देना सख़्त गुनाह है	276
बाब : (7) तीन तलाक़ें इकट्ठी देने की रुख़्सत	278
बाब : (8) औरत के साथ शब बसरी से पहले उसे तीन तलाक़ें देना	281
बाब : (9) तीन तलाक़ों वाली औरत किसी शख़्स से निकाह करे और दुख़ूल के बग़ैर उसे तलाक़ हो जाये तो?	283
बाब : (10) बत्ता (क़तई) तलाक़ का बयान	284
बाब : (11) (ख़ाविन्द बीवी से कहे:) तेरा मामला तेरे इख़्तियार में है (तो क्या होगा?)	285
बाब : (12) तीन तलाक़ वाली औरत किस निकाह के साथ (पहले ख़ाविन्द के लिये) हलाल हो सकती है?	286
बाब : (13) तीन तलाक़ों वाली को जानबूझ कर पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल करना सख़्त गुनाह है	289
बाब : (14) मर्द अपनी बीवी को बिल मुशाफ़ा तलाक़ दे सकता है	290
बाब : (15) आदमी किसी के ज़रिये से अपनी बीवी को तलाक़ भेजे	291

बाब : (16) अल्लाह तआला के फ़रमान: 'ऐ नबी! आप वह चीज़ क्यूँ हराम करते हैं जिसे अल्लाह तआला ने आपके लिये हलाल किया है?' की तफ़्सीर	292
बाब : (17) इस आयत की एक और तौजीह	293
बाब : (18) बीवी को कहना 'अपने घर चली जा' जब कि इरादा तलाक़ का न हो	294
बाब : (19) गुलाम की तलाक़	299
बाब: (20) बच्चे की तलाक़ कब वाक़ेअ होगी?	300
बाब : (21) किन (ख़ाविन्दों) की तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती?	302
बाब : (22) जो आदमी अपने दिल में तलाक़ देता रहे?	303
बाब : (23) वाज़ेह इशारे से भी तलाक़ हो सकती है	304
बाब : (24) जब कलाम से ऐसे मआनी मक़सूद हों जिनका वह कलाम मुहतमिल हो तो?	305
बाब : (25) जब कोई शख़्स एक वाज़ेह कलिमा बोल कर ऐसे मआनी मुराद ले जिनका वह एहतिमाल नहीं रखता, इससे कोई हुक्म साबित नहीं होगा और वह बेफ़ायदा होगा	306
बाब : (26) तलाक़ के इख़्तियार में मुद्दत मुक़र्रर हो सकती है	307
बाब : (27) जिस औरत को तलाक़ का इख़्तियार दिया जाये और वह अपने ख़ाविन्द ही को पसन्द करे तो?	310
बाब : (28) गुलाम ख़ाविन्द बीवी आज़ाद हों तो इख़्तियार किसे होगा?	311
बाब : (29) लौण्डी को (आज़ादी के बाद निकाह ख़त्म करने का) इख़्तियार है	312
बाब : (30) लोण्डी आज़ाद हो जाये और उसका ख़ाविन्द पहले से आज़ाद हो तो क्या उसे इख़्तियार होगा?	314
बाब : (31) लोण्डी आज़ाद हो जाये और उसका ख़ाविन्द गुलाम हो तो उसे (निकाह ख़त्म करने का) इख़्तियार है	316
बाब : (32) ईला के मसाइल	320
बाब : (33) ज़िहार के मसाइल	322
बाब : (34) औरत का ख़ाविन्द से ख़ुलअ लेना	325
बाब : (35) लिआन की इब्तेदा	329
बाब : (36) औरत को नाजायज़ हमल होने की सूरत में भी लिआन हो सकता है	330
बाब : (37) आदमी अपनी बीवी पर किसी मुअय्यन (ख़ास) आदमी के साथ ज़िना का इल्ज़ाम लगाये तो लिआन करना पड़ेगा	331
बाब : (38) लिआन का तरीक़ा क्या है?	332
बाब : (39) इमाम कह सकता है : ऐ अल्लाह! सूरते हाल वाज़ेह कर दे	334
बाब : (40) पाँचवीं क़सम उठाते वक़्त लिआन करने वालों के मुँह पर हाथ रख देना चाहिए	338
बाब : (41) लिआन के वक़्त इमाम मर्द और औरत दोनों को नसीहत करे	338
बाब : (42) लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान मुस्तक़िल जुदाई कर दी जायेगी	340
बाब : (43) लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी से लिआन के बाद तौबा का मुतालबा करना चाहिए	342
बाब : (44) लिआन करने वालों का बाद में इज्तेमा (इकट्ठा) (मुमकिन नहीं)	343

बाब : (45) लिआ़न के साथ मुतनाज़अ (विवादित) बच्चे की नफ़ी हो जायेगी और वह माँ को मिल जायेगा	344
बाब : (46) जब कोई शख़्स अपनी बीवी पर इशारतन ज़िना का इल्ज़ाम लगाये और बच्चे की नफ़ी से चुप रहे मगर इरादा नफ़ी ही का हो?	344
बाब : (47) (सिर्फ़ शक की बिना पर) बच्चे की नफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है	347
बाब : (48) अगर बीवी का ख़ाविन्द या लोण्डी का मालिक बच्चे की नफ़ी न करे तो बच्चा (क़ानूनी तौर पर) उसी का होगा	348
बाब : (49) लोण्डी भी फ़िराश है	351
बाब : (50) जब बच्चे के बारे में तनाज़अ (विवाद) हो जाये तो क़ुरआ डाला जा सकता है, और ज़ैद बिन अरक़म की हदीस़ में शअबी पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	352
बाब : (51) क़याफ़ा शनासी का बयान	356
बाब : (52) ख़ाविन्द बीवी में से एक मुसलमान हो जाये तो बच्चे को इख़्तियार दिया जाये (कि वह किस के साथ रहना चाहता है)	357
बाब : (53) ख़ुलअ हासिल करने वाली औ़रत की इद्दत	359
बाब : (54) तलाक़ वाली औ़रतों की इद्दत में इस्तिस्ना भी है	361
बाब : (55) जिस औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसकी इद्दत	362
बाब : (56) हामिला औ़रत की इद्दत जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये	366
बाब : (57) उस औ़रत की इद्दत जिसका ख़ाविन्द उसे घर बसाये बग़ैर फ़ौत हो गया	379
बाब : (58) सोग करना	380
बाब : (59) यहूदी या इसाई औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो उस पर सोग नहीं	380
बाब : (60) जिस औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वह इद्दत गुज़ारने तक घर ही में रहेगी	381
बाब : (61) जिस औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसे रुख़्सत है कि जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे	383
बाब : (62) जिस औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसकी इद्दत ख़बर मिलने के दिन से शुरू होगी	384
बाब : (63) सोग करने वाली मुसलमान औ़रत ज़ैब व ज़ीनत छोड़ेगी न कि यहूदी ईसाई औ़रत	385
बाब : (64) सोग करने वाली औ़रत शोख़ रंगदार कपड़ों से परहेज़ करे	387
बाब : (65) सोग वाली औ़रत के लिये मेहंदी लगाना	388
बाब : (66) सोग वाली औ़रत बेरी के पत्तों के साथ कंघी कर सकती है	389
बाब : (67) सोग वाली औ़रत के लिये सुरमा लगाना मना है	390
बाब : (68) सोग वाली औ़रत क़ुस्त और अज़्फ़ार ख़ुशबू इस्तेमाल कर सकती है?	392
बाब : (69) जिस औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसे अख़्सजात नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके लिये विरासत मुक़र्रर कर दी गई है	393
बाब : (70) जिस औ़रत को तलाक़े बाइन हो चुकी हो, वह दौराने इद्दत अपने घर से किसी दूसरी जगह जा सकती है	394
बाब : (71) जिस औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, वह दौराने इद्दत दिन के वक़्त घर से निकल सकती है	398

बाब : (72) मुतल्लक़ा बायना (जिससे रुजूअ नहीं हो सकता) का नान व नफ़्क़ा (ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं)	399
बाब : (73) मुतल्लक़ा बाइना हामिला हो तो उसका नान व नफ़्क़ा	399
बाब : (74) क़ुरुअ का मफ़हूम	401
बाब : (75) तीन तलाक़ों के बाद रुजूअ नहीं हो सकता	402
बाब : (76) रुजूअ का बयान	403
घोड़ों, घूड़ दौड़ पर इनाम और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	407
बाब : (1) क़यामत तक घोड़े की पेशानी में ख़ैर व बरकत रख दी गई है	407
बाब : (2) घोड़ों से मोहब्बत का बयान	411
बाब(3) किस रंग व सूरत के घोड़े अच्छे होते हैं?	411
बाब : (4) घोड़ों में शिकाल	412
बाब : (5) कोई घोड़ा मन्हूस हो सकता है?	413
बाब : (6) घोड़ों में बरकत होती है	415
बाब : (7) घोड़ों की पेशानी के बाल बटना	415
बाब : (8) आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे सकता है	417
बाब : (9) घोड़े की दुआ	418
बाब : (10) घोड़ी को गधे से जुफ़्ती कराना सख़्त गुनाह है	419
बाब : (11) घोड़े का चारा (वग़ैरह भी सवाब का मोजिब है)	421
बाब : (12) ग़ैर तज़्मीर शुदा घोड़ों की दौड़ का फ़ासला	422
बाब: (13) दौड़ के लिये घोड़ों की तज़्मीर करना	423
बाब : (14) घूड़ दौड़ पर इनाम मुक़र्रर करना	423
बाब : (15) (घूड़ दौड़ में) जलब का बयान	426
बाब : (16) (घूड़ दौड़ में) जनब का बयान	426
बाब : (17) (माले ग़नीमत में) घोड़े के हिस्सों का बयान	427
वक़्फ़ का मफ़हूम व मआनी	429
वक़्फ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	430
बाब : (1) बवक़्ते वफ़ात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो कुछ छोड़ा, उसका बयान	430
बाब : (2) वक़्फ़ की दस्तावेज़ कैसे लिखी जाये? और इब्ने उमर की हदीस की बाबत इब्ने औन पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	431
बाब : (3) मुश्तरका चीज़ का वक़्फ़	436
बाब : (4) मसाजिद भी वक़्फ़ होती हैं	437
वसीयत का मफ़हूम व मआनी	446
वसीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	447
बाब : (1) वसीयत में ताख़ीर (देरी) मकरूह है	447
बाब : (2) क्या नबी (ﷺ) ने कोई वसीयत फ़रमाई थी?	451
बाब : (3) वसीयत एक तिहाई माल में हो सकती है	454
बाब : (4) क़र्ज़ की अदायगी विरासत की तक़्सीम से क़ब्ल होनी चाहिए और हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) की हदीस नक़ल करने वालों के, इस हदीस में, इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र	460

बाब : (5) वारिस़ के हक़ में वस़ीयत करना जायज़ नहीं	464
बाब : (6) जब मय्यत अपने क़रीबी रिश्तेदारों के लिये वस़ीयत कर दे (तो मुराद कौन होंगे?)	465
बाब : (7) अगर कोई अचानक फ़ौत हो जाये तो क्या घर वालों के लिये बेहतर है कि उसकी तरफ़ से स़दक़ा करें?	469
बाब : (8) मय्यत की तरफ़ से स़दक़ा करने की फ़ज़ीलत	471
बाब : (9) सुफ़ियान पर (वाक़ेअ़ होने वाले इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र)	475
बाब : (10) यतीम के माल की सरपरस्ती की मुमानिअ़त का बयान	489
बाब : (11) जो शख़्स़ (वस़ीयत के नतीजे में) यतीम के माल की देख भाल करे, उसका उसमें क्या हक़ है?	490
बाब : (12) यतीम का माल खाने से इज्तेनाब करना चाहिए	492
अ़तिया से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	493
बाब : (1) अ़तिया करने के बारे में हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) की रिवायत के नाक़िलीन के लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का बयान	493
हिबा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	502
बाब : (1) मुश्तरका चीज़ का हिबा भी जायज़ है	502
बाब : (2) बाप का अपने बेटे को अ़तिया देकर वापस लेने का बयान और इस मसले में नाक़िलीने हदीस़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	506
बाब : (3) अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) की हदीस़ में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	508
बाब : (4) हिबा और तोहफ़े में रुजूअ़ करने के बारे में ताऊस पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	511
रुक़्बा का मफ़हूम व मआ़नी	514
बाब : (1) इस मसले की बाबत हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी रिवायत में इब्ने अबी नजीह पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	514
बाब : (2) (इस हदीस़ में) अबू ज़ुबैर पर (किये गये) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	515
उ़म्रा का मफ़हूम व मआ़नी	519
बाब : (1) (इसका बयान कि) उ़म्रा वारिसीन के लिये होगा	519
बाब : (2) उ़म्रा के बारे में हज़रत जाबिर (ﷺ) की हदीस़ के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र	521
बाब : (3) इस हदीस़ में इमाम ज़ोहरी पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	525
बाब : (4) इस हदीस़ में अबू सलमा पर यहया बिन अबी कस़ीर और मुहम्मद बिन अ़म्र के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	530
बाब : (5) क्या औ़रत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अ़तिया दे सकती है?	532
क़सम और नज़र का मफ़हूम व मआ़नी	536
क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	537
बाब: (1) नबी (ﷺ) की क़सम कैसे होती थी?	537
बाब:(2) मुक़ल्लिबुल क़ुलूब के साथ क़सम खाना	537
बाब : (3) अल्लाह तआ़ला की इ़ज़्ज़त की क़सम खाना	538

बाब : (4) ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना सख़्त गुनाह है	540
बाब : (5) आबा व अज्दाद (बाप दादों) की क़सम खाना	541
बाब : (6) माओं की क़सम खाना (भी नाजायज़ है)	542
बाब : (7) इस्लाम के अलावा किसी और दीन की क़सम (भी सख़्त गुनाह है)	543
बाब : (8) इस्लाम से बरी होने की क़सम	544
बाब : (9) काबा की क़सम (दुरुस्त नहीं)	545
बाब : (10) बुतों के नाम की क़सम खाना (मुश्रिकीन से मुशाबिहत है)	545
बाब : (11) लात की क़सम खाना	546
बाब : (12) लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम खाना	547
बाब : (13) किसी की क़सम पूरी करना	548
बाब : (14) जो शख़्स एक चीज़ पर क़सम खा ले, फिर वह कोई और चीज़ बेहतर समझे (तो क्या करे?)	549
बाब : (15) कफ़्फ़ारा क़सम तोड़ने से पहले भी दिया जा सकता है	549
बाब : (16) क़सम तोड़ने के बाद कफ़्फ़ारा देने का बयान	552
बाब : (17) ग़ैर मम्लूका चीज़ के बारे में क़सम खाना (ग़ैर मोतबर है)	555
बाब : (18) जो शख़्स क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह पढ़ ले?	556
बाब : (19) क़सम में नियत का ऐतबार किया जायेगा	556
बाब : (20) अल्लाह तआ़ला की हलालकर्दा चीज़ को हराम कर ले तो (क़सम वाला कफ़्फ़ारा देना होगा)	557
बाब : (21) जब कोई शख़्स क़सम खाये कि सालन इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर सिरके के साथ रोटी खा ले तो?	558
बाब: (22) दिली क़सद व इरादे के बग़ैर क़सम या झूठ के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकल जायें तो?	559
बाब : (23) फ़ुज़ूल बातों और (बिला क़सद) झूठ का हल?	560
बाब:(24) नज़र मानने की मुमानिअ़त का बयान	561
बाब : (25) नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करती	562
बाब : (26) नज़र के ज़रिये से कंजूस शख़्स से माल निकाला जाता है	563
बाब : (27) इताअ़त और नेकी की नज़र (पूरी करने) का बयान	564
बाब : (28) नाफ़रमानी की नज़र (पूरी न करने) का बयान	564
बाब : (29) नज़र पूरी करने का बयान	565
बाब : (30) जिस नज़र से अल्लाह तआ़ला की रज़ामन्दी मक़सूद न हो, उसे पूरा नहीं करना चाहिए	566
बाब : (31) ग़ैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना (ग़ैर मोतबर है)	568
बाब : (32) जो शख़्स बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नज़र माने तो (उसका हुक्म) ?	569
बाब : (33) जब कोई औरत नंगे पाँव और नंगे सर चलने की क़सम खा ले तो?	570
बाब : (34) जो रोज़े रखने की नज़र माने मगर रोज़े रखने से पहले फ़ौत हो जाये तो?	570
बाब : (35) जो शख़्स फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे नज़र बाक़ी हो तो?	571

बाब : (36) जब कोई शख़्स नज़र माने, फिर पूरी करने से पहले मुसलमान हो जाये तो?	572
बाब : (37) जब कोई शख़्स अपना माल बतौर नज़र सदक़े के लिये पेश करे तो?	575
बाब : (38) अगर माल सदक़ा करने की नज़र माने तो क्या ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी?	577
बाब : (39) क़सम (या नज़र) में इन्शाअल्लाह कहना	579
बाब : (40) जब कोई शख़्स क़सम खाये और कोई आदमी उसे इन्शाअल्लाह कह दे तो क्या उसे इस्तिस्ना हासिल होगा?	580
बाब : (41) नज़र का कफ़्फ़ारा	584
बाब : (42) जिस शख़्स ने कोई नज़र अपने आप पर वाजिब कर ली लेकिन वह उसे पूरा करने से आजिज़ है तो उस पर क्या वाजिब होगा?	588
बाब : (43) क़सम में इन्शाअल्लाह कहना	590
मुज़ारअ़त से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	591
बाब : (44) शुरूत की तीसरी क़िस्म : बटाई पर ज़मीन देना और उसकी दस्तावेज़ात	591
बाब : (45) तिहाई या चौथाई पैदावार की शर्त पर ज़मीन बटाई पर देने से मुमानिअ़त की मुख़्तलिफ़ रिवायात और इस रिवायत के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र	594
बाब : (46) मुज़ारअ़त (बटाई) के बारे में मन्क़ूल अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का बयान	637
बाब : .... तीन अश्ख़ास के दरम्यान शिर्कते अ़नान (की दस्तावेज़)	644
बाब : ...... चार अफ़राद के दरम्यान शिर्कते मुफ़ावज़ा की दस्तावेज़ उस शख़्स के मज़हब के मुताबिक़ जो उसे जायज़ समझता है	646
बाब : (47) शिर्कते अब्दान	648
बाब : .... शुरका के शराकत ख़त्म करने की दस्तावेज़	649
बाब : ...... ख़ाविन्द और बीवी की रिश्त-ए-इज़्दवाज से अ़लैहदगी की दस्तावेज़	650
बाब : (48) गुलाम का मालिक से मुआहिद-ए आज़ादी	653
बाब : (49) गुलाम या लौण्डी को मुदब्बर बनाने की दस्तावेज़	654
बाब : (50) गुलाम की आज़ादी की दस्तावेज़	656

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الجهاد

जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب (١): وُجُوبِ الْجِهَادِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ . فَنَزَلَتْ { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ .

बाब : (1) जिहाद फ़र्ज़ है

(3087) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब नबी (ﷺ) मक्का मुकर्रमा से निकाले गये तो हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमायाः इन लोगों (मुश्रिकीने मक्का) ने अपने नबी को निकाल दियाः इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अब लोग ज़रूर तबाह व बर्बाद होंगे, फिर ये आयत उतरीः 'जिन लोगों से बिला वजह लड़ाई की जाती है, उन्हें भी लड़ने (जिहाद) की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वह मज़्लूम हैं और यक़ीनन अल्लाह तआला उनकी मदद करने पर ज़रूर क़ादिर है।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमायाः मुझे यक़ीन हो गया कि अब अनक़रीब काफ़िरों से लड़ाई होगी। हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) फ़रमाते हैं कि लड़ाई के (जवाज़ के) बारे में ये सबसे पहली आयत थी जो उतरी।

(3087) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 3171, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 4392, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीसः 1687, वल हाकिमः 2/66, 246, 390, अल मुस्तदक लिल हाकिमः 3/807, देखें : 2/246.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिहाद इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है मगर ये दीगर अरकाने इस्लाम से कुछ शराइत में मुख़्तलिफ़ हैः ○ अरकाने ख़म्सा, यानी तौहीद व रिसालत की गवाही,

नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज फ़र्ज़े ऐन हैं मगर जिहाद आम हालात में फ़र्ज़े ऐन नहीं बल्कि फ़र्ज़े क़िफ़ाया है। ○ अरकाने ख़म्सा इन्फ़िरादी इबादात हैं जबकि जिहाद हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। ○ जिहाद ज़रूरत के मुताबिक़ है। ज़रूरत न पड़े तो जिहाद भी नहीं होगा जब कि दीगर इबादात ज़रूरत पर मौक़ूफ़ नहीं। मक्की ज़िन्दगी में चूंकि मुसलमान कमज़ोर भी थे और तादाद में भी बहुत थोड़े, लिहाज़ा जिहाद नहीं हुआ। मदीना मुनव्वरा में भी जब ज़रूरत पड़ी, जिहाद किया गया जैसे जंगे बद्र, उहुद और ख़न्दक़ के वाक़ियात हैं। या जब कुफ़्फ़ार की शरअंगेज़ी हद से बढ़ गई और इस्लामी मम्लकत के लिये नाक़ाबिले बरदाश्त बन गई बल्कि इस्लामी मम्लकत के लिये ख़तरा बन गई तो हमला किया गया जैसे ख़ैबर और फ़तहे मक्का के वाक़ियात हैं, अलबत्ता अगर कुफ़्फ़ार अमन से रहें, मुसलमानों पर जंग मुसल्लत न करें और न उनकी मम्लकत के ख़िलाफ़ तबाह कुन साज़िशें करें तो उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जायेगी बल्कि उनसे मुआहिदा करके सुलह रखी जायेगी जैसे यहूदियों के साथ मीसाक़े मदीना और क़ुरैश के साथ सुलह हुदैबिया हुई। ○ जिहाद के लिये हर शख़्स का निकलना ज़रूरी नहीं बल्कि अमीर जिन लोगों की ज़रूरत समझे, उन पर जाना फ़र्ज़ होगा। और अगर हुकूमत ने शौब-ए-फ़ौज अलग से क़ाइम कर रखा है तो उन्हीं पर जिहाद फ़र्ज़ है। दूसरे लोग अपने अपने काम करें ताकि मआीशत की गाड़ी भी चलती रहे, ताहम अमीर हस्बे ज़रूरत व हालात सब लोगों को निकलने का लाज़िमी हुक्म दे सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी में ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर हुआ। ○ ये समझना कि जिहाद से मुराद हर वक़्त शमशीरे बकफ़ रहना और बिला वजह मार धाड़ करते रहना और न अमन से रहना न रहने देना है, जिहाद के मआनी में तहरीफ़ है। रसूलुल्लाह(ﷺ) की सीरते तय्यबा के ख़िलाफ़ है और क़ुर्आन मजीद से ग़लत इस्तेदलाल है। (2) नबी का किसी क़ौम से निकल जाना उस क़ौम की बदनसीबी और उसके लिये हलाकत का पैग़ाम है, जब कि नबी का वजूद रहमते इलाही है और अज़ाब से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। जब तक कोई नबी अपनी क़ौम में रहा, अज़ाब नहीं आया, ख़्वाह कुफ़्र कितना ही आम था।

(3088) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضی اللہ عنہ) और उनके कुछ साथी मक्का मुकर्रमा में नबी (ﷺ) के पास आये और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर मुश्रिक थे तो इज़्ज़त वाले थे, जब हम मुसलमान हुए तो ज़लील हो गये। आपने फ़रमाया: '(फ़िलहाल) मुझे माफ़ और दरगुज़र करने का हुक्म दिया गया है, लिहाज़ा तुम लड़ाई

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأَصْحَابًا، لَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً . فَقَالَ " إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا " . فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ } .

न लड़ो।' फिर जब हम अल्लाह तआला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा पहुँच गये तो अल्लाह तआला ने हमें लड़ने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ मुसलमान लड़ाई से रुके रहे तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि तुम अपने हाथ (लड़ाई से) रोके रखो और नमाज़ क़ाइम करो।'

(3088) तख़रीज : (सनद सही) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 5/108, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4293, व सहीह अल हाकिम: 2/66, 307.

फ़ायदा : 'ज़लील हो गये' यानी हम कुफ़्र की हालत में तो ज़ुल्म का बदला ले लिया करते थे। अब हमें ज़ालिम के सामने हाथ उठाने और ज़ुल्म का बदला लेने की इजाज़त नहीं। और ज़ाहिरन ये ज़लालत वाली हालत है कि इन्सान दूसरों के लिये तख़्त-ए-मश्क़ बना रहे, लेकिन शरीयत का ये हुक्म एक अज़ीम मस्लिहत की बिना पर था। अगर उस वक़्त मुसलमानों को मुज़ाहमत या जवाबी जारिहियत की इजाज़त दी जाती तो इस्लाम की नोज़ाइदा तहरीक और उसके क़ीमती कारकुन ख़त्म हो जाते जबकि सब्र व अफ़्व का हुक्म देकर उनकी कुव्वते बरदाश्त को इन्तेहाई हद तक बढ़ा दिया गया और वह आइन्दा दौर में जंगों की सख़्ती को हैरानकुन हद तक बरदाश्त करने के क़ाबिल बन गये और उनकी अख़्लाक़ी तर्बियत भी दर्ज-ए-कमाल को पहुँच गई।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ نَعَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بُعِثْتُ

(3089) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे जामेअ कलिमात देकर भेजा गया है और मुझे रौब देकर मेरी मदद की गई है। एक दफ़ा मैं सोया हुआ था कि मेरे पास ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ लाई गईं और मेरे हाथ पर रख दी गईं।' हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) तो (दुनिया से) चले गये, तुम इन ख़ज़ानों को निकाल रहे हो।

(3089) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 523/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4294, 4295.

بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जामेअ कलिमात' यानी अल्फ़ाज़ कम हों मगर मआनी ज़्यादा हों, जैसे (इन्नमल आमालु बिन्नियात) (सहीह बुख़ारी, हदीस:1) **(2)** 'रौब देकर' यानी मुख़ालिफ़ीन के दिल में मेरा रौब डाल दिया गया है। वह आपका सामना करने से कतराते थे। सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त रखने के लिये हमले करते थे या अपनी जान बचाने के लिये, मगर दिलजमई से नहीं लड़ते थे। नतीजतन शिकस्त खाते थे। **(3)** चाबियों का हाथ में रखना इशारा है उन फ़ुतूहात की तरफ़ जो मुस्तक़बिल क़रीब में हूईं और उनसे मुसलमानों को हैरानकुन ख़ज़ाने मिले। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का इशारा भी इसी तरफ़ है। चूंकि ये फ़ुतूहात जिहाद के ज़रिये से हूईं, लिहाज़ा इस रिवायत को जिहाद के बाब में लाना मुनासिब है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَحْوَهُ .

(3090) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी (साबिक़ा हदीस की) तरह फ़रमाते सुना।

(3090) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4296.

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي".فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ

(3091) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मुझे जामेअ कलिमात देकर भेजा गया है और रौब देकर मेरी मदद की गई है। और एक दफ़ा मैं सोया हुआ था कि मेरे पास ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ लाई गईं और मेरे हाथ पर रख दी गईं।' हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) तो (दुनिया से) तशरीफ़ ले गये लेकिन तुम उन ख़ज़ानों को निकाल रहे हो।

(3091) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: देखें,

हदीस: 3089, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4297.

ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا .

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " .

(3092) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस आदमी ने ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे अपनी जान व माल को महफ़ूज़ कर लिया। मगर ये कि उसके ज़िम्मे किसी का हक़ वाजिबुल अदा हो। बाक़ी रहा उसका हक़ीक़ी हिसाब तो वह अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।'

(3092) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2946, मुस्लिम, हदीस: 21, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 4298.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'यहाँ तक कि' यानी किसी के कलिमा तय्यबा पढ़ लेने के बाद उससे लड़ाई जायज़ नहीं। हम ज़ाहिर को देखेंगे। बाक़ी रहा कि वह किस नियत से कलिमा पढ़ रहा है तो ये हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। हमें उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआला के काम उसके लिये ही छोड़ दिये जायें। दख़ल अन्दाज़ी मुनासिब नहीं। **(2)** 'किसी का हक़' इस्लाम किसी साबिक़ा हक़ को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसकी मज़ीद ताकीद करता है। इस्लाम लाने से साबिक़ा हुक़ूक़ुल्लाह तो माफ़ हो जाते हैं मगर हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी लाज़िम रहती है। **(3)** इस हदीस का ये मतलब नहीं कि जब तक कोई शख़्स मुसलमान न हो, उससे लड़ाई जारी रखी जाये या उसे क़त्ल कर दिया जाये और उसका माल लूट लिया जाये, क्योंकि ये मफ़हूम रसूलुल्लाह (ﷺ) की तेयालीस साला ज़िन्दगि-ए-नबूवत के तर्ज़े अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लामी मम्लकत में ज़िम्मियों का वजूद मुत्तफ़क़ा चीज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में भी और उसके बाद के अदवार में भी। इसका इन्कार मुमकिन नहीं, लिहाज़ा इस हदीस से मुराद वह लोग हैं जो ख़ुद मुसलमानों से लड़ाई शुरू करें। फिर उन्हें अल्लाह तआला हिदायत दे दे और वह कलिम-ए-इस्लाम पढ़ लें।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(3093) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ख़लीफ़ा बनाये गये और कुछ अरब लोगों ने कुफ़्र किया (और हज़रत अबू

قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

बक्र(ﷺ) ने उनसे लड़ाई का इरादा फ़रमाया) तो हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ अबू बक्र! आप उन लोगों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें? जो शख़्स ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ ले, उसने मुझसे अपनी जान व माल को बचा लिया मगर ये कि उस पर किसी का हक़ बनता हो। और उसका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूँगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करते हैं क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का बच्चा देने से इन्कार करें जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं इस बात पर भी उनसे लड़ूँगा। (हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया:) अल्लाह की क़सम! मुझे साफ़ समझ में आ गया कि अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) का सीना लड़ाई के लिये खोल दिया है और मुझे यक़ीन हो गया कि यही बात बरहक़ है।

(3093) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4299.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस और इसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 2445) अलबत्ता इस हदीस में इक़ाल (रस्सी) का लफ़्ज़ था और यहाँ अनाक़ (बकरी का बच्चा) आया है। मक़सूद मुबालिग़ा है, ज़ाहिर मुराद नहीं, क्योंकि ज़कात में न इकाल दी जाती है न अनाक़ बल्कि पूरी बकरी देना लाज़िम है। मतलब उनका ये था कि मैं ज़कात के मसले में ज़र्रा भर कमी बेशी या तब्दीली की इजाज़त नहीं दूँगा। इस मफ़हूम की अदायगी के लिये ऊपर दी गई दो नामुमकिन सूरतें ज़िक्र की गईं। उर्फ़े आम में ये अन्दाज़े कलाम आम इस्तेमाल होता है। (2) अबुल अब्बास मुब्रिद (लौ

मनक़ूनी इक़ालन के मुताल्लिक़) लिखते हैं कि सदक़ा वसूल करने वाला उसी माल की जिन्स से वसूल करे जिसकी ज़कात दी जा रही हो और क़ीमत वसूल न करे तो उस वक़्त कहते हैं: अख़ज़ इक़ालन और जब असल चीज़ के बजाये क़ीमत वसूल करे तो बोलते हैं अख़ज़ नक़दन. गोया उनके नज़दीक इक़ाल से मुराद 'ज़कात' है यानी अगर वह मुझसे किसी क़िस्म का सदक़ा रोकेंगे जो वह रसूलुल्लाह को दिया करते थे तो मैं उनसे लड़ूँगा। (अल कामिल लिलमुब्रिद: 2/508)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَأَنْبَأَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

(3094) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हो गये और अबू बक्र (ﷺ) का दौर आया और बहुत से अरब लोग काफ़िर बन गये तो हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ अबू बक्र! आप इन लोगों से कैसे लड़ाई करेंगे जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख़्स ने ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे अपना जान व माल महफ़ूज़ कर लिया, मगर ये कि उस पर किसी का हक़ बनता हो। बाक़ी रहा उसका हिसाब तो वह अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र(ﷺ) ने फ़रमाया: मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूँगा जिन्होंने नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ कर दी है क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का बच्चा न दें जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तब भी मैं उनसे लड़ूँगा। हज़रत उमर(ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बक्र(ﷺ) का सीना लड़ाई के लिये खोल दिया है, तो मुझे यक़ीन हो गया कि यही बात बरहक़ है।

(इमाम नसाई ने कहा: हदीस के ये मज़्कूरा) अल्फ़ाज़ (उस्ताद) अहमद (बिन मुहम्मद बिन मुग़ीरा) के हैं।

ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ .

(जबकि इमाम नसाई के दूसरे उस्ताद कसीर बिन उबैद ने इसे बिल मआनी रिवायत किया है।)

(3094) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4300.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

(3095) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मन्क़ूल है कि जब हज़रत अबू बक्र (ؓ) ने उन (मानेईने ज़कात) से लड़ाई करने का अज़्म कर लिया तो हज़रत उमर (ؓ) ने कहा: अबू बक्र! आप उन लोगों से कैसे लड़ सकते हैं जब कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमाने गिरामी है: 'मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। चुनांचे जब वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें तो उन्होंने अपने ख़ून और माल मुझसे बचा लिये मगर ये कि उन पर किसी का हक़ बनता हो।' हज़रत अबू बक्र(ؓ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं उस शख़्स से ज़रूर लड़ूँगा जो नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ करेगा (यानी नमाज़ पढ़ेगा मगर ज़कात न देगा) अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का एक बच्चा भी न दें जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं इस बात पर भी उनसे लड़ूँगा। हज़रत उमर (ؓ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बक्र (ؓ) का सीना उन लोगों से लड़ाई के लिये खोल दिया है। और मुझे यक़ीन हो गया कि ये बात बिल्कुल सही है।

(3095) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4301.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ " . وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْىَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ الصَّوَابُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(3096) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला को प्यारे हो गये तो बहुत से अरब मुर्तद हो गये। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: अबू बक्र! आप उन अरबों से किस बुनियाद पर लड़ेंगे? हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था: 'मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से लड़ाई जारी रखूँ यहाँ तक कि वह गवाही दे दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ और नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात अदा करें।' अल्लाह की क़सम! अगर वह बकरी का एक बच्चा भी रोक लें जो वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में दिया करते थे तो मैं इस पर भी उनसे लड़ूँगा। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: जब मैंने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) की राय पर ग़ौर किया (और देखा कि) उनका सीना अल्लाह की तरफ़ से खोल दिया गया है, तो मुझे यक़ीन हो गया कि यही बात बरहक़ है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि रावी इमरान क़त्तान इल्मे हदीस में क़वी नहीं और ये हदीस (सनद के लिहाज़ से) ग़लत है। सही रिवायत पहली (3093, 3094) है, यानी हदीसे ज़ोहरी अन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा अन अबी हुरैरह.

(3096) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन नसाई: 4302, देखें, हदीस: 3971, 3972, 5006 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) यहाँ ये बयान करना चाहते हैं कि मज़्कूरा रिवायत में इमरान अबुल अव्वाम क़त्तान इल्मे हदीस में क़वी नहीं हैं। वह इस रिवायत को हज़रत अनस की मुसनद बनाते हैं जबकि दीगर रावी इस हदीस को अबू हुरैरह (ﷺ) की मुसनद बनाते हैं जैसा कि गुज़िश्ता

अहादीस़: 3093 और 3094 से वाज़ेह है और दुरुस्त भी यही है। ताहम इस इख़्तिलाफ़ से हदीस़ की स़ेहत पर कोई अस़र नहीं पड़ता, हदीस़ दूसरी इस्नाद के साथ बिल्कुल स़ही है। वल्लाहु आलम! (2) 'मुर्तद हो गये' मुर्तद्दीन की कई क़िस्में हैं मगर यहाँ इख़्तिलाफ़ मानेअ़ीने ज़कात के बारे में है जिनका मौक़िफ़ था कि ज़कात सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास़ थी, कोई दूसरा वसूल नहीं कर सकता, हालांकि आपने ज़कात बतौर अमीर या हाकिम वसूल फ़रमाई थी वरना आपके लिये तो जायज़ ही न थी, लिहाज़ा अब जो नबी (ﷺ) का नाइब बनेगा वह भी बतौर हाकिम वसूल करेगा वरना अफ़रातफ़री फैल जायेगी, ज़कात का फ़रीज़ा तर्क हो जायेगा, हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ और ज़कात दोनों को मुसलमान होने के लिये शर्त क़रार दिया है, और ज़कात न देने वाला हुकूमत का बाग़ी है और बाग़ी से लड़ाई बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है। हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) का ख़्याल था कि ये कलिमा गो हैं। उनसे लड़ाई जायज़ नहीं। हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) के दलाइल से उनकी समझ में आ गया कि मुसलमान होने के लिये सिर्फ़ कलिमा ही काफ़ी नहीं कुछ दूसरे उमूर भी ज़रूरी हैं जैसा कि हदीस़े मज़्कूर में वज़ाहत है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ".

(3097) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे लोगों से लड़ने को कहा गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख़्स ने ये पढ़ लिया, उसने मुझसे अपना जान व माल बचा लिया, अलबत्ता उसे हुक़ूक़ देने पड़ेंगे। हाँ! उसका हक़ीक़ी हिसाब अल्लाह तआला की ज़िम्मेदारी है।'

(3097) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4303.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

(3098) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम मुश्रिकीन के साथ अपने मालों, हाथों और अपनी ज़बानों के साथ जिहाद करो।'

(3098) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4304, व स़हीह इब्ने हिब्बान: 1618, वल हाकिम: 2/81, देखें, हदीस़: 729.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने ऊपर दी गई (12) अहादीस़ से जिहाद के वजूब व फ़र्ज़ीयत पर इस्तेदलाल किया है क्योंकि इनमें जिहाद का हुक्म स़राहतन मज़्कूर है, अलबत्ता इस वजूब की शरई हैस़ियत समझने के लिये हदीस़: 3087 की तफ़्सील व तशरीह मद्दे नज़र रहनी चाहिए। **(2)** जिहाद नफ़्स के साथ भी फ़र्ज़ है और माल के साथ भी, यानी मुल्की ज़रूरियात के तक़ाज़े पूरे करने के लिये हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तआवुन किया जाये ताकि हुकूमत दिफ़ा को मज़बूत बनाये, और जंगी तैयारी क़ाइम रहे जिसे देख कर दुश्मन शरारत से बाज़ रहे। **(3)** ज़बान के साथ जिहाद ये है कि काफ़िरों को तब्लीग़ करे, मुसलमानों को जिहाद पर उभारे, इस्लामी फ़ौज की तारीफ़ करके उनका हौस़ला बढ़ाये और दुश्मन की हिजू करके उनको बद दिल करे। **(4)** मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने स़ही क़रार दिया है। मुहक़्क़िक़ीन की तफ़्सीली बहस से तस्हीहे हदीस़ वाली राय ही स़वाब के लिहाज़ से स़ही मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूआ अल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 19/272, व स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स़्स़ल) लिल अल्बानी: 7/265, रक़म: 2262)

बाब : (2)
जिहाद छोड़ना सख़्त गुनाह है

باب : (٢)
التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا وُهَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ - قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ " .

(3099) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स इस हाल में फ़ौत हुआ कि वह कभी जिहाद को नहीं गया, न कभी जिहाद की ख़्वाहिश की, तो वह निफ़ाक़ के एक शौबे पर मरा।'

(3099) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1910, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4305.

फ़ायदा : इससे जिहाद की अहमियत वाजेह है, और इससे ये मालूम हुआ कि हर मुसलमान को कुफ़्र और कुफ़्फ़ार के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ रखना और ये जज़्बा रखना चाहिये कि जब भी जिहाद का मर्हला पेश आया तो मैं जान व माल की कुर्बानी से गुरेज़ नहीं करूँगा।

बाब : (3)
लश्कर से पीछे रहने की इजाज़त

باب: (٣)
الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ السَّرِيَّةِ.

(3100) हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ये बात न होती कि बहुत से मोमिन मुझसे पीछे रहना गवारा नहीं करेंगे, और मुझ में इतनी ताक़त नहीं कि मैं उन सबको सवारियाँ (और सामाने जंग) मुहैया कर सकूँ, तो मैं किसी लश्कर से पीछे न रहता जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने जाता। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मेरी ख़्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ " .

(3100) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7226, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई, हदीस: 4306.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये सिर्फ़ ख़्वाहिश है, मक़सदे शहादत की फ़ज़ीलत बयान करना है वरना ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कभी कोई शहीद ज़िन्दा नहीं हुआ। शोहदा-ए-उहुद ने अल्लाह तआला से ज़िन्दगी की दरख़्वास्त की थी मगर मन्ज़ूर न हुई। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1887) **(2)** शहादत की ख़्वाहिश का फ़ायदा ये है कि उसे सवाब मिल जायेगा, ख़्वाह बिस्तर ही पर फ़ौत हो, और अल्लाह तआला उसे शहादत का मर्तबा अता फ़रमा देगा। **(3)** मालूम हुआ हर शख़्स का मैदाने जंग में जाना ज़रूरी नहीं बल्कि हालात, वसाइल और ज़रूरत का लिहाज़ ज़रूरी है।

بَابُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

बाब : (4) (जिहाद से पीछे) बैठे रहने वालों पर मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُنْزِلَ عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُرَضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ يَرْوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ .

(3101) हज़रत सहल बिन सअ़द (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने मरवान बिन हकम को बैठे देखा तो मैं भी आकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने हमें हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ये आयत उतरी: 'घरों में बैठ रहने वाले मोमिन और अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते' तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) आये जब कि आप (ﷺ) ये आयत मुझे लिखवा रहे थे। वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में जिहाद करने की ताक़त रखता तो ज़रूर जिहाद करता। अल्लाह (ﷻ) ने ये अल्फ़ाज़ उतार दिये: 'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों।' उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) की राने मुबारक मेरी रान पर थी (वह्य की हालत की वजह से) मुझ पर इस क़द्र बोझ पड़ा कि मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि मेरी रान टूट जायेगी, फिर आपसे वह्य की हालत ख़त्म हुई तो आपने ये अल्फ़ाज़ पढ़े।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) फ़रमाते हैं कि ये अ़ब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ (सनद में मज़्कूरा इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) का शागिर्द) मोतबर है, इसमें कोई ख़राबी नहीं और वह अ़ब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ जिससे अ़ली बिन मसहुर, अबू मुआविया और अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद रिवायत करते हैं और वह ख़ुद नौमान बिन सअ़द से बयान करता है, सिक़ा और मोतबर नहीं।

(3101) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4307.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये अपनी जान ख़तरे में डालना बल्कि क़ुर्बान कर देना कोई मामूली नेकी नहीं। इसी लिये मुजाहिदीन को दूसरे नेक लोगों पर बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत हासिल है मगर माज़ूर शख़्स जिहाद की नियत रखे तो उसे भी जिहाद का सवाब मिलेगा। (2) हज़रत इब्ने मक्तूम (ﷺ) नाबीना थे। अरबी ज़बान में 'मक्तूम' नाबीने को कहते हैं। उनके नाम के बारे में इख़्तिलाफ़ है। अक्सर मुहक़्क़िक़ीन ने अब्दुल्लाह बताया है। कुछ ने अम्र भी कहा है। वल्लाहु आलम! (3) 'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों।' (अन्निसा: 4/95) के अल्फ़ाज़ बाद में उतरने पर कोई ऐतराज़ नहीं क्योंकि अगर ये अल्फ़ाज़ होते तब भी शरई उसूल की रू से माज़ूर को रुख़सत है और नियत का अज्र मिलना भी क़तई मसला है, ताहम जिहाद की अहमियत के पेशे नज़र वज़ाहत की ज़रूरत महसूस हुई तो वज़ाहत कर दी गई।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْلَى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ . وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } .

(3102) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने मरवान को मस्जिद में बैठे देखा। मैं आया और उनके पास बैठ गया, तो उन्होंने हमें हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ये आयत लिखवाई: 'जिहाद को न जाने वाले मोमिन और जिहाद करने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते।' आप मुझे ये आयत लिखवा रहे थे कि इस दौरान हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) आ गये। वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मुझ में जिहाद की ताक़त होती तो मैं ज़रूर जिहाद करता। वह नाबीना शख़्स थे, फिर अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) पर वह्य उतारी जबकि आपकी रान मुबारक मेरी रान पर थी (मुझ पर इस क़द्र बोझ पड़ा कि) क़रीब था मेरी रान टूट जाती। फिर आपसे कैफ़ियते वह्य दूर हुई तो अल्लाह तआला ने ये अल्फ़ाज़ उतारे थे: 'बशर्ते कि वह (जिहाद से पीछे बैठ रहने वाले) माज़ूर न हों।'

(3102) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 4308.

(3103) हज़रत बराअ (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास कंधे की हड्डी या कोई तख़्ती लाओ, फिर आपने लिखवाया: '(जिहाद से पीछे) बैठ रहने वाले मोमिन और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते।' हज़रत अम्र बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) आपके पीछे बैठे थे। कहने लगे: (ऐ अल्लाह के नबी!) क्या मुझे रुख़्सत है? फिर ये अल्फ़ाज़ उतरे: 'जो माज़ूर न हों।'

(3103) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1670, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4310, बुख़ारी, हदीस: 2831, 4593, 4594, 4990, मुस्लिम, हदीस: 1898/141.

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ " ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَاللَّوْحِ " . فَكَتَبَ [لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ لِي رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} .

फ़ायदा : 'कंधे की हड्डी' उस दौर में लिखने के लिये इस क़िस्म की चीज़ें ही इस्तेमाल होती थीं। कंधे की हड्डी चूंकि बारीक होती है, लिहाज़ा लिखने के लिये मौज़ूं थी। 'लौह' से मुराद पत्थर या लोहे या लकड़ी की तख़्ती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुद लिखना नहीं जानते थे। कातिब सहाब-ए-किराम(ﷺ) को लिखवाया करते थे। आप ख़ुद और दूसरे सहाब-ए-किराम (ﷺ) ज़बानी याद रखते थे।

(3104) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी '(जिहाद से पीछे) बैठ रहने वाले मोमिन (और मुजाहिदीन) बराबर नहीं हो सकते।' तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) जो कि एक नाबीना शख़्स थे, हाज़िर हुए और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बारे में क्या हुक्म है? जबकि मैं तो नाबीना हूँ (जिहाद नहीं कर सकता) वह पूछते रहे यहाँ तक कि ये अल्फ़ाज़ उतरे: 'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों।'

(3104) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4309, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ فِيَّ وَأَنَا أَعْمَى قَالَ فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَتْ { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } .

बाब : (5) जिस शख़्स के वालिदैन (हाजतमन्द) हों उसे पीछे रहने की इजाज़त है

باب : (٥) الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَانِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ " أَحَيٌّ وَالِدَاكَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ " .

(3105) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया। वह आपसे जिहाद की इजाज़त तलब करता था। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे वालिदैन ज़िन्दा हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर तू उनकी ख़िदमत कर। यही जिहाद है।'

(3105) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5972, मुस्लिम, हदीस: 2549, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4311.

फ़ायदा : बाब और हदीस का मक़सद ये है कि जिहाद फ़र्ज़े ऐन नहीं, फ़र्ज़े किफ़ाया है, लिहाज़ा अगर किसी शख़्स का घर रहना ज़रूरी हो, जैसे: वालिदैन की ख़िदमत वग़ैरह के लिये, तो वह जिहाद को न जाये। घर रह कर वालिदैन और बीवी बच्चों के हुकूक अदा करे। उसके लिये यही जिहाद है। हाँ जिस शख़्स पर जिहाद फ़र्ज़े ऐन हो जाये, जैसे: सरकारी फ़ौजी या जब अमीर सबको निकलने का हुक्म दे तो फिर उसे भी जाना पड़ेगा।

बाब : (6) जिस शख़्स की वालिदा हो, उसे भी जंग से पीछे रहने की इजाज़त है

باب : (٦) الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةٌ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِيهِ، طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ

(3106) हज़रत मुआविया बिन जाहिमा सुलमी से रिवायत है कि (मेरे वालिदे मोहतरम) हज़रत जाहिमा (ﷺ) नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा जंग को जाने का है जबकि मैं आपसे मश्वरा लेने के लिये हाज़िर हुआ हूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरी वालिदा है?' उसने कहा: जी हाँ! आपने

السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

फ़रमाया: 'उसके पास ही रह (और ख़िदमत कर) जन्नत उसके पाँव तले है।'

(3106) **तख़रीज : (सनद सहीह)** इब्ने माजा, हदीस: 2781, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4312.

फ़ायदा : 'जन्नत उसके पाँव तले है' ये एक मुहावरा है। मक़सूद ये है कि उसकी ख़िदमत करने से तुझे जन्नत हासिल होगी, फिर उसकी ख़िदमत तेरा फ़र्ज़ भी है। जिहाद से भी जन्नत ही हासिल होगी मगर वह तुझ पर फ़र्ज़ नहीं, लिहाज़ा अपना फ़र्ज़ अदा करके जन्नत हासिल कर।

باب (٧): فَضْلِ مَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

बाब : (7) जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद करे, उसकी फ़ज़ीलत?

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " .

(3107) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के **पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! सब लोगों में से कौन अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने नफ़्स व माल के साथ अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करे।' उसने कहा: अल्लाह के रसूल! फिर कौन? आपने फ़रमाया: 'फिर वह मोमिन जो किसी पहाड़ी वादी में फ़रोकश हो गया हो, अल्लाह तआला से डरता हो और लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखता हो।'**

(3107) **तख़रीज : (सनद सहीह)** मुस्लिम, हदीस: 1888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4313, बुख़ारी, हदीस: 6494, 2786.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अल्लाह तआला के रास्ते में' यानी ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल करने के लिये। रियाकारी, शोहरत या दुनियावी मक़ासिद का हुसूल मद्दे नज़र हो न उसकी बुनियाद असबियत हो। **(2)** 'पहाड़ी वादी' ये मख़सूस हालात की बात है वरना आम हालात में

गोशा नशीनी और मुस्लिम मुआशरे से अलग रहना जायज़ नहीं। नमाज़ बा'जमाअत और जुमा फ़र्ज़ हैं। बीमारों की बीमार पुर्सी करना और ज़ईफ़ों की मदद करना भी मुसलमानों के हुक़ूक़ में से है। ये सब कुछ मुआशरे के अन्दर रह कर ही मुमकिन है। अकेला शख़्स इन सब फ़राइज़ और हुक़ूक़ का तारिक(छोड़ने वाला) होगा। वह अफ़ज़ल कैसे हो सकता है? अलबत्ता जब मुआशरे में रह कर दीन के ज़ाया होने का क़वी इम्कान और ख़तरा मौजूद हो तो गोशा नशीनी बेहतर है, मगर मौहूम ख़तरात के पेशे नज़र जायज़ नहीं। सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने इन्तेहाई तकालीफ़ बरदाश्त करके भी मुआशरे को नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाह की कोशिश करते रहे, और तब्लीग़ भी तो एक फ़रीज़ा है और ये मुआशरे में रह कर ही मुमकिन है, लिहाज़ा ऊपर दी गई हदीस इन्तेहाई हालात के साथ मख़्सूस है।

बाब : (8)
जो शख़्स पैदल अल्लाह तआला के रास्ते में काम करे, उसकी फ़ज़ीलत

باب : (٨)
فَضْلِ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى قَدَمِهِ

(3108) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-तबूक वाले साल लोगों को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने अपनी सवारी से टेक लगा रखी थी। आपने फ़रमायाः 'क्या मैं तुम्हें बेहतरीन और बदतरीन इन्सान के बारे में न बताऊँ? बिलाशुब्हा बेहतरीन इन्सान वह है जो अल्लाह तआला के रास्ते में घोड़े पर सवार होकर या ऊँट पर सवार होकर या पैदल काम करता रहे यहाँ तक कि उसे मौत आ जाये। और बेशक लोगों में सबसे बुरा वह फ़ाजिर शख़्स है जो अल्लाह की किताब पढ़ता है और उसकी कुछ परवाह नहीं करता।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لاَ يَرْعَوِي إِلَى شَىْءٍ مِنْهُ " .

(3108) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/37, 41, 42, 57, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4314, व सहीह अल हाकिमः 2/67, 68.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फ़ी सबीलिल्लाह' से मुराद उमूमन जिहाद ही होता है, लिहाज़ा ज़ाहिर यही है कि इस रिवायत में 'काम' से मुराद जिहाद का काम है, यानी वह पैदल जिहाद करता है या

मुजाहिदीन की ख़िदमत करता है, ताहम कुछ लोग फ़ी सबीलिल्लाह से हर नेकी मुराद लेते हैं, तो इस ऐतबार से इसमें उ़मूम हो जायेगा और हर नेकी का काम उसमें आ जायेगा। वल्लाहु आ़लम! **(2)** जिससे मश्वरा तलब किया जाये, उसे ख़ालिसतन ख़ैरख़्वाही से मश्वरा देना चाहिये।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لاَ يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ أَبَدًا .

(3109) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के डर से रोता है, उसे आग नहीं लगेगी, यहाँ तक कि (दूहा हुआ) दूध दोबारा पिस्तान में चला जाये। और ये नहीं हो सकता कि किसी मुसलमान के नथूनों में अल्लाह के रास्ते में (जिहाद करते हुए ज़मीन से उड़ने वाला) गुबार और जहन्नम का धूवाँ दोनों जमा हो जायें।

(3109) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 1/490, हदीस: 801, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4315, इब्ने माजा, हदीस: 2774, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1598.

फ़ायदा : 'यहाँ तक कि दूध' और ये नामुमकिन बात है, अक़्लन भी आ़दतन भी। मक़सद ये है कि अल्लाह तआ़ला के डर से रोने वाले का जहन्नम में जाना नामुमकिन है। उसी तरह ख़ुलूस से जिहाद करने वाला हरगिज़ जहन्नम में नहीं जा सकता।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ " .

(3110) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स आग में नहीं जायेगा जो अल्लाह के डर से रो पड़ा यहाँ तक कि (दूहा हुआ) दूध पिस्तान में वापस चला जाये। और दौराने जिहाद में पड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ इकट्ठे नहीं हो सकते।'

(3110) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4316.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(3111) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुमकिन नहीं कि मुसलमान उस काफ़िर के साथ जहन्नम में इकट्ठा हो जिसे उसने क़त्ल किया हो बशर्ते कि

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ " .

वह मुसलमान बाद में दुरुस्त रहा और शरीयत पर कारबन्द रहा। और अल्लाह तआला के रास्ते में गुबार और जहन्नम की हरारत किसी मोमिन के पेट में जमा नहीं हो सकते। और किसी मोमिन के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते।'

(3111) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4317, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1597, वल हाकिम: 2/72, मुस्लिम, हदीस़: 1891/131.

फ़ायदा : यानी मोमिन और काफ़िर, जिहाद का गुबार और जहन्नम की आग, ईमान और हसद मुतज़ाद (विपरित) चीज़ें हैं। और मुतज़ाद चीज़ें न दुनिया में जमा हो सकती हैं न आख़िरत में। ये क़तई उसूल है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا " .

(3112) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी मोमिन के पेट में कभी जमा नहीं होंगे। इसी तरह बुख़ल और ईमान कभी भी किसी इन्सान के दिल में जमा नहीं होंगे।'

(3112) तख़रीज : (सनद हसन) वल हाकिम: 2/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4318, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ

(3113) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह के रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी एक आदमी के चेहरे में कभी जमा नहीं होंगे। और बुख़ल और ईमान भी किसी इन्सान के दिल में जमा नहीं होते।'

(3113) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4319.

جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا " .

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ "

(3114) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के रास्ते का गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी आदमी के पेट में जमा नहीं हो सकते और लालच और ईमान किसी आदमी के पेट में जमा नहीं होते।'

(3114) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 3112, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4320.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ أَبَدًا".

(3115) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के रास्ते में पड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी मुसलमान के नथूनों में कभी भी जमा नहीं होंगे।'

(3115) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 3112, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4321.

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ

(3116) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी मुसलमान के नथूनों में जमा नहीं होंगे और बुख़्ल और ईमान किसी मुसलमान आदमी के

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ " .

दिल में जमा नहीं होते।'

(3116) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3112, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4322.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْمَعُ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالشُّحَّ جَمِيعًا .

(3117) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला अपने रास्ते का ग़ुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी मुसलमान के पेट में जमा नहीं फ़रमायेगा। इसी तरह अल्लाह तआला किसी मुसलमान आदमी के दिल में ईमान और कंजूसी को जमा नहीं फ़रमायेगा।

(3117) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3112, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4323.

फ़ायदा : ऊपर दी गई (9) अहादीस में एक ही मज़मून थोड़े बहुत लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ बयान किया गया है। किसी हदीस में जहन्नम का धूवाँ ज़िक्र है और किसी में जहन्नम की तपिश ज़िक्र है। दोनों में कोई मुनाफ़ात नहीं। धुएँ में तपिश तो होती ही है। इसी तरह किसी रिवायत में पेट का ज़िक्र है, किसी में नथूनों का। इसमें भी कोई मुख़ालिफ़त नहीं क्योंकि धूवाँ और ग़ुबार नथूनों से ग़ुज़र कर ही पेट में पहुँचते हैं। इसी तरह किसी रिवायत में ईमान के साथ हसद का ज़िक्र है, किसी में शह (हिर्स, बुख़्ल) का। इनमें भी कोई इख़्तिलाफ़ नहीं क्योंकि ये आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। हिर्स ही हसद और बुख़्ल का मब्दा है। इसी तरह किसी रिवायत में पेट का ज़िक्र है, किसी में दिल का। मक़सद दिल ही है चूंकि दिल पेट में होता है, लिहाज़ा कभी पेट कह दिया। रिवायत नम्बर 3113 में नथूनों की बजाये चेहरे का ज़िक्र है। ज़ाहिर है नथुने चेहरे से जुदा नहीं। नथूनों में जाने वाली चीज़ लाज़िमन चेहरे से छू कर ही जायेगी। गोया ये सिर्फ़ लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ है, मफ़हूम व मक़सूद में इत्तेफ़ाक़ है। ये लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ रावियों के तसर्रुफ़ का नतीजा है या सह्व का क्योंकि रिवायत हक़ीक़तन एक ही है और बयान करने वाले सहाबी-ए-रसूल भी एक ही हैं, यानी हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ).

बाब : (9)उस शख़्स की फ़ज़ीलत जिसके क़दम अल्लाह के रास्ते में ग़ुबार आलूद हों

ثَوَابِ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ، إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ " .

(3118) हज़रत यज़ीद बिन अबी मरयम बयान करते हैं कि मैं जुमा के लिये पैदल जा रहा था कि मुझे हज़रत अ़बाया बिन राफ़ेअ़ आ मिले। कहने लगे: ख़ुश हो जाओ क्योंकि तेरे ये क़दम अल्लाह के रास्ते में उठ रहे हैं और मैंने हज़रत अबू अ़ब्स (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के क़दम अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ग़ुबार आलूद हो जायें, वह शख़्स आग पर हराम है।'

(3118) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 907, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4324.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में फ़ी सबीलिल्लाह आ़म मआ़नी में इस्तेमाल किया गया है, यानी हर नेकी का काम। लुग़त के लिहाज़ से यही दुरुस्त है मगर शरई इस्तेलाह लुग़त से ज़्यादा मोतबर होती है और क़ुर्आन व हदीस़ में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ़्ज़ बिल उ़मूम जिहाद के मआ़नी में इस्तेमाल हुआ है। **(2)** 'हराम है' बशर्ते कि उसने कोई ऐसा गुनाह न किया हो जो क़ाबिले माफ़ी न हो या वह हुक़ूक़ुल इबाद में गिरफ़्तार न हो क्योंकि हुक़ूक़ुल इबाद नेकियों को ख़त्म कर देते हैं। मुमकिन है जिहाद का स़वाब इस क़द्र ज़्यादा हो कि वह तमाम हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी के बाद भी निजाते अव्वलीन के लिये काफ़ी हो। ये भी कहा जा सकता है कि आग से अब्दी आग मुराद है न कि वक़्ती और आ़रज़ी जैसे कि गुनाहगार मोमिनीन के लिये है, यानी वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (10)उस आँख का स़वाब जो अल्लाह(عزوجل) के रास्ते में बेदार रहे

باب (١٠): ثَوَابِ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُمَيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ،

(3119) हज़रत अबू रैहाना (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'वह आँख आग पर हराम कर दी गई है जो अल्लाह के रास्ते (जिहाद) में बेदार रहे।'

يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ التُّجِيبِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(3119) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/134, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4325, व सहीह अल हाकिम: 2/83, तिर्मिज़ी, हदीस: 1639 वग़ैरह.

بَاب : (١١) فَضْلِ غَدْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (11) अल्लाह तआला के रास्ते में सुबह के वक़्त जाने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

(3120) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के रास्ते में एक दिन सुबह या शाम के वक़्त जाना दुनिया और उसकी हर चीज़ से अफ़ज़ल है।'

(3120) तख़रीजः (सनद सही) बुख़ारी: 2794, मुस्लिम: 1881/114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4326.

फ़ायदा : क्योंकि जिहाद को जाने का सवाब बाक़ी रहने वाली चीज़ है और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। 'बाक़ी' और फ़ानी' का क्या मुक़ाबला? ख़्वाह 'बाक़ी' मिक़्दार के लिहाज़ से क़लील (कम) हो और 'फ़ानी' कसीर (ज़्यादा)।

فَضْلِ الرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (12) अल्लाह तआला के रास्ते में शाम के वक़्त जाने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَدْوَةٌ

(3121) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दिन सुबह या शाम के वक़्त अल्लाह तआला के रास्ते में जाना (दुनिया की) हर उस चीज़ से बेहतर है जिस पर सूरज तुलूअ या ग़ुरूब होता है।'

(3121) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4327.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ " .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ " .

(3122) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि उनमें से हर एक की मदद करना अल्लाह तआला पर ज़रूरी है: अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, वह निकाह करने वाला जो गुनाह से बचना चाहता है और वह गुलाम जिसने अपने मालिक से आज़ादी का मुआहिदा कर रखा है और उसकी नियत मुआहिदा पूरा करने की है।'

(3122) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1655, इब्ने माजा, हदीस: 2518, मुसनद अहमद: 2/437.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़रूरी है' और ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है। अगर अल्लाह तआला किसी की मदद न करे तो उस पर कोई ऐतराज़ नहीं। ये तो कमाले रहमत है कि अल्लाह तआला ने अपनी मर्ज़ी और इख़्तियार से कुछ बातों को अपने लिये ज़रूरी क़रार दे लिया है। **(2)** मालिक के लिये ज़रूरी है कि अगर वह अपने गुलाम में कमाई की सलाहियत देखे तो रक़म तै करके उससे आज़ादी का मुआहिदा करे और फिर उसे कमाई के लिये खुला छोड़ दे। जब वह मुक़र्ररा मुआहिदे के मुताबिक़ रक़म अदा कर दे तो उसे आज़ाद कर दे, ख़ुसूसन जब कि गुलाम ख़ुद ऐसे मुआहिदे की दरख़्वास्त करे। अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में इसका हुक्म दिया: 'और तुम्हारे जो लौण्डी गुलाम मुकातिबत करना (आज़ादी की तहरीर लिखाना) चाहें तो तुम उन्हें लिख कर दे दो।'

बाब : (13) जिहाद को जाने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं

باب (١٣): الْغُزَاةِ وَفْدُ اللهِ تَعَالَى

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،

(3123) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स अल्लाह तआला के ख़ुसूसी मेहमान हैं: जंग को जाने वाला, हज को जाने वाला और उमरे को जाने वाला।'

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَفْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ " .

(3123) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4329.

फ़ायदा : चूंकि ये तीनों ख़ालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये अपना पैसा ख़र्च कर के और लम्बे सफ़र की सऊबतें (तक्लीफ़ें) बरदाश्त करके जाते हैं, इसलिये उन्हें अल्लाह तआला के मेहमान फ़रमाया गया। मक़सद ये है कि अल्लाह तआला उनसे बहुत ख़ुश होता है।

باب (۱۴): مَا تَكَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ

बाब : (14) अल्लाह तआला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये किस चीज़ का ज़ामिन है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَكَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " .

(3124) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उस शख़्स के लिये जो उसके रास्ते में जिहाद करने जाता है और उसके जाने का वाहिद मक़सद अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद और उसके दीन की तस्दीक़ व ताईद करना है, इस बात का ज़ामिन है कि (अगर वह शहीद हो गया तो) उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल करेगा या (अगर वह ज़िन्दा रहा तो) उसे उसके घर में, जहाँ से वह गया था, वापस पहुँचायेगा, और उसे अज्र और ग़नीमत भी हासिल होंगे।'

(3124) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4330, मौता: 2/443, 444.

फ़ायदा : 'अज्र और ग़नीमत' यानी दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर हासिल होगी। दोनों भी हो सकती हैं क्योंकि अज्र तो हर हाल में हासिल होगा, ग़नीमत मिल जाये तो बेहतर वरना उख़रवी अज्र तो हर सूरत में मिलेगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، مَوْلَى بْنِ

(3125) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना:

أَبِي ذُبَابٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " .

'अल्लाह तआला ने उस शख़्स के लिये जो जिहाद के लिये निकलता है, इस बात की ज़मानत ली है कि उसे मैं हर हाल में जन्नत में दाख़िल करूँगा, चाहे वह जंग में क़त्ल हो या बिस्तर पर फ़ौत हो या मैं उसे उस घर में वापस लाऊँगा जहाँ से वह निकला था, क़तअ नज़र उस अज्र या ग़नीमत के जो वह हासिल करे बशर्ते कि जिहाद पर उसे निकालने वाली चीज़ सिर्फ़ मुझ पर ईमान और मेरी राह में जिहाद करने का जज़्बा हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4331, 1/397, हदीस: 238.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " .

(3126) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की मिसाल उस शख़्स की तरह है जो मुसल्सल क़याम व सियाम में मशग़ूल रहे। वैसे अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते में जिहाद करता है (और कौन दुनियावी अग़राज़ के लिये) और अल्लाह तआला अपने रास्ते में जिहाद करने वाले के लिये ज़ामिन है कि उसे फ़ौत करेगा तो जन्नत में दाख़िल करेगा या उसे सही सालिम अज्र व ग़नीमत समेत उसके घर वापस लौटायेगा।'

(3126) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4332.

फ़ायदा : 'अल्लाह ही जानता है' क्योंकि नियत मख़्फ़ी चीज़ है। लोग तो ज़ाहिर को देखते हैं। अल्लाह तआला दिल को भी देखता है। फ़ज़ीलत उसी को हासिल होगी जो ख़ालिसतन अल्लाह की रिज़ा के लिये जिहाद को जाता है। अगर कोई और आलाइश उसमें दाख़िल हो गई तो ये जिहाद बजाये जन्नत के जहन्नम का ज़रिया बन सकता है।

बाब : (15)
अगर कोई लश्कर ग़नीमत हासिल न भी कर सके तो उसे सवाब ज़रूर मिलेगा

باب : (١٥)
ثَوَابِ السَّرِيَّةِ الَّتِي تُخْفِقُ

(3127) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो भी लश्कर अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद को जाये और ग़नीमत हासिल करे तो वह अपने उख़रवी अज्र का दो तिहाई फौरन हासिल कर लेता है और एक तिहाई अज्र उसके लिये बाक़ी रह जाता है, लेकिन अगर वह ग़नीमत हासिल न करे तो उसे उसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा।'

(3127) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4333.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

फ़ायदा : मालूम हुआ कि ग़नीमत हासिल करने वाला कम अज्र का मुस्तहिक़ है, ख़्वाह उसकी नियत ग़नीमत की न हो। पूरा अज्र उसी को मिलेगा जिसे कुछ भी दुनियावी मफ़ाद हासिल न हुआ हो। दोनों किसी सूरत अज्र में बराबर नहीं हो सकते, अलबत्ता जो शख़्स ग़नीमत के लिये जिहाद करे, उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। ग़नीमत मिले या न मिले बल्कि अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा।

(3128) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने अपने रब्बे जलील से बयान फ़रमाया: 'मेरा जो बन्दा भी मेरी रज़ामन्दी के हुसूल के लिये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में निकला, मैं उसे ज़मानत देता हूँ कि उसे अज्र या ग़नीमत के साथ घर वापस करूँगा। और अगर मैंने उसकी जान क़ब्ज़ कर ली तो उसके सब गुनाह माफ़ कर दूँगा और उस पर ख़ुसूसी रहमत फ़रमाऊँगा।'

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ " أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ

غَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ "

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/117, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4334, देखें, हदीस़: 3126.

फ़ायदा : 'अपने रब्बे जलील से' ऐसी रिवायत को हदीस़े क़ुदसी कहते हैं जिसमें स़राहतन अल्लाह तआ़ला से बयान करने का ज़िक्र हो। अगरचे आप दूसरी अहादीस़ भी अल्लाह तआ़ला की वह्य के ज़रिये ही से इरशाद फ़रमाते हैं मगर हदीस़े क़ुदसी में सारी गुफ़्तगू अल्लाह की तरफ़ से सेग़-ए-मुतकल्लिम में होती है।

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (16) अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जिहाद करने वाले की मिस़ाल

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ" .

(3129) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले की मिस़ाल, और अल्लाह तआ़ला ही ख़ूब जानता है कि कौन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, उस शख़्स की तरह है जो मुसल्सल स़ियाम व क़याम करता है और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ रुकू व सज्दा करता रहे।'

(3129) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अबी आ़सिम फ़ी किताबिल जिहाद: 1/182, हदीस़: 29, हदीस़: 11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4335, देखें, हदीस़: 3126.

फ़ायदा : 'मुसल्सल' यानी जब से वह जिहाद को निकला है, उसकी वापसी तक कोई शख़्स लगातार रोज़े और नमाज़ की हालत में रहे। एक लम्हा भी सुस्ती न करे। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। गोया जिहाद के बराबर कोई और अ़मल नहीं। या इस फ़र्ज़ी सूरत का जो स़वाब फ़र्ज़ किया जायेगा, वह मुजाहिद को मिलेगा बशर्ते कि ख़ालिस़तन अल्लाह की रिज़ा के लिये जिहाद कर रहा हो।

باب(١٧): مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (17) कौन सा अ़मल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता है?

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3130) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، أَنَّ ذَكْوَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ أَجِدُهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُومُ لاَ تَفْتُرُ وَتَصُومُ لاَ تُفْطِرُ " . قَالَ مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

होकर कहने लगा: मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जो जिहाद के बराबर हो। आपने फ़रमाया: 'मैं तो कोई ऐसा काम (क़ाबिले अमल) नहीं पाता। क्या तू इस बात की ताक़त रखता है कि जब से मुजाहिद (जिहाद के लिये घर से) निकले, तू मस्जिद में दाख़िल हो जाये और नमाज़ शुरू कर दे (और उसकी वापसी तक) ज़र्रा भर सुस्ती न करे, और रोज़े रखना शुरू कर दे और कुछ न खाये पिये?' उस शख़्स ने कहा: इसकी कौन ताक़त रख सकता है?

(3130) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4336.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" .

(3131) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के नबी (ﷺ) से पूछा कि कौन सा अमल बेहतर है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला पर ईमान लाना और अल्लाह (عزوجل) के रास्ते में जिहाद करना।'

(3131) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2518, मुस्लिम, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4337.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "

(3132) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: कौन सा अमल अफ़ज़ल है? फ़रमाया: 'अल्लाह तआला पर ईमान लाना।' उसने अर्ज़ किया: फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।' उसने अर्ज़ किया कि फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की बारगाह में

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ " .

मक़बूल हज।'

(3132) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4338.

دَرَجَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (18) मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का दर्जा

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . قَالَ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ " . قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(3133) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू सईद! जो शख़्स अल्लाह तआला की रुबूबियत, दीने इस्लाम और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नबूवत पर (दिल व जान से) राज़ी हो गया, उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई।' हज़रत अबू सईद को ये कलिमात बड़े अजीब लगे। वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! ये कलिमात दोबारा इरशाद फ़रमाइये: आपने दोबारा इरशाद फ़रमाये, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक और चीज़ है कि अल्लाह तआला उसकी वजह से उस शख़्स को जन्नत में सो दर्जे बलन्द फ़रमायेगा। हर दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के माबैन फ़ासला है।' अबू सईद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन सी चीज़ है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करना। अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करना।'

(3133) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1884, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4339.

फ़ायदा : 'बड़े अजीब लगे' क्योंकि ज़ाहिरन एक आसान चीज़ पर जन्नत का वादा किया गया है, अगरचे हक़ीक़तन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रिज़ा का इल्म आमाल से होगा। और अमल से ईमान का सबूत मुहैया करना ही मुश्किल काम है। दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि 'बड़े उम्दा लगे' क्योंकि मोमिन के लिये ये अज़ीम ख़ुशख़बरी है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجَرَ أَوْ مَاتَ فِي مَوْلِدِهِ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا فَقَالَ " إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ " .

(3134) हज़रत अबू दरदा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स नमाज़ क़ाइम करे, ज़कात अदा करे और इस हाल में मरे कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो अल्लाह तआला पर लाज़िम है कि उसकी बख़्शिश फ़रमाये, ख़्वाह वह हिजरत करे या अपनी पैदाइश ही के इलाक़े में फ़ौत हो जाये।' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम ये बात लोगों को न बता दें कि वह ख़ुश हो जायें? आपने फ़रमाया: 'जन्नत में सो दर्जे हैं। हर दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के माबैन के बराबर फ़ासला है। अल्लाह तआला ने वह दर्जे उसकी राह में जिहाद करने वालों के लिये तैयार कर रखे हैं। और अगर ये ख़तरा न होता कि मैं मुसलमानों पर मशक़्क़त डाल बैठूँगा और मैं इतनी सवारियाँ (और वसाइल) नहीं पाता कि मैं उन्हें सवारियाँ मुहैया कर सकूँ और उन्हें ये बात हरगिज़ गवारा न होगी कि मेरे पीछे बैठे रहें, तो मैं किसी लश्कर से पीछे न रहता। और मेरी ख़्वाहिश है कि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ। फिर शहीद किया जाऊँ।'

(3134) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 2/208, 209, हदीस: 1200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4340.

باب: (١٩) مَا لِمَنْ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ وَجَاهَدَ

बाब : (19) उस शख़्स की फ़ज़ीलत जिसने इस्लाम क़बूल किया, हिजरत की और जिहाद किया

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي

(3135) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते

أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَنَا زَعِيمٌ - وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ " .

सुना: 'जो शख़्स मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान (मुतीअ़) हुआ और उसने हिजरत की, मैं उसके लिये जन्नत के किनारे में एक घर और जन्नत के दरम्यान में एक घर का ज़ामिन हूँ। और जो शख़्स मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान (मुतीअ़) हुआ और अल्लाह तआ़ला के रास्ते में उसने जिहाद किया, मैं उसके लिये जन्नत के किनारे में एक घर, जन्नत के दरम्यान में एक घर और जन्नत के इन्तेहाई बलन्द हिस़्से में एक घर का ज़ामिन हूँ। जिस शख़्स ने ये काम किये, उसने ख़ैर हासि़ल करने का कोई मौक़ा और शर से भागने का कोई मौक़ा न छोड़ा। वह जहाँ मर्ज़ी फ़ौत हो।'

(3135) तख़रीज : (सनद हसन) सईद बिन मन्सूर: 2/118, 119, हदीस़: 3304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4341, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 4600, वल हाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिम: 2/60, 71.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ

(3136) हज़रत सब्रा बिन अबू फ़ाकेह (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'शैतान इन्सान (को गुमराह करने के लिये उस) के सब रास्तों पर बैठता है। वह उस (को गुमराह करने) के लिये इस्लाम के रास्ते पर बैठता है और कहता है: क्या तू इस्लाम लाकर अपने और अपने आबा व अज्दाद के दीन को छोड़ देगा? लेकिन इन्सान उसकी नाफ़रमानी करके मुसलमान हो जाता है। फिर वह उसके सामने हिजरत के रास्ते पर बैठ जाता है और कहता है: क्या तू हिजरत करके अपना वतन और आसमान छोड़ देगा? जब कि मुहाजिर की मिस़ाल तो ऐसे है जैसे घोड़ा रस्सी के साथ बाँध दिया गया हो। लेकिन इन्सान उसकी

فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ " .

नाफ़रमानी करता है और हिजरत कर लेता है। फिर शैतान उसके सामने जिहाद के रास्ते पर आकर बैठता है और कहता है कि तू जिहाद करेगा? ये तो जान व माल की मशक़्क़त का नाम है। फिर तू लड़ाई करेगा। तो मारा जायेगा। तेरी औरत से कोई दूसरा शख़्स शादी कर लेगा। और तेरा माल वारिसों में तक़्सीम कर दिया जायेगा। लेकिन मोमिन उसकी नाफ़रमानी करता है और जिहाद करता है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ये सब कुछ करे तो अल्लाह तआला पर लाज़िम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाये, और जो शहीद हो जाये तो फिर भी अल्लाह तआला पर लाज़िम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाये और अगर वह ग़र्क़ हो जाये तो भी अल्लाह तआला पर लाज़िम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाये। और अगर उस (की सवारी) का जानवर उसको गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दे तो भी अल्लाह तआला पर लाज़िम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाये।'

(3136) तख़रीज : (सनद सहीह) मुसनद अहमद: 3/483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4342, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1601.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'घोड़ा रस्सी के साथ' ये शैतान का कलाम है, यानी अपने वतन से बाहर इन्सान मुक़य्यद और महबूस की तरह होता है। जिस तरह रस्सी में बँधा हुआ घोड़ा आज़ादाना नहीं चल फिर सकता, उसी तरह मुहाजिर शख़्स भी अपने घर का क़ैदी बन जाता है। न काम अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, न खुले बाज़ारों में चल फिर सकता है। न उसे कोई पहचानता है कि उस से हमदर्दी करे। न वह वाक़िफ़ होता है कि लोगों से मिले जुले। आम मुआशरे में यक़ीनन ऐसा ही होता है मगर इस्लामी मुआशरे में मुहाजिर और मक़ामी में कोई फ़र्क़ नहीं होता बल्कि मुहाजिर इज़्ज़त व एहतिराम के लिहाज़ से बढ़ जाता है। **(2)** 'लाज़िम हो जाता है' अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से न कि मजबूरी से। (देखिये, हदीस: 3122)

बाब : (20) उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो अल्लाह (ﷻ) के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे

باب (٢٠): فَضْلِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " . فَقَالَ أَبُو

(3137) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में जोड़ा (जोड़ा) ख़र्च करे, उसे जन्नत में बुलाया जायेगा: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये बहुत बेहतर है (इधर आओ). जो शख़्स (नफ़ल) नमाज़ का आदी होगा उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा और जो शख़्स जिहाद का शाइक़ होगा, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा और जो शख़्स (नफ़ल) सदक़ात में मारूफ़ होगा, उसे सदक़े वाले दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी और जो शख़्स (नफ़ल) रोज़ों का आदी होगा, उसे सैराबी वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! किसी शख़्स को ज़रूरत तो नहीं कि उसे जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया जाये लेकिन क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे सब दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ। और मुझे उम्मीद है कि तू उनमें से होगा।'

(3137) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4343.

फ़ायदा : इस हदीस में फ़ी सबीलिल्लाह आम है, यानी हर नेकी का काम। हदीस का अन्दाज़े बयान इस पर दलालत करता है। हदीस की बक़िया तफ़सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 2240.

बाब : (21)
जो शख़्स इसलिये लड़ाई लड़ता है कि अल्लाह तआला का कलिमा बलन्द हो

باب : (٢١)
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(3138) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आराबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: एक आदमी शोहरत के लिये लड़ाई करता है या ग़नीमत हासिल करने के लिये लड़ता है या अपना मर्तबा ज़ाहिर करने के लिये लड़ाई लड़ता है, उनमें से अल्लाह के रास्ते में कौन है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स इसलिये लड़ाई करता है कि अल्लाह तआला का कलिमा बलन्द हो तो वही अल्लाह तआला के रास्ते में है।'

(3138) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2810, मुस्लिम, हदीस: 1904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4344.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह के कलिमे से मुराद अल्लाह तआला का पैग़ाम और दीन है। (2) इबादत में इख़्लास शर्त है।

बाब : (22)
जो शख़्स बहादुर कहलाने के लिये लड़े

باب : (٢٢)
مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ

(3139) हज़रत सुलैमान बिन यसार बयान करते हैं कि लोग हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के पास से उठ कर चले गये तो शाम वालों में से नातिल नामी एक शख़्स ने कहा बुज़ुर्गवार मोहतरम! मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिये जो आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी हो। उन्होंने कहा: ठीक है। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सबसे पहले जिनका फ़ैसला क़यामत के दिन किया जायेगा, तीन

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَفْهَمْ تُحِبُّ كَمَا أَرَدْتُ

अशख़ास होंगे: एक वह आदमी जो शहीद हुआ। उसे लाया जायेगा। अल्लाह तआला उसे अपने एहसानात गिनवायेगा। वह उन्हें तस्लीम करेगा। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने उन नेमतों के बदले में क्या काम किया? वह कहेगा: मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला। तू तो इसलिये लड़ा था कि कहा जाये: फ़ुलां शख़्स बहुत बहादुर है। ये बात (दुनिया में) बहुत कह दी गई, फिर हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे के बल घसीट कर आग में फ़ेंक दिया जायेगा। दूसरा वह शख़्स जिसने इल्म सीखा और सिखाया और कुर्आन मजीद पढ़ा। उसे भी लाया जायेगा। अल्लाह तआला उसे अपने एहसानात गिनवायेगा। वह उन सब का ऐतराफ़ करेगा। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने इन नेमतों के बदले में क्या किया? वह कहेगा: मैंने इल्म सीखा और सिखाया। और तेरी रज़ामन्दी के लिये कुर्आन पढ़ा। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला। तूने तो इसलिये इल्म सिखा था कि तुझे आलिम कहा जाये और कुर्आन इसलिये पढ़ा था कि तुझे क़ारी कहा जाये। ये सब कुछ तो कह दिया गया। उसके बारे में भी हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे के बल घसीट कर आग में डाल दिया जायेगा। और तीसरा वह शख़्स कि अल्लाह तआला ने उस पर वुस्अत फ़रमाई और उसे हर क़िस्म का माल दिया। उसे भी लाया जायेगा। अल्लाह तआला उसे अपनी नेमतें याद दिलायेगा, वह उन्हें तस्लीम करेगा। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने इन नेमतों

" أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنْ لِيُقَالَ إِنَّهُ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ " .

के बदले में क्या किया? वह कहेगा: मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तू पसन्द करता हो।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) कहते हैं कि मैं (अपने उस्ताद से) 'तुहिब्बु' का लफ़्ज़ इस तरह नहीं समझ सका जिस तरह मैं चाहता था.... कि ख़र्च किया जाये मगर मैंने तेरी रज़ामन्दी के लिये उस जगह ख़र्च किया। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला, बल्कि तूने ये सब कुछ इसलिये किया कि लोग कहें कि ये बहुत बड़ा सख़ी है। ये बात तो (दुनिया में) कह दी गई, फिर उसके बारे में भी हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे के बल घसीट कर आग में फेंक दिया जायेगा।'

(3139) **तख़रीज :** (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1905, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4345.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि आमाल कितने ही अच्छे क्यों न हों, नियत सही न हो तो वह आमाल सवाब की बजाये उल्टा अज़ाब का ज़रिया बन जायेंगे, ख़्वाह लोग उसकी वक़्ती तौर पर तारीफ़ करें या न करें। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से शुब्हा पड़ता है कि लोग तारीफ़ करें तब उसे अज़ाब होगा लेकिन ये मतलब सही नहीं। अज़ाब का ताल्लुक़ नियत की ख़राबी से है न कि लोगों के तारीफ़ करने से। अगर नियत सही हो तो लोगों की तारीफ़ नुक़सान नहीं पहुँचायेगी बल्कि मख़्लूक़ की गवाही उसकी निजात और रफ़ओ दर्जात का सबब बनेगी। (2) 'नातिल' ये साइल का नाम है। नातिल बिन क़ैस। (3) 'तूने झूठ बोला' यानी दाव-ए-इख़्लास में, वरना ज़ाहिर है वाक़िया तो दुरुस्त है। (4) 'आग में फेंक दिया जायेगा' क्योंकि दीन में रियाकारी शिर्के असग़र है।

باب (٢٣): مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ مِنْ غَزَاتِهِ إِلاَّ عِقَالاً

बाब : (23) जो शख़्स जिहाद के लिये जाये लेकिन अपने जिहाद से सिर्फ़ दुनियावी माल हासिल करना चाहता हो

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

(3140) हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने गया

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى " .

लेकिन उसकी नियत सिर्फ़ दुनियावी माल हासिल करना था तो उसे उसकी नियत ही के मुताबिक़ मिलेगा।'

(3140) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/320, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4346, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1605, वल हाकिम: 2/109, वल ज़हबी, अबी दाऊद, हदीस: 2527 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'दुनियावी माल' हदीस में लफ़्ज़ (इक़ाल) इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके मआनी उस रस्सी के हैं जिससे ऊँट का घुटना बाँधा जाता है ताकि वह भाग न जाये। ज़ाहिर है वह रस्सी तो किसी का भी मक़सूद नहीं होती। लेकिन दरहक़ीक़त दुनियावी माल व मनाल, ख़्वाह वह किसी क़द्र पुर कशिश मालूम हो, उस रस्सी की तरह बे हैसियत है और फ़ना हो जाने वाला है। दुनियावी माल की हक़ारत ज़ाहिर करने के लिये उसे रस्सी से ताबीर फ़रमाया,इसलिये तर्जुमा में असल मक़सूद बयान किया गया है।

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ غَزَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى " .

(3141) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ऊँट का घुटना बाँधने वाली रस्सी हासिल करने के लिये जिहाद करेगा तो उसे उसकी नियत के मुताबिक़ ही मिलेगा।'

(3141) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 5/315, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4347.

फ़ायदा : 'नियत के मुताबिक़' यानी उसे उख़रवी सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उसका इरादा ही नहीं किया। बाक़ी रहा दुनिया का माल, मुमकिन है उसे मिल जाये, मुमकिन है वह भी न मिले। -न ख़ुदा ही मिला न विसाले सनम। अलबत्ता अगर जिहाद ख़ुलूस नियत से करे, ग़नीमत मक़सूद न हो मगर मिल जाये, ख़्वाह कितनी ही मिक़्दार में मिले, वह नुक़सानदेह नहीं बल्कि अल्लाह तआला की नेमत है।

बाब : (24) जो शख़्स सवाब और शोहरत कमाने के लिये जिहाद करे

باب: (٢٤) مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ

(3142) हज़रत अबू उमामा बाहिली (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा: आप फ़रमाइये, एक शख़्स जंग को जाता है। सवाब और शोहरत दोनों का तलबगार है। उसे क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे कुछ नहीं मिलेगा।' उस शख़्स ने ये सवाल तीन दफ़ा दोहराया। हर दफ़ा आप फ़रमाते थे: 'उसे कुछ नहीं मिलेगा।' फिर आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला सिर्फ़ उस अमल को क़बूल फ़रमाता है जो ख़ालिस उसके लिये किया जाये और सिर्फ़ उसकी रज़ामन्दी मक़सूद हो।'

(3142) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4348.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ هِلاَلٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ شَىْءَ لَهُ " . فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ شَىْءَ لَهُ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " .

फ़ायदा : अल्लाह तआला नेक काम में 'शिर्कत' को भी पसन्द नहीं फ़रमाता। शिर्कत से मक़सूद ये है कि सवाब की नियत भी हो और साथ साथ ग़नीमत और शोहरत भी मक़सूद हो। ज़ाहिर है ये 'शिर्क' की तरह है। शिर्क में भी अल्लाह तआला की इबादत तो होती ही है मगर ग़ैरुल्लाह की भी इबादत होती है। अगर शिर्क क़बूल नहीं तो ये शिर्कत कैसे क़बूल होगी? अल्लाह तआला सिर्फ़ उसी अमल को क़बूल फ़रमाता है जिससे सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी मक़सूद हो।

बाब (25) उस शख़्स का सवाब जो अल्लाह के रास्ते में ऊँटनी दूहने के दरम्यानी वक़्फ़े के बक़द्र जिहाद करे

باب (٢٥): ثَوَابِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ

(3143) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो मुसलमान आदमी अल्लाह तआला के रास्ते में

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ " .

ऊँटनी दूहने के दरम्यानी वक़्फ़े के बराबर लड़ाई करे, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जायेगी। और जो शख़्स अल्लाह तआला से सच्चे दिल के साथ शहादत का सवाल करे, फिर ख़्वाह फ़ौत हो जाये या मारा जाये, उसे शहीद का स़वाब मिलेगा। और जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में ज़ख़्मी हो गया या उसे कोई चोट लगी तो क़यामत के दिन उससे तेज़ी से ख़ून बह रहा होगा। रंग तो ज़ाफ़रान जैसा होगा मगर ख़ुशबू कस्तूरी जैसी। और जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में ज़ख़्मी हुआ, उस पर शोहदा वाली मुहर लगी होगी।'

(3143) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1657, 1654, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4349.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊँटनी के थन छोटे और सख़्त होते हैं। कुछ दूध दूहने के बाद आदमी थक जाता है। उधर दूध भी वक़्ती तौर पर ख़त्म हो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद जब पिस्तान दूध से भर जाते हैं, दोबारा दूहना शुरू किया जाता है। इस तरह कई वक़्फ़ों से ये काम मुकम्मल होता है। इस दरम्यानी वक़्फ़े को फ़वाक़े नाक़ा कहा जाता है। ये वक़्फ़ा चन्द मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं। अल्लाह तआला वक़्त और मिक़्दार को नहीं देखता। अल्लाह तआला तो नियत और क़ल्बी कैफ़ियत को देखता है। स़वाब का मदार भी यही चीज़ है। **(2)** 'क़यामत के दिन' कोई शख़्स जिस हालत में फ़ौत हो वह उसी हाल में उठाया जायेगा। अच्छी मौत वालों के लिये ये चीज़ फ़ज़ीलत का बाइस़ होगी, जैसे: शहीद, मुहरिम, नमाज़ी वग़ैरह। **(3)** 'शोहदा वाली मुहर' ख़्वाह वह उस ज़ख़्म से फ़ौत हो या किसी और बिना पर, मगर उस ज़ख़्म का निशान उसमें बाक़ी रहे। ज़ख़्म चूंकि मौत का सबब बनता है, लिहाज़ा जिहाद में ज़ख़्मी होने वाला शहीद नहीं तो शोहदा का साथी तो ज़रूर होगा। मुमकिन है ज़ख़्म के निशान ही को 'शोहदा की मुहर' कहा गया हो या फिर कोई ख़ुसूसी निशानात लगाये जायेंगे। वल्लाहु आलम!

बाब : (26) उस शख़्स का सवाब जो अल्लाह तआला के रास्ते में तीर चलाये

باب(٢٦): ثَوَابِ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(3144) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त ने हज़रत अम्र बिन अब्सा (ﷺ) से कहा: ऐ अम्र! हमें कोई ऐसी हदीस बयान फ़रमायें जो आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी हो। उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस शख़्स के बाल अल्लाह तआला के रास्ते में सफ़ेद हो गये तो वह सफ़ेद बाल उसके लिये क़यामत के दिन नूर का ज़रिया बन जायेंगे। और जिस शख़्स ने अल्लाह तआला के रास्ते में तीर फेंका, वह दुश्मन तक पहुँचे या न पहुँचे, उसके लिये गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। और जो शख़्स मोमिन गुलाम आज़ाद करे तो उसका हर अज़्व (अंग) उसके हर अज़्व (अंग) के लिये आग से आज़ादी का सबब बन जायेगा।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ يَا عَمْرُو حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْلَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ " .

(3144) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4350.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अल्लाह तआला के रास्ते में' उर्फ़ का लिहाज़ रखें तो उससे मुराद जिहाद होगा, यानी जिसने स्याह बालों के साथ जिहाद शुरू किया यहाँ तक कि उसके बाल सफ़ेद हो गये, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे मुराद हर नेक काम हो क्योंकि बहुत सी अहादीस में मोमिन के सफ़ेद बालों को उसके लिये नूर क़रार दिया गया है, जब कि जिहाद की फ़ज़ीलत तो सफ़ेद बालों की मोहताज नहीं। वह तो उसके अलावा भी अफ़ज़ल अमल है। वल्लाहु आलम! **(2)** नूर, यानी वह बाल ही नूर बन जायेंगे या उसे इस बिना पर नूर हासिल होगा। वैसे भी सफ़ेद बालों और नूर में ज़ाहिरी मुमासलत पाई जाती है और जज़ा भी मुमासिल ही होती है। **(3)** 'हर अज़्व (अंग)' अलबत्ता इसमें मुज़क्कर (मेल) मुअन्नस (फिमेल) का फ़र्क़ नहीं, यानी मुज़क्कर, मुअन्नस को आज़ाद करे या मुअन्नस, मुज़क्कर को, उसे ये सवाब मिलेगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ " . فَبَلَّغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا . قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ " .

(3145) हज़रत अबू नजीह सुलमी (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिसने अल्लाह के रास्ते में एक तीर (दुश्मन तक) पहुँचाया, उसे जन्नत में एक दर्जा हासिल हो जायेगा। मैंने उस दिन सोलह (16) तीर दुश्मनों तक पहुँचाये, और मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में तीर चलाये तो उसे एक गुलाम के आज़ाद करने के बराबर स़वाब मिलेगा।'

(3145) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 3965, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4351, व स़हीह तिर्मिज़ी, हदीस़: 1638, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1478, वल हाकिम: 2/95, 121, 3/250, वल जहबी, हदीस़: 219, वल बैहक़ी: 9/161 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : तीर पहुँचाने और तीर चलाने में मफ़हूम के लिहाज़ से भी फ़र्क़ है और स़वाब के लिहाज़ से भी। तीर चलाने से मुराद तो तीर फेंकना है, ख़्वाह दुश्मन तक पहुँचे या न पहुँचे, किसी को लगे या न लगे। तीर पहुँचाने का मतलब ये है कि तीर स़ही निशाने पर लगे और जिस मक़स़द के लिये चलाया गया है,वह मक़स़द पूरा हो। ज़ाहिर है दोनों में बहुत फ़र्क़ है, लिहाज़ा अज्र व स़वाब में भी बहुत फ़र्क़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ . قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا

(3146) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त ने हज़रत कअब बिन मुर्रा (ﷺ) से कहा: ऐ कअब हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) से कोई हदीस़ बयान फ़रमायें और इस सिलसिले में पूरी एहतियात फ़रमायें (कि हदीस़ में कोई कमी बेशी न हो) उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस आदमी के बाल इस्लाम में अल्लाह के रास्ते में सफ़ेद हो गये, वह उसके लिये क़यामत के दिन नूर बन जायेंगे।' उन्होंने फिर कहा: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक और हदीस़ बयान फ़रमाइये और पूरी

يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ لَهُ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ . قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً " . قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ " أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ " .

पूरी एहतियात फ़रमाइये (कि कमी बेशी न हो) उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तीर अन्दाज़ी किया करो। जो शख़्स दुश्मन तक तीर पहुँचाये, अल्लाह तआला उसकी वजह से उसका एक दर्जा बलन्द फ़रमायेगा।' (ये सुन कर) हज़रत इब्ने नह्हाम (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! दर्जे से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: 'वह दर्जा तेरी माँ के घर की चौखट के बराबर नहीं बल्कि (जन्नत के) दो दर्जों के दरम्यान सौ साल का फ़ासला है।'

(3146) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4352, अबू दाऊद, हदीस: 3967, मुस्लिम, हदीस: 1509, वल हुमैदी, हदीस: 767 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है और दलाइल की रू से यही बात राजेह और दुरुस्त मालूम होती है कि ये रिवायत सही है, और मुहक़्क़िक़े किताब ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि इस रिवायत के कुछ हिस्से के शवाहिद सहीह मुस्लिम (1509) में हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 26/212-214, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/385, रक़म: 3144) **(2)** 'तेरी माँ' अगरचे किसी के मुँह पर उसकी माँ का ज़िक्र करना उर्फ़े आम में मायूब समझा जाता है मगर शरअन इसमें कोई हर्ज नहीं। ख़ुसूसन जब कि मुताल्लिक़ा शख़्स उसे महसूस भी न करे। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ताल्लुक़ अपने सहाबा से बहुत गहरा था। सहाबा की माएँ अपने बेटों की ज़बानी आपको सलाम व दुआ का पैग़ाम भेजती थीं, लिहाज़ा आपकी ज़बान पर ऐसा ज़िक्र उनके लिये ख़ुश तबई का मोजिब था। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ कलाम करता है। सब पर एक ही हुक्म लागू नहीं किया जा सकता।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيَّ

(3147) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त से रिवायत है कि मैंने हज़रत अम्र बिन अबसा (ﷺ) से कहा: ऐ अम्र! हमें कोई हदीस बयान फ़रमाइये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो। उसमें कोई

- يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ وَلاَ تَنَقُّصٌ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

भूल चूक या कमी न हो। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिसने अल्लाह तआला के रास्ते में तीर चलाया और दुश्मन तक पहुँचा दिया, (वह तीर दुश्मन को) लगा या न लगा, वह उसके लिये एक ग़ुलाम की आज़ादी की तरह होगा। और जिस शख़्स ने कोई मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद किया तो उसका हर अज़्व (अंग) उसके हर अज़्व (अंग) के बदले में जहन्नम की आग से आज़ाद होगा। और जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में (काम करता करता) बूढ़ा हो गया तो उसके सफ़ेद बाल क़यामत के दिन उसके लिये नूर बन जायेंगे।'

(3147) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4353, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3144.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الأَسْوَدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ " .

(3148) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला एक तीर की वजह से तीन अश्ख़ास को जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा: बनाने वाला, जो उसे बनाते वक़्त नेकी का ज़हन रखता है, तीर फेंकने वाला और तीर पकड़ाने वाला।'

(3148) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2513, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4354, व सहीह अल हाकिम: 3/95, वज़्ज़हबी, वल हाकिम वग़ैरहुम.

फ़ायदा : 'तीर पकड़ाने वाला' अरबी में लफ़्ज़ मुनब्बिल इस्तेमाल किया गया है। उसके मआनी तीर मुहैया करने वाला भी हो सकते हैं, यानी अपने माल से ख़रीद कर देने वाला या दूर गिरने वाले तीर लेकर आने वाला। हदीस का मक़सद ये है कि जिस शख़्स का नेकी में ज़र्रा भर भी हिस्सा है, उसे अज्र व सवाब ज़रूर मिलेगा। अपने अपने हिस्से के मुताबिक़। कोई शख़्स अज्र से महरूम नहीं रहेगा।

बाब : (27)जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में ज़ख़्मी हो जाये

مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(3149) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में ज़ख़्मी होता है ...... और अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है कि कौन अल्लाह तआला की राह में ज़ख़्मी होता है .... तो वह क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि उसके ज़ख़्म से ख़ून तेज़ी से बह रहा होगा। रंग तो ख़ून का होगा मगर ख़ुशबू कस्तूरी की होगी।'

(3149) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1876/105, बुख़ारी, हदीस: 2803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4355.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस नम्बर 3143 में ये अल्फ़ाज़ थे: 'रंग तो ज़ाफ़रान का होगा' दरअसल ज़ाफ़रान का अपना रंग ख़ून की तरह सुर्ख़ ही होता है, चूंकि ज़ाफ़रान क़ीमती और ख़ुशबूदार चीज़ है, लिहाज़ा बतौर ऐज़ाज़ ज़ाफ़रान की तरफ़ निस्बत कर दी और इस रिवायत में असल हक़ीक़त बयान फ़रमा दी। मफ़हूम में कोई फ़र्क़ नहीं। वल्लाहु आलम! (2) 'अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है' क्योंकि इस बात का तअल्लुक़ नियत से है और नियत अल्लाह तआला ही जान सकता है।

(3150) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअलबा(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (शोहदा-ए उहुद के बारे में) फ़रमाया था: 'उन्हें उनके ख़ून (आलूद जिस्म और कपड़ों) समेत ढाँप कर दफ़न कर दो क्योंकि जो ज़ख़्म भी अल्लाह तआला के रास्ते में लगता है, वह क़यामत के दिन इस हालत में होगा कि उससे ख़ून बह रहा होगा। रंग तो ख़ून का होगा मगर ख़ुशबू कस्तूरी की होगी।'

(3150) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2004, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4356.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कस्तूरी जैसी' हक़ीक़तन कस्तूरी भी ख़ून ही होती है। अगर दुनिया में ख़ून आला ख़ुशबू में तब्दील हो सकता है तो आख़िरत में बदर्ज-ए-औला ऐसा होगा। इसमें कोई इश्काल नहीं। (2) शहीद को न तो गुस्ल दिया जाता है न उसके ख़ून आलूद कपड़े उतारे जाते हैं ताकि उसका ख़ून क़यामत के दिन उसके लिये ऐज़ाज़ बन जाये, और हर शख़्स पहचान ले कि ये फ़ी सबीलिल्लाह शहीद है, अलबत्ता उसके ऊपर एक खुली चादर डाल दी जाती है जो उसके सर और पाँव को ढाँप ले। अगर चादर छोटी हो तो सर ढाँप दिया जाये। पाँव नंगे रह जायें तो कोई बात नहीं।

बाब : (28) जिस शख़्स को दुश्मन नेज़ा मारे तो वह (ज़ख़्म ख़ूरदा) क्या कहे?

باب : (٢٨)
مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُوُّ

(3151) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते हैं: जब उहुद का दिन था और लोग भाग खड़े हुए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) बारह अन्सारियों के हिसार में (मैदान के) एक किनारे में (डटे हुए) थे। उनमें (एक मुहाजिर) हज़रत तल्हा बिन उबैदल्लाह (ﷺ) भी मौजूद थे। मुश्रिकों ने उन्हें घेरा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने साथियों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'कौन इन दुश्मनों का मुक़ाबला करेगा?' हज़रत तल्हा ने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू जिस जगह है वहीं ठहरा रह।' एक अन्सारी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मुक़ाबला करता हूँ। फ़रमाया: 'हाँ, तू मुक़ाबला कर।' उसने लड़ाई की यहाँ तक कि वह शहीद हो गया। आपने फिर तवज्जो फ़रमाई तो मुश्रिक अभी तक मौजूद थे। आपने फ़रमाया: 'कौन दुश्मनों का मुक़ाबला करेगा?' हज़रत तल्हा ने कहा: मैं। आपने फ़रमाया: 'तू जहाँ है वहीं रह।' एक और अन्सारी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं। फ़रमाया: 'हाँ, तू मुक़ाबला कर।' उसने लड़ाई लड़ी यहाँ तक कि

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاحِيَةٍ فِي اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " مَنْ لِلْقَوْمِ " . فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَمَا أَنْتَ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " أَنْتَ " . فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ " مَنْ لِلْقَوْمِ " . فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا . قَالَ "

كَمَا أَنْتَ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا . فَقَالَ " أَنْتَ " . فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لِلْقَوْمِ " . فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا . فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الأَحَدَ عَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ " . ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ .

वह भी शहीद हो गया। आप बराबर यही फ़रमाते रहे और एक एक अन्सारी निकलता रहा और अपने पेशरू की तरह लड़ाई करता रहा और शहीद होता रहा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह (رضي الله عنه) ही बाक़ी रह गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फिर फ़रमाया: 'कौन दुश्मनों का मुक़ाबला करेगा?' हज़रत तल्हा ने कहा: मैं करूंगा। और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और वह अपने पेशरू ग्यारह अन्सारियों की तरह लड़े यहाँ तक कि उनके हाथ पर तलवार लगी और ऊँगलियाँ कट गईं। तो उनके मुँह से 'हस्स' (ऊई वग़ैरह) निकला। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(जब तुझे ज़ख़्म लगा था) अगर बिस्मिल्लाह कहता तो तुझे फ़रिश्ते उठा लेते। और लोग देखते रहते।' फिर अल्लाह तआला ने मुश्रिकों को फेर दिया।

(3151) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 3/236, 237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4357, मज्मउज़्ज़वाइद: 9/149.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बारह अन्सारी' ये एक मख़्सूस वक़्त की बात है वरना बहुत से मुहाजिरीन भी साबित क़दम रहे थे। गोया वह मैदाने उहुद के दूसरे अतराफ़ में दादे शुजाअत दे रहे थे, जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त अन्सार के एक गिरोह में थे। ये ग्यारह अन्सारी थे। हज़रत तल्हा (मुहाजिर) को मिलाकर तग़लीबन बारह अन्सारी कह दिया। **(2)** 'तू जहाँ है वहीं रह' रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें मुश्किल वक़्त के लिये महफ़ूज़ रखा। फ़ौज के सरबराह को सही इल्म होता है कि कौन किस जगह सही काम करेगा। **(3)** 'बिस्मिल्लाह पढ़ता' लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को फ़रिश्ते उठा लें। ये सिर्फ़ हज़रत तल्हा (رضي الله عنه) के साथ ख़ास था, अलबत्ता ये मालूम होता है कि चोट लगने के मौक़े पर अल्लाह का नाम लेना चाहिये न कि हाय वाय पुकारता रहे। ये मुरव्वत के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह तआला का नाम लेने से कुव्वते बरदाश्त पैदा होगी क्योंकि अल्लाह का नाम रूहानियत को ज़्यादा करता है, फिर उससे इन्सान का ईमान ज़ाहिर होता है और मोमिन व काफ़िर के दरम्यान इम्तियाज़ हासिल हो जाता है।

बाब : (29)जो शख़्स अल्लाह की राह में लड़ा और उसकी तलवार मुड़ कर उसी को लग गई और वह शहीद हो गया

باب (٢٩): مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْتَجِزَ بِكَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه اعْلَمْ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَدَقْتَ " . فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْتُ

(3152) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जब ख़ैबर की लड़ाई हुई तो मेरे भाई ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में ख़ूब लड़ाई की, फिर उनकी तलवार मुड़ कर उन्हीं को लगी और वह अल्लाह को प्यारे हो गये। कुछ अस्हाबे रसूल (ﷺ) ने इस बारे में चे मी गोइयाँ की और उनकी शहादत के बारे में शक किया (और कहा) कि ये आदमी तो अपने हथियार से मरा है। हज़रत सलमा (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर से वापसी का सफ़र शुरू फ़रमाया तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपकी मौजूदगी में कुछ अश्आर पढ़ लूँ? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इजाज़त मरहमत फ़रमाई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने फ़रमाया: जो कहना है ग़ौर से कहना (कोई शेअर ख़िलाफ़े शरअ न हो) मैंने ये शेअर पढ़े: (वलिल्लाहि लौलल्लाहु .....) 'अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह तआला की रहमत न होती तो हम हिदायत न पाते, न सदक़े करते, न नमाज़ें पढ़ते।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने सही कहा।' (फिर पढ़ा:) (फ़अन्जिलन सकीनतन ....) 'ऐ अल्लाह! हम पर सुकून व इत्मिनान नाज़िल फ़रमा और अगर दुश्मन से मुक़ाबला हो तो हमें साबित क़दम रखना। मुश्रिकों ने हम पर ज़ुल्म व

رَجَزِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ هَذَا " . قُلْتُ أَخِي . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَرْحَمُهُ اللَّهُ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " . وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ .

सितम किये हैं।' जब मैंने अपने शेअर पूरे किये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये शेअर किसने कहे हैं?' मैंने कहा: मेरे भाई ने। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! कुछ लोग उसके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करने से डरते हैं। वह कहते हैं कि ये शख़्स तो अपने हथियार से मरा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह तो बड़ी कोशिश से जिहाद करते हुए अल्लाह को प्यारा हुआ है।'

(हदीस़ के रावी) इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) ने कहा कि मैंने सलमा बिन अक्वा (رضی اللہ عنہ) के बेटे से पूछा तो उसने अपने बाप से इसी (मज़्कूरा हदीस़ की) तरह हदीस़ बयान की लेकिन ये बात ज़्यादा कही कि जब मैं (सलमा बिन अक्वा) ने कहा कि लोग उसके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करने से डरते थे। तो (ये सुन कर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों ने ग़लत किया, वह तो बड़ी कोशिश से जिहाद करते हुए मरा है। उसे दुगना अज्र मिलेगा।' (ये फ़रमाते हुए) आपने अपनी दो उँगलियों से इशारा फ़रमाया।

(3152) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1802/124, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4358.

फ़ायदा : जिस शख़्स की नियत काफ़िरों से जिहाद करने की हो और वह दौराने जिहाद में मारा जाये, ख़्वाह दुश्मन के हाथों या अपने साथियों की ग़लती से या अपनी ग़लती से अपने हाथों, वह शहीद ही मुतसव्विर (माना जायेगा) होगा क्योंकि अल्लाह तआला नियत को देखता है न कि ज़ाहिरी आमाल को। हज़रत सलमा(رضی اللہ عنہ) के भाई अगरचे अपने हथियार ही से मारे गये मगर उनकी नियत ख़ुदकुशी की नहीं थी, लिहाज़ा उनके लिये दोहरा अज्र है। जिहाद का भी और शहादत का भी।

बाब : (30)अल्लाह तआला के रास्ते में शहादत की ख़्वाहिश

باب : (٣٠) تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ - قَالَ حَدَّثَنِي ذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لاَ يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ " . ثَلاَثًا .

(3153) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये ख़तरा न होता कि मैं अपनी उम्मत पर मशक़्क़त डाल दूँगा तो मैं किसी लश्कर से पीछे न रहता, लेकिन वह सवारी के जानवर नहीं पाते और मैं भी इतने जानवर नहीं पाता कि उन सब को सवारी मुहैया कर सकूँ। और मुझसे पीछे रहना उन पर शाक़ गुज़रता है। मेरी ख़्वाहिश है कि मैं अल्लाह तआला के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ।' तीन दफ़ा फ़रमाया।

(3153) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 2972, मुस्लिम,हदीस: 1876/106, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4359.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3100.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِأَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ

(3154) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ये ख़दशा न होता कि मोमिन मुझसे पीछे रहना गवारा नहीं करेंगे, और मैं इतनी सवारियाँ नहीं पाता कि उन सबको सवार कर सकूँ, तो मैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये जाने वाले किसी लश्कर से भी पीछे न रहता। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मेरी ख़्वाहिश है कि मैं

أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ " .

अल्लाह तआला के रास्ते में शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ।'

(3154) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4360.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمِيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ " . قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَلأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ " .

(3155) हज़रत इब्ने अबी अमीरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई भी मुसलमान शख़्स जिसे उसका रब तआला अपने पास बुला ले, ये ख़्वाहिश नहीं करेगा कि वह तुम्हारे पास (दुनिया में) वापस आ जाये, ख़्वाह उसे दुनिया की हर चीज़ मिल जाये, मगर शहीद वापसी की ख़्वाहिश करेगा।' इब्ने अबी अमीरा (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे अल्लाह तआला के रास्ते में शहीद होना इस बात से ज़्यादा पसन्द है कि सब बदवी और शहरी मेरे गुलाम बन जायें।'

(3155) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/216, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4361, व लहू शाहिद याती, हदीस: 3162.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुसलमान शख़्स' क्योंकि वह अल्लाह तआला के यहाँ ख़ुश व ख़ुर्रम होगा, अलबत्ता काफ़िर मुनाफ़िक़ तो दरख़्वास्तें करेगा कि मुझे वापस भेजा जाये ताकि अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर लूँ मगर उसकी ये दरख़्वास्त क़बूल नहीं होगी। **(2)** 'मगर शहीद' क्योंकि वह शहादत का सवाब देख लेगा और चाहेगा कि मुझे फिर जाने का मौक़ा मिले ताकि मैं दोबारा शहादत पाऊँ और मज़ीद दर्जा हासिल करूँ। शहीद की ये ख़्वाहिश दुनियावी ज़िन्दगी के हुसूल के लिये नहीं बल्कि शहादत के हुसूल के लिये होगी। **(3)** 'गुलाम बन जायें' गोया इतने गुलामों की आज़ादी का सवाब भी शहादत की फ़ज़ीलत को नहीं पहुँच सकता। या इससे मुराद दुनियावी बादशाहत है, यानी तमाम बदवियों और शहरियों की बादशाही मुझे मनज़ूर नहीं क्योंकि आख़िर ये फ़ानी है और शहादत का सवाब बाक़ी और दाइम रहेगा।

बाब : (31) अल्लाह तआला के रास्ते में मारे जाने वाले के सवाब का बयान

باب : (۳۱) ثَوَابِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ " فِي الْجَنَّةِ " . فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .

(3156) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जंगे उहुद के दिन एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि आप मुझे बताईये, अगर मैं अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? (आपने) फ़रमाया: 'जन्नत में' उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई खजूरें (जिन्हें वह खा रहा था) फेंक दीं और (काफ़िरों से) लड़ने लगा यहाँ तक कि शहीद हो गया।

(3156) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4046, मुस्लिम, हदीस: 1899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4362.

फ़ायदा : इस रिवायत में अल्लाह के रास्ते से मुराद जिहाद है अगरचे किसी भी नेक काम में मौत, शहादत ही की मौत है।

बाब : (32) जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करे और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो

باب (۳۲): مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ

(3157) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। वह कहने लगा: आप फ़रमाइये अगर मैं अल्लाह तआला के रास्ते में साबित क़दमी से लड़ता हुआ मारा जाऊँ जब कि मेरी नियत भी सवाब ही की हो, रुख़ मैदाने जंग की तरफ़ हो, पीठ न हो, तो क्या अल्लाह तआला मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

फिर आप कुछ देर ख़ामोश रहे। फिर फ़रमाया: 'वह शख़्स किधर है जिसने अभी सवाल किया था?' उस आदमी ने कहा: मैं ये खड़ा हूँ। आपने फ़रमाया: 'तूने क्या कहा था?' उसने कहा: अगर मैं अल्लाह तआला के रास्ते में साबित क़दमी से लड़ता हुआ मारा जाऊँ जब कि मेरी नियत भी सवाब की हो। मेरा रुख़ दुश्मन की तरफ़ हो न कि पीठ, तो क्या अल्लाह तआला मेरे तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन क़र्ज़ (किसी का वाजिबुल अदा हक़ माफ़ न होगा) जिब्रईल(ﷺ) ने ये बात मुझे अभी चुपके से बताई है।

اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي قَالَ " نَعَمْ " . ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا " . فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا . قَالَ " مَا قُلْتَ " . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي قَالَ " نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا " .

(3157) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आसिम फ़ी अल जिहाद: 12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ सबसे बड़ी नेकी 'शहादत' भी हुक़ूक़ुल इबाद की माफ़ी का ज़रिया नहीं बन सकती तो दूसरी नेकियाँ क्योंकर हुक़ूक़ुल इबाद को ख़त्म कर सकती हैं? मगर ये कि हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी के बाद नेकियाँ बच जायें। इससे ये साबित नहीं होता कि जिस पर भी कोई 'हक़' वाजिबुल अदा होगा, वह जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि मुमकिन है वह हक़ अदा करने के बाद भी नेकियाँ बच जायें, तो उसे कोई चीज़ जन्नत में जाने से मानेअ न होगी। इस हदीस का मतलब सिर्फ़ ये है कि शहादत के बावजूद हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी वाजिब है, माफ़ नहीं होगी, और ये भी तब है अगर वह उस हक़ के बराबर तर्का छोड़ कर न जाये। अगर वह उस हक़ की अदायगी के लिये तर्का छोड़ गया और उसकी तरफ़ से दुनिया ही में अदा कर दिया गया तो आख़िरत में पूछ गछ न होगी। मगर ये कि उसका क़ुसूर हो, यानी वह उस हक़ की अदायगी से मना कर के गया हो, वग़ैरह। (2) 'जिब्रईल (ﷺ) ने' मालूम होता है वह्य की मारूफ़ सूरत के अलावा भी कभी फ़रिश्ता आपसे बराहे रास्त कलाम करता था, अलबत्ता क़ुर्आनी वह्य मख़सूस तरीक़े ही से आती थी जिसे सहाबा पहचानते थे।

(3158) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमाइये अगर मैं अल्लाह तआला के रास्ते में

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَاىَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " . فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ قُلْتَ " . فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ".

साबित क़दमी के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ। मेरी नियत भी सवाब की हो। मैदाने जंग से मुँह भी न मोड़ूँ तो क्या अल्लाह तआला मेरी तमाम ग़लतियाँ माफ़ फ़रमा देगा? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' जब वह शख़्स वापस चला तो उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आवाज़ दी, या आपने किसी को हुक्म दिया और उसे आवाज़ दी गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने कैसे कहा था?' उसने अपनी पूरी बात दोहरा दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ठीक है मगर क़र्ज़ (या किसी का वाजिबुल अदा हक़) माफ़ नहीं होगा। जिब्राईल (عليه السلام) ने मुझे ऐसे ही कहा है।'

(3158) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1885, मौता: 2/461, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4364.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ " أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ

(3159) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए और ज़िक्र फ़रमाया कि अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद और अल्लाह तआला पर ईमान सब कामों से अफ़ज़ल काम हैं। एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमायें अगर मैं अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाऊँ तो क्या अल्लाह तआला मेरी ग़लतियाँ माफ़ फ़रमा देगा? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ, बशर्ते कि तू अल्लाह तआला के रास्ते में इस हाल में मारा जाये कि तू सब्र का मुज़ाहिरा करे और तेरी नियत सवाब की हो। तू दुश्मन की तरफ़

إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إلاَّ الدَّيْنَ فَإنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ " .

बढ़ रहा हो, पीठ फेर कर भाग न रहा हो, मगर क़र्ज़ (किसी का वाजिबुल अदा हक़) माफ़ न होगा। जिब्राईल (ﷺ) ने मुझे ये बात कही है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1885/117, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4365.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى أُقْتَلَ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ قَالَ " نَعَمْ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ " هَذَا جِبْرِيلُ يَقُولُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ".

(3160) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया। आप मिम्बर पर (ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे) थे। वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमाइये अगर मैं अपनी इस तलवार के साथ अल्लाह के रास्ते में स़ाबित क़दमी के साथ लड़ाई लड़ूँ जबकि मेरी नियत भी स़वाब हास़िल करने की हो, मुँह दुश्मन की तरफ़ हो न कि पीठ, यहाँ तक कि मैं मारा जाऊँ, तो क्या अल्लाह तआला मेरी ग़लतियाँ माफ़ फ़रमा देगा? आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'ये जिब्राईल(ﷺ) फ़रमा रहे हैं कि ग़लतियाँ तो माफ़ हो जायेंगी लेकिन तेरे ज़िम्मे वाजिबुल अदा हुक़ूक़ हुए तो वह माफ़ नहीं होंगे।'

(3160) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 885/118, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4366.

फ़ायदा : 'वाजिबुल अदा हुक़ूक़' अरबी इबारत में लफ़्ज़ दैन इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके मआनी उ़मूमन क़र्ज़ के कर लिये जाते हैं मगर ये इसके हक़ीक़ी मआनी नहीं बल्कि उसकी एक सूरत है। दैन से मुराद वह हक़ है जो किसी के ज़िम्मे दूसरे के लिये वाजिबुल अदा हो, ख़्वाह वह क़र्ज़ हो या किसी का हक़ दबाया हो या किसी पर ज़्यादती की हो, जबकि क़र्ज़ तो ये है कि किसी से कोई चीज़ आ़रियतन ली हो और उसे मुद्दते मुक़र्ररा पर वापस करना हो। ज़रूरत के मौक़े पर क़र्ज़ लेना जायज़ है। ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिया है, अलबत्ता वक़्ते मुक़र्ररा पर, बावजूद वुस्अ़त के, अदा न करना या लेते वक़्त ही अ़दमे अदायगी की नियत रखना जुर्म है। अदायगी की नियत हो मगर अ़दमे वुस्अ़त की बिना पर अदा न कर सके तो ये जुर्म नहीं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3157)

बाब : (33) अल्लाह तआला के रास्ते में लड़ने वाले की तमन्ना

مَا يُتَمَنَّى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَلَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا إِلاَّ الْقَتِيلُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى " .

(3161) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़मीन पर रहने वाला जो भी शख़्स फ़ौत हो और उसके लिये अल्लाह तआला के यहाँ ख़ैर हो, वह ये पसन्द नहीं करेगा कि तुम्हारे पास वापस आ जाये, ख़्वाह उसे सारी दुनिया ही मिल जाये, मगर शहीद ख़्वाहिश करेगा कि वापस (दुनिया में) आये और दोबारा शहीद हो।'

(3161) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/318, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4367.

बाब : (34) जन्नत वालों की ख़्वाहिश का बयान

باب (٣٤): مَا يَتَمَنَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ . فَيَقُولُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ " .

(3162) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जन्नत वालों में से एक शख़्स को लाया जायेगा। अल्लाह तआला उससे फ़रमायेगा: ऐ आदम के बेटे! तूने अपने जन्नती घर को कैसा पाया? वह कहेगा: या अल्लाह! बेहतरीन घर। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: माँग जो तमन्ना है। वह कहेगा: मैं ये माँगता हूँ कि तू मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं तेरे रास्ते में दस दफ़ा क़त्ल किया जाऊँ। और ये इस बिना पर कि वह शहादत की फ़ज़ीलत देख लेगा।'

(3162) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/131, 207, 239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4368.

फ़ायदा : 'एक शख़्स' यानी शहीद, जैसा कि बाद वाले अल्फ़ाज़ से मालूम होता है और साबिक़ा हदीस़ में भी है। इस सूरत में ये पहली हदीस़ के मुवाफ़िक़ हो जायेगी। या कोई आम जन्नती जिसने किसी शहीद की फ़ज़ीलत आँखों से देखी होगी। इस सूरत में ये पहली हदीस़ के मुतआरिज़ होगी। तो उनमें तत्बीक़ की सूरत ये हो सकती है कि मुमकिन है शहीद का मामला बर्ज़ख़ का हो और उस आदमी का जन्नत में जाने के बाद का। वल्लाहु आलम!

बाब : (35) शहीद (शहादत के वक़्त) जिस क़द्र तकलीफ़ महसूस करता है

باب (٣٥): مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الأَلَمِ

(3163) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शहीद शहादत के वक़्त तकलीफ़ महसूस नहीं करता मगर इतनी जो तुममें से कोई शख़्स किसी के चुटकी काटने से महसूस करता है।'

(3163) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1668, इब्ने माजा, हदीस़: 2802, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4369, तबरानी: 1/198, 282.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهِيدُ لاَ يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا " .

फ़ायदा : शहादत की ख़ुशी और जज़्ब-ए-ईमान की शिद्दत क़त्ल की तकलीफ़ का एहसास ख़त्म कर देती है।

बाब : (36) शहादत माँगने का बयान

باب (٣٦): مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ

(3164) हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सच्चे दिल के साथ अल्लाह तआला से शहादत माँगेगा, अल्लाह तआला उसे शोहदा के मर्तबे तक पहुँचायेगा अगरचे वह अपने बिस्तर पर फ़ौत हो।'

(3164) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4370.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ" .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सच्चे दिल के साथ' न कि झूठ मूठ इज़्हारे ख़िताब के लिये जैसा कि आम रिवाज है। **(2)** 'शहादत माँगेगा' ये मौत की दुआ नहीं बल्कि अच्छी मौत की दुआ है, जब भी आये। और ये मुस्तहब है।

(3165) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच हालतें ऐसी हैं कि जो शख़्स भी इनमें फ़ौत हो वह शहीद होगा: जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाये, वह शहीद है। जो अल्लाह तआला के रास्ते में ग़र्क़ हो, वह शहीद है। जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में पेट की तकलीफ़ से मर जाये, वह शहीद है। जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में ताऊन से मर जाये, वह शहीद है। और जो औरत अल्लाह तआला के रास्ते में ज़चगी से मर जाये, वह भी शहीद है।'

(3165) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4371, देखें, हदीस: 2056, अल मुन्ज़िरी: 2/334.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ " .

फ़ायदा : इस रिवायत में हर शहीद के लिये फ़ी सबीलिल्लाह की क़ैद लगाई गई है जब कि दीगर रिवायात में ये क़ैद ज़िक्र नहीं, इसलिये बेहतर ये है कि फ़ी सबीलिल्लाह को आम समझा जाये, यानी वह मुसलमान हो क्योंकि हर मुसलमान अल्लाह तआला के रास्ते का राही है। अलबत्ता हक़ीक़ी शहीद वही है जो जिहाद करता हुआ मारा जाये। उसके अलावा जिन्हें शहीद कहा गया है, वह हुक्मन शहीद हैं, यानी उनकी मौत इन्तेहाई तकलीफ़देह और अचानक होने की वजह से अल्लाह तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। और उन्हें शहीदों वाला रुत्बा व अज्र अता फ़रमायेगा।

(3166) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शोहदा और बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले, ताऊन से फ़ौत होने वालों के बारे में अल्लाह तआला के सामने झगड़ा करेंगे। शोहदा कहेंगे: ये हमारे भाई हैं क्योंकि ये भी हमारी तरह क़त्ल ही हुए हैं। और

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلاَلٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ " يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا . وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ " .

बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले कहेंगे: ये हमारे भाई हैं क्योंकि ये हमारी तरह बिस्तरों पर फ़ौत हुए हैं। रब तबारक व तआला फ़रमायेगा: इनके ज़ख़्म देखो। अगर उनके ज़ख़्म मक़्तूलीन के ज़ख़्मों की तरह हैं तो ये उन में शुमार होंगे और उनके साथ रहेंगे। जब देखा जायेगा तो उनके ज़ख़्म शोहदा के ज़ख़्मों जैसे होंगे।'

(3166) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल कबीर: 18/250, हदीस: 626, अहमद: 4/128, 129, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4372, पिछली हदीस देखें, नैनुल मक़सूद, हदीस: 5057.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिर तो यही है कि ये झगड़ा जन्नत में दाख़िल होने से पहले रब्बुल आलमीन के सामने होगा। इस झगड़े की बुनियाद हसद वग़ैरह नहीं बल्कि शोहदा चाहेंगे कि ताऊन से फ़ौत होने वालों का दर्जा ऊँचा किया जाये, वह हमारे साथ रहें। और बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले चाहेंगे कि अगर उन्हें शोहदा का मर्तबा मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि ये मौत के लिहाज़ से हम जैसे हैं। गोया ये रश्क है और रश्क जायज़ है। **(2)** 'इनके ज़ख़्म देखो' ताऊन (अल्लाह इस से बचाये) एक फोड़ा होता है। जब वह फट जाता है तो मरीज़ मर जाता है और इस फोड़े की ज़ाहिरी सूरत ज़ख़्म जैसी बन जाती है, लिहाज़ा इसे ज़ख़्म कहा गया। शोहदा भी ज़ख़्म से फ़ौत होते हैं, इसलिये उन्हें भी शहीद कहा गया।

باب (٣٧): اجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ

बाब : (37)
शहीद फ़ी सबीलिल्लाह और उसके क़ातिल का जन्नत में जमा होने का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

(3167) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला दो आदमियों से ताज्जुब करता है। और रावी ने दूसरी बार कहा: हँसता है कि उनमें से एक दूसरे को क़त्ल करता है, फिर दोनों जन्नत में दाख़िल हो जाते हैं।'

- وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - ثُمَّ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ

(3167) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1890, बुख़ारी, हदीस: 2826, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4373.

بَاب (٣٨): تَفْسِيرِ ذَلِكَ

बाब : (38) इसकी तफ़्सीर और वज़ाहत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ " .

(3168) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला दो आदमियों को देख कर हँसता है जिनमें से एक दूसरे को क़त्ल करता है, फिर दोनों जन्नत में दाख़िल हो जाते हैं। (उनमें से) एक शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में लड़ाई करता है और मारा जाता है, फिर अल्लाह तआला क़ातिल की तौबा क़बूल फ़रमाता है। (वह मुसलमान हो जाता है) और वह अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करता है और शहीद कर दिया जाता है।'

(3168) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2826, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4374, मौता: 2/460.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई रिवायत में ताज्जुब करने, हँसने और ख़ुश होने का ज़िक्र है, लिहाज़ा अल्लाह तआला के बारे में इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बिला झिझक दुरुस्त है। मुराद जो भी हो क्योंकि अल्लाह तआला और उसकी सिफ़ात का मसला हमारी अक़्ल से मा वरा (बाहर) है। इसकी बहस फ़ुज़ूल है। क़ुर्आन व हदीस में जो अल्फ़ाज़ व सिफ़ात अल्लाह तआला के लिये इस्तेमाल किये गये हैं, उनका इस्तेमाल जायज़ है। अल्लाह तआला अपने अफ़आल में ख़ुद मुख़्तार है, जो चाहे करे। किसी को ऐतराज़ का हक़ नहीं और न किसी के लिये जायज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को लुक़्मे और हिदायात दे कि फ़ुलां लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, फ़ुलां करना चाहिए था। अल्लाह और उसका रसूल सबसे बढ़ कर और बख़ूबी इल्म रखने वाले हैं। (2) इसमें अल्लाह तआला के फ़ज़्ले अज़ीम और रहमते वासिआ का ज़िक्र है कि क़ातिल की तौबा क़बूल फ़रमा कर उसे भी जन्नत का हक़दार बना दिया। (3) आमाल का दारोमदार ख़ातिमे और अंजाम पर है। अगर ख़ातिमा बिलख़ैर हुआ है तो पहली ज़िन्दगी के गुनाह कुछ नुक़सान नहीं देंगे। और अगर अंजाम बुराई पर हुआ है तो पहली ज़िन्दगी की नेकियाँ कुछ काम नहीं आयेंगी।

बाब : (39)सरहदों पर तैयार बैठने (पहरा देने) की फ़ज़ीलत

باب (٣٩): فَضْلِ الرِّبَاطِ

(3169) हज़रत सलमान ख़ैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जंग के लिये तैयार हो कर एक दिन रात के लिये सरहद पर बैठा रहे, उसे एक माह के रोज़ों और नमाज़ का सवाब मिलेगा। और जो सरहद पर बैठा बैठा फ़ौत हो जाये, उसके लिये मज़्कूरा सवाब जारी रखा जायेगा और उसका रिज़्क़ भी जारी रखा जायेगा और वह इम्तेहान लेने वालों से महफ़ूज़ रहेगा।'

(3169) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1913, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4375.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأَجْرِ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि सिर्फ़ लड़ना ही जिहाद नहीं बल्कि लड़ाई की तर्बीयत हासिल करना, लड़ाई की तैयारी करना और दुश्मन से मुक़ाबले के लिये तैयार रहना भी जिहाद है। फ़ौज सरहदों पर बैठी रहे और उसके डर से दुश्मन दुबका रहे तो ये भी जिहाद है। इस पर भी अज्रे अ़ज़ीम हासिल होगा। लड़ाई तो आख़री चार-ए-कार है जो बा अम्रे मजबूरी इख़्तियार किया जायेगा, इसी लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लड़ाई की ख़्वाहिश करने से मना फ़रमाया है। हाँ जब मजबूरन लड़ना पड़े तो डट कर लड़ें। (2) 'सवाब जारी रखा जायेगा' जंगी तैयारी सदक़-ए-जारिया की तरह है क्योंकि इसकी बरकत से दुश्मन का हौसला पस्त रहता है और इस्लाम की इशाअ़त में तरक़्क़ी होती है। चूंकि इसका फ़ायदा जारी है, लिहाज़ा इसका सवाब भी जारी रहेगा। बाक़ी रहा रिज़्क़, तो मरने के बाद वह किस तरह जारी रहता है? इसकी कैफ़ियत सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। (3) 'इम्तेहान लेने वालों' यानी क़ब्र में सवाल व जवाब वाले फ़रिश्ते उसका इम्तेहान नहीं लेंगे क्योंकि उसका इस नेकी की हालत में फ़ौत होना ही उसके मुख़्लिस मुसलमान होने की क़ातेअ़ (जबरदस्त) दलील है, लिहाज़ा सवाल व जवाब की ज़रूरत ही नहीं। कुछ ने इससे मुराद शयातीन लिये हैं, यानी शयातीन उसे मरते वक़्त गुमराह नहीं कर सकेंगे। कुछ ने इससे अ़ज़ाब वाले फ़रिश्ते मुराद लिये हैं, यानी उसे अ़ज़ाब का ख़तरा नहीं रहेगा। दरअसल अ़रबी इबारत में लफ़्ज़ 'फ़त्तान' इस्तेमाल किया गया है। उसके ये तीनों मआ़नी मुराद हो

सकते हैं। वल्लाहु आलम! (4) 'सलमान ख़ैर' नाम तो सलमान था जो कि सलमान फ़ारसी के नाम से मारूफ़ हैं। उनकी नेक नफ़्सी की वजह से उन्हें सलमान ख़ैर कहा गया।(ﷺ).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ " .

(3170) हज़रत सलमान (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स जिहाद के लिये एक दिन रात सरहद पर तैयार हो कर बैठा, उसे एक महीने के सियाम व क़याम (नमाज़ रोज़े) का सवाब मिलेगा। और जिसे सरहद पर बैठे बैठे मौत आ गई, उसके लिये उसका ये नेक अमल जारी रखा जायेगा। वह इम्तेहान लेने वालों से महफ़ूज़ रहेगा और उसका रिज़्क़ जारी रखा जायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1913/162, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4376.

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस साबिक़ा हदीस ही के मफ़हूम की हामिल है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضى الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ " .

(3171) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन सरहद पर तैयार होकर बैठना (नेकी के) दूसरे मक़ामात में हज़ार दिन बैठने से अफ़ज़ल है।'

(3171) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1667, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4377, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम: 2/68, 143, वज़्ज़हबी, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3172) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिहाद में एक दिन सर्फ़ करना (नेकी के) दूसरे कामों में हज़ार दिन लगाने से बेहतर है।'

زَهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ " .

(3172) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4378, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, हदीस: 72, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1592.

फ़ायदा : इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। लैलतुल क़द्र में इबादत भी तो हज़ार महीनों की रातों से अफ़ज़ल है। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ले अज़ीम है।

باب (٤٠): فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

बाब : (40) समन्दरी जिहाद की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً

(3173) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब क़ुबा को जाते तो हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (ﷺ) के पास भी जाते थे। वह आपको खाना खिलाती थीं। और उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) की बीवी थीं। एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने आपको खाना खिलाया, फिर वह बैठ कर आपके सर में जूएँ तलाश करने लगीं। रसूलुल्लाह(ﷺ) सो गये। फिर जागे तो आप हँस रहे थे। उम्मे हराम कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सी चीज़ आपको हँसा रही है? आपने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद को जाते हुए मुझे दिखाये गये जो समन्दर की मौजों पर सवार जा रहे थे, जबकि वह तख़्तों पर बादशाह बने बैठे हैं या (यूँ फ़रमाया:) जैसे तख़्तों पर बादशाह बैठे होते हैं।' इस्हाक़ (रावी) को शक है। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल!

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . شَكَّ إِسْحَاقُ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ - وَقَالَ الْحَارِثُ فَنَامَ - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلُوكٌ عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ " . فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ .

अल्लाह तआला से दुआ करें कि अल्लाह तआला मुझे भी उनमें शामिल फ़रमाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिये दुआ फ़रमाई, फिर आप सो गये। हारिस (रावी) ने कहा: फिर आप सो गये, कुछ देर बाद जागे तो तबस्सुम कुनां (मुस्कुरा रहे) थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस वजह से आप तबस्सुम फ़रमा रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ और लोग मुझ पर पेश किये गये जो अल्लाह के रास्ते में (समन्दर पर सवार) जिहाद को जा रहे हैं जो तख़्तों पर बादशाह बने बैठे हैं या (यूँ फ़रमाया:) जैसे तख़्तों पर बादशाह बैठे हैं।' जैसे आपने पहले फ़रमाया था। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ करें, अल्लाह तआला मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम पहले लश्कर में शामिल होगी।' (आपकी इस पेशगोई के मुताबिक़) वह हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) के दौर में समन्दरी जिहाद में (अपने ख़ाविन्द मोहतरम के साथ) गईं। जब वह समन्दर से निकलीं तो अपने सवारी के जानवर से गिर पड़ीं और अल्लाह को प्यारी हो गईं।

(3173) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2788, 2789, मुस्लिम, हदीस: 1912, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4379, मौता: 2/464, 465.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (رضي الله عنها) ननिहाल की तरफ़ से रसूलुल्लाह(ﷺ) की महरम रिश्तेदार थीं। आपका उनके पास कसरत से जाना और सोना और उनका आपके सर में जूएँ तलाश करना इस पर काफ़ी दलील है। वरना आप अन्सार के दूसरे घरों में इस तरह न आते जाते थे। कुछ हज़रात ने इसे आपका ख़ास्सा बतलाया है मगर पहली बात ही दुरुस्त है। (2) आपके सर में जूएँ न होती थीं। आप इन्तेहाई साफ़ सुथरे और ख़ुशबूदार रहते थे। उनका आपके सर में जूएँ तलाश करना औरतों की आम आदत पर महमूल है। (3) 'समन्दर की मौजों पर सवार' यानी वह

बहरी सफ़र होगा। बहरी जंग सबसे पहले हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के दौर में हुई। अमीरे लश्कर हज़रत मुआ़विया (ﷺ) थे। इस मुहिम का ज़िक्र नबी (ﷺ) के पहले ख़्वाब में है। दूसरा बहरी बेड़ा हज़रत मुआ़विया (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में रवाना हुआ। अमीरे लश्कर उनका बेटा यज़ीद था। इस लश्कर में बहुत से सहाब-ए-किराम तशरीफ़ ले गये थे कि आपकी पेशगोई और नवीदे मग़फ़िरत का मिस्दाक़ बन सकें। इस लश्कर का तज़्किरा आपके दूसरे ख़्वाब में है। नबी (ﷺ) की पेशगोई के मुताबिक़ हज़रत उम्मे हराम (ﷺ) पहले लश्कर में अपने ख़ाविन्द मोहतरम के साथ मौजूद थीं और उसी में वह अल्लाह तआ़ला को प्यारी हो गईं। (ﷺ). **(4)** 'हज़रत मुआ़विया (ﷺ) के दौर में' इससे मुराद उनका अपना दौरे ख़िलाफ़त नहीं बल्कि लश्कर की सरबराही मुराद है।

(3174) हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और क़ैलूला फ़रमाया। आप जागे तो हँस रहे थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने हँसाया? आपने फ़रमाया: 'मैंने (ख़्वाब में) अपनी उम्मत के कुछ लोग देखे जो समन्दरी लश्कर में जा रहे हैं जैसे तख़्त पर बादशाह बैठे होते हैं।' मैंने गुज़ारिश की: आप दुआ़ फ़रमाइये कि अल्लाह तआ़ला मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'बिला शुब्हा तुम उनमें से होगी।' आप फिर सो गये, फिर जागे तो हँस रहे थे। मैंने पूछा, तो आपने इसी तरह फ़रमाया जिस तरह पहले फ़रमाया था। मैंने गुज़ारिश की: दुआ़ करें, अल्लाह तआ़ला मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम पहले लश्कर में शामिल होगी।' फिर हज़रत उम्मे हराम से हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) ने निकाह कर लिया। वह बहरी लश्कर में गये तो ये भी उनके साथ गईं। चुनांचे जब वह समन्दर से निकलीं तो एक ख़च्चर लाया गया। वह उस पर सवार होने लगीं तो उसने

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي مَا أَضْحَكَكَ قَالَ " رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " فَإِنَّكِ مِنْهُمْ " . ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ يَعْنِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ " . فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ

الصَّامِتِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ وَرَكِبَتْ مَعَهُ فَلَمَّا خَرَجَتْ قُدِّمَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا .

उन्हें गिरा दिया जिससे उनकी गर्दन टूट गई।

(3174) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 2894, 2895, मुस्लिम, हदीस: 1912/161, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4381.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'निकाह कर लिया' गोया उस ख़्वाब के वक़्त वह उनके निकाह में नहीं थीं। निकाह बाद में हुआ। और इस ग़ज़्वे में वह अपने ख़ाविन्द उबादा बिन सामित (ﷺ) के साथ ही गई थीं, इसलिये साबिक़ा हदीस के तर्जुमे में क़ौसैन के ज़रिये से इस बात की वज़ाहत की गई है। **(2)** 'समन्दर से निकलीं' उनकी क़ब्र मुबारक जज़ीर-ए-क़ब्रस में है। गोया जब वह उस जज़ीरे में पहुँच कर समन्दर से निकलीं तो ये हादसा पेश आया। (ﷺ). **(3)** उनका लश्कर के साथ जाना अपने ख़ाविन्दे मोहतरम और ज़ख़्मी मुजाहिदीन की ख़िदमत के लिये था न कि लड़ाई में हिस्सा लेने के लिये क्योंकि औरतों के लिये लड़ाई में शामिल होना, पर्दा न रहने की वजह से जायज़ नहीं, और कुफ़्फ़ार के क़ब्ज़े में आने का ख़तरा है।

باب (٤١): غَزْوَةِ الْهِنْدِ

बाब : (41) हिन्दुस्तान से जंग

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ جُبَيْرٍ، - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ .

(3175) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ग़ज़्व-ए-हिन्द की पेशगोई फ़रमाई। अगर मैंने इस ग़ज़्वे को पा लिया तो इसमें अपना जान व माल सर्फ़ कर दूँगा, फिर अगर मैं इसमें मारा गया तो मैं अफ़ज़ल शोहदा में शुमार हूँगा और अगर ज़िन्दा वापस आ गया तो फिर मैं (आपकी पेशगोई के मुताबिक़ आग से) आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा।

(3175) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/228, 229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4382.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ

(3176) हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हिन्दुस्तान पर हमले की

حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ .

पेशगोई फ़रमाई। अगर मैंने ये मौक़ा पा लिया तो मैं इसमें अपना जान व माल ख़र्च करूँगा, फिर अगर मैं उसमें शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़ल शहीद हूँगा और अगर ज़िन्दा वापस आ गया तो मैं (आग से) आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा।

(3176) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4383.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ " .

(3177) रसूलुल्लाह (ﷺ) के ग़ुलाम हज़रत स़ौबान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत में से दो जमाअतों को अल्लाह तआला ने आग से आज़ाद फ़रमा दिया है: एक वह जमाअत जो हिन्दूस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वह जमाअत जो हज़रत ईसा(عليه السلام) के साथ (मिलकर दज्जाल के मुक़ाबले में स़फ़ आरा) होगी।'

(3177) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4384, बुख़ारी, तारीखे क़बीर हदीस़: 6/72, इब्ने अदी फ़ी अल कामिल: 2/583.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** हज़रत ईसा (عليه السلام) के साथ मिलकर लड़ने वाली जमाअत तो एक ही होगी मगर हिन्दूस्तान पर हमला करने वाली जमाअतें बहुत सी हैं। इस हदीस़ का मिस्दाक़ सिर्फ़ पहली जमाअत होगी या ये हर उस जमाअत पर स़ादिक़ आती है जो हिन्द पर हमला करे? हदीस़ में दोनों ही एहतिमाल हैं, ताहम दूसरा एहतिमाल ज़्यादा क़रीने क़यास है। वल्लाहु आलम! **(2)** हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) के दौरे ख़िलाफ़त में 44 हिजरी में मुसलमानों ने हिन्दूस्तान पर हमला किया। बाद में ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मुहम्मद बिन क़ासिम का हमला तो मशहूर है। चौथी स़दी हिजरी में महमूद ग़ज़्नवी ने ज़बरदस्त हमले किये। सोमनाथ का मन्दिर और बड़े बुत का वाक़िया ज़बान ज़द आम है जिसकी बिना पर महमूद ग़ज़्नवी को बजा तौर पर बुत शिकन का लक़ब व ख़िताब दिया गया।

باب (۴۲): غَزْوَةِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

خْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ، - رَجُلٌ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ " { تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } " . فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرْقَةٌ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ " { تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } " . فَنَدَرَ الثُّلُثُ الآخَرُ فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَآهَا سَلْمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ " { تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } " .

बाब : (42)तुर्कों और हबशियों से जंग

(3178) नबी (ﷺ) के एक सहाबी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जब नबी (ﷺ) ने ख़न्दक़ खोदने का हुक्म दिया तो एक ऐसी चट्टान लोगों के सामने आई जो लोगों और (ख़न्दक़ की) खुदाई के दरम्यान रुकावट बन गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे, कुदाल पकड़ी और अपनी चादर ख़न्दक़ के किनारे रख दी और ये आयत पढ़ कर ज़र्ब लगाई: (व तम्मत कलिमतु रब्बिक स़िदक़न वअ़दलन ......) 'और पूरी हुई तेरे रब की बात सच्चाई और इन्स़ाफ़ के लिहाज़ से। कोई उसकी बातों को बदलने वाला नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने वाला है।' (आपकी ज़र्ब से) पत्थर का तीसरा हिस़्सा उड़ गया। हज़रत सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) खड़े देख रहे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़र्ब के साथ एक चमक पैदा हुई। फिर आपने दोबारा ज़र्ब लगाई और वही आयत पढ़ी: 'और पूरी हुई तेरे रब की बात स़िदक़ व इन्स़ाफ़ के लिहाज़ से, कोई उसकी बातों को बदलने वाला नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने वाला है।' और मज़ीद तीसरा हिस़्सा टूट गया, फिर एक चमक पैदा हुई जिसे हज़रत सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) ने देखा। फिर आपने तीसरी ज़र्ब लगाई और यही आयत पढ़ी: 'और पूरी हुई तेरे रब की बात सच्चाई और इन्स़ाफ़ के लिहाज़ से। कोई उसकी बातों को बदलने वाला नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने वाला है' और बाक़ी पत्थर भी रेज़ा रेज़ा हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़न्दक़ से निकले, अपनी चादर उठाई और

فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ . قَالَ سَلْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلاَّ كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا سَلْمَانُ رَأَيْتَ ذَلِكَ " . فَقَالَ إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الأُولَى رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَىَّ " . قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلاَدَهُمْ . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ " ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَىَّ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلاَدَهُمْ . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ " ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ . وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى

बैठ गये। सलमान (ﷻ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! जब आप ज़र्बें लगा रहे थे तो मैंने आपको देखा, जब कभी आप कोई ज़र्ब लगाते थे तो उसके साथ चमक पैदा होती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'सलमान! तूने वह (चमक) देखी थी?' उन्होंने कहा: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने जब पहली ज़र्ब लगाई थी तो मुझे किस्रा के शहर और इर्द गिर्द के बहुत से दूसरे शहर दिखाये गये यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' आपके पास मौजूद सहाबा कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमायें अल्लाह तआला ये शहर हम पर फ़तह फ़रमाये और उनके घर हमें ग़नीमत में इनायत फ़रमाये। और हमारे हाथों उनके इलाक़े ताराज फ़रमाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये दुआ फ़रमाई। (आपने फ़रमाया:) 'जब मैंने फिर दूसरी ज़र्ब लगाई तो मुझे क़ैसर और इर्द गिर्द के बहुत से शहर दिखाये गये यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमायें कि अल्लाह तआला ये इलाक़े हमारे लिये फ़तह फ़रमाये। उनके घर हमें ग़नीमत में अता फ़रमाये और उनके इलाक़े हमारे हाथों ताराज फ़रमाये। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ये दुआ भी फ़रमा दी। (आपने फ़रमाया:) 'फिर मैंने तीसरी ज़र्ब लगाई तो मुझे हब्शा और इर्द गिर्द के बहुत से शहर दिखाये गये यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' उस वक़्त रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हबशियों

رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ ".

को अपने हाल पर रहने दो जब तक वह तुम्हें तुम्हारे हाल पर रहने दें और तुर्कों को कुछ न कहो जब तक वह तुम्हें कुछ न कहें।'

(3178) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4385, नैलुल मक़सूद, हदीस: 4309.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'एक सहाबी' मालूम यूँ होता है कि वह सहाबी हज़रत सलमान (ﷺ) ही हैं। वल्लाहु आलम! **(2)** तीनों ज़र्बें लगाते वक़्त ऊपर दी गई आयत पढ़ने का मक़सद ये है कि दीने इस्लाम का ग़ल्बा अल्लाह तआला का क़तई फ़ैसला है और ये होकर रहेगा। कोई इसे बदल नहीं सकेगा। **(3)** 'चमक' बसा औक़ात सख़्त ज़र्ब की वजह से चिंगारियाँ उड़ती हैं। ज़ाहिर है यहाँ चमक से ये चिंगारियाँ मुराद नहीं क्योंकि नबी (ﷺ) ने ताज्जुब फ़रमाया कि सलमान (ﷺ) को वह चमक कैसे नज़र आ गई, जब कि चिंगारियाँ हर मौजूद शख़्स को नज़र आती हैं। ये कोई ग़ैबी चीज़ थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिखाई गई। हज़रत सलमान (ﷺ) को वह चमक तो नज़र आई मगर उस चमक का मक़सूद मालूम न हुआ क्योंकि मक़सूद आपके लिये था। **(4)** 'किस्रा' ईरान के बादशाह को ख़ुसरो कहते थे। अरबों ने उसे किस्रा बना लिया। **(5)** 'क़ैसर' रूमियों के बादशाह का लक़ब था। **(6)** 'हब्शा' उस मुल्क पर आपने हमला करने से रोका, उसकी एक वजह बज़ाहिर ये हो सकती है कि उस मुल्क ने मुसलमानों को इब्तेदाई मुश्किल दौर में पनाह मुहैया की थी। और उस मुल्क का बादशाह सबसे पहले मुसलमान हुआ। दूसरी वजह शारेहीन ने ये बयान की है कि ये इलाक़े बहुत दूर दराज़ का था, दरम्यान में दुश्वार गुज़ार जंगलात और पहाड़ थे, इसके अलावा समन्दर भी हाइल थे। इसी तरह तुर्कों का मामला था, ये इलाक़ा ठण्डा था, जब कि अरब गर्म मुल्क है। इन दोनों इलाक़ों में जाकर लड़ना मुसलमानों के लिये शदीद मुश्किलात का बाइस था, इसलिये नबी (ﷺ) ने उन दोनों इलाक़ों में जाकर लड़ने से मना फ़रमा दिया, ताहम इस मुमानिअत का मतलब ये भी नहीं कि ज़रूरत दाई हो तब भी उनसे न लड़ा जाये, न मुसलमानों ही ने ये मतलब लिया क्योंकि इसका मतलब अगर ये होता तो ख़ुद नबी (ﷺ) अव्वलीन ग़ाज़ियाने क़ुस्तुनतुनिया के लिये बशारत सुनाते न मुसलमान ही कभी उधर का रुख़ करते। **(7)** चमक में किस्रा व क़ैसर के शहर और दीगर शहर दिखाये जाने का मतलब उन इलाक़ों की फ़तह है। और वाक़ेअतन ऐसे ही हुआ। और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मोजिज़ा है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(3179) हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत क़ाइम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान तुर्कों से

" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطَرَّقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ " .

लड़ाई लड़ेंगे। वह ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे चमड़ा चढ़ाई हुई ढालों की तरह होंगे। वह बालों के कपड़े पहनेंगे और बालों वाले जूते पहनेंगे।'

(3179) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2912, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4386.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'चेहरे' यानी उनके चेहरे सख़्त और मोटे होंगे गोया कि लोहे पर चमड़ा चढ़ा दिया गया है। **(2)** चूंकि तुर्क सर्द इलाक़ों के रहने वाले हैं, लिहाज़ा उन्हें बालों वाले कपड़े और जूते पहनने पड़ते हैं। ये उनकी मजबूरी है। कुछ हज़रात ने इससे ये मुराद लिया है कि उनके जिस्म पर लम्बे लम्बे बाल होंगे जो उनके लिये लिबास और जूतों के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगे लेकिन ये मआनी दुरुस्त नहीं क्योंकि ये मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है। तुर्कों के जिस्मों पर बहुत कम बाल होते हैं बल्कि सर्द इलाक़ों के रहने वाले सब लोग कम बालों वाले होते हैं।

باب (٤٣): الاِسْتِنْصَارِ بِالضَّعِيفِ

बाब : (43) कमज़ोर लोगों से (जंग में) मदद हासिल करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ، فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ " .

(3180) हज़रत मुसअब बिन सअद से रिवायत है कि मेरे वालिद मोहतरम (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ)) ने समझा कि शायद मुझे दूसरे सहाबा पर फ़ज़ीलत हासिल है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला कमज़ोर लोगों की दुआओं, नमाज़ों और इख़्लास की वजह से इस उम्मत की मदद फ़रमाता है।'

(3180) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4387.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फ़ज़ीलत हासिल है' क्योंकि वह अव्वलीन मुसलमानों में से थे। वह अपने आपको सुलुसुल इस्लाम (इस्लाम का तीसरा हिस्सा) कहते थे, यानी वह तीसरे नम्बर पर मुसलमान हुए। **(2)** इस हदीस में ज़ईफ़ से मुराद वह नेक बुजुर्ग लोग हैं जो जंग में हिस्सा लेने की इस्तेताअत नहीं रखते, जिस्मानी तौर पर माज़ूर या ज़ईफ़ है। इस क़िस्म के लोगों की दुआएँ मुसलमानों की फ़तह का मोजिब बनती हैं, लिहाज़ा उन्हें निकम्मे, बेकार या हक़ीर नहीं समझना चाहिए।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ابْغُونِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ " .

(3181) हज़रत अबू दरदा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मेरे पास किसी ज़ईफ़ शख़्स को तलाश करके लाओ क्योंकि उन ज़ईफ़ व कमज़ोर लोगों की वजह से तुम्हें रिज़्क़ मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है।'

(3181) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2594, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4388, तिर्मिज़ी, हदीस: 1702, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1620, वल हाकिम: 2/145.

फ़ायदा : अल्लाह तआला उन ज़ईफो को रिज़्क़ देना चाहता है और उनका भला करना चाहता है मगर चूंकि वह तुम्हारे मोहताज हैं, लिहाज़ा अल्लाह तआला उन्हें रिज़्क़ पहुँचाने के लिये तुम्हें भी रिज़्क़ दे देता है और उनके भले के लिये तुम्हारी मदद भी करता है।

باب : (۴۴) فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

बाब : (44) किसी ग़ाज़ी को सामाने जंग व सफ़र मुहैया करने वाले की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " .

(3182) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये किसी ग़ाज़ी को साम न मुहैया करे, उसने भी जिहाद में हिस्सा लिया। और किसी ग़ाज़ी की अदमे मौजूदगी में उसके अहल व अयाल की ज़रूरियात मुहैया करे, उसने भी जिहाद किया।'

(3182) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1895, बुख़ारी, हदीस: 2843, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4389.

फ़ायदा : हर आदमी जंग के लिये जा सकता है न उसकी ज़रूरत ही है, लिहाज़ा चन्द लोग (जैसे: फ़ौजी) जंग को जायें और बाक़ी लोग उनके लिये और उनके अहल व अयाल के लिये ज़रूरियात

मुहैया करें। इस तरह सब लोग जिहाद में शरीक हो जायेंगे और हर शख़्स अपनी नियत और कोशिश के मुताबिक़ सवाब का मुस्तहिक़ होगा जैसे आज कल कुछ लोग फ़ौज में भरती होते हैं और दुश्मन की रोक थाम करते हैं। बाक़ी शहरी उनकी तनख़्वाहों, अस्लहा व दीगर ज़रूरियात के लिये टेक्स देते हैं। इस तरह पूरी क़ौम जिहाद का फ़रीज़ा सरअंजाम देती है और सब सवाब के मुस्तहिक़ होते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " .

(3183) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह को सामाने जंग व सफ़र मुहैया करे, उसने भी जिहाद किया और जो शख़्स ग़ाज़ी की अदमे मौजूदगी में उसके अहल व अयाल से हुस्ने सुलूक करे तो उसने भी जिहाद में हिस्सा लिया।'

(3183) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4390, बुख़ारी, हदीस: 2843.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا . فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا

(3184) हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस से रिवायत है कि हम हज करने के लिये निकले हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अभी हम अपने अपने मक़ामात में सामान उतार रहे थे कि एक शख़्स हमारे पास आया और कहने लगा कि लोग मस्जिदे नबवी में जमा हैं और वह घबराये हुए हैं। हम मस्जिद को चले तो बहुत से लोग मस्जिद के दरम्यान में कुछ लोगों के इर्द गिर्द जमा थे। उनमें हज़रात अली, ज़ुबैर, तल्हा और सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) भी थे। हम इस हाल में थे कि हज़रत उस्मान (ﷺ) भी आ गये और उन पर ज़र्द रंग की एक बड़ी चादर थी। उन्होंने उससे सर को ढाँप रखा था। वह फ़रमाने लगे: क्या यहाँ तल्हा हैं, ज़ुबैर हैं, सअद हैं? उन्होंने कहा: जी हाँ। फ़रमाने लगे: मैंने तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या

لَكَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ رضى الله عنه عَلَيْهِ مُلاَءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهَا هُنَا طَلْحَةُ أَهَا هُنَا الزُّبَيْرُ أَهَا هُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلاَنٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ " . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ " اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ " . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ " مَنْ يُجَهِّزْ هَؤُلاَءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ

तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स फुलां ख़ानदान का खलियान ख़रीद (कर मस्जिद के लिये वक़्फ़) करेगा अल्लाह तआला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा मैंने बीस या पच्चीस हज़ार दिरहम से उसे ख़रीदा। फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपको इत्तिला दी। आपने फ़रमाया: 'ये हमारी मस्जिद में शामिल कर दो। इसका सवाब तुम्हें मिलेगा।' उन सब ने कहा: जी हाँ। हज़रत उस्मान ने फ़रमाया: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स रूमा का कुआँ ख़रीद (कर वक़्फ़) करेगा, अल्लाह तआला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा।' मैंने वह कुआँ इतनी इतनी (कसीर) रक़म से ख़रीदा। फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और अर्ज़ किया कि मैंने वह कुआँ इतनी रक़म से ख़रीद लिया है। आपने फ़रमाया: 'उसे आम मुसलमानों के पीने के लिये वक़्फ़ कर दे। उसका अज्र तुझे मिलेगा।' उन सब ने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ। फिर हज़रत उस्मान(رضی اللہ عنہ) ने कहा: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ग़ज़्व-ए-तबूक की तैयारी के वक़्त) लोगों के चेहरों में देखा और फ़रमाया: 'जो शख़्स इन .... जैशे उस्रा .... को सामाने हर्ब व सफ़र मुहैया करेगा, अल्लाह तआला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा।' मैंने उनके लिये सामान मुहैया किया यहाँ तक कि उन्हें

يَفْقِدُوا عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا . فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ऊँट का पाँव बाँधने वाली किसी रस्सी या ऊँट की महार की भी कमी महसूस न हुई? उन सब लोगों ने कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ। हज़रत उ़स्मान कहने लगे: ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी शैबा, 12/39, 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4391, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/119, 120, हदीस़: 2487, व इब्ने हिब्बान: 2200.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया हज़रत उ़स्मान (ﷺ) की ख़िलाफ़त और ज़िन्दगी के आख़री साल का है जब मुख़्तलिफ़ इलाक़ों से बाग़ी और मुफ़्सिदीन जत्थे बन्दी करके ख़िलाफ़त का शीराज़ा बिखेरने के लिये मदीना मुनव्वरा में जमा हो गये थे और उन्होंने ख़ुद साख़्ता इल्ज़ामात के तहत हज़रत उ़स्मान (ﷺ) से दस्तबरदारी और इस्तिअफ़ा का मुतालबा किया था वरना क़त्ल की धमकी दी थी। और हज से चन्द दिन बाद हाजियों की वापसी से पहले ही उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामा पहना दिया। **(2)** 'कुछ लोगों के इर्द गिर्द' ये बाग़ियों के सरदार थे जिन्होंने मस्जिदे नबवी को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। बाद में उन्होंने मस्जिदे नबवी पर क़ब्ज़ा कर लिया। ख़ुद ही इमामत क़राते रहे और हज़रत उ़स्मान (ﷺ) को घर में महसूर कर दिया। **(3)** 'खलियान' जहाँ खजूरें ख़ुश्क करने के लिये फैलाई जाती थीं। ये मस्जिद से मुत्तसिल ख़ाली जगह थी। ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के बाद मस्जिद की तौसीअ़ की ज़रूरत महसूस हुई तो ये ख़ाली एहाता ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लिया गया। इस तौसीअ़ के बाद मस्जिद की पैमाइश 100 x 100 हाथ हो गई। इस स़दक़-ए-जारिया का स़वाब हज़रत उ़स्मान (ﷺ) को ता'क़यामत मिलता रहेगा। (ﷺ). **(4)** 'बीरे रूमा' मीठे पानी का कुआँ जो एक कंजूस यहूदी की मिल्कियत था। वह मुसलमानों को पानी नहीं लेने देता था।

بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

बाब : (45) फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च करने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

(3185) हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे, उसे जन्नत में आवाज़ें दी जायेंगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये जगह अच्छी है (इधर आ जाओ) जो शख़्स (फ़र्ज़ और

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه هَلْ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ " نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " .

नफ़ल) नमाज़ का शौक़ीन होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। जो शख़्स जिहाद का शाइक़ होगा, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी। जो शख़्स (नफ़ली) सदक़ात में मारूफ़ होगा, उसे सदक़े वाले दरवाज़े से पुकारा जायेगा। और जो शख़्स (नफ़ली) रोज़ों का आदी होगा, उसे बाबुर रय्यान (सैराबी वाले दरवाज़े) से बुलाया जायेगा।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने अ़र्ज़ किया: ज़रूरत तो नहीं कि किसी शख़्स को इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्या किसी शख़्स को सब दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? आपने फ़रमाया 'हाँ। और मुझे उम्मीद है कि तू उनमें से होगा।'

(3185) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4392.

फ़ायदा : ये रिवायत तफ़्सील से पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 2441.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا فُلاَنُ هَلُمَّ فَادْخُلْ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " .

(3186) हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे, उसे जन्नत के दरबान तमाम दरवाज़ों से बुलायेंगे। ऐ फ़ुलां! इधर आओ और (यहाँ से) दाख़िल हो जाओ।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस शख़्स को तो किसी क़िस्म का ख़सारा नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे उम्मीद है कि तू भी उनमें से होगा।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2841, मुस्लिम, हदीस: 1027/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4393.

फ़ायदा : इस रिवायत में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ़्ज़ आम मालूम होता है, यानी किसी भी अच्छी

जगह में। इमाम साहिब (رحمه الله) ने शायद इसे जिहाद से ख़ास समझा है जो इसे किताबुल जिहाद में ज़िक्र किया है, और ये रिवायत साबिक़ा रिवायत से कुछ मुख़्तलिफ़ है। मुमकिन है किसी रावी को सह्व हो गया हो या ये दो अलग अलग वाक़ियात हों। और ये कोई बईद नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي . قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ " . قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ " إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ " .

(3187) हज़रत सअ़सअ़ा बिन मुआविया से मन्क़ूल है कि मैं हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) को मिला। मैंने अ़र्ज़ किया कि मुझे कोई हदीस़ बयान करें। उन्होंने फ़रमाया: ज़रूर। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान बन्दा अपने हर माल से जोड़ा जोड़ा अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ख़र्च करे, उसे जन्नत के दरबान मिलेंगे और हर दरबान उसे अपने दरवाज़े में से गुज़रने की दावत देगा।' मैंने कहा कि जोड़ा ख़र्च करने से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: 'अगर उसके पास ऊँट हैं तो दो ऊँट अल्लाह के रास्ते में दे और अगर उसके पास गाय हैं तो दो गायें दें।'

(3187) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1875, 4394, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1649-1652.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ "

(3188) हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अल्लाह तआ़ला के रास्ते में कोई चीज़ ख़र्च करे, उसके लिये उसे सात सो गुना तक लिखा जाता है।'

(3188) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अबी आ़सिम: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4395, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1625.

फ़ायदा : नेकी का सवाब दस गुना तो लाज़िमी चीज़ है। इससे ज़्यादा हर मुताल्लिक़ा शख़्स़ के ख़ुलूस़ के लिहाज़ से है। कुछ ऐसे मुख़्लिसीन भी हैं जो सात सौ गुना सवाब हासिल करते हैं। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअ़ज़ीज़.

बाब : (46)
फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा करने की फ़ज़ीलत

باب: (٤٦)
فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلاً، تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ " .

(3189) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ते में महार वाली एक ऊँटनी सदक़ा की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन ये शख़्स महार वाली सात सौ ऊँटनियाँ लेकर आयेगा।'

(3189) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4396.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ " .

(3190) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंग दो क़िस्म की होती है। जो शख़्स अल्लाह की रज़ामन्दी का तालिब हो, इमाम की इताअत करे और अच्छा माल ख़र्च करे और अपने साथी से नर्मी करे और फ़साद से बचे तो उसका सोना और जागना सबका सब सवाब होगा। लेकिन जो शख़्स दिखलावे और शोहरत के लिये जंग करे, इमाम की नाफ़रमानी करे और ज़मीन में फ़साद करे तो वह अपनी पहली हालत के साथ भी वापस नहीं आयेगा (चे जाये कि वह कोई सवाब हासिल करे)'

(3190) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2515, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4397, व सहीह अल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/85.

फ़ायदा : दिखलावे और शोहरत के लिये लड़ाई लड़ना सवाब के बजाये अज़ाब का सबब होगा, लिहाज़ा वह पहली हालत से भी घाटे में रहेगा।

बाब : (47)मुजाहिदीन की औरतों के एहतिराम का बयान

باب (٤٧): حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، - وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ " .

(3191) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुजाहिदीन की औरतें जंग में न जाने वालों के लिये उनकी अपनी माओं की तरह क़ाबिले एहतिराम हैं। और जो आदमी किसी मुजाहिद की अदमे मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ ख़यानत का इर्तिकाब करे, उसे क़यामत के दिन उस मुजाहिद के सामने खड़ा कर दिया जायेगा कि वह उसकी जितनी नेकियाँ चाहे ले ले, फिर तुम्हारा क्या ख़याल है? (क्या वह उसकी कोई नेकी छोड़ेगा)'

(3191) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4398.

बाब : (48)जो शख़्स किसी ग़ाज़ी की बीवी से ख़यानत का इर्तिकाब करे

باب (٤٨): مَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُّكُمْ " .

(3192) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुजाहिदीन की औरतें जंग में न जाने वालों के लिये उनकी माओं की तरह क़ाबिले एहतिराम हैं। जब कोई शख़्स किसी मुजाहिद के पीछे रहे और उस (मुजाहिद) के घर वालों में ख़यानत का इर्तिकाब करे तो क़यामत के दिन उस मुजाहिद से कहा जायेगा: उसने तेरे घर वालों में तेरी ख़यानत की थी, लिहाज़ा तू उसकी जितनी नेकियाँ चाहे ले ले। तो तुम्हारा क्या ख़याल है (वह कुछ छोड़ेगा)?'

(3192) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4399.

(3193) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुजाहिदीन की औरतों का एहतिराम, घरों में रहने वालों के लिये उनकी माओं के एहतिराम की तरह है। और जिहाद से पीछे (घरों में) रहने वालों में से जो शख़्स किसी मुजाहिद की बीवी के साथ ख़्यानत करे तो उसे क़यामत के दिन मुजाहिद के सामने बाँध कर खड़ा कर दिया जायेगा और कहा जायेगा: ऐ फ़ुलां! ये फ़ुलां शख़्स है, तू इसकी नेकियों में से जितनी चाहे ले ले।' फिर नबी (ﷺ) अपने सहाबा की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'तुम्हारा क्या ख़्याल है कि वह उसकी कोई नेकी छोड़ देगा?'

(3193) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4400.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَعْنَبٌ، - كُوفِيٌّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ يَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنٌ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ " . ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " مَا ظَنُّكُمْ تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़्यानत का मफ़हूम बहुत वसीअ़ है। उनसे बद सुलूकी करना या उन्हें धोखा देना या उसकी बीवी को वरग़ला कर अपने पीछे लगा लेना वग़ैरह। ये सब कुछ इसमें दाख़िल है। (2) 'छोड़ देगा' जब हर शख़्स को नेकी की अशद्द (बहुत सख़्त) ज़रूरत होगी और एक एक नेकी क़ीमती होगी तो ना'मुमकिन है कि कोई शख़्स नेकी लेने में सुस्ती करे ख़ुसूसन जब कि उसे खुली छूट दी हो।

(3194) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने हाथों, ज़बानों और मालों के साथ जिहाद करो।'

(3194) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3098.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " جَاهِدُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये और बाद वाली अहादीस साबिक़ा बाब से ताल्लुक़ नहीं रखतीं बल्कि ये 'मुतफ़र्रिक़ात' की ज़ेल में आती हैं जिनका जिहाद से कुछ न कुछ ताल्लुक़ है। हाथों से जिहाद, लड़ाई करना, ज़बान से जिहाद, तब्लीग़ करना और माल से जिहाद मुजाहिदीन की माली तआवुन है। (2)

मुहक़्क़िक़े किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि ये रिवायत दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है जिसकी तफ़्सील हदीस नम्बर: 3098 के फ़वाइद में देखी जा सकती है।

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ الشَّامِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الأَصْبَغِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ " مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا " .

(3195) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने साँप क़त्ल करने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'जो शख़्स उनके इन्तेक़ाम और बदले से डरता है, वह हममें से नहीं।'

(3195) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 5249, अबी दाऊद, हदीस: 5248, 5252.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हुक्म से घरेलू साँप मुस्तस्ना (अलग) हैं क्योंकि सही रिवायात में उनके क़त्ल से रोका गया है। मुमकिन है ये हदीस पहले की हो। जिन साँपों को क़त्ल करने की इजाज़त है, उनके इन्तेक़ाम से नहीं डरना चाहिए, अलबत्ता जिनके क़त्ल से रोका गया है उन्हें क़त्ल न करे, इन्तेक़ाम का ख़तरा हो या न हो। इस रिवायत का किताबुल जिहाद से ताल्लुक़ यूँ है कि दौराने सफ़र में साँपों से वास्ता पड़ सकता है। **(2)** 'वह हममें से नहीं' यानी वह हमारे तरीक़े पर नहीं। हम साँपों के इन्तेक़ाम से नहीं डरते, न मुसलमानों को डरना चाहिए। **(3)** मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इससे सुनन अबी दाऊद की रिवायत नम्बर: 5248 और 5252 किफ़ायत करती हैं। याद रहे मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ جَبْرًا فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ كُنَّا نَحْسُبُ وَفَاتَكَ قَتْلاً

(3196) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत जुबैर (ﷺ) की बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये। जब आप (घर में) दाख़िल हुए तो आपने सुना कि औरतें रो रही हैं और कह रही हैं कि हम तो समझती थीं कि तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद होंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम मक़्तूल फ़ी सबीलिल्लाह के

अलावा किसी को शहीद नहीं समझते? फिर तो तुम्हारे शोहदा बहुत कम होंगे। अल्लाह तआ़ला के रास्ते में मारा जाना शहादत है, पेट की तकलीफ़ से फ़ौत होना भी शहादत है, आग में जल कर मर जाना भी शहादत है, डूब कर मर जाना भी शहादत है, किसी चीज़ के नीचे दब कर मर जाना भी शहादत है, नमूनिया के ज़रिये से मर जाने वाला भी शहीद है और जो औरत ज़चगी के दौरान में फ़ौत हो जाये, वह भी शहीद है।' एक आदमी ने उन औरतों से कहा: तुम रोती हो जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा हैं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोने दे, अलबत्ता जब ये फ़ौत हो जाये तो फिर कोई न रोये।'

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْمَغْمُومُ - يَعْنِي الْهَدِمَ - شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُوبُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَجُلٌ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ قَالَ ‏"‏ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ ‏"‏ ‏.‏

(3196) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1847.

फ़ायदा : इस हदीस का मफ़हूम पीछे गुज़र चुका है। इआदे (लौटाने) की ज़रूरत नहीं। नबी (ﷺ) का फ़रमाना 'रोने दे' दलील है कि आवाज़ से रोना मय्यत पर मना है, ज़िन्दा पर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वह रोना बतौर हमदर्दी है न कि बतौर नौहा। और नौहा मना है, मुत्लक़ रोना नहीं।

(3197) हज़रत जबर (हक़ीक़तन जाबिर बिन अतीक) (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक क़रीबुल मर्ग शख़्स के यहाँ गया। औरतें रोने लगीं: मैंने कहा कि तुम रोती हो जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा हैं? आपने फ़रमाया: 'इन्हें रोने दे। जब तक ये शख़्स इनमें ज़िन्दा मौजूद है, अलबत्ता जब ये फ़ौत हो जाये तो कोई रोने वाली न रोये।'

(3197) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1847.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَبْرٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيِّتٍ فَبَكَى النِّسَاءُ فَقَالَ جَبْرٌ أَتَبْكِينَ مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا قَالَ ‏"‏ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ‏"‏ ‏.‏

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

كتاب النكاح

निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

निकाह से मुराद एक मर्द और औरत का अपनी और औलिया की रज़ामन्दी से ऐलानिया तौर पर एक दूसरे के साथ ख़ास हो जाना है ताकि वह अपने फ़ितरी तक़ाज़े बतरीक़े अहसन पूरे कर सकें क्योंकि इस्लाम दीने फ़ितरत है, इसलिये इसमें निकाह को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है और दूसरे अदयान के बरअक्स निकाह करने वाले की तारीफ़ की गई है और निकाह न करने वाले की शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की गई है। निकाह सुन्नत है और इस सुन्नत के बिला वजह तर्क की इजाज़त नहीं क्योंकि इसके तर्क से बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा निकाह नस्ले इन्सानी की बक़ा का इन्तेहाई मुनासिब तरीक़ा है। निकाह न करना अपनी जड़ें काटने के मुतरादिफ़ है और ये जुर्म है, इसीलिये तमाम अम्बिया (عليهم السلام) ने निकाह किये और उनकी औलाद हुई।

باب : (۱)

ذِكْرِ أَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَا أَبَاحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَنْبِيهًا لِفَضِيلَتِهِ

बाब : (1)

निकाह और बीवियों के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसी हैसियत व शान और उस चीज़ का बयान जो अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) के लिये हलाल की है और दूसरे लोगों पर ममनूअ क़रार दी है ताकि आपका अज़ीमुश्शान मर्तबा और फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ

(3198) हज़रत अता से रिवायत है कि हम हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के साथ नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) के जनाज़े में सरिफ़ के मक़ाम पर

عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا .

हाज़िर हुए। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाने लगे: ये हज़रत मैमूना हैं। जब तुम इनका जनाज़ा उठाओ तो (बेहंगम) हरकत न देना और न इसे ज़्यादा ऊपर नीचे करना। रसूलुल्लाह (ﷺ) के निकाह में (वफ़ात के वक़्त) नो बीवियाँ थीं। आप आठ के लिये बारी मुक़र्रर फ़रमाते थे और एक के लिये बारी मुक़र्रर न फ़रमाते थे।

(3198) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5067, मुस्लिम, हदीस: 1465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5304.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह तआला की ये अजीब क़ुदरत है कि हज़रत मैमूना (ﷺ) का निकाह, रुख़्सती और वफ़ात तीनों क़ाम सरिफ़ में हुए और उसी ख़ैमे में दफ़न हुईं जिसमें उनकी रुख़्सती हुई थी। हज़रत मैमूना (ﷺ) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की ख़ाला मोहतरमा थीं। **(2)** 'हरकत न देना' आम मय्यत का एहतिराम भी वाजिब है मगर ज़ोज-ए-रसूल का एहतिराम सबसे बढ़ कर है। ज़िन्दा शख़्स मोहतरम हो तो फ़ौत होने से उसका एहतिराम मज़ीद बढ़ जाता है, यहाँ तक कि फ़ौत शुदा की क़ब्र पर बैठना भी मना है, हालांकि मय्यत बहुत नीचे होती है। **(3)** 'नो बीवियाँ' उनके अलावा दो बीवियाँ आपकी ज़िन्दगी में फ़ौत हो गई थीं। लौण्डीयाँ मज़ीद उनके अलावा हैं। नो बीवियाँ आपका ख़ास्सा है। आम शख़्स चार से ज़्यादा बीवियाँ एक साथ निकाह में नहीं रख सकता। **(4)** 'बारी' आपकी एक बीवी हज़रत सौदा (ﷺ) बूढ़ी हो गई थीं, इसलिये उन्होंने अज़ ख़ुद अपनी बारी हज़रत आयशा (ﷺ) को हिबा कर दी थी, लिहाज़ा नबी (ﷺ) हज़रत आयशा (ﷺ) के पास दो दिन रहते थे और दूसरी अज़्वाज के पास एक एक दिन। **(5)** चार से ज़्यादा बीवियों की रुख़्सत (आपके लिये) आला मक़ासिद के लिये थी: ❍ आइन्दा ख़ुलफ़ा से रिश्तेदारी, जैसे: हज़रत आयशा और हफ़्सा (ﷺ) से निकाह ❍ बेसहारा बीवियों की हौसला अफ़ज़ाई जिन्होंने अल्लाह के दीन की ख़ातिर अपने घर वालों को छोड़ दिया था। ख़ाविन्द फ़ौत होने के बाद वह अपने घरों की तरफ़ भी रूजू नहीं कर सकती थीं, जैसे: उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (ﷺ) ❍ घरेलू मसाइल भी तफ़्सील से उम्मत तक पहुँच सकें। एक दो बीवियाँ ये काम ख़ुश उस्लूबी से नहीं कर सकती थीं। ❍ दुश्मन गिरोहों को राम करने के लिये, जैसे: हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) जो कि मुश्रिकीन के सालार अबू सुफ़ियान की बेटी थी। इस निकाह के बाद अबू सुफ़ियान का जोश व ख़रोश ख़त्म हो गया और बिल आख़िर वह मुसलमान हो गये। (ﷺ). इस तरह हज़रत सफ़िया (ﷺ) जो कि यहूदी सरदार की बेटी थी। इस निकाह से यहूदियों का काँटा निकल गया। **(6)** ये बात याद रखने के क़ाबिल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को

बीवियों की मुक़र्ररा तादाद 4 से बाला क़रार देने की बुनियाद शह्वत नहीं हो सकती क्योंकि जो शख़्सियत अपनी ज़िन्दगी के तजर्रुद वाले 25 साल बे'ऐब गुज़ारते हैं और अगले 25 साल सिर्फ़ एक बीवी, वह भी बेवा के साथ इन्तेहाई इफ़्फ़त व शराफ़त के साथ गुज़ारते हैं और मज़ीद पाँच साल एक दूसरी बेवा (हज़रत सौदा (ﷺ)) के साथ ही गुज़ारते हैं, क्या ये किसी लिहाज़ से भी माना जा सकता है कि जब उनकी उम्र 55 साल हो जाती है, जवानी मुकम्मल तौर पर रुख़्सत हो जाती है और बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो अपनी ज़िन्दगी के आख़री आठ साल में शह्वत की बिना पर ज़्यादा शादियाँ करते हैं? नहीं! हरगिज़ नहीं! बल्कि हक़ीक़तन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़्यादा बीवियों का अर्सा आख़री पाँच साल हैं। क्या कोई माक़ूल आदमी इसे शह्वत पर महमूल कर सकता है? उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ख़ुसूसन जबकि वह शख़्सियत अपनी रातों का अक्सर हिस्सा अल्लाह तआला की इबादत में रोते हुए गुज़ार देती हो। लाज़िमन आपके कस्रते अज़्वाज की हिकमत कुछ और थी जिसकी कुछ तफ़्सील ऊपर ज़िक्र हो चुकी है। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व उम्मी(ﷺ).

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ .

(3199) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए तो आपके निकाह में नो बीवियाँ थीं। आप उन सबके पास शब बसरी फ़रमाते थे, अलावा हज़रत सौदा(ﷺ) के कि उन्होंने अपनी बारी का दिन रात हज़रत आयशा (ﷺ) के लिये हिबा फ़रमा दिया था।

(3199) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5307.

फ़ायदा : अगर कोई शख़्स बरिज़ा व रग़बत अपने हक़ से दस्तबरदार हो तो कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। हज़रत सौदा (ﷺ) का मामला भी ऐसा ही था, उन्होंने नबी (ﷺ) की ख़्वाहिश का एहतिराम करते हुए अपनी बारी हज़रत आयशा (ﷺ) को हिबा फ़रमा दी जो आपकी तमाम बीवियों में आप को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी। याद रहे रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत सौदा (ﷺ) के पास दिन को आते जाते थे। उनकी तमाम ज़रूरियात का ख़्याल और इन्तेज़ाम फ़रमाते थे। सफ़र में उन्हें भी साथ ले जाया करते थे। गोया सिवाए शब बसरी के उनके साथ भरपूर ताल्लुक़ात थे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ

(3200) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) एक रात में अपनी सब औरतों के

قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

पास घूम आते थे जब कि इन दिनों आपकी नो बीवियाँ थी।

(3200) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5305.

फ़ायदा : इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर बीवियों में बारी मुक़र्रर करना लाज़िम था या नहीं? मगर इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि आप बारी मुक़र्रर फ़रमाते थे, लिहाज़ा मुमकिन है कि आप सफ़र वग़ैरह से वापसी पर बारी शुरू करने से पहले एक रात सब के लिये मुश्तरका रखते हों या एक दफ़ा बारी मुकम्मल होने के बाद और दूसरी बारी शुरू होने से पहले एक रात मुश्तरका रखते हों। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقُولُ أَوَتَهَبُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ .

(3201) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मुझे उन औरतों पर ग़ुस्सा आता था जो अपने आप को नबी (ﷺ)(से निकाह) के लिये ख़ुद पेश करती थी। मैं कहती थीं: कोई आज़ाद औरत भी (मर्द से शादी करने के लिये) अपने आपको ख़ुद पेश कर सकती है? तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (तुर जी मन तशाउ....) 'आप अपनी जिस बीवी को चाहें दूर रखें और जिसको चाहें अपने क़रीब कर लें।' मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं तो समझती हूँ कि आप का रब तआला भी आपकी ख़्वाहिश और पसन्द को पूरा करने में जल्दी करता है।

(3201) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4788, मुस्लिम, हदीस: 1464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5306.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पेश करती थीं' अल्लाह तआला ने आपके लिये मुबाह रखा था कि अगर कोई मोमिन मुहाजिर औरत अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) पर निकाह के लिये पेश करे तो आप औलिया के बग़ैर उससे निकाह फ़रमा सकते हैं क्योंकि अव्वलन तो मुहाजिर औरतों के औलिया, काफ़िर होते थे जिनकी विलायत साक़ित होती थी, दूसरे नसबी औलिया, न होने की सूरत में आप हाकिमे आला होने की हैसियत से उनके क़ानूनी वली होते थे, लिहाज़ा औरत की पेशकश की सूरत में आपका उससे निकाह कर लेना तमाम

शराइत पर पूरा उतरता था मगर आपने किसी ऐसी औरत से निकाह नहीं फ़रमाया जिसने ख़ुद पेशकश की हो ताकि कोई नाबकार इल्ज़ाम तराशी न कर सके। अगरचे ये आपके लिये शरअन, क़ानूनन और अख़्लाक़न हर लिहाज़ से जायज़ था। (2) 'पेश कर सकती है' हज़रत आयशा (ﷺ) ने ये बात अपने हालात के लिहाज़ से फ़रमाई वरना एक मुहाजिर, बे आसरा नौजवान औरत जो अपने ख़ानदान से मुन्क़तअ हो चुकी है, अगर अपने आपको निकाह के लिये नबी-ए-अकरम (ﷺ) पर पेश करे कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप निकाह फ़रमा लें वरना किसी और से कर दें, इसमें ज़र्रा भर भी क़बाहत नहीं क्योंकि आप हाकिमे आला थे और ऐसी बे आसरा नौजवान औरतों को सहारा मुहैया करना आपका फ़र्ज़ बनता था। (3) 'ये आयत उतारी' इस आयत से इस्तेदलाल किया गया है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के लिये अपनी बीवियों के लिये बारी मुक़र्रर करना ज़रूरी न था मगर क़ुर्बान जाइये आपके अख़्लाक़े आलिया पर कि आपने बावजूद इतनी वुस्अत के न सिर्फ़ बारी मुक़र्रर की बल्कि उन सबसे हर लिहाज़ से मसावियाना सुलूक फ़रमाया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2135, व इर्वाउल ग़लील: 7/85)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَنَا فِي الْقَوْمِ، إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَأْ فِيَّ رَأْيَكَ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا . فَقَالَ " اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ.

(3202) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा मैं सहाबा में बैठा था कि एक औरत आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपसे निकाह के लिये अपने आपको पेश करती हूँ। आप मेरे बारे में फ़ैसला करें। (आप ख़ामोश रहे तो) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा: (अगर आप को ज़रूरत नहीं तो) मुझ से इसका निकाह कर दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जा कोई चीज़ तलाश करके ला, अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो (ताकि महर में दे सके)' वह शख़्स गया मगर उसे कोई चीज़ न मिली यहाँ तक कि लोहे की अंगूठी भी न मिली। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे क़ुर्आन मजीद की कुछ सूरतें याद हैं?' उसने कहा: हाँ। आपने क़ुर्आन मजीद की इन सूरतों (की तालीम) के ऐवज़ उसका उस औरत से निकाह फ़रमा दिया।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी : 5149, मुस्लिम, हदीस: 1425/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5308.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये औरत भी शायद बे आसरा थी और औलिया न थे। तभी आपने बतौर हाकिम वली बन कर उसका निकाह कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर किसी के पास महर के लिये कोई रक़म या कोई चीज़ न हो तो तालीम के ऐवज़ भी निकाह किया जा सकता है, और इस रिवायत से ये भी मालूम होता है कि महर की कोई हद मुक़र्रर नहीं। तभी तो आपने फ़रमाया: 'चाहे लोहे की अंगूठी ही ले आ।' जिन हज़रात ने महर की हद मुक़र्रर समझी है वह तावील करते हैं कि असल महर अलग था। मगर ताज्जुब है कि उस महर का कहीं ज़िक्र ही नहीं? लिहाज़ा ये तावील कमज़ोर है। महर कम अज़ कम मुक़र्रर है न ज़्यादा से ज़्यादा। अलबत्ता फ़रीक़ैन की रज़ामन्दी शर्त है। (2) हिबा फ़ि न्निकाह, यानी औरत का निकाह के लिये अपने आपको पेश करना नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ ख़ास था। किसी और शख़्स के साथ ऐसा मामला नहीं हो सकता। (3) ताकीद के लिये क़सम खाना जायज़ है अगरचे मुतालबा न हो। (4) निकाह में हक़्क़े महर ज़रूरी है। (5) महरे मुअज्जल जायज़ है। (6) कुफ़ू (बराबरी)आज़ादी और दीनदारी में होता है, नसब और माल में नहीं। (7) आदमी अपना पैग़ामे निकाह ख़ुद दे सकता है।

बाब : (2)
उन चीज़ों का बयान जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) पर फ़र्ज़ फ़रमाई और दूसरे लोगों पर हराम, ताकि अल्लाह तआला आप (ﷺ) को मज़ीद अपना क़ुर्ब नसीब फ़रमाये, इन्शाअल्लाह

باب : (٢)
مَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ

(3203) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने ख़बर दी कि जब अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवियों को (तलाक़ लेने का) इख़्तियार दें तो रसूलुल्लाह (ﷺ) (सबसे पहले) मेरे पास आये और फ़रमाया: 'कि मैं तुझे एक बात ज़िक्र करता हूँ। तू उस (का जवाब देने) के बारे में जल्दी न करना यहाँ तक कि अपने वालिदैन से मश्वरा कर ले।' क्योंकि आप जानते थे कि मेरे

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا

حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ " . قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لاَ يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ‏}‏ فَقُلْتُ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ .

वालिदैन कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा नहीं दे सकते, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (ये आयत पढ़ी) (या अय्युहन्नबी क़ुल लिअज़्वाजिक .....) 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दीजिये कि अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी ज़ीनत की तलबगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान देकर फ़ारिग़ कर दूँ ....अलख़' मैंने कहा: मैं इस बारे में अपने वालिदैन से मश्वरा तलब करूँ? बिला शक व शुब्हा मैं तो अल्लाह तआला, उसके रसूल और आख़िरत की तलबगार हूँ।

(3203) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4785, मुस्लिम, हदीस: 1475, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5312.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब मुसलमानों को फ़ुतूहात हासिल होने लगीं और उसके नतीजे में माले ग़नीमत की भी कस्रत हुई तो मुसलमानों की माली हालत भी पहले से क़द्रे बेहतर हो गई। रसूलुल्लाह(ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) भी इन्सान ही थी। ये सूरते हाल देख कर उनके दिल में भी ये ख़्वाहिश पैदा हुई कि उन्हें भी पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा सहूलतें हासिल हों, जिसका इज़्हार उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। इससे आप परेशान हो गये तो अल्लाह तआला ने इसका हल तजवीज़ फ़रमाया कि आप अपनी औरतों को साफ़ बता दें कि मैं तो अल्लाह तआला का काम कर रहा हूँ। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बहुत दूर हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी तरह झूठा-मूठा खा कर ही गुज़ारा करना होगा। अगर तुम इस तरह दरवेशाना तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ार सको तो बेहतर है, और अगर तुम मेरी तरह नहीं रह सकतीं और तुम्हें ज़्यादा माल चाहिए तो मैं बरिज़ा व रग़बत बग़ैर किसी नाराज़ी के तुम्हें अपनी ज़ोजियत से फ़ारिग़ कर देता हूँ, जहाँ चाहे निकाह कर लो। मगर आफ़रीन है आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात पर कि किसी ने भी दुनिया का नाम न लिया और फिर कभी मरते दम तक दरवेशी न छोड़ी। रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ोजियत (दुनिया व जन्नत में) और अल्लाह तआला के अज्रे अज़ीम पर शादां व फ़रहां रहीं। कभी फ़क़रो फ़ाक़ा की शिकायत न की (رضي الله عنهن). **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये आपका ख़ास्सा शुमार फ़रमाया है क्योंकि हमारे लिये फ़र्ज़ है कि बीवियों को उनका खाना, पीना और लिबास हर सूरत मुहैया करें। और ये उनका हक़ है, लिहाज़ा हम अपनी बीवियों से ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरे साथ भूखा रहना होगा वरना तलाक़ ले लो। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के

लिये ऐसा ऐलान वाजिब था क्योंकि आपकी शान बहुत बलन्द है। नबी के घर में नबवी मिज़ाज वाली औरतें ही मुनासिब हैं ताकि नबी को परेशानी न हो। इसी लिये अल्लाह तआला ने आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात का दर्जा भी बहुत बलन्द रखा है। इरशादे बारी तआला है: (या निसाअन्नबिय्यि लस्तुन्ना क अहदिम मिनन्निसाइ) **(3)** ख़ैर व भलाई के कामों में सबक़त करनी चाहिए और दुनिया पर आख़िरत को तर्जीह देनी चाहिए। इस पर अज्रे अज़ीम है।

(3204) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ का इख़्तियार दिया था तो क्या ये तलाक़ हो गई?

(3204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5262, मुस्लिम, हदीस: 1477/28, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5313.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَوَكَانَ طَلاَقًا.

फ़ायदा : कुछ हज़रात क़ाइल हैं कि अगर ख़ाविन्द (ऊपर दी गई सूरत में) अपनी बीवी को तलाक़ का इख़्तियार दे दे तो औरत को हर हाल में तलाक़ हो जायेगी, ख़्वाह वह ख़ाविन्द के घर रहने ही को पसन्द करे। हज़रत आयशा (ﷺ) ने इस ख़्याल की तर्दीद फ़रमाई की जब औरत ने ख़ाविन्द को तर्जीह दी तो फिर तलाक़ कैसी?

(3205) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें तलाक़ का इख़्तियार दिया था मगर हम सबने आपको तर्जीह दी, लिहाज़ा ये इख़्तियार देना तलाक़ नहीं बना।

(3205) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1477/27, बुख़ारी, हदीस: 5263, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5310.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .

(3206) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात से पहले आपको मज़ीद औरतों से निकाह करने की इजाज़त दे दी गई थी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ .

(3206) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3216, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5311.

फ़ायदा : जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात ऊपर दी गई इख़्तियार वाले इम्तेहान में सौ फ़ीसद कामयाब साबित हुईं तो उनकी अज़मते शान के इज़्हार के लिये आप (ﷺ) को मना फ़रमा दिया गया कि आप उनमें से किसी को तलाक़ दें, या उनके अलावा किसी और औरत से निकाह करें, मगर चूंकि मक़सद आप पर पाबन्दी लगाना नहीं था बल्कि मक़सद तो अज़्वाजे मुतह्हरात की अज़मत ज़ाहिर करना था, लिहाज़ा कुछ वक़्त गुज़रने के बाद सराहत फ़रमा दी गई कि निकाह व तलाक़ के मसले में आप पर कोई पाबन्दी नहीं जिसे चाहें रखें, जिसे चाहें तलाक़ दें और जिससे चाहें निकाह फ़रमायें। मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस इख़्तियार को इस्तेमाल नहीं फ़रमाया बल्कि उन बीवियों ही को क़ाइम रखा और उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ .

(3207) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला को प्यारे हुए तो उससे पहले आपको रुख़सत दे दी गई थी कि आप जिस औरत से चाहें, निकाह फ़रमायें।

(3207) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/180, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5314.

باب (٣): الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ

बाब : (3) निकाह की तर्ग़ीब का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رضى الله عنه فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِتْيَةٍ -

(3208) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) के साथ था और वह हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) के पास थे हज़रत उस्मान ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) कुछ जवानों के पास तशरीफ़ लाये ...... इमाम नसाई ने कहा: जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह मैं (अपने उस्ताद से) लफ़्ज़ फ़ित्यतन (जवानों) नहीं समझ सका ...... और फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स वुस्अत

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا أَرَدْتُ - فَقَالَ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " .

रखता हो, वह ज़रूर निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को नीचा और शर्मगाह को महफ़ूज़ कर देता है। और जिस शख़्स के पास निकाह की वुस्अत न हो (वह रोज़े रखा करे क्योंकि) रोज़ा रखना उसकी शहवत को कुचल देगा।'

(3208) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5315.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वुस्अत से मुराद महर और निकाह के दीगर अख़राजात हैं। इसी तरह बीवी के खाने पीने और लिबास के अख़राजात (2) 'ज़रूर निकाह करे' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ वजूब पर दलालत करते हैं। इमाम अहमद (ﷺ) इसी के क़ाइल हैं। मगर जुम्हूर अहले इल्म इसे इस्तेहबाब पर महमूल करते हैं। अस्ल ये है कि निकाह का वजूब व इस्तेहबाब मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास के लिहाज़ से मुख़्तलिफ़ हो सकता है, जैसे: जो शख़्स निकाह की ताक़त भी रखता हो और उसे गुनाह में पड़ने का ख़दशा भी हो तो उसके लिये निकाह वाजिब व फ़र्ज़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2241)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا . فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " .

(3209) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि हज़रत उस्मान (ﷺ) ने हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से फ़रमाया: क्या आप पसन्द फ़रमायेंगे कि मैं एक नौजवान लड़की से आपकी शादी कर दूँ, तो हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने अल्क़मा को (यानी मुझे) बुला लिया, फिर बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (नौजवानों से) फ़रमाया था: 'तुममें से जो शख़्स निकाह की ताक़त रखे, वह निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा झुका देने वाला और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर देने वाला है। और जो शख़्स निकाह की ताक़त न रखे, वह रोज़े रखा करे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा।'

(3209) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5318.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अल्क़मा को बुला लिया' दरअसल हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) और हज़रत अलक़मा इकट्ठे थे। हज़रत उस्मान (ﷺ) ने हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) को अलग में बुलाकर ऊपर दी गई पेशकश की। जब हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने देख लिया कि ये कोई राज़ की बात नहीं तो अल्क़मा को दोबारा बुला लिया ताकि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान सुन सकें। (2) इस हदीस में निकाह की ताक़त से मुराद माली ताक़त है, न कि जिस्मानी। वरना दूसरी सूरत में रोज़े की क्या ज़रूरत है?

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

(3210) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे (जब हम जवान थे) फ़रमायाः 'तुममें से जो शख़्स निकाह की इस्तेताअत रखे, वह निकाह करे और जो इस्तेताअत न रखे, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़े रखना उसकी शहवत को कुचलने का ज़रिया है।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) बयान करते हैं कि इस हदीस की सनद में अस्वद का ज़िक्र सही नहीं। (अल्क़मा का ज़िक्र सही है जैसा कि साबिक़ा रिवायात में है।)

(3210) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5317.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " .

(3211) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमायाः 'ऐ नौजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स निकाह की ताक़त रखे, वह शादी करे क्योंकि ये नज़र को ज़्यादा झुका देने वाला और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर देने वाला है। और जो शख़्स ताक़त न रखे तो वह रोज़े रखा करे। बिलाशुब्हा रोज़ा उनकी शहवत को कुचल देगा।'

(3211) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5319.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(3212) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया: 'ऐ नौजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स निकाह की ताक़त रखे, वह शादी कर ले।' और (रावी ने) पूरी हदीस़ बयान की।

(3212) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5320.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ " .

(3213) हज़रत अ़ल्क़मा से रिवायत है कि मैं मिना में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) के साथ चल रहा था कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) उन्हें मिले और खड़े होकर उनसे बातें करने लगे। कहने लगे: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! क्या मैं किसी नौजवान लड़की से आपकी शादी न करूँ? शायद वह आपको आपकी गुज़िश्ता जवानी की याद दिला दे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह फ़रमाने लगे: अगर आपने ये बात फ़रमाई है तो बजा फ़रमाया है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया था: 'ऐ नौजवान लोगो! जो तुममें से निकाह की ताक़त रखे, वह निकाह करे।'

(3213) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5316.

باب (۴): النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

बाब : (4)
तर्के निकाह की मुमानिअ़त का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ

(3214) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उ़स्मान बिन मज़ऊन (ﷺ) को तर्के निकाह की इजाज़त न दी। अगर आप उन्हें इजाज़त देते तो हम ख़स़्सी हो जाते।

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا .

(3214) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1402, बुख़ारी, हदीस: 5073, 5074, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5223.

फ़ायदा : हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (ﷺ) नौजवान थे। बहुत इबादत गुज़ार थे। उन्होंने नबी (ﷺ) से इजाज़त तलब की कि हम हर वक़्त इबादत में मशग़ूल रहें और औरतों के झंझट में न पड़ें, लेकिन आपने इजाज़त न दी क्योंकि ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। इन्सानी ख़साइस को क़ाइम रखते हुए हुक़ूक़ुल्लाह की अदायगी करना ही असल फ़ज़ीलत है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ .

(3215) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तर्के निकाह से मना फ़रमाया।

(3215) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/6/125, 252, 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5322, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَتَادَةُ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ وَحَدِيثُ أَشْعَثَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(3216) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तर्के निकाह से मना फ़रमाया।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि क़तादा अश्अस से बड़े हाफ़िज़ और ज़्यादा सिक़ा हैं, मगर (यहाँ) अश्अस की रिवायत ज़्यादा सही है। वल्लाहु तआला आलम!

(3216) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5321, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : हज़रत क़तादा ने ये रिवायत अनिल हसन अन समुरा बिन जुन्दुब की सनद से बयान की है, यानी उसे समुरा की हदीस बना दिया है। लेकिन ये उनकी ख़ता है जो इन्तेहाई सिक़ा से भी मुमकिन है। जबकि अश्अस ने सही सनद बयान की है। गोया ये हदीस मुसनद आयशा है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ

(3217) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नौजवान

بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلاَ أَجِدُ طَوْلاً أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَفَأَخْتَصِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَالَ ثَلاَثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعْ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

आदमी हूँ। मुझे अपने बारे में ख़दशा है कि कहीं मुझसे बदकारी न हो जाये, जब कि मुझ में इतनी वुस्अत नहीं कि निकाह कर सकूँ। तो क्या मैं ख़स्सी हो जाऊँ? नबी (ﷺ) ने मुँह मोड़ लिया यहाँ तक कि मैंने तीन दफ़ा ये बात कही। आख़िर नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरैरह! जो कुछ तूझे करना है क़लमे इलाही वह लिख कर ख़ुश्क हो चुका। अब चाहे तू ख़स्सी हो या न हो।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (رحمه الله)) फ़रमाते हैं: औज़ाई ने ये हदीस ज़ोहरी से नहीं सुनी। लेकिन ये हदीस सही है। इसे यूनुस ने ज़ोहरी से रिवायत किया है।

(3217) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5323, बुख़ारी, हदीस: 5076.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी ये रिवायत औज़ाई के तरीक़ से मुन्क़तअ है लेकिन यूनुस के वास्ते से सही है। **(2)** आपके फ़रमान का ये मतलब है कि अल्लाह तआला को तेरे आइन्दा आमाल का भी इल्म है जो लामहाला सादिर होंगे, लिहाज़ा तुझे ख़स्सी जैसा हराम काम करने का क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है कि अल्लाह तआला से वुस्अत की दुआ किया कर और गुनाह से बचने की कोशिश कर। नबी (ﷺ) के आख़री अल्फ़ाज़ 'ख़स्सी हो या न हो' इजाज़त के लिये नहीं बल्कि ये तो गुस्सा और डाँट ज़ाहिर करते हैं और ये आम मुहावरा है। आपका ऐराज़ फ़रमाना वाज़ेह दलील है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْمَازِنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا

(3218) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने कहा: मैं आपसे तर्के निकाह का मसला पूछना चाहता हूँ। इसके बारे में आपका क्या ख़याल है? फ़रमाने लगीं: ऐसे न कर। क्या तूने अल्लाह तआला का फ़रमान नहीं सुना: (व लक़द अर्सलना रुसुलन ....) '(ऐ

تَرَيْنَ فِيهِ قَالَتْ فَلاَ تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } فَلاَ تَتَبَتَّلْ .

नबी!) हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे। उन सबकी बीवियाँ और औलाद थी।' लिहाज़ा तर्के निकाह न कर।

(3218) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5325.

फ़ायदा : गोया निकाह सुन्नते अम्बिया (عليهم السلام) है। (आइन्दा हदीस़) अम्बिया (عليهم السلام) के मुत्तफ़क़ा तरीक़े कार को छोड़ना वाज़ेह गुमराही है और अम्बिया से क़तअ ताल्लुक़ी है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلاَ أُفْطِرُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " .

(3219) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि चन्द अस्हाबे नबी (ﷺ) (इकट्ठे हुए उन) में से एक ने कहा: मैं औरतों से शादी नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा: मैं गोश्त नहीं खाऊँगा। तीसरे ने कहा: मैं बिस्तर पर नहीं सोऊँगा। चौथे ने कहा: मैं रोज़े रखूँगा, कभी नाग़ा नहीं करूँगा। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) तक पहुँची तो आपने अल्लाह तआला की हम्द व स़ना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'क्या हाल है उन लोगों का जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। हालांकि मैं (नफ़ल) नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। (नफ़ल रोज़े भी रखता हूँ और नाग़े भी करता हूँ और मैंने (एक से ज़्यादा) औरतों से शादी भी कर रखी है, लिहाज़ा जो शख़्स मेरी सुन्नत और तरीक़ेकार को ना पसन्द करेगा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।'

(3219) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1401, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5324.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़ के आख़री अल्फ़ाज़ तहदीद के तौर पर हैं, यानी गोया कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। या इस जुम्ले का मतलब ये है कि वह मेरे तरीक़ेकार से हट चुका है। ये मतलब नहीं कि वह मुसलमान नहीं क्योंकि इस्लाम के बाद किसी गुनाह या मआस़ियत का इर्तिकाब इन्सान को काफ़िर नहीं बनाता। बहर सूरत ऊपर दी गई उमूर सख़्त मना हैं, ख़्वाह कोई शख़्स उन्हें नेकी

समझ कर करे। रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर नेक बनना हिमाक़त है। आपका तरीक़ा ही बेहतरीन तरीक़ा है। (2) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इत्तिबा पर सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) की हिर्स का अन्दाज़ा कीजिये कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के उन आमाल व अफ़आल के बारे में भी पूछते थे जो आप घर में करते थे ताकि उन आमाल में भी वह आपकी पैरवी करें, कोई काम इत्तिबा से रह न जाये। (3) जिन मसाइल का इल्म मर्दों से हासिल होना मुमकिन न हो, वह ख़्वातीन से दरयाफ़्त किये जा सकते हैं। (4) शरई हुदूद कुयूद में रह कर ख़्वातीन से इल्म हासिल किया जा सकता है। (5) अगर रियाकारी मक़सूद न हो तो अपने नेक अमल या नेक अमल पर अज़्म का इज़्हार करने में कोई हर्ज नहीं।

बाब : (5) अल्लाह तआला का उस शख़्स की मदद करने का बयान जो पाकबाज़ी के इरादे से निकाह करता है

باب(٥): مَعُونَةِ اللَّهِ النَّاكِحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

(3220) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने उनकी मदद करने का ज़िम्मा ले रखा हैः वह गुलाम जो अपनी आज़ादी का मुआहिदा करे और उसकी नियत रक़म अदा करने की हो। और वह शख़्स जो गुनाह से बचने (पाकबाज़ी) की नियत से निकाह करे। और जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " .

(3220) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीसः 3122, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5326.

बाब : (6) कुंवारी औरतों से शादी करने का बयान

باب(٦): نِكَاحِ الأَبْكَارِ

(3221) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने शादी की तो नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने फ़रमायाः 'जाबिर! शादी की है?' मैंने कहाः हाँ। आपने फ़रमायाः 'कुंवारी से या

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ تَزَوَّجْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "

أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " . فَقُلْتُ ثَيِّبًا . قَالَ " فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " .

बेवा से?' मैंने कहा: बेवा से। आपने फ़रमाया: 'कुंवारी से क्यूँ न शादी की। तू उससे दिल लगी करता, वह तुझ से दिल लगी करती।'

(3221) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5327, मुस्लिम: 1466/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5327.

फ़ायदा : कुंवारी औरत के साथ निकाह की तर्ग़ीब का ये मतलब नहीं है कि शौहर दीदा औरत से निकाह करना नापसन्दीदा है, बल्कि मतलब ये है कि कुंवारी औरत ने पहले किसी मर्द से इज़्दवाजी ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया होता, इसलिये वह अपने ख़ाविन्द से भरपूर प्यार करेगी जो उस रिश्ते के इस्तेहकाम की ज़मानत है। जबकि शोहर दीदा औरत से शादी करने में कुछ दफ़ा इस तरह प्यार मोहब्बत का इज़्हार नहीं होता। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا جَابِرُ هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي " . قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَبِكْرًا أَمْ أَيِّمًا " . قُلْتُ أَيِّمًا . قَالَ " فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ " .

(3222) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे मिले और कहने लगे: 'जाबिर! तूने मेरे बाद (मेरी अदमे मौजूदगी में) शादी कर ली है?' मैंने कहा: जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'कुंवारी से शादी की है या बेवा से?' मैंने कहा: बेवा से। आपने फ़रमाया: 'कुंवारी से क्यूँ न शादी की। वह तुझसे जी भरकर प्यार करती।'

(3222) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5328, मुस्लिम, हदीस: 1466.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तफ़्सीली रिवायत में हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बेवा से शादी करने की वजह भी बयान की है कि वालिदैन फ़ौत हो चुके थे और घर में सात या नो बहनें थी। उनकी तर्बीयत और देख भाल के लिये तजुर्बाकार औरत चाहिए थी। इस हुस्ने नियत पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बरकत की दुआ फ़रमाई थी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5367, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 715) (ﷺ). **(2)** इमाम को अपने मुक़्तदियों की ख़ैर ख़बर रखनी चाहिए। **(3)** जब एक काम में दो मस्लिहतें बाहम मुतज़ाद हों तो उनमें से जो ज़्यादा अहम हो उसे इख़्तियार करना चाहिए।

बाब : (7) औरत की शादी उसके हमउम्र मर्द से मुनासिब है

تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ

(3223) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को निकाह का पैग़ाम भेजा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह (तुम्हारे मुक़ाबले में) छोटी है।' फिर हज़रत अली (ﷺ) ने पैग़ाम भेजा तो आपने उनसे फ़ातिमा का निकाह कर दिया।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا صَغِيرَةٌ " . فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.

(3223) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान फ़ी सहीहा, हदीस: 2224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5329, व सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 2/167, 168.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) का हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) से निकाह का पैग़ाम रसूलुल्लाह (ﷺ) की दामादी का शर्फ़ हासिल करने के लिये था। **(2)** 'छोटी है' वैसे तो वह बालिग़ थीं, छोटी नहीं थीं मगर हज़रत अबू बक्र और उमर (ﷺ) की उम्र के मुक़ाबले में बहुत छोटी थी। उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की उम्र बीस इक्कीस साल थी। जबकि अबू बक्र पचास से ऊपर हो चुके थे और हज़रत उमर चालीस से तजावुज़ फ़रमा चुके थे। अलबत्ता हज़रत अली(ﷺ) की उम्र तक़रीबन पचीस साल थी। और ये उम्र हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) के तक़रीबन बराबर ही थी। निकाह में मर्द और औरत की उम्र में इतना फ़र्क़ कोई ज़्यादा नहीं है। **(3)** सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का पचास साल की उम्र में हज़रत आयशा (ﷺ) से निकाह करना कैसे मुनासिब था जबकि वह बहुत छोटी थीं बल्कि नाबालिग़ थी। तीन साल बाद रुख़्सती के वक़्त बालिग़ हुई? जवाब ये है कि किसी अज़ीम मक़सद की ख़ातिर उम्र का ये तफ़ावुत (अंतर) क़ाबिले बरदाश्त है। नबी (ﷺ) दरअसल ख़ानदाने सिद्दीक़ (ﷺ) से ख़ुसूसी ताल्लुक़ जोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें आपकी वफ़ात के बाद ख़लीफ़ा मुन्तख़ब होना था। इस ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें ख़ुसूसी तक़द्दुस हासिल हो गया। ये सिर्फ़ इत्तेफ़ाक़ नहीं कि पहले दो ख़लीफ़े आपके सुसर और बाद वाले दो ख़लीफ़े आपके दामाद थे। और बनू उमैया जिन्होंने तक़रीबन सौ साल तक हुकूमत की, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सुसराल थे। और बनू अब्बास तो ख़ैर आपके नसबी रिश्तेदार थे। मज़्कूरा ख़ुलफ़ा की आपसे मज़्कूरा निस्बतों ने उनकी हुकूमत की मज़बूती में अहम किरदार अदा किया।

باب : (٨)

تَزَوُّجِ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ

बाब : (8)

आज़ादकर्दा ग़ुलाम का अरबी (आज़ाद) औरत से शादी करना?

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الاِنْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلاَقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ

(3224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन उस्मान ने मरवान के दौरे हुकूमत में, जब कि वह नौजवान थे, सईद बिन ज़ैद की बेटी, जिसकी वालिदा बिन्ते क़ैस थीं, को बत्ता तलाक़ दे दी। इस लड़की की ख़ाला हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस(ﷺ) ने उसे पैग़ाम भेजा कि वह अब्दुल्लाह बिन अम्र (ख़ाविन्द) के घर से मुन्तक़िल हो जाये। मरवान ने ये सुना तो सईद की बेटी को पैग़ाम भेजा और हुक्म दिया कि वह अपने ख़ाविन्द के घर वापस जाये। और उससे पूछा कि वह अपने असल घर में इद्दत मुकम्मल करने से पहले क्यों मुन्तक़िल हुई? तो उसने वापसी पैग़ाम भेजा और बताया कि मेरी ख़ाला (सहाबिया) ने मुझे हुक्म दिया था। (मरवान ने उन्हें पैग़ाम भेजा तो) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) ने कहा कि मैं अबू अम्र बिन हफ़्स (ﷺ) के निकाह में थी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली बिन अबी तालिब को यमन का अमीर मुक़र्रर फ़रमाया तो मेरा ख़ाविन्द भी उनके साथ गया और वहाँ से मुझे आख़री तलाक़ जो (तीन तलाक़ों में से) बाक़ी थी, भेज दी और मेरा ख़र्च देने के लिये हज़रत हारिस बिन हिशाम और अयाश बिन अबी रबीआ (ﷺ) को कह दिया। उसने हारिस और अयाश को पैग़ाम भेजा कि मुझे मेरा ख़र्च भेजें जिसका मेरे ख़ाविन्द ने हुक्म दिया है। वह कहने लगे:

-زَعَمَتْ - إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالاَ وَاللَّهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلاَّ بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا . قَالَتْ فَاطِمَةُ فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ " . قَالَتْ فَاطِمَةُ فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلاً قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا . مُخْتَصَرٌ .

अल्लाह की क़सम! तेरा हमारे ज़िम्मे कोई ख़र्च नहीं मगर ये कि तू हामिला हो। और तू हमारी इजाज़त के बग़ैर हमारी रिहाइशगाह में भी नहीं रह सकती। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गई और आपसे पूरा मामला ज़िक्र किया। आपने उन (के मौक़िफ़) की तस्दीक़ फ़रमाई। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! तो मैं कहाँ रहूँ? आपने फ़रमाया: 'तू अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबीना के घर मुन्तक़िल हो जा, जिसका अल्लाह तआला ने अपनी किताब में तज़्किरा फ़रमाया है।' मैंने उनके यहाँ इद्दत गुज़ारी। उनकी नज़र ख़त्म हो चुकी थी। मैं वहाँ (बिला खटक) अपने कपड़े उतार सकती थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा निकाह हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضی الله عنه) से फ़रमा दिया। मरवान ने उनकी इस बात को तस्लीम न किया और कहा: मैंने ये बात तुझसे पहले किसी से नहीं सुनी। मैं तो उसी तरीक़ पर अमल करूँगा जिस पर मैंने पहले लोगों को पाया। ये रिवायत (इस जगह) मुख़्तसर (बयान हुई) है।

(3224) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1480/41, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5332.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बत्ता तलाक़' तीसरी तलाक़ भी बत्ता है क्योंकि इसके बाद रुजू नहीं हो सकता क्योंकि बत्ता के मआनी मुन्क़तअ कर देने वाली के हैं। **(2)** 'तस्दीक़ फ़रमाई' क्योंकि जब ख़ाविन्द रुजू नहीं कर सकता तो वह इद्दत के दौरान में अख़राजात और रिहाइश का ज़िम्मेदार क्यूँ हों? ये हदीस़ इस मसले में बिल्कुल वाज़ेह और स़रीह है कि मुतल्लक-ए-स़लास़ा ग़ैर हामिला के लिये नफ़क़ा है न सुक्ना। इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) का यही मौक़िफ़ है। हज़रत अ़ली, इब्ने अ़ब्बास, जाबिर (رضی الله عنهم) और अ़ता, ताऊस, हसन, इक्रिमा, इस्हाक़, अबू स़ौर वग़ैरह फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन (رحمهم الله) का भी यही मौक़िफ़ है और यही स़ही है। मुसनद अहमद में है कि नबी-ए-अकरम

(ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) से फ़रमाया: 'मर्द पर औरत का नान व नफ़्क़ा और रिहाइश इस सूरत में है जब तलाक़े रजई हो, और जब तलाक़े रजई न हो तो फिर मर्द के ज़िम्मे न उसका नान व नफ़्क़ा है और न रिहाइश।' (मुसनद अहमद: 6/416, 417) और तबरानी की एक रिवायत में है कि 'जब औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह किये बग़ैर पहले के लिये हलाल न हो सकती हो तो उस औरत के लिये (पहले ख़ाविन्द के ज़िम्मे) नान व नफ़्क़ा है न रिहाइश।' (अल मोजम अल कबीर लित्तब्रानी: 24/382, 383)

अहनाफ़ का मौक़िफ़ है कि उसे नफ़्क़ा और सुक्ना दोनों मिलेंगे। हज़रत उमर, इब्ने मसऊद (رضي الله عنه), इब्ने अबी लैला और सुफ़ियान सौरी का भी यही मौक़िफ़ है। हज़रत उमर (رضي الله عنه) का हज़रत फ़ातिमा(رضي الله عنها) की बात तस्लीम न करना अपने इज्तेहाद की बिना पर था। मुज्तहिद से इज्तेहाद में ग़लती हो जाना अचंभे की बात नहीं, और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सरीह फ़रामीन उनके इज्तेहाद पर मुक़द्दम हैं। अहनाफ़ ने इस हदीस़ को रद्द करने के लिये बहुत ज़्यादा तावीलात की हैं जो क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं, जैसे: ये किसी रावी की ग़लती है। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) ख़ाविन्द के रिश्तेदारों से लड़ती झगड़ती रहती थी, रोज़ रोज़ की तू तकार से उन्हें ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल किया गया। वह घर वीरान जगह था और ख़तरा था कि कोई औबाश दीवार न फँलाग आये। जो नफ़्क़ा ख़ाविन्द ने उनके लिये मुतय्यन किया था, वह उससे ज़्यादा माँगती थीं, और इन्कार ज़्यादा से था न कि अस़ल नफ़्क़ा से, रसूलुल्लाह (ﷺ) की तस्दीक़ भी ज़्यादा की नफ़ी से ताल्लुक़ रखती है, वग़ैरह। इमाम मालिक और शाफ़ेई (رحمهما الله) का मौक़िफ़ है कि इसे रिहाइश मिलेगी नफ़्क़ा नहीं मिलेगा। लेकिन दलाइल की रू से स़ही मौक़िफ़ पहला ही है। वल्लाहु आलम! **(3)** अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) उन मोहतरमा के महरम रिश्तेदार होंगे। या फिर नाबीना और बूढ़े होने की वजह से आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को उनके यहाँ रहने की इजाज़त दी। इससे ये मालूम हुआ कि औरतों के लिये मर्दों का देखना जायज़ है, ताहम जहाँ फ़ित्ने का इम्कान हो, वहाँ उसका जवाज़ नहीं होगा। **(4)** हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) मवाली से थे क्योंकि उनके वालिद आज़ाद करदा गुलाम थे। वैसे बुनियादी तौर पर हज़रत ज़ैद (رضي الله عنه) आज़ाद थे और ख़ालिस़ अरबी थे मगर, दुश्मनों ने क़ैद करके बेच दिया। इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद यही अल्फ़ाज़ हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) का निकाह, जो एक बलन्द मर्तबा आज़ाद ख़ातून थीं, हज़रत उसामा (رضي الله عنه) से कर दिया, अगरचे वह मौला थे।

(3225) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन उत्बा बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स (رضي الله عنه) जो ग़ज़्व-ए-बद्र में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हाजिर हुये थेने हजरत

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ { ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . مُخْتَصَرٌ .

सालिम को मुतबन्ना (मुँह बोला) बेटा बना लिया था और उनका निकाह अपनी भतीजी हिन्द बिन्ते वलीद बिन उत्बा बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स से कर दिया था, हालांकि हज़रत सालिम एक अन्सारी औरत के आज़ादकर्दा ग़ुलाम थे, जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद को मुतबन्ना (मुँह बोला) बेटा बना लिया था। और जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब कोई शख़्स किसी को बेटा बना लेता तो लोग उसको उसी का बेटा कहते। वह उसका वारिस़ भी बनता था यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने इस बारे में ये आयत उतारी: (उदऊहुम लि आबाइहिम हुव..) 'इन (मुतबन्नाओं) को उनके असली बापों की तरफ़ मन्सूब करो अल्लाह तआला के नज़दीक ये बात ज़्यादा क़रीने इन्साफ़ है। अलबत्ता अगर तुम उनके अस़ली बापों को न जानते हो तो उन्हें अपना भाई या मौला कहो।' लिहाज़ा जिस (मुतबन्ना) का बाप मालूम न हो, वह (बेटा बनाने वाले का) मौला या दीनी भाई होगा। (ये हदीस़ इस जगह) मुख़्तस़र (बयान हुई) है।

(3225) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5331, 5333.

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया में मुतबन्ना (गोद लिया हुआ, मुँह बोला बेटा या लेपालक) न तो बेटा होता है न वारिस़। वह अपने अस़ली बाप ही का बेटा है और उसका वारिस़। इसी तरह किसी को ग़ैर बाप की तरफ़ मन्सूब करना भी मना और हराम है। मगर ये कि निस्बत अज्दाद की तरफ़ हो जिस तरह ग़ज़्व-ए-हुनैन में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने आपको 'इब्ने अब्दुल मुत्तलिब' फ़रमाया। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2864, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1776) क्योंकि वह ज़्यादा मशहूर थे और आपके वालिद जवानी ही में फ़ौत हो गये थे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ قَالَ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ { ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ .

(3226) नबी (ﷺ) की दो अज़्वाजे मुतह्हरात हज़रत आयशा (ؓ) और उम्मे सलमा (ؓ) से मन्क़ूल है कि हज़रत अबू हुजैफ़ा बिन उत्बा बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स (ؓ) जो जंगे बद्र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हाज़िर हुए थे, ने हज़रत सालिम (ؓ) जो अन्सार की एक औरत के आज़ादकर्दा गुलाम थे, को बेटा बना लिया था, जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ؓ) को बेटा बनाया था, और हज़रत अबू हुजैफ़ा बिन उत्बा ने हज़रत सालिम का निकाह अपनी सगी भतीजी हिन्द बिन्ते वलीद बिन उत्बा बिन रबीआ से कर दिया था। और हज़रत हिन्द बिन्ते वलीद बिन उत्बा (ؓ) अव्वलीन मुहाजिरीन में से थीं और वह उन दिनों कुरैश की बेवा ख़्वातीन में से अफ़ज़ल ख़ातून थी। जब अल्लाह तआला ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ؓ) के बारे में ये आयत उतारी: (उदऊहुम लि आबाइहिम हु-व अक्सतु इन्दल्लाह) 'मुतबन्नाओं को उनके असली बापों की तरफ़ मन्सूब करो। अल्लाह तआला के नज़दीक ये बात ज़्यादा क़रीने इन्साफ़ है।' तो मुतबन्नाओं में से हर एक को उसके असली बाप की तरफ़ मन्सूब किया गया। अगर उसके बाप का पता न चल सका तो उसे मुतबन्ना बनाने वालों का मौला कहा गया।

(3226) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2061, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5334, व सहीह बुख़ारी, हदीस: 4000, 5088.

बाब : (9) हसब (ख़ानदानी फ़ज़ाइल व मर्तबे) का बयान

باب (۹): الْحَسَبِ

(3227) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दुनिया वालों के नज़दीक हसब सिर्फ़ माल का नाम है जिसका वह ख़्याल रखते हैं। (रिश्तेदारी वग़ैरह के वक़्त)

(3227) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/353, 361, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5335, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1233, 1234, वल हाकिम: 2/163.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ " .

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद मौजूदा और साबिक़ा अबवाब से ये है कि दुनियादार लोग हसब व नसब को रिश्ते की बुनियाद समझते हैं जबकि इस्लाम में दीन, इल्म और तक़्वा को फ़ज़ीलत की बुनियाद क़रार दिया गया है, लिहाज़ा दुनियावी हसब व नसब का लिहाज़ रखना निकाह में ज़रूरी नहीं बल्कि दीनी हसब मोतबर है। कुछ हज़रात ने 'कुफ़ू' के नाम पर हसब व नसब को भी मोतबर समझा है मगर उसे सानवी हैसियत तो दी जा सकती है, अव्वलीन नहीं। गोया दीन और तक़्वा के बाद अगर हसब व नसब भी मिल जाये तो अच्छी बात है वरना निकाह की असल बुनियाद दीन है, लिहाज़ा आज़ाद से गुलाम का निकाह हो सकता है अगर दोनों मुसलमान हों।

बाब : (10) औरत से किस बुनियाद पर निकाह किया जाये?

باب : (۱۰) عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

(3228) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक औरत से निकाह किया। नबी (ﷺ) मुझे मिले और फ़रमाया: 'जाबिर! तूने शादी कर ली है?' मैंने कहा: जी हाँ। फ़रमाया 'कुंवारी से या बेवा से?' मैंने अर्ज़ किया: बेवा से। आपने फ़रमाया: 'तूने कुंवारी से क्यूँ न शादी की? वह तुझसे दिल लगी

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ " . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ " بِكْرًا أَمْ

ثَيِّبًا " . قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا . قَالَ " فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ . قَالَ " فَذَاكَ إِذًا إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

करती।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी कई बहनें हैं। मैंने ख़दशा महसूस किया कि कुंवारी औरत मेरे और उनके दरम्यान रुकावट न बन जाये। आपने फ़रमाया: 'फिर ठीक है। औरत से उसके दीन की वजह से निकाह किया जाता है या माल व जमाल की वजह से। तू दीन वाली औरत को पसन्द कर। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।'

(3228) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1466/54(715), सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5336.

फ़ायदा : 'तेरे हाथ' ये जुम्ला मुहावरे के तौर पर बोला जाता है जिससे मुराद बद दुआ नहीं होती। इस तरह के मुहावरे हर ज़बान ही में पाये जाते हैं। बाक़ी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

باب (۱۱): كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْعَقِيمِ

बाब : (11) बाँझ औरत से शादी करने की कराहत का बयान

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ " .

(3229) हज़रत मअक़िल बिन यसार (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मुझे एक ख़ानदानी और मर्तबे वाली औरत मिली है मगर वह बाँझ है। तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? आपने उसे मना फ़रमा दिया, फिर वह दोबारा आपके पास आया तो आपने फिर मना फ़रमाया, फिर वह तीसरी बार आया। तो आपने फिर रोक दिया। तब आपने फ़रमाया: 'ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली, ख़ूब मोहब्बत करने वाली हों। यक़ीनन मैं तुम्हारी कस़रत की वजह से फ़ख़्र करूँगा।'

(3229) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2050, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5342, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1229, 1230, वल हाकिम: 2/162.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मगर वह बाँझ है।' कुछ बातें मशहूर हो जाती हैं, तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं होती। या मुमकिन है इसकी पहली शादी हुई हो और बच्चे न हुए हों। **(2)** 'मना फ़रमा दिया' क्योंकि निकाह का मक़सद सिर्फ़ शहवत रानी नहीं बल्कि औलाद है। अलबत्ता एक दूसरे का सहारा बनने के लिये निकाह जायज़ है लेकन ये आम तौर पर बड़ी उम्र में होता है। नौजवान आदमी को तन्दुरूस्त औरत ही से शादी करनी चाहिए। **(3)** 'ज़्यादा बच्चे जनने वाली' यानी कुंवारी लड़की क्योंकि बेवा के मुक़ाबले में ये ज़्यादा बच्चे जनती है। या इस बात का पता उसके ख़ानदान और उसकी क़रीबी औरतों से हो सकता है। **(4)** 'फ़ख़्र करूँगा' यानी दूसरे अम्बिया (عليهم السلام) और उम्मतों पर जैसा कि दीगर अहादीस में सराहतन वारिद है। (इर्वाउल ग़लील, हदीस: 1784)

बाब : (12)
बदकार औरत से शादी

باب (١٢): تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ

(3230) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)) से रिवायत है कि हज़रत मर्सद बिन अबी मर्सद ग़नवी (رضي الله عنه) बहुत बहादुर और क़वी शख़्स थे। वह मक्का मुकर्रमा से मुसलमान क़ैदी उठा कर मदीना ले आते थे। उन्होंने फ़रमाया: मैंने एक मुसलमान क़ैदी से तै किया कि मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। मक्का में एक बदकार औरत रहती थी जिसका नाम अनाक़ था। वह (दौरे जाहिलियत में) मुझसे 'दोस्ताना' ताल्लुक़ात रखती थी। (उस दिन) वह निकली तो उसने एक दीवार के साये में मुझे खड़ा देखा। कहने लगी: कौन! मर्सद है? ख़ुश आमदेद और मर्हबा हो ऐ मर्सद! आओ घर चलें, रात हमारे पास ठहरना। मैंने कहा: ऐ अनाक़! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़िना को हराम क़रार दिया है। उसने शोर मचा दिया। ऐ ख़ैमों में रहने वालो! ये वह ख़ार पश्त है जो तुम्हारे क़ैदी मक्का से उठा कर मदीना ले जाता है। मैं ख़न्दमा पहाड़ की तरफ़ भाग निकला (और एक ग़ार में जा छुपा) आठ आदमी

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، - وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا - وَكَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ . قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلاً لأَحْمِلَهُ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلِّ الْحَائِطِ فَقَالَتْ مَنْ هَذَا مَرْثَدٌ مَرْحَبًا وَأَهْلاً يَا مَرْثَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ . قُلْتُ يَا عَنَاقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الزِّنَا . قَالَتْ يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا

الدُّلْدُلُ هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ . فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الأَرَاكِ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتِ { الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ " لاَ تَنْكِحْهَا " .

मेरे पीछे भागे। वह आकर (ऐन उस ग़ार के ऊपर) मेरे सर के सीध में खड़े हो गये और पेशाब करने लगे। यहाँ तक कि उनका पेशाब मेरे ऊपर गिरता था। लेकिन अल्लाह तआला ने उन्हें मुझसे अँधा कर दिया (और वह नाकाम वापस चले गये) मैं फिर अपने उस साथी के पास पहुँचा और उसे उठाया। जब मैं उसे उठा कर पीलू के दरख़्तों के झुण्ड के पास पहुँचा तो मैंने उसकी बेड़ियाँ तोड़ीं। फिर मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आ गया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अनाक से निकाह कर लूँ? आप ख़ामोश रहे, फिर ये आयत उतरी: (अज़्ज़ानियतु ला यकिहुहा इल्ला ज़ानिन .....) 'ज़ानी औरत से ज़ानी मर्द या मुश्रिक ही निकाह करता है।' आपने मुझे बुलाया, ये आयत मेरे सामने तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया: 'तू उससे निकाह मत कर।'

(3230) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2051, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5338, तिर्मिज़ी, हदीस: 3177, व सहीह अल हाकिम: 2/166.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'क़वी और बहादुर' अपने दौरे जाहिलियत में ये चोर और डाकू थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी आदत के पेशे नज़र उन्हें मुसलमान क़ैदी उठा लाने पर मुक़र्रर फ़रमा दिया।(ﷺ). उन्होंने ये ख़िदमत लिवज्हिल्लाह अंजाम दी। **(2)** 'ख़ार पश्त' उर्दू में इसे सया कहते हैं जो अपने जिस्म के काँटों से अपना दिफ़ा करती है। तश्बीह रात के वक़्त आने में होगी। **(3)** 'निकाह कर लूँ' ताकि पर्दा भी रहे और क़ैदी भी आज़ाद होते रहें। वह शोर भी नहीं मचायेगी। **(4)** मालूम हुआ मोमिन शख़्स मुर्सिर ज़ानिया से निकाह नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर वह मुसलमान हो जाये और ज़िना से तौबा कर ले तो उससे निकाह जायज़ है। मुसलमान बदकार औरत अगर ज़िना पर मस्र हो तो उससे भी मोमिने सालेह को निकाह करना जायज़ नहीं। तौबा की सूरत में कोई हर्ज नहीं। 'ज़ानिया' उसी वक़्त तक कहा जायेगा जब तक वह ज़िना पर क़ाइम रहे। छोड़ दे और तौबा कर ले तो वह ज़ानिया नहीं।

(3231) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मेरे निकाह में एक औरत है जो मुझे सब लोगों से ज़्यादा प्यारी है मगर वह किसी छेड़ छाड़ करने वाले को नहीं रोकती। आपने फ़रमाया: 'उसे तलाक़ दे दे।' वह कहने लगा: मैं उससे सब्र नहीं कर सकता। आपने फ़रमाया: 'फिर इसी तरह फ़ायदा उठाता रह।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि ये हदीस़ सही नहीं है क्योंकि अब्दुल करीम (रावी) क़वी नहीं है, जबकि हारून बिन रिआब इससे ज़्यादा बेहतर है। और उसने इस हदीस़ को मुर्सल बयान किया है। चूंकि हारून सिक़ा है, लिहाज़ा अब्दुल करीम के बजाये उसकी हदीस़ सही कहलाने के ज़्यादा लायक़ है।

(3231) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5340, देखें, हदीस़: 3494.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - عَبْدُ الْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ - قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . قَالَ " طَلِّقْهَا " . قَالَ لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ " اسْتَمْتِعْ بِهَا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ أَثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ وَهَارُونُ ثِقَةٌ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) (ला तरुद्दु यदा लामिसिन) इसके मफ़हूम में इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने इसका मतलब ये बयान किया है कि वह औरत छेड़ छाड़ को बुरा महसूस नहीं करती थी और छेड़ छाड़ करने वाले को रोकती नहीं थी। कुछ ने इससे मुराद माली सख़ावत ली है, यानी वह औरत बहुत ज़्यादा स़दक़ा व ख़ैरात करती थी। ये बात तो पक्की है वह औरत फ़ाहिशा न थी वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे अपने पास ठहराये रखने का इख़्तियार कभी न देते क्योंकि दीनी मसाइल में आप वह्य के बग़ैर नहीं बोलते थे। इरशादे बारी तआला है: (वमा यन्तिक़ु अनिल हवा इन हुव इल्ला वह्युय्यूहा अन्नज्म:53/3) और वह्य में फहाशी की मुमानिअत है। इजाजत नहीं (व यन्हा अनिल फहशाइ

वल्मुन्कर वल्बग़्य)(अल आराफ़ 7/28) और ऐसी बीवी को अगर ख़ाविन्द बर्दाश्त करे तो वह दय्यूस़ कहलाता है। और दय्यूस़ के बारे में वईद है। सख़ावत वाला मफ़हूम भी मोतबर नहीं, इसलिये कि सख़ावत मन्दूब व मतलूब चीज़ है। ऐसी ख़ातून को तम्बीह की जा सकती है, ख़ाविन्द इस पर पाबन्दी आइद कर सकता है और इसका ख़र्च तो कम कर सकता है, लेकिन इस वजह से तलाक़ किसी सूरत भी जायज़ नहीं, न नबी (ﷺ) इसका हुक्म ही दे सकते हैं, और अगर ये मआनी होते तो (यद लामिस) की बजाये यदा मुतलम्मिस होना चाहिये था क्योंकि साइल को मुतलम्मिस कहते हैं लामिस नहीं। बहरहाल इसका राजेह मफ़हूम ये है कि ख़ाविन्द को अपनी बीवी की तबीयत और मिज़ाज का इल्म था। उसने क़राइन की रू से ये अन्दाज़ा लगाया कि अगर कोई उसे छेड़ना चाहे तो ये उसे रोक नहीं सकेगी। फ़िल वाक़ेअ ऐसा हुआ नहीं था। इस ख़दशे का इज़्हार उन्होंने नबी-ए-अकरम(ﷺ) से किया तो इस ख़दशे से बचने के लिये आपने उसे अलग कर देने का मश्वरा दिया, फिर जब उसने इससे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़्हार किया तो आपने इसे अक़्द में रखने का मश्वरा दिया क्योंकि महज़ वहम और अन्देशे की बिना पर उसे अलग कर देना दुरुस्त न था। वल्लाहु आलम!

इमाम इब्ने कसीर (رحمه الله) और शैख़ अतयूबी हफ़िज़हुल्लाह ने भी इसी मफ़हूम को राजेह क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 27/105-107) **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये रिवायत मुर्सल सही है, यानी इसमें हज़रत इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) का ज़िक्र सही नहीं। कुछ ने इस हदीस को मौज़ूअ क़रार दिया है मगर ये बात सही नहीं है। दुरुस्त ये है कि ये हदीस मुत्तसिलन भी हसन सही है क्योंकि ये दीगर सही सनदों से भी इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मुत्तसिलन साबित है। देखिये, हदीस: 3494, 3495.

बाब : (13) ज़िनाकार औरतों से निकाह की मुमानिअत का बयान

باب (١٣): كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ

(3232) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरतों से चार वजूहात की बिना पर निकाह किया जाता है: माल की बिना पर, हसब व नसब की बिना पर, ख़ूबसूरती की बिना पर और दीन की बिना पर। तू दीन वाली को हासिल कर, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1466/53, बुख़ारी,हदीस: 5090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5337.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में स़राहतन तो ज़िनाकार औरतों से निकाह का ज़िक्र नहीं, अलबत्ता आपका फ़रमान: 'दीन वाली को हासिल कर' का नतीजा यही है कि ज़ानिया से निकाह न किया जाये क्योंकि वह दीन वाली नहीं। दीन वाली से मुराद दीन के वाजिबात व नवाही की पाबन्द औरत है। (2) हर मामले में दीनदार लोगों की स़ोहबत इख़्तियार करनी चाहिए कि उनके अख़्लाक़, आदात और फ़ैज़ व बरकात से मुस्तफ़ीद होने का मौक़ा मिलता है। (3) हसब व नसब, जमाल और मालदार ख़ातून से शादी करना मम्नूअ नहीं बल्कि अहम सिफ़त 'दीनदारी' को अहमियत न देना मायूब है। दीनदारी के साथ अगर बाक़ी सिफ़ात भी हों तो सोने पर सुहागा है। लेकिन एक दीनदार ख़ातून का रिश्ता महज़ इस बिना पर ठुकरा देना कि वह मालदार या हसब व नसब वाली नहीं, दुरुस्त नहीं है। (4) कलिमात का वही मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जो मुआशरे में राइज है, वह अच्छा हो या बुरा। ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को नहीं देखा जायेगा, जैसे तरिबत यदाक और सकिलत्का उम्मुक वग़ैरह। बज़ाहिर अल्फ़ाज़ से बद दुआइया कलिमात हैं मगर उनका ज़ाहिरी मफ़हूम मुराद नहीं। (5) आदमी को मुस्तक़बिल और अंजाम कार सोच कर किसी काम का फ़ैसला करना चाहिए। नेक औरत की वजह से आदमी मुस्तक़बिल में सआदत मन्द होगा क्योंकि वह ख़ाविन्द के घर, अहल, माल और उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करेगी, और इताअत और फ़रमांबरदारी को अपनी सआदत समझेगी। उसके बरअक्स ग़ैर सालेह औरत बहुत सी परेशानियों का बाइस़ बनेगी। (6) लोगों की अक्स़रियत निकाह के लिये इन्तेख़ाब में ग़लती करती है। ये अक्स़रियत दलील नहीं बन सकती। दुरुस्त मैयार वही है जो शरीयत ने मुक़र्रर फ़रमाया, यानी दीनदारी को तर्जीह।

बाब : (14) कौन सी औरत बेहतर है?

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ

(3233) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: कौन सी औरत बेहतर है? आपने फ़रमाया: 'वह औरत कि जब ख़ाविन्द उसे देखे तो वह उसे ख़ुश कर दे। और जब उसे कोई हुक्म दे तो वह उसकी इताअत करे और अपने नफ़्स और माल में उसकी मुख़ालिफ़त न करे जिसे वह नापसन्द करता हो।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ " .

(3233) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5343.

फ़ायदा : ख़ाविन्द बीवी की मुवाफ़िक़त के बग़ैर मुआशरा पुर सुकून नहीं रह सकता। अगर दोनों की मसावी हैसियत हो तो मुवाफ़िक़त का इम्कान बहुत कम है, इसलिये बीवी को ख़ाविन्द के ताबेअ कर

दिया गया क्योंकि मर्द बल्कि मुज़क्कर की फ़ज़ीलत फ़ितरतन और अ़मलन मुसल्लम है, लिहाज़ा बेहतरीन बीवी वह है जो अपने ख़ाविन्द के ताबेअ़ फ़रमान रहे ताकि ये मुआशरा जन्नत नज़ीर बन सके। जिस मुआशरे में मर्दोज़न की हैसियत मसावी है, वहाँ मुआशरती बेसुकूनी और इज्दवाजी अब्तरी आ़म है। ख़ाविन्द, बीवी और वालिदैन में मोहब्बत व एहतिराम मफ़क़ूद है जो अमन व इत्मीनान की बुनियाद है।

बाब : (15)नेक औ़रत का बयान

باب (١٥): الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

(3234) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दुनिया सबकी सब वक़्ती फ़ायदे की चीज़ है। और दुनिया के सामान में से बेहतरीन चीज़ नेक औ़रत है।'

(3234) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5344.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ أَنْبَأَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "

फ़ायदा : दुनिया बज़ाते ख़ूद मक़सूद नहीं और न ये बाक़ी ही रहने वाली है बल्कि वक़्ती फ़ायदे के लिये है। दुनिया में से बेहतरीन चीज़ नेक औ़रत है क्योंकि ख़ाविन्द का बीवी के साथ हर वक़्त का ताल्लुक़ है। अगर वह अच्छी है तो पूरी दुनिया व ज़िन्दगी अमन व सुकून से गुज़रेगी। और अगर औ़रत अच्छी न हुई तो हर वक़्त झगड़ा रहेगा, परेशानी का दौर दौरा होगा और ज़िन्दगी जहन्नुम हो जायेगी।

बाब : (16) ग़ैरत (रश्क) वाली औ़रत का बयान

باب (١٦): الْمَرْأَةِ الْغَيْرَاءِ

(3235) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप अन्सारी औ़रतों में से किसी के साथ शादी नहीं फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: 'उनमें ग़ैरत बहुत है।'

(3235) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी हातिम.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ قَالَ " إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً " .

फ़ायदा : अन्सार धीमे मिज़ाज के लोग थे, इसलिये उनकी औ़रतें उन पर ग़ालिब थी। वह उनसे डरते

थे। इस तरह अन्सारी औरतों के मिज़ाज में कुछ हिद्दत पैदा हो गई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) की पहले से बीवियाँ थी। और तेज़ मिज़ाज वाली औरत का अपनी सौकनों और ख़ाविन्द से निबाह नहीं होता बल्कि मुस्तक़िल सर दर्दी बन जाती है। आपने शायद इसी लिये अन्सार में निकाह नहीं फ़रमाया।

बाब : (17) शादी से पहले औरत को देखने का जवाज़

إِبَاحَةِ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ لاَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا .

(3236) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि एक आदमी ने एक अन्सारी औरत को शादी का पैग़ाम भेजा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने उसे देखा है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: (पहले) उसे देख ले।'

(3236) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1424/75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5345.

फ़ायदा : औरत को तलज़्ज़ुज़ की ख़ातिर देखना मना है। किसी ज़रूरत की ख़ातिर मना नहीं। निकाह एक अहम ज़रूरत है, और सारी ज़िन्दगी का साथ है, इसलिये किसी मुमकिना बदमज़गी से बचने के लिये मुनासिब है कि पहले उसे देख लिया जाये। उसका ये मतलब भी नहीं कि उनके घर जाकर मुतालबा करे, बल्कि किसी हीले बहाने से देख लिया जाये। या फिर घरेलू औरतों के ज़रिये से देखने दिखाने और दीगर ज़रूरी मालूमात हासिल करने का मसला हल कर लिया जाये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا " .

(3237) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक औरत को शादी का पैग़ाम भेजा। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तूने उसे देखा है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसे देख ले। इस तरीक़े से तुम्हारे दरम्यान मोहब्बत व उल्फत पैदा होना ज़्यादा मुमकिन होगा।'

(3237) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1087, व इब्ने माजा, हदीस: 1866, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5346.

बाब : (18) शव्वाल में निकाह करना

باب (١٨): التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ

(3238) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे शव्वाल में निकाह फ़रमाया। और शव्वाल ही में मुझे आपने घर बसाया। हज़रत आयशा (ﷺ) पसन्द फ़रमाती थीं कि उनकी रिश्तेदार औरतों की रुख़सती शव्वाल में हो (आप फ़रमाती थीं:) रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवियों में से कौन मुझसे बढ़ कर आपके यहाँ ख़ुश नसीब साबित हुई?

(3238) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1423.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي

फ़वाइद व मसाइल : (1) शव्वाल का लफ़्ज़ी मआनी ज़रा क़बीह है, इसलिये जाहिलियत के लोग इस महीने को मन्हूस समझते थे और इसमें शादी ब्याह के क़ाइल न थे जैसा कि आज कल लोग मुहर्रम में शादी ब्याह को जायज़ नहीं समझते कि ये सौग का महीना है। उनका अक़ीदा था कि जो जोड़ा शव्वाल में शादी करता है। उनमें बाहमी इख़्तिलाफ़, दुश्मनी और नफ़रत फूट पड़ती है और वह हलाक हो जाते हैं। मगर इस्लाम ऐसे तवह्हुमात का क़ाइल नहीं। वह तमाम मामलात अल्लाह तआला की ज़ात बाबरकात के सुपुर्द करता है, लिहाज़ा एक मुसलमान को किसी महीने में शादी ब्याह से नहीं डरना चाहिए। **(2)** 'पसन्द फ़रमाती थीं' हज़रत आयशा (ﷺ) का ये पसन्द फ़रमाना जाहिलियत के नज़रिये की तर्दीद की बिना पर था और अगली बात 'कौन मुझसे .....' भी इसी लिये थी। **(3)** कुछ अय्याम, अश्ख़ास, औक़ात और महीनों से नहूसत पकड़ना जाहिलियत का काम है। कोई वक़्त मन्हूस नहीं। सारे वक़्त अल्लाह के बनाये हुए हैं। **(4)** 'घर बसाया' यानी तीन साल बाद। **(5)** 'ख़ूश नसीब' रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से जो मोहब्बत, तवज्जा और एहतिराम हज़रत आयशा (ﷺ) को हासिल हुआ, किसी और उम्मुल मोमिनीन को हासिल न हुआ। और उसमें उनकी ज़हानत, फ़तानत, अदब और ख़ुलूस को ज़्यादा दख़ल है। उम्मत की तालीम ख़ुसूसन ख़ांगी उमूर के बारे में उन्हीं के साथ ख़ास है। (ﷺ).

बाब : (19)
निकाह के लिये पैग़ाम भेजने का बयान

باب(١٩): الْخِطْبَةِ فِي النِّكَاحِ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ - قَالَتْ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلاَهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ " . فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ . فَقَالَ " انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ " . وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ . قَالَ " لاَ تَفْعَلِي فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ

(3239) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से मरवी है जो कि अव्वलीन मुहाजिर औरतों में से थीं, कहती हैं: मुझे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और चन्द दूसरे सहाबा ने शादी का पैग़ाम भेजा लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपने आज़ादकर्दा ग़ुलाम हज़रत उसामा बिन ज़ैद(ﷺ) के लिये तलब फ़रमा लिया। और उससे पहले मैं ये सुन चुकी थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जो शख़्स मुझसे मोहब्बत रखता है, वह उसामा से मोहब्बत रखे।' चुनांचे जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे इस बारे में बात फ़रमाई तो मैंने अर्ज़ किया: मेरे बारे में आपको कुल्ली इख़्तियार हासिल है आप जिससे पसन्द फ़रमायें, मेरा निकाह फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'तुम उम्मे शरीक (ﷺ) के घर चली जाओ।' हज़रत उम्मे शरीक (ﷺ) मालदार अन्सारी ख़ातून थीं और अल्लाह तआला के रास्ते में बहुत कुछ ख़र्च किया करती थी। उनके यहाँ (बहुत) मेहमान आया करते थे। मैंने कहा: ठीक है। मैं चली जाऊँगी। फिर आपने फ़रमाया: 'तू ऐसे न करना क्योंकि उम्मे शरीक के घर तो अक्सर मेहमान आते रहते हैं। मुझे ये बात नापसन्द है कि तेरे सर से ओढ़नी सरक जाये या तेरी पिण्डलियों से कपड़ा हट जाये, फिर लोग तुझे (खुले बदन) देखेंगे तो तुझे ये नापसन्द होगा, इसलिये तू अपने चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन उम्मे मक्तूम के

خِمَارَكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " . وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ . مُخْتَصَرٌ .

घर मुन्तक़िल हो जा। और वह बनी फ़हर क़बीले से ताल्लुक़ रखते हैं।' मैं उनके यहाँ मुन्तक़िल हो गई। रिवायत मुख़्तसर है।

(3239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3942/119, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5353.

फ़वाइद व मसाइल : (1) निकाह का पैग़ाम भेजना कोई मायूब बात नहीं और न किसी को इस पर नाराज़ होना चाहिए। जब तक कोई चीज़ तलब न की जाये, वह कैसे मिल सकेगी? अलबत्ता पैग़ाम औरत के वली को भेजा जाये। बेवा को बराहे रास्त भी पैग़ाम भेजा जा सकता है। वह अपने औलिया के मश्वरे से जवाब देगी। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) को आख़री तलाक़ हो गई थी और इद्दत ख़त्म हो चुकी थी। दौराने इद्दत शादी का पैग़ाम मम्नूअ है। हदीस की तर्तीब में फ़र्क़ है। **(2)** 'मालदार ख़ातून' ये तर्जुमा है ग़निया का। कुछ नुस्ख़ों में लफ़्ज़ इतिय्या है, यानी बूढ़ी ख़ातून थी। ये मआनी भी सही हैं। तभी तो उनके पास अजनबी मेहमान आकर ठहरते थे। और उन्हें खाना खिलाती थी।

باب (٢٠): النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

बाब : (20) किसी के पैग़ामे निकाह पर पैग़ामे निकाह भेजने की मुमानिअत का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ " .

(3240) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स किसी दूसरे के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ामे निकाह न भेजे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1412, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5354, बुख़ारी, हदीस: 5142.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी के पैग़ाम पर पैग़ाम भेजना अख़लाक़ के मुनाफ़ी है बल्कि हसद और ख़ुदग़र्ज़ी का आइनादार है, इसलिये इस्लाम ने इससे मना फ़रमाया है। शरीयते इस्लामी का ये तुर्र-ए-इम्तियाज़ है कि ये फ़र्द और मुआशरे की इस्लाह करती है, बाहमी उल्फ़त और मवद्दत की तर्ग़ीब और इख़्तिलाफ़, दुश्मनी और नफ़रत का सबब बनने वाली हर चीज़ से रोकती है। **(2)** हाँ अगर पैग़ाम रद्द हो जाये या औरत और उसके वली मज़ीद पैग़ामात के ख़्वाहिशमन्द हों या पहले पैग़ाम भेजने वाला इजाज़त

दे दे या एक ही वक़्त में दो तीन पैग़ाम आ जायें तो कोई हर्ज नहीं, पैग़ाम भेजा जा सकता है। मना तब है जब बातचीत चल रही हो और रुझान हो चुका हो, पैग़ाम क़बूल हो चुका हो या क़बूलियत के क़रीब हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .

(3241) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'धोखादेही के लिये भाव न बढ़ाओ। कोई शहरी किसी देहाती का सामान न बेचे। कोई शख़्स अपने भाई के सौदे पर सौदा न करे और न अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम भेजे। और न कोई औरत अपनी सौकन की तलाक़ का मुतालबा करे कि उसके बर्तन में जो है उसे उलटा दे (उसे हासिल होने वाले फ़वाइद से महरूम कर दे।)'

(3241) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 2140, मुस्लिम, हदीसः 1413.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'भाव बढ़ाओ' यानी चीज़ ख़रीदने की नियत नहीं होती, सिर्फ़ ग्राहक को धोखा देने की नियत से ज़्यादा भाव लगा देता है ताकि वह फँस जाये। ये धोखादेही और ज़ुल्म है, लिहाज़ा मना है। **(2)** 'सामान न बेचे' क्योंकि इस तरह मँहगाई बढ़ेगी। हाँ उसके लिये सामान ख़रीद सकता है क्योंकि उसमें मँहगाई का ख़तरा नहीं बल्कि मँहगाई में कमी आयेगी। **(3)** 'सौदा न करे' जब तक पहला शख़्स सौदा कर रहा है, किसी दूसरे को भाव बिगाड़ने की इजाज़त नहीं। हाँ उनका सौदा न हो सके तो कोई दूसरा शख़्स भी सौदा कर सकता है। **(4)** 'मुतालबा करे' यानी पहली बीवी को तलाक़ दो वरना निकाह न करूँगी। ये नाजायज़ है क्योंकि ये ख़ुदग़र्ज़ी है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .

(3242) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई शख़्स अपने (दीनी) भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम न भेजे।'

(3242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/462, मौताः 2/523, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5355, बुख़ारी, हदीसः 5143.

أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ " .

(3243) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम न भेजे यहाँ तक कि वह निकाह कर ले या पैग़ाम छोड़ दे।'

(3243) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1413, देखें, हदीस: 4506.

फ़ायदा : 'यहाँ तक कि निकाह कर ले' यानी दूसरे शख़्स को इन्तेज़ार करना चाहिए, देखे कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर उनकी बातचीत कामयाब हो जाये और निकाह हो जाये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बात तै न हो सके तो फिर दूसरा शख़्स भी पैग़ाम भेज सकता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

(3244) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स अपने किसी (दीनी) भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम न भेजे।'

(3244) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1408/38, हदीस: 3297.

باب (٢١): خِطْبَةِ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ

बाब : (21) जब पहले पैग़ाम भेजने वाला इरादा तर्क कर दे या इजाज़त दे दे तो कोई दूसरा पैग़ाम भेज सकता है

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى

(3245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि तुममें से कोई शख़्स किसी दूसरे के सौदे पर सौदा करे या उसके पैग़ामे निकाह पर पैग़ाम भेजे, यहाँ तक कि पहले पैग़ाम भेजने वाला इरादा तर्क कर दे या दूसरे को इजाज़त दे दे।

بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

(3245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5142.

फ़ायदा : अगर एक शख़्स सौदा कर रहा है तो किसी दूसरे के लिये जायज़ नहीं कि वह सौदा शुरू करे, भले सौदा हो चुका हो।

أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُمَا سَأَلاَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شَىْءٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لأَطْلُبَنَّهَا وَلاَ أَقْبَلُ هَذَا . فَقَالَ الْوَكِيلُ لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ . قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلاَنَةَ " . قَالَتْ وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ " اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(3246) अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान और मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन स़ौबान से रिवायत है कि इन दोनों ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस(ﷺ) से उनके मामले के मुताल्लिक़ पूछा तो हजरत फातिमा बिन्ते क़ैस ने फ़रमाया: मुझे मेरे ख़ाविन्द ने तीन तलाक़ें दे दीं। और मुझे खाने-पीने के लिये नाकाफ़ी ख़र्चा भेजा। मैंने कहा: अगर रिहाइश और खाने-पीने का ख़र्चा मेरा हक़ बनता है तो अल्लाह की क़सम! मैं पूरा पूरा ख़र्चा तलब करूँगी, ये मामूली सा ग़ल्ला नहीं लूँगी। (मेरे ख़ाविन्द के) वकील ने कहा: तेरे लिये (क़ानूनी तौर पर) रिहाइश या नफ़्क़ा (ख़र्चा) नहीं है। मैं नबी (ﷺ) के पास गई और आपसे ये बात ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'तेरे लिये (दौराने इद्दत में) रिहाइश और ख़र्चा नहीं है। तू फ़ुलां औरत (उम्मे शरीक) के यहाँ इद्दत गुज़ार ले।' जबकि उस औरत के पास रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़हाबा अक्सर आते जाते रहते थे। फिर आपने फ़रमाया: 'तू इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ार। वह नाबीना शख़्स है। फिर जब तेरी इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे बतलाना।' जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो मैंने आपको बतलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुझे

الله عليه وسلم " وَمَنْ خَطَبَكِ " . فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ غُلاَمٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لاَ شَىْءَ لَهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لاَ خَيْرَ فِيهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ . فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَكَحَتْهُ .

शादी का पैग़ाम किस किस ने भेजा है?' मैंने कहा: एक तो मुआविया ने और एक कुरैशी शख़्स ने। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुआविया तो कुरैश के नौजवानों में से एक नौजवान है। उसके पास कोई माल वग़ैरह नहीं। और दूसरा शख़्स (अबू जहम) साहिबे शर (बीवियों को बहुत ज़्यादा पीटने वाला) है, उसमें भलाई नहीं है। लेकिन तू उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर ले।' मुझे ये बात अच्छी न लगी लेकिन आपने तीन दफ़ा यही कहा तो मैंने हज़रत उसामा (رضی اللہ عنہ) से निकाह कर लिया।

(3246) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1480/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5351.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तीन तलाक़ें दे दें' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि तीन तलाक़ें इकट्ठी दी थीं लेकिन हक़ीक़त में ऐसे नहीं, बल्कि तीन तलाक़ें अलग अलग दी थीं जैसा कि रिवायात में इसकी वज़ाहत है। ये हदीस पीछे (3224 के तहत) गुज़र चुकी है। इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं कि उन्होंने जो तलाक़ बाक़ी रह गई थी वह दी, यानी तीसरी तलाक़, जबकि उससे पहले वह दो तलाक़ें दे चुके थे। **(2)** पिछली अहादीस में पैग़ाम पर पैग़ाम से रोका गया है। इस रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआविया और अबू जहम के पैग़ामाते निकाह पर उसामा से निकाह का पैग़ाम इरशाद फ़रमाया। दरअसल वह आपसे मश्वरा लेने आई थी। आपने मुख़्लिसाना मश्वरा इरशाद फ़रमाया। वाक़ेअतन हज़रत उसामा (رضی اللہ عنہ) से उनका निकाह बाबरकत साबित हुआ। **(3)** आप हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की तबीयत से वाक़िफ़ थे कि ये कम माल वाले के साथ गुज़ारा न कर सकेगी इसलिये आपने मुआविया के साथ निकाह से रोक दिया। वरना निकाह में माल की बजाये अख़लाक़ और दीन देखा जाता है। **(4)** 'साहिबे शर है' यहाँ शर से मुराद शरारती नहीं बल्कि उसकी वज़ाहत कुछ दूसरी रिवायात में आती है कि वह सख़्त है, मारता पीटता है, उसके साथ भी तेरा गुज़ारा न होगा। **(5)** 'अच्छी न लगी' क्योंकि हज़रत उसामा (رضی اللہ عنہ) आज़ादकर्दा गुलाम के बेटे थे। उनकी वालिदा भी आज़ादशुदा लौण्डी थीं, और रंग के साँवले थे।

बाब : (22) जब कोई औरत किसी से पैग़ाम भेजने वाले के बारे में मश्वरा करे तो क्या वह शख़्स उसकी मालूम ख़ूबियाँ और उयूब बतला सकता है?

باب: (٢٢)
إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ

(3247) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि (मेरे ख़ाविन्द) अबू अम्र बिन हफ़्स (ﷺ) ने मुझे पक्की तलाक़ दे दी जबकि वह मेरे पास मौजूद न थे। तो उनके वकील ने मेरे पास कुछ जौ वग़ैरह भेजे। मैंने वह पसन्द न किये। वकील कहने लगा: अल्लाह की क़सम! तेरे लिये तो हमारे ज़िम्मे कुछ बनता ही नहीं। मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गई और सारी सूरते हाल गोशे गुज़ार की। आपने फ़रमाया: 'तेरे लिये ख़र्चा (ख़ाविन्द के ज़िम्मे) नहीं बनता।' और आपने मुझे हज़रत उम्मे शरीक (ﷺ) के घर इद्दत गुज़ारने का मश्वरा दिया। फिर आप (ख़ुद ही) फ़रमाने लगे: 'उस औरत के पास मेरे (मेहमान) सहाबा आते जाते रहते हैं, लिहाज़ा तू इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ार ले क्योंकि वह नाबीना शख़्स है। तू वहाँ अपने (फ़ालतू) कपड़े उतार सकती है। फिर जब तेरी इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे इत्तिला करना।' जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने आपको बताया कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू जहम (ﷺ) ने मुझे शादी का पैग़ाम भेजा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू जहम तो हर वक़्त कंधे पर लाठी उठाये रखता है, कभी नहीं उतारता और रहा मुआविया! तो वह फ़क़ीर है। उसके पास ज़्यादा माल नहीं। लेकिन तू उसामा से निकाह कर ले।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا

مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

मैंने नापसन्द किया। आपने फिर फ़रमाया: 'तू उसामा से निकाह कर ले।' चुनांचे मैंने उनसे निकाह कर लिया। तो अल्लाह तआला ने इस निकाह मे भलाई और बरकत डाली यहाँ तक कि मुझ पर रश्क किया गया।

(3247) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मौता: 2/580, 581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5352.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मश्वरा तलब करने की सूरत में मुताल्लिक़ा शख़्स के अच्छे और बुरे औसाफ़ बयान किये जा सकते हैं। ये चुग़ली या ग़ीबत के ज़ेल में नहीं आता क्योंकि आमाल का दारोमदार नियत पर है, और चूंकि निकाह एक अहम मसला है जिस पर बाक़ी ज़िन्दगी का मदार है, लिहाज़ा ख़ैरख़्वाही के जज़्बे से सही मश्वरा देना और सही मालूमात से आगाह करना फ़र्ज़ है। **(2)** 'रश्क किया गया' कि ख़ाविन्द मिले तो ऐसा। हज़रत उसामा बहुत अच्छे अख़्लाक़ के हामिल थे।(ﷺ).

باب (٢٣): إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ

बाब : (23) जब कोई आदमी दूसरे आदमी से किसी औरत के बारे में मश्वरा ले तो क्या वह मालूम ख़ूबियाँ और उयूब बयान कर सकता है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ

(3248) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि अन्सार में से एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा: मैंने अन्सार की एक औरत को शादी का पैग़ाम भेजा है। आपने फ़रमाया: 'तूने उसे देखा नहीं? अन्सार की आँखों में कुछ ख़राबी होती है।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि मैंने एक और जगह ये हदीस इस तरह पाई है कि यज़ीद बिन कैसान ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से बयान किया, जबकि सही ये है कि ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से है।

آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ وَالصَّوَابُ أَبُو هُرَيْرَةَ .

(3248) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1424, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5348, 5349.

फ़ायदा : ख़राबी से मुराद या तो भेंगा होना है या छोटा होना या फिर नीलगूं होना। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا " .

(3249) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने एक (अन्सारी) औरत से शादी करने का इरादा किया तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे देख लेना, क्योंकि अन्सार की आँखों में कुछ ख़राबी होती है।

(3249) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5347.

باب : (۲۴)
عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى

बाब : (24)
आदमी का किसी नेक शख़्स को अपनी बेटी से निकाह की पेशकश करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ - يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيتُهُ

(3250) हज़रत उमर (ﷺ) से मरवी है कि (मेरी बेटी) हफ़्सा बिन्ते उमर (ﷺ) ख़ुनैस बिन हुज़ाफ़ा (ﷺ) से बेवा हो गईं। ये खुनैस, नबी(ﷺ) के सहाबा में से थे। बद्र में भी हाज़िर हुए थे। मदीना मुनव्वरा में फ़ौत हो गये। मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से मिला और उन्हें हफ़्सा से निकाह की पेशकश की। मैंने कहा: अगर आप मुनासिब समझें तो मैं हफ़्सा का निकाह आपसे कर दूँ? वह कहने लगे: मैं इस बारे में ग़ौरो फ़िक्र करूँगा। चन्द दिन गुज़रे तो मैं फिर उन्हें मिला तो वह कहने लगे: आज कल मेरा निकाह करने का इरादा नहीं है। हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से मिला और उनसे कहा: अगर आप

فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضى الله عنه فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا .

पसन्द फ़रमायें तो मैं हफ़्सा का निकाह आपसे कर दूँ? उन्होंने मुझे कुछ जवाब न दिया। मुझे उन पर हज़रत उस्मान से भी बढ़ कर नाराज़ी थी। चन्द दिन बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे उनके निकाह का पैग़ाम भेज दिया। मैंने (बसद ख़ुशी व ख़ूबी) आपसे हफ़्सा का निकाह कर दिया। बाद में मुझे अबू बक्र मिले और कहने लगे: शायद आप उस वक़्त मुझ से नाराज़ हो गये होंगे जब आपने मुझे हफ़्सा के निकाह की पेशकश की थी और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा: हाँ। वह कहने लगे कि जब आपने मुझे पेशकश की थी तो आपको जवाब देने से मुझे कोई चीज़ मानेअ रु नहीं थी मगर ये कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इन (हफ़्सा) का तज़्किरा फ़रमाते सुना था। और मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का राज़ फ़ाश नहीं कर सकता था। हाँ, अगर आप (ﷺ) उन्हें पैग़ाम न भेजते तो मैं उनसे निकाह कर लेता।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5129, अल मग़ाज़ी: 12: 4005, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रसूलुल्लाह (ﷺ) का राज़' जवाब देने की सूरत में राज़ फ़ाश होने की नौबत आ सकती थी। इधर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई क़तई फ़ैसला न फ़रमाया था। मुमकिन था आपकी राय बदल जाती। ऐसी सूरते हाल में इफ़्शा-ए-राज़ फ़रीक़ैन के दरम्यान कदूरत का ज़रिया बन सकता था, इसलिये हज़रत अबू बक्र (رضی اللہ عنہ) ने ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई। (رضی اللہ عنہ). **(2)** ये हदीस इस बात की दलील है कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ख़ैरख़्वाह, मोहब्बत और प्यार करने वाले थे, उनमें किसी क़िस्म की बाहमी मुनाफ़रत, चिपक़लिश और दुश्मनी नऊज़ुबिल्लाह न थी, वरना दुश्मन को अपनी बेटी कोई नहीं देता। **(3)** अगर वली को पता हो कि मेरे मुन्तख़बकर्दा रिश्ते को नापसन्द नहीं किया जायेगा तो वह अपनी ज़ेरे विलायत लड़की से मश्वरा किये बग़ैर उसका निकाह कर सकता है, ख़्वाह वह कुंवारी हो या शौहर दीदा। **(4)** सय्यिबा भी वली की इजाज़त के बग़ैर अपना निकाह नहीं कर सकती बल्कि वली की इजाज़त उसके लिये भी ज़रूरी है।

बाब : (25)
औरत का अज़ ख़ुद किसी नेक आदमी को निकाह की पेशकश करना

باب : (٢٥)
عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى

(3251) हज़रत स़ाबित बुनानी से रिवायत है कि मैं हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के पास था जबकि उनकी एक बेटी भी उनके पास मौजूद थी। हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और उसने आपको निकाह की पेशकश की और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपको मुझसे निकाह की ज़रूरत है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ فِيَّ حَاجَةٌ

(3251) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5361.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पीछे गुज़र चुका है कि उस दौरे हिजरत में कुछ ख़्वातीन के नसबी औलिया नहीं थे (क्योंकि वह कुफ़्र पर क़ाइम थे) इसलिये वह अपने औलिया के बजाये ख़ुद निकाह की बात करने पर मजबूर थी। ऐसे हालात में ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। हाकिमे आला होने की वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके 'वली' थे। एहतिरामन उन्होंने पहले आपको निकाह की पेशकश की वरना उनका मक़सद सिर्फ़ निकाह था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी औरत की ऐसी पेशकश को क़बूल न फ़रमाया जब तक यही पेशकश उनके औलिया ने नहीं की। (ﷺ). **(2)** अगर मुख़्तलिफ़ रिश्ते आये हों और उनमें कोई दीनदार रिश्ता हो तो औरत अपने औलिया को उसकी तरफ़ तवज्जा दिला सकती है। इसमें इन्शाअल्लाह कोई क़िल्लते हया या अदमे हया वाली बात नहीं, ये औरत की अपनी रग़बत है जो उसके लिये दुनिया व आख़िरत में नफ़ा का सबब है। **(3)** हर मामले में आख़िरत को दुनिया पर तर्जीह देनी चाहिए।

(3252) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) को निकाह की पेशकश की। (ये सुन कर) हज़रत अनस (ﷺ) की एक बेटी हँसने लगी और कहा: वह औरत किस क़द्र कम हया वाली थी। हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाने लगे: वह तुझसे ज़्यादा बेहतर थी कि उसने

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ

فَقَالَتْ مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا . فَقَالَ أَنَسٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

नबी(ﷺ) को निकाह की पेशकश की।

(3252) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5362.

फ़ायदा : हज़रत अनस (ؓ) की बेटी मोहतरमा ने शायद ऊपर दी गई इल्लत पर ग़ौर नहीं किया, वरना अपने निकाह की बात करना 'बेहयाई' नहीं ख़ुसूसन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जो कि उसके क़ानूनी और शरई वली थे। और फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) से निकाह की ख़्वाहिश तो इन्तेहाई नेक ख़्वाहिश है कि दुनिया में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत, आपसे हुसूले तर्बियत और हरमे नबवी में शमूलियत जैसे फ़वाइद व फ़ज़ाइल हासिल होंगे और जन्नत में हमेशा के लिये आपका साथ नसीब होगा। इससे बड़ी सआदत और क्या हासिल हो सकती है? (ؓ).

باب (٢٦): صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتِهَا رَبَّهَا

बाब : (26) जब औरत को निकाह का पैग़ाम आये तो वह नमाज़ पढ़ कर अपने रब से इस्तेख़ारा करे

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ " اذْكُرْهَا عَلَىَّ " . قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ . فَقَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُسْتَأْمِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ .

(3253) हज़रत अनस (ؓ) से मरवी है कि हज़रत ज़ैनब (बिन्ते जहश) (ؓ) की इद्दत ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (उनके साबिक़ ख़ाविन्द) ज़ैद (बिन हारिस़) (ؓ) से फ़रमाया: 'उसे मेरी तरफ़ से निकाह का पैग़ाम दो।' हज़रत ज़ैद (ؓ) ने फ़रमाया: मैंने जाकर कहा: जैनब! ख़ुश हो जाओ, मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तेरे पास निकाह का पैग़ाम देकर भेजा है। वह कहने लगीं मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगी यहाँ तक कि अपने रब तआला से मश्वरा कर लूँ। वह अपनी नमाज़गाह की तरफ़ उठीं और (नमाज़े इस्तिख़ारा शुरू कर ली) इधर क़ुर्आन मजीद (का हुक्म) उतर आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और उनकी इजाज़त के बग़ैर (उनके हुजे में) दाख़िल हो गये।

(3253) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1428.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत ज़ैनब (ؓ) का निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुआ था मगर अन बन रही। आख़िर तलाक़ तक नौबत पहुँच गई। हज़रत ज़ैद (ؓ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुतबन्ना (मुँह बोले, लेपालक बेटे) थे। इससे पहले ये हुक्म उतर चुका था कि मुतबन्ना बेटा नहीं होता, न वह वारिस़ होता है। अल्लाह तआला इस हुक्म को अमलन नाफ़िज़ फ़रमाना चाहता था, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुक्म दिया गया कि अगर ज़ैद तलाक़ दे दें तो आप ज़ैनब से निकाह फ़रमा लें ताकि अमलन वाज़ेह हो जाये कि मुतबन्ना बेटा नहीं। उसकी मुतल्लक़ा बीवी से निकाह हो सकता है। आप लोगों की मलामत से डरते थे, इसलिये कोशिश फ़रमाई कि ज़ैद तलाक़ न दे लेकिन अल्लाह तआला के फ़ैसले को कौन टाल सकता है? हज़रत ज़ैद ने तलाक़ दे दी। इद्दत ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ब अम्रे इलाही हज़रत ज़ैनब (ؓ) को निकाह का पैग़ाम भेजा। उन्होंने अल्लाह तआला से इस्तेख़ारा किया। अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में आयत उतार दी कि अब जबकि इद्दत ख़त्म हो चुकी है, हमने तुम्हारा निकाह इससे कर दिया। दोनों अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी थे। ख़ाविन्द बीवी बन गये। (2) 'मश्वरा कर लूँ' इसका ये मतलब नहीं कि वह आप (ﷺ) के अक़्द में आना पसन्द न फ़रमाती थी। वह तो पहले निकाह से क़ब्ल भी आपसे निकाह की ख़्वाहिशमन्द थी। उनका इस्तेख़ारा या तो पहले निकाह की नाकामी का नफ़्सयाती अस़र था या वह इस बिना पर मुतरद्दिद थीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक़ूक़ स़ही तौर पर अदा कर सकेंगी या नहीं? (3) 'क़ुर्आन मजीद का हुक्म उतर आया' और ये वह आयत है जिसमें हज़रत ज़ैद (ؓ) का नाम नामी स़राहतन ज़िक्र है। इरशादे इलाही है: (फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम्मिन्हा वतरन ज़व्वज्नाकहा) (अल अहज़ाब: 33/37) इस फ़ज़ीलत में कोई दूसरे स़हाबी उनके साथ शरीक नहीं।(ؓ). (4) इस्तेख़ारा मशरूअ है। (5) इस्तेख़ारा करना मुस्तहब है अगरचे काम ज़ाहिरन बेहतर ही मालूम हो रहा हो।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ . وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ

(3254) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) से मरवी है कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते हजश (ؓ) नबी(ﷺ) की दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात पर फ़ख़्र किया करती थीं कि अल्लाह तआला ने मेरा निकाह आसमानों पर फ़रमाया, और उनके बारे में पर्दे वाली आयत उतरी।

(3254) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 7421.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ (ज़व्वज्नाकहा) दलालत करते हैं कि

उनका निकाह ज़मीन पर नहीं हुआ बल्कि अल्लाह तआ़ला के इन अल्फ़ाज़ से ही निकाह का इन्अ़िक़ाद हो गया। इसके अ़लावा उनके अलग निकाह का स़राहतन ज़िक्र भी नहीं। इस ऐतबार से हज़रत ज़ैनब (ﷺ) का ये फ़ख़्र बजा था कि उनका निकाह आसमानों पर हुआ है, जबकि दूसरी अज़्वाज का निकाह उनके औलिया ने अपनी मर्ज़ी से किया। और ये वाक़ेअ़तन फ़ख़्र की बात है। (2) 'पर्दे वाली आयत' इससे सूरह अहज़ाब की आयत मुराद है: (या अय्युहल्लज़ीना ......) (अहज़ाब: 33/53)

बाब : (27) इस्तेख़ारा कैसे किया जाये?

باب (٢٧): كَيْفَ الاِسْتِخَارَةُ

(3255) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तमाम मामलात में इस्तेख़ारा (की दुआ़) सिखाते थे जिस तरह हमें क़ुरआन मजीद की सूरत सिखाते थे। आप फ़रमाते थे: 'जब तुममें से कोई शख़्स किसी काम का इरादा करे तो वह फ़र्ज़ नमाज़ के अ़लावा दो रकअ़त नफ़ल अदा करे, फिर यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तख़ीरुक बिइल्मिक ...) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे इल्म के ज़रिये से तुझसे ख़ैर का तालिब हूँ और तेरी क़ुदरत के ज़रिये से तुझसे मदद का तलबगार हूँ। और तुझसे तेरे अ़ज़ीम फ़ज़्ल का सवाली हूँ (या तेरे अ़ज़ीम फ़ज़्ल की वजह से तुझसे सवाल करता हूँ) क्योंकि तू हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है, मैं क़ुदरत नहीं रखता और तू सब कुछ जानता है, मैं नहीं जानता। तू तमाम ग़ैबों को बख़ूबी जानने वाला है। ऐ अल्लाह! अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन व दुनिया और अंजामकार के लिहाज़ से ..... या आपने फ़रमाया: दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ से ...... बेहतर है तो तू इसे मेरे लिये मुक़द्दर कर दे और इसे मेरे लिये आसान फ़रमा दे, फिर मेरे

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الإِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي

وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ - قَالَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ " .

लिये इसमें बरकत फ़रमा। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन व दुनिया और अंजामकार के लिहाज़ से, या दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ से, बुरा (नुक़सानदेह) है तो इस काम को मुझसे दूर फ़रमा और मेरा रुख़ भी इससे फेर दे और जहाँ भी ख़ैर हो मेरे लिये मुक़द्दर फ़रमा। और फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे।' आपने फ़रमायाः वह (दुआ में) अपने काम का भी ज़िक्र करे।'

(3255) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 1162.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्तेख़ारा से मुराद अल्लाह तआला से ख़ैर तलब करना है। और ये ऐसे काम में होता है जिसका अच्छा या बुरा होना यक़ीनी न हो, या जिसमें तरद्दुद हो, लिहाज़ा इस्तेख़ारा किसी फ़र्ज़, सुन्नत या हराम काम में नहीं हो सकता क्योंकि फ़र्ज़ व सुन्नत का ख़ैर होना और हराम का शर होना पहले से वाज़ेह है। **(2)** इस्तेख़ारा का मक़सद तरद्दुद ख़त्म करना है, लिहाज़ा जब तक तरद्दुद ख़त्म और शरहे सदर न हो और कोई एक काम राजेह मालूम न हो, उस वक़्त तक इस्तेख़ारा जारी रखना चाहिए। **(3)** आम लोग समझते हैं कि इस्तेख़ारे के बाद सोना चाहिए, नींद में सही रास्ता नज़र आयेगा, मगर ऐसा अमल किसी हदीस में ज़िक्र नहीं और न किसी में ख़्वाब का ज़िक्र है। इसी तरह चोरी तलाश करने के लिये इस्तेख़ारे करना कुर्आन व सुन्नत से ख़ारिज बात है। इस क़िस्म के किसी इस्तेख़ारे को हक़ीक़त समझना भी बे'बुनियाद है। रसूलुल्लाह (ﷺ) को बहुत से मामलात में तहक़ीक़ात की ज़रूरत पड़ी मगर आपने ऐसे इस्तेख़ारे नहीं किये बल्कि शवाहिद की मदद से तहक़ीक़ फ़रमाई, लिहाज़ा ऐसे इस्तेख़ारे ढोंग और बेबुनियाद हैं। इनसे नाजायज़ बदगुमानियाँ और बाहमी फ़साद पैदा होता है। **(4)** 'दो रकअत नफ़ल' यानी ख़ालिस नफ़ल फ़र्ज़ व सुनन के अलावा। **(5)** 'अगर तू जानता है' यानी अगर तू उस काम को मेरे लिये बेहतर जानता है। गोया इल्म के बारे में कोई शक नहीं है बल्कि ख़ैर व शर होने के बारे में सवाल का एक अन्दाज़ है। **(6)** 'अपने काम का भी ज़िक्र करे' यानी हाज़ल अम्र की जगह अपनी उस हाजत और काम का नाम ले जिसके बारे में इस्तेख़ारा कर रहा है। **(7)** आदमी को तमाम मामलात में अपने रब की तरफ़ रुजू करना चाहिए। **(8)** अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बन्दे को जो इनाम व इकराम से नवाज़ता है, ये महज़ उसका फ़ेअल है, किसी का अल्लाह पर हक़ नहीं। अहले सुन्नत का यही मज़हब है।

बाब : (28)
बेटे का अपनी माँ का निकाह करवाना

باب (٢٨): إِنْكَاحِ الاِبْنِ أُمَّهُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " . فَقَالَتْ لاِبْنِهَا يَا

(3256) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने मेरे पास अपने निकाह का पैग़ाम भेजा। मैंने क़बूल न किया, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(ﷺ) को अपने निकाह का पैग़ाम देकर भेजा। मैंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ करें कि मैं बहुत ग़ैरत वाली औरत हूँ। (आपकी दूसरी बीवियों से निबाह न हो सकेगा) फिर मेरे (साबिक़ा ख़ाविन्द से मेरे) बच्चे भी हैं, और इस वक़्त मेरे औलिया में से कोई यहाँ मौजूद नहीं। हज़रत उमर(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और आपसे ये बातें ज़िक्र कीं। आपने फ़रमाया: 'दोबारा जाओ और उसे कहो: तुम्हारा ये कहना कि 'मैं ग़ैरत वाली औरत हूँ' तो मैं अल्लाह तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह तआला तेरे (बेजा) ग़ैरत को ख़त्म कर दे। और तुम्हारा ये कहना कि 'मेरे बच्चे हैं' तो तुझे उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, उन्हें ख़र्चा वग़ैरह दिया जायेगा। बाक़ी रही तुम्हारी ये बात कि 'मेरे औलिया में से कोई हाज़िर नहीं' तो सुन ले कि तेरे औलिया में से कोई शख़्स भी ख़्वाह वह हाज़िर हो या ग़ाइब, इस काम को नापसन्द नहीं करेगा।' मैंने अपने बेटे से कहा: ऐ उमर! उठो और मेरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से निकाह कर दो। चुनांचे उसने आपसे मेरा निकाह कर दिया। ये हदीस मुख़्तसर बयान की गई है।

عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهُ . مُخْتَصَرٌ .

(3256) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/295, 317, इब्ने हिब्बान: 5/363, वल हाकिम: 4/16,17, मुस्लिम, हदीस: 918.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन हसन क़रार दिया है और कहा है कि सहीह मुस्लिम में इसका शाहिद मौजूद है। हालांकि सहीह मुस्लिम में इस पूरी हदीस का शाहिद मौजूद नहीं बल्कि कुछ का है। मालूम होता है कि फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ को यहाँ सह्व हो गया है, लिहाज़ा राजेह और दुरुस्त बात ये है कि इस रिवायत का, शाहिद वाले हिस्से के अलावा, बाक़ी हिस्सा ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में इब्ने उमर बिन अबी सलमा मज्हूलुल ऐन है। शैख़ अल्बानी, मौसूआ हदीसिया के मुहक़्क़िक़ीन और अल्लामा अतयूबी (ﷺ) ने इस इल्लत की बिना पर इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 27/186, वलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 44/151, 295) अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर सही है कि बेटा वली बन सकता है। और अगर दीगर औलिया मौजूद न हों तो नाबालिग़ बेटा जो सिन्ने तमीज़ को पहुँच चुका हो वली बन सकता है। (2) 'इद्दत ख़त्म हो गई' ये आली मर्तबत ख़ातून हज़रत अबू सलमा (ﷺ) के निकाह में थीं जो बद्री सहाबी थे। जब वह फ़ौत हुए तो ये बेवा हो गईं। (3) 'बहुत ग़ैरत वाली' औरत में अपने ख़ाविन्द के बारे में ग़ैरत होनी चाहिए मगर इस क़द्र नहीं कि शरीयत की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो, जैसे: सौकन बरदाश्त न करे। हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) का मक़सूद यही ग़ैरत थी जो कि बेजा है। (4) 'नापसन्द नहीं करेगा' गोया निकाह के लिये वली की दिली रज़ामन्दी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वह ख़ुद निकाह करवाये या मौक़े पर मौजूद हो या ज़बानी इजाज़त दे, यानी कम अज़ कम उसे इत्तिला और उसकी रज़ामन्दी शामिल हो। (5) बेटा वली है मगर इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि बाप और बेटा दोनों मौजूद होने की सूरत में बाप मुक़द्दम होगा या बेटा? विरासत पर क़यास करें तो बेटा मुक़द्दम होगा। अगर मर्तबे का लिहाज़ा रखें तो बाप मुक़द्दम होगा। वल्लाहु आलम! गोया दोनों में से कोई भी निकाह करवा दे तो निकाह दुरुस्त होगा, ताहम बाप की मौजूदगी में बाप की रज़ामन्दी ही से बेटा विलायत का फ़रीज़ा अंजाम दे सकता है, महज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं।

إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ

बाब : (29) आदमी अपनी नाबालिग़ बेटी का निकाह कर सकता है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

(3257) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे निकाह फ़रमाया तो वह छः साल की थीं और उन्हें अपने घर बसाया तो नौ साल की थी।

صلی اللہ علیه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ .

(3257) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3894, मुस्लिम, हदीस: 7422/70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5366, मुसनद अहमद: 6/118.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाबालिग़ बेटी का निकाह करने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि बुलूग़त के वक़्त उस बेटी को निकाह के क़ाइम रखने या ख़त्म करने का इख़्तियार है या नहीं? बाप के अलावा कोई और वली नाबालिग़ बच्ची का निकाह करवाये तो बुलूग़त के वक़्त लड़की को निकाह फ़स्ख़ करने का इख़्तियार है। इस पर इत्तेफ़ाक़ है। हदीस की रू से पहली सूरत में भी इख़्तियार है, यानी जब बाप ने निकाह करवाया हो। **(2)** कुछ हज़रात को ताज्जुब है कि नौ साल की बच्ची के साथ शब बसरी किस तरह मुमकिन है? और वह भी पचपन साला आदमी की? हालांकि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। अगर लड़की नौ साल की उम्र में बालिग़ हो जाये तो उसके साथ शब बसरी में कौन सी क़ानूनी या अख़्लाक़ी रुकावट है? जिस्मानी तौर पर बीस साला जवान या पचपन साला आदमी के जिमाअ में कोई फ़र्क़ नहीं। बुलूग़त के लिये कोई मख़्सूस उम्र मुक़र्रर नहीं इसमें आबो-हवा और ख़ूराक का बड़ा अमल दख़ल है। इस बिना पर मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में बुलूग़त की उम्र मुख़्तलिफ़ है, लिहाज़ा इस पर ताज्जुब करने वाले ख़ुद क़ाबिले ताज्जुब हैं। ऐसे लोगों की बिना पर सही अहादीस का इन्कार नहीं किया जा सकता।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیه وسلم لِسَبْعِ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَيَّ لِتِسْعِ سِنِينَ .

(3258) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे सातवें साल में निकाह किया और मैं नौ साल की हुई तो मुझे अपने घर बसाया।

(3258) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5367.

फ़ायदा : छः और सात में इख़्तिलाफ़ नहीं। छः साल उमर हो चुकी थी और सातवाँ शुरू था। दोनों सही हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتِسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا .

(3259) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे नौ साल की उम्र में अपने घर आबाद फ़रमाया और मैं नौ साल आपकी मुबारक सोहबत में रहीं।

तख़रीज (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5369

फ़ायदा : हिजरत के दूसरे साल रुख़्सती हुई और आप मदीना मुनव्वरा में कुल दस साल रहे। फिर अपने अल्लाह को प्यारे हो गये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.

(3260) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे शादी फ़रमाई तो वह नौ साल की थी। आप (ﷺ) फ़ौत हुए तो वह अठारह साल की थी।

(3260) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1411/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5368.

फ़ायदा : कुछ हज़रात जो बज़अमे ख़ुद मुहक़्क़िक़ बनते हैं, हज़रत आयशा (﵂) की उम्र के बारे में ऊपर दी गई अहादीस़ को तस्लीम नहीं करते, हालांकि ये अहादीस़ सही हैं। ख़ुद हज़रत आयशा(﵂) का अपना बयान है जो उनके मुख़्तलिफ़ शागिर्दों ने उनसे नक़ल फ़रमाया है। इतने शागिर्दों को एक ही ग़लती नहीं लग सकती। और फिर उन 'मुहक़्क़िक़ीन' के पास सिवाये चन्द क़यासी बातों के कोई दलील नहीं। तुफ़ है ऐसी तहक़ीक़ पर और अफ़सोस है ऐसी अक़्ल पर।

إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ

बाब : (30) बालिग़ लड़की का निकाह भी उसका बाप ही करेगा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه حَدَّثَنَا قَالَ يَعْنِي تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3261) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (﵁) से मरवी है कि जब (मेरी बेटी) हफ़्सा बिन्ते उमर अपने ख़ाविन्द हज़रत ख़ुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी (﵁) से बेवा हो गई .... और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी थे और मदीना मुनव्वरा में फ़ौत हुए ... तो मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (﵁) के पास गया और उन्हें हफ़्सा से निकाह की पेशकश की। मैंने कहा: अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह हफ़्सा से कर दूँ। वह कहने लगे: मेरा ख़्याल है कि मैं इन दिनों निकाह न करूँ। हज़रत उमर ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (﵁) से मिला

فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ عُمَرُ فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضى الله عنه فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ . فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا . قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَكَرَهَا وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُهَا .

और कहा: अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह हफ़्सा से कर दूँ। अबू बक्र चुप हो गये। मुझे कोई जवाब न दिया। मुझे उ़स्मान की निस्बत उन पर ज़्यादा गुस्सा था। चन्द दिन गुज़र गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके निकाह का पैग़ाम भेज दिया और मैंने आपसे उसका निकाह कर दिया, फिर मुझे अबू बक्र मिले और कहने लगे: शायद उस वक़्त आप मुझ पर नाराज़ हो गये थे जब आपने मुझे हज़रत हफ़्सा के निकाह की पेशकश की थी और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था? मैंने कहा: बिल्कुल। वह कहने लगे: आपने जो मुझे पेशकश की थी उसका जवाब देने में मुझे कोई चीज़ मानेअ़ रु नहीं थी मगर मुझे इल्म था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे निकाह का ज़िक्र फ़रमाया था। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का राज़ फ़ाश नहीं कर सकता था। अलबत्ता अगर रसूलुल्लाह(ﷺ) निकाह न फ़रमाते तो मैं ज़रूर निकाह कर लेता।

(3261) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5364.

फ़ायदा : मालूम हुआ बेवा औ़रत का निकाह भी उसका वली ही करेगा, वह ख़ुद नहीं करेगी। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) बेवा औ़रत के निकाह के लिये वली को शर्त क़रार नहीं देते मगर ये बात दुरुस्त नहीं। वली हर औ़रत के लिये ज़रूरी है। फ़र्क़ ये है कि बेवा के निकाह में वली को रुकावट नहीं बनना चाहिए

बल्कि औरत की राय को मान लेना चाहिए जबकि कुंवारी लड़की के मसले में वली औरत की मुख़ालिफ़त कर सकता है। अलबत्ता निकाह वहीं होगा जहाँ वली और लड़की दोनों राज़ी होंगे। वल्लाहु आलम! (ये हदीस़ तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है, देखिये हदीस़: 3250)

बाब : (31) कुंवारी लड़की से उसके निकाह के बारे में इजाज़त ली जाये

باب : (٣١) اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .

(3262) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत अपने निकाह के बारे में अपने वली से ज़्यादा इख़्तियार रखती है और कुंवारी लड़की से भी उसके निकाह के बारे में इजाज़त ली जाये। और उसकी इजाज़त उसका ख़ामोश रहना (इन्कार न करना) है।'

(3262) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1421/67, मौता: 2/524, 525, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5371.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बेवा औरत' तफ़्सील साबिक़ा हदीस़ के फ़ायदे में देखिये **(2)** 'कुंवारी लड़की' अगरचे औरत के लिये वली की रज़ामन्दी शर्त है मगर औरत की अपनी रज़ामन्दी भी ज़रूरी है। वली की रज़ामन्दी इसलिये कि औरत जज़्बात में आकर ऐसी जगह निकाह न कर बैठे जिसमें औलिया को आर लाहिक़ होती हो और औरत की रज़ामन्दी इसलिये कि उसे सारी ज़िन्दगी गुज़ारनी है। **(3)** 'ख़ामोश रहना' चूंकि कुंवारी लड़की ज़्यादा शर्मीली होती है, ज़रूरी नहीं वह ज़बान से इज़्हार करे, लिहाज़ा उसका ख़ामोश रहना भी जबकि उसके सामने तफ़्सील ज़िक्र कर दी जाये, रज़ामन्दी शुमार होगी, मगर ये ख़ामोशी ख़ौफ़ और नाराज़ी वाली न हो। **(4)** अगर कुंवारी लड़की ज़बान से इन्कार कर दे तो वहाँ उसका निकाह नहीं किया जायेगा।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ

(3263) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत अपने बारे में अपने वली से ज़्यादा इख़्तियार रखती है और नाबालिग़ या कुंवारी लड़की से भी इजाज़त

بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .

ली जाये। और उसका ख़ामोश रहना उसकी तरफ़ से इजाज़त होगा।'

(3263) तख़रीज : (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5372.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .

(3264) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा अपने मामले में ज़्यादा इख़्तियार रखती है। और कुंवारी लड़की से भी उसकी ज़ात के मुताल्लिक़ मश्वरा किया जायेगा, अलबत्ता उसकी ख़ामोशी उसकी इजाज़त (की दलील) है।'

(3264) तख़रीज : (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5373.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .

(3265) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा के मुक़ाबले में वली को इख़्तियार नहीं और नाबालिग़ या कुंवारी से भी मश्वरा कर लिया जाये। अगर वह ख़ामोश रहे तो ये उसकी तरफ़ से इक़रार और इजाज़त है।'

(3265) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 3262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5374, अबू दाऊद: 2100.

फ़ायदा : 'वली को इख़्तियार नहीं' यानी वली को रुकावट डालने का इख़्तियार नहीं बल्कि वह बेवा की बात को तर्जीह दे। ये इस हदीस के सही मआनी हैं जो दीगर अहादीस से भी मुताबिक़त रखते हैं।

बाब : (32)
बाप को चाहिए कि वह कुंवारी बेटी से भी उसके निकाह के बारे में इजाज़त हासिल करे

باب : (٣٢)
اسْتِئْمَارِ الأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .

(3266) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत अपने (निकाह के) बारे में ज़्यादा इख़्तियार रखती है। और कुंवारी लड़की से भी उसका बाप इजाज़त हासिल करे। और उसकी ख़ामोशी इजाज़त ही है।'

(3266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5375, मुस्लिम, हदीस: 1421/67.

बाब : (33)
बेवा औरत से भी (उसके निकाह के बारे में) मश्वरा किया जाये

باب : (٣٣)
اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ " .

(3267) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा का निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे इजाज़त हासिल कर ली जाये। और कुंवारी लड़की का भी निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे मश्वरा कर लिया जाये।' सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त कैसे मालूम होगी? आपने फ़रमाया: 'उसकी इजाज़त ये है कि वह ख़ामोश रहे।'

(3267) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5378, हदीस: 3269.

बाब : (34) कुंवारी लड़की की इजाज़त का बयान

باب (٣٤): إِذْنِ الْبِكْرِ

(3268) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरतों से उनके निकाह के बारे में मश्वरा किया करो।' कहा गया कि कुंवारी लड़की तो शर्मायेगी और चुप रहेगी। आपने फ़रमाया: 'यही उसकी इजाज़त है।'

(3268) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6971, मुस्लिम, हदीस़: 1420, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5376.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " . قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ . قَالَ " هُوَ إِذْنُهَا " .

फ़ायदा : इस्लाम चूंकि दीने फ़ितरत है, इसलिये इसमें औरत के हुक़ूक़ का पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया है और उसकी इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह करने से रोका गया है। इस्लाम ने ये हुक़ूक़ औरत को उस वक़्त दिये जब औरतों को जानवरों की तरह समझा जाता था बल्कि जानवरों की तरह उसे बाँधा खोला, और बेचा जाता था।

(3269) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत का निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे मश्वरा लिया जाये और कुंवारी लड़की का भी निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे इजाज़त ली जाये।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त कैसे मालूम होगी? आपने फ़रमाया: 'ये कि वह ख़ामोश रहे।'

(3269) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1419, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 5136, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5377.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .

बाब : (35)
बेवा का बाप उसका निकाह कर दे जबकि वह नापसन्द करती हो तो?

باب : (٣٥)
الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

(3270) हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम (ﷺ) से रिवायत है कि उनके वालिद ने उसका निकाह कर दिया जबकि वह बेवा थी। चुनांचे उस (ख़न्सा) ने उस (निकाह) को नापसन्द किया, बिल आख़िर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई (और आपसे पूरी बात गोशे गुज़ार की) तो आपने उस (के वालिद) का किया हुआ निकाह ख़त्म कर दिया।

(3270) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5138, 5139, मौता: 2/535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5380.

फ़ायदा : उस दौर में यक़ीनन ये बात हैरत अंगेज़ थी कि बाप का किया हुआ निकाह बेटी को पसन्द न होने की वजह से रद्द कर दिया गया। ये इस्लाम का अज़ीम कारनामा था, और शरीयते इस्लामिया में ये मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है, बशर्ते कि वह बालिग़ा हो।

बाब : (36)
कुंवारी लड़की का बाप उसका निकाह कर दे जबकि वह नापसन्द करती हो तो?

باب : (٣٦)
الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ

(3271) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि एक नौजवान लड़की उनके पास आई और कहा: मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया है ताकि मेरी वजह से उसका मर्तबा ऊँचा करे। जबकि मैं उसे पसन्द नहीं करती। हज़रत आयशा

إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ . قَالَتِ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ

(ﷺ) ने फ़रमाया: तू नबी (ﷺ) के तशरीफ़ लाने तक बैठ जा। इतने में रसूलुल्लाह(ﷺ) भी तशरीफ़ ले आये तो उसने पूरी बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताई। आपने उसके वालिद को बुलाया और निकाह का इख़्तियार उस लड़की के सुपुर्द कर दिया। वह लड़की कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने वालिद मोहतरम के किये हुए निकाह को बरक़रार रखती हूँ। मैं तो ये जानना चाहती थी कि औरतों को भी इस (निकाह के) मामले में कुछ इख़्तियार है या नहीं?

(3271) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/136, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5390.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से साफ़ मालूम होता है कि कुंवारी लड़की का निकाह भी उसका बाप उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकता। अगर करेगा और लड़की राज़ी न हो तो उसे निकाह फ़स्ख़ करने का इख़्तियार हासिल होगा। अगर ख़ाविन्द रज़ामन्द नहीं होगा तो फिर फ़स्ख़े निकाह के लिये अदालत या पंचायत की तरफ़ रुजू करना होगा। **(2)** 'उसका मर्तबा ऊँचा करे' वह मुआशरे में कम हैसियत होगा या अच्छे किरदार का मालिक न होगा। या माली मर्तबा भी मुराद हो सकता है। वह फ़क़ीर होगा जबकि ये लड़की और उसका वालिद अमीर होंगे। **(3)** 'बरक़रार रखती हूँ' मालूम होता है लड़की वाक़ेअतन अक़्ल व फ़ज़्ल वाली थी। अपना मक़सद भी साबित कर दिया और बाप की लाज भी रख ली। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " .

(3272) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यतीम बच्ची से उसके निकाह के बारे में मश्वरा किया जाये। अगर वह चुप रहे तो यही उसकी इजाज़त है। अगर वह इन्कार कर दे तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती।'

(3272) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2093, तिर्मिज़ी, हदीस: 1109, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5381, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1239, 1240.

फ़ायदा : ज़ाहिर है यतीम बच्ची के औलिया उसके भाई या चच्चे वग़ैरह होंगे। उन्हें ज़बरदस्ती निकाह करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता बाप को नाबालिग़ बच्ची का निकाह करने की इजाज़त है, मगर बुलूग़त के बाद उसे निकाह ख़त्म करने या बरक़रार रखने का हक़ है।

बाब : (37) मुहरिम को (हालते एहराम में) निकाह करने की रुख़सत?

باب (٣٧): الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ .

(3273) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस़ (ﷺ) से एहराम की हालत में, हज़रत यअ़ला की रिवायत की रू से मक़ामे सरिफ़, में निकाह फ़रमाया।

(3273) **तख़रीज : (सनद स़ही)** मुसनद अहमद: 1/336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5410.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(3274) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बताया कि नबी (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से एहराम की हालत में निकाह फ़रमाया।

(3274) **तख़रीज : (सनद स़ही)** देखें, हदीस़: 2840, 2841, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5407, बुख़ारी, हदीस़: 5114.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ .

(3275) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से एहराम की हालत में निकाह फ़रमाया। हज़रत मैमूना ने अपना वकील हज़रत अब्बास (ﷺ) को मुक़र्रर फ़रमाया था, लिहाज़ा उन्होंने आपसे उनका निकाह कर दिया।

(3275) **तख़रीज : (सनद स़ही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5393.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ مُوسَى - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(3276) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से एहराम की हालत में निकाह फ़रमाया।

(3276) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5406.

फ़ायदा : ये बात सिर्फ़ हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है जबकि साहिबे वाक़िया हज़रत मैमूना(ﷺ) और दीगर हज़रात से उसके ख़िलाफ़ आता है, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब निकाह फ़रमाया तो आप मुहरिम न थे बल्कि हलाल थे। या फिर मतलब होगा कि हरम में या हुर्मत वाले महीने में निकाह फ़रमाया लेकिन सरीह दलील के मुक़ाबले में इस क़िस्म की तावील की ज़रूरत नहीं। (तफ़्सील देखिये, हदीस: 2840, 2845)

باب (٣٨): النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

बाब : (38) मुह्रिम के लिये निकाह करना मना है

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

(3277) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुह्रिम न अपना निकाह करे न किसी का कराये और न निकाह का पैग़ाम भेजे।'

(3277) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2845, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5414.तक्जि

حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ

(3278) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुह्रिम अपना निकाह करे न किसी का कराये और न निकाह का पैग़ाम भेजे।'

وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضى الله عنه حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .

(3278) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2845, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5414.

फ़ायदा : साबिक़ा बाब में फ़ेअली रिवायत उसके ख़िलाफ़ है मगर तआरुज़ के वक़्त क़ौल ही को तर्जीह दी जाती है क्योंकि फ़ेअल में कई एहतिमालात मुमकिन हैं। हो सकता है वह आपका ख़ास्सा हो, और इस फ़ेअली रिवायत के मुख़ालिफ़ फ़ेअली रिवायत भी मौजूद है। जो कि ख़ुद साहिबे वाक़िया हज़रत मैमूना (ﷺ) से है कि आपने मुझसे हालते हिल्ल में निकाह किया था, लिहाज़ा हर लिहाज़ से क़ौली रिवायत को तर्जीह दी जायेगी। (या बक़ौल शैख़ अल्बानी (ﷺ) उन रिवायात को शाज़ क़रार दिया जाये जिनमें हालते एहराम में निकाह करने का बयान है।) मगर ताज्जुब है अहनाफ़ पर कि उन्होंने ये उसूल छोड़ कर इस मुख़्तलफ़ फ़ीह फ़ेअली रिवायत को तर्जीह दी है जबकि उसकी तावील भी मुमकिन है, यानी मुह्रिम के मआनी हैं 'हरम में' या 'हुर्मत वाले महीने में' वग़ैरह, ताकि तआरुज़ न रहे। (तफ़्सील के लिये देखिये रिवायत 2840, 2845)

باب : (٣٩)
مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ النِّكَاحِ

बाब : (39)
निकाह के वक़्त क्या पढ़ना मुस्तहब है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ " أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ

(3279) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ में तशह्हुद और दूसरी हाजात (ख़ुत्ब-ए-निकाह वग़ैरह) में तशह्हुद सिखलाया। हाजते निकाह वग़ैरह वाला तशह्हुद ये है: (अनिल हम्दुलिल्लाहि .....) 'सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है। हम उससे मदद तलब करते हैं और हम उससे बख़्शिश तलब करते हैं और अपने नुफ़ूस की शरारतों से (बचने के लिये) उसकी पनाह में आते हैं। जिस शख़्स को अल्लाह तआला हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ .

जिसे अल्लाह तआला गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' फिर आप तीन आयात पढ़ते।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2118, देखें, हदीस़: 96, व सहीह अलतिर्मिज़ी, हदीस़: 1105.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मैं गवाही देता हूँ' चूंकि गवाही किसी की तरफ़ से नहीं दी जा सकती, लिहाज़ा यहाँ वाहिद का सेग़ा ही मुनासिब है, जबकि मदद बख़्शिश और पनाह औरों के लिये भी तलब की जा सकती है, लिहाज़ा पहले जुम्लों में जमा के सेग़े मुनासिब हैं। **(2)** 'तीन आयात' और ये तीन आयात मशहूर हैं। उनके बाद फिर आप अपना मक़सूद बयान फ़रमाते। **(3)** हदीस़ की तज़्ईफ़ और तस्हीह की बाबत बहस़ पीछे किताबुल जुमा में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस़: 1405.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ " .

(3280) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) से किसी मसले में बात चीत की तो नबी (ﷺ) ने यूँ ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: (इन्नल हम्दलिल्लाहि ....) 'तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और हम उससे मदद तलब करते हैं। जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। और जिसे वह गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। हम्द व सलात के बाद...'

(3280) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 868.

बाब : (40)
किस क़िस्म का ख़ुत्बा मकरूह है?

باب : (٤٠)
مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

(3281) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि दो आदमियों ने नबी (ﷺ) की मौजूदगी में ख़ुत्बा दिया। उनमें से एक ने कहा: जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, वह हिदायत याफ़्ता होगा। और जो इन दोनों की नाफ़रमानी करेगा, वह गुमराह होगा। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू बुरा ख़तीब है।'

(3281) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 870, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ تَشَهَّدَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ " .

फ़ायदा : 'तू बुरा ख़तीब है' आपका इशारा अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीर (यअसिहिमा की हिमा ज़मीर) में जमा करने की तरफ़ है जैसा कि सहीह मुस्लिम की रिवायत में इसकी सराहत है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया था कि इस तरह कह : 'जो अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़रमानी करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 870) क्योंकि इससे वहम पड़ता है कि शायद दोनों हम मर्तबा हैं। जबकि ख़ालिक़ व मख़लूक़ में कोई मुक़ाबला ही नहीं। लेकिन सही अहादीस में अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीर में ज़िक्र भी फ़रमाया गया है, जैसे: सहीहैन की हदीस में है: (अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 16, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (67)-43) इसी तरह आपके एक ख़ुत्बे में बिऐनिही यही अल्फ़ाज़ हैं: (वमंयअ़सिहिमा फ़क़द ग़वा) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1098) और (वमयं अ़सिहिमा फ़इन्नहु ला यज़रू इल्ला नफ़्सहु) सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1097) और क़ुर्आन मजीद में है: (इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना) में भी ज़मीर मुश्तरक है, इसके बावजूद आपने यहाँ तस्निया की ज़मीर लाने पर इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया तो उसकी वजह ये है कि वाज़ व तक़रीर के मौक़े पर इब्हाम की बजाये तौज़ीह व तफ़्सीर की ज़रूरत है। इस ख़तीब ने यहाँ इब्हाम का मुज़ाहिरा किया जिसे आपने नापसन्द फ़रमाया। इससे ये बात मालूम हुई कि इख़्तिसार भी अगरचे जायज़ है लेकिन अवाम के सामने मुख़्तसर बात करने की बजाये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बात की जाये, चाहे उसमें कुछ तवालत हो, ताकि अवाम किसी ग़लतफ़हमी का शिकार न हों। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 870)

बाब : (41) उस कलाम का बयान जिससे निकाह मुन्अक़िद हो जाता है

باب : (٤١) الْكَلاَمِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ . فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " هَلْ مَعَكَ شَىْءٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . قَالَ " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ " . قَالَ نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . قَالَ " قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " .

(3282) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) के यहाँ कुछ लोगों में बैठा था कि एक औरत आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने आपको आपके निकाह के लिये पेश करती हूँ। आप मेरे बारे में जो मुनासिब समझें फ़ैसला फ़रमायें। आप चुप हो गये और उसे कुछ जवाब न दिया। वह दोबारा खड़ी होकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने आपको आपके साथ निकाह के लिये पेश करती हूँ। आप मेरे बारे में जो चाहें फ़ैसला फ़रमायें। (आप फिर चुप रहे तो) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! (अगर आप को ज़रूरत नहीं तो) इस औरत का निकाह मुझसे फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास (महर वग़ैरह के लिये) कोई चीज़ है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'जाओ, तलाश करो चाहे लोहे की अंगूठी ही हो।' वह गया, तलाश के बाद वापस आया और कहने लगा: मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, लोहे की अंगूठी भी नहीं। आपने फ़रमाया: 'तुझे कुछ क़ुरआन याद है।' उसने कहा: जी हाँ! मुझे फ़ुलां फ़ुलां सूरतें हिफ़्ज़ हैं। आपने फ़रमाया: 'मैंने क़ुरआन मजीद की इन सूरतों (की तालीम) के ऐवज़ तेरा उससे निकाह कर दिया।'

(3282) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3202.

फ़ायदा : मालूम हुआ जो अल्फ़ाज़ ईजाब व क़बूल पर दलालत करते हों, उनसे निकाह मुन्अक़िद हो

जाता है। उसने कहा: मेरा इससे निकाह फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'मैंने तेरा निकाह कर दिया।' ये ईजाब व क़बूल है। ईजाब ख़ाविन्द या बीवी किसी तरफ़ से हो सकता है। इसी तरह क़बूल भी। एक फ़रीक़ ईजाब करे, दूसरा क़बूल। मुनासिब है कि ये ईजाब व क़बूल गवाहों के सामने ऐलानिया करवाया जाये। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस: 3202)

बाब : (42) निकाह में शर्तों का बयान

باب (٤٢): الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .

(3283) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शर्त पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है जिसके साथ तुम औरतों को अपने लिये हलाल करते हो।'

(3283) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2721, मुस्लिम, हदीस: 1418.

फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि निकाह के वक़्त जो शर्तें आइद की जायें उन्हें पूरा करना ज़रूरी है वरना निकाह क़ायम न रहेगा, बशर्ते कि वह शर्तें शरीयत और निकाह के तक़ाज़े के ख़िलाफ़ न हों। कुछ हज़रात ने इस 'शर्त' से मुराद सिर्फ़ महर लिया है कि उसकी अदायगी ज़रूरी है वरना औरत निकाह फ़स्ख़ करवा सकती है। कुछ ने इससे मुराद बीवी के वह हुक़ूक़ लिये हैं जो निकाह के बाद उसे हासिल होते हैं, जैसे: महर, नफ़क़ा और हुस्ने सुलूक वग़ैरह। अल्फ़ाज़ के उमूम की रू से राजेह बात पहली मालूम होती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .

(3284) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शर्त को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है जिसके साथ तुम औरतों को अपने लिये हलाल करते हो।'

(3284) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

बाब : (43) किस निकाह के साथ तीन तलाक़ों वाली औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो सकती है?

باب (٤٣): النِّكَاحُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .

(3285) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हज़रत रिफ़ाआ(ﷺ) की (साबिक़ा) बीवी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहा: रिफ़ाआ ने मुझे तलाक़ दी और तलाक़े बत्ता (तीसरी तलाक़) दी। मैंने उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह कर लिया मगर उसके पास तो कपड़े के पल्लू (किनारे, यानी मर्दाना कमज़ोरी) का सा मामला है। रसूलुल्लाह (ﷺ) (उसकी इस तम्सील पर) मुस्कुराये और फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा रिफ़ाआ के पास जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती यहाँ तक कि वह तुझसे लुत्फ़ अन्दोज़ हो और तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ हो।'

(3285) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2639, मुस्लिम, हदीस: 1433.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रिफ़ाआ की बीवी' यानी जो पहले रिफ़ाआ की बीवी थी, वरना उस वक़्त तो वह अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर के निकाह में थी। (2) 'तीसरी तलाक़' अरबी में लफ़्ज़े बत्ता इस्तेमाल किया गया है जिसके मआनी हैं: क़तई तलाक़, यानी जिसके बाद रुजूअ का इम्कान न हो। और वह आम हालात में तीसरी तलाक़ ही हो सकती है। (3) 'पल्लू' ये उनकी मर्दाना क़ुव्वत की कमज़ोरी की तरफ़ इशारा है। किनायात में उमूमन मुबालिग़ा आराई होती है वरना वह किनाया नहीं होता, लिहाज़ा ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं होते। सिर्फ़ इशारा मक़सूद होता है। उसकी ये शिकायत दुरुस्त न थी क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इसे रद्द कर दिया था। सहीह बुख़ारी में ये सराहत मौजूद है कि ख़ाविन्द को भी पता चल गया था कि उसकी बीवी नबी (ﷺ) के पास शिकायत लेकर गई है तो वह भी पहुँच गये। उसके साथ (दूसरी बीवी से) उनके दो बेटे भी थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वल्लाह ये झूठ बोल रही है। मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ (यानी पूरी क़ुव्वत से भरपूर जिमाअ करता हूँ) लेकिन ये मुझे नापसन्द करती है और रिफ़ाआ की तरफ़ वापस जाना चाहती है .....

फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उससे पूछा कि 'ये तेरे बेटे हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आप (ﷺ) ने उस औरत से मुख़ातब होकर फ़रमाया: 'तू इस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है? हालांकि अल्लाह की क़सम! उसके बेटे अपने बाप के साथ उससे भी ज़्यादा मुशाबिहत रखते हैं जितनी एक कव्वा दूसरे कव्वे से रखता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5825) वह औरत अपने बयान के मुताबिक़ पहले ख़ाविन्द के निकाह में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके लिये दूसरे ख़ाविन्द का उसके साथ जिमाअ और उसके बाद तलाक़ देना ज़रूरी था। **(4)** 'लुत्फ़ अन्दोज़ हो' तीसरी तलाक़ के बाद ख़ाविन्द बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, मगर ये कि वह औरत किसी और शख़्स से निकाह करे, फिर उनमें भी नाचाक़ी हो जाये तो वह औरत इद्दत के बाद पहले ख़ाविन्द से निकाह कर सकती है बशर्ते कि दूसरा ख़ाविन्द उससे जिमाअ कर चुका हो। अगर जिमाअ न हुआ हो तो तलाक़ के बावजूद वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल न होगी। 'लुत्फ़ अन्दोज़ हो' में इस तरफ़ इशारा है। **(5)** आज कल 'हलाला' के नाम पर जो बेग़ैरती का मुज़ाहिरा किया जाता है और औरतों को भेंसों की तरह किराये के 'साँढ' के पास ले जाया जाता है, ये अम्र सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसमें मुलव्विस तमाम अश्ख़ास पर लानत फ़रमाई है।

बाब : (44) किसी आदमी के घर में परवरिश पाने वाली पछ लग (रबीबा) लड़की से उसका निकाह हराम है

باب: (۴۴)
تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حَجْرِهِ

(3286) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (ﷺ) जिनकी वालिदा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) थीं, ने बताया कि मुझे हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़ियान(ﷺ) ने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अर्ज़ किया कि आप मेरी बहन बिन्ते अबी सुफ़ियान से निकाह कर लें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तू इसे पसन्द करती है?' मैंने कहा: जी हाँ। मैं कौन सा आपके घर में अकेली हूँ? और मेरी बहन मेरे साथ इस ख़ैर (आपकी ज़ोजियत) में शरीक हो जाये तो मुझे इससे बढ़ कर कौन सी चीज़ पसन्दीदा होगी?

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، - وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ

" . فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أُخْتَكِ لاَ تَحِلُّ لِي " . فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ " بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ " وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّهَا رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ " .

नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरी बहन मेरे लिये हलाल नहीं।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! हम तो आपस में ये तब्सिरे करती रहती हैं कि आप दुर्रा बिन्ते अबी सलमा से निकाह करना चाहते हैं। आपने फ़रमाया: 'उम्मे सलमा की बेटी से?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर वह मेरी बीवी की पछ लग बेटी (मेरे घर में) न भी (रह रही) होती, फिर भी मेरे लिये हलाल न होती क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और अबू सलमा को सुवैबा ने दूध पिलाया था, लिहाज़ा तुम मुझसे निकाह के लिये अपनी बेटियाँ और बहनें पेश न किया करो।'

(3286) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5101, मुस्लिम, : 1449/16, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5417.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मेरी बहन से निकाह कर लें' उनका ख़याल था कि मुहर्रमात की तहरीम आम मुसलमानों के लिये है, रसूलुल्लाह (ﷺ) इस पाबन्दी से मुस्तस्ना हैं क्योंकि बहुत से मसाइल में आप दूसरों से मुमताज़ हैं लेकिन उनका ये ख़याल दुरुस्त नहीं था। बीवी की बहन आम मुसलमानों की तरह आप पर भी हराम थी। **(2)** 'पछलग बेटी' यानी बीवी की ऐसी बेटी जो साबिक़ा ख़ाविन्द से हो, दूसरे ख़ाविन्द पर हराम है, ख़्वाह वह उसके घर में अपनी वालिदा के साथ रह रही हो या कहीं अलग रहती हो। घर में परवरिश पाने का ज़िक्र आयत और अहादीस में ग़ालिब अहवाल के ऐतबार से है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है और यही सही है क्योंकि घर में रहने या न रहने का रिश्ते की हुर्मत व हिल्लत से क्या ताल्लुक़ है? चूंकि आम तौर पर बच्चियाँ वालिदा के साथ ही रहती हैं, इसलिये ये अल्फ़ाज़ ज़िक्र फ़रमा दिये गये, वरना ये हुर्मत के लिये शर्त नहीं। हुर्मत के लिये सबब बीवी की बेटी होना ही काफ़ी है। इस हुर्मत में भी रसूलुल्लमह (ﷺ) आम मुसलमानों के साथ शरीक हैं। **(3)** 'सुवैबा' अबू लहब की लौण्डी जिसे उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैदाइश की ख़ूशी में आज़ाद कर दिया था। वह बाद में भी बनू अब्दुल मुत्तलिब के घरों में रही।

बाब : (45) माँ और उसकी बेटी दोनों से एक साथ निकाह हराम है

باب : (٤٥)
تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِنْتِ

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي تَعْنِي أُخْتَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ " . قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ " . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ " بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ " . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ " .

(3287) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बहन से निकाह कर लें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू ये बात पसन्द करती है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। मैं कौन सा आपके घर में अकेली हूँ? और मेरी बहन इस फ़ज़ीलत में मेरे साथ शरीक हो जाये, इससे ज़्यादा पसन्दीदा बात क्या हो सकती है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हलाल नहीं।' हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हम तो ये तब्सिरे करती रहती हैं कि आप दुर्रा बिन्ते अबू सलमा से निकाह करने वाले हैं। आपने फ़रमाया: 'उम्मे सलमा की बेटी?' उन्होंने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर वह मेरी बीवी की पछलग बेटी न होती तब भी वह मेरे लिये हलाल न थी क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और अबू सलमा को सुवैबा ने दूध पिलाया था, लिहाज़ा तुम मुझ पर निकाह के लिये अपनी बेटियाँ और बहनें पेश न किया करो।'

(3287) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5415.

फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये है कि बीवी की बेटी से निकाह जायज़ नहीं (बशर्ते कि बीवी से जिमाअ

कर चुका हो) और बाब के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उन दोनों को निकाह में जमा करना हराम है, हालांकि अगर बीवी फ़ौत हो जाये, तब भी उसकी बेटी से निकाह जायज़ नहीं। इसी तरह बीवी की माँ से भी किसी हाल में निकाह जायज़ नहीं, ख़्वाह बीवी ज़िन्दा हो या फ़ौत हो गई हो, निकाह में बाक़ी हो या उसे तलाक़ दे दी हो।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " .

(3288) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (ﷺ) ने बयान किया कि हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: तहक़ीक़ हम ये बातें करती रहती हैं कि आप अनक़रीब दुर्रा बिन्ते अबी सलमा से निकाह फ़रमाने वाले हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या उम्मे सलमा से निकाह के बाद? और अगर मैंने उम्मे सलमा से निकाह न भी किया होता, तब भी वह मेरे लिये हलाल नहीं थी क्योंकि इस (दुर्रा) का बाप (हज़रत अबू सलमा (ﷺ)) मेरा रज़ाई भाई था।'

(3288) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5419.

बाब : (46)
दो बहनों से (एक साथ) निकाह हराम है

باب : (٤٦)
تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ " فَأَصْنَعُ مَاذَا " . قَالَتْ تَزَوَّجُهَا . قَالَ " فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ " . قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي

(3289) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपको मेरी बहन से कुछ रग़बत है? आपने फ़रमाया: 'मैं क्या करूँ? मैंने कहा: उससे निकाह कर लें। आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे ये पसन्द है?' मैंने कहा: जी हाँ मैं पहले भी तो आपके घर में अकेली नहीं। और मेरी बहन इस फ़ज़ीलत में मेरे साथ शरीक हो जाये तो मुझे ये बहुत पसन्द है। आपने फ़रमाया: 'वह तो मेरे लिये हलाल नहीं है।' मैंने

فِي خَيْرِ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏ ‏.‏

कहा: मुझे तो ये बात पहुँची है कि आप दुर्रा बिन्ते उम्मे सलमा से निकाह का इरादा रखते हैं। आपने फ़रमाया: 'अबू सलमा की बेटी से?' मैंने कहा: 'जी हाँ।' आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर वह मेरी बीवी की बेटी न होती तब भी मेरे लिये हलाल न थी क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। तुम मुझ पर अपनी बेटियाँ और बहनें निकाह के लिये पेश न किया करो।'

(3289) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5418.

फ़ायदा : दो बहनों से एक साथ निकाह हराम है मगर एक के बाद दूसरी से जायज़ है, यानी एक मर जाये या उसे तलाक़ दे दी जाये तो दूसरी बहन से निकाह हो सकता है, बख़िलाफ़ बीवी की बेटी या माँ के कि उनके साथ बीवी के मरने या तलाक़ के बावजूद निकाह नहीं हो सकता।

باب : (٤٧) الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

बाब : (47) एक औरत और उसकी फूफी से (एक साथ) निकाह हराम है

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏

(3290) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत और उसकी फूफी या किसी औरत और उसकी ख़ाला से (एक साथ) निकाह न किया जाये।'

(3290) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5109, मुस्लिम, हदीस: 1408, मौता: 2/532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5420.

फ़ायदा : भतीजी, फूफी और भाँजी, ख़ाला इन्तेहाई क़रीबी रिश्ते हैं। ऐसे क़रीबी रिश्तों को सौकनापे में बदलना जुल्मे अज़ीम है जबकि ये रिश्ते इन्तेहाई मोहब्बत और ख़ुलूस के मुतक़ाज़ी हैं, लिहाज़ा उन्हें भी दो बहनों वाला हुक्म दिया गया है क्योंकि दो बहनों से एक साथ निकाह भी इसी बिना पर हराम है। ये भी याद रहे कि उनसे भी (एक के बाद दूसरी से) निकाह जायज़ है जैसा कि दो बहनों से जायज़ है। एक साथ निकाह करना मना है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

(3291) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि एक औरत और उसकी फूफी या एक औरत और उसकी ख़ाला से एक साथ निकाह किया जाये।

(3291) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5110, मुस्लिम, हदीस: 1408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5421.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا .

(3292) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर निकाह किया जाये।

(3292) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1401, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5422.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

(3293) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार औरतों से एक साथ निकाह करने से मना फ़रमाया: औरत और उसकी फूफी। इसी तरह कोई औरत और उसकी ख़ाला।

(3293) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1408/34, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5423.

फ़ायदा : 'चार औरतें' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से ग़लतफ़हमी हो सकती है क्योंकि निकाह दो से भी एक साथ हराम है जैसा कि पीछे तफ़्सील गुज़री, मगर चूंकि इसकी दो सूरतें हैं, इसलिये जमा करके चार कह दिया।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .

(3294) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के निकाह पर निकाह न किया जाये।'

(3294) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5428.

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .

(3295) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के निकाह पर निकाह किया जाये।

(3295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1408/40, देखें, हदीस: 3291.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .

(3296) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह होते हुए निकाह न किया जाये।'

(3296) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1408/37, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5424.

تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

बाब : (48) किसी औरत और उसकी ख़ाला से एक साथ निकाह हराम है

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3297) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से

مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .

उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर निकाह न किया जाये।'

(3297) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 3244.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا .

(3298) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी के निकाह पर निकाह किया जाये या फूफी से उसकी भतीजी के निकाह पर निकाह किया जाये।

(3298) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 2065, बुख़ारी, हदीस़: 5108.

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि फूफ़ी और भतीजी से एक साथ निकाह हराम है, ख़्वाह पहले फूफी से निकाह किया गया हो या भतीजी से। ख़ाला और भतीजी का हुक्म भी यही है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.

(3299) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के साथ निकाह की मौजूदगी में निकाह न किया जाये।'

(3299) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .

(3300) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर निकाह किया जाये।'

(3300) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5434, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .

(3301) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी औरत से उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर निकाह करने से मना फ़रमाया।

(3301) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5434.

باب (٤٩): مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

बाब : (49) रज़ाअत की वजह से कौन कौन से रिश्ते हराम होते हैं?

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ " .

(3302) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो रिश्ते पैदाइशी नसब की वजह से हराम हैं, रज़ाअत की वजह से भी हराम हैं।'

(3302) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1147, मौता: 2/607, व सहीह इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने रज़ाअत को भी नसबी रिश्ते की तरह तक़द्दुस अता किया है। जिस तरह नसबी लिहाज़ से मोहतरम रिश्ते निकाह के लिये हराम क़रार दिये गये हैं, उसी तरह रज़ाअत के लिहाज़ से भी वही रिश्ते निकाह के लिये हराम क़रार दिये गये हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि वह रिश्ते दूध पीने वाले बच्चे ही पर हराम होंगे, उसके दीगर नसबी रिश्तेदारों पर हराम नहीं होंगे, जैसे: दूध पीने वाले बच्चे पर उसकी रज़ाई माँ और बहन से निकाह हराम है मगर उस बच्चे के दीगर भाईयों पर उनसे निकाह हराम नहीं। गोया दूध पीने वाले पर तो उसकी रज़ाई वालिदा का पूरा ख़ानदान हराम है मगर रज़ाई माँ और उसके ख़ानदान पर बच्चे का दीगर ख़ानदान हराम नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ

(3303) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उनका रज़ाई चचा जिसका नाम अफ़लह था, ने उनके यहाँ आने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने उससे पर्दा किया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) को बतलाया गया तो आपने फ़रमाया: 'आयशा!

عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .

इससे पर्दा न करो क्योंकि रज़ाअत की बिना पर वह सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की बिना पर हराम होते हैं।'

(3303) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 15445/9, बुख़ारी, हदीस: 2644.

फ़ायदा : ये हज़रत अफ़लह (رضي الله عنه) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के रज़ाई वालिद के भाई थे। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का ख़्याल था कि रज़ाअत की बिना पर दूध पिलाने वाली के साथ रिश्ता क़ाइम होना तो माक़ूल बात है मगर उसके ख़ाविन्द के रिश्तेदारों से रिश्ता कैसे क़ाइम हो सकता है? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया कि औरत के दूध में उसके ख़ाविन्द का भी दख़ल होता है, लिहाज़ा औरत के ख़ाविन्द और उसके रिश्तेदारों से भी दूध पीने वाले बच्चे का रिश्ता क़ाइम हो जायेगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .

(3304) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रज़ाअत की बिना पर वह सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम हो जाते हैं।'

(3304) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2646, मुस्लिम, हदीस: 1444, मौता: 2/601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5435.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، [عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .

(3305) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रज़ाअत की वजह से वह सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हो जाते हैं जो पैदाइशी नसब की वजह से हराम होते हैं।'

(3305) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5436.

باب (٥٠): تَحْرِيمِ بِنْتِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

बाब : (50) रज़ाई भतीजी से भी निकाह हराम है

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ " وَعِنْدَكَ أَحَدٌ " . قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" .

(3306) हज़रत अली (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि आप क़ुरैश (के दीगर क़बाइल) में तो फ़राख़ दिली से रिश्ते फ़रमा रहे हैं मगर हमें (बनू हाशिम को) महरूम रख रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'तेरे पास कोई (रिश्ता) है?' मैंने कहा: जी हाँ! हम्ज़ा की बेटी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह तो मेरे लिये हलाल नहीं क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है।'

(3306) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5446.

फ़ायदा : हज़रत हम्ज़ा (ﷺ) की बेटी नसबी लिहाज़ से तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की चचाज़ाद बहन थी और उससे आपका निकाह जायज़ था, इसी लिये हज़रत अली (ﷺ) ने उससे निकाह की पेशकश की लेकिन चूंकि वह आपकी रज़ाई भतीजी भी थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत हम्ज़ा (ﷺ) को सुवैबा ने भी दूध पिलाया था। इस लिहाज़ से वह आपके रज़ाई भाई थे, लिहाज़ा उनकी बेटी से निकाह जायज़ नहीं था क्योंकि रज़ाई भतीजी भी नसबी भतीजी की तरह होती है।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " . قَالَ شُعْبَةُ هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .

(3307) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज़रत हम्ज़ा (ﷺ) की बेटी (से निकाह करने) का ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है।'

(3307) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5100, मुस्लिम, हदीस: 1447/13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5445.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .

(3308) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज़रत हम्ज़ा (ﷺ) की बेटी के साथ निकाह करने का मुतालबा किया गया तो आपने फ़रमाया 'बिलाशुब्हा वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है और यक़ीनन रज़ाअत की बिना पर वह सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की बिना पर हराम होते हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5447, मुस्लिम, हदीस: 1447/13.

फ़ायदा : भतीजी मुहर्रमात में दाख़िल है, ख़्वाह हक़ीक़ी भाई की बेटी हो या रज़ाई भाई की। बहन, भाई और उनकी औलाद से निकाह क़तअन हराम है।

باب : (٥١)
الْقَدْرِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

बाब : (51)
किस क़द्र दूध पीने से हुर्मत साबित होती है?

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

(3309) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में जो अहकाम नाज़िल फ़रमाये, उनमें से एक ये था कि 'बच्चा दस दफ़ा किसी औरत का वाज़ेह तौर पर दूध पी ले तो उससे हुर्मत साबित हो जाती है।' फिर ये हुक्म मन्सूख़ करके हुर्मत का हुक्म पाँच दफ़ा वाज़ेह तौर पर दूध पीने पर लागू कर दिया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए तो ये हुक्म क़ुर्आन में पढ़ा जाता था।

(3309) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5448, मौता: 2/608.

फ़ायदा : क़ुर्आन में पढ़े जाने का मतलब ये है कि पाँच रज़ाअत का हुक्म बिलकुल आख़री दौर में नाज़िल हुआ जिसका इल्म आपकी वफ़ात के बाद सब लोगों को न हो सका कि इस आयत की तिलावत मन्सूख़ है, लिहाज़ा कुछ लोग कुछ देर तक ये आयत पढ़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता सब को पता चल गया और सब ने पढ़ना छोड़ दिया। अलबत्ता इसका हुक्म अब भी मौजूद है कि पाँच दफ़ा दूध पीने से रज़ाअत का हुक्म लागू होता है, कम से नहीं। दरअसल मन्सूख़ आयात की तीन क़िस्में हैं: एक वह हैं जिनका हुक्म भी मन्सूख़ है और तिलावत भी, जैसे दस रज़ाअत का हुक्म है। दूसरी वह आयात हैं जिनकी तिलावत मन्सूख़ है लेकिन उनका हुक्म बाक़ी है, जैसे: पाँच रज़ाअत का हुक्म, या अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फ़र्जुमूहुमा. और तीसरी वह हैं जिनका हुक्म मन्सूख़ है लेकिन क़ुर्आन में वह आयात मौजूद हैं और ऐसी आयात मुतअद्दिद हैं, जैसे: (वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिन्कुम.....) इसलिये कुछ लोगों का आपकी वफ़ात के बाद पढ़ना, इत्तिला न होने की बिना पर था, न इसलिये कि उसका हुक्म बाक़ी था।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ " . وَقَالَ قَتَادَةُ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .

(3310) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से रज़ाअत के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'एक दो घूंट या एक दो दफ़ा चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता।'

(3310) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1451/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 1251.

फ़ायदा : ये रिवायत सही और सरीह है कि एक दो दफ़ा दूध पीने से हुर्मते रज़ाअत साबित नहीं होती यहाँ तक कि ज़्यादा दफ़ा पिये। साबिक़ा हदीस के पेशे नज़र ज़्यादा से ज़्यादा मुराद पाँच दफ़ा होगा ताकि सब अहादीस पर अमल हो सके।

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .

(3311) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दो दफ़ा चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5456, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1251.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .

(3312) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दो घूंट या एक दो दफ़ा चूसना हुर्मत साबित नहीं करते।'

(3312) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5451.

फ़ायदा : अहादीस में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं: (मस्सा, इम्लाजा, ख़त्फा) वग़ैरह। सब का मफ़हूम एक है, यानी एक दफ़ा पिस्तान मुँह में डाल कर दूध चूसते रहना यहाँ तक कि पिस्तान मुँह से निकाल दिया जाये। कुछ मसाइल में शरीयत ने क़लील व कसीर में फ़र्क़ किया है, जैसे माए क़लील और माए कसीर, इसी तरह रज़ाअत के मसले में भी क़लील व कसीर का फ़र्क़ है इस तौर पर कि क़लील को मोतबर नहीं समझा गया यहाँ तक कि दूध पीना बा ज़ाब्ता हो। ये तरीक़ेकार फ़ितरते इन्सानिया से भी मुनासिबत रखता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا، حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولاَنِ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ . وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " لاَ تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ " .

(3313) हज़रत क़तादा से रिवायत है कि हमने हज़रत इब्राहीम बिन यज़ीद नख़ई की तरफ़ रज़ाअत के बारे में सवाल लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा कि हज़रत शुरैह ने हमसे बयान फ़रमाया कि हज़रत अली और हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) थोड़ी या ज़्यादा रज़ाअत से हुर्मत के क़ाइल थे। उनके तहरीरी जवाब में ये भी लिखा था कि हमें हज़रत अबुश शअसाअ मुहारिबी ने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से बयान किया कि नबी (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'जल्द बाज़ी में एक दो दफ़ा चूसना हुर्मत का सबब नहीं बनता।'

(3313) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 7/458, इब्ने अबी शैबा: 4/286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5462.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي

(3314) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था। ये बात आप पर

الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ " انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ -وَمَرَّةً أُخْرَى - انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ" .

बहुत शाक़ गुज़री और मैंने आपके चेहर-ए-अनवर पर नाराज़ी के असरात महसूस किये। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा रज़ाई भाई है। आपने फ़रमाया: 'अच्छी तरह देख लिया करो कि तुम्हारे रज़ाई भाई कौन हैं? क्योंकि रज़ाअत उस दौर में मोतबर है जब दूध ही भूख मिटाता हो।'

(3314) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1455, बुख़ारी, हदीस: 2647, हदीस: 5102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5463.

फ़ायदा : वह रज़ाअत जो रिश्ते क़ाइम करती है, उस दौर में होती है जब बच्चा दूध ही पर गुज़ारा करता हो और दूध ही उसकी पूरी ख़ूराक हो। अगर कोई और चीज़ खाता भी हो तो बहुत कम, असल ख़ूराक दूध ही हो। और ये दो साल पूरे होने तक है। अगर किसी ने दो साल की उम्र के बाद दूध पिया हो तो कोई रज़ाई रिश्ता साबित न होगा। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) से आता है कि वह एहतियातन ढाई साल की उम्र तक रज़ाअत के क़ाइल हैं मगर ये क़ुर्आन मजीद की सरीह नस (वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना .....) के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा रज़ाअत दो साल की उम्र तक ही मोतबर है। अलबत्ता कुछ लोग रज़ाअते कबीर के भी क़ाइल हैं और उसके भी कुछ दलाइल उनके पास हैं, उसकी तफ़्सील तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' के ज़मीमे 'रज़ाअत के ज़रूरी मसाइल' में मुलाहिज़ा की जा सकती है।

باب (٥٢): لَبَنِ الْفَحْلِ

बाब : (52) औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी दख़ल है

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ . فَقَالَ

(3315) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने सुना कि एक आदमी हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) के घर में दाख़िल होने की इजाज़त माँग रहा है। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी आप (की बीवी) के घर में दाख़िल होने की इजाज़त तलब कर रहा है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरा ख़याल है, ये फ़ुलां शख़्स है, हफ़्सा का रज़ाई चचा।' मैंने

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُرَاهُ فُلاَنًا " . لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَىَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .

एक रज़ाई चचा का नाम लेते हुए कहा अगर फ़ुलां शख़्स ज़िन्दा होता तो वह मेरे घर आ सकता था? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दूध पीना भी उन सब रिश्तों को हराम कर देता है जिन्हें नसबी रिश्ता हराम करता है।'

(3315) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2646, मुस्लिम, हदीस़: 1444, मौता: 2/601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5470.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (ﷺ) का ख़्याल ये था कि रज़ाअत के साथ बच्चे का औरत से तो रिश्ता क़ाइम हो जाता है क्योंकि उसने उसका दूध पिया है लेकिन औरत के ख़ाविन्द से कोई रिश्ता क़ाइम नहीं होता क्योंकि बच्चे का तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं। हालांकि औरत को दूध मर्द के जिमाअ और हमल के नतीजे में आता है। गोया औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी दख़ल है, लिहाज़ा दूध पीने वाले बच्चे का रिश्ता औरत और उसके ख़ाविन्द दोनों से क़ायम होगा। औरत बच्चे की माँ और ख़ाविन्द बच्चे का बाप कहलायेगा। इसी तरह उस औरत और उसके ख़ाविन्द के क़रीबी रिश्तेदारों से भी उस बच्चे का रिश्ता क़ाइम हो जायेगा। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 33303)

أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ - قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ - فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ائْذَنِي لَهُ " .

(3316) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मेरा रज़ाई चचा अबू अल जअद मुझे मिलने आया मगर मैंने उसे घर में दाख़िल न होने दिया। और हिशाम ने कहा:वह अबुल क़ुऐस था। रसूलुल्लाह (ﷺ) घर में तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको सारा वाक़िया बतलाया। आपने फ़रमाया: 'उसे घर में आने की इजाज़त दो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1445/8.

फ़ायदा : रज़ाई चचा दो क़िस्म का हो सकता है। रज़ाई बाप का सगा भाई या सगे बाप का रज़ाई भाई। दोनों से निकाह हराम है। हज़रत आयशा (ﷺ) की इन दो रिवायतों में से एक (3316) में पहला रज़ाई चचा मुराद होगा और दूसरी (3315) में दूसरी क़िस्म का वरना एक ही सवाल दो दफ़ा करने की ज़रूरत न पेश आती। वल्लाहु आलम!

(3317) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि (उनके रज़ाई बाप) अबुल क़ुऐस का भाई पर्दे वाली आयत उतरने के बाद आयशा के पास आया और अन्दर आने की इजाज़त तलब की तो उसने इजाज़त देने से इन्कार कर दिया। ये बात नबी (ﷺ) के सामने ज़िक्र की गई तो आपने (उनसे) फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दो। बिलाशुब्हा वह तुम्हारा चचा है।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे तो औरत ही ने दूध पिलाया था न कि मर्द ने। आपने फ़रमाया: 'नहीं। बिलाशुब्हा वह तेरा चचा है। तेरे पास आ सकता है।'

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، { عَنْ أَبِيهِ، } عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . فَقَالَ " إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ " .

(3317) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5471, पिछली हदीस देखें, 3303.

(3318) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि (मेरे रज़ाई वालिद) अबुल क़ुऐस के भाई अफ़लह ने मेरे पास आने की इजाज़त तलब की। जबकि वह मेरा रज़ाई चचा था। मैंने उसे इजाज़त देने से इन्कार कर दिया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको पूरी बात बताई। आपने फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दे दिया करो बिलाशुब्हा वह तुम्हारा चचा है।' ये वाक़िया पर्दे का हुक्म उतरने के बाद का है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ وَهُوَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ .

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5103, मुस्लिम: 1445, मौता: 2/602, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5472.

फ़ायदा : चचा से निकाह हराम है, लिहाज़ा उससे पर्दा नहीं। वह भतीजी के घर में आ सकता है मगर इजाज़त लेकर क्योंकि किसी के घर में कोई शख़्स भी बिला इजाज़त नहीं दाख़िल हो सकता। सिर्फ़ ख़ाविन्द अपने घर में बिला इजाज़त जा सकता है।

(3319) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि मेरे (रज़ाई) चचा अफ़लह ने पर्दे के अहकाम उतरने के बाद मेरे पास आने की इजाज़त तलब की। मैंने उन्हें इजाज़त न दी। जब नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपसे पूछा। आपने फ़रमाया: 'उन्हें इजाज़त दे दिया करो। वह तुम्हारे चचा हैं।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे औरत ने दूध पिलाया है न कि मर्द ने। आपने फ़रमाया: 'उन्हें इजाज़त दो। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों। वह तुम्हारे चचा ही हैं।'

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ " ائْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " .

(3319) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1445/4, पिछली हदीस देखें, हदीस: 5468.

फ़ायदा : हदीस: 3232 में अन्क़रीब गुज़रा है कि 'तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हों' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के लिहाज़ से बद दुआ है मगर यहाँ मुराद बद दुआ नहीं बल्कि मुश्फ़िक़ाना डाँट और तफ़्हीम है। वैसे भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की बद दुआ अगर वह गुस्से में न हो तो दुआ ही पर महमूल होती है। सब में बल्कि सब अक़वाम में ऐसा होता है कि लफ़्ज़ बद दुआ के होते हैं मगर मक़सूद तरहहुम वग़ैरह होता है।

(3320) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मेरे रज़ाई बाप अबुल क़ुऐस के भाई अफ़लह आये और अन्दर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा: मैं उन्हें इजाज़त नहीं दूँगी यहाँ तक कि मैं अल्लाह के नबी (ﷺ) से पूछ लूँ। जब नबी(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपसे कहा: अबुल क़ुऐस के भाई अफ़लह आये थे। अन्दर आने की इजाज़त तलब करते थे। मैंने उन्हें इजाज़त देने से इन्कार कर दिया। आपने फ़रमाया: 'उन्हें इजाज़त दे दिया करो क्योंकि वह तुम्हारे चचा हैं।' मैंने कहा: मुझे अबुल क़ुऐस की बीवी ने दूध पिलाया है न कि अबुल क़ुऐस ने। आपने फ़रमाया: 'उन्हें

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لَهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ

يَسْتَأْذِنُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ . فَقَالَ " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " .

इजाज़त दे दिया करो, वह तुम्हारे चचा ही हैं।

(3320) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3303, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5473.

फ़ायदा : एक ही हदीस़ को कई सनदों से बयान करने में कई फ़ायदे हैं। सनद के इख़्तिलाफ़ात वाज़ेह हो जाते हैं। रावियों को लगने वाली ग़लतियों का इल्म हो जाता है। वाक़िये की तफ़्स़ीलात मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाती हैं वग़ैरह।

باب (٥٣): رَضَاعِ الْكَبِيرِ

बाब : (53) बड़ी उम्र वाले को दूध पिलाने का बयान

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَىَّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ " . قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ . فَقَالَ " أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ " . قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ .

(3321) नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि हज़रत सहला बिन्ते सुहैल रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम के मेरे पास आने जाने की वजह से मैं (अपने ख़ाविन्द) अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर कराहत के आस़ार देखती हूँ। (क्या करूँ?) आपने फ़रमाया: 'तू इसे दूध पिला दे।' मैंने कहा: वह तो दाढ़ी वाला है। आपने फ़रमाया: 'दूध पिला दे, इससे अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे की कराहत ख़त्म हो जायेगी।' वह फ़रमाती हैं: इसके बाद मैंने कभी हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर कराहत महसूस नहीं की।

(3321) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1453/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5479.

फ़ायदा : हज़रत सालिम (ﷺ) को हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना रखा था। वह घर में बेटों की तरह रहता और आता जाता था। जब ये हुक्म उतरा कि मुतबन्ना हक़ीक़तन बेटा नहीं बनता, न उस पर बेटे के अहकाम लागू होते हैं तो अब उससे पर्दा फ़र्ज़ हो गया, इसलिये ऊपर दी गई सूरते हाल पैदा हुई अब भी जहाँ इस क़िस्म की सूरते हाल पेश आयेगी, वहाँ हज़रत आयशा(ﷺ), इमाम इब्ने तैमिया और इमाम शौकानी वग़ैरहुम के नज़दीक इस पर अमल की गुंजाइश है, ताहम अस़ल यही है कि रज़ाअ़त का ऐतबार सिग़रे सिन्नी (बचपना) यानी मुद्दते रज़ाअ़त के अन्दर ही होगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَىَّ . قَالَ " فَأَرْضِعِيهِ " . قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ " أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ " . ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ .

(3322) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत सहला बिन्ते सुहैल (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगीं: मैं सालिम के अपने पास आने जाने की वजह से अपने ख़ाविन्द अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर कराहत के आस़ार महसूस करती हूँ। आपने फ़रमाया: 'उसे दूध पिला दे।' वह कहने लगी: उसे कैसे दूध पिलाऊँ? वह तो पूरा आदमी है। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं नहीं जानता कि वह पूरा आदमी है?' फिर वह बाद में आई और कहने लगी: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया! मैंने इसके बाद अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे में ज़र्रा भर भी कराहत महसूस नहीं की।

(3322) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1453/26, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، وَرَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ

(3323) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (ﷺ) की बीवी को हुक्म दिया था कि वह सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा को दूध पिला दे ताकि अबू हुज़ैफ़ा की ग़ैरत (उसके आने जाने पर) न भड़के। उन्होंने उसे दूध पिला दिया, हालांकि वह पूरा मर्द था। रबीअ़ रावी ने कहा: ये (रुख़सत) हज़रत सालिम के लिये थी।

غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ .
قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ .

(3323) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें.

फ़ायदा : ये रबीआ रावी की राय है। सहाबा में से अक्सरियत तख़्सीस ही की क़ाइल है। इसके बरअक्स सय्यदा आयशा (ﷺ) का मोक़िफ़ तख़्सीस का नहीं बल्कि अशद्द ज़रूरत के मौक़े पर जवाज़ का है। अब भी अगर इस क़िस्म का मसला पेश आये तो इस रुख़्सत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बशर्ते कि इससे मसला हल हो जाये जैसा कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा का मसला हल हो गया था।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ . قَالَ " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ " . فَمَكَثْتُ حَوْلاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهِ وَلاَ تَهَابُهُ .

(3324) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत सहला (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम हमारे यहाँ (बिला रोक टोक) आता जाता रहता है लेकिन अब वह मर्दों की तरह (जिन्सी मामलात) समझने लगा है और उन बातों को जानने लगा है जिन्हें मर्द समझते हैं। आपने फ़रमायाः 'तू उसे दूध पिला दे। फिर इस वजह से तू उसके लिये हराम हो जायेगी।'

(रावि-ए-हदीस़ इब्ने अबी मुलैका ने कहाः) मैं एक बरस ठहरा रहा, ये हदीस़ बयान नहीं करता था। मैं क़ासिम से मिला तो उसने कहाः ये हदीस़ बयान किया कर और किसी से भी न डर।

(3324) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 1453/28, देखें, हदीस़ः 3321.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस मसले की ज़रूरी वज़ाहत हदीस़ः 3321 में बयान हो चुकी है। **(2)** छोटा बच्चा जिसे अभी ख़ास़ बातों का शऊर न हो, अजनबी औरतों के पास आ जा सकता है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

(3325) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा (मुतबन्ना होने की वजह से) हज़रत अबू हुज़ैफ़ा और उनकी बीवी के साथ उनके घर ही में रहता था, फिर (अबू हुज़ैफ़ा

سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ " . فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .

की बीवी सहला) बिन्ते सुहैल (ﷺ) नबी(ﷺ) के पास आई और कहने लगी: सालिम अब पूरा मर्द बन गया है और वह मर्दों वाली (मख़्सूस) बातें समझने लगा है। वह हमारे पास (अब भी उसी तरह) आता जाता है। मैं उसकी वजह से हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के दिल में कुछ कराहत महसूस करती हूँ तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू उसे दूध पिला दे। तू उस पर हराम हो जायेगी।' (वह कहती हैं:) मैंने उसे दूध पिला दिया। इस तरह हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के दिल की कराहत ख़त्म हो गई। मैं दोबारा आपके पास आई और कहने लगी: मैंने उसे दूध पिला दिया था। इस तरह अबू हुज़ैफ़ा के दिल की नागवारी ख़त्म हो गई।

(3325) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1453/27, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ - يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ -وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

(3326) हज़रत उर्वा से रिवायत है कि हज़रत आयशा (ﷺ) के अलावा तमाम अज़्वाजे नबी (ﷺ) इस बात से मुन्किर थीं कि लोगों में से कोई शख़्स इस क़िस्म, यानी बड़ी उम्र की रज़ाअत के रिश्ते से उनके पास आये जाये। उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) से भी कहा था कि अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो हुक्म सहला बिन्ते सुहैल को दिया था, वह सिर्फ़ सालिम के साथ ख़ास था। और वह उनके लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ से ख़ुसूसी रुख़्सत थी। अल्लाह की क़सम! इस क़िस्म की रज़ाअत के रिश्ते से कोई शख़्स न हमारे घर आ सकता है और न हमें बे हिजाब देख सकता है।

صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلاَ يَرَانَا .

(3326) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2061, मौता: 2/605, 606, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5477, बुख़ारी, हदीस: 5088.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ، زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلاَّ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلاَ يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ يَرَانَا .

(3327) हज़रत उम्मे सलमा नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा, फ़रमाया करती थीं कि बाक़ी तमाम अज़्वाजे नबी (ﷺ) इस बात की क़ाइल न थीं कि कोई शख़्स इस क़िस्म की रज़ाअत के साथ उनके पास आये जाये बल्कि उन्होंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से भी कहा था: अल्लाह की क़सम! हम तो इसे ऐसी रुख़्सत समझती हैं जो अल्लाह तआला के रसूल ने ख़ुसूसी तौर पर हज़रत सालिम को अता फ़रमाई थी, लिहाज़ा कोई शख़्स इस जैसी रज़ाअत के रिश्ते से हमारे यहाँ न आये जाये और न हमें देखे।

(3327) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5478.

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों हदीसों में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) के नज़रिये का इज़्हार है और जुम्हूर उलमा की भी यही राय है। लेकिन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का मौक़िफ़ ये था कि ये एक ख़ास हुक्म है जिस पर इस क़िस्म के ख़ुसूसी हालात में अमल करना जायज़ है जिससे हज़रत सहला (رضي الله عنها) को साबक़ा पेश आया था। इमाम इब्ने तैमिया और दीगर बहुत से उलमा भी ख़ुसूसी हालात में रज़ाअते कबीर के क़ाइल हैं।

बाब : (54)
दूध पिलाने की मुद्दत में जिमाअ करना

باب(٥٤): الْغِيلَةِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي

(3328) हज़रत जुदामा बिन्ते वहब (رضي الله عنها) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरा इरादा था कि मैं लोगों को मुद्दते रज़ाअत में

الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبٍ، حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ " يَصْنَعُونَهُ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " .

जिमाअ़ करने से रोक दूँ लेकिन मुझे पता चला कि फ़ारसी और रूमी ये काम करते हैं और इससे उनके (दूध पीते) बच्चों को कोई नुक़सान नहीं होता।'

(3328) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1442, मौता: 2/607, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5485.

फ़ायदा : बच्चा अभी दूध पीता हो और हमल ठहर जाये तो कुछ दफ़ा दूध बच्चे के लिये मुज़िर (नुक्सानदेह) बन जाता है। दूध छुड़ाना पड़ता है वरना बच्चे को इस्हाल लग जाते हैं। अगर हमल न ठहरे तो सिर्फ़ जिमाअ़ से दूध को नुक़सान नहीं पहुँचता। चूंकि ऐसी हालत में जिमाअ़ हमल का सबब बन सकता है जिससे नुक़सान होगा, इसलिये इस फ़ेअ़ल (ग़ीला) से रोका भी जा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का ख़्याल था मगर चूंकि इस पाबन्दी पर अ़मल करना ख़ाविन्द के लिये तक़रीबन ना'मुमकिन है कि वह तक़रीबन दो साल तक अपनी बीवी से जिमाअ़ न करे ख़ुसूसन जबकि बीवी भी एक हो, इसलिये ये पाबन्दी मसलिहत के ख़िलाफ़ है और लोगों को ख़्वाहमख़्वाह आज़माइश और फ़ित्ने में डालने वाली बात है, लिहाज़ा आपने ये ख़्याल छोड़ दिया। चुनांचे अब मुद्दते रज़ाअ़त में जिमाअ़ करना जायज़ है।

باب (٥٥): الْعَزْلِ

बाब : (55) अ़ज़्ल का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَمَا ذَاكُمْ " . قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُصِيبُهَا

(3329) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अ़ज़्ल का ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया: 'वह क्या होता है?' हमने कहा: किसी आदमी के निकाह में कोई औरत हो, वह उससे जिमाअ़ करता हो लेकिन हमल को नापसन्द करता हो या उसकी लौण्डी हो, वह उससे जिमाअ़ करता हो लेकिन उसके हामिला होने को नापसन्द करता हो। आपने फ़रमाया: 'ऐसे न करो तो भी कुछ न होगा। असल बात तो तक़दीर की है।'

وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ . قَالَ " لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " .

(3329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1438/131, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5486.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अ़ज़्ल से मुराद ये है कि आदमी अपनी बीवी (या लौण्डी) से जिमाअ़ करे मगर इन्ज़ाल बाहर करे। मक़सद ये है कि हमल न ठहरे। **(2)** अ़ज़्ल का जायज़ होना या नाजायज़ होना नियत पर मौक़ूफ़ है। अगर नियत नेक हो, जैसे: बच्चे (दूध पीने वाले) की सेहत मुतास्सिर न हो या औरत की सेहत हमल की इजाज़त न देती हो तो अ़ज़्ल जायज़ है और अगर नियत ख़राब हो, जैसे: मैं ग़रीब हूँ, बच्चों के अख़राजात कहाँ से दूँगा? वग़ैरह तो अ़ज़्ल नाजायज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी सख़्ती से नहीं रोका, अच्छा भी नहीं समझा बल्कि मामला बैन-बैन (बीच-बीच) रखा है, और ज़रूरी नहीं कि इन्ज़ाल के साथ हमल ठहर ही जाये और न अ़ज़्ल की सूरत में हमल का न ठहरना ही यक़ीनी है। मुमकिन है वह अ़ज़्ल कर ही न सके। बेक़ाबू हो जाये या क़लील इन्ज़ाल मालूम ही न हो। गोया असल फ़ैसला तो तक़दीर (यानी अल्लाह तआ़ला के फ़ैसले) का है। हाँ, जायज़ मक़ाम पर नेक नियती के साथ अ़ज़्ल को बतौर सबब इख़्तियार किया जा सकता है। अहादीस में तत्बीक़ भी यही है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ " .

(3330) हज़रत अबू सईद ज़ुरक़ी से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़ज़्ल के बारे में पूछा। उसने कहा: मेरी बीवी बच्चे को दूध पिला रही है। मैं पसन्द नहीं करता कि उसे हमल ठहरे। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रहम के बारे में जो मुक़द्दर है, वह तो होकर रहेगा (या जिस चीज़ का रहम में पहुँचना मुक़द्दर है वह तो पहुँच कर रहेगी)'

(3330) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5487.

फ़ायदा : इसके बावजूद आपने अ़ज़्ल से मना नहीं फ़रमाया क्योंकि और असबाब की तरह ये भी हमल न ठहरने का एक सबब है जिसे इख़्तियार किया जा सकता है, अगरचे असल फ़ैसला तो अल्लाह तआ़ला के हाथ में है।

बाब : (56) हक़्क़े रज़ाअ़त (की अदायगी) और उसकी हुर्मत का बयान

باب (٥٦): حَقِّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتِهِ

(3331) हज़रत हज्जाज (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसी चीज़ रज़ाअ़त का हक़ अदा कर सकती है? आपने फ़रमाया: 'एक गुलाम या लौण्डी (रज़ाई वालिदा को दे दो।)'

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ " غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ " .

(3331) **तख़रीज : (सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस: 2064, तिर्मिज़ी, हदीस: 1153, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5482, व सहीह इब्ने हिब्बान: 4/262 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हक़ीक़ी वालिदा का हक़ तो अदा ही नहीं हो सकता, अलबत्ता जिसका दूध पिया हो, उसे ख़िदमत के लिये गुलाम या लौण्डी दे दिये जायें तो हक़ अदा हो जायेगा। जिस तरह उसने उसकी बचपन में ख़िदमत की थी, उसी तरह ये गुलाम या लौण्डी उसकी ख़िदमत करेंगे। ये तो सिर्फ़ ख़िदमत का मुआवज़ा है। बाक़ी रही शफ़क़त और मोहब्बत जो रज़ाई वालिदा ने उसके साथ की थी, उसके ऐवज़ ता'हयात उसका एहतिराम करे और उसे अपनी एक माँ समझे, जैसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उम्मे ऐमन (ﷺ) के बारे में फ़रमाया: (उम्मु ऐमन उम्मी बअ़द उम्मी) (उस्दुल ग़ाबा, रक़म: 7371) **(2)** आदमी को एहसान फ़रामूश नहीं होना चाहिए बल्कि साहिबे एहसान का एहसान याद रखना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो उसे उसका बदला देना चाहिए और अगर इस्तेताअ़त न हो तो उसके हक़ में दुआ गो रहना चाहिए। **(3)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) अहकामे दीन समझने पर बहुत हरीस़ थे।

बाब : (57) रज़ाअ़त की बाबत गवाही का बयान

باب (٥٧): الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ .

(3332) हज़रत उ़क़्बा बिन हारिस़ (ﷺ) से मरवी है कि मैंने एक औ़रत से शादी की तो हमारे पास एक काले रंग की औ़रत आई और कहने लगी: मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया है। (इसलिये तुम्हारा निकाह दुरुस्त नहीं) मैं नबी(ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपसे पूरा वाक़िया बयान किया और

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ

قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ . قَالَ " وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ " .

मैंने कहा: मैंने एक औरत फुलाना बिन्ते फुलां से शादी की है। मेरे पास एक काले रंग की औरत आई और कहने लगी: मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया है। आपने मुझसे मुँह मोड़ लिया। मैं फिर आपके चेहर-ए-अनवर की जानिब आया और कहा कि वह झूठ बोलती है। आपने फ़रमाया: 'तू कैसे उस (अपनी बीवी) के साथ रह सकता है जब कि वह कहती है कि उसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, उसे छोड़ दे।'

(3332) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5104, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5484.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रिवायत कुछ मुख़्तसर है। ये उक़्बा बिन आमिर मक्के में रहते थे। ये वाक़िया फ़तहे मक्का के बाद का है। ये मसला पेश आया तो वह इत्मिनाने क़ल्ब के लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और आपके फ़रमान पर अमल किया।(ؓ). **(2)** 'उसे छोड़ दे' क्योंकि रज़ाअत एक पोशीदा चीज़ है। उसके गवाह मुमकिन नहीं, न ऐसे मौक़े पर गवाह बनाये ही जा सकते हैं, लिहाज़ा रज़ाअत पर गवाही तलब करना फ़ुज़ूल है बल्कि मुर्ज़िआ (दूध पिलाने वाली) की बात मोतबर होगी। जिस तरह पैदाइश के बारे में दाई की बात ही मोतबर होती है और उससे गवाह तलब नहीं किये जाते। उन मौक़े पर गवाही को ज़रूरी क़रार देना बहुत सी यक़ीनी बातों को झुठलाने के मुतरादिफ़ (बराबर) होगा, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह निकाह फ़स्ख़ करने का हुक्म दिया। अगरचे उस औरत की तस्दीक़ किसी ने नहीं की थी। **(3)** शुब्हात से इज्तेनाब करना चाहिए।

باب (٥٨): نِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ

बाब : (58) आबा की मन्कूहा औरतों से निकाह

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ لَقِيتُ خَالِي

(3333) हज़रत बराअ (ؓ) से मरवी है कि मैं अपने मामूं को मिला जब कि उनके पास एक झण्डा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? उन्होंने फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी की तरफ़ भेजा है जिसने अपने वालिद की वफ़ात के

बाद उसकी मन्कूहा बीवी से निकाह कर लिया था, कि मैं उसकी गर्दन उतार दूँ, या उसे क़त्ल कर दूँ।

(3333)तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1362, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 681, अबी दाऊद, हदीस: 4456, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1516, वल हाकिम: 2/191.

وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) अपनी वालिदा से तो कोई निकाह नहीं कर सकता। इससे मुराद वालिद की मन्कूहा (सौतेली माँ) है। कोई जाहिल ख़याल कर सकता है कि वह माँ नहीं होती, लिहाज़ा उससे निकाह हो सकता है, इसलिये सराहतन नफ़ी फ़रमाई: (वला तन्किहू मा नकहा आबाउकुम) (अन्निसा: 4/22) बाप वाला हुक्म दादा, नाना वग़ैरह को भी हासिल है क्योंकि उ़र्फ़न वह भी बाप ही हैं। **(2)** 'गर्दन उतार दूँ' ख़्वाह उसने जिमाअ़ किया हो या नहीं। सिर्फ़ निकाह करने की ये सज़ा है। **(3)** 'गर्दन उतार दूँ या क़त्ल कर दूँ, एक ही बात है। रावी को शक है कि कौन से अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाये। **(4)** झण्डे वाले सहाबी का नाम हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार था। (ؓ).

(3334) हज़रत बराअ (ؓ) बयान करते हैं कि मैं अपने चचा जान को मिला तो उनके पास झण्डा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? वह कहने लगे: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी की तरफ़ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया है। आपने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी गर्दन उतार दूँ और उसका माल छीन लूँ।

(3334) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5489, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'चचा' साबिक़ा रिवायत में 'मामूँ' कहा गया है। मुमकिन है एक रिश्ता रज़ाई हो, दूसरा नसबी। उस दौर में रज़ाई रिश्ते आ़म थे क्योंकि दीगर औ़रतों से रज़ाअ़त का बहुत रिवाज था। **(2)** 'झण्डा' यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) का झण्डा जो कि अ़लामत था कि उन्हें वाक़ेअ़तन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भेजा है। **(3)** 'उसका माल छीन लूँ' गोया बाप की मन्कूहा से निकाह इर्तिदाद के जुर्म के बराबर है, इसलिये उसका माल बैतुल माल में जमा होगा। जिस तरह मुर्तद क़त्ल किया जाता है और उसका माल उसके वारिसों को देने की बजाये बैतुलमाल में जमा होता है। 'मुसलमान काफ़िर का

वारिस़ है न काफ़िर मुसलमान का।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 6764, मुस्लिम, हदीस़: 1614) **(4)** शरीयते मुतह्हरा ने हर एक के हुक़ूक़ की कमा हक़्क़हू हिफ़ाज़त की है। **(5)** मालूम होता है कि ज़ब्ते माल के साथ या माली जुर्माने के साथ भी सज़ा दी जा सकती है। **(6)** हाकिमे वक़्त किसी संगीन जुर्म की बिना पर ताज़ीरन क़त्ल की सज़ा दे सकता है।

बाब : (59) अल्लाह तआला के फ़रमान (वल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम) की तफ़्सीर

باب (٥٩): تَأْوِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ [وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أَيْ هَذَا لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

(3335) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मक़ामे औतास की तरफ़ एक लश्कर भेजा। उनका दुश्मन से मुक़ाबला हुआ। लड़ाई हुई और वह ग़ालिब आ गये। और बहुत सी ऐसी क़ैदी औरतें उनके हाथ लगीं जिनके ख़ाविन्द मुश्रिकों में रह गये थे। मुसलमानों ने उनसे जिमाअ करने में गुनाह महसूस किया। अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (वल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम) 'और शादीशुदा औरतों से भी निकाह हराम है मगर वह काफ़िर औरतें जो (जंग में) तुम्हारे हाथ लगीं।' यानी उनसे जिमाअ व निकाह हलाल है बशर्ते कि उनकी इद्दत गुज़र जाये।

(3335) तख़रीज : (सनद स़हीह) मुस्लिम, हदीस़: 1456, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5492.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'गुनाह महसूस किया' क्योंकि वह शादीशुदा थी। उनके ख़ाविन्द ज़िन्दा थे। **(2)** 'तुम्हारे हाथ लगीं' यानी तुम्हारी लौण्डियाँ बन जायें। लेकिन किसी आज़ाद औरत को ख़रीद कर लौण्डी नहीं बनाया जा सकता। स़िर्फ़ जंग में काफ़िर औरत क़ब्जे में आये तो वह लौण्डी बन सकती है। अगर कोई शादीशुदा औरत पहले से लौण्डी है तो उसे ख़रीदने से उसका साबिक़ा निकाह ख़त्म नहीं

होगा। (3) 'जिमाअ़ व निकाह' यानी मालिक के लिये जिमाअ़ और ग़ैर मालिक के लिये निकाह। (4) 'इद्दत गुज़र जाये' और ये इद्दत एक हैज़ है। अगर हैज़ आ जाये तो हैज़ ख़त्म होने के बाद जिमाअ़ जायज़ है और हैज़ न आये तो वह हामिला होगी। वज़अ़े हमल तक जिमाअ़ या निकाह जायज़ नहीं। (5) ये हदीस़ जुम्हूर उ़लमा की दलील है कि जिस तरह अ़जमियों को ग़ुलाम बनाया जा सकता है, अ़रब मुश्रिकीन को भी बनाया जा सकता है। सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने हवाज़िन को क़ैदी और ग़ुलाम बनाया था और उनकी औरतों को लौण्डियाँ। (6) अहले किताब के अलावा कुफ़्फ़ार की ख़्वातीन को भी लौण्डियाँ बनाया जा सकता है और उनसे जिमाअ़ किया जा सकता है।

बाब : (60) शिग़ार का बयान

باب(٦٠): الشِّغَارِ

(3336) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6960, मुस्लिम, हदीस़: 1415/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5494.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

फ़ायदा : शिग़ार जाहिलियत के निकाहों में से एक निकाह है जिसे हमारी ज़बान में निकाहे वटा कहते हैं। ये इस्लाम में मम्नूअ़ (मना) है। इसकी तफ़्सील आगे आ रही है। तफ़्सीली बहस़ वहाँ होगी। इन्शाअल्लाह!

(3337) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में जलब, जनब और शिग़ार जायज़ नहीं। और जो शख़्स लूट मार करे, वह हममें से नहीं।'

(3337) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3937, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5495, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1123, देखें, हदीस़: 1853.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) जलब और जनब दो इस्तेलाहात हैं जो ज़कात में भी इस्तेमाल होती हैं और घूड़ दौड़ में भी। ज़कात में जलब ये है कि ज़कात लेने वाला लोगों को मजबूर करे कि अपने ज़कात वाले जानवर मेरे दफ़्तर या मर्कज़ में लाओ ताकि मैं उनका हिसाब लगा कर ज़कात वसूल करूँ। और

जनब ये है कि ज़कात लेने वाला लोगों के यहाँ आये तो वह अपने जानवर इधर उधर चरने के लिये भेज दें और उन्हें क़सदन बिखेर दें। ये दोनों सूरतें मना हैं क्योंकि पहली सूरत में अवामुन्नास और दूसरी सूरत में ज़कात लेने वाले अफ़सर को नाहक़ तकलीफ़ होगी। बल्कि सही सूरत ये है कि ज़कात लेने वाला जानवरों के पानी और रिहाइश की जगह पर जाकर उनका हिसाब लगा कर ज़कात वसूल करे और जानवरों वाले उस दिन जानवरों को उनके बाड़ों में रखें ताकि फ़रीक़ैन में से कोई भी तंग न हो। घूड़ दौड़ में जलब ये है कि घूड़ सवार रास्ते में किसी आदमी को मुक़र्रर करे कि जब मेरा घोड़ा तेरे पास से गुज़रे तो तू उसे डरा देना ताकि ये मज़ीद तेज़ हो जाये और दौड़ जीत ले। जनब ये है कि अपने घोड़े के साथ एक ख़ाली घोड़ा भी ले जाये ताकि दौड़ के दौरान में अगर एक घोड़ा सुस्त पड़ जाये तो दूसरे ताज़ा दम घोड़े पर सवार हो जाये ताकि दौड़ जीत सके। चूंकि इन दोनों सूरतों (जलब और जनब) में धोखा और फ्रॉड है, लिहाज़ा घूड़ दौड़ में उनसे रोक दिया गया। **(2)** 'शिग़ार जायज़ नहीं' यानी ऐसा निकाह (राजेह मस्लक के मुताबिक़) मुन्अक़िद ही नहीं होता बल्कि ये अक़्दे फ़ासिद है। इसे तौड़ना ज़रूरी है। **(3)** 'हममें से नहीं' यानी इस मसले में अहले ईमान और अहले इस्लाम के तरीक़े पर नहीं। ये मतलब नहीं है कि अब वह बिल्कुल मुसलमान ही नहीं रहा।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ .

(3338) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में जलब, जनब और शिग़ार नहीं।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि ये शदीद ग़लती है। सही रिवायत बिश्र की है।

(3338) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5496, पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत : बिश्र की रिवायत यूँ है: हुमैद अन हसन अन इमरान बिन हुसैन और ये सही है, जबकि मुहम्मद बिन कसीर ने हुमैद अन अनस कहा है जो कि ग़लत है। दरअसल हुमैद बहुत सी रिवायात हज़रत अनस (ﷺ) से बयान करते हैं और उनके मुसल्लमा शागिर्द हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह हर रिवायत हज़रत अनस ही से बयान करते हैं। मुहम्मद बिन कसीर को यही ग़लती लगी कि उन्होंने ये रिवायत भी हज़रत अनस (ﷺ) से ख़्याल की।

बाब : (61) निकाहे शिग़ार की तफ़्सीर

باب(٦١): تَفْسِيرُ الشِّغَارِ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

(3339) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने निकाहे शिग़ार से मना फ़रमाया है। और निकाहे शिग़ार ये है कि एक शख़्स दूसरे शख़्स से अपनी बेटी का निकाह कर दे इस शर्त पर कि वह भी अपनी बेटी का निकाह उससे कर देगा और इन दोनों निकाहों में कोई महर न हो।

(3339) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5112, मुस्लिम, हदीस: 1415, मौता: 2/535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 549-.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शिग़ार ये है' शिग़ार की ये तफ़्सीर अगरचे ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) या किसी सहाबी से मन्क़ूल नहीं बल्कि ये हज़रत इब्ने उमर के शागिर्द हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है, ताहम इस तफ़्सीर से निकाहे शिग़ार की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि मौजूदा वटा सटा शिग़ार की ज़ेल में नहीं आता क्योंकि इनमें अलग अलग महर मुक़र्रर होता है, ताहम जहालत की वजह से वटा सटा की शादी के नताइज बिल उमूम बहुत ग़लत निकलते हैं, इसलिये इससे इज्तेनाब (परहेज़) ही बेहतर है। **(2)** सुनन अबू दाऊद में एक वाक़िया मन्क़ूल है कि दो शख़्सों ने एक दूसरे की बेटी से निकाह किया, उसके बाद उसमें अल्फ़ाज़ हैं 'और उन दोनों ने हक़्क़े महर भी मुक़र्रर किया था।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2075) इसके बावजूद इस रिवायत में है कि हज़रत मुआविया(ﷺ) ने हज़रत मरवान (अपने गवर्नर) को लिखा कि वह इन दोनों के दरम्यान तफ़रीक़ करा दें क्योंकि ये वही शिग़ार है जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है। इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ उलमा ने इस राय का इज़्हार किया है कि हक़्क़े महर मुक़र्रर हो, तब भी इस तरह का मशरूत निकाह (जिसमें एक दूसरे की बेटी या बहन से निकाह की शर्त हो) बातिल है। लेकिन वाक़िया ये है कि सुनन अबू दाऊद की ये रिवायत सही इब्ने हिब्बान (अल एहसान बतर्तीब सहीह इब्ने हिब्बान, 6/180, मवारिदुज्जमआन: 4/196) में (वक़द काना जअलाहु सदाक़न) के अल्फ़ाज़ के साथ आई है, यानी इसमें जअल का मफ़ऊले अव्वल भी मज़्कूर है। इस इबारत की रू से मआनी बनते हैं कि उन दोनों ने इस मशरूत निकाह ही को हक़्क़े महर बना दिया था। इस ज़मीर के साथ इस रिवायत के मआनी बिल्कुल सही हो जाते हैं और हज़रत मुआविया (ﷺ) के तफ़रीक़ कराने की माक़ूल वजह भी सामने आ जाती है कि ये निकाह

मम्नूअ शिग़ार का मिस्दाक़ था। हज़रत मुआविया(ﷺ) का हुक्मे तफ़रीक़ भी इस अम्र का क़रीना है कि यहाँ ज़मीर मफ़ऊले अव्वल महज़ूफ़ है और रिवायत के अल्फ़ाज़ (जअलाहू) ही हैं, न कि (जअल) (ज़मीरे मफ़ऊल के बग़ैर) क्योंकि हक़्क़े महर अदायगी के बावजूद हज़रत मुआविया (ﷺ) का इस निकाह को बातिल क़रार देना नाक़ाबिले फ़हम है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ .

(3340) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़रमाया। रावी उबैदुल्लाह ने कहा: शिग़ार ये है कि एक आदमी अपनी बेटी का निकाह दे इस शर्त पर कि दूसरा उसे अपनी बहन का निकाह देगा।

(3340) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1416, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5498.

फ़ायदा : 'अपनी बहन का' ये तो मिसाल है वरना किसी के भी निकाह की शर्त हो, बेटी हो या बहन, भतीजी हो या भाँजी वग़ैरह, कोई फ़र्क़ नहीं।

باب : (٦٢)
التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ

बाब : (62)
क़ुरआन मजीद की चन्द सूरतों (की तालीम) को महर बनाकर निकाह करना (जायज़ है)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ نَفْسِي لَكَ . فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ

(3341) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपसे निकाह की पेशकश लेकर आई हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी तरफ़ देखा। नज़र को ऊँचा किया और फिर सर झुका लिया। जब औरत ने देखा कि आपने उसकी बाबत कोई फ़ैसला नहीं सुनाया तो वह बैठ गई। आपके सहाबा में से एक आदमी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इस (ख़ातून) की ज़रूरत नहीं तो

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا . قَالَ " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ " . فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ " انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ " . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . عَدَّدَهَا . فَقَالَ " هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " .

उसका निकाह मुझसे फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास (महर देने के लिये) कोई चीज़ है?' उसने कहा: नहीं। अल्लाह की क़सम! मेरे पास कोई चीज़ नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा तलाश कर, अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो।' वह गया, फिर वापस आया और कहने लगा: अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अलबत्ता मेरे पास ये तहबन्द है। इसका निस़्फ़ इसे बतौर महर देता हूँ। हज़रत सहल ने फ़रमाया उसके पास ऊपर वाली चादर भी न थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तेरे तहबन्द को क्या करेगी? अगर तू इसे पहनेगा तो इस औरत पर इस (तहबन्द) से कुछ भी न होगा और अगर वह पहनेगी तो तुझ पर कुछ न होगा।' तब वह आदमी बैठ गया, यहाँ तक कि काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर वह उठ कर चल दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे जाता हुआ देख लिया तो आपने उसकी बाबत हुक्म दिया और उसे वापस बुलाया गया। जब वह आया तो आपने फ़रमाया: 'तुझे कितना क़ुर्आन याद है?' उसने कहा: मुझे फ़ुलां फ़ुलां सूरत याद है। उसने कई सूरतें शुमार कीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तू इन सूरतों को ज़बानी (बग़ैर देखे) पढ़ सकता है?' उसने कहा जी हाँ। आपने फर्माया, तुझे जो क़ुर्आन याद है, मैंने उसके ऐवज़ इस औरत को तेरे क़ब्ज़े (निकाह) में दे दिया।'

(3341) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस़: 5030, मुस्लिम, हदीस़: 1425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5505.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3202 और 3282.

बाब : (63)
इस्लाम लाने की शर्त पर निकाह करना

باب(٦٣): التَّزْوِيجِ عَلَى الإِسْلاَمِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الإِسْلاَمَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ . فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا .

(3342) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) ने (मेरी वालिदा) हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) से निकाह किया तो उन दोनों के दरम्यान (अबू तल्हा का) इस्लाम लाना ही हक़्क़े महर क़रार पाया। (दरअस़ल) उम्मे सुलैम(ﷺ) हज़रत अबू तल्हा से पहले मुसलमान हो गई थी। हज़रत अबू तल्हा ने उन्हें निकाह का पैग़ाम भेजा तो वह कहने लगीं: मैं तो मुसलमान हो चुकी हूँ अगर तुम भी मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। तब वह मुसलमान हो गये। चुनांचे वही (उनका मुसलमान होना ही) उन दोनों के दरम्यान हक़्क़े महर मुक़र्रर हुआ।

(3342) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने सअ़द: 8/426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5503.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि अबू तल्हा के इस्लाम के अ़लावा कोई और चीज़ महर न थी। आइन्दा रिवायत इसकी मज़ीद स़राहत करती है, लिहाज़ा कोई भी मन्फ़अ़त महर बन सकती है, दीनी हो या दुनियावी। जिस तरह साबिक़ा हदीस़ में तालीमे क़ुर्आन का ज़िक्र है और यही बात स़ही है। मगर मवालिक व अहनाफ़ महर के लिये 'माल' होना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि क़ुर्आन मजीद में है: 'अन तब्तग़ू बिअम्वालिकुम' (अन्निसा: 4/24) लिहाज़ा वह ऐसी अहादीस़ की तावील करते हैं कि वक़्ती तौर पर इन चीज़ों को काफ़ी समझ लिया गया वरना अस़ल महर बाद में वाजिबुल अदा होता था। या ये चीज़ें निकाह का सबब थीं न कि महर, लेकिन अहादीस़ के स़रीह अल्फ़ाज़ इस तावील को क़बूल नहीं करते, इसलिये ज़रूरी है कि मजबूरी या औरत की रज़ामन्दी के वक़्त 'ग़ैर माल' को भी महर माना जाये ताकि क़ुर्आन मजीद के साथ साथ अहादीस़ पर भी अ़मल हो। क़ुर्आन मजीद में गोया आ़म सूरत बयान की गई है न कि माल को शर्त क़रार दिया गया है क्योंकि अहादीस़, क़ुर्आन समझने के लिये बेहतरीन बल्कि ज़रूरी मुआविन हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाब-ए-किराम (ﷺ) क़ुर्आन मजीद के अव्वलीन मुखातब थे और वह क़ुर्आन मजीद हम सब से ज़्यादा समझते थे (2) हजरत उम्मे सुलैम के पहले ख़ाविन्द हज़रत मालिक

अन्सारी थे जो हज़रत अनस (ﷺ) के वालिद थे। उनकी वफ़ात के बाद ऊपर दी गई सूरते हाल पेश आई। और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से कुछ अर्सा पहले का वाक़िया है जब मदीना मुनव्वरा में हज़रत मुसअब बिन उमैर (ﷺ) जैसे मुब्लिग़ीन की कोशिशों से इस्लाम फैल रहा था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا - قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الإِسْلاَمَ - فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ .

(3343) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) ने हज़रत उम्मे सुलैम(ﷺ) को निकाह का पैग़ाम भेजा तो उन्होंने कहा: ऐ अबू तलहा! अल्लाह की क़सम! तेरे जैसे शख़्स का पैग़ाम रद्द नहीं किया जा सकता लेकिन तू काफ़िर है और मैं इस्लाम ला चुकी हूँ। मेरे लिये तुझसे निकाह करना जायज़ नहीं। अगर तू मुसलमान हो जाये तो यही मेरा महर होगा और मैं तुझसे इसके अलावा कोई महर न माँगूगी। वह मुसलमान हो गये और उनका इस्लाम ही हज़रत उम्मे सुलैम का महर क़रार पाया। हज़रत अनस (ﷺ) के शागिर्द हज़रत साबित ने कहा: मैंने किसी और औरत के बारे में नहीं सुना कि उसका हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) के महर इस्लाम से बेहतर हो। हज़रत अबू तल्हा(ﷺ) ने उनके साथ ज़िन्दगी गुज़ारी और उनसे उनके बच्चे भी हुए।

(3343) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5504.

फ़ायदा : ये हदीस़ स़रीह है कि इस्लाम के अलावा कोई और महर न था। गोया औरत राज़ी हो तो इस क़िस्म की दीनी मन्फ़अत भी महर बन सकती है। माल होना कोई ज़रूरी नहीं।

बाब : (64) आज़ादी को महर मुक़र्रर करके निकाह करना

باب (٦٤): التَّزْوِيجِ عَلَى الْعِتْقِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ -

(3344) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत स़फ़िया (ﷺ) को

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا .

आज़ाद फ़रमाया और उनकी आज़ादी ही को उनका महर क़रार दिया।

(3344) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1365/85, बुख़ारी, हदीस: 947, हदीस: 5086, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5499.

फ़ायदा : अहनाफ़ वग़ैरह के नज़दीक ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं। मज़्कूरा वाक़िये को वह रसूलुल्लाह(ﷺ) का ख़ास्सा क़रार देते हैं, हालांकि सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने इससे तख़्सीस नहीं समझी, और आज़ादी तो उमूमन माल ही से होती है, लिहाज़ा आज़ादी का महर बनना तो माली मन्फ़अत भी है। इससे इन्कार अजीब बात है। ख़ास्से की नफ़ी इस बात से भी होती है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ुद दूसरे लोगों के निकाह तालीमे कुर्आन की शर्त पर क़रार दिये तो आज़ादी की शर्त पर निकाह क्यों जायज़ नहीं होगा? ख़ास्सा बनाने की क्या ज़रूरत है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

(3345) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सफ़िया (ﷺ) को आज़ाद (फ़रमा कर उनसे निकाह) फ़रमाया और उनकी आज़ादी को उनका महर क़रार दिया। ये लफ़्ज़ मुहम्मद (बिन राफ़ेअ) के हैं।

तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1365/85, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5500.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दरअसल इस रिवायत में इमाम नसाई (ﷺ) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन राफ़ेअ और अम्र बिन मनसूर। दोनों के रिवायतकर्दा अल्फ़ाज़ में मामूली सा इख़्तिलाफ़ होगा क्योंकि अम्र बिन मनसूर ने रिवायत बिल मआनी बयान की है। बयान शुदा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन राफ़ेअ के हैं। वल्लाहु आलम! **(2)** उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (ﷺ) ग़ज़्व-ए ख़ैबर में यहूदियों की शिकस्ते फ़ाश के बाद क़ैद हो गई थी। उनका निकाह थोड़ा अर्सा पहले हुआ था। ख़ाविन्द उसी जंग में मारा गया। चूंकि वह एक अज़ीम सरदार की बेटी और एक दूसरे सरदार की बीवी थीं, लिहाज़ा लोगों के मुतालबे पर नबी (ﷺ) ने उन्हें अपने लिये मुन्तख़ब फ़रमा लिया। चूंकि क़ैदी गुलाम बन जाते हैं। वह भी गुलाम ही थी। आपने उन्हें आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। इस तरह यहूदियों की मुख़ालिफ़त में ज़ोर न रहा। (ﷺ). हज़रत सफ़िया (ﷺ) हज़रत हारून(ﷺ) की नस्ले मुबारक से थी।

बाब : (65) आदमी का अपनी लौण्डी को आज़ाद कर के उससे निकाह करना

باب (٦٥): عِتْقِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

(3346) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन अश्ख़ास को दुगना अज्र अता फ़रमाया जायेगा। एक वह आदमी जिसके पास अपनी लौण्डी हो, वह उसे इल्म व अदब सिखाये और बेहतरीन इल्म व अदब सिखाये। फिर उसे आज़ाद कर के उससे निकाह कर ले। दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह तआला का हक्के (इबादात) भी अदा करे और अपने मालिकों के हुक़ूक़ भी पूरे करे। तीसरा वह जो अहले किताब में से मुसलमान हो जाये।'

(3346) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 97, मुस्लिम, हदीस़: 154/241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5502.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दुगना अज्र' क्योंकि उन्होंने दुगनी नेकी की। आज़ादी भी निकाह भी। अल्लाह का हक़ भी लोगों का हक़ भी। पहले नबी पर ईमान और आख़री नबी पर भी ईमान। या हर हर काम पर दुगना अज्र, जैसे: आज़ाद करने का दुगना स़वाब। अगरचे निकाह अपने मुराद के लिये किया। इसी तरह गुलाम को इबादात का दुगना स़वाब वरना मालिकों की ख़िदमत तो उसका ज़ाती फ़रीज़ा था। इसी तरह आख़री नबी (ﷺ) पर ईमान लाने का दुगना स़वाब। पहली शरीयत तो वैसे ही मन्सूख़ हो चुकी। (2) 'निकाह करे' यानी उसकी रज़ामन्दी से, फिर उसे महर दे या आज़ादी को महर क़रार देने ही पर इत्तेफ़ाक़ हो जाये।

(3347) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अपनी लौण्डी को आज़ाद करके उससे निकाह करे, उसे दोहरा स़वाब मिलेगा।'

(3347) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2544, मुस्लिम: 154/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5501.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ، عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ " .

फ़ायदा : क्योंकि आज़ादी के बाद निकाह करना भी एहसान पर एहसान या तकमीले एहसान है, और ये 'सदक़-ए-ज़ौजैन' भी है।

बाब : (66) महर मुक़र्रर करने में इन्साफ़ से काम लेना

باب (٦٦): الْقِسْطِ فِي الأَصْدِقَةِ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ

(3348) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) से अल्लाह(ﷻ) के इस फ़रमान के बारे में पूछा: (व इन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितू....) 'और अगर तुम्हें ख़तरा हो कि तुम यतीमों की बाबत इन्साफ़ नहीं कर सकोगे तो तुम (दूसरी) औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसन्द हों।' उन्होंने फ़रमाया: ऐ मेरे भाँजे! इस (आयत में यतीमों) से वह यतीम बच्ची मुराद है जो अपने किसी सरपरस्त के यहाँ परवरिश पा रही हो। और उसके साथ उसके माल में शरीक हो। सरपरस्त को उसके माल व जमाल से दिलचस्पी हो, इसलिये उस सरपरस्त का इरादा हो कि उस (यतीम बच्ची) से निकाह करे (ताकि उसके माल पर क़ब्ज़ा करे) मगर महर मुक़र्रर करने में इन्साफ़ से काम न ले, यानी उसे इतना महर न दे जो कोई दूसरा उसे दे सकता है। तो ऐसे सरपरस्तों को रोक दिया गया कि उनसे निकाह करें मगर ये कि वह उनके साथ इन्साफ़ करें और उन्हें उनके मर्तबे के मुताबिक़ ज़्यादा महर दें वरना वह उनके अलावा दूसरी औरतों से निकाह करें जो उन्हें पसन्द हों। हज़रत उर्वा ने कहा: हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: फिर इसके बाद लोगों ने उन यतीम बच्चियों की बाबत रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस्तिफ़सार किया तो अल्लाह (ﷻ) ने ये आयत उतारी: (व यस्तफ़्तू

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } إِلَى قَوْلِهِ {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي فِيهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِى مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

नक फ़िन्निसाइ ....) 'ये आपसे औरतों के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिये कि अल्लाह तआला तुम्हें उनके बारे में फ़तवा देता है और जो कुछ तुम पर किताब में पढ़ा जाता है, वह उन यतीम औरतों के बारे में है जिन्हें तुम वह नहीं देते जो उनके लिये फ़र्ज़ किया गया है और चाहते हो कि उनसे निकाह कर लो।' हज़रत आयशा(ﷺ) ने फ़रमाया: जो अल्लाह तआला ने ये फ़रमाया है कि तुम पर उनके अहकाम किताबुल्लाह में पढ़े जाते हैं। उससे मुराद वही पहली आयत है: (इन ख़िफ़्तुम .....) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फरमाया: दूसरी आयत में अल्लाह तआला का ये फ़रमान: (वतर्ग़बूना अन तन्किहूहुन्ना) इससे मुराद यतीम बच्ची है जो अपने सरपरस्त के यहाँ परवरिश पा रही हो जब कि वह माल व जमाल के लिहाज़ से कम हो। (उनके इस तर्ज़े अमल की वजह से) उन्हें उस यतीम बच्ची के साथ निकाह करने से भी रोक दिया गया जिसके माल व जमाल में उनकी दिलचस्पी थी, मगर इन्साफ़ के साथ क्योंकि वह (माल व जमाल कम होने की सूरत में) उनसे कोई दिलचस्पी न रखते थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2018/6, बुख़ारी, हदीस: 2494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5514.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावि-ए-हदीस हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा (ﷺ) की बड़ी हमशीरा हज़रत अस्मा (ﷺ) के बेटे थे। रिश्ते में उनके भाँजे थे। **(2)** 'पूछा' क्योंकि ज़ाहिरन शर्त व जज़ा में कोई ताल्लुक़ समझ में नहीं आता। हज़रत आयशा (ﷺ) ने ऐसी तफ़्सील बयान फ़रमाई कि न सिर्फ़ इस आयत बल्कि दीगर मुताल्लिक़ा आयात का मतलब भी वाज़ेह हो गया। जज़ाहल्लाहु अन्ना ख़ैरल जज़ा! **(3)** हज़रत आयशा (ﷺ) की इस तफ़्सील का ख़ुलासा ये है कि जब किसी बच्ची का वालिद फ़ौत हो जाता और उसके वारिस चचा या उसके बेटे होते तो वह उस यतीम बच्ची की बजाये अपना मफ़ाद मुक़द्दम चाहते। अगर माल व जमाल वाफ़िर होता तो उससे निकाह में पुर जोश होते मगर

उसे उसके मर्तबे के मुताबिक़ महर न देते क्योंकि असल मक़सद तो उसका माल हासिल करना होता था। और अगर माल व जमाल की कमी होती तो फिर उसकी तरफ़ मुँह भी न करते। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि तुम किसी भी हाल में यतीम बच्चियों से निकाह न करो, ख़्वाह वह मालदार हों या फ़क़ीर, बल्कि उनका निकाह घर से बाहर करो ताकि उनका माल उन्हें मिले और वह अपना पूरा महर भी हासिल कर सकें। हाँ अगर सरपरस्त और औलिया दूसरे लोगों के बराबर या उनसे ज़्यादा महर दें तो वह उनसे निकाह कर सकते हैं। (4) मालूम हुआ कि औरतों का महर उनकी ज़ाती और ख़ानदानी हैसियत के मुताबिक़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कम महर मुक़र्रर करना उन पर ज़ुल्म है क्योंकि महर औरत का हक़ है न कि औलिया का। औलिया अपने हक़ में रिआयत कर सकते हैं, औरत के हक़ में नहीं। इस मसले में इन्साफ़ चाहिए। न तो फ़ख़्र व रिया के लिये उनकी हैसियत से ज़्यादा मुक़र्रर किया जाये, न अपने मफ़ाद के लिये उनकी हैसियत से कम।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ .

(3349) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से महर के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने साढ़े बारह औक़िये पर निकाह किये और ये पाँच सौ दिरहम बनते हैं।

(3349) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5513.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'औक़िया' चालीस दिरहम का होता है। साढ़े बारह औक़िये पाँच सौ दिरहम बनते हैं। (2) 'निकाह किये' यानी ख़ुद अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात से और अपनी बेटियों के निकाह अपने दामादों से किये। अगर अक्सर निकाह इस महर पर हों तो ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ बोले जा सकते हैं, ख़्वाह सब निकाह इस महर पर न भी हों। ये माक़ूल महर था। आज कल हमारे सिक्के के लिहाज़ से तक़रीबन दस हज़ार रूपये बनते हैं, हालांकि वह तंगी का दौर था। ये जो आज कल सवा बत्तीस रूपये को शरई महर समझा जाता है, ये किस दौर का हिसाब है? ये इन्तेहाई ग़ैर माक़ूल है चे जाये कि शरई हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

(3350) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें तशरीफ़ फ़रमा थे, महर दस औक़िये होता था।

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ أَوَاقٍ .

(3350) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5510, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1260, वल हाकिम: 2/175.

फ़ायदा : 'दस औक़िये' ऊपर साढ़े बारह औक़िये गुज़रा है। मुमकिन है कस्र गिरा दी गई हो या उमूमन महर इतना ही हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) के इम्तियाज़ की वजह से आपके महर पाँच सद दिरहम हों। दस औक़िये चार सौ दिरहम बनते हैं। ये महर की मुक़र्रर मिक़्दार नहीं बल्कि उस दौर के लिहाज़ से उनके मुआशरे में ये एक मुनासिब महर होगा। हर दौर के लिहाज़ से इसमें कमी बेशी होती रहेगी।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ، عَوْنٍ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، - وَقَالَ الآخَرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، - قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلاَ لاَ تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي

(3351) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (﵁) ने फ़रमाया: ख़बरदार! औरतों के महर के मसले में हद से न बढ़ो। अगर कसीर महर दुनिया में इज़्ज़त या अल्लाह तआला के नज़दीक तक़्वा का सबब होता तो नबी (ﷺ) इसके ज्यादा लाइक़ थे जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी को बारह औक़िये से ज़्यादा महर नहीं दिया, और न आपकी किसी बेटी को इससे ज़्यादा महर दिया गया। बसा औक़ात कोई शख़्स महर ज़्यादा मुक़र्रर कर लेता है यहाँ तक कि उसके दिल में अपनी बीवी से दुश्मनी हो जाती है। यहाँ तक कि वह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिये मशकीज़े की रस्सी की तकलीफ़ बरदाश्त की (बड़ी मुसीबत उठाई) एक रावि-ए हदीस (अबुल अज्फ़ा) ने कहा: मैं अरबों में सिर्फ़ पैदा हुआ हूँ, ख़ालिस अरबी नहीं इसलिये मुझे इन अल्फ़ाज़ (ग़लक़ुल क़िरबा) का मफ़हूम मालूम नहीं था। हज़रत उमर (﵁) ने फ़रमाया: और एक (ना'मुनासिब) बात तुम ये कहते हो कि जो शख़्स तुम्हारी इन जंगों में मारा जाता है या मर

بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عَلَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ غُلاَمًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ قُتِلَ فُلاَنٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلاَنٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فَلاَ تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ " .

जाता है, तुम कहते हो, फ़ुलां आदमी शहीद हुआ या शहादत की मौत मरा। हो सकता है उस शख़्स ने अपने जानवर की पुश्त या उसके पालान और काठी को सोने या चाँदी से लादा हो और उसकी नियत तिजारत की हो, इसलिये तुम ऐसे न कहो बल्कि तुम इस तरह कहो जिस तरह रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया थाः 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाये या फ़ौत हो जाये, वह जन्नत में जायेगा।'

(3351) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 1/40, 41, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5511, अबू दाऊद, हदीसः 2106, तिर्मिज़ी, हदीसः 1114, व सहीह अल हाकिमः 2/109, 175, 176.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हद से न बढ़ो' हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने ज़्यादा महर से मना नहीं फ़रमाया बल्कि हैसियत से बढ़ कर मुक़र्रर करने से रोका है जिस तरह कि बाद वाले अल्फ़ाज़ दलालत करते हैं। **(2)** 'बारह' मुराद साढ़े बारह ही हैं जैसा कि दूसरी हदीस में गुज़रा मगर यहाँ कस्र गिरा दी गई। देखियेः (सहीह मुस्लिम, हदीसः 1426) **(3)** 'मशकीज़े की रस्सी' मशकीज़ा आम तौर पर रस्सी की मदद से उठाया जाता है यहाँ तक कि उस रस्सी के निशान जिस्म पर पड़ जाते हैं। मक़सूद ये है कि मुझे तेरी वजह से बहुत ज़लील होना पड़ा है और बड़ी मशक़्क़त उठानी पड़ी है। ये एक मुहावरा है। **(4)** 'हो सकता है' यानी ज़रूरी नहीं मैदाने जंग में हर मारा जाने वाला या मरने वाला शहीद ही हो क्योंकि शहादत का मदार तो नियत पर है। और नियतों को अल्लाह तआला ही जानता है, लिहाज़ा तुम किसी को शहीद या जन्नती न कहो बल्कि उसूली बात कहो कि जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में मारा जाये, वह शहीद और जन्नती है।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

(3352) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे निकाह किया जबकि वह हब्शा में थी। उनका निकाह नजाशी ने किया था और उन्होंने अपने पास से चार हज़ार

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ .

दिरहम महर दिया था और उन्हें रुख़्सती का सामाने (ज़रूरत) भी अपने पास से दिया और उन्हें हज़रत शुरहबील बिन हस्ना (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें (हब्शा में) कोई चीज़ नहीं भेजी थी। आपकी दूसरी औरतों का महर चार सौ दिरहम था।

(3352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2086, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5512.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि अबू दाऊद (हदीस: 2086) में इस रिवायत की तहक़ीक़ में लिखते हैं कि इस हदीस के बहुत ज़्यादा शवाहिद हैं। लेकिन इन शवाहिद की सेहत व ज़ोअफ़ की तरफ़ इशारा नहीं किया जिससे मालूम होता है कि शैख़ (رحمه الله) के नज़दीक भी इस हदीस की कोई न कोई अस़ल ज़रूर है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने मज़्कूरा रिवायत को स़ही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत दलाइल की रू से स़ही क़रार पाती है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'हब्शा में थी' दरअस़ल ये अपने ख़ाविन्द उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ हब्शा हिजरत करके गई थी। कुछ दिनों बाद माली मफ़ाद की ख़ातिर उबैदुल्लाह बिन जहश ईसाई बन गया और इसी इर्तेदाद की हालत में फ़ौत हुआ। हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) इस्लाम पर क़ायम रहीं। आपको सूरते हाल का पता चला तो आपने हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी (ﷺ) को उनसे निकाह का पैग़ाम देकर हज़रत नजाशी शाहे हब्श के पास भेजा। **(3)** ये 6 या 7 हिजरी की बात है। उस वक़्त हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) के वालिद अबू सुफ़ियान (ﷺ) मुसलमान न हुए थे बल्कि क़ुरैशे मक्का के सरदार थे। उस वक़्त आपका हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से शादी करना एक तरफ़ तो एक ग़रीबुद्दियार औरत जो अपने माँ बाप को मुस्तक़िल्लन आपके लिये छोड़ चुकी थी, वाहिद सहारा ख़ाविन्द मुर्तद होकर मर चुका था, की हौसला अफ़ज़ाई और क़द्र बीनी है। दूसरी तरफ़ ये एक बहुत बड़ा सियासी फ़ैसला है जिसने कुफ़्फ़ारे क़ुरैश की कमर तोड़ दी और अबू सुफ़ियान आपसे लड़ने के क़ाबिल न रहे। **(4)** शादी के मौक़े पर बेटी या बहन वग़ैरह की तालीफ़े क़ल्ब के लिये बतौर तोहफ़ा नया घर बसाने के लिये ज़रूरत की कुछ चीज़ें दे देना मुस्तहब है। बेटे की शादी पर ख़र्च करना और बेटी को ख़ाली हाथ भेज देना मसावाते इस्लामी के मुनाफ़ी है। अलबत्ता इसमें गुलू और तकल्लुफ़ नाजायज़ है, और इससे मुरव्वजा रस्म जहेज़ के जवाज़ पर इस्तेदलाल भी दुरुस्त नहीं। ये एक ग़ैर इस्लामी रस्म है जिसमें बहुत

सी क़बाहतें हैं, जैसे: जहेज़ न लाने पर लड़की के साथ बद सुलूकी से पेश आना, रोज़ाना की तअ़न व तशनीअ़ से उसका जीना दोभर कर देना, लड़के वालों की तरफ़ से जहेज़ का और उसमें मुख़्तलिफ़ चीज़ों का मुतालबा करना और नतीजतन लड़की के औलिया का क़र्ज़ के बारेगिरां तले दब जाना वग़ैरह जिसकी तफ़्सील हदीस: 3386 के फ़ायदे में देखी जा सकती है। (5) 'चार सौ दिरहम' पीछे गुज़र चुका है कि ये दस औक़िये का तर्जुमा है और इसमें कस्र गिराई गई है वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुक़र्ररकर्दा आम महर पाँच सद दिरहम था।

बाब : (67)
सोने के नवात को महर मुक़र्रर करना

باب(٦٧): التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

(3353) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (ﷺ) नबी(ﷺ) के पास हाज़िर हुए तो उन पर सुफ़्रा के निशानात थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने एक अन्सारी औ़रत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'तूने उसे क्या महर दिया?' उन्होंने कहा: सोने का एक नवात। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वलीमा कर अगरचे एक बकरी ही का हो।'

(3353) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5153, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5508, मौता: 2/545, मुस्लिम, हदीस: 1427/81.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सुफ़्रा' ये एक रंगदार ख़ुशबू थी जिसे औरतें इस्तेमाल करती थी। रंगदार ख़ुशबू मर्दों के लिये जायज़ नहीं, इसलिये नबी (ﷺ) को पूछना पड़ा। **(2)** 'शादी कर ली है' इसका अन्दाज़ा आपको रंगदार ख़ुशबू से हो गया, ये ख़ुशबू मर्दों के लिये जायज़ नहीं है। उन्हें ये ख़ुशबू बीवी के साथ उठने बैठने की वजह से लगी थी उन्होंने क़सदन न लगाई थीं। इसलिये उस पर ज़्यादा तवज्जा भी नहीं दी गई। **(3)** 'नवात' ये सोने का एक सिक्का था जिसकी क़ीमत तीन या बक़ौल कुछ पाँच

दिरहम थी। गोया इतना महर भी हो सकता है। अहनाफ़ के नज़दीक कम अज़ कम महर दस दिरहम है। उनकी दलील दारक़ुतनी की एक ज़ईफ़ हदीस़ है। हालांकि क़ुर्आन मजीद में मुत्लक़ माल का ज़िक्र है और स़ही अहादीस़ में लोहे की अंगूठी तक को महर के लिये काफ़ी क़रार दिया गया है। तआ़रुज़ की सूरत में स़ही अहादीस़ पर अ़मल करना चाहिए। इमाम मालिक (رحمه الله) चौथाई दीनार (तक़रीबन तीन दिरहम) को कम अज़ कम महर मानते हैं। स़ही बात ये है कि न कम अज़ कम महर मुक़र्रर है न ज़्यादा से ज़्यादा। हालात व हैस़ियत के लिहाज़ से कुछ भी हो सकता है। (4) 'बकरी' ये मामूली वलीमा है। अ़रब तो कई कई ऊँटों से वलीमा करते थे मगर वह तंगी का दौर था, लिहाज़ा इतना भी काफ़ी था। जुम्हूर अहले इल्म वलीमे को मुस्तहब समझते हैं, अलबत्ता अहले ज़ाहिर ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की रिआ़यत से वाजिब कहा है। वलीमा शादी के बाद दूसरे दिन करना मसनून है, अलबत्ता किसी शरई मजबूरी की बिना पर ताख़ीर हो सकती है। शादी से पहले वलीमा करने की कोई दलील नहीं। ये दुल्हा की तरफ़ से शादी की ख़ुशी के मौक़े पर दावत होती है। (5) हक़्क़े महर ज़रूरी है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَىَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ كَمْ أَصْدَقْتَهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏

(3354) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे देखा तो मुझ पर शादी की ख़ुशी के आस़ार थे। (आपने पूछा तो) मैंने कहा: मैंने एक अन्स़ारी औ़रत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'महर कितना दिया?' मैंने कहा: सोने का नवात।

(3354) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1427/82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5507.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(3355) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि बेशक नबी (ﷺ) नें फ़रमाया: 'औ़रत के साथ जिस महर पर निकाह किया जाये या जो अ़तिया या वादा निकाह से पहले दिया जाये, वह सब कुछ औ़रत का है। अलबत्ता अ़क़्दे निकाह के बाद मिलने वाला तोहफ़ा उसी का होगा जिसे दिया जायेगा। और वह (बेहतरीन)

قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " . اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ .

चीज़ जिसकी वजह से किसी की इज़्ज़त की जाये, उसकी बेटी या बहन है (जो वह किसी के निकाह में दे)' ये अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह के हैं।

(3355) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2129, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5509.

वज़ाहत : इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं : हिलाल बिन अला और अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन तमीम। बयानकर्दा अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह के हैं।

फ़वाइद व मसाइल : (1) निकाह से क़ब्ल जो कुछ तहाइफ़ दिये जाते हैं, वह औरत की ख़ातिर होते हैं, लिहाज़ा वह औरत के लिये शुमार होंगे, अगरचे किसी को भी मिलें, अलबत्ता निकाह के बाद चूंकि नये रिश्ते क़ाइम हो जाते हैं, लिहाज़ा जिसे तोहफ़ा मिलेगा, उसका शुमार होगा। **(2)** किसी को बेटी या बहन का निकाह देना बहुत बड़ा एहसान है, लिहाज़ा बीवी के बाप और भाई का एहतिराम लाज़िम है क्योंकि निकाह का इख़्तियार उन्हें था। बीवी के बाप को तीसरा बाप कहा गया है। पहला हक़ीक़ी वालिद, दूसरा उस्ताद और तीसरा ससुर। इसी तरह बीवी की वालिदा का भी एहतिराम ज़रूरी है। इसी बिना पर तो उससे निकाह हराम कर दिया गया और उससे पर्दा नहीं रखा गया। **(3)** ज़ाहिरन इस हदीस का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, मगर ये कि कहा जाये कि इस हदीस से मालूम होता है कि महर की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं।

باب (٦٨): إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

बाब : (68) बग़ैर महर के निकाह के जवाज़ का बयान

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(3356) हज़रत अल्क़मा और अस्वद से मन्क़ूल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) से एक ऐसे आदमी के बारे में सवाल किया गया जिसने किसी औरत से निकाह किया मगर महर मुक़र्रर न किया, और वह बीवी के साथ सोहबत करने से पहले ही फ़ौत हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह ने फ़रमाया: लोगों से पूछो क्या इस बारे में कोई फ़रमाने रसूल मौजूद है? लोगों ने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! हम इस बारे में कोई फ़रमान नहीं पाते।

سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا . قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ .

उन्होंने फ़रमाया: (अब) मैं अपनी राय से बात करता हूँ। अगर मेरी बात दुरुस्त है तो अल्लाह की तरफ़ से होगी। (मेरी राय ये है कि) उस औरत को उस जैसी दूसरी औरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा (यानी महरे मिस्ल) न कम न ज़्यादा। इसे विरासत भी मिलेगी और इसे इद्दते वफ़ात भी गुज़ारनी होगी। इतने में अश्जअ क़बीले का एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: हमारे क़बीले की एक औरत बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऐसा ही फ़ैसला फ़रमाया था। उस औरत ने एक आदमी से निकाह किया था और वह उसके साथ सोहबत करने से पहले ही फ़ौत हो गया था। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि औरत को उस जैसी दूसरी औरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा। उसे विरासत भी मिलेगी और उसे इद्दत भी गुज़ारनी होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने (बतौर तशक्कुर व ख़ुशी) अपने हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कहा।

अबू अब्दुहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि ज़ाइदा के अलावा किसी और रावी ने इस हदीस में अस्वद का ज़िक्र किया हो।

(3356) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2115, तिर्मिज़ी, हदीस: 1145, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5515, व सहीह अल बैहक़ी: 7/245, हदीस: 3357, 336.

वज़ाहत : आइन्दा रिवायात की असानीद देखने से ख़ुद ब ख़ुद वज़ाहत हो जाती है कि ज़ाइदा के अलावा बाक़ी रुवात सिर्फ़ अल्क़मा का ज़िक्र करते हैं।

फ़वाइद व मसाइल : (1) महर मुक़र्रर करने के बग़ैर निकाह हो सकता है मगर महर की नफ़ी न की जाये। अगर महर की नफ़ी की जायेगी तो निकाह बातिल होगा। महर की नफ़ी न हो मगर मुक़र्रर न किया

गया हो तो बाद में जिस पर भी इत्तेफ़ाक़ हो जाये, वही महर होगा और अगर इतेफ़ाक़ न हो तो उस ग़ौरत की ज़ाती और ख़ानदानी हैसियत को मद्दे नज़र रखते हुए महर मुक़र्रर किया जायेगा, जैसे: उसकी बहनों या फूफियों या उस जैसी दूसरी ग़ौरतों का ग़ूमूमी महर। इसे महरे मिस्ल कहा जाता है। **(2)** हज़रत ग़ब्दुल्लाह बिन मसग़ूद (ﷺ) के फ़तवा की बुनियाद ये है कि निकाह सही है अगरचे महर मुक़र्रर नहीं हुआ, और वह उसकी क़ानूनी बीवी है अगरचे जिमाग़ वग़ैरह नहीं हुआ, लिहाज़ा उस पर तमाम हुक़ूक़ व फ़राइज़ लागू होंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला मालूम हो जाने के बाद तो इस फ़तवा की सेहत यक़ीनी हो गई। (ﷺ). **(3)** अगर एक मसले में शरई नस़ वारिद हो तो फिर क़यास व इज्तेहाद की गुंजाइश नहीं बल्कि उस पर ग़मल किया जायेगा। **(4)** हज़रत ग़ब्दुल्लाह बिन मसग़ूद (ﷺ) का वरग़ तक़्वा देखिये कि एक माह तक ग़ौर व ख़ौज़ किया, फिर फ़तवा दिया जैसा कि आइन्दा रिवायत में आ रहा है। एक ग़ालिम के यही लाइक़ है कि वह फ़तवा देने में जल्दी न करे। नुसूस में ग़ौर व फ़िक्र करे और फिर कोई राय क़ाइम करे। **(5)** ग़ालिमे दीन को अगर किसी मसले के बारे में इल्म नहीं तो फ़ौरन फ़तवा देने की बजाये दीगर जय्यद ग़ुलमा से उसकी बाबत पूरी तफ़सील मालूम करे, फिर कोई राय क़ाइम करे।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لاَ يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .

(3357) हज़रत ग़ल्क़मा से मरवी है कि हज़रत ग़ब्दुल्लाह बिन मसग़ूद (ﷺ) से एक ग़ौरत के बारे में पूछा गया जिससे किसी आदमी ने निकाह किया और वह मर गया। अभी तक न तो उसने महर मुक़र्रर किया था और न उससे जिमाग़ ही किया था। वह लोग तक़रीबन एक माह तक आते रहे। हज़रत ग़ब्दुल्लाह बिन मसग़ूद उन्हें कोई फ़तवा नहीं दे रहे थे। आख़िरकार फ़रमाया: मेरा ख़याल है कि इसे उस जैसी ग़ौरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा। न कम न ज़्यादा। उसे (ख़ाविन्द से) विरासत भी मिलेगी और उसे इद्दत भी गुज़ारनी होगी। तो हज़रत माक़िल बिन सिनान अश्जई (ﷺ) ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत बिर्वा बिन्ते वाशिक़ (ﷺ) के बारे में आपके फ़ैसले जैसा फ़ैसला फ़रमाया था।

(3357) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5516.

(3358) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने उस आदमी के बारे में, जिसने एक औरत से निकाह किया और मर गया जब कि उसने न उससे जिमाअ किया और न उसका महर ही मुक़र्रर किया, फ़रमाया: औरत को महरे मिस्ल मिलेगा। उसे इद्दत गुज़ारनी पड़ेगी। उसे विरासत भी मिलेगी। हज़रत माक़िल बिन सिनान (ﷺ) फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के बारे में ऐसा ही फ़ैसला फ़रमाते सुना है।

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2114, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5517.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .

(3359) हज़रत अल्क़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से ऐसा ही वाक़िया बयान किया है।

(3359) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3356, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5519.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ .

(3360) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के पास कुछ लोग आये और कहने लगे कि हममें से एक आदमी ने एक औरत से शादी की, अभी उसने महर मुक़र्रर न किया था और न उससे सोहबत ही की थी कि वह फ़ौत हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे: जब से मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से जुदा हुआ हूँ, मुझसे इससे मुश्किल मसला नहीं पूछा गया। तुम किसी और के पास जाओ। वह लोग एक माह तक उसकी बाबत आपके पास आते

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي . فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ وَلاَ نَجِدُ غَيْرَكَ . قَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أُرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . قَالَ فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِإِسْلاَمِهِ .

रहे। आख़िर वह कहने लगे: अगर हम आपसे न पूछें तो और किससे पूछें? इस शहर में आप ही हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। आपके अलावा हमें कोई और शख़्स नहीं मिलता। आप फ़रमाने लगे: मैं इसके मुताल्लिक़ इन्तेहाई सोच बिचार से फ़तवा देता हूँ। अगर सही और दुरुस्त हुआ तो अल्लाह तआला की तरफ़ से है जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। और अगर वह ग़लत हुआ तो उसमें कोताही मेरी होगी। और ख़राबी शैतान की तरफ़ से। अल्लाह तआला और उसका रसूल इससे बरी होंगे। मेरा ख़याल है कि मैं उसके लिये उस जैसी औरतों के मुताबिक़ महर मुक़र्रर करूँ। न कम न ज़्यादा। उसे विरासत भी मिलेगी और उसे चार माह दस दिन इद्दत भी गुज़ारनी होगी। अश्जअ क़बीले के कुछ लोग भी ये फ़तवा सुन रहे थे। उन्होंने उठ कर गवाही दी कि बिला शुब्हा आपने वही फ़ैसला किया है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारी एक औरत बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के मुताल्लिक़ किया था। हमारे देखने में नहीं आया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) इस्लाम के अलावा किसी और बात पर इतने ख़ुश हुए हों जितने उस दिन ख़ुश हुए (कि मेरा फ़तवा हदीसे रसूल के मुताबिक़ हो गया।)

(3360) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5518, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1263, वल हाकिम: 2/101.

बाब : (69) औरत का अपने आपको किसी शख़्स के साथ बग़ैर महर के निकाह के लिये पेश करना

باب : (٦٩) هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ " . قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ " . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . لِسُوَرٍ سَمَّاهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " .

(3361) हज़रत सहल बिन सअ़द (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ एक औरत आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने आपको आपके साथ निकाह के लिये पेश करती हूँ। वह काफ़ी देर खड़ी रही। आख़िर एक आदमी उठ कर कहने लगा: अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं तो इसका निकाह मुझसे कर दीजिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे पास (महर देने के लिये) कोई चीज़ है।' उसने कहा: मेरे पास कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा, तलाश कर अगरचे लोहे की अंगूठी ही मिल जाये।' उसने तलाश किया लेकिन उसे कुछ न मिला। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे क़ुरआन मजीद का कुछ हिस्सा याद है?' उसने कहा: जी हाँ। फुलां फुलां सूरत याद है। उसने चन्द सूरतों का तज़्किरा किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने इस क़ुरआन मजीद (की तालीम) के ऐवज़ जो तुम्हें याद है, तेरा इससे निकाह कर दिया।'

(3361) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2310, मौता: 2/526, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5524.

फ़ायदा : ये हदीस कई दफ़ा गुज़र चुकी है। यहाँ मक़सूद ये है कि उस औरत ने हिबा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था और हिबा बिला मुआवज़ा होता है, लिहाज़ा ये पेशकश भी बिला महर होगी। कुछ अइम्मा ने बिला महर पेशकश को रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये जायज़ क़रार दिया है मगर सही मालूम ये होता है कि ये दरअसल निकाह ही की पेशकश थी और निकाह महर के साथ ही होता है जैसा कि आपने बाद में उसका दूसरे सहाबी के साथ महर वाला निकाह ही पढ़ाया। वल्लाहु आलम!

बाब : (70) किसी के लिये शर्मगाह (बग़ैर निकाह के) हलाल करना?

باب (٧٠): إِحْلاَلِ الْفَرْجِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ " إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ".

(3362) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उस आदमी के बारे में जो अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ करता था, फ़रमाया: 'अगर उस (की बीवी) ने अपनी लौण्डी को उसके लिये हलाल किया था तो मैं उसे सौ कोड़े मारूँगा और अगर उसने लौण्डी को उसके लिये हलाल नहीं किया था तो मैं उसे रज्म करूँगा।'

(3362) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5551, अल बैहक़ी: 8/240, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2552 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नौमान बिन बशीर (ﷺ) की ऊपर दी गई और आने वाली रिवायत सनदन ज़ईफ़ और मुज़्तरिब हैं। मुहक़्क़िके किताब का इन तीनों और इनसे पहले की सलमा बिन मुहब्बक़ की दो रिवायात को हसन क़रार देना महल्ले नज़र है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) वग़ैरह ने इन्हें ज़ईफ़ करार दिया है। और उन्हीं की बात राजेह मालूम होती है। तहक़ीक़ के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 30/346-348) **(2)** तफ़हीमे मसला की ग़र्ज़ से हदीस की कुछ ज़रूरी तौज़ीह पेशे नज़र है: नाजायज़ चीज़ किसी के हलाल करने से जायज़ नहीं बन जाती। बीवी अपनी लौण्डी को ख़ाविन्द के लिये हलाल क़रार दे तो वह लौण्डी ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं होगी क्योंकि वह उसकी लौण्डी नहीं, बीवी की लौण्डी है। और जिमाअ अपनी लौण्डी से जायज़ है। लेकिन चूंकि इसमें शुब्हा है कि बीवी की लौण्डी ख़ाविन्द की भी लौण्डी है, तो जब बीवी ने अपनी मम्लूका चीज़ ख़ाविन्द के लिये जायज़ क़रार दी तो शायद वह उसके लिये हलाल हो, इसलिये सज़ा में कुछ तख़्फ़ीफ़ है कि बजाये रज्म के कोड़े मारने का ज़िक्र फ़रमाया, मगर याद रहे इस शुब्हा की बिना पर उस मर्द को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जा सकता, सज़ा हल्की हो सकती है। हाँ, अगर बीवी अपनी लौण्डी ख़ाविन्द को हिबा कर दे और वह उसकी लौण्डी बन जाये या अपनी लौण्डी का निकाह ख़ाविन्द से करा दे तो जायज़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

(3363) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी जिस का नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन हुनैन और लक़ब कुरक़ूर था, ने

خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُنْبَزُ قُرْقُورًا أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً . قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا .

अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ कर लिया। उस शख़्स को (गवर्नर मक्का) हज़रत नौमान बिन बशीर के पास पेश किया गया। उन्होंने फ़रमाया: मैं इसकी बाबत रसूलुल्लाह (ﷺ) वाला फ़ैसला करूँगा कि अगर इस (तेरी बीवी) ने इस लौण्डी को तेरे लिये हलाल किया था तो तुझे कोड़े मारूँगा और अगर उसने इसे तेरे लिये हलाल नहीं किया था तो तुझे पत्थरों से रज्म करूँगा। (तहक़ीक़ से पता चला कि) उसकी बीवी ने उस लौण्डी को उसके लिये हलाल किया हुआ था, इसलिये सौ कोड़े मारे गये।

क़तादा ने कहा: मैंने हबीब बिन सालिम को ख़त लिखा तो उन्होंने मुझे ये हदीस़ लिख कर भेजी।

(3363) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5554.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ " إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَجْلِدْهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَرْجُمْهُ " .

(3364) हज़रत नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी के बारे में जिसने अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ कर लिया था, फ़रमाया: 'अगर उसकी बीवी ने लौण्डी को उसके लिये हलाल किया था तो मैं उसे सौ कोड़े मारूँगा और अगर उसने उसे हलाल नहीं किया था तो मैं उसे रज्म करूँगा।'

(3364) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5555.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ

(3365) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस आदमी के बारे में जिसने अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ किया था, फ़ैसला फ़रमाया: 'अगर

سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " .

उसने उससे ज़बरदस्ती जिमाअ किया है तो वह लौण्डी (उसके माल से) आज़ाद हो जायेगी और उसे उसकी मालिका को उस जैसी लौण्डी देनी होगी, और अगर लौण्डी की रिज़ा व रग़बत से जिमाअ किया है तो वह लौण्डी उसकी बन जायेगी। अलबत्ता उस मर्द को उस जैसी एक और लौण्डी बीवी को देनी होगी।'

(3365) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4460, अल बैहक़ी: 8/240.

फ़ायदा : ये हदीस़ बशर्ते सेहत मुमकिन है हुदूद का हुक्म नाज़िल होने से पहले इरशाद फ़रमाई गई हो। अब तो हुदूद का निफ़ाज़ नागुज़ीर है। ऐसी सूरत में उस शख़्स को बहरहाल रज्म किया जायेगा, ख़्वाह लौण्डी राज़ी थी या उससे जबरन जिमाअ किया गया, अलबत्ता जब्र की सूरत में लौण्डी को माफ़ी होगी, रिज़ा व रग़बत की सूरत में उसे पचास कोड़े लगेंगे। लेकिन अगर बीवी ने अपनी लौण्डी को ख़ाविन्द के लिये हलाल क़रार दिया हो तो ख़ाविन्द को बजाये रज्म के कोड़े मारे जायेंगे जैसे कि साबिक़ा अहादीस़ में गुज़रा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلاً، غَشِيَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ " .

(3366) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ कर लिया। ये मुक़द्दमा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया। चुनांचे आपने फ़रमाया: 'अगर उस शख़्स ने उससे जबरन जिमाअ किया है तो वह लौण्डी उसके माल से आज़ाद हो जायेगी और ख़ाविन्द को उस जैसी लौण्डी उसकी मालिका (यानी अपनी बीवी) को देनी होगी और अगर वह राज़ी और ख़ुश थी तो वह अपनी मालिका की रहेगी। और मर्द को अपने माल से एक और लौण्डी बीवी को देनी होगी।'

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4461, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5557, पिछली हदीस़ देखें.

फ़ायदा : ये हदीस़ पहली हदीस़ से कुछ मुख़्तलिफ़ है। रिज़ा व रग़बत की सूरत में साबिक़ा हदीस़ की रू से वह लौण्डी ख़ाविन्द की बन जायेगी और इस हदीस़ की रू से वह लौण्डी मालिका ही की रहेगी, लेकिन चूंकि ये हदीस़ अब क़ाबिले अ़मल नहीं, मन्सूख़ है, लिहाज़ा इसमें इख़्तिलाफ़ का कोई अस़र न पड़ेगा। वैसे भी ये दोनों रिवायात बहुत से मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं।

बाब : (71) मुत्आ के हराम होने का बयान

باب (٧١): تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ

(3367) मुहम्मद इब्ने हनफ़िया (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) को ये बात पहुँची कि एक आदमी मुत्आ में कोई हर्ज नहीं समझता। आप उसे फ़रमाने लगे: तू तो राहे रास्त से भटका हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर (की जंग) के दिन मुत्आ और घरेलू गधों के गोश्त से रोक दिया था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، لاَ يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَائِهٌ إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

(3367) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4216, मुस्लिम, हदीस़: 1407, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5547.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुत्आ उस निकाह को कहते हैं जो कुछ मुद्दत के लिये किया गया हो, ख़्वाह वह घंटे हों या दिन या साल। और ये निकाह, मुद्दत ख़त्म होने से ख़ुद ब ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, तलाक़ देने की ज़रूरत नहीं होती। दौराने मुद्दत में ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो औरत को विरास़त नहीं मिलती और न उस पर इद्दत ही लाज़िम होती है। गोया निकाह वाला कोई हुक्म भी लागू नहीं होता सिवाए जिमाअ़ के, लिहाज़ा ये शरई निकाह नहीं। अलबत्ता जाहिलियत के नाजायज़ निकाहों में से ये एक था। इब्तेदाए इस्लाम में इससे तअ़र्रुज़ नहीं किया गया मगर बाद में (फ़तहे मक्का के मौक़े पर) इसे हमेशा के लिये हराम कर दिया गया और अब ये क़यामत तक के लिये हराम है। ऐसा निकाह बातिल होगा और अगर इसे जारी रखा जाये तो ज़िना के मुतरादिफ़ होगा। शीया हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर उनके 'अव्वलीन इमाम' हज़रत अ़ली (ﷺ) तो जायज़ कहने वालों को राहे रास्त से भटके हुए कहते हैं। **(2)** 'एक आदमी' इससे मुराद हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) हैं। वह मुत्आ को ज़रूरत और मजबूरी के वक़्त जायज़ समझते थे जब कि दीगर स़हाबा इसे मुत्लक़न और अब्दी हराम समझते थे। और यही स़ही बात है। **(3)** इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मुत्आ के जवाज़ से हुर्मत की तरफ़ रुजू के मुताल्लिक़ क़ील व क़ाल तो मौजूद है

लेकिन हक़ीक़तन रुजू साबित नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 6/316-319) **(4)** 'घरेलू गधे' जंगली गधा हलाल है जो कि दरअसल गाय होती है। सिर्फ़ पाँव गधे की तरह होने की वजह से उसे जंगली गधा कह दिया जाता है, वरना हक़ीक़तन वह जंगली गाय है और हलाल है। **(5)** बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा पर कुछ अहम मसाइल मख़्फ़ी रह गये, जैसे ये मसला इब्ने अब्बास (ﷺ) पर मख़्फ़ी रहा। इससे मुक़ल्लिदीन हज़रात को सबक़ सिखना चाहिए कि अजिल्ला सहाबा पर जब कुछ अहम उमूर मख़्फ़ी रहे तो अइम्म-ए-किराम के साथ ये मामला कैसे पेश नहीं आ सकता, लिहाज़ा तक़्लीदे अइम्मा की बजाये क़ुर्आन व हदीस को औढ़ना बिछोना बनाना चाहिए। और जब ये मालूम हो जाये कि इमाम साहिब का ये फ़तवा क़ुर्आन की आयत या हदीस के ख़िलाफ़ है तो उसे छोड़ देना चाहिए और इस आयत या हदीस पर अमल करना चाहिए और इमाम साहिब को माज़ूर समझना चाहिए कि शायद उन्हें इस मसले का पता न चल सका हो। न ये कि उनकी क़ौल पर जमे रहें और ये कहते फिरें कि इमाम साहिब के पास उसकी कोई दलील होगी, तभी उन्होंने ये फ़तवा दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

(3368) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के दिन औरतों के साथ निकाहे मुत्आ और इन्सानों के पास रहने वाले गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया है।

(3368) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5523, मौता: 2/542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5548, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : घरेलू गधों से मुराद भी वही गधे हैं जो इन्सान अपनी ज़रूरियात के लिये रखते हैं, लिहाज़ा दोनों अल्फ़ाज़ हम मआनी हैं। गधों के बारे में भी दुरुस्त बात यही है कि वह भी अब्दी हराम हैं। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ،

(3369) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर वाले दिन औरतों से मुत्आ करने से मना फ़रमाया।

(रावि-ए-हदीस) इब्ने मुसन्ना ने (यौमे ख़ैबर की

يَقُولُ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ .

बजाये) यौमे हुनैन कहा (यानी हुनैन के दिन मना फ़रमाया) और इब्ने मुसन्ना ने कहा कि (उस्ताद) अ़ब्दुल वह्हाब ने हमें अपनी किताब से इसी तरह हदीस़ बयान की।

(3369) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5549.

वज़ाहत : यानी अ़ब्दुल वह्हाब स़क़्फ़ी ने 'ख़ैबर' के बजाये 'हुनैन' पढ़ा था। ये उन्हें ग़लती लगी थी कि तमाम रुवात की मुख़ालिफ़त करते हुए उन्होंने 'हुनैन' का लफ़्ज़ बयान किया हालांकि बाक़ी सब 'ख़ैबर' के लफ़्ज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِينِي فَقُلْتُ رِدَائِي . وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي . فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3370) हज़रत सब्रा जुहनी (ﷺ) से रिवायत है कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुत्अ़े की इजाज़त दी तो मैं और एक दूसरा आदमी क़बील-ए-बनू आ़मिर की एक औ़रत के पास गये और उसे मुत्अ़े की पेशकश की। वह कहने लगीः मुझे क्या दोगे? मैंने कहाः अपनी चादर दूँगा। मेरे साथी ने भी कहाः अपनी चादर दूँगा। मेरे साथी की चादर मेरी चादर से उ़म्दा थी लेकिन मैं अपने साथी से ज़्यादा जवान था। जब वह मेरे साथी की चादर देखती तो वह उसे अच्छा लगता और जब वह मेरे जिस्म को देखती तो मैं उसे अच्छा लगता। बिल आख़िर वह कहने लगीः तू और तेरी चादर मेरे लिये ठीक है। मैं उसके साथ तीन दिन रहा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस शख़्स के पास इस क़िस्म की कोई औ़रत हो जिससे वह

मुत्‌आ कर रहा है तो उसे छोड़ दे।'

(3370) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5550.

قَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا " .

फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का का वाक़िया है। ख़ुद साहिबे वाक़िया हज़रत सब्रा जुहनी (ﷺ) ने इस बात की सराहत फ़रमाई है। इसी मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: (इन्नल्लाह क़द हर्रम ज़ालिक इला यौमिल क़ियामा) यानी औरतों के साथ मुत्‌आ करने को अल्लाह तआला ने क़यामत तक हराम कर दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1406)

बाब : (72) निकाह का ऐलान चर्चे और दुफ़ बजाने के साथ किया जाये

إِعْلاَنِ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ

(3371) हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हलाल और हराम निकाह के दरम्यान फ़र्क़ दुफ़ बजाने और ऐलाने निकाह करने का है।'

(3371) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5562, व सहीह अल हाकिम: 2/184.

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ " .

फ़ायदा : हदीस का मक़सद ये है कि निकाह ख़ुफ़िया न किया जाये बल्कि ऐलानिया हो। निकाह के मौक़े पर बारात का आना, निकाह का इज्तेमा में होना और निकाह के गवाहों का मौजूद होना भी निकाह को ऐलानिया बना देता है। इसके साथ साथ निकाह ख़ुशी का मौक़ा भी है और ख़ुशी के वक़्त बच्चे इस मौक़े की मुनासिबत से शादी ब्याह के गीत गाने और दुफ़ से ख़ुसूसी शग़फ़ रखते हैं, लिहाज़ा बच्चों को ऐसे मौक़े पर इसकी इजाज़त दी जाये कि वह दुफ़ बजायें और क़ौमी गाने गायें ताकि निकाह का अच्छी तरह चर्चा हो जाये, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि गाने बजाने वाले बच्चे बच्चियाँ हों न कि पेशावर गाने बजाने वाले मदऊ किये जायें। बालिग़ अफ़राद (मर्द हों या औरत) के लिये गाना बजाना मना है। दुफ़ के अलावा दीगर आलाते मोसीक़ी का इस्तेमाल हराम है। दुफ़ इन्तेहाई सादा आला है। आवाज़ भी हल्की और सादा होती है, लिहाज़ा इसकी इजाज़त है। ढोल वग़ैरह हराम है। वल्लाहु आलम!

(3372) हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، قَالَ

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ " .

'हलाल और हराम निकाह के दरम्यान फ़र्क़ (ऐलाने निकाह की) आवाज़ से होता है।

(3372) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें.

फ़ायदा : आवाज़ से मुराद निकाह का ऐलान या गीत और दुफ़ की आवाज़ है। चूंकि ख़ाविन्द, बीवी को बाक़ी सारी ज़िन्दगी इकट्ठे गुज़ारनी है, लिहाज़ा कम अज़ कम महल्ले वाले सब लोगों को पता चल जाना चाहिए कि फुलां का फुलां से निकाह हुआ है ताकि बाद में आने जाने पर किसी को ऐतराज़ न हो बल्कि रिश्ते की मोहब्बत पैदा हो।

باب (٧٣): كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ

बाब : (73) जब कोई शख़्स निकाह करे तो उसे दुआ कैसे दी जाये?

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَقِيلَ لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ . قَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ" .

(3373) हज़रत हसन बसरी बयान करते हैं कि हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब ने बनू जुशम की एक औरत से शादी की तो उन्हें मुबारक बाद यूँ दी गई: 'तुम मोहब्बत व प्यार से रहो और तुम्हें बेटे मिलें।' हज़रत हसन ने फ़रमाया: इसकी बजाये इस तरह कहो जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: (बारकल्लाहु फ़ीकुम व बारक लकुम) 'अल्लाह तआला तुममें और तुम्हारे लिये बरकत फ़रमाये।'

(3373) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5561, अबी दाऊद, हदीस़: 2130.

फ़ायदा : मुबारक बाद का पहला तरीक़ा जाहिलियत का रिवाज था, लिहाज़ा उसे बदला गया। वैसे भी दुआ में अल्लाह तआला का नाम ज़रूर आना चाहिए। मोमिन और काफ़िर में इम्तियाज़ अल्लाह तआला के नाम ही से होता है।

बाब : (74) उस शख़्स के दुआ देने का बयान जो निकाह के मौक़े पर मौजूद न हो

باب : (٧٤) دُعَاءِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

(3374) हज़रत अनस (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷻ) के जिस्म पर सुफ़्रा (ख़ूशबू) का निशान देखा तो फ़रमायाः 'ये क्या है?' उन्होंने कहाः मैंने एक औरत से सोने का सिक्का नवात महर मुक़र्रर करके शादी की है। आपने फ़रमायाः 'अल्लाह तआला तेरे लिये (इस निकाह में) बरकत फ़रमाये। वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी के साथ ही हो।'

(3374) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 1427/79, बुख़ारी, हदीसः 5155.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीसः 3353.

बाब : (75) शादी के वक़्त (दुल्हे के लिये) रंगदार ख़ूशबू की रुख़सत का बयान

الرُّخْصَةِ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَهْيَمْ " . قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . قَالَ " وَمَا أَصْدَقْتَ " . قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

(3375) हज़रत अनस (ﷻ) से मन्क़ूल है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷻ) आये तो उन (के जिस्म या कपड़ों) पर ज़ाफ़रान के निशानात थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ये कैसे?' उन्होंने कहाः मैंने शादी की है। आपने फ़रमायाः 'क्या महर दिया है?' उन्होंने कहाः सोने का सिक्का नवात। आपने फ़रमायाः 'वलीमा भी करना अगरचे एक बकरी ही का हो।'

(3375) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 2109, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5558.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि वह शादी के मौक़े पर दुल्हे के लिये रंगदार ख़ूशबू का इस्तेमाल जायज़ समझते हैं। शायद इसी हदीस़ की बुनियाद पर कुछ फ़ुक़हा ने शादी करने वाले शख़्स़ के लिये मेहन्दी लगाना जायज़ क़रार दिया है लेकिन इस हदीस़ से ये दलील लेना महल्ले नज़र है क्योंकि उन्होंने ये ख़ूशबू अम्दन नहीं लगाई थी बल्कि बीवी के साथ उठने बैठने की वजह से उनसे लगी थी, वरना वह जानते थे कि रंगदार ख़ूशबू का इस्तेमाल मर्द के लिये जायज़ नहीं। इसी लिये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनहें मना नहीं फ़रमाया वरना आप वज़ाहत ज़रूर फ़रमाते। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ - كَأَنَّهُ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ " مَهْيَمْ " . قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

(3376) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (رضي الله عنه) पर सुफ़्रा (ज़र्द ख़ूशबू) का निशान देखा तो फ़रमाया: 'ये क्या है?' उन्होंने कहा: मैंने एक अन्सारी औ़रत से शादी की है आपने फ़रमाया: 'वलीमा करना, चाहे एक बकरी ही का हो।

(3376) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3353, व सयाती, हदीस़: 3390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5560.

باب (٧٦): تَحِلَّةِ الْخَلْوَةِ

बाब : (76) शबे ज़फ़ाफ़ के मौक़े पर तोहफ़ा देने का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ بِي . قَالَ " أَعْطِهَا شَيْئًا " . قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَىْءٍ . قَالَ " فَأَيْنَ

(3377) हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) से निकाह किया तो (कुछ दिनों के बाद) मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ातिमा की मेरे घर रुख़्सती फ़रमाइये। आपने फ़रमाया: 'उसे कुछ दो, मैंने कहा: मेरे पास तो कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'तेरी हुतमी ज़िरह किधर गई?' मैंने कहा: वह तो मेरे पास है। आपने फ़रमाया: 'वही उसे दे दो।'

دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ " . قُلْتُ هِيَ عِنْدِي . قَالَ " فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " .

(3377) तख़रीज : (सनद सही) अल्बज़्ज़ार फ़ी बहरिज्ज़खार: 2/110, हदीस: 461, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5567.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) की तबवीब से मालूम होता है कि वह मज़्कूरा ज़िरह को महर से अलग समझ रहे हैं और उसे रुख़्सती और ख़ल्वत (अलैहदगी) का ख़ुसूसी तोहफ़ा क़रार देते हैं जब कि बहुत से अहले इल्म के नज़दीक ये महर ही है जो निकाह की बजाये रुख़्सती के मौक़े पर दिया गया। वल्लाहु आलम! **(2)** 'हुतमी ज़िरह' कुछ अहले इल्म ने कहा है कि 'हुतमिया ज़िरह' की सिफ़त है, यानी तोड़ देने वाली और इससे मुराद है तलवारों, नेज़ों और तीरों को तोड़ देने वाली। ये भी कहा गया है कि खुली और भारी ज़िरह को हुतमिया कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि हुतमिया क़बील-ए-अब्दुल क़ैस की एक शाख़ हुतम बिन मुहारिब की तरफ़ मन्सूब है जिसके बाशिन्दे ये ज़िरहें बनाते थे। और यही क़ौल ज़्यादा मोतबर है। वल्लाहु आलम! देखिये: (अन्निहाया फ़ी ग़रीबिल हदीस: 1/402)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَاطِمَةَ رضى الله عنها قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِهَا شَيْئًا " . قَالَ مَا عِنْدِي . قَالَ " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ" .

(3378) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि जब हज़रत अली (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) से शादी की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे कुछ दो।' उन्होंने कहा: मेरे पास तो कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'तेरी हुतमी ज़िरह कहाँ है?'

(3378) तख़रीज : (सनद सही) अल बज़्ज़ार: 2/110, हदीस: 462, अबू दाऊद, हदीस: 2125, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5568, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 38.

باب(٧٧): الْبِنَاءِ فِي شَوَّالٍ

बाब : (77)
शव्वाल में रुख़्सती का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ

(3379) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे शव्वाल में निकाह फ़रमाया और शव्वाल ही में आपके यहाँ मेरी रुख़्सती हुई। (बताओ!) फिर आपकी बीवियों में से कौन आपके यहाँ मुझसे बढ़ कर मोहब्बत से बहरावर हुई?

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي .

(3379) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5572.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दौरे जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने को उसके मआनी की वजह से मन्हूस क़रार देते थे और उसमें शादी व तामीर वग़ैरह को मुनासिब ख़्याल न करते थे, हालांकि ये सिर्फ़ तवह्हुम (वहम) है, इसकी कोई हक़ीक़त नहीं। महीने के नाम का उसके दिनों पर कोई असर नहीं। इस्लाम ऐसे तवह्हुमात (वहमों) के ख़िलाफ़ है और उनकी बिना पर मामूलात में रुकावट को बद अक़ीदगी समझता है। अफ़सोस! आज कल मुसलमान मुहर्रम के बारे में भी ऐसे ही तसव्वुरात रखते हैं। **(2)** 'शव्वाल में ही' निकाह और रुख़्सती में तीन साल का फ़ासला था। **(3)** शव्वाल के मआनी और दीगर तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3238 के फ़वाइद व मसाइल.

باب (٧٨): الْبِنَاءِ بِابْنَةِ تِسْعٍ

बाब : (78) नौ साल की (बालिग़ा) लड़की की रुख़्सती का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ.

(3380) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे निकाह फ़रमाया तो मैं छः साल की थी और मुझे अपने घर आबाद फ़रमाया तो मैं नौ साल की थी और गुड़ियों से खेला करती थी।

(3380) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1422/70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5569.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मौसमी हालात और अपनी जिस्मानी उम्दगी की बिना पर नौ साल की उम्र में बालिग़ हो चुकी थीं, लिहाज़ा रुख़्सती में कोई इश्काल नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 3357 से 3360) **(2)** (कुन्तु अल्अबु बिल्बनाति) कुछ मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा किया है: 'मैं लड़कियों में खेला करती थी' जब कि इन अल्फ़ाज़ का राजेह मफ़हूम वह है जो हमने बयान किया है, यानी गुड़ियों से खेला करती थी। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में इसी मफ़हूम की तस्रीह मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2440)

(3381) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे निकाह फ़रमाया तो मैं छः साल की थी और मुझे अपने घर बसाया तो मैं नौ साल की थी।

(3381) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5571.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ

बाब : (79)
रुख़सती दौराने सफ़र में भी हो सकती है

باب (٧٩): الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

(3382) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैबर की लड़ाई के लिये गये। हमने सुबह की नमाज़ ख़ैबर (की बस्ती) के क़रीब अंधेरे (अव्वल वक़्त में अदा की, फिर नबी (ﷺ) सवार हुए और हज़रत अबू तल्हा(ﷺ) भी सवार हुए, जबकि उनके पीछे मैं बैठा था। ख़ैबर की गलियों में अल्लाह के नबी(ﷺ) ने अपनी सवारी को तेज़ कर दिया। (सवारी के दौड़ते वक़्त) मेरा घुटना रसूलुल्लाह(ﷺ) की रान मुबारक से छू जाता था? (कि हवा की वजह से आपकी रान से चादर हट गई) और मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की रान मुबारक की सफ़ेदी नज़र आने लगी। जब आप बस्ती ख़ैबर में दाख़िल हुए तो आपने (बा'आवाज़ बलन्द) फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर! ख़ैबर वीरान हुआ। बिला शुब्हा हम जब किसी क़ौम के आँगन में पड़ाव करते हैं तो उन लोगों की सुबह बड़ी

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا

بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " . قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ - فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ - وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ السَّبْىَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ . قَالَ " اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً " . فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ . قَالَ " ادْعُوهُ بِهَا " . فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا " . قَالَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا - قَالَ - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ عَرُوسًا قَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ " . قَالَ

हौलनाक होती है जो (क़ब्ल अज़ीं) मुतनब्बा किये गये हों।' आपने तीन दफ़ा ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये। ख़ैबर के लोग उस वक़्त अपने कामकाज के लिये निकले। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा: ख़ैबर वाले कहने लगे: मुहम्मद (आ गये) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा, और हमारे कुछ साथियों के अल्फ़ाज़ हैं कि (ख़ैबर वालों ने कहा:) मुहम्मद और उसका लश्कर आ गया। (हज़रत अनस ने कहा:) और हमने ख़ैबर बज़ोरे शमशीर फ़तह किया, फिर (क़ब्ज़े में आने वाले) क़ैदी इकट्ठे किये गये तो दिहया (ﷺ) आये और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे इन क़ैदियों में से एक लौण्डी अ़ता फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'जाओ कोई लौण्डी ले लो।' चुनांचे उन्होंने स़फ़िया बिन्ते हुई को ले लिया, फिर एक शख़्स ने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! आपने बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर दोनों क़बीलों की सरदार स़फ़िया बिन्ते हुई, दिहया को दे दी है, हालांकि वह तो आपके अ़लावा किसी के लिये मुनासिब नहीं है? आपने फ़रमाया: 'दिहया को कहो, स़फ़िया को लेकर आये।' वह उन्हें ले आये तो नबी (ﷺ) ने उन्हें देखा और फ़रमाया: 'क़ैदियों में से कोई और लौण्डी ले लो।' फिर नबी (ﷺ) ने हज़रत स़फ़िया को आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। (हज़रत अनस के शागिर्द) स़ाबित ने पूछा: जनाब अबू हम्ज़ा! आपने उन्हें महर क्या दिया? उन्होंने फ़रमाया: उनकी जान ही उनका महर थी। आपने उनको आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह फ़रमा

وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسَةً فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم .

लिया यहाँ तक कि अभी रास्ते ही में थे कि (उनकी इद्दत ख़त्म हो गई और मेरी वालिदा) उम्मे सुलैम ने उन्हें बनाया संवारा और रात को रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ैमे में भेज दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके साथ रात गुज़ारी। सुबह हुई तो आपने फ़रमाया: 'जिसके पास खाने की कोई चीज़ है, वह ले आये।' आपने दस्तरख़्वान बिछाने का हुक्म दिया। कोई आदमी पनीर लाता था, कोई खजूरें और कोई घी। सहाब-ए-किराम ने सब चीज़ों को मिला कर मलीदा बना दिया। और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का वलीमा हो गया।

(3382) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 371, मुस्लिम, हदीस: 1365, हदीस: 1427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5576.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दौराने सफ़र दीगर ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं तो निकाह और रुख़्सती भी हो सकती है क्योंकि ये भी तो ज़रूरियात से हैं, ख़ुसूसन उस दौर के सफ़र जो कई कई हफ़्ते बल्कि महीने जारी रहते थे और बीवी बच्चे भी साथ ही होते थे। **(2)** 'रान' सवारी पर बैठे हुए हवा की वजह से कपड़ा हट सकता है, लिहाज़ा रान नज़र आ सकती है। ये नहीं कि आपने क़सदन रान नंगी की हुई थी। ये भी कहा जा सकता है कि दौराने सफ़र में इन्सान अपने बे'तकल्लुफ़ साथियों और ख़ुद्दाम के सामने हवा ख़ोरी के लिये रान नंगी कर लेता है। मख़्सूस साथियों की मज्लिस में भी ऐसा मुमकिन है क्योंकि रान शर्मगाह की तरह तो नहीं, अलबत्ता शर्मगाह से क़रीब होने की वजह से उमूमन इसे भी ढाँप कर रखना चाहिए। नमाज़ में तो रान फ़र्ज़ सतर में बिल इत्तेफ़ाक़ दाख़िल है। रान नंगी हो तो नमाज़ न होगी। हाँ, नमाज़ के अलावा किसी ज़रूरत की बिना पर या अपने बे तकल्लुफ़ साथियों में कभी कभार रान नंगी हो जाये या कर ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अहादीस में तत्बीक़ का यही तरीक़ा है। **(3)** 'ख़ैबर वीरान हो गया' वह्य से फ़रमाया या फ़ाल के तौर पर। कुछ अहले इल्म ने इसे दुआ भी क़रार दिया है कि ख़ैबर फ़तह हो जाये। **(4)** 'शोर मचा दिया' क्योंकि वह लोग आप और सहाबा को पहचानते थे। इससे पहले मदीना ही में रहते थे। **(5)** 'सफ़िया बिन्ते हुई' कुछ अहले इल्म ने कहा है कि उनका नाम सफ़िया नहीं था, नाम तो ज़ैनब था, आपके इन्तेख़ाब फ़रमाने की वजह से सफ़िया (मुन्तख़ब शुदा) कहा गया। ये हुई बिन

अख़तब की बेटी थीं जो कि तमाम यहूद का सरदार था और एक दूसरे सरदार के निकाह में थी। निकाह भी ताज़ा ही हुआ था। ख़ाविन्द जंग में मारा गया। ये क़ैदी हो गईं। ज़ाहिर है, ऐसे मर्तबे की ख़ातून किसी आम शख़्स के लिये मुनासिब न थी। 'लोगों से उनके मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना चाहिए।' और इससे लोगों में इज़्तेराब पैदा हो रहा था, इसलिये आपने उन्हें दिह्या से वापस लेकर अपने लिये पसन्द फ़रमा लिया। ख़ुसूसन इसलिये भी कि वह हज़रत हारून (ﷺ) की नस्ल से थी। नबी की नस्ल से और नबी के निकाह में। वाह वाह! क्या शान है।(رضی الله عنها). (6) जो औरत लौण्डी बनने से पहले किसी के निकाह में हो,उससे फ़ौरन हमबिस्तरी जायज़ नहीं जब तक उसे एक माहवारी न आ जाये ताकि यक़ीन हो जाये कि उसे साबिक़ा ख़ाविन्द से हमल नहीं। अगर हमल हो तो वज़अे हमल तक हमबिस्तरी जायज़ न होगी। हज़रत सफ़िया क़ैद होने के वक़्त हैज़ की हालत में थी। दौराने सफ़र हैज़ ख़त्म हो गया और यक़ीन हो गया कि उन्हें हमल नहीं क्योंकि हमल हो तो हैज़ नहीं आता, लिहाज़ा आपके लिये उनसे शब बसरी जायज़ हो गई। (7) 'ये आपका वलीमा हो गया' दौराने सफ़र ऐसा वलीमा ही मुमकिन था। (رضی الله عنها). (8) कुफ़्फ़ार से लड़ाई करते वक़्त नार-ए-तकबीर लगाना मुस्तहब है, और इस मौक़े पर कस्रते ज़िक्र भी मतलूब है जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुर्आन में इस मौक़े पर ज़िक्र करने का हुक्म दिया है: (या अय्युहल लज़ीना आमनू......) (अल अन्फ़ाल: 8/45)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حِينَ عَرَّسَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ

(3383) हज़रत अनस (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैबर के रास्ते में हज़रत सफ़िया बिन्ते हुई बिन अख़तब के साथ तीन दिन (ख़ुसूसी तौर पर) ठहरे जब आपने उन्हें अपने घर बसाया, फिर हज़रत सफ़िया (رضی الله عنها) उन औरतों में शामिल थीं जिन्हें पर्दे में रखा जाता था।

(3383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4212, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5577.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तीन दिन' क्योंकि जिस आदमी के घर पहले से बीवी मौजूद हो, फिर वह किसी और औरत से शादी कर ले और वह बेवा हो तो उसके पास ख़ुसूसी तौर पर तीन दिन रात ठहरेगा। और अगर वह कुंवारी हो तो उसके पास सात दिन रात रहेगा, फिर बारी मुक़र्रर करेगा। हज़रत सफ़िया भी बेवा थीं, लिहाज़ा आप उनके पास तीन दिन ठहरे, फिर बारी मुक़र्रर फ़रमाई .... (ﷺ) (2) 'उन औरतों में शामिल थीं' यानी वह आपकी लौण्डी नहीं थी। बल्कि आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात में

शामिल हुईं क्योंकि आपने उन्हें आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह किया था। पर्दा आज़ाद औरत के साथ ख़ास था, इसलिये ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये गये।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

(3384) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ख़ैबर और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान तीन दिन हज़रत स़फ़िया बिन्ते हुई (ﷺ) के साथ ठहरे शब बसरी फ़रमाते थे। मैंने मुसलमानों को आपके वलीमे की दावत दी। आपके इस वलीमे में गोश्त था न रोटी, बल्कि आपने दस्तरख़्वान बिछाने का हुक्म दिया और उस पर कुछ खजूरें, पनीर और घी डाला। ये आपका वलीमा था। मुसलमान आपस में कहने लगे कि ये आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा हैं या आपकी लौण्डी? फिर वह ख़ुद ही कहने लगे: अगर आपने उन्हें पर्दे में रखा तो फिर वह उम्मुल मोमिनीन (यानी आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा) होंगी और अगर पर्दे में न रखा तो वह आपकी लौण्डी होंगी, फिर जब आपने सफ़र शुरू फ़रमाया तो (अपनी सवारी पर) अपने पीछे उनके लिये जगह तैयार की और उनके और लोगों के दरम्यान पर्दा लटका लिया (ताकि लोग उन्हें न देख सकें।)

(3384) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5085, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5578.

باب(٨٠): اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ

बाब : (80)
शादी के वक़्त गाने बजाने का बयान

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ

(3385) हज़रत आमिर बिन सअद से मन्क़ूल है कि मैं क़रज़ा बिन कअब और अबू मसऊद अन्सारी (ﷺ) के पास एक शादी में गया तो वहाँ बच्चियाँ गा रही थीं। मैंने कहा: आप दोनों

وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ . فَقَالاَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) के बदरी सहाबी हैं। आपकी मौजूदगी में ये कुछ हो रहा है? वह कहने लगे: जी चाहता है तू हमारे साथ बैठ जा और (सुन, नहीं तो जा। शादी के मौक़े पर हमें गाने बजाने की रुख़्सत दी गई है।)

(3385) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी (अल कबीर: 17/248, हदीस: 691), वल हाकिम: 2/184, तबरानी: 17/247, हदीस: 690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5565

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 3371 और उसका फ़ायदा।

باب(٨١): جَهَازِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

बाब : (81) आदमी का अपनी बेटी को (रुख़्सती के मौक़े पर कुछ) सामान देना

أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ .

(3386) हज़रत अली (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (अपनी प्यारी बेटी) फ़ातिमा (رضی الله عنها) को एक चादर, एक मश्कीज़ा और एक सिरहाना जिसमें इज़्ख़िर की घास भरी हुई थी, (रुख़्सती के मौक़े पर) साथ दिये थे।

(3386) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 4152, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5573, मौता: 8/25.

फ़ायदा : जह्हज़ युजह्हिज़ु तजहीज़न के मआनी होते हैं: (मौक़े के मुताबिक़) सामान तैयार करना। तजहीज़ की जगह जहाज़ का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दोनों बाबे तफ़ईल का मस्दर हैं। इमाम नसाई (رحمه الله) ने यहाँ जहाज़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है। क़ुर्आन मजीद में भी जहाज़ का लफ़्ज़ बमआनी सामान आया है: 'जब (यूसुफ़ (عليه السلام) के कारिन्दों ने) बिरादराने यूसुफ़ का (वापसी का) सामाने सफ़र तैयार कर दिया।' (यूसुफ़: 12/70) इसी जहाज़ुल उरूस, जाहजुल मय्यित जहाज़ुस्सफर, जाहजुल ग़ाज़ी वग़ैरह तराकीब हैं, दुल्हन को तैयार करना, मय्यत का सामान तैयार करना, सफ़र का सामान और गाज़ी का सामान (अस्लहा वग़ैरह) तैयार करना और मैदाने जंग में उन्हें साथ ले जाना वग़ैरह। अहादीस में इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल ग़ालिबन दो मफ़हूम में हुआ है। एक, रुख़्सती के मौक़े पर बाप का अपनी बच्ची को नया घर बसाने के लिये कुछ सामाने ज़रूरत देना। दूसरा,

दुल्हन को शबे ज़फ़ाफ़ के लिये तैयार करना, या दुल्हन बनाने के लिये उसे उ़म्दा लिबास वग़ैरह से आरास्ता करना।

अहादीस़ में सुनन नसाई की एक हदीस़ के अ़लावा मज़ीद दो जगह ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक उस हदीस़ में जिसमें ज़िक्र है कि नजाशी (शाहे हब्शा) की तरफ़ से हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) को, उनका निकाह बज़रिया वकालत नबी (ﷺ) के साथ करके, नबी (ﷺ) की तरफ़ एक स़हाबी हज़रत शुरहबील बिन हस्ना (ﷺ) के साथ रवाना किया गया था। इस हदीस़ में आता है: 'फिर नजाशी ने हज़रत उम्मे हबीबा को अपने पास से तैयार किया और उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ भेज दिया ... और उनकी सारी तैयारी (या उनका सारा सामान) नजाशी की तरफ़ से था।' (सुनन नसाई, हदीस़: 3352, मुसनद अहमद: 6/427) यहाँ 'तजहीज़' और 'जहाज़' दुल्हन साज़ी या हक़्क़े महर समेत दीगर सामाने ज़रूरत की फ़राहमी के मफ़हूम में है क्योंकि इसी हदीस़ में ये स़राहत है कि नजाशी ने चार हज़ार दिरहम भी बतौरे हक़्क़े महर हज़रत उम्मे हबीबा को दिये थे, इसलिये यहाँ एहतिमाल है कि यहाँ ये लफ़्ज़ दोनों मफ़हूमों को मुतज़म्मिन (शामिल) हो। अल्फ़ाज़े हदीस़ दोनों मफ़हूमों की ताईद करते हैं। दूसरी जगह ये लफ़्ज़ उस हदीस़ में इस्तेमाल हुआ है जिसमें जंगे ख़ैबर से वापसी पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत स़फ़िया (ﷺ) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमा लिया था, उसमें आता है: 'हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) ने हज़रत स़फ़िया को तैयार किया और रात को उन्हें शब बाशी के लिये नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पेश कर दिया।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 371) यहाँ ये लफ़्ज़ दुल्हन साज़ी के लिये इस्तेमाल हुआ है। सुनन नसाई की ज़ेरे बहस़ हदीस़ में ये लफ़्ज़ पहले मफ़हूम में, यानी शादी के मौक़े पर कुछ सामाने ज़रूरत देकर रुख़स़त करने के लिये इस्तेमाल हुआ है।

इस मुख़्तस़र तफ़्स़ील के पेश करने से अस़ल मक़स़ूद ये है कि हमारे यहाँ जो जहेज़ का आ़म रिवाज है, उसके जवाज़ के लिये हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) के मज़्कूरा वाक़िये से इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि इस वाक़िये की अस़ल हक़ीक़त सिर्फ़ इतनी ही है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) नबी (ﷺ) ही की ज़ेरे किफ़ालत थे, उनका न घर बार था और न कोई ज़रिय-ए-आमदनी, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी इस हालत के पेशे नज़र अपनी स़ाहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को वह चन्द चीज़ें इनायत फ़रमाईं जिनका ज़िक्र हदीस़ में है। इसका कोई ताल्लुक़ मौजूदा जहेज़ से नहीं है। मौजूदा जहेज़ की स़ूरत तो ये है कि बच्ची की शादी के मौक़े पर जहेज़ को लाज़मी चीज़ बना लिया गया है, चाहे किसी के वसाइल उसके मुतहम्मिल हों या न हों, फिर ज़रूरियात के अ़लावा तमाम तमद्दुनी सहूलतों और आसाइशों तक उसे वसीअ़ कर दिया गया है। तीसरे उसे क़ाफ़िरों की तरह विरास़त के क़ाइम मक़ाम बना लिया गया है और उसकी बुनियाद पर बहुत से लोग औ़रतों को विरास़त से हिस्स़ा नहीं देते। चौथे, जो

बच्ची बग़ैर जहेज़ के ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसका जीना दोभर कर देते हैं। जबकि हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) के वाक़िये से सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि बच्ची जिस घराने में जा रही हो वह उतने ग़रीब और बे वसाइल हों कि वहाँ ज़रूरियाते ज़िन्दगी का भी फ़ोक़्दान हो, तो घर बसाने के लिये बच्ची को वह सामान दे देना जिससे नये घर की ज़रूरियात पूरी हो जायें, ये न सिर्फ़ जायज़ बल्कि मुस्तहसन और तआवुन अलल्बिर्र वत्तक़्वा है। मौजूदा रस्मे जहेज़ में तआवुन और हमदर्दी का ये जज़्बा क़तअन नहीं होता। अगर ये जज़्बा हो तो शादी के मौक़े पर दामाद को वह चीज़ें दें जिनकी वाक़ेई उसे ज़रूरत हो, जैसे: उसका कारोबार तसल्ली बख़्श नहीं है तो उसको माली तआवुन पेश किया जाये ताकि उसका कारोबार मुस्तहकम हो सके, उसके पास रिहाइश नहीं है या नाकाफ़ी है तो उसे मकान या कम अज़ कम अपनी हैसियत के मुताबिक़ प्लॉट ले कर दे दिया जाये या इसी अन्दाज़ का कोई तआवुन किया जाये जिससे उसका अपना मुस्तक़बिल बेहतर बनाने में मदद मिले, लेकिन इस तरह कोई नहीं करता बल्कि उसके बरअक्स लाखों रूपये जहेज़ की नज़र कर दिये जाते हैं जिसे कुछ औक़ात रखने और संभालने के लिये जगह भी नहीं होती। इस ऐतबार से जहेज़ की मौजूदा रस्म का न कोई जवाज़ है और न हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) के वाक़िये से इसका कोई ताल्लुक़ है। मौजूदा सूरत में ये रस्म सरासर ग़ैर शरई और काफ़िरों की नक़्क़ाली है जिससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वल्लाहु हुवल मुवफ़्फ़िक़ वल मुईन.

और ये तो सितम ज़रीफ़ी की इन्तेहा है कि लड़की वालों से अपनी पसन्द और ख़्वाहिश के मुताबिक़ जहेज़ का मुतालबा किया जाये, हालांकि लड़की के माँ बाप का ये एहसान क्या कम है कि वह बच्ची को नाज़ व नेमत में पाल के और उसे तालीम व तर्बीयत से आरास्ता करके अल्लाह के हुक्म की वजह से अपने दिल के टुकड़े को दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं। इस एहसानमन्दी के बजाये उनसे मुतालबात के ज़रिये से एहसान फ़रामूशी का इज़्हार किया जाता है जबकि अल्लाह का हुक्म एहसान के बदले एहसान करने का है न कि मुहसिन के लिये अर्स-ए-हयात तंग करने का।

इसके अलावा अल्लाह तआला ने मर्द को क़व्वाम (औरत का मुहाफ़िज़, निगरान और बाला दस्त) बनाया है और उसकी एक वजह ये बयान फ़रमाई है कि वह औरत की माली ज़रूरियात पूरी करता है, मर्द अपने इस मक़ाम व मर्तबा को फ़रामूश करके औरत से लेने का मुतालबा करता है जो ज़ाहिर बात है कि ये अल्लाह के बतलाये हुए सबबे फ़ज़ीलत (वबिमा अन्फ़क़ू मिन अम्वालिहिम) के भी ख़िलाफ़ और उसके शेव-ए-मर्दानगी के भी मुनाफ़ी है। बहरहाल जिस हैसियत से भी इस रस्म को देखा जाये, उसकी क़बाहत व शनाअत वाज़ेह हो जाती है।

बाब : (82) बिस्तर भी दिये जा सकते हैं

باب(٨٢): الْفُرُشِ

(3387) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक बिस्तर आदमी के लिये, दूसरा उसकी बीवी के लिये, तीसरा मेहमान के लिये और चौथा शैतान के लिये।'

(3387) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5574.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لأَهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ " .

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** रुख़्सती के मौक़े पर दिया जाने वाला सामान मुनासिब होना चाहिए बशर्ते कि देने की इस्तेताअत हो, फ़ालतू सामान जो उनके इस्तेमाल में भी न आये, नहीं देना चाहिए। ग़ुलू किसी भी चीज़ में नुक़सानदेह है। मुरव्वजा (प्रचलित) रस्मे जहेज़ बहुत सी मुआशरती ख़राबियों का सबब बनती है। इन्सान मक़रूज़ हो जाता है, रिश्ते नहीं होते, ग़रीब लोग बेबस हो जाते हैं, औरतें घरों में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, बाद में दंगा फ़साद भी होता है। **(2)** 'शैतान के लिये' यानी जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती, वह रखना हराम है। शैतानी काम है। अगर बच्चे हों या दूसरे अफ़राद भी हों तो उनके लिये ख़्वाह बीस बिस्तर हों, जायज़ हैं क्योंकि वह तो इस्तेमाल हो रहे हैं। 'चौथे' से मुराद ग़ैर ज़रूरी हैं जो इस्तेमाल नहीं होते। वल्लाहू आलम। **(3)** मुमकिन है इस बाब का मक़सूद ये हो कि घर में एक से ज़्यादा बिस्तर रखे जा सकते हैं बशर्ते कि वह घरेलू अफ़राद या मेहमानों के इस्तेमाल के लिये हों, वरना नाजायज़ हैं।

बाब : (83) क़ालीनों का बयान

باب(٨٣): الأَنْمَاطِ

(3388) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'तूने शादी की है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ। फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास क़ालीन हैं?' मैंने कहा: हमारे पास क़ालीन कहाँ? आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन अन क़रीब तुम्हारे पास क़ालीन होंगे।'

(3388) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5161, मुस्लिम, हदीस: 2083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5575.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تَزَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا " . قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ " إِنَّهَا سَتَكُونُ "

फ़ायदा : नबी (ﷺ) की ये पेशगोई बहुत जल्द पूरी हो गई। बाब का ये मतलब भी हो सकता है कि घरों में क़ालीन रखना भी जायज़ है।

बाब : (84)
शादी करने वाले को तोहफ़ा देना

باب(٨٤): الْهَدِيَّةِ لِمَنْ عَرَّسَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ - قَالَ - وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا - قَالَ - فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ . قَالَ " ضَعْهُ - ثُمَّ قَالَ - اذْهَبْ فَادْعُ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَمَنْ لَقِيتَ " . وَسَمَّى رِجَالاً فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُهُ قُلْتُ لأَنَسٍ عِدَّةُ كَمْ كَانُوا قَالَ يَعْنِي زُهَاءَ ثَلاَثِمِائَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ " . فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِي " يَا أَنَسُ ارْفَعْ " . فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ .

(3389) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शादी की और अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को घर लाये तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने मलीदा बनाया। मैं वह लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया और कहा: मेरी वालिदा आपको सलाम कहती हैं और कहती हैं कि ये हमारी तरफ़ से आपके लिये मामूली सा तोहफ़ा है। आपने फ़रमाया: 'रख दो।' फिर फ़रमाया: 'जाओ फुलां फुलां को बुला लाओ बल्कि जिसे भी मिलो (उसे बुला लाओ)' आपने कुछ लोगों के नाम लिये। जिनके आपने नाम लिये थे, मैं उन सब को बुला लाया और जिसे भी मिला, उसे भी बुला लिया। (हज़रत अनस के शागिर्द ने कहा:) मैंने हज़रत अनस से पूछा: वह कितने थे? उन्होंने कहा: तक़रीबन तीन सौ अफ़राद थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दस दस आदमी हल्क़ा बना लें और हर शख़्स अपने क़रीब और सामने से खाये।' सब लोगों ने खाना खाया यहाँ तक कि वह सैर हो गये। एक गिरोह जाता रहा, दूसरा आता रहा। (जब सब फ़ारिग़ हो गये तो) आपने फ़रमाया: 'अनस! उठाओ' मैंने बर्तन उठाया। मैं नहीं जानता कि जब मैंने रखा था उस वक़्त ज़्यादा था या जब उठाया उस वक़्त ज़्यादा था।

(3389)तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1428/94, बुख़ारी: 5163, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5579.

फ़ायदा : शादी ब्याह के मौक़े पर दुल्हा दुल्हन को तोहफ़ा हदिया देना न सिर्फ़ जायज़ बल्कि मुस्तहब है, जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ से स़ाबित होता है। इस हदीस़ में जिस ज़ोज-ए-मोहतरमा का ज़िक्र है वह हज़रत ज़ैनब (ﷺ) हैं। हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) ने मलीदा का हदिया रसूलुल्लाह (ﷺ) को भेजा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह हदिया क़बूल फ़रमाया और कम व बेश तीन सौ के क़रीब स़हाब-ए-किराम को भी इस हदिये में शरीक फ़रमाया। हदीस़ शरीफ़ से मुत्लक़न हदिया देने का भी इस्तेहबाब स़ाबित होता है क्योंकि इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत व उल्फत पैदा होती है, दूरियाँ कम होती और क़ुर्बतें बढ़ती हैं। इस ज़रिये से इज्तेमाइयत को फ़रोग़ मिलता है जो कि मतलूब और महबूब अ़मल है। इरशादे गिरामी है: (तहादौ तहाब्बू) (स़हीह जामेअ़ अस्स़ग़ीर, हदीस़: 3004) यानी एक दूसरे को तोहफ़े हदिया दिया करो, इससे आपस की मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। चुनांचे बिल ख़ुसूस़ अहले इल्म और बिल उ़मूम अ़वामुन्नास को इस सुन्नत पर एहतिमाम से अ़मल करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فَآخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ إِنَّ لِي مَالاً فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ فَأَنَا أُطَلِّقُهَا فَإِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا . قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي - أَىْ - عَلَى السُّوقِ . فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ قَدْ أَفْضَلَهُ . قَالَ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ "

(3390) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हिजरत के मौक़े पर) क़ुरैश (मुहाजिरीन) और अन्स़ार के दरम्यान भाई चारा फ़रमाया। आपने हज़रत सअ़द बिन रबीअ़ (अन्स़ारी) और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (मुहाजिर) (ﷺ) को आपस में भाई भाई बनाया। चुनांचे हज़रत सअ़द ने उनसे कहा: मेरे पास जो भी माल है वह मेरे और तेरे दरम्यान मुश्तरक है। मेरी दो बीवियाँ हैं, देख जो तुझे अच्छी लगे, मैं उसे तलाक़ दे देता हूँ। जब इद्दत ख़त्म हो तो उससे निकाह कर लेना। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान ने कहा: अल्लाह तआ़ला तेरे घर बार में बरकत फ़रमाये। (मैं कुछ नहीं लूँगा) मुझे बताओ, तिजारती बाज़ार किधर है? जब वापस आये तो वह (कारोबार के ज़रिये से) कुछ घी और पनीर बचा लाये थे। अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने कहा: (चन्द दिन बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ पर सुफ़्रा ख़ुशबू के निशान देखे तो फ़रमाया: 'ये कैसे?'

مَهْيَمْ " . فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

उसने अर्ज़ किया: मैंने एक अन्सारी औरत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'वलीमा करना चाहे एक बकरी ही का हो।'

(3390) तख़रीज : (सनद सही) 5580.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहाजिरीन और अन्सार के दरम्यान मवाख़ात का वसीअ सिलसिला इन्सानी तारीख़ का एक अज़ीम और बेमिसाल कारनामा है। कोई और दीन, नज़रिया या तहरीक इसकी मिसाल पेश करने से क़ासिर है। जिसने ग़ैर रिश्तेदार लोगों को माँ जाये भाईयों से बढ़ कर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, ख़ुसूसन उस दौर में जब लोग बिला वजह एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। किया है कोई शख़्स जो अपने भाई को वह पेशकश कर सके जो हज़रत सअद बिन रबीअ (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) को की? (ﷺ). **(2)** 'अन्सारी औरत' उन्हें उम्मे औस बिन्ते अनस कहा जाता था।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान

बाब : (1)
बीवियों से मोहब्बत करने का बयान

باب: (١) باب حُبِّ النِّسَاءِ

(3391) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दुनियावी चीज़ों में से बीवी और ख़ूशबू मुझे बहुत पसन्द हैं। और मेरी आँखों की ठण्डक नमाज़ में रख दी गई है।'

(3391) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 8887, व हसना अल हाफ़िज़: 3/116.

حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ "

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुनियावी चीज़ों में से बीवी सबसे अच्छी चीज़ है जो दीन व दुनिया दोनों की तकमील का ज़रिया और इन्सानी बक़ा का सबब है। फ़ितरी जज़्बात व मैलानात के इज़्हार का इन्तेहाई मुनासिब महल है। ज़िन्दगी भर का साथ है। बीवी के बग़ैर ज़िन्दगी अजीरन है, लिहाज़ा दीने फ़ितरत पेश करने वाला नबी-ए-रहमत क्यों सबसे बढ़ कर उससे मोहब्बत न करेगा .... (ﷺ). और ये कोई शरमाने वाली बात नहीं। **(2)** ख़ूशबू इसलिये पस्नद थी कि ये इन्सानी जिस्म के क़बाहतों को ढाँपती है। मिलने वाले इन्सान के दिल में अपने लिये कशिश पैदा करती है। दिल व दिमाग़ को ख़ुश और चुस्त करती है। ख़ुसूसन आपका ताल्लुक़ फ़रिश्तों से हर वक़्त क़ाइम था और फ़रिश्ते बदबू से इन्तेहाई नफ़रत करते हैं। और आपको अपने से ज़्यादा दूसरों की पसन्द मुक़द्दम थी। **(3)** 'आँखों की ठण्डक' यानी असली ख़ुशी और इत्मिनान नमाज़ में है जो बीवी और ख़ुशबू से भी हासिल होना नामुमकिन है क्योंकि नमाज़ रब्बुल आलमीन से गुफ़्तगू है जो सबसे बड़ा महबूब है और महबूब की याद हर चीज़ से बढ़ कर है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ "

(3392) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(दुनियावी चीज़ों में) मुझे बीवी और ख़ुशबू बहुत पसन्द हैं लेकिन मेरी आँखों की ठण्डक नमाज़ में मुज़्मर है।'

(3392) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 2/160, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 8888,

फ़ायदा : आँखों की ठण्डक एक मुहावरा है जिससे मुराद हक़ीक़ी और क़ल्बी सुरूर और ख़ुशी है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ

(3393) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करने हैं कि बीवियों के बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) को कोई चीज़ घोड़ों से बढ़ कर पसन्द नहीं थी।

(3393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 8889.

باب (٢): باب مَيْلِ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

बाब : (2) आदमी का अपनी किसी एक बीवी की तरफ़ दूसरी की निस्बत ज़्यादा झुकाव रखना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " .

(3394) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स की दो बीवियाँ हों और वह एक की तरफ़ ज़्यादा झुकाव रखता हो तो क़यामत के दिन इस तरह आयेगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा।'

(3394) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1141, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8890, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 34, नुऐम फ़ी अख़बारे अस्बहान: 2/300.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि

दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही कहा है। और दलाइल की रू से उन्हीं की बात राजेह मालूम होती है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 13/320, 321, व इर्वाउल ग़लील: 7/80, व सुनन इब्ने माजा बतहक़ीक़ हदीस: 1969, व ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 28/178) **(2)** आमाल की जज़ा आमाल के मुशाबेह ही होती है क्योंकि उस शख़्स ने दुनिया में जानिबदारी का रवैया क़ाइम रखा, लिहाज़ा क़यामत के दिन उसकी एक जानिब मफ़लूज होगी। इस झुकाव से मुराद दिली झुकाव नहीं बल्कि ज़ाहिरी सुलूक (जैसे: बारी, नफ़्क़ा वग़ैरह) में झुकाव है क्योंकि दिल का मामला तो अल्लाह तआला के हाथ में है। बहुत सी दिली मामलात में इन्सान बेबस होता है, लिहाज़ा उस पर गिरफ़्त नहीं होगी। ●

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ " . أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ .

(3395) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों में इन्साफ़ के साथ बारी मुक़र्रर करते, फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! ये तो मेरा काम है जिसका मुझे इख़्तियार है। जिस चीज़ में तुझे इख़्तियार है और मैं बेबस हूँ, उस बारे में मुझ पर गिरफ़्त न फ़रमाना।'

हम्माद बिन ज़ैद ने इस रिवायत को मुन्क़तअ सनद से बयान किया है।

(3395) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1971, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8891, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1305, वलहाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/187.

फ़ायदा : 'मैं बेबस हूँ' यानी क़ल्बी मोहब्बत क्योंकि इसका ताल्लुक़ मुताल्लिक़ा शख़्स की शख़्सियत, औसाफ़ और तर्ज़े अमल से होता है। उन मामलात में अफ़राद बराबर नहीं होते, लिहाज़ा मोहब्बत भी सबसे एक जैसी नहीं हो सकती। अलबत्ता ज़ाहिरी तर्ज़े अमल बीवियों से एक जैसा होना ज़रूरी है क्योंकि बीवी होने में सब बराबर हैं और उनके हुक़ूक़ भी मसावी हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) पर उन ज़ाहिरी उमूर में भी मसावात फ़र्ज़ नहीं थी मगर आपने अपने तौर पर मसावात को क़ाइम रखा और इन्साफ़ फ़रमाया .... (ﷺ)

बाब : (3)
आदमी का अपनी किसी एक बीवी को दूसरी से ज़्यादा चाहना

باب (٣): باب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

(3396) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा। उन्होंने आपसे अन्दर आने की इजाज़त तलब की जब कि उस वक़्त आप मेरे साथ मेरी चादर में लेटे हुये थे। आपने उन्हें इजाज़त दी। उन्होंने आकर कहा: अल्लाह के रसूल! आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझे आपके पास भेजा है। उनका मुतालबा है कि आप अबू क़ुहाफ़ा की बेटी (हज़रत आयशा) के बारे में इन्साफ़ से काम लें। मैं ख़ामोश थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ बेटी! क्या तुझे उससे मोहब्बत नहीं जिससे मुझे मोहब्बत है?' उन्होंने कहा: क्यों नहीं? फ़रमाया: 'फिर इस (आयशा) से मोहब्बत रख।' हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बात सुनी तो उठ खड़ी हुईं और वापस जाकर आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात को अपनी बात और आपका जवाब सब कुछ बता दिया। वह कहने लगीं: हमारे ख़याल में तुमने हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। दोबारा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और आपसे कहो कि आपकी बीवियाँ आपसे अबू क़ुहाफ़ा की बेटी के बारे में इन्साफ़ की तलबगार हैं। हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं आपसे कभी भी इसकी बाबत कोई

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . وَأَنَا سَاكِتَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَىْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " فَأَحِبِّي هَذِهِ " . فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ وَالَّذِي قَالَ لَهَا فَقُلْنَ لَهَا مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَىْءٍ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ

बात नहीं करूँगी। हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: फिर नबी (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (आपकी बीवी) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा। और वह नबी (ﷺ) की वाहिद बीवी थीं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के नज़दीक मेरे बराबर मर्तबा रखती थीं और मैंने कभी कोई ऐसी औरत नहीं देखी जो हज़रत ज़ैनब से बढ़ कर दीनी लिहाज़ से नेक, अल्लाह तआला से डरने वाली, सच बोलने वाली, सिलह रहमी करने वाली, ज़्यादा सदक़ा करने वाली और अपने आपको सदक़े और नेकी के काम में खपा देने वाली हो। अलबत्ता उनकी तबीयत में कुछ तेज़ी थी जो जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी। उन्होंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से अन्दर आने की इजाज़त तलब की जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत आयशा (ﷺ) के साथ उनकी चादर में उसी तरह लेटे हुये थे, जिस तरह हज़रत फ़ातिमा के आने के वक़्त थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दी तो उन्होंने आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझे आपके पास भेजा है। वह आपसे अबू क़ुहाफ़ा की बेटी की बाबत इन्साफ़ की तलबगार हैं, फिर वह मुझे बुरा भला कहने लगीं और बहुत देर तक कहती रहीं। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ देख रही थी और मुन्तज़िर थी कि आप आँख के इशारे ही से मुझे जवाब देने की इजाज़त दें लेकिन ज़ैनब बाज़ न आई यहाँ तक कि मुझे यक़ीन हो गया कि अब अगर मैं बदला लूँ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नापसन्द नहीं फ़रमायेंगे। चुनांचे जब मैं शुरू हुई तो मैंने उन्हें

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولِي لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . قَالَتْ فَاطِمَةُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْأَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ وَوَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ

هَلْ أَذِنَ لِي فِيهَا فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ " .

एक मिनट भी न बोलने दिया यहाँ तक कि मैंने उन्हें दबा लिया और चुप करा दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मुस्कुराते हुये) फ़रमाया: 'बिला शुब्हा ये अबू बक्र (ؓ) की बेटी है।'

(3396) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8892, बुख़ारी, हदीस: 2581.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात को आप पर ये ऐतराज़ था कि आप हज़रत आयशा (ؓ) से मोहब्बत ज़्यादा फ़रमाते हैं, वरना आप बारी और नफ़्क़ा वग़ैरह में पूरा पूरा इन्साफ़ फ़रमाते थे। बाक़ी रही दिली मोहब्बत, तो वह ग़ैर इख़्तियारी चीज़ है। उसके मुताल्लिक़ मिनजानिब अल्लाह कोई गिरफ़्त हो सकती है न अवामुन्नास के नज़दीक। अज़्वाजे मुतह्हरात को सूकुन होने के नाते ज़्यादा महसूस होता था, वरना कोई ऐतराज़ की बात नहीं थी। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस: 3395) **(2)** 'अबू कुहाफ़ा की बेटी' ये बतौर कस्रे शान कहा क्योंकि अरब जब किसी की हिक़ारत ज़ाहिर करना चाहते थे तो उसे ग़ैर मशहूर बाप की तरफ़ मन्सूब करते थे। अबू कुहाफ़ा दरअसल हज़रत अबू बक्र (ؓ) के वालिद का नाम था जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुये थे। बाप की बजाये दादा की तरफ़ निस्बत की। **(3)** 'मेरे बराबर मर्तबा रखती थीं' क्योंकि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के ख़ानदान से थीं। आपकी फूफी की बेटी थीं, और उनसे निकाह अल्लाह तआला ही के हुक्म से हुआ था। **(4)** 'बदला लूँ' मुराद गाली गलोच नहीं बल्कि इल्ज़ाम तराशी और नुक्ता चीनी है। बावजूद उनके ख़िलाफ़ इस क़द्र बोलने के हज़रत आयशा (ؓ) ने जो तारीफ़ हज़रत ज़ैनब(ؓ) की फ़रमाई इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं और जब उनकी कमज़ोरी (तेज़ी व तुर्शी) का ज़िक्र फ़रमाया तो साथ ही ये फ़रमा दिया कि ये तेज़ी भी जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी। कुर्बान जायें उम्मुल मोमिनीन के अख़्लाक़े आलिया व फ़ाज़िला पर। इन ख़ूबियों की बदौलत ही तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनसे इतनी मोहब्बत थी।(ؓ). **(5)** 'अबू बक्र की बेटी है' तारीफ़ फ़रमाई उनके हुस्ने ख़ुल्क, सब्र व बरदाश्त और जचा तुला कलाम करने और फ़साहत व बलाग़त की जिसने हज़रत ज़ैनब (ؓ) को चुप करने पर मजबूर कर दिया। हज़रत अबू बक्र में भी ये औसाफ़ बदर्ज-ए-अतम्म पाये जाते थे, इसलिये उनकी तरफ़ निस्बत फ़रमाई वरना ये भी फ़रमा सकते थे। 'ये आयशा है।' **(6)** अज़्वाजे मुतह्हरात के ये ऐतराज़ात और आपस में कशमकश इब्तेदाई दौर में थी। जूँ जूँ वह सोहबते नबूवत से फ़ैज़ याफ़्ता होती गईं, उनकी क़ल्बी तत्हीर व तज़्ईन होती गई, चुनांचे फिर न तो कभी उन्होंने आप पर कोई ऐतराज़ किया, न कोई मुतालबा किया और न आपस में कशमकश रही।(ؓ).

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَذَكَرَتْ نَحْوَهُ وَقَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ نَحْوَهُ . خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

(3397) हज़रत आयशा (ﷺ) से इससे मिलती जुलती रिवायत आती है कि अज़्वाजे मुतह्हरात ने हज़रत ज़ैनब (ﷺ) को नबी (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। उन्होंने अन्दर आने की इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त दी तो उन्होंने अन्दर आकर कहा: .... अलख़

मअमर ने इन दोनों (सालेह और शुऐब) की मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत अन ज़ोहरी अन उर्वा अन आयशा की सनद से बयान की है।

(3397) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8891.

वज़ाहत : मअमर, सालेह और शुऐब तीनों ज़ोहरी के शागिर्द हैं मगर इस रिवायत को सालेह और शुऐब ने अन ज़ोहरी अन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अन आयशा की सनद से बयान किया है जबकि मअमर ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के बजाये उर्वा का नाम लिया है। सही रिवायत सालेह और शुऐब की है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اجْتَمَعْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ لَهَا إِنَّ نِسَاءَكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا

(3398) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की (दूसरी) अज़्वाजे मुतह्हरात इकट्ठी हुईं और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) को नबी(ﷺ) की ख़िदमते आलिया में भेजा और उन्हें कहा: (आपसे जाकर कहो) आपकी बीवियाँ आपसे अबू क़ुहाफ़ा की बेटी के सिलसिले में इन्साफ़ की दुहाई देती हैं। हज़रत फ़ातिमा नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुईं तो आप हज़रत आयशा (ﷺ) के साथ उनकी चादर में लेटे हुये थे। उन्होंने आकर आपसे कहा: आपकी बीवियों ने मुझे आपकी तरफ़ भेजा है। वह आपसे अबू क़ुहाफ़ा की बेटी के सिलसिले में इन्साफ़ की दुहाई देती हैं। नबी (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तुझे मुझसे

فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ نِسَاءَكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَتُحِبِّينِي " . قَالَتْ نَعَمْ قَالَ " فَأَحِبِّيهَا " . قَالَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ فَقُلْنَ لَهَا إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ . فَقَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَدًا . وَكَانَتِ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَىَّ تَشْتِمُنِي فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنْظُرُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا - قَالَتْ - فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْرًا وَلاَ أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلاَ أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَىْءٍ

मोहब्बत है?' वह कहने लगीं: ज़रूर। आपने फ़रमाया: 'फिर तू इस (आयशा) से मोहब्बत रख।' वह उनके पास वापस चली गईं और उन्हें आपका जवाब सुना दिया। वह कहने लगीं: तुमने कुछ नहीं किया, दोबारा जाओ। उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं हज़रत आयशा के मसले में कभी भी आपके पास दोबारा नहीं जाऊँगी। हक़ीक़त ये है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की सही बेटी थीं, फिर उन्होंने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (ؓ) को भेजा। हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से यही वह ज़ोज-ए-मुतह्हरा थीं जो मेरे बराबर दर्जा रखती थीं। वह आकर कहने लगीं: आपकी बीवियों ने मुझे आपके पास भेजा है। वह आपसे अबू कुहाफ़ा की बेटी की बाबत इन्साफ़ की तलबगार हैं, फिर वह मेरी तरफ़ मुतवज्जा होकर मुझे बुरा भला कहने लगीं। मैं नबी (ﷺ) के हुक्म का इन्तिज़ार करने लगी। मैं आपकी आँख की तरफ़ देख रही थी कि आप मुझे बदला लेने की इजाज़त देते हैं या नहीं। वह मुझे बुरा भला कहती रहीं यहाँ तक कि मुझे अन्दाज़ा हो गया कि अब अगर मैं उनसे बदला लूँ तो आप नापसन्द नहीं फ़रमायेंगे, फिर मैं उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर उन्हें जवाब देने लगी। थोड़ी देर में मैंने उन्हें चुप करा दिया। नबी(ﷺ) ने उन्हें (चुप देख कर) फ़रमाया: 'ये अबू बक्र की बेटी है।' हज़रत आयशा (ؓ) ने फ़रमाया: मैंने कोई औरत ज़ैनब से बढ़ कर नेक, ज़्यादा सदक़े करने वाली, सिलह रहमी करने वाली और हर उस काम में अपने

يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ .

आपको खपा देने वाली जिससे अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल किया जा सके, नहीं देखी मगर उनमें कुछ तेज़ी व तुर्शी थी जो जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि ये रिवायत ख़ता है और सही रिवायत पहली है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/150, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8894, पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत : मतलब ये है कि मअमर का अन ज़ोहरी अन उर्वा की सनद से बयान करना दुरुस्त नहीं बल्कि सालेह और शुऐब की रिवायत सही है कि ये रिवायत अन ज़ोहरी अन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अन आयशा की सनद से है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) का हज़रत आयशा (ﷺ) को 'अबू कुहाफ़ा की बेटी' कहना दरअसल अज़्वाजे मुतह्हरात (ﷺ) की तरफ़ से हू ब हू पैग़ाम रसानी थी, वरना वह हज़रत आयशा (ﷺ) की शान में सू-ए-अदब की मुर्तकिब न हो सकती थीं क्योंकि हज़रत आयशा(ﷺ) तो उनके लिये वालिदा के क़ाइम मक़ाम थीं। बाक़ी अज़्वाजे मुतह्हरात (ﷺ) उनके बराबर की थीं, वह उन्हें कह सकती थीं। **(2)** 'आपकी आँख की तरफ़' इस इन्तेज़ार में कि आप आँख से इशारा फ़रमायेंगे मगर नबी (ﷺ) आँख से ख़ुफ़िया इशारा न फ़रमाया करते थे कि ये दूसरे फ़रीक़ के हक़ में धोखे के ज़ेल में आता है। और आप उससे पाक थे . . . (ﷺ) **(3)** 'सही बेटी थीं' ये एक मुहावरा है, यानी आपसे सही मोहब्बत करने वाली, आपका इन्तेहाई अदब व एहतिराम करने वाली और आप जैसे अख़लाक़ व आदात रखने वाली। (ﷺ). (बाक़ी तफ्सीलात पीछे हदीस: 3396 में गुज़र चुकी हैं।)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، { عَنْ مُرَّةَ، } عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ "

(3399) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा (ﷺ) की फ़ज़ीलत तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद की फ़ज़ीलत दूसरे खानों पर।'

(3399) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3411, व मुस्लिम, हदीस: 2431, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8895.

फ़ायदा : सरीद जल्दी तैयार होने वाला, जल्दी हज़्म होने वाला और लज़ीज़ खाना है। हज़रत आयशा (ﷺ) का इल्म सरीद की तरह उम्मत के लिये सहलुल हुसूल, मुफ़ीद, मस्कत और ख़ुशगवार था। हक़ीक़त ये है कि हज़रत आयशा (ﷺ) के इल्म ने उम्मत को वह फ़ायदा दिया कि दूसरी तमाम औरतों के इल्म ने उसका उश्रे अशीर भी फ़ायदा न दिया। हाफ़िज़े, ज़हानत, फ़तानत, मामला फ़हमी, फ़साहत व बलाग़त और तालीम व ख़िताबत में मर्द भी उनका मुक़ाबला न कर सके थे। (ﷺ). अलबत्ता इस रिवायत से हज़रत आयशा (ﷺ) को अफ़ज़ल साबित न किया जा सकेगा क्योंकि ये फ़ज़ीलत जुज़्वी है वरना सरीद मिन कुल्लिल वुजूह (तमाम वजह से) सब खानों से आला नहीं। दीगर रिवायात से मालूम होता है कि औरतों में से अफ़ज़ल आपकी पहली और मोहतरम बीवी हज़रत ख़दीजा (ﷺ) हैं जिन्हें आपने ख़ैरुन निसा फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3442, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2430) आप उन्हें ज़िन्दगी के आख़री लम्हात तक न भूल सके। नबी (ﷺ) से वफ़ादारी, हुस्ने सुलूक, जाँनिसारी और मोहब्बत में वह आपकी तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात (ﷺ) से बहुत आगे थीं। अख़्लाक़े आलिया और मलकाते फ़ाज़िला में भी उनका मक़ाम बहुत ऊँचा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद फ़रमाया: 'वह तो वह थीं, यानी उनमें ये ये ख़ूबियाँ और कमालात थे। (सहीह बुख़ारी; हदीस: 3818)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ "

(3400) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दूसरी औरतों पर आयशा(ﷺ) की फ़ज़ीलत ऐसे है जैसे दूसरे खानों पर सरीद को फ़ज़ीलत हासिल है।'

(3400) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8896.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَتَانِي الْوَحْىُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلاَّ هِيَ " .

(3401) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उम्मे सलमा! मुझे आयशा की बाबत तकलीफ़ न दे। अल्लाह की क़सम! उसके अलावा तुममें से किसी के लिहाफ़ में मुझे वह्य नहीं आई।'

(3401) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8897.

फ़ायदा : वह्य मिन जानिब अल्लाह है, लिहाज़ा इस (आयशा (ﷺ)) का मर्तबा अल्लाह तआला के नज़दीक भी तुम सबसे बढ़ कर है और ये हज़रत आयशा के लिये अज़ीम फ़ख़्र की बात है कि वह उस वक़्त मौजूद अज़्वाजे मुतह्हरात में से इन्दल्लाह भी सबसे अफ़ज़ल थीं, अलबत्ता इस रिवायत में हज़रत ख़दीजा (ﷺ) से मुक़ाबला नहीं क्योंकि वह उस वक़्त ज़िन्दा न थीं और आपने मिन्कुन्ना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رُمَيْثَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَتَقُولُ لَهُ إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةُ فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ أَيْضًا فَلَمْ يُجِبْهَا وَقُلْنَ مَا رَدَّ عَلَيْكِ قَالَتْ لَمْ يُجِبْنِي . قُلْنَ لاَ تَدَعِيهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ أَوْ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ . فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ فَقَالَ " لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلاَّ فِي لِحَافِ عَائِشَةَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ عَنْ عَبْدَةَ .

(3402) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की बीवियों ने मुझसे कहा कि तुम नबी (ﷺ) से बात करो कि लोग क़सदन हज़रत आयशा (ﷺ) की बारी के दिन आपको तोहफ़े भेजते हैं। आपसे कहो कि हज़रत आयशा की तरह हम भी इस फ़ज़ीलत की ख़्वाहिश मन्द हैं। मैंने इस बारे में आपसे बात की। आपने कोई जवाब न दिया। जब आप बारी के लिहाज़ से मेरे पास आये तो मैंने फिर बात की। आपने फिर जवाब न दिया। अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझसे पूछा: आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा: कुछ भी नहीं। वह कहने लगीं: तुम आपसे बार बार ये बात करती रहो यहाँ तक कि आप जवाब दें। जब आप दोबारा मेरे पास आये तो मैंने फिर यही बात की। आपने फ़रमाया: '(उम्मे सलमा!) मुझे आयशा के बारे में सताया न करो क्योंकि जब मैं तुममें से किसी के लिहाफ़ में होता हूँ तो आयशा के लिहाफ़ के सिवा मुझ पर कभी वह्य नहीं उतरी।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि रावी अब्दा से मरवी ये दोनों हदीसें सही हैं।

(3402) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8898.

वज़ाहत : अब्दा से दो क़िस्म की रिवायत है: एक हज़रत आयशा (ﷺ) की और दूसरी हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) की। इमाम साहिब के फ़रमान के मुताबिक़ रिवायत दोनों तरह दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये तफ़्सीली हदीस़ है जिससे साबिक़ा हदीस़ का मौक़ा महल मालूम होता है। लोगों का क़सद हज़रत आयशा (ﷺ) की बारी के दिन तोहफ़े भेजना दरअसल इस बिना पर था कि लोग जानते थे कि आप हज़रत आयशा (ﷺ) के साथ ज़्यादा मोहब्बत फ़रमाते हैं और वहाँ तोहफ़ा भेजने से आप ज़्यादा ख़ुश होंगे अज़्वाजे मुतह्हरात का मक़सद ये था कि हमारे घरों में भी तोहफ़े आने चाहिए, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को हुक्म दें कि वह हर जगह तोहफ़े भेजें। या फिर हम सबसे मसावी मोहब्बत फ़रमायें ताकि लोग सब घरों में तोहफ़े भेजें। **(2)** 'आपने कोई जवाब न दिया' क्योंकि लोगों को बज़ाते ख़ुद तोहफ़े भेजने के लिये कहना तो शाने नबूवत के मुनाफ़ी था। शर्म व हया मानेअ थी। और मसावी मोहब्बत मुमकिन न थी, इसलिये कि ये ग़ैर इख़्तियारी चीज़ है जैसा कि पीछे गुज़रा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3403) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि लोग क़सदन अपने तोहफ़े आयशा (ﷺ) की बारी के दिन भेजा करते थे। उससे उनका मक़सूद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुशी और रज़ामन्दी का हुसूल था।

(3403) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2574, मुस्लिम, हदीस़: 2441, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8899.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا رُفِّهَ عَنْهُ قَالَ لِي " يَا عَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ " .

(3404) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा अल्लाह तआला ने नबी (ﷺ) की तरफ़ वह्य नाज़िल फ़रमाई। मैं भी आपके साथ थी। मैं उठ गई और दरम्यान वाला दरवाज़ा बन्द कर दिया। जब आपसे वह्य की शिद्दत दूर हुई तो आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! जिब्राईल (ﷺ) तुझे सलाम कह रहे हैं।'

(3404) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अत्तबरानी: 9/25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8900.

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى

(3405) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'जिब्राईल (ﷺ) तुझे सलाम कह रहे हैं।' मैंने जवाबन कहा: 'उन

الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ " . قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لاَ نَرَى .

पर भी सलामती, रहमतें और बरकतें हों।' आप वह कुछ देखते हैं कि हम नहीं देखते।

(3405) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/150, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8901, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 11/429, हदीस: 20917.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हम नहीं देखते' मुराद जिब्रईल (ﷺ) हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को नज़र आ रहे थे मगर आयशा (ﷺ) को नज़र नहीं आ रहे थे। वह्य की कैफ़ियत में भी ऐसे ही होता था कि आपको फ़रिश्ता नज़र आ रहा होता था और बाक़ी लोग नहीं देख सकते थे। **(2)** अजनबी मर्द अजनबी सालेह औरत को सलाम भेज सकता है जबकि किसी मफ़्सदे (फसाद) का अन्देशा न हो। इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने बाब बाँध कर इस मसले को साबित किया है। हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) हमं औरतों के पास से गुज़रे तो हमें सलाम किया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 5204) इसके बरअक्स भी हो सकता है। हज़रत उम्मे हानी (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आई। आप उस वक़्त गुस्ल फ़रमा रहे थे। मैंने आपको सलाम कहा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 357)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ " . مِثْلَهُ سَوَاءً . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ .

(3406) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा! ये जिब्रईल हैं और तुझे सलाम कह रहे हैं।' ऊपर दी गई रिवायत की तरह।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (ﷺ) ने फ़रमाया: ये रिवायत सही है। इससे पहली रिवायत ख़ता है।

(3406) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6201, मुस्लिम: 2447/91, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8902.

वज़ाहत : यानी ये रिवायत अबू सलमा अन आयशा दुरुस्त है और उर्वा अन आयशा ख़ता है। ज़ोहरी के शागिर्द मअमर ने इस रिवायत को बवास्ता उर्वा बयान किया है। बाक़ी शागिर्दों: शुऐब बिन अबी हम्ज़ा, यूनुस बिन यज़ीद ऐली और अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद बिन मुसाफ़िर ने अबू सलमा बयान किया है। और यही महफ़ूज़ है। ये रिवायत ज़ोहरी के तरीक़ के बग़ैर (शअबी के तरीक़ से) भी मरवी है, इसमें भी अबू सलमा का ज़िक्र है, लिहाज़ा यही महफ़ूज़ है। और मअमर की रिवायत ग़ैर महफ़ूज़। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 28/211)

बाब : (4)
रश्क और जलन का बयान

باب (٤): باب الْغَيْرَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ " غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوا " . فَأَكَلُوا فَأَمْسَكَ حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا .

(3407) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) एक उम्मुल मोमिनीन के पास थे तो दूसरी उम्मुल मोमिनीन ने एक प्याले में कोई ख़ुर्दनी चीज़ भेजी। चुनांचे उस (पहली उम्मुल मोमिनीन) ने क़ासिद के हाथ पर ज़र्ब लगाई तो प्याला गिर कर टूट गया। नबी (ﷺ) ने दोनों टुकड़े उठाये, एक को दूसरे के साथ जोड़ा और खाना इकट्ठा करके उसमें डालने लगे और फ़रमा रहे थे: 'तुम्हारी माँ को ग़ैरत आ गई, खाओ।' सबने मिलकर खाया, फिर तोड़ने वाली उम्मुल मोमिनीन अपना प्याला लाईं। आपने स़ही प्याला क़ासिद को दे दिया और टूटा हुआ तोड़ने वाली के घर रहने दिया।

(3407) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 3567, इब्ने माजा, हदीस़: 2334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8903, दारक़ुत्नी: 4/154.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सौकनों में इस क़िस्म की ग़ैरत क़ाबिले दरगुज़र होती है बल्कि ये ग़ैरत ख़ाविन्द से सच्ची मोहब्बत का स़बूत होती है, और अपने हक़ के हुसूल के लिये ग़ैरत जायज़ है। अपनी बारी के दिन दूसरी बीवी की मुदाख़लत बर्दाश्त न करना अपने हक़ की हिफ़ाज़त है, लिहाज़ा मज़्कूरा वाक़िया फ़ितरत के ऐन मुताबिक़ है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नाराज़ी का इज़्हार नहीं फ़रमाया बल्कि ग़ारत उम्मुकुम फ़रमा कर उज़्र पेश फ़रमाया। अलबत्ता नुक़स़ान पूरा करना होगा। (2) मुमकिन है कि आपने अपनी बीवियों को एक क़िस्म के प्याले लेकर दिये हों जैसा कि मसावात का तकाज़ा है, लिहाज़ा आपने प्याला टूटने पर उस जैसा प्याला वापस फ़रमाया। वैसे भी दोनों प्याले आपकी मिल्कियत थे अपनी मिल्कियत में आदमी ख़ुद मुख़्तार होता है। (3) आपकी ज़ोज-ए-मुतह्हरा को एहतिरामन उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की माँ) कहा जाता है, ख़्वाह वह उम्र में छोटी हो।

(3408) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा के लिये अपने प्याले में कोई खाना लेकर (हज़रत आयशा (ﷺ) के घर) आईं। हज़रत आयशा एक चादर औढ़े हुये आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था। उन्होंने उस पत्थर से प्याला तोड़ दिया। नबी (ﷺ) ने प्याले के दोनों टुकड़ों को जोड़ा और आप फ़रमा रहे थे: 'खाना खाओ। तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया।' आपने दो दफ़ा फ़रमाया। फिर आपने हज़रत आयशा (ﷺ) का प्याला लेकर हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के घर भेज दिया। और हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) का (टूटा हुआ) प्याला हज़रत आयशा (ﷺ) को दे दिया।

(3408) तख़रीज : (सनद सहीह) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8904.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا - يَعْنِي - أَتَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُتَّزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ فِلْقَتَيِ الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ " كُلُوا غَارَتْ أُمُّكُمْ " . مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَحْفَةَ عَائِشَةَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعْطَى صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ عَائِشَةَ .

फ़ायदा : मुमकिन है ये हदीस: 3407 ही की तफ़्सील हो। इस सूरत में हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने क़ासिद के फ़ेअल को अपनी तरफ़ मन्सूब कर दिया क्योंकि क़ासिद उन्हीं का था। मुमकिन है ये अलग वाक़िया हो और हदीस: 3407 की तफ़्सील आइन्दा हदीस में हो।

(3409) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने कोई औरत हज़रत सफ़िया (ﷺ) जैसा खाना पकाने वाली नहीं देखी। एक दफ़ा उन्होंने खाना तैयार करके एक बर्तन में रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ (मेरे घर) भेज दिया। मैं अपने आप पर ज़ब्त न कर सकी। मैंने वह बर्तन तोड़ दिया, फिर मैंने नबी (ﷺ) से उस (बर्तन तोड़ने) का कफ़्फ़ारा पूछा तो आपने फ़रमाया: 'बर्तन जैसा बर्तन और खाने जैसा खाना।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُلَيْتٍ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه

وسلم عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ " إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ " .

(3409) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3568, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8905, 3410, सयाती, हदीस: 3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8906.

फ़ायदा : 'खाने के बदले खाना' अगर खाना ज़ाया हो गया हो। कुछ खाने बर्तन टूटने से ज़ाया हो जाते हैं, कुछ ज़ाया नहीं होते। हदीस: 3407, 3408 में मज़्कूर वाक़िये से मालूम होता है कि खाना ज़ाया नहीं हुआ था क्योंकि बाद में खाने का ज़िक्र है, और वह खाना नबी (ﷺ) के लिये भेजा गया था। ज़ाया होने की सूरत में आप ऐवज़ लें या न लें, ये आपकी मर्ज़ी है। खाना वापस तो नहीं भेजना था।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " . فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ } لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا } لِقَوْلِهِ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً " .

(3410) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (رضي الله عنها) के पास (कुछ ज़्यादा देर) ठहरते थे कि उनके पास शहद पीते थे। मैंने और हफ़्सा ने मन्सूबा बनाया कि हममें से जिसके पास भी रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लायें वह कह दे: मैं आपसे मग़ाफ़ीर की बू पाती हूँ। आपने मग़ाफ़ीर खाया है? फिर आप उन दोनों में से किसी के घर तशरीफ़ ले गये तो उसने यही कुछ आपसे कह दिया। आपने फ़रमाया: 'नहीं, मैंने ज़ैनब बिन्ते जहश के यहाँ से शहद पिया है, दोबारा नहीं पियूँगा।' फिर आप पर ये आयत उतरी: (या अय्युहन्नबिय्यु लिमातुहर्रिमु ....) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ को क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिये हलाल रखा है।' आगे फ़रमाया: 'अगर तुम तौबा करो ..... अलख़' इससे आयशा और हफ़्सा मुराद हैं। और 'जब नबी (ﷺ) ने एक बीवी से राज़ की बात फ़रमाई।' इससे मुराद आपका फ़रमान: 'बल्कि मैंने शहद पिया है ...... अलख़' है।

(3410) तख़रीज : (सनद सही) सयाती, हदीस: 3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8906.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ठहरते थे' अस्र की नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) थोड़ी थोड़ी देर के लिये अपनी सब अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) के घरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ हो या ज़रूरत हो तो मालूम हो जाये, और हर एक से रोज़ाना राब्ता रहे। हज़रत ज़ैनब (رضي الله عنها) के पास शहद पीने की वजह से ज़्यादा देर लग जाती थी जिसे आपकी दूसरी बीवियाँ (आयशा और हफ़्सा (رضي الله عنهما)) ने महसूस फ़रमाया और रोकने की तदबीर की। यहाँ तक तो ठीक था मगर उन्होंने तदबीर दुरुस्त नहीं की जिसमें ख़िलाफ़े वाक़िया बात करना पड़ी। तभी तो ये हुक्म दिया गया। **(2)** 'मग़ाफ़ीर' ये गूंद सी एक चीज़ है जो गगल जैसे दरख़्त से निकलती है। इसका ज़ायक़ा तो मीठा होता है मगर बू क़बीह होती है। खाने वाले के मुँह से बाद में भी बू महसूस होती है। और आपको बदबू से सख़्त नफ़रत थी, लिहाज़ा आपने शहद न पीने का फ़ैसला फ़रमा लिया। लेकिन चूंकि उन अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) ने इस क़स्द के लिये ग़लत तरीक़ा इख़्तियार किया था, इसलिये अल्लाह तआला ने आपको शहद का इस्तेमाल जारी रखने का हुक्म फ़रमाया। **(3)** 'अगर तुम तौबा करो' ग़लती हर इन्सान से हो सकती है। अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) मासूम नहीं थीं। उनसे ये ग़लती हूई, फिर उन्होंने तौबा कर ली और हदीस़ शरीफ़ में है: (अत्ताइबु मिनज्जम्बि कमन ला जम्ब लहू) (सहीह अल्जामेअ अस्सग़ीर, हदीस़: 3008) तौबा से गुनाह ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया जा सकता बल्कि तौबा कर लेना उनकी फ़ज़ीलत है। **(4)** 'राज़ की बात' आपने फ़रमाया था: 'मैं उनके यहाँ शहद नहीं पियूँगा लेकिन तुम किसी से ज़िक्र न करना' मगर हज़रत हफ़्सा से ग़लती हो गई कि उन्होंने ये बात हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से ज़िक्र कर दी। इसी लिये उन्हें तौबा करने की तल्क़ीन की गई और उन्होंने तौबा कर ली।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَرَمِيٌّ - هُوَ لَقَبُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(3411) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक लौण्डी थी जिससे आप स़ोहबत किया करते थे। लेकिन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) आपको मजबूर करती रहीं यहाँ तक कि आपने उसे अपने लिये हराम कर लिया तो अल्लाह (عزوجل) ने ये वह्य उतारी (या अय्युहन्नबिय्यु ......) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ को अपने लिये क्यूँ हराम क़रार दे रहे हैं जिसे अल्लाह तआला ने आपके लिये हलाल रखा है.....' मुकम्मल आयत।

(3411) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8907, व स़हीह अल हाफ़िज़ फ़ी फ़तहुलबारी: 9/376, अलहाकिम: 2/493.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साबिक़ा हदीस़ में इस आयत का सबबे नुज़ूल शहद वाले वाक़िये को क़रार दिया गया है और इस हदीस़ में लौण्डी को। मुमकिन है दोनों वाक़ियात क़रीब क़रीब हों, लिहाज़ा दोनों को सबबे नुज़ूल समझा जा सकता है। ख़ुसूसन जब कि बाक़ी जुज़ियात भी तक़रीबन एक जैसी हैं। दोनों वाक़ियात में हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का ज़िक्र है। दोनों का सबब ग़ैरत है। दोनों में आपने राज़ में फ़रमाया था कि मैं दोबारा इस्तेमाल न करूँगा लेकिन किसी को न बताना, दोनों में इफ़्शा-ए-राज़ हुआ जैसा कि तफ़्सीली रिवायात से पता चलता है अगरचे बहुत से मुहक़्क़िक़ीन ने शहद वाले वाक़िये को तर्जीह दी है। **(2)** लौण्डी के लिये बारी मुक़र्रर नहीं होती। दिलजोई के लिये क़सम खाई कि अब ये लौण्डी मुझ पर हराम है। इसी तरह की तफ़्सील फ़तहुलबारी, तफ़्सीर सूरह तहरीम और कई दूसरी कुतुब में भी मौजूद है जिसका ख़ुलास़ा ये है कि जिस लौण्डी को आपने अपने ऊपर हराम क़रार दिया था, वह मारिया क़िब्तिया (رضي الله عنها) थीं जो नबी (ﷺ) के लख़्ते जिगर हज़रत इब्राहीम की वालिदा माजिदा थीं। हुआ यूँ कि हज़रत मारिया एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) के घर गई थीं जबकि हज़रत हफ़्सा उस वक़्त ख़ुद तो घर में मौजूद न थीं लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके घर में मौजूद थे क्योंकि ये उन्हीं की बारी का दिन था। अल्लाह का करना ये हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत मारिया (رضي الله عنها) के साथ ख़ल्वत इख़्तियार किये हुये थे कि सय्यदा हफ़्सा भी आ गईं। उन्हें नबी (ﷺ) का हज़रत मारिया के साथ अपने घर में खल्वत में देखना नागवार गुज़रा, इस बात को ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी महसूस फ़रमाया। चुनांचे नबी (ﷺ) ने हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) की दिलजोई की ख़ातिर और उन्हें राज़ी करने के लिये क़सम खाई कि मारिया आज से मुझ पर हराम है और साथ ही हज़रत हफ़्सा को फ़रमाया कि इस बात की ख़बर किसी को न देना। लेकिन उन्होंने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) को इस वाक़िये से आगाह कर दिया। चुनांचे इस बात पर उन्हें तौबा करने की तम्बीह की गई। सूरह तहरीम का एक सबबे नुज़ूल ये वाक़िया भी बयान किया जाता है। तफ़्सील के लिये देखिये: (तफ़्सीर अहसनुल बयान, तफ़्सीर सूरह-तहरीम) वैसे भी लौण्डी के साथ स़ोहबत करने पर न शरअन कोई पाबन्दी है और न अख़्लाक़न ही ये कोई हर्ज वाली और मायूब बात है, इसलिये नबी (ﷺ) का ये फ़ेअ़ल क़तअ़न क़ाबिले ऐतराज़ नहीं है। इसके अलावा बारी का ताल्लुक़ आज़ाद बीवी से होता है, अगरचे आप पर बारी की पाबन्दी शरअन लाज़िम नहीं थी लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पर अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) की बारियाँ मुक़र्रर कर रखी थीं। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) की तालीफ़े क़ल्ब के लिये लौण्डी को हराम कर लिया मगर ये शरअन दुरुस्त न था, इसलिये अल्लाह तआला ने इस्लाह फ़रमाई..... (ﷺ) और राज़ इफ़्शा करने पर दोनों अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) को तौबा की तल्क़ीन फ़रमाई।

(3412) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दफ़ा (रात को) मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को ढूँढने लगी। तो मैंने अपना हाथ आपके (सर के) बालों में दाख़िल कर दिया। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास तेरा शैतान आ गया?' मैंने अर्ज़ किया: क्या आपके लिये कोई शैतान नहीं है? आपने फ़रमाया: 'क्यूँ नहीं?' (मेरे साथ भी शैतान है) लेकिन अल्लाह तआला ने उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद फ़रमाई है, लिहाज़ा मैं (उसके असरात से) महफ़ूज़ रहता हूँ।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتِ الْتَمَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ فَقَالَ " قَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ " . فَقُلْتُ أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ فَقَالَ " بَلَى وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ " .

(3412) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8908.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रात को घरों में अन्धेरा होता था। रोशनी का इन्तेज़ाम नहीं होता था। हज़रत आयशा (ﷺ) को आप क़रीब महसूस न हुये तो उन्होंने इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिये ताकि आपको टटोलें। उन्हें वस्वसा हुआ कि कहीं आप उठ कर किसी और बीवी के घर न चले गये हों। तभी आपने शैतान का ज़िक्र फ़रमाया क्योंकि ये वस्वसा शैतान की तरफ़ से था। (2) 'क्यूँ नहीं?' फ़ितरी तौर पर हर इन्सान में गुनाह का माद्दा होता है, क़ुआर्ने करीम में है: (फ़ल हमहा फ़ुजूरहा व तक़्वाहा) (अश्शम्स: 91/8) वह शैतानी वसाविस की आमाजगाह है और उससे ग़लती का सुदूर मुमकिन है मगर जिसे अल्लाह तआला महफ़ूज़ रखे, जैसे अल्लाह तआला ने अम्बिया (ﷺ) को शैतानी असरात से मुकम्मल तौर पर महफ़ूज़ फ़रमा दिया था। उनके मासूम होने का भी यही मतलब है। (3) 'मैं महफ़ूज़ रहता हूँ' कुछ हज़रात ने माज़ी के मआनी किये हैं 'मेरा शैतान मेरा मुतीअ हो गया है' इसलिये वह मुझे राहे रास्त से हटाने की क़ुदरत नहीं रखता। वल्लाहु आलम!

(3413) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि एक रात मैंने समझा कि आप अपनी किसी बीवी के यहाँ चले गये हैं। मैंने आपको टटोलना शुरू किया तो पता चला कि आप तो रुकू या सज्दे की हालत में हैं। आप पढ़ रहे थे (सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाह इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह!

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى

بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " . فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ وَإِنِّي لَفِي شَأْنٍ آخَرَ .

तू अपनी ख़ूबियों समेत पाक है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' मैंने कहा: मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! आप कैसे हाल में हैं और मैं किन तसव्वुरात में ग़लतां हूँ।

(3413) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8909.

फ़ायदा : 'ग़लतां हूँ' यानी आप अपने अल्लाह से लौ लगाये हुये हैं और मैं समझ रही थी कि आप अपनी किसी और बीवी के यहाँ हैं। ये बदगुमानी थी जो ममनूअ (मना) है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، { عَنْ عَطَاءٍ، } قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتِ افْتَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " . فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ وَإِنِّي لَفِي آخَرَ .

(3414) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (अपने क़रीब) मौजूद न पाया तो मैंने समझा आप अपनी किसी और बीवी के पास चले गये हैं। मैंने (बाहर निकल कर) आपको ढूँढा, फिर वापस आई तो आप रुकू या सज्दे की हालत में थे और पढ़ रहे थे: (सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाह इल्ला अन्त) 'ऐ अल्लाह! तू अपनी तमाम ख़ूबियों समेत पाक है। तेरे सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं।' मैंने कहा: मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! आप किस हाल में हैं और मैं किस ख़याल में।

(3414) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8910.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'महसूस न किया' गोया नींद से अचानक जागीं तो आप पास न थे। आप नमाज़ आहिस्ता पढ़ रहे थे ताकि उनकी नींद ख़राब न हो। उन्होंने समझा कि आप कमरे में नहीं। कमरे से बाहर निकल गये और सुन गुन ली कि किसी हुज्रे से आपकी आवाज़ सुनाई दे। **(2)** 'रुकू या सज्दे में' गोया उनकी वापसी पर आपने समझ लिया कि ये मुझे तलाश करती फिर रही हैं, लिहाज़ा आपने ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि मज़्कूरा दुआ रुकू या सज्दे ही में हो सकती है, इसलिये अन्दाज़ा लगाया कि आप रुकू या सज्दे में हैं।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِّي قُلْنَا بَلَى . قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ إِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي فَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي وَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ وَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ وَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ " مَا لَكِ يَا عَائِشُ رَابِيَةً " . قَالَ سُلَيْمَانُ حَسِبْتُهُ قَالَ حَشْيَا قَالَ " لَتُخْبِرِنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ

(3415) मुहम्मद बिन क़ैस से रिवायत है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नबी (सल्ल.) का और अपना एक वाक़िया न बयान करूँ? हमने कहा: क्यूँ नहीं? (ज़रूर बयान करें।) वह फ़रमाने लगीं: एक रात जब मेरी बारी थी तो आप (इशा की नमाज़ से) वापस तशरीफ़ लाये तो अपने जूते उतार कर अपने पाँव के क़रीब रख लिये, अपनी चादर उतारी और अपना तहबन्द बिस्तर पर बिछा लिया और इतनी देर लेटे रहे कि आपने समझा मैं सो गई हूँ, फिर आपने चुपके से जूते पहने और हौले से अपनी चादर उठाई और हल्के से दरवाज़ा खोल कर निकल गये और बग़ैर आहट किये दरवाज़ा बन्द कर दिया। मैंने फ़ौरन क़मीस़ पहनी, ओढ़नी ली, तहबन्द कसा और आपके पीछे हो ली। यहाँ तक कि आप बक़ीउल ग़रक़द में पहुँच गये और तीन दफ़ा आपने अपने दोनों हाथ उठाये (और दुआ की), आप बहुत देर खड़े रहे, फिर आप वापस मुड़े तो मैं भी मुड़ी, आप कुछ तेज़ हुये तो मैं भी तेज़ चलने लगी, आप भागने लगे तो मैं भी भागी। फिर आपने दौड़ लगा दी तो मैंने भी दौड़ लगा दी। और मैं आपसे पहले पहुँच गई। मैं हुज्रे में दाख़िल होकर अभी लेटी ही थी कि आप आ पहुँचे और फ़रमाया: 'आयशा! तुझे क्या हुआ है? पेट फूला हुआ है और साँस चढ़ा हुआ है? मुझे बता दे वरना बारीक बीन और ख़बरदार (अल्लाह) मुझे बता देगा।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, फिर मैंने आपको पूरी बात बता दी। आपने फ़रमाया: 'तू ही वह साया था जो मैंने अपने आगे आगे देखा?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने ज़ोर से मेरे सीने में हाथ मारा

الْخَبَرَ قَالَ " أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي " . قُلْتُ نَعَمْ - قَالَتْ - فَلَهَدَنِي لَهْدَةً فِي صَدْرِي أَوْجَعَتْنِي . قَالَ " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ " نَعَمْ - قَالَ - فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " . خَالَفَهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ .

जिससे मुझे सख़्त तकलीफ़ हुई। आपने फ़रमायाः 'क्या तू समझती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' हज़रत आयशा ने कहाः लोग जिस क़द्र भी बात छुपायें अल्लाह तआला जान ही लेता है। आपने फ़रमायाः 'बिल्कुल' आपने फ़रमायाः 'जब तूने (मुझे उठते) देखा था उस वक़्त जिब्राईल (عليه السلام) मेरे पास आये थे। चूंकि तू कपड़े उतार चुकी थी, इसलिये वह अन्दर नहीं आ सकते थे। उन्होंने तुझ से छुपा कर मुझे आवाज़ दी। मैंने भी तुझ से छुपा कर उन्हें जवाब दिया। मैं समझता था कि तू सो चुकी है, लिहाज़ा मैंने तुझे जगाना मुनासिब न समझा क्योंकि मुझे ख़तरा था कि तू अकेली डरेगी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं बक़ीअ वालों के पास जाऊँ और उनके लिये बख़्शिश की दुआ करूँ।'

हज्जाज बिन मुहम्मद ने (इस हदीस़ के रावी) इब्ने वहब की मुख़ालिफ़त की है। उसने सनद यूँ बयान की हैः अन इब्ने जुरैज, अन इब्ने अबी मुलैका, अन मुहम्मद बिन क़ैस। (जब कि इब्ने वहब ने इब्ने जुरैज और मुहम्मद बिन क़ैस के दरम्यान अब्दुल्लाह बिन कसीर का वास्ता बयान किया है।)

(3415) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 2039, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8911.

फ़ायदा : ये रिवायत पीछे तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। हदीस़ नम्बर 2039 देखिये।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ،

(3416) हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस बिन मख़रमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को हदीस़ बयान करते हुये सुना, उन्होंने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें अपना और नबी (ﷺ) का एक वाक़िया न बयान करूँ? हमने कहाः क्यूँ नहीं! (ज़रूर बयान फ़रमायें) तो उन्होंने फ़रमायाः एक रात जब नबी (ﷺ) को मेरे

يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ قَالَتْ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بَلَى . قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي فَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ " مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " لَتُخْبِرِنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ . قَالَ " فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَمَامِي " .

यहाँ रात गुज़ारनी थी, आप (इशा की नमाज़ पढ़ कर) तशरीफ़ लाये, आपने अपने जूते (उतार कर) अपने पाँव के क़रीब रख लिये, अपनी (ऊपर वाली) चादर उतारी और अपने तहबन्द का एक किनारा अपने बिस्तर पर बिछा लिया। आप इतनी देर लेटे रहे कि आपने समझा मैं सो गई हूँ (हालांकि मैं जागती थी) फिर आपने चुपके से जूते पहने, आहिस्ता से चादर पकड़ी, होले से दरवाज़ा खोल कर निकले और हल्के से दरवाज़ा बन्द कर दिया। मैंने क़मीस़ पहनी, ओढ़नी ली और तहबंद बाँधा और आपके पीछे चल दी, यहाँ तक कि आप बक़ीअ में पहुँच गये। आपने तीन दफ़ा (बार बार दुआ के लिये) अपने हाथ उठाये और बहुत देर तक खड़े रहे, फिर आप वापस मुड़े, मैं भी मुड़ी, आप कुछ तेज़ हुये तो मैं भी तेज़ हो ली, आप भागने लगे, मैं भी भागने लगी। आपने दौड़ लगा दी, मैंने भी दौड़ लगा दी और मैं आपसे पहले घर में दाख़िल हो गई। अभी मैं लेटी ही थी कि आप भी पहुँच गये और फ़रमाया: 'आयशा! तुझे क्या हुआ? तेरा पेट फूला हुआ है और साँस चढ़ा हुआ है?' मैंने कहा: कुछ भी नहीं। आपने फ़रमाया: 'मुझे बता दे वरना बारीक बीन ख़बर रखने वाला (अल्लाह) मुझे बता देगा।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, फिर मैंने आपको पूरा वाक़िया बता दिया। आपने फ़रमाया: 'अच्छा तू ही वह साया था जिसे मैंने अपने आगे आगे देखा?' मैंने कहा जी हाँ। आपने मेरे सीने में इस ज़ोर से हाथ मारा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर आपने मुझे फ़रमाया: 'क्या तूने समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' मैंने कहा: लोग अल्लाह तआला से जिस क़द्र भी बात छुपायें,

قَالَتْ نَعَمْ - قَالَتْ - فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ . قَالَ " نَعَمْ - قَالَ - فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " . رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .

अल्लाह जान ही लेता है। आपने फ़रमाया: 'बिलकुल' फिर आपने फ़रमाया: 'जब तूने (मुझे उठते) देखा था, उस वक़्त जिब्राईल(ﷺ) मेरे पास आये थे लेकिन वह अन्दर नहीं आ सकते थे क्योंकि तू अपने कपड़े उतार चुकी थी। चुनांचे उन्होंने तुझ से छुपाते हुये मुझे आहिस्ता से आवाज़ दी और मैंने भी तुझसे छुपाते हुये आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा ख़्याल था कि तू सो चुकी है और मुझे ख़तरा था कि (अगर तुझे जगा दिया तो) तू अकेली डरेगी। तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं बक़ीअ वालों के पास जाकर उनके लिये बख़्शिश की दुआ करूँ।'

इस रिवायत को आसिम ने अन अब्दिल्लाह बिन आमिर अन आयशा की सनद से कुछ मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ बयान किया है।

(3416) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2039, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8912.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(3417) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि मैंने एक रात आप (ﷺ) को मौजूद न पाया। (फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की)

(3417) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1546, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये दो हदीसें (3415-16) फ़साहत व बलाग़त का शह पारह हैं जो हज़रत आयशा (ؓ) की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है। हज़रत आयशा की रिवायात जिस क़द्र तवील होंगी, उनमें फ़साहत व बलाग़त उसी हिसाब से उरूज को पहुँचती जायेगी। एक अदीब शख़्स हज़रत आयशा (ؓ) की रिवायात को इबारत से बख़ूबी पहचान सकता है। (ؓ). **(2)** ग़ैरत से मुताल्लिक़ा रिवायात तमाम की तमाम हज़रत आयशा (ؓ) से मुताल्लिक़ हैं क्योंकि उन्हें नबी-ए-अकरम (ﷺ) से शदीद मोहब्बत थी, जैसे आपको उनसे थी। ऐसी ग़ैरत लाज़िमी चीज़ है जो मामूली मामूली बातों पर भी होती है। मोहब्बत वाले बख़ूबी उसको समझते हैं।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

तलाक़ का मफ़हूम व मआनी

तलाक़ अक़्दे निकाह की ज़िद है। अक़्द के मआनी हैं गिरह देना। और तलाक़ के मआनी हैं गिरह खोल देना। इस लिहाज़ से निकाह की मशरूईयत के साथ साथ तलाक़ की मशरूईयत भी ज़रूरी थी क्योंकि बसा औक़ात निकाह मुवाफ़िक़ नहीं रहता बल्कि मुज़िर्र बन जाता है तो फिर तलाक़ ही उसका इलाज है। अलबत्ता बिला वजह तलाक़ देना गुनाह है। इसके बग़ैर गुज़ारा हो सके तो करना चाहिए। ये आख़री चार-ए-कार है। तलाक़ ज़रूरत के मुताबिक़ मशरूअ है। जहाँ एक तलाक़ से ज़रूरत पूरी होती हो, वहाँ एक से ज़्यादा मना हैं। चूंकि तलाक़ बज़ाते ख़ुद कोई अच्छा फ़ेअल नहीं, इसलिये शरीयत ने तलाक़ के बाद भी कुछ मुद्दत रखी है कि अगर कोई जल्द बाज़ी या जज़्बात या मजबूरी में तलाक़ दे बैठे तो वह इस मुद्दत के दौरान में रुजू कर सकता है। इस मुद्दत को इद्दत कहते हैं। अलबत्ता वह तलाक़ शुमार होगी। शरीयत एक तलाक़ से निकाह ख़त्म नहीं करती बशर्ते कि इद्दत के दौरान में रुजू हो जाये बल्कि तीसरी तलाक़ से निकाह ख़त्म होता है। इसके बाद रुजू या निकाह की गुंजाइश नहीं रहती। याद रहे कि तलाक़ और रुजू ख़ालिस मर्द का हक़ है।

كتاب الطلاق

तलाक़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب (١): وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

बाब : (1) उस इद्दत में तलाक़ देने का वक़्त जो अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़र्रर फ़रमाई है

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .

(3418) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। (उनके वालिद मोहतरम) हज़रत उ़मर (ﷺ) ने इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा तो कहा: (मेरे बेटे) अ़ब्दुल्लाह ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी है। आपने फ़रमाया: 'अ़ब्दुल्लाह से कहो कि उससे रुजू करे, फिर उसे छोड़े रखे यहाँ तक कि वह अपने हैज़ से पाक हो जाये, फिर उसे दूसरा हैज़ आये, फिर जब वह हैज़ से पाक हो तो अगर चाहे तो उसे जिमाअ़ करने से क़ब्ल तलाक़ दे दे और अगर चाहे तो उसे अपने निकाह में रखे। बिलाशुब्हा ये है वह स़ही वक़्त जो अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़र्रर किया है।'

(3418) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1471/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5582.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ की हालत बदबू और गन्दगी की हालत होती है। इसमें जिमाअ़ मना है, लिहाज़ा इस हालत में मर्द को बीवी से रग़बत नहीं होती। मुमकिन है ऐसी हालत में कोई शख़्स तलाक़ देने में जल्दबाज़ी करे, इसलिये शरीयत ने ऐसी हालत में तलाक़ देने से मना फ़रमाया है। अगर

कोई शख़्स इस ग़लती का इर्तिकाब करे तो उसे रुजू करना होगा, अलबत्ता वह तलाक़ शुमार होगी, रुजू करे या न करे। लेकिन अगर वह तीसरी तलाक़ नहीं तो उससे निकाह ख़त्म नहीं होगा। अगर तीसरी है तो रुजू की इजाज़त नहीं होगी, निकाह ख़त्म। (2) मालूम हुआ तलाक़ देने का सही वक़्त तुहर की हालत है जिसमें जिमाअ न किया गया हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .

(3419) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे कहो कि इससे रुजू करे, फिर उसे अपने पास रखे यहाँ तक कि वह पाक हो, फिर उसे हैज़ आये, फिर वह पाक हो। अब इसके बाद अगर वह चाहे तो उसे रखे और चाहे तो जिमाअ से पहले तलाक़ दे दे। ये वह सही वक़्त है जो अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़र्रर फ़रमाया है।'

(3419) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5251, मुस्लिम, हदीस: 1471, मौता: 2/576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5583.

أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ . فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ

(3420) हज़रत ज़ोहरी से पूछा गया कि सही वक़्त पर तलाक़ का क्या तरीक़ा है? उन्होंने कहा: मुझे हज़रत सालिम ने (अपने वालिदे मोहतरम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से बयान फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते मुबारका में अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत उमर (ﷺ) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) उस पर गुस्सा हुए और फ़रमाया: 'वह उससे रुजू

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ " لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا .

करें, फिर उसे अपने पास रखे यहाँ तक कि उसे एक और हैज़ आये, फिर वह पाक हो। अब अगर उसका ख़्याल बने तो तुहर की हालत में बग़ैर जिमाअ किये उसे तलाक़ दे दे। ये सही वक़्त पर तलाक़ है जैसा कि अल्लाह तआला ने हुक्म नाज़िल फ़रमाया है।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया, और जो तलाक़ मैंने उसे (हैज़ की हालत में) दी थी, वह तलाक़ ही समझी।

(3420) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1471/4, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5584.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है कि हैज़ की हालत में तलाक़ अगरचे गुनाह और मम्नूअ (मना) है और उससे रुजू ज़रूरी है मगर ऐसी तलाक़ को एक तलाक़ शुमार किया जायेगा। मज़ीद दो तलाक़ें रह जाती हैं। अलबत्ता कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने ऐसी तलाक़ को कल्अदम (नहीं के बराबर) क़रार दिया है क्योंकि इससे रुजू ज़रूरी है, और रसूलुल्लाह (ﷺ) इब्ने उमर (ﷺ) को एक की बजाये दो तलाक़ों का मशवरा न दे सकते थे। अक़्लन अगरचे ये बात क़वी मालूम होती है मगर मुताल्लिक़ा अहादीस के अल्फ़ाज़ और सहाबा व ताबेईन के अक़वाल, और मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा के मज़ाहिब इसके ख़िलाफ़ हैं। शाज़ लोग ही इस तरफ़ गये हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया (رحمه الله) इस अक़्ली मस्लक के क़ाइल हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ

(3421) हज़रत अबू ज़ुबैर की मौजूदगी में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा गया कि आपका उस आदमी के बारे में क्या ख़्याल है जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी? वह फ़रमाने लगे: अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी तो हज़रत उमर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो (यूँ) कहा: अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को हैज़ की

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا عَلَيَّ قَالَ " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .

हालत में तलाक़ दे दी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे चाहिए कि वह उससे रुजू करे।' और आपने मेरी बीवी मेरे पास भेज दी और फ़रमाया: 'जब ये हैज़ से पाक हो तो फिर तलाक़ दे या अपने निकाह में रखे।' फिर नबी (ﷺ) ने ये आयत पढ़ी: (या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा .....) 'ऐ नबी! जब तुम औरतों को तलाक़ देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के शुरू वक़्त में तलाक़ दो।'

(3421) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1471/14, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5585.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्ना) ये जुम्ला हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की क़िराअत के मुताबिक़ सूर-ए-तलाक़ की पहली आयत का हिस्सा है, यानी वह इसे लिइद्दतिहिन्ना की जगह क़िराअत करते थे। लेकिन ये क़िराअत शाज़ है, ताहम ये जुम्ला नबी (ﷺ) से मरफ़ूअन सहीह साबित है और हुज्जत है जिससे आयत का मफ़हूम मुतअय्यन हो जाता है, यानी तुम औरतों को तलाक़ देने लगो तो उन्हें इद्दत के आग़ाज़, यानी तुहर में तलाक़ दो। **(2)** चूंकि इद्दत हैज़ से शुमार होती है, लिहाज़ा हैज़ की हालत में तलाक़ से इद्दत सहीह नहीं शुरू हो सकेगी। अगर वह हैज़ शुमार करेंगे तो इद्दत कम हो जायेगी और अगर उसे शुमार नहीं करेंगे तो इद्दत लम्बी हो जायेगी, लिहाज़ा तलाक़ तुहर में होनी चाहिए ताकि हैज़ से इद्दत शुरू हो सके।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .

(3422) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि अल्लाह तआला के फ़रमान: (या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना) में (लिइद्दतिहिन्ना) से मुराद क़ुबुलि इद्दतिहिन्ना है, यानी इद्दत के आग़ाज में (तलाक़ दो)

(3422) तख़रीज : (सनद सहीह) अत्तबरी फ़ी तफ़्सीर: 28/84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5586.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का मतलब ये है कि तलाक़ इद्दत से पहले पहले होनी चाहिए, यानी तुहर में क्योंकि इद्दत का आग़ाज़ हैज़ से होता है। अगर तलाक़ हैज़ में हुई तो वह इद्दत के दौरान में होगी जो दुरुस्त नहीं।

बाब : (2) तलाक़े सुन्नत का बयान

باب(٢): طَلاَقِ السُّنَّةِ

(3423) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मन्क़ूल है कि तलाक़े सुन्नत ये है कि तुहर की हालत में जिमाअ़ किये बग़ैर एक तलाक़ दी जाये, फिर जब वह हैज़ के बाद पाक हो तो उसे दूसरी तलाक़ दे दे, फिर जब उसे हैज़ आये और वह हैज़ से पाक हो जाये तो उसे तीसरी तलाक़ दे दे, फिर उसके बाद वह औरत एक हैज़ इद्दत गुज़ारेगी। (रावि-ए-हदीस़) हज़रत आमश ने कहाः मैंने हज़रत इब्राहीम नख़ई से पूछा तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ طَلاَقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ . قَالَ الأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(3423) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़ः 2021, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5587, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 10/172, मसलाः 1949.

फ़ायदा : अहनाफ़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) के मज़्कूरा क़ौल की वजह से मज़्कूरा तरीक़े से तीन तलाक़ें देने ही को तलाक़े सुन्नत समझते हैं, हालांकि ये अ़जीब तलाक़े सुन्नत है जिसने यक लख़्त एक औरत को हराम करके छोड़ा, और तलाक़ तो एक भी मम्दूह नहीं चे जाये कि बिला ज़रूरत पे दर पे तीन तलाक़ें दे दी जायें, फिर सोचने की बात है कि जब एक तलाक़ से औरत ख़ाविन्द से जुदा हो सकती है तो क्या ज़रूरत है कि तीन से पहले बस न की जाये, लिहाज़ा ये तलाक़े सुन्नत नहीं हो सकती। तलाक़े सुन्नत ये है कि बीवी को तुहर की हालत में, बग़ैर जिमाअ़ किये, एक तलाक़ दी जाये और फिर इद्दत गुज़रने का इन्तेज़ार किया जाये। मुमकिन हो तो इद्दत के दौरान में रुजू कर लिया जाये वरना रहने दिया जाये ताकि अगर बाद में इत्तेफ़ाक़ हो जाये तो नया निकाह हो सके। ये क़ौल भी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मन्क़ूल है। और हज़रत अ़ली (ﷺ) ने इस तलाक़ को दलाइल के साथ तलाक़े सुन्ना स़ाबित किया है, लिहाज़ा इसी क़ौल को अख़ज़ करना चाहिए ताकि दौराने इद्दत रुजू और बाद अज़ इद्दत निकाहे जदीद का रास्ता बाक़ी रहे। जुम्हूर का मस्लक भी यही है और यही दुरुस्त

है। हाँ हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) के पहले क़ौल में मज़्कूर सूरत को तलाक़े सुन्नत कहने का ये मतलब हो सकता है कि ये सूरत भी जायज़ है अगरचे ये बेहतर नहीं। शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (ﷺ) के नज़दीक तो तलाक़ पर तलाक़ वाक़ेअ ही नहीं होती क्योंकि ये बे फ़ायदा है मगर जुम्हूर अहले इल्म इसके वकुअ के क़ाइल हैं। और यही बात सही है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ .

(3424) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि तलाक़े सुन्नत ये है कि औरत को तुहर की हालत में बग़ैर जिमाअ के (एक) तलाक़ दे दे।

(3424) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5588, इब्ने माजा: 2020.

باب: (٣) مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ

बाब : (3) हैज़ की हालत में तलाक़ दे बैठे तो क्या करे?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

(3425) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत उमर (ﷺ) नबी(ﷺ) के पास गये और आपको उसकी इत्तिला की। नबी (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अब्दुल्लाह से कहो उससे रुजू करे। जब वह गुस्ले हैज़ करे तो उसे उसकी हालत पर रहने दे यहाँ तक कि उसे दूसरा हैज़ आये, फिर जब वह दूसरे हैज़ से पाक होकर गुस्ल करे तो वह उससे जिमाअ न करे, फिर चाहे तो तलाक़ दे दे और चाहे तो अपने निकाह में रखे। ये है वह सही वक़्त जिसमें अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।'

(3425) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2418.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुताल्लिक़ा मसला तो पीछे वाज़ेह हो चुका है कि हैज़ की तलाक़ से रुजू ज़रूरी है, फिर दूसरा हैज़ आये और औरत पाक होकर गुस्ल करे तो बग़ैर जिमाअ किये उसे तलाक़ दे सकता है। **(2)** 'उसकी हालत पर रहने दे' यानी उसे तलाक़ न दे।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ " .

(3426) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। ये बात नबी (ﷺ) के सामने ज़िक्र हुई तो आपने फ़रमाया: 'उसे कहो कि उससे रुजू करे, फिर तुहर या हमल की हालत में उसे तलाक़ दे।'

(3426) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1471/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5590.

फ़ायदा : मालूम हुआ हमल की हालत में तलाक़ देना भी जायज़ है अगरचे उमूमन ऐसी हालत में तलाक़ नहीं दी जाती।

باب (٤): الطَّلاَقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

बाब : (4) ग़लत वक़्त की तलाक़ (का हुक्म)

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ .

(3427) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी बीवी को उनकी तरफ़ लौटा दिया यहाँ तक कि उन्होंने उसे तुहर की हालत में तलाक़ दी।

(3427) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5591.

फ़ायदा : 'लौटा दिया' यानी उस तलाक़ को शरअन दुरुस्त न समझा और रुजू का हुक्म दिया। ये मतलब नहीं कि उस तलाक़ को मोतबर न समझा या उसे शुमार न फ़रमाया जैसा कि कुछ लोगों ने इस्तेदलाल किया है।

باب (٥): الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ

बाब : (5)
ग़लत वक़्त की तलाक़ शुमार की जायेगी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا . فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

(3428) हज़रत यूनुस बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से उस आदमी के बारे में पूछा जो अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे बैठे तो उन्होंने फ़रमाया: तू अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने भी अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी, फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इसकी बाबत पूछा तो आपने उसे रुजू करने का हुक्म दिया कि फिर वह सही वक़्त पर तलाक़ दे। मैंने अर्ज़ किया: क्या वह तलाक़ शुमार होगी? आपने फ़रमाया: और क्या? अगर वह सही वक़्त पर तलाक़ देने से आजिज़ रहा और उसने ये नादानी कर ली (तो क्या तेरा ख़याल है वह शुमार न होगी)?

(3428) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1471/7, बुख़ारी, हदीस: 5333, हदीस: 5252, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5592.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ

(3429) हज़रत यूनुस बिन जुबैर ने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से अर्ज़ किया कि एक आदमी ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। (तो अब क्या करे?) फ़रमाने लगे: क्या तू अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने भी अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। तो हज़रत उमर (ﷺ) ये मसला पूछने के लिये नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुए तो आपने हुक्म दिया कि वह उससे रुजू करे, फिर सही वक़्त में नये सिरे

يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ مَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

से तलाक़ दे। मैंने कहा: जब आदमी अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दे तो क्या वह तलाक़ शुमार होगी? फ़रमाया: और क्या? अगरचे वह सही वक़्त पर तलाक़ देने से आजिज़ रहा और उसने नादानी का मुज़ाहिरा किया।

(3429) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 5593, मुस्लिम, हदीस: 1471/9.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है कि हैज़ की तलाक़ बावजूद जायज़ न होने के शुमार होगी। इस सिलसिले में सबसे बड़ी दलील हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का अपना फ़रमान है कि मेरी तलाक़ को एक शुमार किया गया। 'हुसिबत अलय्या बितत्लीक़तिन' इसी तरह नबी (ﷺ) का उन्हें रुजू के लिये फ़रमाना और दरम्यान में एक तुहर इन्तेज़ार करना भी इसी मस्लक की ताईद करता है। अगर तलाक़ वाक़ेअ ही नहीं हुई थी तो रुजू और तुहर का इन्तेज़ार क्या मआनी रखता है। ऊपर दी गई रिवायात में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने शागिर्दों को फ़तवा भी यही दिया है, लिहाज़ा यही मस्लक सही है। इमाम इब्ने हज़्म और शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) का क़ौल इस मसले में शाज़ है।

باب (٦): الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

बाब : (6) तीन तलाक़ें इकट्ठी देना सख़्त गुनाह है

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ " . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ .

(3430) हज़रत महमूद बिन लबीद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक आदमी के बारे में बताया गया जिसने अपनी बीवी को इकट्ठी तीन तलाक़ें दे दी थीं। आप ग़ुस्से की हालत में उठ खड़े हुए और फ़रमाया: 'क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह तआला की किताब से खेला जाता है?' यहाँ तक कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं इसे क़त्ल न कर दूँ?

(3430) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5594.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरीयत ने इन्सानों की कमज़ोरी और जल्दबाज़ी को मद्दे नज़र रखते हुए

तलाक़ के तीन मौक़े रखे हैं और पहली दो तलाक़ों के बाद रुजू की रिआयत भी रखी है ताकि ये इन्तेहाई मज़बूत ताल्लुक़ किसी इन्सान की जल्दबाज़ी का शिकार न हो जाये बल्कि पहली दो तलाक़ों के बाद वह अच्छी तरह सोच समझ ले और जज़्बात से अलग होकर फ़ैसला करे। जिस शख़्स ने तीनों तलाक़ें इकट्ठी दे दीं, उसने ये तमाम मौक़े गंवा दिये, और इस अहम ताल्लुक़ को इश्तेआल और जल्दबाज़ी की नज़र कर दिया यहाँ तक कि उस औरत से नये निकाह का इम्कान भी न रहा, और उसने इस सरीह कुर्आनी हिदायत की नाफ़रमानी की (अत्तलाकु मर्रतानि) (अलबक़र: 2/229) 'तलाक़ दो बार है' यानी तलाक़ अलग अलग होनी चाहिए, लिहाज़ा ये शख़्स सख़्त सज़ा का मुस्तौजिब (हक़दार) है। तभी तो दूसरे आदमी ने उसे क़त्ल करने की इजाज़त तलब की क्योंकि किताबुल्लाह को मज़ाक़ बनाना, और ऐलानिया मुख़ालिफ़त करना नाक़ाबिले बरदाश्त है। तभी आप सख़्त नाराज़ हुए। **(2)** इस हदीस़ से मालूम हुआ कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना ख़िलाफ़े शरअ और बिदअत है। इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा (رحمہما اللہ) इसके क़ाइल हैं मगर इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمہما اللہ) इसे हराम नहीं समझते कि तीन तलाक़ें मर्द का हक़ था उसने जैसे चाहा इस्तेमाल कर लिया। अगर मौक़ा ज़ाया किये हैं तो उसने अपने किये हैं। अलबत्ता वह उसे ख़िलाफ़े औला समझते हैं। लेकिन उनका मस्लक इस हदीस़ के ख़िलाफ़ है। अगर हैज़ की तलाक़ को हराम और बिदअत कहा जा सकता है तो इसको क्यूँ नहीं? जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों मक़ामात पर नाराज़ी का इज़्हार फ़रमाया है। **(3)** अगर कोई शख़्स इस हराम का इर्तिकाब करे तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक तीनों तलाक़ें वाक़ेअ हो जायेंगी और वह औरत उस पर हराम हो जायेगी। इसके बरअक्स दूसरा मौकिफ़ ये है कि ये एक तलाक़ शुमार होगी। इसकी दलील सहीह मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर के इब्तेदाई दौर में तीन तलाक़ें एक शुमार होती थीं। हज़रत उमर ने बतौर सज़ा तीन ही की तन्फ़ीज़ फ़रमा दी, इसलिये कुछ अहले इल्म ऐसी सूरत में तीन के बजाये एक के वक़ूअ के क़ाइल हैं क्योंकि उसने तलाक़ का एक मौक़ा इस्तेमाल किया है। बाक़ी रहा तीन का लफ़्ज़ तो वह ख़िलाफ़े शरअ होने की वजह से ग़ैर मोतबर है। हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) का उनको तीन क़रार देना सिर्फ़ ताज़ीर और सज़ा थी, सियासी व इन्तेज़ामी मसला था। शरई हुक्म अपनी जगह बरक़रार है। ये बात अक़्लन और नक़्लन ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। इसके अलावा ये मस्लक (एक वाक़ेअ होना) अवामुन्नास के लिये मुफ़ीद है, ख़ुसूसन जबकि एक सही हदीस़ भी इस मस्लक की ताईद करती है वरना लोग हलाला जैसे ज़लील और ग़ैरत कश फ़ेअल का इर्तिकाब करते हैं जो शरअन और अख़्लाक़न बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत अली और इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) जैसे फ़ुक़हा सहाबा से भी ये मस्लक मन्क़ूल है।

बाब : (7)
तीन तलाक़ें इकट्ठी देने की रुख़्सत

باب (٧): الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

(3431) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (ﷺ) से रिवायत है कि उवैमिर अज्लानी (ﷺ) (अपने सरदार) हज़रत आसिम बिन अदी (ﷺ) के पास आये और कहा: आसिम! बताइये अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को पाये तो क्या वह उसे क़त्ल कर दे? फिर उसे लोग (क़िसास में) क़त्ल कर देंगे, या वह क्या करे? आप मेरे लिये ये मसला रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछें। चुनांचे हज़रत आसिम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऐसे सवालात को नापसन्द फ़रमाया और उन्हें मायूब समझा यहाँ तक कि हज़रत आसिम पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हुई बात बहुत शाक़ गुज़री। फिर जब आसिम अपने घर वापस आये तो उवैमिर ने आकर कहा: आसिम! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तेरे उस सवाल को नापसन्द फ़रमाया है। उवैमिर (ﷺ) कहने लगे: अल्लाह की क़सम! मैं तो बाज़ नहीं आऊँगा यहाँ तक कि मैं ये मसला ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछूँ। उवैमिर आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों के दरम्यान बैठे थे। और उन्होंने (आकर) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमाइये एक आदमी अपनी बीवी के साथ कोई और आदमी देख लेता है तो क्या वह उसे क़त्ल कर दे? फिर आप उसे क़त्ल कर देंगे, या वह क्या करे? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे और तेरी बीवी के बारे में वह्य उतर चुकी है, लिहाज़ा तू जा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ . فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا . فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

और उसे ले आ।' हज़रत सहल ने कहा: फिर उन्होंने आपस में लिआन किया। उस वक़्त मैं भी दूसरे लोगों के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मौजूद था। जब उवैमिर लिआन से फ़ारिग़ हुए तो कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर अब भी मैं उसे अपने निकाह में रखूँ तब तो गोया मैंने उस पर झूठ बाँधा था। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म देने से पहले ही उन्होंने उसे तीन तलाक़ें दे दीं।

(3431) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5259, मुस्लिम, हदीस: 1492, मौता: 2/566, 567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 595.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आप उसे क़त्ल कर देंगे' क्योंकि किसी पर हद नाफ़िज़ करना हुकूमत का काम है। कोई शख़्स अपने तौर पर हद नाफ़िज़ नहीं कर सकता, लिहाज़ा अगर कोई इश्तेआल में आकर बीवी के साथ लेटे हुए आदमी को क़त्ल कर दे तो अगर वह गवाह पेश न कर सके तो उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया जायेगा, वरना तो लोगों के लिये क़त्ल का बहाना बन जायेगा। अलबत्ता आख़िरत में अल्लाह तआला उससे अपने इल्म के मुताबिक़ सुलूक फ़रमायेगा, यानी अगर मक़्तूल वाक़ेअतन जुर्मे ज़िना का मुर्तकिब था और शादी शुदा था तो क़ातिल को माफ़ी मिल जायेगी, वरना सज़ा होगी। **(2)** 'नापसन्द फ़रमाया' क्योंकि आपने ख़्याल फ़रमाया कि फ़र्ज़ी सवालात हैं, कोई ऐसा वाक़िया पेश नहीं आया। और फ़र्ज़ी सवालात करना क़बीह बात है। अल्लाह तआला को तो इल्म था कि हक़ीक़तन ये वाक़िया हो चुका है, इसलिये अल्लाह तआला ने वह्य उतारी। **(3)** इन्शाअल्लाह लिआन की तफ़्सील आगे आयेगी। **(4)** 'तीन तलाक़ें दे दीं' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें मना नहीं फ़रमाया। ज़ाहिरन इस रिवायत से ये मालूम होता है कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि लिआन से तो निकाह ख़ुद बख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, तलाक़ की ज़रूरत बाक़ी नहीं। बाक़ी रहा मसला कि उवैमिर ने तीन तलाक़ें दीं, तो उनका ये फ़ेअल नावाक़फ़ियत की बिना पर था, लिआन के बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिये इस वाक़िये से एक साथ तीन तलाक़ें देने का जवाज़ साबित नहीं होता।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا أَرْسَلَ إِلَىَّ بِطَلاَقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَىَّ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " .

(3432) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया: मैं आले ख़ालिद में से एक औरत हूँ। मेरे ख़ाविन्द ने मुझे (आख़री) तलाक़ भेज दी है। मैंने ख़ाविन्द के घर वालों से अपने लिये रिहाइश और अख़राजात तलब किये तो उन्होंने इन्कार कर दिया है। उन्होंने (ख़ाविन्द के घर वालों) ने जवाब दिया: ऐ अल्लाह के रसूल! उसके ख़ाविन्द ने उसे तीन तलाक़ें भेज दी हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अख़राजात व रिहाइश तो उस (मुतल्लक़ा) औरत को मिलते हैं जिसके ख़ाविन्द को उससे रुजू का हक़ है।'

(3432) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1480/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5596.

फ़ायदा : ये रिवायत इससे पहले भी मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर आ चुकी है। किसी में हैं: मुझे तीन तलाक़ें दीं। किसी में है: मुझे बत्ता तलाक़ दी। किसी में है: मुझे तीन तलाक़ों में से आख़री तलाक़ दी, लिहाज़ा इस रिवायत से तीन तलाक़ें इकट्ठी देने पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि रिवायात को मिलाने से मालूम होता है कि दरअसल ख़ाविन्द ने तीसरी तलाक़ भेजी थी। दो तलाक़ें वह पहले दे चुका था, इसलिये ज़ाहिरन इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। 'अख़राजात व रिहाइश' का मसला हदीस: 3224 में तफ़सील से बयान हो चुका है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ " .

(3433) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत को तीन तलाक़ें हो चुकी हों उसे दौराने इद्दत में ख़र्चा व रिहाइश नहीं मिलेंगे।'

(3433) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1480/44, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5597.

फ़ायदा:इस रिवायत में भी तीन तलाक़ें इकट्ठी देने का ज़िक्र नहीं है, लिहाज़ा इसका बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، -وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ، طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ " لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ سُكْنَى " .

(3434) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) ने कहा: मुझे (मेरे ख़ाविन्द) अबू अम्र बिन हफ़्स मख़्ज़ूमी ने तीन तलाक़ें दे दीं। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) बनू मख़्ज़ूम के कुछ दूसरे लोगों के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू अम्र बिन हफ़्स ने अपनी बीवी फ़ातिमा को तीन तलाक़ें दे दी हैं तो क्या उसे दौराने इद्दत अख़राजात मिलेंगे? आपने फ़रमाया: 'उसे न अख़राजात मिलेंगे और न रिहाइश।'

(3434) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1480/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5598.

फ़ायदा : इस रिवायत में भी ये सराहत नहीं कि उन्हें तीन तलाक़ें इकट्ठी दी गई थीं या अलग अलग। अल्फ़ाज़ दोनों मआनी का एहतिमाल रखते हैं। दूसरी रिवायात को मिलाने से मालूम होता है कि दरअसल तीसरी तलाक़ दी थी। उसे बत्ता भी कहा गया है। पहली तलाक़ों को साथ मिलाकर तीन कह दिया गया। तमाम रिवायात का ज़ाहिरी तज़ाद ख़त्म करने के लिये ये तत्बीक़ ज़रूरी है, ख़ुसूसन जब कि तीन इकट्ठी देने पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सख़्त नाराज़ी ज़ाहिर फ़रमाई थी। (देखिये, रिवायत: 3430)

باب(٨): طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

बाब : (8) औरत के साथ शब बसरी से पहले उसे तीन तलाक़ें देना

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ

(3435) हज़रत ताउस से मन्क़ूल है कि हज़रत अबू सहबाअ हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ इब्ने अब्बास! क्या आप नहीं जानते कि एक साथ तीन तलाक़ें रसूलुल्लाह(ﷺ) और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के दौरे मुबारक में, और हज़रत उमर (ﷺ) के इब्तेदाई दौर में, एक

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ .

तलाक़ समझी जाती थीं? आपने फ़रमायाः हाँ।

(3435) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1472/16, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5599.

फ़ायदा : इस हदीस़ में दुख़ूल से पहले या बाद की कोई क़ैद नहीं। दरअस़ल इमाम स़ाहिब ने इस रिवायत को जुम्हूर अहले इल्म के मौक़िफ़ के मुवाफ़िक़ करने के लिये ये तावील की है कि इस हदीस़ में उस औरत की तीन तलाक़ें मुराद हैं जिससे जिमाअ न किया गया हो। उस औरत के लिये तीन और एक बराबर हैं क्योंकि ऐसी औरत जिससे जिमाअ न किया गया हो, उसके लिये एक तलाक़ भी बाइन होती है, यानी उससे रुजू नहीं हो सकता। लेकिन अगर हदीस़ को अच्छी तरह पढ़ा जाये तो ये तावील ग़लत स़ाबित होती है क्योंकि ये मसला तो शुरू से हमेशा के लिये यही रहा है और अब भी ऐसे ही है क्योंकि ये क़ुर्आनी हुक्म है। इसके लिये हज़रत उ़मर के इब्तेदाई दौर की क़ैद लगाने की क्या वजह हो सकती है? अस़ल बात ये है कि इस हदीस़ से वाज़ेह तौर पर स़ाबित होता है कि तीन तलाक़ें एक साथ दी जायें तो वह एक तलाक़ शुमार होंगी। औरत मदख़ूल बिहा हो या ग़ैर मदखूल बिहा। हज़रत उ़मर(رضی اللہ عنہ) ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में बतौर सज़ा तीन को तीन ही नाफ़िज़ कर दिया। उनके फ़रमान की वजह से उ़मूमन स़हाबा व ताबेईन ने यही फ़तवा देना शुरू कर दिया यहाँ तक कि इस हदीस़ के रावी स़हाबी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) भी यही फ़तवा देने लगे जिससे लोगों ने इस रिवायत को मशकूक समझ लिया। हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) का ये सियासी और इन्तेज़ामी फ़ैस़ला ऐसा राइज हुआ कि बाद के फ़ुक़हा ने भी इसकी पाबन्दी की यहाँ तक कि ये शरई मसला बन गया जब कि हक़ीक़तन ये इन्तेज़ामी और ताज़ीरी फ़ैस़ला था। जिस तरह इन्तेज़ामी फ़ैस़ले बदलते रहते हैं, ये भी बदल सकता है। हर दौर में कुछ न कुछ लोग इसकी स़राहत करते रहे हैं कि शरई मसला यही है कि एक वक़्त की तीन तलाक़ें एक शुमार होंगी। स़हाबा में से हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने मसऊ़द, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (رضی اللہ عنہم), ताबेईन में से हज़रत ताउस और इक्रिमा इसी के क़ाइल हैं। इमामुल मग़ाज़ी मुहम्मद बिन इस्हाक़, शैख़ुल इस्लाम इब्ने क़य्यिम और अ़ल्लामा इब्ने हज़्म का मस्लक भी यही है बल्कि इमाम मालिक से भी एक क़ौल यही नक़ल किया गया है। मालकिया में से बहुत से फ़ुक़हा और हनफ़िया में से मुहम्मद बिन मुक़ातिल राज़ी भी यही कहते हैं। अब इसे शाज़ मस्लक कहना अइम्म-ए-अर्बआ के लिहाज़ से है वर्ना हर दौर में लोग इसके क़ाइल रहे हैं। (तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस़: 3430, मज़ीद देखिये: 'एक मज्लिस में तीन तलाक़ें और उसका शरई हल' अज़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ (हफ़िजहुल्लाह))

बाब : (9) तीन तलाक़ों वाली औरत किसी शख़्स से निकाह करे और दुख़ूल के बग़ैर उसे तलाक़ हो जाये तो?

باب (٩): الطَّلَاقِ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " .

(3436) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा गया कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं, फिर उस औरत ने किसी और मर्द से शादी कर ली और वह उसके साथ अलग तो हुआ लेकिन जिमाअ किये बग़ैर तलाक़ दे दी, क्या ये औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल है? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं, यहाँ तक कि वह दूसरा (निकाह करने वाला) शख़्स उस औरत का मज़ा चखे और औरत उस मर्द का मज़ा चखे (लज़्ज़ते जिमाअ हासिल करे)'

(3436) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5600, बुख़ारी, हदीस: 5261, मुस्लिम, हदीस: 110/1433.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा हदीस को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुए मज़ीद लिखा है कि बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है जिससे मालूम होता है कि मुहक़्क़िक़े किताब के नज़दीक भी ये हदीस क़ाबिले हुज्जत है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी इसे सही क़रार दिया है। **(2)** जिस औरत को तीन तलाक़ें हो जायें, वह उस ख़ाविन्द पर हमेशा के लिये हराम हो जाती है मगर ये कि वह औरत किसी दूसरे शख़्स से निकाह करे और वह दोनों आपस में ख़ाविन्द बीवी की तरह रहें, जिमाअ वग़ैरह करें, फिर उन दोनों में निबाह न हो सके और दूसरा शख़्स अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे दे तो वह औरत इद्दत गुज़रने के बाद अपने पहले ख़ाविन्द से निकाह कर सकती है, लेकिन अगर दूसरे ख़ाविन्द ने जिमाअ के बग़ैर तलाक़ दे दी तो वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं होगी। याद रहे कि इस सारे अमल में कोई 'साज़िश' नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरा निकाह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल करने की नियत से न हो, वरना निकाह नहीं 'ज़िना' होगा। और वह पहले ख़ाविन्द के लिये भी हलाल न होगी। सही हदीस में इस 'साज़िश' के किरदारों (हलाला करने और करवाने वाले) पर लानत की गई है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 3238)

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "

(3437) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हज़रत रिफ़ाआ क़रज़ी (ﷺ) की (साबिक़ा) बीवी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने (रिफ़ाआ के तीन तलाक़ें देने के बाद) अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह किया है। अल्लाह की क़सम! उसके पास तो सिर्फ़ कपड़े के अन बुने उस किनारे की तरह है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा रिफ़ाआ के निकाह में जाना चाहती है? हरगिज़ नहीं (जा सकती) यहाँ तक कि वह तुझसे लज़्ज़ते जिमाअ हासिल करे और तू उससे।

(3437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5601.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3285.

باب (١٠): طَلاَقِ الْبَتَّةِ

बाब : (10)
बत्ता (क़तई) तलाक़ का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَأَنَّهُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ

(3438) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत रिफ़ाआ क़रज़ी (ﷺ) की बीवी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई जब कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) भी आपके पास मौजूद थे। कहने लगी: ऐ अलाह के रसूल! मैं (पहले) रिफ़ाआ क़रज़ी के निकाह में थी। लेकिन उन्होंने मुझे बत्ता तलाक़ दे दी। मैंने (इद्दत गुज़ारने के बाद) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर (ﷺ) से शादी कर ली। अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! उनका अज़्व (अंग) तो कपड़े के उस अनबुने किनारे की तरह है। उसके साथ ही उसने

اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ " تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " .

अपनी चादर का एक किनारा पकड़ कर दिखाया। हज़रत ख़ालिद बिन सईद (﵁) बाहर दरवाज़े पर थे। आपने उन्हें अन्दर आने की इजाज़त नहीं दी थी। वह कहने लगे: ऐ अबू बक्र! आप इस औरत की बात नहीं सुन रहे? ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भी वही कुछ कह रही है जो कुछ (बाहर) कहती फिरती है। आपने फ़रमाया: 'तू रिफ़ाअ़ा के निकाह में जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती यहाँ तक कि तू अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से और वह तुझसे लज़्ज़ते जिमाअ़ हासिल करे।'

(3438)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 6084, मुस्लिम, हदीस: 1433/113, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5602.

फ़ायदा : बत्ता तलाक़ की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3285.

بَاب(١١): أَمْرُكِ بِيَدِكِ

बाब : (11) (ख़ाविन्द बीवी से कहे:) तेरा मामला तेरे इख़्तियार में है (तो क्या होगा?)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثٌ " . فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ

(3439) हज़रत हम्माद बिन ज़ैद से मन्क़ूल है कि मैंने अय्यूब से कहा: क्या आप जानते हैं कि किसी ने (अम्रूकि बियदिक) 'तेरा मामला तेरे इख़्तियार में है' कहने की सूरत में उसे तीन तलाक़ कहा हो? सिवाए हज़रत हसन बसरी के? उन्होंने कहा: नहीं, फिर कहने लगे: या अल्लाह! माफ़ फ़रमाना। (हाँ) मगर वह हदीस जो मुझे क़तादा ने कसीर मौला इब्ने समुरा अन अबी सलमा अन अबी हुरैरह की सनद से बयान की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: (ये अल्फ़ाज़ कहना) तीन तलाक़ें हैं।' (हज़रत हम्माद ने कहा:) मैं कसीर को मिला और उनसे इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने इस

فَقَالَ نَسِيَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

हदीस़ से ला'इल्मी ज़ाहिर की, फिर मैं हज़रत क़तादा के पास गया और उनसे पूरी बात ज़िक्र की तो उन्होंने कहा: कस़ीर भूल गये।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है।

(3439) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5603.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई बयान करते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है, यानी रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमान नहीं। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का क़ौल है। लेकिन स़ही बात ये है कि ये मक़तूअन स़ही स़ाबित है, यानी हसन बस़री (ﷺ) का क़ौल है, मरफ़ूअन या मौक़ूफ़न स़ही स़ाबित नहीं। तफ़्स़ील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, 10/234-236, रक़म 379) **(2)** ख़ाविन्द बीवी से (अम्रूकि बयदिक) कह दे, यानी तुझे तलाक़ लेने का इख़्तियार है, चाहे तो ले ले। औरत कहे कि मैंने तलाक़ ले ली तो कितनी तलाक़ें वाक़ेअ होंगी? कुछ हज़रात तीन के क़ाइल हैं, यानी वह औरत उससे मुस्तक़िल्लन जुदा हो जायेगी। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक उस औरत को एक तलाक़ वाक़ेअ होगी क्योंकि लफ़्ज़े तलाक़ से एक ही तलाक़ समझ में आती है, और एक साथ तीन तलाक़ें तो बिदअत हैं। अलबत्ता ख़ाविन्द को रुजू का हक़ नहीं होगा। इद्दत के बाद दोनों रज़ामन्द हों तो नया निकाह कर सकते हैं। **(3)** 'या अल्लाह! माफ़ फ़रमाना' यानी मुझ से ग़लती हो गई और मैंने जल्दबाज़ी में नहीं कह दिया। उसी जल्दबाज़ी की माफ़ी तलब की वरना निस्यान व ख़ता तो मिनजानिब अल्लाह माफ़ हैं ही। **(4)** 'कस़ीर भूल गये' अगर कोई रावी हदीस़ बयान करने के बाद भूल जाये लेकिन उसका शागिर्द जो वह हदीस़ बयान कर रहा है, स़िक़ा हो और बिल यक़ीन कहे तो रिवायत मोतबर होगी। निस्यान का रिवायत की स़ेहत पर अस़र नहीं पड़ेगा।

باب(۱۲): إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ

बाब : (12) तीन तलाक़ वाली औरत किस निकाह के साथ (पहले ख़ाविन्द के लिये) हलाल हो सकती है?

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى

(3440) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रिफ़ाआ की (साबिक़ा) बीवी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहा: मुझे मेरे ख़ाविन्द ने तलाक़ दी। और तलाक़े बत्ता (तीसरी तलाक़) दी। मैंने

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .

उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह कर लिया लेकिन उसके पास तो कपड़े के पल्लू (किनारे) के सिवा कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह(ﷺ) हँस पड़े और फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा रिफ़ाआ के निकाह में जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती यहाँ तक कि वह तुझ से (जिमाअ करके) लुत्फ़ अन्दोज़ हो और तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ हो।'

(3440) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5604.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ " لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ " .

(3441) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं, फिर उस औरत ने किसी और आदमी से निकाह कर लिया लेकिन उसने उसे जिमाअ करने से पहले तलाक़ दे दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: क्या वह औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल है? आपने फ़रमाया: 'नहीं, यहाँ तक कि ये दूसरा ख़ाविन्द उससे (जिमाअ करके) लुत्फ़ अन्दोज़ हो जैसा कि पहला ख़ाविन्द लुत्फ़ अन्दोज़ होता रहा।'

(3441)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 5261, मुस्लिम, हदीस: 1433/115, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5605.

फ़ायदा : इस मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3285.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(3442) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत गुमैसा या रुमैसा नबी (ﷺ) के पास आई और अपने ख़ाविन्द की शिकायत करने लगी कि वह जिमाअ नहीं कर सकता। इतने में उसका ख़ाविन्द भी आ गया और उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये झूठ बोलती है। मैं इसके साथ जिमाअ करता हूँ लेकिन ये

تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .

अपने पहले ख़ाविन्द के पास दोबारा जाना चाहती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके लिये ये जायज़ नहीं यहाँ तक कि तू उससे जिमाअ़ करे।

(3442) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/214, तोहफ़तुल अशराफ़, हदीस़: 9748, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5606.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह औ़रत अपने बयान के मुताबिक़ पहले ख़ाविन्द के निकाह में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके बक़ौल ख़ाविन्द जिमाअ़ के क़ाबिल नहीं था। और जब तक वह जिमाअ़ न करे और तलाक़ न दे, उस वक़्त तक वह पहले ख़ाविन्द के पास नहीं जा सकती थी, लिहाज़ा उसका बयान उसके अपने ख़िलाफ़ पड़ गया। **(2)** रुमैसा हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम(ﷺ) का लक़ब भी था मगर ये कोई और औ़रत थी।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَ " لاَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " .

(3443) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने उस आदमी के बारे में, जो अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे देता हैं, फिर कोई दूसरा शख़्स़ उससे निकाह कर लेता है लेकिन वह भी उसे हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे देता है और वह औ़रत पहले ख़ाविन्द के यहाँ वापस जाना चाहती है, फ़रमाया: 'वह नहीं जा सकती यहाँ तक कि दूसरा ख़ाविन्द उससे जिमाअ़ करे।'

(3443) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1933, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5607.

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि दूसरे ख़ाविन्द से सिर्फ़ निकाह कर लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि हमबिस्तरी ज़रूरी है, इसके अ़लावा बा'क़ायदा आबाद होने की नियत से निकाह करना भी ज़रूरी है। इन दो शर्तों के बग़ैर वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं हो सकती।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ " لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ .

(3444) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे देता है, फिर कोई और आदमी उससे निकाह कर लेता है, फिर वह दरवाज़ा बन्द करके पर्दा लटका लेता है लेकिन जिमाअ से पहले उसे तलाक़ दे देता है। आपने फ़रमाया: 'इतने से वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल न होगी यहाँ तक कि दूसरा ख़ाविन्द उससे जिमाअ करे।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ये (सुफ़ियान वाली सनद शोबा की मज़्कूरा सनद से) दुरुस्ती के ज़्यादा लाइक़ है (लेकिन दोनों का मतन शवाहिद की रू से सही है)

(3444) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5608, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि इस मसले में ख़ल्वते सहीहा जिमाअ के क़ाइम मक़ाम नहीं अगरचे कुछ दीगर मसाइल में ख़ल्वते सहीहा को जिमाअ समझा जाता है। ख़ल्वते सहीहा ये है कि ख़ाविन्द और बीवी अलग पर्दे में हों और जिमाअ से कोई शरई, तबई या अख़्लाक़ी रूकावट न हो।

باب(١٣): إِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

बाब : (13) तीन तलाक़ों वाली को जानबुझ कर पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल करना सख़्त गुनाह है

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ

(3445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस्म में रंग भरने वाली, भरवाने वाली, ज़ाइद बाल मिलाने वाली और जिसे ज़ाइद बाल लगाये जायें, सूद खाने वाले और खिलाने वाले, हलाला करने वाले और जिसके लिये हलाला किया जाये, इन

الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

सब पर लानत फ़रमाई है।

(3445) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5609, मुसनद अहमद: 2/323, इब्ने जारूद, हदीस: 684 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये लोग चूंकि फ़ित्रते इन्सानी की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं, इसलिये लानत के मुस्तहिक़ हैं। **(2)** 'रंग भरने वाली' जिस्म को पहले सूई के साथ छेदा जाता है, फिर उन सूराख़ों में सुर्मा या नील डाल दिया जाता है। वह रंग बाद में सब्ज़ या नीलगूं नज़र आता है। इस काम में ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। सिर्फ़ हुसूले हुस्न के लिये अपने आपको छेदना फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। हुस्न असल नहीं, इन्सान असल है। **(3)** 'बाल मिलाने वाली' असल बालों के साथ ज़ाइद जअली बाल मिलाना धोखा देही और जअल साज़ी है जो ईन्सानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ है और ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। **(4)** 'सूद लेने देने वाला' सूद की बुनियाद कंजूसी और ख़ुद ग़र्ज़ी है जो इन्सानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। सूद देने वाला चूंकि इस निज़ामे फ़ासिद को क़ाइम रखने में मुमिद्द (इम्दाद करने वाला) है, इसलिये उसे भी सूद के हुक्म में शरीक कर दिया गया। **(5)** 'हलाला करने वाला' यानी मुताल्लिक़ा औरत से इस नियत से निकाह करने वाला कि एक दो दिन जिमाअ के बाद छोड़ दूँगा, ये इन्सानी फ़ितरत के बजाये हैवानी फ़ितरत है। इन्सानी फ़ितरत तो मुस्तक़िल निकाह का तक़ाज़ा करती है जो इन्तेहाई पाकीज़ा अमल है जब कि 'हलाला' तो साँड़ की फ़ितरत है और इन्सानी फ़ितरत को मस्ख़ करने वाली चीज़ है, लिहाज़ा ये मलऊन फ़ेअल है और ऐसा फ़ेअल निकाह की बजाये ज़िना है। इससे हिल्लत जैसा पाकीज़ा नतीजा हासिल नहीं हो सकेगा। कुछ हीला साज़ लोगों ने इसे मशरूअ बना दिया है। अफ़सोस! नातिक़ा सर बगरीबां है उसे क्या कहिये?

مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ

बाब : (14)मर्द अपनी बीवी को बिल मुशाफ़ा तलाक़ दे सकता है

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الَّتِي، اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

(3446) औज़ाई कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ोहरी से उस औरत के मुताल्लिक़ पूछा जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पनाह माँगी थी तो उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत उर्वा ने हज़रत आयशा(رضي الله عنها) से बयान किया है कि आप (ﷺ) की किलाबी बीवी जब आपके पास आई तो कहने लगी: मैं आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। रसूलुल्लाह

الْكِلاَبِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ " .

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू बहुत बड़ी ज़ात की पनाह में आई है, लिहाज़ा अपने घर चली जा।'

(3446) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5610.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'किलाबी बीवी' इनका नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ह्हाक था। उनके वालिद गिरामी ने उनका निकाह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया था। इख़्तिलाफ़ ये है कि उन्होंने ये लफ़्ज़ (मैं आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ) क्यूँ कहे थे। कुछ रिवायात में है कि किसी ने उन्हें धोखा देते हुए कहा था कि तू ये लफ़्ज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से अव्वल मुलाक़ात में कहेगी तो आप बड़े ख़ूश होंगे। वह इस धोखे में आ गईं क्योंकि ये लफ़्ज़ तो तलाक़ तलब करने के लिये हैं। या मुमकिन है, बाप के किये हुए निकाह पर राज़ी न हों, लिहाज़ा ये लफ़्ज़ कहे। बहरहाल आपने उसे तलाक़ दे दी। **(2)** तलाक़ चूंकि इन्तेहाई क़बीह चीज़ है, इसलिये बेहतर है कि औरत को बिल मुशाफ़ा न दी जाये बल्कि पैग़ाम या तहरीर की सूरत में भेजी जाये। लेकिन चूंकि इस औरत ने ख़ुद मुतालबा किया था, लिहाज़ा आपने उसे बिल मुशाफ़ा तलाक़ दी। गोया ऐसे भी हो सकता है। **(3)** 'अपने घर चली जा' ये अल्फ़ाज़ अगर तलाक़ की नियत से कहे जायें तो तलाक़ हो जायेगी। यहाँ ऐसे ही है।

باب : (١٥) إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلاَقِ

बाब : (15) आदमी किसी के ज़रिये से अपनी बीवी को तलाक़ भेजे

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ - قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي بِطَلاَقِي فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كَمْ طَلَّقَكِ " . فَقُلْتُ ثَلاَثًا . قَالَ " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ

(3447) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तलाक़ लिख भेजी तो मैंने अपने कपड़े पहने और नबी(ﷺ) के पास हाज़िर हुई। आपने पूछा: 'वह तुझे कितनी तलाक़ें दे चुका है?' मैंने कहा: तीन। फ़रमाया: 'फिर तुझे ख़र्च वग़ैरह नहीं मिलेगा। तू अपने चचाज़ाद भाई इब्ने उम्मे मक्तूम के घर इद्दत गुज़ार। वह नाबीना शख़्स है। तू उसके यहाँ कपड़े भी उतार सकती है। जब तेरी इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे इत्तिला करना।' ये रिवायत मुख़्तसर है।

عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي " . مُخْتَصَرٌ .

(3447) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1480/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5611.

फ़ायदा : 'कपड़े उतार सकती है' यानी फ़ालतू कपड़े न कि सब कपड़े। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3424)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ تَمِيمٍ، مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ، نَحْوَهُ .

(3448) तमीम मौला फ़ातिमा ने भी हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) से इसी क़िस्म की रिवायत बयान की है।

(3448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5612.

باب : (١٦) تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ }

बाब : (16) अल्लाह तआला के फ़रमान: 'ऐ नबी! आप वह चीज़ क्यूँ हराम करते हैं जिसे अल्लाह तआला ने आपके लिये हलाल किया है?' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَىَّ حَرَامًا . قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ .

(3449) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास एक आदमी आया और कहने लगा: मैंने अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम कर लिया है। आपने फ़रमाया: तूने झूठ कहा। वह तुझ पर हराम नहीं, फिर ये आयत तिलावत फ़रमाई: (या अय्युहन्नबिय्यु .....) 'ऐ नबी आप उस चीज़ को क्यूँ हराम करते हैं जो अल्लाह तआला ने आपके लिये हलाल की है?' हाँ तुझ पर सख़्त तरीन कफ़्फ़ारा होगा, यानी एक गुलाम आज़ाद करना।

(3449) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 7/350, 351, तबरानी फ़िल्कबीर: 11/440, हदीस: 12246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5613, व सहीह अलहाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 2/493, 494, बुख़ारी: 4911, 5266, मुस्लिम: 1473/18, 19.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तूने झूठ कहा' यानी तेरा अपनी बीवी को अपने लिये हराम कहना झूठ और ग़लत बात है क्योंकि बीवी कैसे हराम हो सकती है? हाँ तलाक़ की नियत से कहे तो अलग बात है। (2) 'तुझ पर सख़्त तरीन कफ़्फ़ारा होगा' क्योंकि तूने इन्तेहाई क़बीह बात कही। बीवी तो हराम नहीं होगी मगर इस क़बीह बात की सज़ा तुझे बरदाश्त करना होगी। (देखिये,हदीस़: 3411) (3) 'एक गुलाम आज़ाद करना' क़ुर्आन मजीद के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो ऐसी सूरत में कफ़्फ़ार-ए-यमीन साबित करते हैं जिसमें गुलाम आज़ाद करने के अलावा मिस्कीनों का खाना या लिबास या रोज़े भी आते हैं। मुमकिन है ये शख़्स अमीर हो, इसलिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने उसके लिये सख़्ती ज़रूरी समझी और गुलाम आज़ाद करने का कहा हो। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (17) इस आयत की एक और तौजीह

تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ

(3450) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (ﷺ) के पास (ज़्यादा देर) ठहरते और उनके पास शहद पीते थे। मैंने और हफ़्सा ने आपस में मन्सूबा बनाया कि नबी (ﷺ) हममें से जिसके यहाँ भी तशरीफ़ लायें वह आपसे कहे कि मैं आपसे मग़ाफ़ीर की बू पाती हूँ। आप हममें से किसी के पास तशरीफ़ लाये तो उसने आपसे वही बात कह दी। आपने फ़रमाया: 'मैंने तो ज़ैनब के यहाँ से शहद पिया है, दोबारा नहीं पियूँगा।' फिर ये आयत उतरी (या अय्युहन्नबिय्यू .....) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ को क्यूँ हराम करते हैं जिसे अल्लाह तआ़ला ने आपके लिये हलाल किया है?' (आगे आने वाले अल्फ़ाज़) (इन्ततूबा इलल्लाहि) में हज़रत आ़यशा और हफ़्सा(ﷺ) की तरफ़ इशारा है और (वइज़ असर्रन्नबिय्यु इला बअ़ज़ि अज़्वाजिही हदीसा) में बात से मुराद आपका ये फ़रमान है, मैंने शहद पिया

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةَ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ - وَقَالَ - لَنْ أَعُودَ لَهُ " . فَنَزَلَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ } لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا }

لِقَوْلِهِ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً " . كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ .

है (दोबारा नहीं पियूँगा) ये सारी तफ़्सील अता की हदीस में है।

(3450) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6691, मुस्लिम, हदीस: 1474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5614.

फ़ायदा : तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस: 3410.

باب (١٨): الْحَقِي بِأَهْلِكِ

बाब : (18) बीवी को कहना 'अपने घर चली जा' जब कि इरादा तलाक़ का न हो

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي

(3451, 3452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने (अपने वालिदे मोहतरम) हज़रत कअब बिन मालिक को अपनी आप बीती बयान करते सुना, जब वह ग़ज़्व-ए तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पीछे रह गये। उन्होंने पूरा वाक़िया बयान फ़रमाया। फिर फ़रमाया: इस दौरान में रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ासिद मेरे पास आया और कहने लगा: रसूलुल्लाह (ﷺ) तुझे हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बीवी से अलग हो जा। मैंने कहा: उसे तलाक़ दे दूँ या क्या करूँ? वह कहने लगा: नहीं, सिर्फ़ उससे अलग रह, उसके क़रीब न जाना। मैंने अपनी बीवी से कहा: तू अपने घर चली जा और उनके पास रह यहाँ तक कि अल्लाह तआला इस बारे में कोई फ़ैसला फ़रमाये।

(3451, 3452) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/456, बुख़ारी : 3889, मुस्लिम: 2769/53, देखें, हदीस: 732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5615.

غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ قِصَّتَهُ وَقَالَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الأَمْرِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस: 3451 में अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब अपने दादा कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) से बयान कर रहे हैं और 3452 में अपने वालिद अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब से। दोनों तरह सही है क्योंकि अ़ब्दुर्रहमान का सिमाअ़ अपने बाप अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब और दादा कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) दोनों से साबित है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हुज्र (ﷺ) ने हुदस्सारी में इस तरफ़ इशारा किया है। इमाम बुख़ारी (ﷺ) अपनी सहीह में इस रिवयत को इस मज़्कूरा सनद (3451) से लाये हैं। इसमें अ़ब्दुर्रहमान ने अपने दादा से सिमाअ़ की तस्रीह की है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2948) **(2)** सरीह लफ़्ज़ तलाक़ बोला जाये तो तलाक़ ही मुराद होगी, नियत हो या न मगर कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनसे तलाक़ मुराद ली जा सकती है और कोई और मआनी भी मुराद लिये जा सकते हैं। इन अल्फ़ाज़ से तलाक़ तब वाक़ेअ़ होगी जब नियत तलाक़ की हो। उनको किनायाते तलाक़ कहते हैं। हदीस में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ भी इसी क़बील से हैं। चूंकि हज़रत कअ़ब(ﷺ) की नियत तलाक़ देने की नहीं थी, लिहाज़ा इन अल्फ़ाज़ (अपने घर चली जा) से तलाक़ वाक़ेअ़ नहीं हुई।

(3453) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक ने कहा: मैंने अपने वालिदे मोहतरम हज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) को बयान फ़रमाते सुना, और मेरे वालिद उन तीन अश्ख़ास में से एक थे जिनकी तौबा क़बूल हुई थी। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और मेरे दूसरे दो साथियों को पैग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी औरतों से जुदा रहो।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، - قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ -

يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ . فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ أُطَلِّقُ امْرَأَتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلْ تَعْتَزِلُهَا فَلاَ تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ فَلَحِقَتْ بِهِمْ .

मैंने क़ासिद से कहा: मैं उसे तलाक़ दे दूँ या क्या करूँ? उसने कहा: नहीं, बल्कि सिर्फ़ उससे अलग रह, उसके क़रीब न जाना। मैंने अपनी बीवी से कहा: तू अपने मयके चली जा और उनके पास रह। चुनांचे वह मयके चली गई।

(3453) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5616.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उसके क़रीब न जाना' यानी जिमाअ़ वग़ैरह न करना। बीवी से बोल चाल मना न थी। हज़रत कअ़ब चूंकि नौजवान थे, उन्होंने ख़तरा महसूस फ़रमाया कि पास रहने की सूरत में कहीं जिमाअ़ वग़ैरह न हो जाये, इसलिये उन्होंने अज़ ख़ुद ही बीवी को मयके भेज दिया। **(2)** 'जिनकी तौबा क़बूल हुई' ग़ज़्व-ए-तबूक में जिहाद पर जाना फ़र्ज़े ऐन हो गया था, लिहाज़ा जो नहीं गये, उनसे पूछ गछ हुई। मुनाफ़िक़ीन तो झूठ बोल कर जान छुड़ा गये मगर जो तीन मुख़्लिस मुसलमान सुस्ती की वजह से पीछे रह गये थे, उन्होंने अपनी ग़लती तस्लीम कर ली, कोई उज़्र नहीं घड़ा और अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) के सुपुर्द कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमाम इस्लामी मुआशरे को उनके बायकाट का हुक्म दे दिया, कोई उनसे सलाम दुआ तक न करता था यहाँ तक कि उन पर ज़मीन तंग हो गई मगर ये अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार रहे। आख़िर पचास दिन की सब्र आज़मा आज़माइश के बाद उनकी तौबा की क़बूलियत का हुक्म उतरा और उनकी आज़माइश ख़त्म हुई। इन बुज़ुर्गों ने ऐसी सख़्त तरीन आज़माइश में सब्रे अ़ज़ीम का मुज़ाहिरा किया और जन्नत के हक़दार क़रार पाये। उनके नाम ये हैं: हज़रत कअ़ब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन रबीअ़ और हज़रत हिलाल बिन उमय्या (رضي الله عنهم).

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبًا، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى

(3454) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने हज़रत कअ़ब(رضي الله عنه) को अपनी आप बीती बयान फ़रमाते सुना जब वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जाने से रह गये थे। उन्होंने फ़रमाया कि इस दौरान में रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ासिद मेरे पास आया और कहने लगा: रसूलुल्लाह (ﷺ) तुझे अपनी औरत से

الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا . وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الأَمْرِ . خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

अलग रहने का हुक्म इरशाद फ़रमा रहे हैं। मैंने कहा: उसे तलाक़ दे दूँ या क्या करूँ? उसने कहा: बल्कि उससे जुदा रह, क़रीब न जाना। आपने मेरे दो साथियों की तरफ़ भी यही पैग़ाम भेजा। मैंने अपनी बीवी से कहा: तू अपने मयके चली जा और उनके पास रह यहाँ तक कि अल्लाह तआला हमारे बारे में कोई फ़ैसला फ़रमा दे।

मअक़िल बिन उबैदुल्लाह ने इनकी मुख़ालिफ़त की है।

(3454) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 3/459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5617.

वज़ाहत : यूनुस बिन यज़ीद, इस्हाक़ बिन राशिद, अक़ील बिन ख़ालिद और मअक़िल बिन उबैदुल्लाह चारों इमाम ज़ोहरी के शागिर्द हैं। यूनुस, इस्हाक़ और अक़ील ने इस रिवायत को अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अन अबीह (अब्दुल्लाह बिन कअब) की सनद से बयान किया है जब कि मअक़िल ने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अन अम्मिही (उबैदुल्लाह बिन कअब) की सनद से बयान किया है, यानी उन्होंने बयान किया है कि अब्दुर्रहमान अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन कअब की बजाये अपने चचा उबैदुल्लाह बिन कअब से बयान कर रहा है लेकिन ये इख़्तिलाफ़ मुज़िर नहीं क्योंकि ये रिवायत दोनों तुरुक़ से साबित है। मअक़िल की रिवायत अगली रिवायत है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبًا، يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ

(3455) हज़रत उबैदुल्लाह बिन कअब बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिदे मोहतरम हज़रत कअब को बयान फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे और मेरे दो साथियों को पैग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह (ﷺ)तुम को अपनी बीवियों से अलग रहने का हुक्म देते हैं। मैंने क़ासिद से कहा: मैं अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ या क्या करूँ? उसने कहा: तलाक़ नहीं बल्कि तू उससे (वक़्ती तौर) पर अलग रह और उसके क़रीब न जाना। मैंने अपनी बीवी से कहा: अपने

لِلرَّسُولِ أُطَلِّقُ امْرَأَتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَلَحِقَتْ بِهِمْ . خَالَفَهُ مَعْمَرٌ

मयके चली जा और उनमें रह यहाँ तक कि अल्लाह (ﷻ) कोई फ़ैसला फ़रमाये। चुनांचे वह अपने मयके चली गई।

मअ़मर ने (मअक़िल की) मुख़ालिफ़त की है।

(3455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5618.

वज़ाहत : यूनुस और इस्हाक़ वग़ैरह की तरह मअ़मर भी इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) का शागिर्द है। वह इस रिवायत को अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब की सनद से बयान करता है, यानी मअक़िल की तरह उ़बैदुल्लाह बिन कअ़ब नहीं कहता।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَتَانِي فَقَالَ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ تَقْرَبْهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ .

(3456) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब बिन मालिक अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं कि इस दौरान में नबी (ﷺ) का क़ासिद मेरे पास आया और कहने लगा: अपनी औरत से अलग रह। मैंने कहा: उसे तलाक़ दे दूँ? उसने कहा: नहीं। लेकिन उसके क़रीब न जाना।

इस रिवायत में रावी ने इलहक़ी बिअहलिक 'अपने मयके चली जा' के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये।

(3456)तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/389, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5619, पिछली हदीस़ देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वाज़ेह रहे कि इस रिवायत को हज़रत कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) से मुख़्तलिफ़ लोग बयान करते हैं। उनके तीन बेटे, अ़ब्दुल्लाह, उ़बैदुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान और उनके पोते अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह। और अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह कभी तो अपने वालिद अ़ब्दुल्लाह के वास्ते से हज़रत कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं, कभी अपने चचा उ़बैदुल्लाह के वास्ते से और कभी बिला वास्ता, लेकिन ये इख़्तिलाफ़ कोई मुज़िर (नुक्सानदेह) नहीं क्योंकि ये हदीस़ उन तमाम तुरुक़ से स़ाबित है। वल्लाहु आ़लम! **(2)** इस रिवायत का तकरार सनद व मतन के कुछ इख़्तिलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है जो मुहद्दिस़ीन के नज़दीक इन्तेहाई अहम चीज़ है। रिवायात के बग़ौर मुताला से वह इख़्तिलाफ़ात वाज़ेह हो जाते हैं बल्कि हल भी हो जाते हैं जैसा कि ऊपर कोशिश की गई है। तकरार के और भी कई फ़वाइद हैं।

बाब : (19) ग़ुलाम की तलाक़

باب طلاق العبد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا جَمِيعًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . خَالَفَهُ مَعْمَرٌ .

(3457) बनू नौफ़ल के मौला हज़रत अबू हसन से मरवी है कि मैं और मेरी बीवी दोनों ग़ुलाम थे। मैंने उसे दो तलाक़ें दे दी थीं, फिर हम दोनों आज़ाद कर दिये गये। मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: अगर तू इससे रुजू कर ले तो वह तेरे पास लौट सकती है और एक तलाक़ बाक़ी होगी। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने यही फ़ैसला फ़रमाया है।

मअ़मर ने (अ़ली बिन मुबारक की) मुख़ालिफ़त की है।

(3457) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2187, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5620.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मुख़ालिफ़त सनद और मतन दोनों में मौजूद है। मतन में मुख़ालिफ़त तो वाज़ेह है, सनद में मुख़ालिफ़त ये है कि मअ़मर ने अ़निल हसन मौला बनी नौफ़ल कहा है जो कि वहम है। स़ही अबुल हसन मौला बनी नौफ़ल है जैसा कि अ़ली बिन मुबारक की साबिक़ा रिवायत में है। **(2)** मज़्कूरा वहम की निस्बत मअ़मर की तरफ़ करना महल्ले नज़र है। इमाम मिज़्ज़ी(رحمه الله) तोहफ़तुल अशराफ़ में लिखते हैं: 'इस वहम की निस्बत मअ़मर या उनके शागिर्द अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ की तरफ़ करना महल्ले नज़र है क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल और मुहम्मद बिन अ़ब्दुल मलिक बिन ज़न्जवेह और दीगर कई लोग इस रिवायत को अ़न अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ अ़न मअ़मर की सनद से बयान करते हैं लेकिन इन तमाम ने अ़न अबिल हसन ही कहा है। (जो कि स़ही है स़िर्फ़ नसाई में अ़निल हसन है, लिहाज़ा ये सह्व या तो ख़ुद इमाम नसाई (رحمه الله) को लगा है या उनके उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ़ को) वल्लाहु आ़लम! देखिये: (तोहफ़ा अल अशराफ़ बमअ़रिफ़ा अल अतराफ़: 5/274) यानी मअ़मर की रिवायत भी अ़ली बिन मुबारक की तरह अ़न अबिल हसन ही है। मअ़मर ने अ़ली बिन मुबारक की मुख़ालिफ़त नहीं की और मुस़न्निफ़ (رحمه الله) का उनके वहम की तरफ़ इशारा दुरुस्त नहीं बल्कि वहम किसी और को लगा है, इमाम नसाई (رحمه الله) को या उनके उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ़ को। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 28/337, 338) **(3)** आज़ाद

मर्द को तीन तलाक़ों का इख़्तियार है मगर ग़ुलाम को दो तलाक़ों का। रावि-ए-हदीस़ जब ग़ुलाम थे तो वह दो तलाक़ें दे चुके थे मगर दौराने इद्दत दोनों आज़ाद कर दिये गये। आज़ादी से तीसरी तलाक़ का हक़ भी हासिल हो गया, लिहाज़ा वह रुजू कर सकते थे। और अगर इद्दत गुज़र चुकी हो तो वह नया निकाह भी कर सकते थे। मुमकिन है उन्होंने दो तलाक़ें इकट्ठी दी हों। इस सूरत में वह एक के क़ाइम मक़ाम थीं और उनहें रुजू का हक़ हासिल था। फिर मआनी होंगे 'अगर तू उससे रुजू करे तो वह तेरे पास आ जायेगी और उसे एक तलाक़ पड़ गई है।' वल्लाहु आलम! वैसे ये और अगली दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ عَمَّنْ قَالَ أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُوَ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً .

(3458) बनू नौफ़ल के मौला हज़रत अबुल हसन से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा गया कि एक ग़ुलाम ने अपनी बीवी को दो तलाक़ें दे दीं, फिर वह दोनों आज़ाद हो गये, क्या अब वह दोबारा उससे शादी कर सकता है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। साइल ने पूछा: आप ये किससे नक़ल फ़रमाते हैं: उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये फ़तवा इरशाद फ़रमाया है।
अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा: (अब्दुल्लाह) इब्ने मुबारक ने हज़रत मअमर से कहा: ये हसन कौन है? उसने बहुत भारी पत्थर उठाया है।

(3458) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 2082, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5621.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) के नज़दीक ये हदीस़ क़ाबिले अमल नहीं होगी, इसलिये उन्होंने इसे 'भारी पत्थर' क़रार दिया।

बाब : (20) बच्चे की तलाक़ कब वाक़ेअ होगी?

باب (٢٠): مَتَى يَقَعُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

(3459) हज़रत कस़ीर बिन साइब बयान करते हैं कि मुझे बनू क़ुरैज़ा के नौजवान लड़कों ने बयान किया कि हमें जंगे क़ुरैज़ा के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो जिस लड़के को

خُزَيْمَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ، قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ.

एहतिलाम होता था या उसके ज़ेरे नाफ़ बाल उगे हुए थे, उसे क़त्ल कर दिया जाता था और जिसको एहतिलाम नहीं होता था या जिसे ज़ेरे नाफ़ बाल नहीं उगे हुए थे, उसे छोड़ दिया जाता था।

(3459) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/241, 5/372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5622.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बनू कुरैज़ा यहूदी क़बीला था जिन्होंने मुसलमानों से वफ़ादारी का मुआहिदा कर लिया था मगर ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ जैसे नाज़ुक मौक़े पर ये कुफ़्फ़ारे मक्का के साथ मिल गये और अन्दुरूनी बग़ावत कर दी। ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ ख़त्म होते ही आपने बनू कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया ताकि उन्हें बग़ावत की सज़ा दी जाये। उन्होंने अपना फ़ैसला हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़(ﷺ) के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने फ़ैसला फ़रमाया कि उनके तमाम बालिग़ मर्द क़त्ल कर दिये जायें और नाबालिग़ ग़ुलाम बना लिये जायें। चूंकि ये उनके मुँह माँगे फ़ैसल का फ़ैसला था, लिहाज़ा इस पर अ़मल दरआमद किया गया। **(2)** इस हदीस़ को इस बाब के तहत ज़िक्र करने का मक़सद ये है कि जब नाबालिग़ पर हद नाफ़िज़ नहीं होती तो उसकी तलाक़ भी मोतबर नहीं होगी। जब वह बालिग़ होगा, फिर तलाक़ दे सकता है। **(3)** बुलूग़त की तीन अ़लामात हैं: एहतिलाम, ज़ेरे नाफ़ बाल या उम्र पन्द्रह साल हो जाये। चूंकि उम्र का तअ़य्युन मुश्किल होता है, दूसरी अ़लामात वाज़ेह हैं, लिहाज़ा उनका ऐतबार किया गया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلاَمًا فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فَاسْتُبْقِيتُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

(3460) हज़रत अ़तिया कुरज़ी से मरवी है कि जिन दिनों हज़रत सअ़द (ﷺ) ने बनू कुरैज़ा के बारे में फ़ैसला सुनाया, मैं बच्चा था। उन्हें मेरे बारे में शक हुआ (कि बालिग़ है या नाबालिग़) लेकिन जब मुझे देखा तो मेरे शर्मगाह के बाल नहीं उगे थे तो मुझे छोड़ दिया गया। देख लो अब मैं तुम्हारे दरम्यान मौजूद हूँ।

(3460) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5623, व स़हीह इब्ने जारूद, हदीस़: 1045, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 149-1501.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3461) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-उहुद के मौक़े

يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ .

पर मेरा जायज़ा लिया। मैं उस वक़्त चौदह साल का था। आपने मुझे जंग में शिर्कत की इजाज़त न दी, फिर ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ के मौक़े पर जायज़ा लिया तो मैं पन्द्रह साल का हो चुका था। आपने मुझे इजाज़त दे दी।

(3461) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 4097, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5624.

फ़ायदा : सरकारी दस्तावेज़ात में पन्द्रह साल के लड़के को बालिग़ और इससे कम को नाबालिग़ लिखा जायेगा क्योंकि हुकूमत के पास उम्र वग़ैरह का रिकॉर्ड होता है। बाक़ी दो अलामात में हेर-फेर मुमकिन है अगरचे वह क़तई अलामात हैं।

مَنْ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ مِنَ الأَزْوَاجِ

बाब : (21) किन (ख़ाविन्दों) की तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती?

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ " .

(3462) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन अश्ख़ास से क़लम उठा लिया गया है: सोते शख़्स से यहाँ तक कि वह जाग पड़े, नाबालिग़ से यहाँ तक कि वह बालिग़ हो जाये और मज्नून व पागल से यहाँ तक कि उसे अक़्ल व होश आ जाये।'

(3462) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2041, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5625, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1496, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/59, अबी दाऊद, हदीस़: 4400.

फ़ायदा : इन तीन अश्ख़ास के मरफ़ूउलक़लम होने का मतलब ये है कि इन हालतों के दौरान में उनसे कोई ग़लती हो जाये तो उस पर गिरफ़्त नहीं होती क्योंकि इन हालतों में इन्सान बे'इख़्तियार होता है और इख़्तियार के बग़ैर पूछ गछ बे'मआनी है। अलबत्ता अगर किसी का माली नुक़सान हो जाये तो वह भरना पड़ेगा। तलाक़ कोई माली मसला नहीं, लिहाज़ा इन तीन हालतों में दी हुई तलाक़ वाक़ेअ नहीं होगी क्योंकि इन हालतों में इन्सान मरफ़ूउल क़लम होता है। अलबत्ता नशे वाली हालत में तलाक़

मुख़्तलफ़ फ़ीह है। अहनाफ़ व मवालिक वक़ूअ और शवाफ़ेअ व हनाबला अदमे वक़ूअ के क़ाइल हैं। उसूली लिहाज़ से नशे में तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती क्योंकि क़सद व इख़्तियार नहीं। और नशे की सज़ा शरीयत में मुक़र्रर है, वह उसे दी जायेगी। बतौर सज़ा तलाक़ को नाफ़िज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि हम उसकी सज़ा में इज़ाफ़ा या दो सज़ायें जमा करने के मजाज़ नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (22) जो आदमी अपने दिल में तलाक़ देता रहे?

باب (٢٢): مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ " .

(3463) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को वह बातें माफ़ फ़रमा दी हैं जो वह अपने दिलों में करते हैं, जब तक वह ज़बान पर न लायें या उन पर अमल न करें।'

(3463) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5626, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1498, वल हाकिम: 2/198 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : इससे मुराद महज़ शैतानी वस्वसे और गुनाह के ख़्यालात हैं जैसा कि अगली हदीस में इसकी वज़ाहत है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ".

(3464) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को वस्वसे और दिली ख़्यालात माफ़ कर दिये हैं जब तक वह उन पर अमल न करें या ज़बान पर न लायें।'

(3464) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2528, मुस्लिम, हदीस: 127/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5627, अबू यअला, हदीस: 6390.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिन बातों का ताल्लुक़ ही दिल से है, जैसे: ऐतक़ादात, ईमान और कुफ़्र

वग़ैरह, उन पर मुवाख़िज़ा या स़वाब होगा, ख़्वाह वह दिल ही में रहें। यहाँ स़िर्फ़ वस्वसे और ख़्यालात मुराद हैं जो वक़्ती तौर पर दिल में आते और निकल जाते हैं, न कि ईमान व कुफ़्र व निफ़ाक़ वग़ैरह जो दिल में जागुज़ीं होते हैं। (2) ये उम्मते मुहम्मदिया का ख़ास्सा है। बाक़ी उम्मतों पर इसका भी मुहासबा होता था। इससे उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत मालूम होती है।

أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ "

(3465) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को दिली वस्वसों और वक़्ती ख़्यालात माफ़ फ़रमा दिये हैं जब तक वह उनको ज़बान पर न लायें या उन पर अमल न करें।'

(3465) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5628.

باب (٢٣): الطَّلاَقِ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

बाब : (23)
वाज़ेह इशारे से भी तलाक़ हो सकती है

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ أَىْ وَهَذِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

(3466) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक फ़ारसी पड़ौसी था जो शोरबा बेहतरीन बनाता था। एक दिन वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया जब कि आपके पास हज़रत आयशा (ﷺ) भी थीं। उसने आपको हाथ से इशारा किया कि आइये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत आयशा की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि ये भी आयेगी तो उसने हाथ से इशारा किया कि नहीं। दो तीन दफ़ा ऐसे ही हुआ।

(3466) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 2037, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5629.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गूंगे भी दुनिया में बसते हैं। उनकी भी शादियाँ होती हैं। उन्हें भी तलाक़ की ज़रूरत पड़ सकती है और वह उमूमन इशारे ही से बात करते हैं, लिहाज़ा लाज़मी बात है कि इशारा मोतबर हो। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इशारा वाज़ेह होना चाहिए जिससे मक़सूद साफ़ समझ में आये।

आम आदमी भी इशारों से बातें कर लेते हैं, लिहाज़ा इशारा मोतबर होगा, ख़्वाह गूंगा करे या कोई दूसरा फ़र्द बशर्ते कि इशारा वाज़ेह हो। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) को साथ ले जाने पर इस्रार शायद इस वजह से था कि हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) को भी भूख लगी थी। आपने मुनासिब न समझा कि खाने में अपने आपको उन पर तर्जीह दें। ये मुकारिमे अख़्लाक़ की अलामत है। किसी शाइर ने कहा है: 'साथी भूखा हो तो अपना पेट भरा होना क़ाबिले मलामत है।' और फ़ारसी का इन्कार शायद इस वजह से था कि शोरबा सिर्फ़ आप ही को किफ़ायत कर सकता था। वल्लाहु आलम!

बाब : (24)
जब कलाम से ऐसे मआनी मक़सूद हों जिनका वह कलाम मुहतमिल हो तो?

باب : (۲۴)
الْكَلاَمِ إِذَا قَصَدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ

(3467) हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आमाल का ऐतबार नियत के साथ है। हर आदमी को उसकी नियत मिलेगी। चुनांचे जिस शख़्स की, हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर होगी, उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिजरत ही का सवाब मिलेगा और जिस शख़्स की हिजरत दुनिया के हुसूल या किसी औरत (से शादी) की ख़ातिर होगी तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ़ होगी जिसकी तरफ़ उसने हिजरत की।'

(3467) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5630.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه - وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " .

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمہ اللہ) का मक़सूद ये है कि मुतकल्लिम अपने कलाम से जो मआनी मुराद

लेगा, वही मोतबर होगा बशर्ते कि कलाम उनका एहतिमाल रखता हो। कोई मुख़ातिब अपनी मर्ज़ी के मआनी किसी कलाम से कशीद नहीं कर सकता। अपने कलाम का मक़सूद बयान करना मुतकल्लिम का हक़ है न कि मुख़ातब का। चूंकि नियत असल है और नियत मुतकल्लिम ही बयान कर सकता है, लिहाज़ा अगर कोई शख़्स ऐसा लफ़्ज़ बोले जो तलाक़ के मआनी का भी एहतिमाल रखता हो और दूसरे मआनी का भी, तो तलाक़ तभी मुराद होगी अगर मुतकल्लिम तलाक़ के मआनी मुराद ले वरना तलाक़ नहीं होगी, जैसे: कोई शख़्स अपनी बीवी से कहे: 'मेरे घर से निकल जा।' (ये हदीस़ तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस़: 75, किताबुल वुज़ू)

बाब : (25)

जब कोई शख़्स एक वाज़ेह कलिमा बोल कर ऐसे मआनी मुराद ले जिनका वह एहतिमाल नहीं रखता, इससे कोई हुक्म स़ाबित नहीं होगा और वह बेफ़ायदा होगा

باب : (٢٥)

الإِبَانَةِ وَالإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا إِذَا قَصَدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ " انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ " .

(3468) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'देखो! अल्लाह तआला क़ुरैश के गाली गलोच और लअ़न तअ़न को मुझसे कैसे दूर रखता है? वह मुज़म्मम को बुरा कहते हैं और मुज़म्मम को लानत करते हैं जब कि मैं तो मुहम्मद हूँ।' (ﷺ).

(3468) तख़रीज : (सनद स़हीं) बुख़ारी, हदीस़: 3533, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5631.

फ़ायदा : क़ुरैशे मक्का जब अपने मन्सूबों में नाकाम होते तो जलते भुनते हुए नबी-ए-अकरम(ﷺ) को बुरा कहने लगते लेकिन वह लअ़न तअ़न के वक़्त मुहम्मद (ﷺ) के बजाये मुज़म्मम का लफ़्ज़ बोलते क्योंकि मुहम्मद के मआनी तो हैं वह शख़्स जिसकी सब तारीफ़ें करें। अगर वह आपको मुहम्मद कह कर गाली गलोच करते तो ये इज्तेमाअे नक़ीज़ैन था। वैसे भी वह आपको इतने अच्छे नाम के साथ पुकारना नहीं चाहते थे, लिहाज़ा वह मुहम्मद के लफ़्ज़ को मुज़म्मम से बदल देते और गालियाँ देते। इस

तरीक़े से अल्लाह तआला ने आपके पाक नाम को गाली गलोच से बचा लिया। इमाम (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि किसी लफ़्ज़ के ऐसे मआनी मुराद नहीं लिये जा सकते जिससे वह मआनी किसी भी लिहाज़ से समझ में न आते हों, जैसे मुज़म्मम के मआनी किसी भी सूरत में मुहम्मद नहीं हो सकते। यहाँ नियत किफ़ायत नहीं करेगी। इसी तरह कोई ऐसा लफ़्ज़ बोल कर तलाक़ मुराद नहीं ली जा सकती जो किसी लिहाज़ से भी तलाक़ के मआनी न देता हो, ख़्वाह नियत तलाक़ ही की हो, जैसे: कोई कहे 'मैंने तुझे इनाम दिया' और तलाक़ मुराद ले तो ये मुमकिन नहीं।

باب(٢٦): التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ

बाब : (26) तलाक़ के इख़्तियार में मुद्दत मुक़र्रर हो सकती है

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُوسَى بْنُ عُلَىٍّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ " . قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَاىَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ - قَالَتْ - ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } إِلَى قَوْلِهِ { جَمِيلاً } فَقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ - قَالَتْ عَائِشَةُ - ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ

(3469) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को अल्लाह तआला की तरफ़ से अपनी बीवियों को इख़्तियार देने का हुक्म हुआ तो आप सबसे पहले मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मैं तुझसे एक बात करता हूँ। जवाब देने में जल्दी की ज़रूरत नहीं। बेशक अपने वालिदैन से मश्वरा कर लेना।' (आपने ये इसलिये फ़रमाया कि) आप जानते थे कि मेरे वालिदैन मुझे कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा नहीं दे सकते। फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (या अय्युहन्नबिय्यु क़ुल लिअज़्वाजिक इन कुन्तुन्न ......) 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दीजिये: अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और ज़ैब व ज़ीनत की तालिब हो तो आओ मैं तुम्हें अच्छे तरीक़े से फ़ारिग़ कर दूँ ......' मैंने फ़ौरन कहा: क्या मैं इस बारे में अपने वालिदैन से मश्वरा तलब करूँ। मैं तो हर हाल में अल्लाह तआला, उसके रसूल और आख़िरत ही की तलबगार हूँ, फिर दीगर अज़्वाजे मुतह्हरात ने भी इसी तरह

صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ .

कहा जिस तरह मैंने कहा था। तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों से ये कुछ कहा और उन्होंने आप ही को इख़्तियार किया तो ये तलाक़ न बनी क्योंकि उन्होंने (बजाये तलाक़ के) आपको इख़्तियार किया।

(3469) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5632.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ाविन्द अपनी बीवी को तलाक़ का इख़्तियार दे सकता है कि अगर तू चाहे तो तलाक़ ले ले। अगर औरत जवाब में कहे: मैंने तलाक़ ले ली तो उसे तलाक़ हो जायेगी। अलबत्ता इख़्तिलाफ़ है कि वह तलाक़ रजई होगी या बायना। **(2)** मुसन्निफ़ का मक़सूद ये है कि ज़रूरी नहीं कि इख़्तियार मिलते ही औरत जवाब दे। अगर ख़ाविन्द कोई मुद्दत मुक़र्रर कर दे तो उस मुद्दत में भी वह किसी वक़्त तलाक़ इख़्तियार कर सकती है जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत आयशा(ؓ) को मोहलत दी कि फ़ौरन जवाब न दे तो कोई हर्ज नहीं बल्कि अपने वालिदैन से मश्वरा करने के बाद जवाब दे देना। **(3)** नबी (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात (ؓ) ने इब्तेदाई दौर में आपसे अख़राजात के मुतालबे किये थे जो आपकी दस्तरसी से बाहर थे, और वह आपके नबवी मिज़ाज के भी ख़िलाफ़ थे, इसलिये आपको परेशानी हुई। अल्लाह तआला ने हल तज्वीज़ फ़रमाया कि आपकी बीवियों का मिज़ाज, नबवी मिज़ाज के मुताबिक़ होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह तआला की रज़ा पर राज़ी रहें। तवज्जा दुनिया की बजाये उक़्बा की तरफ़ हो। अगर वह इस मिज़ाज को इख़्तियार न कर सकें तो आपसे तलाक़ ले लें और दुनिया कहीं और तलाश कर लें। आपने यही बात अपनी बीवियों से इरशाद फ़रमाई। मक़सद उनकी तर्बीयत था। एक माह तक वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की जुदाई से बहुत कुछ सीख चुकी थीं, लिहाज़ा सब ने रसूलुल्लाह (ﷺ) और आख़िरत को पसन्द किया और हर उस्र (तंगी) व युस्र (खुशी) में साथ देने का वादा किया और फिर आख़िर ज़िन्दगी तक उनकी ज़बान से कोई मुतालबा न निकला। (ؓ).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ { إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(3470) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि जब ये आयत उतरी: (वइन कुन्तुन्ना तुरिद्नल्लाह व रसूलहू) 'अगर तुम अल्लाह तआला, उसके रसूल और आख़िरत को पसन्द करती हो।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'ऐ आयशा! मैं तुझसे एक बात ज़िक्र करने लगा हूँ।

وسلم بَدَأَ بِي فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ " . قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ فَقَرَأَ عَلَىَّ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } فَقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالأَوَّلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

तुझे जवाब में जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक कि तू अपने वालिदैन से भी मश्वरा कर ले।' आप जानते थे कि अल्लाह की क़सम! मेरे वालिदैन मुझे कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा नहीं दे सकते। फिर आपने मुझ पर ये आयत तिलावत फ़रमाई: (या अय्युहन्नबिय्यु ......) 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दीजिये: अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और ज़ैब व ज़ीनत चाहती हो तो।' मैंने फ़ौरन कहा: क्या मैं इस बारे में अपने वालिदैन से मश्वरा लूँ? मैं तो (हर हाल में) अल्लाह तआला और उसके रसूल ही की तलबगार हूँ।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये, यानी हदीस़ मअ़मर अ़निज़्ज़ोहरी, अ़न उर्वा, अ़न आ़यशा ग़लती है। और पहली, यानी हदीसे़ यूनुस व मूसा बिन अ़ली अ़न इब्ने शिहाब, अ़न अबी सलमा अ़न आ़यशा दुरुस्त है। वल्लाहु आ़लम!

(3470) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1475, बाद हदीस़: 1479, बुख़ारी, हदीस़: 4786, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5633.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का ख़याल है कि ये हदीस़ मअ़मर अ़निज़्ज़ोहरी अ़न उर्वा के तरीक़ से ग़ैर महफ़ूज़ है और यूनुस व मूसा अ़निज़्ज़ोहरी अ़न अबी सलमा के तरीक़ से महफ़ूज़ है लेकिन इमाम स़ाहिब (رحمه الله) का ये ख़याल महल्ले नज़र मालूम होता है क्योंकि मअ़मर, उर्वा से बयान करने में मुतफ़र्रिद नहीं बल्कि उनकी मुताबिअ़त मौजूद है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मअ़मर की' उर्वा से बयान करने में जाफ़र बिन बरक़ान ने मुताबिअ़त की है। मुमकिन है ज़ोहरी ने ये हदीस़ (उर्वा और अबू सलमा) दोनों से सुनी हो, तो उन्होंने कभी एक से बयान कर दिया और कभी दूसरे से। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) का रुझान भी इसी तरफ़ है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 8/523) मालूम होता है कि दोनों तरीक़ महफ़ूज़ हैं और हदीस़ दानों तुरुक़ से स़ही है। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (27) जिस औरत को तलाक़ का इख़्तियार दिया जाये और वह अपने ख़ाविन्द ही को पसन्द करे तो?

باب : (٢٧) فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

(3471) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको इख़्तियार दिया था और हमने आप ही को पसन्द किया था तो क्या ये तलाक़ बन गई?

(3471) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5634.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلاَقًا

फ़ायदा : यानी इस तरह तलाक़ नहीं होती। तलाक़ तब होती है कि औरत ख़ाविन्द के बजाये तलाक़ को पसन्द करे। कुछ फ़ुक़हा का ख़्याल है कि ख़्वाह औरत ख़ाविन्द ही को पसन्द करे, औरत को तलाक़ हो जायेगी मगर ये इन्तेहाई ग़ैर माक़ूल बात है। हज़रत आयशा (ﷺ) इसी का रद्द फ़रमा रही हैं। कुछ उलमा का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तलाक़ का इख़्तियार नहीं दिया था बल्कि आपने तो उनकी राय तलब की थी कि तुम चाहो तो मैं तलाक़ दे देता हूँ, लेकिन हज़रत आयशा (ﷺ) ने तो ऐसा फ़र्क़ तस्लीम नहीं फ़रमाया।

(3472) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों को इख़्तियार दिया था लेकिन ये तलाक़ नहीं बना।

(3472) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5635.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .

(3473) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने अपनी बीवियों को इख़्तियार दिया था लेकिन ये इख़्तियार तलाक़ नहीं बना।

(3473) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5636.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلاَقًا .

(3474) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात को तलाक़ का इख़्तियार दिया था तो क्या ये तलाक़ बन गया? (जब कि उन्होंने आपको इख़्तियार दिया था।)

(3474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5637.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا .

(3475) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तलाक़ लेने का इख़्तियार दिया था। हम सब ने (तलाक़ के बजाये) आपको पसन्द किया। चुनांचे आपने इस अमल को हमारे ख़िलाफ़ तलाक़ शुमार नहीं फ़रमाया।

(3475) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5638.

फ़ायदा : यही बात सही है कि सिर्फ़ तलाक़ का इख़्तियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती जब तक औरत तलाक़ पसन्द न करे।

باب (٢٨): خِيَارِ الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ

बाब : (28) गुलाम ख़ाविन्द बीवी आज़ाद हों तो इख़्तियार किसे होगा?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ كَانَ لِعَائِشَةَ غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ابْدَئِي بِالْغُلاَمِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ".

(3476) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद से मरवी है कि हज़रत आयशा (ﷺ) के पास एक गुलाम और एक लौण्डी थे (जो आपस में मियाँ बीवी थे) हज़रत आयशा (ﷺ) कहती हैं: मैंने उन्हें आज़ाद करने का इरादा किया। मैंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'गुलाम को पहले आज़ाद करना, लौण्डी को बाद में।'

(3476) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5639.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आज़ाद होने से हैसियत बढ़ जाती है, लिहाज़ा अगर कोई शादी शुदा लौण्डी आज़ाद हो और उसका ख़ाविन्द ग़ुलाम हो तो आज़ादी के बाद औरत को हक़ हासिल है कि वह ग़ुलाम के निकाह में रहे या न रहे। अलबत्ता अगर ख़ाविन्द आज़ाद है तो फिर औरत को आज़ादी के बाद ये हक़ नहीं मिलता क्योंकि उसका मर्तबा ख़ाविन्द से बलन्द नहीं होता। इसी वजह से आपने ख़ाविन्द को पहले आज़ाद करने का हुक्म दिया ताकि औरत निकाह ख़त्म न कर सके क्योंकि निकाह का टूटना बहुत से मफ़ासिद का ज़रिया बन सकता है। जब दोनों का दर्जा एक जैसा है तो निकाह क़ाइम रहने ही में आफ़ियत है। अहनाफ़ हर हालत में आज़ाद होने वाली बीवी को निकाह ख़त्म करने का इख़्तियार देते हैं लेकिन उनका मस्लक वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस मज़्कूरा फ़रमान के ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि आप (ﷺ) ने मर्द की फ़ज़ीलत की वजह से उसे पहले आज़ाद करने का हुक्म दिया लेकिन ये तावील कमज़ोर है। दलाइल की रू से पहला मौक़िफ़ क़वी है। (2) चूंकि ख़ाविन्द को तो हर हाल में तालक़ का इख़्तियार है, ख़्वाह वह आज़ाद हो या ग़ुलाम, लिहाज़ा आज़ाद होने से उसे कोई अलग इख़्तियार नहीं मिलता। (3) औरत अपने माल में ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ कर सकती है। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने ये नहीं पूछा था कि आज़ाद करूँ या न करूँ बल्कि उनका सवाल ये था कि पहले किसे आज़ाद किया जाये। वल्लाहु आलम! अलबत्ता ख़ाविन्द से सलाह मश्वरा अफ़ज़ल है। इससे बाहमी ऐतमाद और मवद्दत बढ़ती है और शैतान को दख़ल अन्दाज़ी का मौक़ा नहीं मिलता।

बाब : (29) लौण्डी को (आज़ादी के बाद निकाह ख़त्म करने का) इख़्तियार है

باب(٢٩): خِيَارِ الأَمَةِ

(3477) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं हज़रत बरीरा(رضي الله عنها) के बारे में तीन शरई अहकाम जारी हुए: एक ये कि वह आज़ाद हुई तो उसे अपने ख़ाविन्द की बाबत इख़्तियार दिया गया। दूसरा ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हक़्क़े वला उसे हासिल होगा जो आज़ाद करे।' तीसरा ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो हण्डिया में गोश्त पक रहा था लेकिन आपको रोटी के साथ घर वाला सालन दिया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तो हण्डिया में गोश्त पकता हुआ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ

إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ " . فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " .

देखा था।' घर वालों ने कहा: जी हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! लेकिन ये तो वह गोश्त था जो बरीरा पर स़दक़ा किया गया था और आप स़दक़ा नहीं खाते। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये उसके लिये स़दक़ा था (लेकिन जब उसने हमें तोहफ़ा भेज दिया तो ये हमारे लिये हदिया है।)'

(3477) तख़रीज : **(सनद स़ही)** बुख़ारी, हदीस़: 5097, मुस्लिम, हदीस़: 1504/14, मौता: 2/562, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5640.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इख़्तियार दिया गया' क्योंकि उनका ख़ाविन्द 'मुग़ीस़' अभी गुलाम था। हज़रत बरीरा (ؓ) ने निकाह ख़त्म कर दिया था। मालूम हुआ औरत के आज़ाद होने से तलाक़ वाक़ेअ होगी न फ़स्ख़े निकाह होगा बल्कि इख़्तियार मिलेगा। **(2)** 'हक़्क़े वला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद करने वाले को आज़ाद शुदा गुलाम पर होता है कि उसे उसका मौला कहा जाता है। और ये आज़ाद शुदा गुलाम फ़ौत हो जाये और उसका कोई नसबी वारिस़ न हो तो आज़ाद करने वाला उसका वारिस़ भी बनेगा। हज़रत बरीरा ने अपनी आज़ादी के लिये हज़रत आयशा (ؓ) से राब्ता किया तो उन्होंने फ़रमाया: मैं तुम्हें यक मुश्त ख़रीद कर आज़ाद कर देती हूँ। मालिक बेचने पर तो राज़ी हो गये मगर 'हक़्क़े वला' अपने लिये माँगने लगे, हालांकि ये हक़ तो उसका है जो गुलाम को लिवज्हिल्लाह (अल्लाह की ख़ूशनुदी के लिये) आज़ाद करे। **(3)** 'हदिया है' इससे ये उसूल समझ में आया कि जो चीज़ बज़ाते ख़ुद पलीद और हराम नहीं, उसकी हैस़ियत बदलती रहती है, जैसे: रिश्वत या सूद का पैसा उस शख़्स़ के लिये हराम है जो रिश्वत या सूद ले रहा है, लेकिन अगर रिश्वत या सूद लेने वाला वह रक़म आगे किसी को बतौर उजरत या क़ीमत दे तो लेने वाले के लिये जायज़ होगी, हराम नहीं होगी क्योंकि रक़म बज़ाते ख़ुद पलीद या हराम चीज़ नहीं बल्कि उसकी हैस़ियत उसे हलाल या हराम बनाती है। ज़कात की रक़म मालदार के लिये हराम मगर फ़क़ीर के लिये हलाल है। ये उसूल बहुत अहम है। **(4)** मियाँ बीवी गुलाम हों तो किसी एक से मुकातिबत करके उसे आज़ाद किया जा सकता है। ज़िम्नन ये बात भी समझ में आई कि किसी एक को आगे बेचा जा सकता है। **(5)** अगर किसी ग़लत और ग़ैर शरई काम का लोग इर्तिकाब कर रहे हों तो उलमा को इस मसले की वज़ाहत करनी चाहिए और उसके मुताल्लिक़ शरई अहकाम नुमायाँ करने चाहिए, और जिस ग़ैर शरई काम और रस्म का वह मुस्तक़बिल में इर्तिकाब करने वाले हों उसके बारे में बरवक़्त अपने ख़ुत्बे में वज़ाहत कर देनी चाहिए। **(6)** नेक बीवी हर मामले में अपने ख़ाविन्द की ख़ैरख़्वाह होती है। हज़रत आयशा (ؓ) ने आपको गोश्त का सालन न

दिया क्योंकि उन्हें इल्म था कि आप सदक़े की चीज़ नहीं खाते, वरना आप (ﷺ) को इल्म न था क्योंकि आप आलिमे ग़ैब नहीं थे। (7) सदक़े और हदिये में फ़र्क़ है। (8) आज़ाद करने वाला आज़ादकर्दा से तोहफ़ा क़बूल कर सकता है। उससे आज़ाद करने के सवाब में कोई कमी नहीं होगी।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَأُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" .

(3478) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि हज़रत बरीरा (رضي الله عنها) के बारे में तीन अहम फ़ैसले हुए: उसके मालिकों ने उसे बेचने का इरादा किया लेकिन वला की शर्त लगाई। मैंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'उसे ख़रीद ले और आज़ाद कर दे। वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।' वह आज़ाद हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख़्तियार दिया। चुनांचे उसने (ख़ाविन्द के बजाये) अपने को पसन्द किया। उस पर सदक़ा किया जाता था तो वह उसमें से हमें तोहफ़तन भेज देती थी। मैंने ये बात नबी (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'खाओ ये उसके लिये सदक़ा है और हमारे लिये तोहफ़ा।'

(3478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1504/10, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2578, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5641.

باب(٣٠): خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ

बाब : (30) लोण्डी आज़ाद हो जाये और उसका ख़ाविन्द पहले से आज़ाद हो तो क्या उसे इख़्तियार होगा?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى

(3479) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने बरीरा को ख़रीदा लेकिन उसके मालिकों ने वला की शर्त लगाई। मैंने ये बात नबी (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'तू उसे आज़ाद कर दे। वला उसी शख़्स के लिये है जो पैसे देकर ख़रीदता है।' चुनांचे मैंने उसे आज़ाद कर दिया।

الله عليه وسلم فَقَالَ " أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " . قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ . فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे बुलाया और उसे अपने ख़ाविन्द (के साथ रहने या न रहने) की बाबत इख़्तियार दिया। वह कहने लगी: वह मुझे बहुत बड़ी दौलत दे तब भी मैं उसके निकाह में रहने के लिये तैयार नहीं, चुनांचे उसने अपनी अ़लैहदगी (अलग होने) को पसन्द कर लिया और उसका ख़ाविन्द आज़ाद था।

(3479) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2536, मुस्लिम, हदीस़: 1075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5642.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जो ख़रीदता है' यानी ख़रीदने के बाद उसे आज़ाद भी करता है वरना सिर्फ़ ख़रीदने से हक़्क़े वला नहीं मिलता। (2) 'उसका ख़ाविन्द आज़ाद था' ये हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) के अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि हज़रत अस्वद के हैं जो कि ताबेई हैं और वह मौक़े पर मौजूद नहीं थे जब कि हज़रत आ़यशा और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنهم) से उसके गुलाम होने की स़रहात आती है। ये दोनों मौक़े के गवाह हैं। ज़ाहिर है कि गवाही ही मोतबर है। हज़रत अस्वद को ग़लती लगी है। अहनाफ़ कह देते हैं कि पहले वह गुलाम था, फिर बरीरा की आज़ादी से पहले वह आज़ाद हो गया था लेकिन ये तावील स़ही नहीं क्योंकि हज़रत आ़यशा व हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنهم) बरीरा और उसकी आज़ादी के वक़्त की बात कर रहे हैं। हाँ ये कहा जा सकता है कि इस वाक़िये के बाद वह भी आज़ाद हो गया था। इसमें कोई इश्काल नहीं। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَأُتِيَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ

(3480) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि मैंने बरीरा को ख़रीदने का इरादा किया मगर उसके मालिकों ने वला की शर्त लगा ली। मैंने ये बात नबी (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'तू ख़रीद कर आज़ाद कर दे। वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करता है।' और आपके पास गोश्त लाया गया और बताया गया कि ये गोश्त बरीरा पर स़दक़ा किया गया था (उसने हमें भेजा है) आपने फ़रमाया: 'वह उसके लिये स़दक़ा था, हमारे लिये तोहफ़ा है।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

. فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " . وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

उसे इख़्तियार दिया जब कि उसका ख़ाविन्द आज़ाद था।

(3480) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2615, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5643.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3476, 3477, 3479.

باب : (٣١)
خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ

बाब : (31)
लोण्डी आज़ाद हो जाये और उसका ख़ाविन्द गुलाम हो तो उसे (निकाह ख़त्म करने का) इख़्तियार है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأُوقِيَّةٍ فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا فَقَالَتْ لاَهَا اللَّهِ إِذًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذَا " . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(3481) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि बरीरा ने अपने मालिकों से अपनी आज़ादी का मुआहिदा नौ औक़िये की शर्त पर किया था। हर साल एक औक़िया अदा करना था। चुनांचे वह मेरे पास मदद लेने के लिये आई तो मैंने कहा: अगर तेरे मालिक चाहें तो मैं उन्हें यक मुश्त सारी रक़म देने (और तुझे ख़रीदने) को तैयार हूँ। (फिर मैं तुझे आज़ाद कर दूँगी) और वला मेरे लिये होगी। बरीरा अपने मालिकों के पास गई और उनसे इसके मुताल्लिक़ बातचीत की। उन्होंने (इस तरह बेचने से) इन्कार कर दिया मगर ये कि वला उनको मिले। उसने हज़रत आयशा (ﷺ) को आकर बता दिया। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी आ गये। हज़रत आयशा(ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! इस तरह तो मैं नहीं ख़रीदूँगी। मगर ये कि वला मुझे मिले। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या बात है?' मैंने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! बरीरा मेरे पास अपनी किताबत के सिलसिले में तआवुन

إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا فَقُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ أَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ لِي كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ " . فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . قَالَ عُرْوَةُ فَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

के लिये आई थी। मैंने कहा: इस तरह तो नहीं लेकिन अगर वह चाहें तो मैं पूरी रक़म यक मुश्त देकर तुझे ख़रीद कर आज़ाद कर देती हूँ और वला मुझे मिले। उसने ये बात अपने मालिकों से कही तो उन्होंने इस तरह बेचने से इन्कार कर दिया। मगर ये कि वला उनको मिले। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू उसे ख़रीद ले (और आज़ाद कर दे) उनके लिये वला की शर्त मान ले। बेशक वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।' फिर आपने (मस्जिद में) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना फ़रमाई, फिर आपने फ़रमाया: 'उन लोगों का क्या हाल है जो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनका जवाज़ अल्लाह की किताब में नहीं। वह कहते हैं: फ़ुलां ग़ुलाम को आज़ाद तो कर मगर वला मेरे लिये होगी। अल्लाह तआला की किताब (का हुक्म) ज़्यादा मोतबर है और अल्लाह तआला की जायज़कर्दा शर्त ही मज़बूत है और जिस शर्त का जवाज़ अल्लाह तआला की किताब में न हो वह ग़ैर मोतबर है, ख़्वाह सो दफ़ा लगाई जाये।' फिर (आज़ादी के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बरीरा को उसके ख़ाविन्द की बाबत इख़्तियार दे दिया और वह ग़ुलाम था। चुनांचे बरीरा ने अपने आपको पसन्द किया (यानी निकाह ख़त्म कर लिया) हज़रत उर्वा ने फ़रमाया: अगर उसका ख़ाविन्द आज़ाद होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे इख़्तियार न देते।

(3481) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1504/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5644, बुख़ारी, हदीस: 2563.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नौ औक़िये' औक़िया चालीस दिरहम का होता है। नौ औक़िये तीन सौ साठ दिरहम बनते हैं। (2) इस रिवायत के ज़ाहिर अरबी अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि हज़रत आयशा (ﷺ) को सारी रक़म यक मुश्त देकर वला हासिल करना चाहती थीं, लेकिन ये तास्सुर दुरूस्त नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ुत्बा और दीगर रिवायात सराहत करती हैं कि हज़रत आयशा उन्हें ख़रीद कर आज़ाद करना चाहती थीं। अगर पहली सूरत होती तो बरीरा के मालिकों का मौक़िफ़ दुरुस्त होता इसलिये तर्जुमें में क़ौसैन में इज़ाफ़े किये गये हैं। (3) 'किताबत' इससे मुराद मुआहिद-ए-आज़ादी है जो गुलाम अपने मालिकों से तै करता है। तै शुदा रक़म को भी किताबत कह लेते हैं। (4) 'जिन का जवाज़ नहीं' यानी जो किताबुल्लाह की सराहत के ख़िलाफ़ हैं, वरना हर शर्त का किताबुल्लाह में मौजूद होना ज़रूरी नहीं। (5) 'उसे इख़्तियार न देते' इस क़िस्म की बात कोई शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में अपने अन्दाज़े से नहीं कह सकता। लाज़िमन उन्होंने हज़रत आयशा(ﷺ) से ऐसे सुना होगा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا .

(3482) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि बरीरा का ख़ाविन्द गुलाम था।

(3482) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1504/13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5645.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " . وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ

(3483) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने कुछ अन्सारियों से बरीरा को ख़रीदा तो उन्होंने वला की शर्त लगाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वला तो उसके लिये है जो (आज़ादी का) एहसान करे।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे (ख़ाविन्द के बारे में) इख़्तियार दिया और उसका ख़ाविन्द गुलाम था। (इसी तरह) बरीरा ने हज़रत आयशा (ﷺ) की ख़िदमत में कुछ गोश्त भेजा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम हमारे लिये भी कुछ गोश्त रख लेते (तो क्या ही अच्छा होता)' हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: ये गोश्त बरीरा पर सदक़ा किया गया था। आपने

रَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " .

फ़रमाया: 'वह उसके लिये स़दक़ा था, हमारे लिये हदिया है।'

(3483) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1504/11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5647.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - قَالَ وَكَانَ وَصِيَّ أَبِيهِ قَالَ وَفَرِقْتُ أَنْ أَقُولَ، سَمِعْتُهُ مِنْ، أَبِيكَ - قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَرِيرَةَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَاشْتُرِطَ الْوَلاَءُ لأَهْلِهَا فَقَالَ " اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . قَالَ وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَدْرِي وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ . فَقَالُوا هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . قَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " .

(3484) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज़रत बरीरा के बारे में पूछा। मेरा इरादा था कि मैं उसे ख़रीद लूँ (और आज़ाद कर दूँ) लेकिन उसके मालिकों ने वला की शर्त लगा दी। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे ख़रीद ले, वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।' फ़रमाया: (इसी तरह) बरीरा (ﷺ) को इख़्तियार दिया गया जब कि उनका ख़ाविन्द गुलाम था। फिर बाद में रावि-ए-हदीस़ (अब्दुर्रहमान) ने कहा: मैं नहीं जानता (कि वह गुलाम था या आज़ाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ गोश्त लाया गया। घर वालों ने कहा: ये बरीरा पर स़दक़ा किया गया था। आपने फ़रमाया: 'ये उसके लिये स़दक़ा था और हमारे लिये तोहफ़ा है।'

(3484) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2578, मुस्लिम, हदीस़: 1504/12, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5648.

फ़ायदा : 'मैं नहीं जानता' कि वह आज़ाद था या गुलाम। रावि-ए-हदीस़ अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम इस बारे में मुतरद्दिद (शक में) थे। कभी उन्होंने आज़ाद कहा, कभी गुलाम और कभी कहा कि पता नहीं आज़ाद था या गुलाम। महफ़ूज़ बात यही है कि वह गुलाम था। उर्वा ने उनकी इस बात में मुवाफ़िक़त की है। बाद में वाक़ेअ होने वाले शक से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता जबकि पहली बात बिल जज़्म हो और उसमें औस़क़ रावियों की मुवाफ़िक़त भी हो। बाक़ी तफ़्स़ीलात पीछे दो तीन अबवाब में ज़िक्र हो चुकी हैं।

बाब : (32) ईला के मसाइल

باب(٣٢): الإِيلاَءِ

(3485) हज़रत अबुज्जुहा के शागिर्दों ने उनके पास 'महीने' के बारे में बहस की। किसी ने कहा: (महीना) तीस दिन का होता है, किसी ने कहा: उन्तीस दिन का होता है। हज़रत अबुज्जुहा कहने लगे: हमें हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि एक दिन सुबह हुई तो नबी (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात रो रही थीं। हर ज़ोज-ए-मुतह्हरा के पास उनके घर वाले बैठे थे। मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ तो वह लोगों से भरी हुई थी। इतने में हज़रत उमर (ﷺ) भी आ गये। वह नबी (ﷺ) के पास जाने के लिये ऊपर चढ़े क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने चौबारे में थे। उन्होंने आपको सलाम किया लेकिन किसी ने जवाब न दिया, फिर सलाम कहा लेकिन किसी ने जवाब न दिया। फिर सलाम कहा, फिर किसी ने जवाब न दिया। वह वापस लौट आये तो बिलाल (ﷺ) ने उन्हें पुकारा, चुनांचे वह नबी(ﷺ) के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया: आपने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है? आपने फ़रमाया: 'नहीं लेकिन मैंने एक महीना दूर रहने की क़सम खा ली है।' आप उन्तीस दिन इसी तरह रहे। फिर उतरे और अपनी बीवियों के यहाँ तशरीफ़ ले गये।

(3485) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5649.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَهُ فَقَالَ بَعْضُنَا ثَلاَثِينَ . وَقَالَ بَعْضُنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ . فَقَالَ أَبُو الضُّحَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ - قَالَ - فَجَاءَ عُمَرُ رضى الله عنه فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَرَجَعَ فَنَادَى بِلاَلاً فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ " لاَ وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا " . فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ईला' क़सम खाने को कहते हैं। यहाँ मुराद है: बीवी से जिमाअ न करने की क़सम खा लेना। अगर कभी ख़ाविन्द बीवी से नाराज़ हो जाये और ऐसी क़सम खा ले तो उस पर

कारबन्द रह सकता है लेकिन चार माह तक। इससे ज़ाइद की इजाज़त नहीं। अगर कोई शख़्स चार माह से ज़्यादा मुद्दत की क़सम खायेगा तो फिर चार माह गुज़रने पर उसे या तो क़सम ख़त्म करके जिमाअ करना होगा और क़सम का कफ़्फ़ारा देना होगा या फिर तलाक़ देनी होगी। अगर वह दोनों बातों से इन्कार करे तो हाकिमे वक़्त (क़ाज़ी वग़ैरह) अपने इख़्तियारात के तहत औरत पर तलाक़ लागू कर देगा। और वह औरत ख़ाविन्द से जुदा हो जायेगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम ही सिर्फ़ एक माह की खाई थी। और क़सम पूरी फ़रमा दी। **(2)** 'रो रही थीं' उन्हें ये ख़्याल हो गया था कि शायद ऐसी क़सम खाने से तलाक़ पड़ जाती है। या मुमकिन है आपकी नाराज़ी और जुदाई की बिना पर रो रही हों। **(3)** 'किसी ने जवाब न दिया' यानी अन्दर आने की इजाज़त न दी। सलाम का जवाब आहिस्ता दे लिया होगा। **(4)** 'उन्तीस दिन' क्योंकि महीना उन्तीस का भी हो सकता है, तीस का भी। शरीयत ने उन्तीस दिन को पूरा महीना क़रार दिया है, लिहाज़ा अगर क़सम एक माह की हो तो उन्तीस दिन बाद वह क़सम पूरी हो जायेगी, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो। **(5)** सहाब-ए-किराम (رضی الله عنهم) नबी-ए-अकरम (ﷺ) का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे और हर छोटी बड़ी परेशानी में अपना हर क़सम का तआवुन करने के लिये मुसाबिक़त करते थे। (رضی الله عنهم). **(6)** ज़रूरत के तहत एक से ज़ाइद मन्ज़िला इमारत बनाई जा सकती है लेकिन इसकी बनावट ऐसी हो कि पड़ौसियों के घरों में नजर न पड़े ताकि उन्हें परेशानी का सामना न हो। **(7)** क़सम खाने वाले के बारे में अगर ये शुब्हा हो कि ये भूल गया है तो उसे याद करा देना चाहिए जैसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ آلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".

(3486) हज़रत अनस (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपनी बीवियों से एक माह तक अलग रहने की क़सम खा ली और अपने चौबारे में जा ठहरे। चुनांचे आप उन्तीस रातें ठहरे रहे। फिर आप उतर आये। आपसे कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने एक माह की क़सम नहीं खाई थी? आपने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस का भी होता है।'

(3486) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 378, 1911, 2469, 5201, 5289, 6684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5650.

बाब : (33) ज़िहार के मसाइल

باب(٣٣): الظِّهَارِ

(3487) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया जब कि उसने अपनी बीवी से ज़िहार कर रखा था, फिर वह उससे जिमाअ कर बैठा। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी से ज़िहार कर रखा था लेकिन कफ़्फ़ारा देने से क़ब्ल जिमाअ कर बैठा हूँ। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुझ पर रहम फ़रमाये! तुझे किस चीज़ ने उस काम पर मजबूर किया था।' उसने कहा: मैंने चाँद की चाँदनी में उसकी पाज़ेब देखी (तो ज़ब्त न कर सका) आपने फ़रमाया: 'अब उसके क़रीब न जाना यहाँ तक कि तू वह काम करे जो अल्लाह तआला ने करने का हुक्म दिया है।'

(3487) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2225, तिर्मिज़ी: 1199, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5651.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ . قَالَ " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ " . قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ . فَقَالَ " لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़िहार' से मुराद है कि कोई शख़्स अपनी बीवी से कहे: तू मेरे लिये ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त। मक़सूद औरत को हराम करना होता है। उसका कफ़्फ़ारा एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। अगर ताक़त न हो तो दो माह के पे दर पे रोज़े रखे। और अगर उसकी भी ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। कफ़्फ़ारे की अदायगी तक जिमाअ करना हराम है। अगर माँ के सिवा बहन, बेटी या किसी और महरम औरत से तश्बीह दे तो उसका भी यही हुक्म है। **(2)** 'वह काम करे' यानी कफ़्फ़ारा अदा करे।

(3488) हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि एक आदमी ने अपनी बीवी से ज़िहार किया लेकिन कफ़्फ़ारा देने से पहले ही जिमाअ कर लिया। उसने ये बात नबी (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने उसे फ़रमाया: 'तुझे किस चीज़ ने उस काम पर मजबूर

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَذَكَرَ

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

किया?' वह कहने लगाः अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला आप पर रहमतें फ़रमाये! मैंने चाँद की चाँदनी में उसकी पाज़ेब या पिण्डलियाँ देखीं (और ज़ब्त न कर सका) आपने फ़रमायाः 'अब उससे दूर रहना यहाँ तक कि तू वह काम करे जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है।'

(3488) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई: 5652.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई शख़्स ज़िहार के बाद कफ़्फ़ारा अदा किये बग़ैर जिमाअ़ का मुर्तकिब हो तो ये गुनाह है लेकिन उसे कफ़्फ़ारा एक ही देना होगा क्योंकि ज़िहार तो एक ही दफ़ा किया गया है। कुछ हज़रात ने उस पर दुगना कफ़्फ़ारा लाज़िम किया है मगर ये दुरूस्त नहीं। **(2)** 'अल्लाह आप पर रहमतें नाज़िल फ़रमाये' साबिक़ा हदीस़ से मालूम होता है कि आपने उसके लिये दुआ की थी, हालांकि उसने ग़लती का इर्तिकाब किया था, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतरीन मुअल्लिम व मुरब्बी थे कि आपने हुस्ने ख़ल्क़ (अच्छे अख़्लाक़) से ग़लत कारों की इस्लाह फ़रमाई। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ . قَالَ " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ

(3489) हज़रत इक्रिमा से मरवी है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के नबी! मैंने अपनी बीवी से ज़िहार किया था, फिर कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले मैंने उससे जिमाअ़ कर लिया। आपने फ़रमायाः 'तुझे किस चीज़ ने ऐसा करने पर मजबूर किया?' उसने कहाः ऐ अल्लाह के नबी! मैंने चाँदनी में उसकी पिण्डलियों की सफ़ेदी देखी। आपने फ़रमायाः 'अब अलग रहना यहाँ तक कि तू अपने ज़िम्मे वाजिब कफ़्फ़ारा अदा करे।' इस्हाक़ ने अपनी हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ बयान किये हैंः 'अब इससे अलग रहना यहाँ तक कि तू अपने ज़िम्मे वाजिब कफ़्फ़ारा अदा करे।'

مَا عَلَيْكَ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ " فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

ये अल्फ़ाज़ उस्ताद मुहम्मद बिन अ़ब्दुल आ़ला के हैं।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ऊपर दी गई दोनों रिवायतें मुसनद के बजाये मुर्सल ही सही हैं। वल्लाहु आ़लम!

(3489) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5653.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) के इस हदीस़ में दो उस्ताद हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और मुहम्मद बिन अ़ब्दुल आ़ला। इमाम स़ाहिब ने दोनों से ये रिवायत बयान की है और जिन अल्फ़ाज़ में दोनों का इख़्तिलाफ़ था उनकी निशानदेही भी कर दी। इस लिहाज़ से इमाम स़ाहिब का नीचे ये कहना कि 'ये अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन अ़ब्दुल आ़ला के हैं' महल्ले नज़र है क्योंकि मतलब ये बनता है कि दोनों उस्ताद की हदीस़ का सियाक़ बाहम मुख़्तलिफ़ और मुतज़ाद है सिर्फ़ मआनी व मफ़हूम एक है। इस तरह इमाम स़ाहिब की ये दोनों वज़ाहतें बाहम मुतज़ाद मालूम होती हैं। वल्लाहु आ़लम! इफ़ादतुल अतयूबी (हफ़िज़हुल्लाह) देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 29/64) **(2)** ये दोनों रिवायात हज़रत इक्रिमा से मरवी है जो ताबेई हैं। गोया वह मौक़े पर मौजूद नहीं थे। ऐसी रिवायत को मुर्सल कहा जाता है। इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस रिवायत के मुर्सल होने को तर्जीह दी है। और मुसनद (मुत्तस़िल) रिवायत (3487) को स़ही तस्लीम नहीं किया, जबकि हक़ीक़त ये है कि ये रिवायत मुत्तस़िलन भी स़ाबित है और तअ़द्दुदे तुरुक़ और शवाहिद की बिना पर स़ही है। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इर्वा में इस पर मुफस्सल बहस़ की है और यही नतीजा निकाला है। देखिये: (अल्इर्वा: 7/178-180, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 29/61, 62, 64, 65)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَىَّ كَلاَمُهَا فَأَنْزَلَ

(3490) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि तारीफ़ उस अल्लाह की है जिसकी समाअ़त ने तमाम आवाज़ों को घेर रखा है। हज़रत ख़ौला (رضي الله عنها) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अपने ख़ाविन्द की शिकायत करने आईं (और वह इस क़द्र आहिस्ता बोल रही थीं कि) उनकी सब बातें मैं भी नहीं सुन रही थी कि अल्लाह तआ़ला ने वह्य उतार दी: (क़द समिअ़ल्लाहु क़ौल ....) 'अल्लाह तआ़ला ने उस औरत की बात सुन ली

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا } الآيَةَ .

जो तुम से अपने ख़ाविन्द के बारे में बहस़ कर रही थी और वह अल्लाह तआला से उसकी शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तआला तुम दोनों की बातें सुन रहा था ......'

(3490) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 188, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5654, बुख़ारी: 7386.

फ़ायदा : हज़रत ख़ौला (ﷺ) के ख़ाविन्द ने भी उनको माँ से तश्बीह देकर हराम कर लिया था। उन्होंने समझा कि शायद मैं ख़ाविन्द पर हराम हो चुकी हूँ। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में इज़्दवाजी ज़िन्दगी ख़त्म हो जाती है बच्चे अलग ज़लील होते हैं। अल्लाह तआला ने कमाल मेहरबानी से सिर्फ़ कफ़्फ़ारा लागू फ़रमाया। बीवी को हराम नहीं किया। वलहम्दुलिल्लाहि अ़ला ज़ालिक.

باب(٣٤): مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

बाब : (34)
औरत का ख़ाविन्द से ख़ुलअ लेना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمَخْزُومِيُّ، -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " . قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا .

(3491) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने आपको ख़ाविन्दों से छुड़ाने वाली और तलाक़ का मुतालबा करने वाली औरतें मुनाफ़िक़ हैं।'

हसन (बस़री) कहते हैं: मैंने इस हदीस़ को अबू हुरैरह के अ़लावा किसी से नहीं सुना।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हसन (बस़री) ने अबू हुरैरह से कुछ भी नहीं सुना।

(3491) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/414, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5655, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1186 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हसन बस़री (رحمه الله) का हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से सिमाअ़ मुख़्तलफ़ फ़ीह है। इमाम नसाई (رحمه الله) उनमें से हैं जो उनके अबू हुरैरह (ﷺ) से सिमाअ़ के क़ाइल नहीं लेकिन राजेह और स़ही बात ये है कि उनका सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से सिमाअ़ स़ाबित है। शैख़ अहमद शाकिर (رحمه الله) ने उस पर मुफ़स्स़ल बहस़ की है। देखिये: (मुसनद अहमद बतह्क़ीक़ अहमद शाकिर:

12/107-116, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 29/75-82) (2) 'मुनाफ़िक़ हैं' कि निकाह में होने के बावजूद उनकी नाशुक्री करती हैं और अपने आपसे ख़ाविन्दों का लिबास उतारती हैं। जिस तरह मुनाफ़िक़ कलिमा पढ़ने के बावजूद इस्लाम से ग़ैर मुख़्लिस़ हैं और इस्लाम का लिबास उतारने में कोशां हैं, इसलिये औरत का माक़ूल वजह के बग़ैर तलाक़ का मुतालबा करना उसके मुनाफ़िक़ होने की अ़लामत है। लेकिन उ़ज्र की वजह से तलाक़ का मुतालबा जायज़ है। ऐसी औरत का ये हुक्म नहीं होगा।

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَذِهِ " . قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا شَأْنُكِ " . قَالَتْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ " . فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتٍ " خُذْ مِنْهَا " . فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا .

(3492) हज़रत हबीबा बिन्ते सहल (ﷺ) से रिवायत है कि वह हज़रत स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास के निकाह में थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ के लिये निकले तो हबीबा बिन्ते सहल को अन्धेरे में अपने दरवाज़े के पास खड़े पाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कौन है?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हबीबा बिन्ते सहल हूँ। आपने फ़रमाया: 'तुम कैसे?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नहीं और स़ाबित बिन क़ैस नहीं। अपने शौहर के मुताल्लिक़ कहा। (मतलब ये था कि अब मैं और मेरा ख़ाविन्द स़ाबित बिन क़ैस इकट्ठे नहीं रह सकते) जब हज़रत स़ाबित बिन क़ैस आये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे कहा: 'ये हबीबा बिन्ते सहल (आई) है और अल्लाह तआ़ला को जो कुछ मन्ज़ूर था उसने (मुझसे) बयान किया।' हबीबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन्होंने जो कुछ (हक़्क़े महर) मुझे दिया था, मेरे पास मौजूद है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने स़ाबित से कहा: 'अपना माल उससे वापस ले ले।' चुनांचे उन्होंने वापस ले लिया और हबीबा अपने घर वालों के यहाँ (मयके में) बैठ रही।

(3492) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 2227, मौता: 2/564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5656, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, (फ़तह: 9/399) व इब्ने हिब्बान: 1326

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरत का ख़ाविन्द से तलाक़ तलब करना ख़ुलअ कहलाता है। ऐसी सूरत में अगर ख़ाविन्द चाहे तो बीवी को दिये हुए महर या दीगर अतियात की वापसी का मुतालबा कर सकता है, अलबत्ता इससे ज़ाइद औरत का ज़ाती माल नहीं ले सकता। मुसालिहत के बाद ख़ाविन्द तलाक़ दे देगा जिसके बाद रुजूअ नहीं हो सकेगा, अलबत्ता अगर वह दोनों चाहें तो इद्दत के बाद निकाह हो सकता है। **(2)** ख़ुलअ की ज़ाहिरी सूरत अगरचे तलाक़ के मुशाबेह है कि औरत के मुतालबे पर ख़ाविन्द तलाक़ देता है, ताहम ख़ुलअ हक़ीक़त में फ़स्ख़े निकाह है इसलिये उसकी इद्दत तीन हैज़ नहीं बल्कि एक हैज़ है। इसका मक़सद इस्तेबराए रहम है, यानी ये मालूम हो सके कि कहीं औरत उम्मीद से तो नहीं। अगर हैज़ आ गया तो उसका मतलब है कि वह हामिला नहीं, लिहाज़ा वह आगे निकाह कर सकती है। अगर हैज़ नहीं आयेगा तो उसका मतलब है कि वह हमल से है। इस सूरत में वह बच्चे की विलादत तक आगे निकाह नहीं कर सकती। देखिये: (हदीस: 3527, 3528) अहनाफ़ के नज़दीक ख़ुलअ तलाक़ है, इसलिये उसकी इद्दत तीन हैज़ है लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं।

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ، ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .

(3493) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत साबित बिन क़ैस (ﷺ) की बीवी नबी (ﷺ) के पास आईं और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने ख़ाविन्द साबित बिन क़ैस पर दीन या अख़लाक़ के लिहाज़ से कोई ऐब नहीं लगाती लेकिन मैं मुसलमान होकर कुफ़्र के काम करना नापसन्द करती हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तू उसका दिया हुआ बाग़ उसे वापस कर देगी?' उन्होंने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (साबित बिन क़ैस से) फ़रमाया: 'बाग़ वापस ले लो और उसे तलाक़ दे दो।'

(3493) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5657.

फ़ायदा : 'कुफ़्र के काम' घर में रह कर ख़ाविन्द से नफ़रत करना, उससे लड़ते रहना और उसे नाराज़ रखना ऐसे काम हैं जो इस्लाम में मम्नूअ (मना) हैं। गोया ये कुफ़्र के काम हैं। कुफ़्र से मुराद ख़ाविन्द की नाशुक्री भी हो सकती है। अरबी में नाशुक्री को भी कुफ़्र कहते हैं।

(3494) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा: मेरी बीवी किसी छूने वाले का हाथ नहीं रोकती। आपने फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो उसे तलाक़ दे दे।' वह कहने लगा: मुझे ख़तरा है कि मेरा दिल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने फ़रमाया: 'फिर उससे फ़ायदा उठाता रह।'

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . فَقَالَ " غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ " . قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ " اسْتَمْتِعْ بِهَا" .

(3494) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2049, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5658.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3231.

(3495) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे निकाह में एक औरत है जो किसी छेड़ छाड़ करने वाले के हाथ को नहीं रोकती। आपने फ़रमाया: 'उसे तलाक़ दे दो।' वह कहने लगा: मैं उससे जुदाई बरदाश्त नहीं कर सकता। आपने फ़रमाया: 'फिर रखे रख।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ये ख़ता है और सही ये है कि ये हदीस मुर्सल है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ " طَلِّقْهَا " . قَالَ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ " فَأَمْسِكْهَا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ .

(3495) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3231, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5659.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) के कलाम का मक़सद ये है कि इसे इब्ने अब्बास(ﷺ) के वास्ते से मुत्तस्सिल बयान करना ख़ता है। सही इसका मुर्सल, यानी इब्ने अब्बास(ﷺ) के वास्ते के बग़ैर होना है। लेकिन पीछे हदीस: 3231 में भी बयान हो चुका है कि ये हदीस मुत्तस्सिल सही है। एक रावी के मुर्सल बयान करने से मुत्तस्सिल बयान करने वालों की रिवायत ग़लत नहीं हो जाती जबकि मुत्तसल बयान करने वाले सिक़ा रावी हों। सिक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती है। ये एक मुसल्लमा उसूल है। इस क़िस्म की मुख़ालिफ़त मुज़िर नहीं, लिहाज़ा ये मौसूलन भी मरवी है

और मुर्सलन भी। (2) ऊपर दी गई दोनों रिवायात का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका सही मफ़हूम समझने के लिये देखिये: हदीस: 3231.

बाब : (35) लिआन की इब्तेदा

باب(٣٥): بَدْءِ اللِّعَانِ

(3496) हज़रत आसिम बिन अदी (ﷺ) बयान करते हैं कि बनू अज्लान के एक शख़्स उवैमिर(ﷺ) मेरे पास आये और कहने लगे: ऐ आसिम! बताओ अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को देख ले तो क्या वह उसे क़त्ल कर दे? कि फिर तुम उसे क़त्ल कर दोगे। आख़िर वह क्या करे? ऐ आसिम! आप ये मसला मेरे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछें। हज़रत आसिम ने इस बारे में नबी (ﷺ) से पूछा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस क़िस्म के सवालात पूछने को पसन्द न फ़रमाया, बल्कि मज़म्मत की। उवैमिर (ﷺ) दोबारा हज़रत आसिम के पास आये और कहने लगे: आसिम! आपने क्या किया? आसिम ने कहा: तुम मेरे पास कोई अच्छा सवाल नहीं लाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस क़िस्म के सवालात को नापसन्द फ़रमाया है बल्कि मज़म्मत फ़रमाई है। उवैमिर कहने लगे: अल्लाह की क़सम! मैं तो ज़रूर इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछूँगा। चुनांचे वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे पूछा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तेरी बीवी और तेरे बारे में वह्य नाज़िल फ़रमा दी है। जा, उसे ले आ।' हज़रत सहल (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं लोगों के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा था कि उवैमिर अपनी बीवी को लेकर आये, फिर दोनों ने लिआन

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلاَنِ - فَقَالَ أَىْ عَاصِمُ أَرَأَيْتُمْ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا عَاصِمُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَكَرِهَهَا . فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ فَقَالَ صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ

أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَائْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِهَا فَتَلاَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا . فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهَا فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

किया। उवैमिर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर अब भी मैंने इसे अपने निकाह में रखा तो फिर तो (गोया) मैंने इस पर झूठ बोला है। चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म देने से क़ब्ल ही उसे तलाक़ दे दी, फिर ये लिआन करने वालों के लिये शरई तरीक़ा बन गया (कि उनके दरम्यान हतमी जुदाई हो जायेगी।)

(3496) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5660, बुख़ारी, हदीस: 5308, मुस्लिम, हदीस: 1492.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ाविन्द अपनी बीवी को ज़िना की हालत में देखे लेकिन उसके अलावा मौक़े का कोई गवाह मौजूद न हो तो शरीयत ने ख़ाविन्द के लिये रिआयत रखी है, वरना आम आदमी ऐसी हालत में ये बात इफ़्शा नहीं कर सकता। उसे ख़ामोश रहना पड़ेगा लेकन ख़ाविन्द को इजाज़त है कि वह अदालत में पेश हो। अदालत औरत को भी तलब करेगी और दोनों से क़समें लेगी। अगर उनमें से कोई क़समें खाने से इन्कार कर दे तो उसे सज़ा दी जायेगी। मर्द को तोहमत की और औरत को ज़िना की। अगर दोनों क़समें खायें तो अदालत उनका निकाह ख़त्म कर देगी और किसी को कुछ नहीं कहेगी। लिआन का तरीक़ा तफ़्सीलन आगे आ रहा है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3431) **(2)** लायानी सवाल करने से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे मसाइल की हौसला शिकनी की जा सकती है। **(3)** कुछ उमूर अगरचे क़बीह होते हैं लेकिन मुब्तला आदमी का इसके बारे में सवाल करना और हल तलब करना मशरूअ है। **(4)** नागुज़ीर शरई ज़रूरत की बिना पर किसी के मज़मूम औसाफ़ का ज़िक्र करना ग़ीबत के ज़ुमरे में नहीं आता।

باب(٣٦): اللِّعَانِ بِالْحَبَلِ

बाब : (36) औरत को नाजायज़ हमल होने की सूरत में भी लिआन हो सकता है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ

(3497) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (उवैमिर) अज्लानी और उसकी बीवी के दरम्यान लिआन करवाया जब कि वह (बीवी) हामिला थी।

عَبَّاسٍ، قَالَ لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى .

(3497) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5661.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरत को हमल ठहर जाये मगर ख़ाविन्द को यक़ीन हो कि ये हमल ज़िना से है, मेरा नहीं, तो वह अदालत में जाकर दावा कर सकता है। अदालत औरत को भी बुलायेगी और उनके दरम्यान लिआन करवायेगी। गोया आँख से किसी मर्द के साथ देखना ज़रूरी नहीं। ज़िना का यक़ीन ज़रूरी है। **(2)** लिआन लानत से है। चूंकि क़समों के दौरान में आदमी झूठे पर लानत डालता है, इसलिये इस कार्यवाही को लिआन कहा जाता है। **(3)** लिआन से हमल की नफ़ी हो जायेगी और बेटा माँ की तरफ़ मन्सूब होगा जैसा कि हदीस़: 3507 में आ रहा है।

بَابُ (٣٧): اللِّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ

बाब : (37) आदमी अपनी बीवी पर किसी मुअय्यन (ख़ास) आदमी के साथ ज़िना का इल्ज़ाम लगाये तो लिआन करना पड़ेगा

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنَا أُرَى، أَنَّ عِنْدَهُ، مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ - وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لاَعَنَ - فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ " ابْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ

(3498) हज़रत हिशाम से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाता है, तो उन्होंने हज़रत मुहम्मद (बिन सीरीन) से बयान किया कि उन्होंने फ़रमाया: मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से इस बारे में पूछा और मुझे यक़ीन था कि उनके पास इसकी बाबत इल्म होगा। वह फ़रमाने लगे कि हज़रत हिलाल बिन उमय्या (ﷺ) ने अपनी बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। और ये हज़रत बराअ बिन मालिक (ﷺ) के अख़्याफ़ी भाई थे और उन्होंने सबसे पहले लिआन किया। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान लिआन करवाया। फिर आपने फ़रमाया: 'उसे (पैदा होने वाले बच्चे को)

الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ " . قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ .

देखना। अगर उस औरत ने इसे सफ़ेद रंग वाला, सीधे बालों वाला और ख़राब सी आँखों वाला जना तो वह हिलाल बिन उमय्या ही का होगा और अगर उसने सुरमीली आँखों वाला, घुंघराले बालों वाला और पतली पिण्डलियों वाला जना तो वह शरीक बिन सहमा का होगा।' हज़रत अनस (ﷺ) ने कहा: मुझे बतलाया गया कि उस औरत ने बच्चे को सुरमीली आँखों वाला, घुंघराले बालों वाला और पतली पिण्डलियों वाला जना।

(3498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1496/11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5662.

फ़ायदा : मालूम हुआ हज़रत हिलाल बिन उमय्या (ﷺ) सच्चे थे लेकिन चूंकि दोनों (मियाँ बीवी) मुक़र्ररा क़समें खा चुके थे, लिहाज़ा नबी (ﷺ) ने औरत को कोई सज़ा नहीं दी क्योंकि सज़ा गवाहों की गवाही या ऐतराफ़ की बिना पर ही दी जा सकती है। यहाँ दोनों बातें मौजूद न थीं। ऐसी सूरत में सज़ा का मामला अल्लाह तआला के सुपुर्द है। वह इस बारे में जो चाहे फ़ैसला फ़रमाये।

باب (٣٨): كَيْفَ اللِّعَانُ

बाब : (38) लिआन का तरीक़ा क्या है?

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ ابْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " . يُرَدِّدُ

(3499) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला लिआन यूँ हुआ कि हज़रत हिलाल बिन उमय्या ने अपनी बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, चुनांचे वह नबी (ﷺ) के पास आये और आपको पूरी बात बताई। नबी(ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'चार गवाह लाओ वरना तेरी पुश्त पर हद लगेगी।' ये बात आप उसे बार बार फ़रमा रहे थे। हज़रत हिलाल ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला जानता है कि मैं यक़ीनन सच्चा हूँ और अल्लाह

ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلاَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَدَعَا هِلاَلاً فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَقِّفُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ " . فَتَلَكَّأَتْ حَتَّى مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ . فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ " . فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ

तआला यक़ीनन आप पर वह्य नाज़िल फ़रमायेगा जो मेरी पुश्त को हद से बचा लेगी। अभी वह ये बातें कर ही रहे थे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) पर लिआन की आयत उतरने लगी: (वल्लज़ीना......) 'और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगायें .....' आप ने हिलाल को बुलाया। उन्होंने चार क़समें खाईं कि मैं यक़ीनन (इस इल्ज़ाम में) सच्चा हूँ और पाँचवीं क़सम ये खाई कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लानत हो। फिर औरत को बुलाया गया। उसने भी अल्लाह तआला के नाम की चार क़समें खाईं कि ये यक़ीनन झूठा है। जब चौथी या पाँचवीं क़सम होने लगी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे रोक लो क्योंकि ये (क़सम जहन्नम को) वाजिब कर देगी।' वह एक दफ़ा तो रुकी यहाँ तक कि हमें ज़र्रा भर शक न रहा कि वह गुनाह का ऐतराफ़ करेगी, लेकिन फिर वह कहने लगी: मैं रहती दुनिया तक अपनी क़ौम को रुस्वा नहीं करूँगी। आख़िर उसने क़सम खा ली। तब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ध्यान रखना अगर उसने सफ़ेद रंग का, सीधे बालों वाला और ख़राब आँखों वाला बच्चा जना, फिर तो वह हिलाल बिन उमय्या ही का होगा और अगर उसने गंदुमी रंग का, घुंघराले बालों वाला, दरम्याने क़द का और पतली पिण्डलियों वाला बच्चा जना तो वह शरीक बिन सहमा का होगा।' उस औरत ने बाद में गंदुमी रंग का, घुंघराले बालों वाला, दरम्याने क़द का और पतली पिण्डलियों वाला बच्चा जना तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर अल्लाह तआला की किताब में हुक्म

" رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْلاَ مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " . قَالَ الشَّيْخُ وَالْقَضِيءُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلاَ جَاحِظِهِمَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

लिखा न जा चुका होता तो दुनिया देखती, मैं इससे क्या सुलूक करता।'

शैख़ (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ख़राब आँखों वाले से मुराद ये है कि आँखों के बाल लम्बे हों, आँखें पूरी खुलती न हों और न वह मोटी हों। वल्लाह सुब्हानहू व तआला आलम.

(3499) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5663.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हद लगेगी' क्योंकि आम अफ़राद के लिये यही हुक्म है कि अगर चार गवाह पेश न किये जा सकें तो इल्ज़ाम लगाने वाले को क़ज़फ़ की हद अस्सी (80) कोड़े लगाये जायेंगे। ख़ाविन्दों का ख़ुसूसी हुक्म अभी नहीं उतरा था। **(2)** 'पाँचवीं क़सम' औरत की पाँचवीं क़सम इस तरह होगी कि अगर ये (मेरा ख़ाविन्द) सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब हो। **(3)** 'लिखा न जा चुका होता' कि क़समें खाने के बाद किसी को कुछ नहीं कहा जायेगा, ख़्वाह उनमें से किसी एक का झूठ स़राहतन स़ाबित हो जाये जब कि गवाह न हों। **(4)** मियाँ बीवी के अलावा किसी और में लिआन नहीं हो सकता क्योंकि नस़ ख़ास़ उनके बारे में है। **(5)** जज ज़ाहिरी दलाइल और शहादतों के मुताबिक़ फ़ैसला करेगा। अस़ल हक़ीक़त अल्लाह बेहतर जानता है। वह ऐसे मामलात से ख़ुद निपटेगा। **(6)** लिआन क़ाज़ी या जज की मौजूदगी में होगा और उस वक़्त लोगों का एक मजमअ भी हो। **(7)** लिआन मदख़ूल बिहा और गैर मदख़ूल .... बिहा दोनों के साथ हो सकता है। इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) ने इस पर इज्मा नक़ल किया है।

बाब : (39) इमाम कह सकता है : ऐ अल्लाह! सूरते हाल वाज़ेह कर दे

باب(٣٩): قَوْلِ الإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(3500) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लिआन का तज़्किरा हुआ तो हज़रत आस़िम बिन अदी (رضي الله عنه) ने इस बारे में कोई बात कही। जब वह (घर) वापस गये तो उनकी क़ौम का एक आदमी उनके पास आकर शिकायत करने लगा कि मैंने अपनी बीवी के साथ एक आदमी पाया है। हज़रत

عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ بِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا . فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ الشَّرَّ .

आ़सिम कहने लगे: मैं इस मुसीबत में अपने इस क़ौल की वजह से मुब्तला हुआ हूँ। वह उस शख़्स को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गये और आपको उस शख़्स के बारे में बताया जिसके साथ उसने अपनी बीवी को देखा था। वह शख़्स (शिकायत कुनिन्दा) ज़र्द रंग का, थोड़े गोश्त वाला, सफ़ेद बालों वाला था। और जिस शख़्स के बारे में उसका दावा था कि उसे उसने अपनी बीवी के साथ पाया है, वह शख़्स गन्दुमी रंग का, मोटी पिण्डलियों वाला और ज़्यादा गोश्त वाला था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! सूरते हाल वाज़ेह फ़रमा देना।' चुनांचे उस औरत ने उस शख़्स के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे में उसके ख़ाविन्द ने कहा था कि मैंने उसे अपनी बीवी के साथ (हालते ज़िना में) देखा है। ख़ैर! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके दरम्यान लिआन करवा दिया था। मज्लिस में मौजूद एक शख़्स ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास से कहा: क्या ये वही औरत थी जिसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'अगर मैं किसी को गवाहों के बग़ैर रज्म करता तो इस औरत को करता।' हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: नहीं, वह एक दूसरी औरत थी जो मुसलमान होने के बावजूद बदकारी में मशहूर थी (मगर गवाह नहीं मिलते थे।)

(3500) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1497/12, बुख़ारी, हदीस: 5310, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5664.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कोई बात कही' फ़रिया ये बात कि अगर मेरे घर ऐसा मसला होता तो मैं लिआन तक नौबत ही न आने देता बल्कि मर्द को मौक़े ही पर मार देता। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने

हज़र(ﷺ) ने इस बात की तर्दीद की है। उन्होंने बिल जज़्म कहा है कि आसिम बिन अदी (ﷺ) के क़ौल से मुराद वही सवाल है जो उवैमिर ने उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछने के लिये कहा था, यानी ये बात (अ रऐता ....?) वह फ़रमाते हैं कि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं। एक उवैमिर का जो आसिम बिन अदी (ﷺ) के पास अपना मसला लाये थे और दूसरा हिलाल बिन उमय्या का जो सअद बिन उबादा के पास अपना मसला लाये थे और कहा था कि 'अगर मैं इसे इस हालत में देख लूँ तो फ़ौरन तलवार से उसे क़त्ल कर दूँ' वह सअद बिन उबादा थे और उनका ये क़ौल हिलाल बिन उमय्या वाले वाक़िये में आता है जो कि इक्रिमा इब्ने अब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं। और आसिम(ﷺ) का क़ौल उवैमिर वाले वाक़िये में आता है जो क़ासिम बिन मुहम्मद, इब्ने अब्बास(ﷺ) से या ज़ोहरी बवास्ता सहल बिन सअद, आसिम बिन अदी (ﷺ) बयान करते हैं लिहाज़ा ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं। आसिम का क़ौल वही है जो ऊपर ज़िक्र हुआ। इस लिहाज़ से आसिम बिन अदी (ﷺ) के क़ौल (मब्तुलीतु बिहाज़ा .....) का मतलब दीगर रिवायात की रोशनी में ये होगा कि मैं इस मसले में इसलिये मुब्तला हुआ हूँ कि मैं लोगों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये सवाल कर बैठा जैसा कि मुक़ातिल बिन हय्यान की इब्ने अबी हातिम से मुर्सल रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं: (फ़क़ाल आसिम : ....) तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/454, 455) **(2)** 'मैं मुब्तला हुआ हूँ' हज़रत आसिम (ﷺ) ने इब्तला की निस्बत अपनी तरफ़ इसलिये की कि उवैमिर के अक़्द में उनकी बेटी, भतीजी या कोई और रिश्तेदार थी या मुमकिन है इस बिना पर कहा हो कि उनकी क़ौम में ये मसला पैदा हुआ। वल्लाहु आलम! **(3)** बसा औक़ात वही कुछ हो जाता है जो इन्सान सोचता या कहता है, इसलिये आदमी को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। **(4)** 'मोटी पिण्डलियों वाला' साबिक़ा हदीस में बारीक पिण्डलियों वाला है। मुमकिन है ऊपर से मोटी हों नीचे से पतली या रावी को ग़लती लग गई हो। **(5)** 'लिआन करवाया' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि शायद लिआन बच्चे की पैदाइश के बाद हुआ, लेकिन ये तास्सुर सही नहीं। लिआन पहले हो चुका था, इसलिये तर्जुमे में लफ़्ज़ 'ख़ैर' का इज़ाफ़ा किया गया है ताकि ये तास्सुर ज़ाइल हो जाये। बाक़ी रिवायात में सरहात है कि लिआन पहले हो गया था।

(3501) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लिआन का ज़िक्र हुआ तो हज़रत आसिम बिन अदी (ﷺ) ने कोई बात कही, फिर (घर) वापस गये तो उनकी क़ौम का एक आदमी उन्हें मिला। उसने कहा कि उसने अपनी बीवी के साथ एक

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرَّ فِي الإِسْلاَمِ .

आदमी को (हालते ज़िना में) देखा है। हज़रत आसिम उसे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गये तो उस शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस आदमी का ज़िक्र किया जिसे उसने अपनी बीवी के साथ (हालते ज़िना में) देखा था। (शिकायत कुनिन्दा) शख़्स सफ़ेद रंग का, थोड़े गोश्त वाला और सीधे बालों वाला था, और जिस शख़्स के बारे में उसने दावा किया था कि उसे अपनी बीवी के साथ देखा है, वह गन्दुमी रंग का मोटी पिण्डलियों वाला, ज़्यादा गोश्त वाला और सख़्त घुंघराले बालों वाला था। चुनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! सूरते हाल वाज़ेह फ़रमा।' फिर उस औरत ने उस आदमी के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे में उसके ख़ाविन्द ने कहा था कि मैंने उसे अपनी बीवी के साथ (क़ाबिले ऐतराज़ हालत में) पाया है (उससे पहले) रसूलुल्लाह (ﷺ) उनमें लिआन करवा चुके थे। मज्लिस में मौजूद एक शख़्स ने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से पूछा क्या यही वह औरत थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था कि अगर मैं किसी को बग़ैर गवाहों के रज्म करता तो उसे करता? हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया: नहीं, वह एक और औरत थी जो मुसलमान होने के बावजूद बदकारी में मारूफ़ थी (मगर गवाह नहीं मिलते थे)

(3501) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5665.

باب(۴۰): الأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

बाब : (40) पाँचवीं क़सम उठाते वक़्त लिआन करने वालों के मुँह पर हाथ रख देना चाहिए

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ " إِنَّهَا مُوجِبَةٌ " .

(3502) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने जब लिआन करने वालों को लिआन करने का हुक्म दिया तो एक आदमी से फ़रमाया कि पाँचवीं क़सम के वक़्त उसके मुँह पर हाथ रख देना और फ़रमाया: 'ये (अज़ाब को) वाजिब कर देगी।'

(3502) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5666.

फ़ायदा : पाँचवीं क़सम से पहले तो रुजूअ का इम्कान है, पाँचवीं के बाद रुजूअ मुमकिन नहीं, फिर उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, इसलिये उसके मुँह पर हाथ रखा जाये कि अगर वह झूठा (या झूठी) है तो बाज़ आ जाये। औरत के मुँह पर औरत हाथ रखेगी।

باب(۴۱): عِظَةِ الإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ

बाब : (41) लिआन के वक़्त इमाम मर्द और औरत दोनों को नसीहत करे

...أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا

(3503) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में लिआन करने वालों के बारे में पूछा गया कि क्या उनमें तफ़रीक़ कर दी जायेगी? मेरी समझ में कुछ न आया कि क्या कहूँ। मैं उसी वक़्त अपनी जगह से उठ कर हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) के घर की तरफ़ चल पड़ा। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी में मुस्तक़िल जुदाई कर दी

أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ نَعَمْ . سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو أَرَأَيْتَ - الرَّجُلَ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ - وَقَالَ عَمْرٌو أَتَى أَمْرًا عَظِيمًا - وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ . فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } حَتَّى بَلَغَ { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ . ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ

जायेगी? आप कहने लगेः ज़रूर। सुब्हानल्लाह! (यानी ताज्जुब है कि तुझे इस मशहूर हुक्म का इल्म नहीं।) सबसे पहले जिस शख़्स ने लिआन के बारे में पूछा था, वह फ़ुलां बिन फ़ुलां था। उसने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये एक आदमी अपनी बीवी को ज़िना की हालत में देखता है, अब अगर वह शौर मचाता है तो ये भी बहुत बेइज़्ज़ती की बात है, और अगर वह चुप रहता है तो ऐसी बात पर चुप रहना भी बहुत मुश्किल है। आपने उसे कोई जवाब न दिया। उसके कुछ दिन बाद वह फिर आया और कहने लगाः जो मसला मैंने आपसे पूछा था, मैं वाक़ेअतन उसमें मुब्तला हो गया हूँ, फिर अल्लाह तआला ने सूरह नूर में ये आयात उतार दीं: (वल्लज़ीना......) 'वह लोग जो अपनी बीवियों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दें ...... औरत पाँचवीं क़सम ये खाये कि अगर मेरा ख़ाविन्द सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब नाज़िल हो।' आपने पहले आदमी को बुलाया। उसे वाज़ व नसीहत की और उसे बताया कि दुनिया का अज़ाब आख़िरत के अज़ाब से हल्का है। वह कहने लगाः क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया है! मैंने (ज़र्रा भर) झूठ नहीं बोला, फिर आपने औरत को बुलाया। उसे भी वाज़ व नसीहत फ़रमाई। वह भी कहने लगीः क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया है! यक़ीनन वह झूठा है। आपने पहले आदमी से क़समें लीं, उसने अल्लाह के नाम की चार क़समें खाईं कि यक़ीनन मैं सच्चा हूँ और

لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

पाँचवीं क़सम ये खाई कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लानत हो। फिर दूसरे नम्बर पर आपने औरत से क़समें लीं। उसने भी अल्लाह तआला के नाम की चार क़समें खाईं कि यक़ीनन ये झूठा है और पाँचवीं क़सम ये खाई कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब नाज़िल हो। इसके बाद आपने उनमें मुस्तक़िल जुदाई डाल दी।

(3503) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1493/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5667, बुख़ारी, हदीस: 5350.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दुनिया का अज़ाब' यानी अगर मर्द झूठा हो तो उसके लिये इल्ज़ाम तराशी की हद अस्सी (80) कोड़े और अगर औरत झूठी हो, यानी ज़िना में मुलव्विस हो तो उसे ज़िना की हद रज्म जब कि आख़िरत का अज़ाब तो जहन्नम है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। **(2)** 'जुदाई डाल दी' क्योंकि इस क़द्र इल्ज़ाम तराशी के बाद उनका बतौर ख़ाविन्द बीवी रहना बेग़ैरती है। ये मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है। **(3)** आलिमे दीन से मसला पूछा जाये और उसे इल्म न हो तो वह बड़े आलिम से पूछ कर बताये। और उसमें कोई सुबकी महसूस न करे। ज़ाती इज्तेहादात की तरफ़ बाद में आये। एक ही शख़्स को हर चीज़ का इल्म नहीं होता। आलिमे दीन की इज़्ज़त व तौक़ीर करनी चाहिए और मसला पूछने के लिये ख़ूद सफ़र करके आलिम की ख़िदमत में हाज़िर हो। राह चलते या मस्जिद में आते जाते गली में रोक लेना आलिम की शान में कोताही है, मगर ये कि बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हो और आते जाते दौराने गुफ़्तगू कोई मसला पूछ लिया जाये जैसा कि उस्ताद शागिर्द इकट्ठे जा रहे हों तो किसी मसले पर बहस छिड़ जाती है। **(4)** लिआन से पहले क़ाज़ी को चाहिए कि पहले उन्हें वाज़ व नसीहत करे और समझाये।

बाब : (42)
लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान मुस्तक़िल जुदाई कर दी जायेगी

باب : (۴۲)
التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

(3504) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि हज़रत मुस्अब ने लिआन करने वालों में तफ़रीक़ न की। मैंने ये बात हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से ज़िक्र की तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ)

عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ .

ने तो बनू अ़ज्लान के लिआ़न करने वाले ख़ाविन्द बीवी में तफ़रीक़ कर दी थी।

(3504) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1493/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5668.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुस्अ़ब से मुराद मुस्अ़ब बिन ज़ुबैर हैं जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर(ﷺ) के भाई थे और उनके दौरे ख़िलाफ़त में उनकी तरफ़ से इराक़ के गवर्नर रहे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने यज़ीद के दौर में मक्का मुकर्रमा में अपनी ख़िलाफ़त का ऐलान फ़रमा दिया था। 73 हिजरी में अ़ब्दुल मलिक के गवर्नर हज्जाज ने उन्हें शहीद करके उनकी ख़िलाफ़त ख़त्म कर दी। (ﷺ). **(2)** अहनाफ़ का मौक़िफ़ है कि लिआ़न से तफ़रीक़ वाक़ेअ़ नहीं होती, क़ाज़ी तफ़रीक़ करे तो तब जुदाई वाक़ेअ़ होगी, फिर इस जुदाई में भी उनका इख़्तिलाफ़ है। अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद (رحمهما الله) के नज़दीक ये तलाक़े बायना होगी और अगर ख़ाविन्द बाद में अपने आपको झुठला दे, यानी इल्ज़ाम वापस ले ले तो दोनों में दोबारा निकाह हो सकता है जबकि इमाम अबू यूसुफ़(رحمه الله) के नज़दीक इस तफ़रीक़ से वह हमेशा के लिये एक दूसरे पर हराम हो जायेंगे। सही मौक़िफ़ जुम्हूर (मालिक, शाफ़ेई और इमाम अहमद (رحمهم الله)) का है कि महज़ लिआ़न ही से जुदाई वाक़ेअ़ हो जायेगी, क़ाज़ी की तफ़रीक़ की ज़रूरत है न तलाक़ ही की। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अब्दी तौर पर हराम हैं, आपस में उनका कभी निकाह नहीं हो सकता, चाहे ख़ाविन्द अपने मौक़िफ़ से फिर भी जाये क्योंकि क़सम जब वाक़ेअ़ हो जाये और उसके नतीजे में अहकाम लागू हो जायें और फ़ैसला हो जाये तो वह क़सम वापस नहीं हो सकती। इसी तरह लिआ़न भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस सूरत में ख़ाविन्द पर हद्दे क़ज़फ़ ज़रूर लगेगी क्योंकि उसने सिर्फ़ तोहमत ही नहीं लगाई बल्कि लिआ़न करके उसे सरे आ़म ज़लील भी किया, लिहाज़ा और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हद्दे क़ज़फ़ ज़रूर लगेगी। वल्लाहु आ़लम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 29/148, 149, व 152, 153 व फ़तहुलबारी: 9/459, 460, वलमुग़नी: 11/150, तबआ़ दारुल आ़लमिल कुतुब)

बाब : (43) लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी से लिआन के बाद तौबा का मुतालबा करना चाहिए

باب : (۴۳) اسْتِتَابَةِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ " اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ " . قَالَ لَهُمَا ثَلاَثًا فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ " لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ " .

(3505) हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से कहा: एक आदमी अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दे (और उनमें लिआन हो जाये तो फिर क्या होगा)? उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू अज्लान के लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान जुदाई डाल दी थी। और आपने (बाद में) फ़रमाया था: 'अल्लाह तआला जानता है कि तुममें से एक तो ज़रूर झूठा है। क्या तुममें से कोई तौबा करता है?' आपने तीन दफ़ा फ़रमाया। उन्होंने इन्कार किया तो आपने उनमें जुदाई डाल दी। वह आदमी कहने लगा: मेरा माल? आपने फ़रमाया: 'तुझे कोई माल नहीं मिलेगा। अगर तू सच्चा है तो तूने इससे जिमाअ वग़ैरह भी तो किये हैं। और अगर तू झूठा है तो फिर तो तुझे माल मिल ही नहीं सकता।'

(3505) तख़रीज: (सनद सहीह) बुख़ारी: 5311, मुस्लिम: 6/1493, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5669.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम होता है कि आपने लिआन के बाद उनसे तौबा का मुतालबा किया था जैसा कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने समझा है लेकिन एक हदीस में सराहत है कि आपने लिआन से क़ब्ल उनसे तौबा का मुतालबा किया था। तो उनमें कोई तज़ाद नहीं क्योंकि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं जैसा कि पहले भी ज़िक्र हो चुका है: एक हिलाल बिन उमय्या का जो इक्रिमा इब्ने अब्बास (ﷺ) से बयान करते हैं। इसमें लिआन से क़ब्ल तौबा का ज़िक्र है। और दूसरा उवैमिर अज्लानी का, इसमें लिआन के बाद तौबा का ज़िक्र है जैसा कि इस हदीस में है, लिहाज़ा साबित हुआ कि दोनों तरह सही है। मुतालबा पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। हाफ़िज़

इब्ने हजर (ﷺ) ने फ़तहुलबारी में यही मौक़िफ़ अपनाया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/458) **(2)** 'मेरा माल' उसका मक़सद ये था कि चूंकि ये निकाह औरत के जुर्म की वजह से ख़त्म हो रहा है, लिहाज़ा मुझे महर वापस मिलना चाहिए। आपके फ़रमान का मतलब ये है कि तुम्हारे सच या झूठ का यक़ीन नहीं। मुमकिन है तू सच्चा हो और मुमकिन है वह बेगुनाह हो, इसलिये महर वापस नहीं मिल सकता। अगर तुम सच्चे भी हो तब भी तुमने उससे बहुत फ़ायदा उठा लिया है, लिहाज़ महर की वापसी का मुतालबा तुम्हें ज़ैब नहीं देता। **(3)** अरबी मतन में 'क़ाल अय्यूबु' का तर्जुमा सलासत के पेशे नज़र नहीं किया गया। इसका मफ़हूम इस तरह समझे कि ये रिवायत सईद बिन जुबैर से अय्यूब सख़्तयानी और अम्र बिन दीनार बयान करते हैं। अय्यूब सिर्फ़ 'आपने उनमें जुदाई डाल दी' तक बयान करते हैं जबकि अम्र बिन दीनार आदमी का अपने माल के बारे में सवाल और रसूलुल्लाह(ﷺ) का जवाब भी ज़िक्र करते हैं। अय्यूब ये हिस्सा महफ़ूज़ न रख सके। अम्र बिन दीनार की मौजूदगी में अय्यूब ने ये हदीस बयान की तो उस वक़्त अम्र ने ये कहा था कि इस हदीस का कुछ हिस्सा आप बयान नहीं कर रहे। और फिर वह हिस्सा बयान किया। अम्र की रिवायत अगले बाब में आ रही है।

बाब : (44) लिआन करने वालों का बाद में इज्तेमा (इकट्ठा)(मुमकिन नहीं)

باب(٤٤): اجْتِمَاعُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ وَلاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ " لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ " .

(3506) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी से फ़रमाया था: 'अब तुम्हारा हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। तुममें से एक तो (ज़रूर) झूठा है। अब तू उसके साथ नहीं रह सकता।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? आपने फ़रमाया: 'तुझे कोई माल नहीं मिलेगा। अगर तू सच्चा है तो इस माल के ऐवज़ तू उसे इस्तेमाल भी तो कर चुका है और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे माल से क्या वास्ता?'

(3506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5350, मुस्लिम: 1493/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5670.

फ़ायदा : लिआन करने वाले हमेशा के लिये एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। किसी सूरत में दोबारा निकाह नहीं हो सकता। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) की तरफ़ मन्सूब है कि वह अब्दी हुर्मत के क़ाइल नहीं। सही बात पहली है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 3504 का फ़ायदा: 2.

बाब : (45) लिआन के साथ मुतनाज़अ (विवादित)बच्चे की नफ़ी हो जायेगी और वह माँ को मिल जायेगा

باب : (٤٥)
نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ

(3507) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ख़ाविन्द बीवी में लिआन करवाया, फिर उन्हें जुदा कर दिया और बच्चा माँ को दे दिया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ

(3507) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1494/8, बुख़ारी, हदीस: 5315, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5671, मौता: 2/567.

फ़ायदा : क्योंकि बच्चे ही का तो झगड़ा था। ख़ाविन्द नफ़ी करता था कि मेरा नहीं। माँ तो नफ़ी कर ही नहीं सकती, लिहाज़ा उसी को देंगे। और वह माँ की तरफ़ ही मन्सूब होगा क्योंकि ख़ाविन्द तो नफ़ी कर रहा है और ज़ानी से निस्बत साबित नहीं हो सकता।

बाब : (46) जब कोई शख़्स अपनी बीवी पर इशारतन ज़िना का इल्ज़ाम लगाये और बच्चे की नफ़ी से चुप रहे मगर इरादा नफ़ी ही का हो?

باب : (٤٦)
إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ

(3508) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि बनू फ़ज़ारा में से एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आया और कहा: मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'उनके रंग कैसे हैं?' उसने कहा: सुर्ख़।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " . قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ " فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ " . قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " .

आपने फ़रमाया: 'क्या उनमें कोई ख़ाकस्तरी रंग का भी है?' उसने कहा: जी हाँ, उनमें ख़ाकस्तरी भी हैं। आपने फ़रमाया: 'क्या ख़याल है वह किधर से आ गये?' वह कहने लगा: हो सकता है किसी जद्दी रग का असर हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस बच्चे में भी किसी जद्दी रग का असर हो सकता है।'

(3508) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1500/18, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5672.

फ़ायदा : उस आदमी को बच्चे के बारे में शक था कि कहीं नाजायज़ न हो? मगर चूंकि उसने सराहतन न तो इल्ज़ाम लगाया न बच्चे की नफ़ी की, लिहाज़ा लिआन की ज़रूरत न पड़ी। अलबत्ता उसने इश्काल पेश किया कि रंग के लिहाज़ से मुझसे यक्सर मुख़्तलिफ़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वाज़ेह मिसाल बयान फ़रमा कर इश्काल दूर फ़रमा दिया कि कभी किसी दूर वाले बाप, यानी दादे वग़ैरह से भी मुशाबिहत हो जाती है। मुमकिन है तेरा कोई बाप दादा स्याह रंग का हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ . وَهُوَ يُرِيدُ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ . فَقَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " . قَالَ فِيهَا ذَوْدُ وُرْقٍ . قَالَ

(3509) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि बनू फ़ज़ारा में से एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना है। उसका मक़सद ये था कि वह मेरा नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'किस रंग के हैं?' उसने कहा: सुर्ख़। फ़रमाया: 'क्या उनमें कोई ख़ाकस्तरी भी है?' उसने कहा: जी कई ख़ाकस्तरी हैं। आपने फ़रमाया: 'तो उसे तू क्या समझता है?' वह कहने लगा: किसी जद्दी रग का असर हो सकता है। आपने फ़रमाया: 'उस बच्चे में भी किसी जद्दी रग का असर हो सकता है।' आपने

" فَمَا ذَاكَ تُرَى ". قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ "فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ". قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ

उसे बच्चे की नफ़ी की इजाज़त नहीं दी।

(3509) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1500/19, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5673.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، - حِمْصِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ " . قَالَ مَا أَدْرِي قَالَ " فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ " فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ " . قَالَ فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ . قَالَ " فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ " . قَالَ مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ " وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " . فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا لاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلاَّ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً .

(3510) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ हाज़िर थे कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे घर स्याह रंग का लड़का पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये कैसे हो गया?' उसने कहा: मुझे तो कोई पता नहीं। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'उनका रंग क्या है?' उसने कहा: सुर्ख़। आपने फ़रमाया: 'क्या उनमें कोई ख़ाकस्तरी ऊँट भी है? उसने कहा: जी! बहुत से ऊँट ख़ाकस्तरी हैं। आपने फ़रमाया: 'ये कैसे हुआ?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हक़ीक़त तो नहीं जानता मगर ये किसी रग की कशिश हो। आपने फ़रमाया: 'इस बच्चे में भी किसी रग की कशिश हो सकती है।' इस बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये वाज़ेह फ़ैसला फ़रमाया: 'किसी आदमी को उस बच्चे की नफ़ी की इजाज़त नहीं जो उसके बिस्तर पर पैदा हुआ हो, मगर ये कि वह दावा करे कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना की हालत में देखा है।

(3510) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5674, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बच्चे में कई क़िस्म की मुशाबिहतें पाई जा सकती हैं, क़रीब के किसी फ़र्द के साथ भी, बईद के फ़र्द के साथ भी और दो अफ़राद के साथ भी, लिहाज़ा रंग व रूप या नैन नक़्श की

बिना पर किसी बच्चे को मशकूक क़रार दे कर उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती जब तक ज़िना होने का यक़ीन न हो। अगर वह नफ़ी करेगा तो उसे लिआन करना पड़ेगा या हद का मुस्तहिक़ होगा। **(2)** 'उसके बिस्तर पर' यानी उसकी बीवी या लोण्डी से पैदा हुआ हो। बीवी या लोण्डी को इस्तेआरतन बिस्तर कह दिया जाता है।

बाब : (47)(सिर्फ़ शक की बिना पर) बच्चे की नफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है

باب : (٤٧) التَّغْلِيظِ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ

(3511) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना, जिस वक़्त लिआन की आयत उतरी थी: 'जो औरत किसी क़ौम में ऐसे बच्चे को दाख़िल कर दे जो उनमें से नहीं तो उसका अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक़ नहीं। और अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल नहीं फ़रमायेगा। और जो आदमी अपने बच्चे का (ज़िद से या शक व शुब्हा से) इन्कार कर दे जब कि बच्चा उसे (प्यार से) देख रहा हो, अल्लाह तआला उससे मुँह मोड़ लेगा। और क़यामत के दिन उसे अगले पिछले सब लोगों के सामने ज़लील फ़रमायेगा।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاَعَنَةِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(3511) तख़्रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 2263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5675, व सहीह अलदारकुतनी, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/202, 203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जो उनमें से नहीं' यानी वह ज़िना का नतीजा है मगर मन्सूब ख़ाविन्द की तरफ़ ही करे। **(2)** 'अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक़ नहीं' मुबालिग़ा है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं। मतलब ये है कि बहुत बड़ा गुनाह है जो अल्लाह तआला और उसकी रहमत से महरूमी का सबब बन सकता है। या आइन्दा आने वाला जुम्ला 'अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल नहीं फ़रमायेगा।' इसकी तफ़्सीर है। **(3)** 'जब कि वह बच्चा उसे देख रहा हो' ये तर्जुमा भी हो सकता है: 'जबकि वह आदमी बच्चे को देख रहा हो कि वाक़ेअतन मेरा है।' वल्लाहु आलम!

बाब : (48)
अगर बीवी का ख़ाविन्द या लोण्डी का मालिक बच्चे की नफ़ी न करे तो बच्चा (क़ानूनी तौर पर) उसी का होगा

باب : (۴۸)
إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

(3512) हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बच्चा फ़िराश के मालिक का होगा और ज़ानी के लिये पत्थर हैं।'

(3512) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1458, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5676.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शादी शुदा औरत से जो बच्चा पैदा हो, वह ख़ाविन्द ही से मुतसव्विर होगा। इसी तरह लोण्डी से जो बच्चा पैदा हो, वह उसके मालिक ही का मुतसव्विर होगा जब तक ख़ाविन्द या मालिक नफ़ी न करे, ख्वाह उस बच्चे के नाजायज़ होने का कोई इम्कानी सबूत भी हो क्योंकि बच्चे के जायज़ या नाजायज़ होने का मसला मख़्फ़ी होता है और उसकी तह तक पहुँचना मुश्किल अम्र है। **(2)** 'पत्थर' यानी ज़ानी को हद लगेगी। जिसकी एक सूरत पत्थर हैं। ये मुहावरा भी हो सकता है, यानी ज़ानी के लिये नाकामी है। ज़िना से नसब साबित नहीं हो सकता क्योंकि नसब तो पाकीज़ा चीज़ है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "

(3513) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बच्चा फ़िराश वाले का है और ज़ानी के लिये पत्थर हैं।'

(3513) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5677.

फ़ायदा : 'फ़िराश' या बिस्तर किनाया है बीवी और लोण्डी से। फ़िराश वाले से मुराद ख़ाविन्द या मालिक है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ

(3514) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) और अ़ब्द बिन ज़म्आ एक लड़के के बारे में झगड़ पड़े।

اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ " . فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ .

हज़रत सअ़द ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरे भाई उ़त्बा बिन अबी वक़्क़ास़ का बेटा है। उसने मुझे वस़ीयत की थी कि ये मेरा बेटा है। आप ज़रा इसकी शक्ल व शबाहत पर ग़ौर फ़रमायें। अ़ब्द बिन ज़म्आ कहने लगा: ये मेरा भाई है। मेरे बाप के यहाँ उसकी लोण्डी से पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी शक्ल व शबाहत को देखा तो वह वाज़ेह तौर पर उ़त्बा के मुशाबेह था। चुनांचे आपने फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्द! ये तेरा भाई ही है क्योंकि बच्चा घर वाले का होता है और ज़ानी को तो पत्थर पड़ते हैं। ऐ सौदा बिन्ते ज़म्आ! तू इससे पर्दा किया कर।' इसके बाद उसने कभी हज़रत सौदा (ﷺ) को नहीं देखा।

(3514) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2211, मुस्लिम, हदीस़: 1457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5678.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस बच्चे के बारे में झगड़ा था, वह ज़म्आ की लोण्डी से पैदा हुआ था। हक़ीक़तन वह उ़त्बा के नाजायज़ नुत्फ़े से था। जाहिलियत में लौण्डियों से ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को दावा करने वाले ज़ानी की तरफ़ मन्सूब कर दिया जाता था। हज़रत सअ़द (ﷺ) का दावा इसी जाहिली रिवाज की बिना पर था लेकिन इस्लाम ने इस क़बीह रस्म को ख़त्म किया कि अब ज़ानी की तरफ़ बच्चा मन्सूब नहीं होगा। औरत का ख़ाविन्द या मालिक इन्कार न करे तो उसी का बेटा होगा। अगर वह इन्कार कर दे तो जनने वाली माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। **(2)** रसूले अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत सौदा (ﷺ) भी ज़म्आ की बेटी थीं। इस नाते वह बच्चा उनका भी भाई बनता था मगर चूंकि हक़ीक़तन वह उ़त्बा के नुत्फ़े से था, लिहाज़ा क़ानूनी भाई होने के बावजूद उससे पर्दे का हुक्म दिया क्योंकि वह हक़ीक़ी भाई न था। ये झगड़ा फ़तहे मक्का के मौक़े पर हुआ था। **(3)** इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि क़याफ़ा शनासी वहाँ मोतबर होगी जहाँ उसके मुआरिज़ कोई उससे क़वी दलील न हो। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने यहाँ मुशाबिहत का ऐतबार नहीं किया और न लिआ़न में किया है क्योंकि यहाँ उसके मुआरिज़ उससे क़वी दलाइल मौजूद हैं, यानी ये शरई उसूल कि बच्चा बिस्तर वाले की तरफ़ मन्सूब होगा, और लिआ़न की मशरूईयत जबकि ज़ैद बिन हारिस़ा वाले वाक़िये में इसका ऐतबार किया है क्योंकि वहाँ उसके मुआरिज़ कोई उससे क़वी दलील मौजूद नहीं। वल्लाहु आ़लम! **(4)** हाकिम

या जज का फ़ैसला किसी की हक़ीक़त और असलियत को नहीं बदलेगा अगरचे वह फ़ैसला ज़ाहिरी दलाइल की रोशनी ही में करेगा जैसे कोई झूठी गवाही दे और जज उसके मुताबिक़ फ़ैसला कर दे तो जिसके हक़ में किसी चीज़ का फ़ैसला हुआ है उसके लिये वह चीज़ शरअन हलाल नहीं होगी। आपने उस बच्चे को अब्द बिन ज़मआ का भाई क़रार दिया, शरई उसूल की बिना पर, लेकिन सौदा को उससे पर्दा करने का हुक्म दिया, इसलिये कि हक़ीक़तन वह उनका भाई नहीं था क्योंकि उसकी उत्बा से वाज़ेह मुशाबिहत मौजूद थी। इस सिलसिले में नबी (ﷺ) का वाज़ेह फ़रमान भी मौजूद है कि अगर मैं ज़ाहिरी दलाइल को देखते हुए फ़ैसला किसी के हक़ में कर दूँ तो उससे वह चीज़ उसके लिये वाक़ेअतन हलाल नहीं हो जायेगी बल्कि वह ऐसे समझे कि मैं उसे जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। उसे वह नहीं लेना चाहिए। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2680, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1713)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، - مَوْلًى لَهُمْ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ "

(3515) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि ज़म्आ की एक लोण्डी थी जिससे वह जिमाअ किया करता था। लेकिन वह एक और शख़्स के बारे में समझता था कि वह भी उससे ज़िना करता है। बाद में उस लोण्डी ने उस शख़्स के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे में उसका ये ख़याल था। ख़ैर! ज़म्आ फ़ौत हुआ तो वह हामिला थी। हज़रत सौदा ने इस बात का ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बच्चा तो घर वाले की तरफ़ ही मन्सूब होगा लेकिन तू उससे पर्दा किया कर क्योंकि हक़ीक़तन वह तेरा भाई नहीं।'

(3515) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 4/97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5679, अल फ़तह: 12/37.

फ़ायदा : 'मन्सूब होगा' क्योंकि घर वाला फ़ौत हो चुका है। इन्कार का इम्कान नहीं रहा। अगर वह ज़िन्दा होता और इन्कार कर देता तो फिर बच्चा उसकी तरफ़ मन्सूब न होता बल्कि उस लोण्डी की तरफ़ ही मन्सूब होता।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ

(3516) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلاَ أَحْسُبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

'बच्चा घर वाले का होता है और ज़ानी के लिये पत्थर हैं (या महरूमी है)'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नहीं आती। (किसी रावी की ग़लती है) वल्लाहु तआला आलम!

(3516) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5680, देखें, 1355, बअज़हा: 3512, 3513.

باب(۴۹): فِرَاشِ الأَمَةِ

बाब : (49) लोण्डी भी फ़िराश है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَهُوَ ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ " .

(3517) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ؓ) और अब्द बिन ज़म्आ, ज़म्आ के एक बेटे के बारे में झगड़ पड़े। हज़रत सअद ने कहा कि मुझे मेरे भाई उत्बा ने वसीयत की थी कि तू जब भी मक्का जाये तो ज़म्आ की लोण्डी से पैदा होने वाले बच्चे को तलाश करके पकड़ लेना क्योंकि वह मेरा बेटा है। अब्द बिन ज़म्आ ने कहा: वह मेरे बाप की लोण्डी का बेटा है। मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उत्बा के साथ उसकी वाज़ेह मुशाबहत महसूस फ़रमाई मगर आपने फ़रमाया: 'बच्चा घर वाले ही का होता है लेकिन सौदा! तू इससे पर्दा किया कर।'

(3517) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2421, मुस्लिम, हदीस: 1457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5681.

फ़ायदा : बाब का मक़सद ये है कि जिस तरह बीवी की औलाद ख़ाविन्द ही की शुमार होती है, उसी

तरह लोण्डी की औलाद भी मालिक ही की शुमार होगी बशर्ते कि ख़ाविन्द या मालिक इन्कार न करे। बीवी भी फ़िराश है लोण्डी भी। ये जुम्हूर का मस्लक है। अहनाफ़ लोण्डी को फ़िराश नहीं मानते। और लोण्डी से बच्चे को मालिक का नहीं समझते जब तक वह दावा न करे। लेकिन ये दुरुस्त नहीं। ये हदीस़ स़राहतन लोण्डी को फ़िराश स़ाबित करती है।

बाब : (50)
जब बच्चे के बारे में तनाज़ुअ (विवाद) हो जाये तो क़ुरआ डाला जा सकता है, और ज़ैद बिन अरक़म की हदीस़ में शअबी पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (٥٠)
الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

(3518) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत अली (ﷺ) के पास यमन में तीन आदमी लाये गये जिन्होंने एक औरत के साथ एक तुहर में जिमाअ किया था। आपने उनमें से दो से पूछा: क्या तुम इस (तीसरे) के लिये बच्चे का इक़रार करते हो? उन्होंने कहा: नहीं, फिर दूसरे दो से पूछा: तुम इस तीसरे के लिये ये बच्चा तस्लीम करते हो? उन्होंने कहा: नहीं। आख़िर आपने उनमें क़ुरआ डाला ओर बच्चा उसे दे दिया जिसके नाम क़ुरआ निकला था। और इस पर बच्चे की दो तिहाई दियत डाल दी। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की गई तो आप हँसने लगे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं।

(3518) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5682.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ (رحمه الله) ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे स़ही कहा है और राजेह राय उन्हीं की है। अल्लामा अल्बानी(رحمه الله) ने इस पर मुफ़स्सल बहस़ की है और यही नतीजा अख़ज़ किया है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले

हुज्जत और क़ाबिले अमल है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 1964, व सुनन इब्ने माजा बतहक़ीक़ अद्दुक्तूर बश्शार अव्वाद, रक़म: 2248, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई, 29/187) **(2)** अस़ल वाक़िया जाहिलियत के दौर का था क्योंकि इस्लाम में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तीन आदमी एक तुहर में एक औरत से जिमाअ़ करें। चूंकि जाहिलियत के कामों पर सज़ा नहीं दी जा सकती थी बल्कि उस दौर के तस़र्रुफ़ात को क़ानूनी तौर पर तस्लीम कर लिया गया था कि जो हुआ सो हुआ, आइन्दा के लिये मना है, इसलिये इस वाक़िये का हल भी ज़रूरी था जो हज़रत अ़ली (ﷺ) ने अपनी ख़ुदादाद ज़हानत से तजवीज़ फ़रमाया।(ﷺ). **(3)** 'क़ुरआ निकला' अगर किसी चीज़ पर कई अफ़राद का हक़ बराबर हो लेकिन वह सब को न मिल सकती हो तो क़ुरआ अन्दाज़ी के ज़रिये से फ़ैस़ला किया जा सकता है। अहादीस़ में इसका स़बूत है मगर अहनाफ क़ुरआ अन्दाज़ी के क़ाइल नहीं, हालांकि कई दावेदारों को मुत्मइन करने के लिये क़ुरआ अन्दाज़ी करना एक फ़ितरी चीज़ है जो हर मुआशरे में मुस्तामल है और इससे फ़ैस़ले होते हैं। झगड़े निपट जाते हैं। ऐसी चीज़ का अक़्ली बुनियाद पर इन्कार फ़ितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ का फ़ैस़ला अक़्ली बुनियाद पर ही नहीं होता, फ़ितरत अस़ल है। **(4)** 'दो तिहाई दियत डाल दी' क्योंकि उनको बच्चा न मिल सका था, लिहाज़ा उन्हें माल दे दिया। शरअन बच्चे की क़ीमत दियत मोतबर है, इसलिये दियत के लिहाज़ से उन्हें माल दे दिया। **(5)** स़ाबित हुआ कि बच्चा एक आदमी ही को मिलेगा। दो आदमी एक बच्चे में शरीक नहीं हो सकते, यानी बच्चे का नसब एक आदमी के साथ स़ाबित होगा। **(6)** 'हँसने लगे' हज़रत अ़ली (ﷺ) की ज़हानत पर या उस अजीब वाक़िये पर। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ

(3519) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर थे कि आपके पास यमन से एक आदमी आया। वह आपको वहाँ की बातें बयान करने लगा। हज़रत अ़ली भी उन दिनों यमन में थे। वह शख़्स़ कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हज़रत अ़ली (ﷺ) के पास तीन आदमी आये जिनका एक बच्चे के बारे में झगड़ा था। उन तीनों ने एक तुहर में एक औरत से जिमाअ़ किया था। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द सारी हदीस़ बयान की।

(3519) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2269, पिछली हदीस़ देखें, मुसनद अलहुमैदी, हदीस़: 785,

فِي طُهْرٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5683, व सहीह अलहाकिम: 3/135, 136.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब (हफ़िज़हुल्लाह) ने अज्लह रावी की बिना पर सनदन ज़ईफ़ कहा है। अज्लह पर मुहद्दिसीन ने हाफ़िज़े की ख़राबी की बिना पर कलाम किया है लेकिन यहाँ सालेह हमदानी अज्लह की मुताबिअत कर रहे हैं जिनकी रिवायत सही है। देखिये साबिक़ा हदीस (3518), लिहाज़ा ये और आइन्दा रिवायत दोनों सही हैं। अल्लामा अल्बानी (رحمه الله) ने इसे सही कहा है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 1963)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلِيٌّ رضى الله عنه يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلاَثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَحَدِهِمْ تَدَعُهُ لِهَذَا . فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا . فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا . فَأَبَى قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

(3520) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास मौजूद था। उन दिनों हज़रत अली (رضي الله عنه) यमन में थे। आपके पास एक आदमी आया और कहने लगा: मैंने देखा कि हज़रत अली (رضي الله عنه) के पास तीन आदमियों का मुक़द्दमा आया जिन्होंने एक औरत के बच्चे के बारे में दावा किया था। हज़रत अली (رضي الله عنه) ने उनमें से एक से कहा: क्या तू ये बच्चा उसको देता है? उसने इंकार किया, फिर दूसरे से कहा: तू ये बच्चा उसको देता है? उसने भी इंकार किया, फिर तीसरे से कहा: तू ये बच्चा उसको देता है? उसने भी इन्कार किया। हज़रत अली (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: तुम झगड़ालू शरीक हो। मैं तुममें क़ुरआ डालूँगा। जिसके हक़ में क़ुरआ निकल आया, बच्चा उसे मिल जायेगा। अलबत्ता उसे दो तिहाई दियत अदा करना होगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ये सुन कर हँसने लगे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं।

(3520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5684.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

(3521) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه)

رَجُلٍ، مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأُتِيَ بِغُلاَمٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلاَثَةٌ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ .

को यमन पर हाकिम बनाकर भेजा। उनके पास एक बच्चा लाया गया जिसमें तीन आदमियों का तनाज़ा (विवाद) था। और ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द सारी हदीस़ बयान की।

सलमा बिन कुहैल ने उनकी मुख़ालिफ़त की है।

(3521) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5685.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ को इमाम शअ़बी (رحمه الله) से बयान करने वाले हज़रात चार हैं: स़ालेह हमदानी, अज्लह, अबू इस्हाक़ शैबानी और सलमा बिन कुहैल। इमाम (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इमाम शअ़बी के शागिर्दों में से सलमा बिन कुहैल ने बाक़ी तीन शागिर्दों, यानी स़ालेह हमदानी, अज्लह और शैबानी की मुख़ालिफ़त की है। और मुख़ालिफ़त दो तरह से है एक ये कि स़ालेह हमदानी, अज्लह और शैबानी ने सनद में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) का ज़िक्र किया है जब कि सलमा बिन कुहैल ने उनका ज़िक्र नहीं किया। दूसरा इख़्तिलाफ़ ये है कि इन तीन हज़रात ने तो इस रिवायत को मरफ़ूअ़ बयान किया है जब कि हज़रत सलमा बिन कुहैल ने इस रिवायत को मरफ़ूअ़ बयान नहीं किया। वल्लाहु आ़लम! **(2)** ये तरीक़ भी साबिक़ा तुरुक़ की बिना पर स़ही है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ ثَلاَثَةَ، نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا صَوَابٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

(3522) हज़रत अबू ख़लील या इब्ने अबू ख़लील से मन्क़ूल है कि तीन आदमी एक औरत के तुहर में शरीक हुए। बाक़ी हदीस़ इसी तरह ज़िक्र की, और सलमा बिन कुहैल ने (अपनी रिवायत में) ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं किया और न रिवायत को मरफ़ूअ़ ही बयान किया है।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि यही (सलमा बिन कुहैल की रिवायत) दुरुस्त है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आ़लम.

(3522) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 3519, अबू दाऊद: 2271, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5686.

फ़ायदा : इस रिवायत में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं और न इसमें रसूलुल्लाह(ﷺ) का ज़िक्र है। इमाम नसाई (رحمه الله) के फ़रमान के मुताबिक़ यही दुरुस्त है क्योंकि सलमा बिन कुहैल

बाक़ी तीनों से औसक़ है, लिहाज़ा इन (तीनों) की रिवायत दुरुस्त नहीं लेकिन राजेह बात ये है कि ये रिवायत मरफ़ूअ और मुत्तस्सिल भी साबित है और सही है। देखिये, (हदीस: 3518) क्योंकि सालेह हमदानी सिक़ा रावी है और सिक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती है। औसक रावी की मुख़ालिफ़त का ऐतबार तब होता है जब कोई वजहे इख़्तिलाफ़ भी हो लेकिन यहाँ कोई वजहे इख़्तिलाफ़ समझ में नहीं आती, इसलिये सालेह हमदानी की रिवायत भी सही है। वल्लाहु आलम!

बाब : (51) क़याफ़ा शनासी का बयान

باب(٥١): الْقَافَةِ

(3523) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दफ़ा मेरे पास ख़ुश ख़ुश तशरीफ़ लाये। आपके चेहर-ए-मुबारक की धारियाँ चमक रही थीं। आपने फ़रमाया: '(आयशा!) तुझे पता चला कि मुजज़्ज़िज़ ने ज़ैद बिन हारिसा और उसामा को (लेटे हुए) देखा तो कहा: ये पाँव एक दूसरे (बाप बेटे) ही के (मालूम होते) हैं।'

(3523) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 1770, मुस्लिम: 1459/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5687.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ " أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) सफ़ेद रंग के थे ज़ब कि उनके बेटे हज़रत उसामा (ﷺ) स्याह रंग के। शायद वालिदा का असर था। इस बिना पर कुछ लोग उनके नसब में शक करते थे। इन्तेहाई क़रीबी ताल्लुक़ की वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन बातों से तकलीफ़ होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मुजज़्ज़िज़ मुदलिजी, एक मशहूर क़याफ़ा शनास जिसके क़याफ़े को पूरा इलाक़ा तस्लीम करता था, गुज़रा तो दोनों बाप बेटा सोये पड़े थे, उनके चेहरे ढके हुए थे मगर पाँव नंगे थे। उसने अपनी आदत के मुताबिक़ दोनों के पाँव ग़ौर से देख कर कहा कि ये दोनों बाप बेटा हैं। इसकी ये मबनी बर हक़ीक़त और सच्ची बात सुन कर नबी (ﷺ) को ख़ुशी हुई कि अब तो एक मशहूर क़याफ़ा शनास ने तस्दीक़ कर दी है। अब ज़बानें गुंग हो जायेंगी। **(2)** क़याफ़ा शनासी भी अक़्लन क़तई न होने के बावजूद इन्सानी ज़हन को मुत्मइन करती है। उमूमन लोग तस्लीम करते हैं, लिहाज़ा किसी मुश्किल मसले में क़याफ़ा से भी फ़ैसला हो सकता है। अहनाफ़ इसके भी क़ाइल नहीं, हालांकि दुनिया के बहुत कम काम यक़ीन से तै होते हैं। आम तौर पर ज़न्ने ग़ालिब ही को मोतबर माना जाता है, लिहाज़ा क़याफ़ा के इन्कार की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ मुतनाज़ेअ (विवादित) मसाइल में क़याफ़ा शनास से मदद ली जा सकती है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " .

(3524) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) बड़े ख़ुश ख़ुश मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाने लगे: 'आयशा! तुझे इल्म नहीं कि अभी मुजज़्ज़िज़ मुदलिजी मेरे पास आया था जब कि उसामा बिन ज़ैद मेरे क़रीब (लेटा हुआ) था। उसने उसामा और ज़ैद दोनों को देखा। दोनों के ऊपर चादर थी और उन्होंने अपने चेहरे ढाँप रखे थे, अलबत्ता उनके पाँव नंगे थे, चुनांचे (ये देख कर) वह कहने लगा: ये पाँव तो एक दूसरे (बाप बेटे) के (मालूम होते) हैं।'

(3524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 6771, मुस्लिम: 1459/39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5688.

باب : (٥٢)

إِسْلاَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرِ الْوَلَدِ

बाब : (52)

ख़ाविन्द बीवी में से एक मुसलमान हो जाये तो बच्चे को इख़्तियार दिया जाये (कि वह किस के साथ रहना चाहता है)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَبَ هَا هُنَا وَالأُمَّ هَا هُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ " اللَّهُمَّ

(3525) हज़रत अब्दुल हमीद बिन सलमा अन्सारी के दादा मोहतरम से रिवायत है कि मैं मुसलमान हो गया लेकिन मेरी बीवी ने इस्लाम लाने से इन्कार कर दिया। हमारा एक छोटा बच्चा आया जो अभी बालिग़ नहीं हुआ था। नबी (ﷺ) ने बाप को एक तरफ़ बिठा लिया और माँ को दूसरी तरफ़, फिर आपने बच्चे को इख़्तियार दिया और दुआ फ़रमाई: 'या अल्लाह! इसे हिदायत दे।' चुनांचे वह बच्चा (अल्लाह की तौफ़ीक़ से) बाप की तरफ़ चला गया।

(3525) **तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा,** हदीस़: 2352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5689, व स़हीह अल हाकिम: 2/206, 207.

اهْدِهِ " . فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ .

फ़ायदा : ख़ाविन्द बीवी में से एक मुसलमान हो जाये और बच्चा सिन्ने तमीज़ को पहुँचा हुआ हो तो उसे किस की तहवील में दिया जाये? इसमें इख़्तिलाफ़ है। अस्हाबुर राय के नज़दीक काफ़िर के लिये हक्क़े हज़ानत (परवरिश) स़ाबित है। लेकिन स़ही बात ये है कि ये विलायत है। और जब निकाह और माल में काफ़िर की विलायत स़ाबित नहीं होती तो हज़ानत में तो बिल्औला स़ाबित नहीं हो सकती क्योंकि इसका नुक़सान उन दोनों के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा है, इसलिये कि जब काफ़िर, बच्चे की परवरिश करेगा तो ज़ाहिर है उसकी ख़्वाहिश होगी कि बच्चा मेरे दीन पर हो, इसलिये वह उसकी अपने दीन के मुताबिक़ परवरिश और तर्बीयत करेगा और अपने दीन की उसे तालीम देगा। नतीजतन बच्चा काफ़िर हो जायेगा क्योंकि बच्चा वही बनता है जिसकी उसे तर्बीयत दी जाये। फ़रमाने नबवी है: 'बच्चा फ़ितरते इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1358, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 2658) बाद में उसका इस्लाम की तरफ़ आना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बचपन का इल्म पत्थर पर लकीर होता है। और ये एक बहुत बड़ा नुक़सान है। फ़रमाने बारी तआला है: (लयं यज्अ़ल ......) इसलिये बच्चे को मुसलमान की तहवील में दिया जायेगा। इस हदीस़ से भी मालूम होता है कि बच्चे का काफ़िर के पास जाना अल्लाह की मन्शा के ख़िलाफ़ है क्योंकि अल्लाह अपने बन्दों से हिदायत का इरादा रखता है। रहा ये सवाल कि नबी (ﷺ) ने मज़्कूरा मसले में इख़्तियार क्यूँ दिया जबकि माँ काफ़िरा थी? तो उसका जवाब ये दिया गया है कि नबी (ﷺ) को यक़ीन था कि मेरी दुआ क़बूल हो जायेगी और बच्चा यक़ीनन बाप के पास जायेगा, इसलिये आपने माँ की दिल जोई के लिये ऐसा किया। अगर इस बात को दुरुस्त तस्लीम न भी किया जाये और मज़्कूरा सूरत में इख़्तियार ही को दुरुस्त समझा जाये जैसा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इख़्तियार दिया था, तो भी काफ़िर की तरफ़ माइल होने की सूरत में बच्चा उसकी तहवील में इस शर्त पर दिया जायेगा कि वह बच्चे की तर्बीयत इस्लाम के मुताबिक़ करे। ये शर्त आइद करना इस हदीस़ के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि हदीस़ में शर्त की नफ़ी नहीं (इसलिये कि हदीस़ में बच्चे के काफ़िर के पास जाने की नौबत नहीं आई) बल्कि ये शर्त दीनी मस़ालेह के ऐन मुताबिक़ है और इससे तमाम दलाइल में तत्बीक़ हो जाती है और किसी आयत या हदीस़ को (नऊ़ज़ुबिल्लाह) रद्द करने की नौबत नहीं आती। वल्लाहु आलम!

(3526) हज़रत अबू मैमूना बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) के पास था तो उन्होंने फ़रमाया: एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي

زِيَادٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ . فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ " يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ " . فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ .

आई और कहने लगी: आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों! मेरा (साबिक़ा) ख़ाविन्द मेरे बेटे को ले जाना चाहता है जब कि वह मुझे बहुत नफ़ा देता है, जैसे: बीरे अबी इनबा से मुझे पानी लाकर दे देता है। इतने में उसका ख़ाविन्द भी आ गया और कहने लगा: मेरे बेटे के बारे में कौन मुझसे झगड़ा कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'ऐ लड़के! ये तेरा बाप है और ये तेरी माँ, जिसका चाहे हाथ पकड़ ले।' उसने अपनी वालिदा का हाथ पकड़ लिया और वह उसे लेकर चली गई।

(3526) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5690, तिर्मिज़ी: 1357.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर ख़ाविन्द बीवी दोनों मुसलमान हों मगर उनमें जुदाई हो जाये तो इस सूरत में अगर बच्चा छोटा है तो वह अपनी माँ के पास रहेगा जैसा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र(ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे इस बेटे के लिये मेरा पेट बर्तन था, मेरी छाती इसका मशकीज़ा थी और मेरी गोद इसकी पनाहगाह थी। इसके बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और वह अब इसे मुझसे छीनना चाहता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'तू उसकी ज़्यादा हक़दार है जब तक तू आगे निकाह नहीं करती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2276) और अगर बच्चा सिन्ने तमीज़ को पहुँचा हुआ है तो फिर उसे इख़्तियार दिया जायेगा। वह जिसे इख़्तियार कर लेगा उसके पास रहेगा जैसा कि इस हदीस में है। अहादीस में तत्बीक़ की ये बेहतरीन सूरत है। तमाम अहादीस पर अ़मल हो जाता है। **(2)** बीरे अबी इनबा मदीना मुनव्वरा से काफ़ी बाहर तक़रीबन 12 मील दूर एक कुआँ है।

بَاب(٥٣): عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

बाब : (53) ख़ुलअ़ हासिल करने वाली औरत की इद्दत

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخُو عَبْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

(3527) हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास(ﷺ) ने अपनी बीवी को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। उसका नाम जमीला बिन्ते अ़ब्दुल्लाह बिन उबय था। उसका भाई ये शिकायत लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर

كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ " خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا " . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا .

हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत स़ाबित को पैग़ाम भेज कर बुलाया और (तहक़ीक़ के बाद) फ़रमाया: 'तूने जो कुछ इसे दिया है, वापस ले ले और इसे छोड़ दे।' उसने कहा: ठीक है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जमीला को हुक्म दिया कि वह एक हैज़ तक इन्तेज़ार करे और मयके चली जाये।

(3527) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल्कबीर: 24/671, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5691.

फ़ायदा : ख़ुलअ़ चूंकि फ़स्ख़े निकाह है, इसलिये इसकी इद्दत एक हैज़ है, वह भी सिर्फ़ इस्तेबराए रहम के लिये, यानी पता चल जाये कि औरत हामिला है या ग़ैर हामिला। अगर हामिला हो तो फिर वह वज़अ़े हमल के बाद आगे निकाह कर सकेगी। और ग़ैर हामिला होने की सूरत में एक हैज़ के बाद। हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) का भी यही मौक़िफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक ख़ुलअ़ तलाक़ है, इसलिये वह कहते हैं कि इसकी इद्दत तीन हैज़ है लेकिन उनका ये मौक़िफ़ सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ होने की वजह से मरदूद है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، . قَالَتِ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَىَّ مِنَ

(3528) हज़रत उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन स़ामित से रिवायत है कि मैंने हज़रत रुबय बिन्ते मुअव्विज (رضي الله عنها) से कहा कि मुझे अपना वाक़िया बयान कीजिये। वह कहने लगी कि मैंने अपने ख़ाविन्द से ख़ुलअ़ लिया, फिर मैं हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) के पास हाज़िर हुई और आपसे पूछा: मुझ पर कितनी इद्दत वाजिब है? उन्होंने फ़रमाया: तुझ पर कोई इद्दत वाजिब नहीं मगर ये कि तेरे ख़ाविन्द ने तुझ से तुहर में जिमाअ़ किया हो तो

الْعِدَّةِ فَقَالَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً - قَالَ - وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ .

फिर तू एक हैज़ इन्तेज़ार कर। उन्होंने फ़रमाया: इस सिलसिले में मैंने मरयम मग़ालिया की बाबत रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले की पैरवी की है। वह हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास के निकाह में थी और उन्होंने उनसे ख़ुलअ़ ले लिया था।

(3528) तख़रीज : **(सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस: 2058, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5692.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) के फ़ैसले से मालूम होता है कि एक हैज़ इद्दत भी इस्तेबर-ए-रहम, यानी रहम की सफ़ाई मालूम करने के लिये है। अगर ताज़ा तुहर में जिमाअ़ न हुआ हो तो एक हैज़ इद्दत भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये तफ़्सील हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) की अपनी है, नबी(ﷺ) से जो सही साबित है वह यही है कि आपने हर ख़ुलअ़ वाली औरत को एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया है (मा सिवा हामिला के) ख़्वाह उससे हालिया तुहर में जिमाअ़ हुआ हो या न। आपने इसकी तफ़्सील तलब नहीं की, और चूंकि जिमाअ़ मख़्फ़ी चीज़ है, लिहाज़ा सही बात यही है कि हर ख़ुलअ़ वाली औरत एक हैज़ इद्दत गुज़ारे ताकि शक व शुब्हा न रहे। **(2)** ये बात याद रहे कि ख़ुलअ़ में रुजूअ़ तो नहीं हो सकता मगर बाद में दोबारा निकाह हो सकता है क्योंकि ये तीन तलाक़ के हुक्म में नहीं।

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

बाब : (54) तलाक़ वाली औरतों की इद्दत में इस्तिस्ना भी है

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وَقَالَ { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ } الآيَةَ وَقَالَ { يَمْحُو اللَّهُ

(3529) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने (नस्ख़ के दलाइल ज़िक्र करते हुए) ये आयात पढ़ीं: (मा नन्सख़ .....) 'जो आयत हम मन्सूख़ कर दें या भुला दें, हम उससे बेहतर आयत लाते हैं या उस जैसी।' और फ़रमाया: (व इज़ा .....) 'जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत ले आते हैं, और अल्लाह तआला अपनी उतारी हुई आयात को ख़ूब जानता है।' और फ़रमाया: (यमहूल्लाहु .....) 'अल्लाह तआला जो चाहे मिटा देता है और जो चाहे बाक़ी रखता है और अल्लाह

مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } وَقَالَ { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }

तआला ही के पास अस्ल किताब है।' क़ुर्आन मजीद में सबसे पहले क़िब्ला मन्सूख़ हुआ। इसी तरह अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (वल मुतल्लक़ातु ....) 'तलाक़ शुदा औरतें तीन हैज़ तक अपने आपको (नया निकाह करने से) रोक रखें।' फिर फ़रमाया: (वल्लाई .....) 'वह औरतें जो हैज़ से ना'उम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है।' (इस आयत के ज़रिये से) पहली आयत में से कुछ हिस्सा मन्सूख़ कर दिया गया। फिर अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (सुम्मा ....) 'अगर तुम औरतों को जिमाअ से पहले तलाक़ दो तो उन पर कोई इद्दत नहीं जिसे तुम शुमार करो।'

(3529) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2282, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5704.

फ़ायदा : शायद इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि ख़ुलअ की इद्दत एक हैज़ हो सकती है अगरचे क़ुर्आन मजीद में तलाक़ की इद्दत तीन हैज़ मुक़र्रर है क्योंकि अल्लाह तआला के इस हुक्म में से कुछ सूरतें मुस्तस्ना फ़रमाई हैं, जैसे: वह औरतें जिनको हैज़ आना बन्द हो चुका है या अभी शुरू नहीं हुआ। इसी तरह वह औरत जिसको जिमाअ किये बग़ैर तलाक़ दे दी जाये उसकी इद्दत है ही नहीं। अगर ये सूरतें मुस्तस्ना (अलग) हो सकती हैं तो क्या वजह है कि सही हदीस की वजह से ख़ुलअ को उससे मुस्तस्ना (अलग) न किया जाये? जिस हुक्म से एक दफ़ा इस्तेस्ना हो जाये, मज़ीद इस्तेस्ना भी मुमकिन है। ये मुत्तफ़क़ा बात है।

باب : (٥٥) عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

बाब : (55) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसकी इद्दत

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ

(3530) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो औरत अल्लाह तआला और आख़िरत पर ईमान

زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

रखती हो, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर चार माह दस दिन सोग करे।'

(3530) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5339, मुस्लिम, हदीस: 1486/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5693.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ عَنْ أُمِّهَا، قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ فَقَالَ " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا حَوْلاً ثُمَّ خَرَجَتْ فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

(3531) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से एक औरत के बारे में पूछा गया जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो चुका था और उसकी आँखों के ज़ाया होने का ख़तरा था, क्या वह सुरमा डाल सकती है? आपने फ़रमाया: (दौरे जाहिलियत में) एक औरत को अपने घर में एक साल तक बदतरीन टाट में रहना पड़ता था, फिर वह निकलती थी। तो क्या अब वह चार महीने दस दिन तक इन्तेज़ार नहीं कर सकती?'

(3531) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5338, मुस्लिम, हदीस: 1488/60, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5694.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये उसकी इद्दत चार माह दस दिन है। ये मुत्तफ़क़ा बात है बशर्ते कि वह हामिला न हो। इस इद्दत के दौरान में औरत को सोग की कैफ़ियत में रहना होगा, यानी हर क़िस्म की ज़ैब व ज़ीनत से परहेज़ करना होगा। सुरमा भी ज़ीनत है, लिहाज़ा सोग के दौरान में वह सुरमा नहीं लगा सकती। अगर आँखों में तकलीफ़ हो तो कोई और दवा इस्तेमाल की जाये जो ज़ीनत का काम न दे। **(2)** जाहिलियत में दस्तूर था कि जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाता उसे एक साल अलग थलग कमरे में रखा जाता था। नहाने धोने तक की इजाज़त न होती थी यहाँ तक कि गुस्ले हैज़ भी नहीं कर सकती थी। कपड़े भी वही रहते थे। तभी हदीस में उनको 'बदतरीन टाट' कहा गया है। इस दौरान वह इस क़द्र बदबूदार और ज़हरीली बन जाती कि अगर कोई जानवर उसके जिस्म को छूता तो वह भी मर जाता था। एक साल के बाद उसे कमरे से निकाला जाता और उसे ऊँट की

एक मींगनी दी जाती जिसे वह अपने सर के ऊपर से पीछे फेंकती थी। गोया अब उसकी बुरी हालत ख़त्म हो चुकी है, और ये इद्दत ख़त्म होने की अलामत थी जब कि इस्लाम ने सिर्फ़ ज़ीनत से रोका है। वह घर के दूसरे अफ़राद के साथ ही रहेगी, नहाये धोयेगी, अलबत्ता नये या शोख़ कपड़ों, ज़ेवरात, मेकअप और दूसरी ज़ैब व ज़ीनत से परहेज़ करेगी और जहाँ तक हो सके घर में रहेगी।

أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الأَنْصَارِيِّ، - وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ " .

(3532) हज़रत उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत नबी(ﷺ) के पास हाज़िर हुई और कहने लगी: मेरी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है। मुझे उसकी आँख ख़राब होने का ख़दशा है, तो क्या मैं उसे सुरमा डाल दूँ? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(इससे पहले जाहिलियत में) औरत को एक साल तक घर में (बन्द) रहना पड़ता था जब कि अब तो सिर्फ़ चार माह दस दिन हैं। जब साल पूरा होता था तो वह निकलती थी और अपने पीछे ऊँट की मींगनी फेंका करती थी।'

(3532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5695.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ

(3533) नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह तआला और आख़िरत पर यक़ीन रखती है उसके लिये जायज़ नहीं कि किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलावा ख़ाविन्द के कि उस पर उसे चार महीने दस दिन सोग करना होगा।'

وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

(3533) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5696.

फ़ायदा : सोग से मुराद किसी हलाल चीज़ को छोड़ देना है, न कि हराम का इर्तिकाब करना, जैसे: चीख़ना चिल्लाना, थप्पड़ मारना, बीन करना, बाल मुण्डना वग़ैरह। सोग तीन दिन से ज़्यादा मर्दों को भी मना है। औरतों का ज़िक्र ख़ुसूसन इसलिये किया गया है कि वह ज़्यादा सोग करती हैं। मर्द उमूमन हौसला रखते हैं।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(3534) हज़रत उम्मे सलमा और नबी (ﷺ) की एक और ज़ोज-ए-मोहतरमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह तआला और यौमे आख़िरत पर यक़ीन रखती है उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलावा ख़ाविन्द के कि उस पर वह चार माह दस दिन तक सोग करेगी।'

(3534) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5697, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ، - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

(3535) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) नबी (ﷺ) से साबिक़ा हदीस़ की तरह ही रिवायत बयान फ़रमाती हैं।

(3535) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5698.

फ़ायदा : सोग वाली रिवायत का तकरार ये बताने के लिये है कि ये रिवायत कहीं हज़रत उम्मे हबीबा(رضي الله عنها) से है, कहीं हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से, कहीं हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) और कहीं आपकी किसी और ज़ोज-ए-मोहतरमा से। उनमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं।

बाब : (56) हामिला औरत की इद्दत जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये

باب : (٥٦) عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالاَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ .

(3536) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) से रिवायत है कि सुबैआ असलमिया का उसके ख़ाविन्द की वफ़ात से चन्द रातें बाद बच्चा पैदा हो गया, फिर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और निकाह की इजाज़त तलब की। चुनांचे आपने उसे इजाज़त दे दी और उसने निकाह कर लिया।

(3536) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5320, मौता: 2/590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5699.

फ़ायदा : औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये और वह हामिला हो तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक उसकी इद्दत चार माह दस दिन के बजाये वज़अे हमल है। जब बच्चा पैदा हो जाये तो वह आज़ाद है। चाहे तो आगे निकाह कर सकती है। अब इस पर सोग भी नहीं रहा लेकिन निफ़ास ख़त्म होने तक ख़ाविन्द उसके क़रीब नहीं जा सकता। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ख़्याल था कि दोनों में से आख़री इद्दत है, यानी बच्चा चार माह दस दिन से पहले पैदा हो जाये तो चार माह दस दिन है और अगर चार माह दस दिन पहले गुज़र जायें तो बच्चे की पैदाइश इद्दत है। गोया उनका ख़्याल था कि सोग अपनी जगह ज़रूरी है और वज़अे हमल अपनी जगह। वह दोनों अहादीस और कुर्आनी आयत पर एक साथ अमल करते हैं। ये बात अगरचे माकूल है मगर मज़्कूरा हदीस के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा ये ग़ैर मोतबर है।

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .

(3537) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत सुबैआ (ﷺ) को इजाज़त दी थी कि जब वह निफ़ास से पाक हो जाये तो आगे निकाह कर सकती है।

(3537) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5700.

फ़ायदा : चूंकि उमूमन निकाह निफ़ास से पाक होने के बाद ही किया जाता है, और निकाह के

मुकम्मल फ़वाइद उसी वक़्त हासिल होते हैं, इसलिये ऐसे फ़रमा दिया वरना ये मतलब नहीं कि निफ़ास में निकाह ही नहीं हो सकता। दौराने निफ़ास में निकाह से कोई चीज़ मानेअ (रुकावट) नहीं है। इद्दत वज़अे हमल थी जो ख़त्म हो चुकी। तफ़्सीली रिवायत से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। देखिये, हदीस़: 3540, 3541.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا " .

(3538) हज़रत अबू सनाबिल (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत सुबैआ (ﷺ) ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से .... पच्चीस रातों के बाद बच्चा जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक हुई तो उसने नई शादी की ख़्वाहिश की लेकिन उसकी बात को बुरा जाना गया। और रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में ये बात ज़िक्र की गई। आपने फ़रमाया: 'उसे क्या रुकावट है? उसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी है।'

(3538) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1193, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5701, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1329.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَزَوَّجُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ . فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ

(3539) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) में उस औरत के बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया। बाद में उसने बच्चा जन दिया। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: वह आगे शादी कर सकती है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया: नहीं, वह बाद वाली इद्दत पूरी करे, फिर उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) के पास (फ़ैसले के लिये) पैग़ाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सुबैआ का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया। उसने वफ़ात से पन्द्रह दिन, यानी निस्फ़ महीना बाद बच्चा जन दिया। उसे दो आदमियों ने शादी का पैग़ाम भेज

نِصْفِ شَهْرٍ - قَالَتْ - فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكِ لاَ تَحِلِّينَ . قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ " .

दिया। वह उनमें से एक की तरफ़ माइल हो गई। दूसरे शख़्स और उसके साथियों ने महसूस किया कि वह अपनी मर्ज़ी करेगी तो वह कहने लगे: तेरी तो इद्दत पूरी नहीं हुई। वह कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गई तो आपने फ़रमाया: 'तेरी इद्दत पूरी हो चुकी है। जिससे चाहे निकाह कर।'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5702.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ . فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ لَمْ تَحْلِلْ . وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " قَدْ

(3540) हज़रत अबू सलमा से मरवी है कि हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से उस औरत के बारे में पूछा गया जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो और वह हामिला हो। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: वह बाद वाली इद्दत पूरी करे। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: जब वह बच्चा जन दे तो उसकी इद्दत पूरी हो गई। अबू सलमा हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के पास गये और उनसे ये मसला पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: सुबैआ अस्लमिया ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से निस्फ़ माह बाद बच्चा जन दिया तो दो आदमियों ने उसे शादी का पैग़ाम भेजा। उनमें से एक जवान था, दूसरा कुछ बूढ़ा। वह जवान की तरफ़ माइल हुई तो वह बूढ़ा कहने लगा: तेरी तो अभी इद्दत ही पूरी नहीं हुई। अस्ल बात ये थी कि औरत के घर वाले ग़ाइब थे। उसे उम्मीद थी कि अगर घर वाले आ गये तो वह शादी के मामले में उसे तर्जीह देंगे लेकिन वह औरत रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास पहुँच गई। आपने फ़रमाया: 'तेरी इद्दत पूरी हो चुकी है जिससे पसन्द करे निकाह कर।'

خَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" .

(3540) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, मौता: 2/589, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5703.

फ़ायदा : किसी फ़तवे और फ़ैसले में ज़ाती मैलान की बिना पर जानिबदारी से काम नहीं लेना चाहिए। अगर जानिबदारी का ख़दशा हो तो क़ाज़ी उस केस की समाअ़त न करे बल्कि कोई दूसरा जज जो ग़ैर जानिबदारी से फ़ैसला कर सकता हो, इस केस की समाअ़त करे।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لاَ إِلاَّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ . قَالَ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي . يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ . فَأَرْسَلَ غُلاَمَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُو

(3541) हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से उस औ़रत के बारे में पूछा गया जो अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के बीस रातें बाद बच्चा जन दे, क्या उसके लिये आगे निकाह करना दुरुस्त है? उन्होंने फ़रमाया: नहीं, बल्कि उसे दोनों (चार माह दस दिन और बच्चा जनना) में से आख़री इद्दत पूरी करनी होगी। मैंने कहा: अल्लाह तआला ने तो फ़रमाया है: (व ऊलातु ....) 'हामिला औरतों की इद्दत ये है कि बच्चा जन दें।' आप फ़रमाने लगे: ये तलाक़ की स़ूरत में है। हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने फ़रमाया: मैं अपने भतीजे (अबू सलमा) के साथ हूँ। चुनांचे हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) ने अपने ग़ुलाम कुरैब को भेजा और फ़रमाया: हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के पास जाओ और उनसे पूछो, क्या इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई फ़रमान है? वह गया तो उन्होंने फ़रमाया: हाँ, सुबैआ अस्लमिया ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से बीस दिन बाद बच्चा जन दिया था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे निकाह करने की इजाज़त दे दी। और हज़रत अबू सनाबिल ने भी उसे शादी का पैग़ाम भेजा था।

السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا .

(3541) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4909, मुस्लिम, हदीस: 1485/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5705.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ख़्याल था कि सोग की मुद्दत तो हर हाल में ज़रूरी है और वज़ओ हमल भी। चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान उससे मुख़तलिफ़ था, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने अपने क़ौल से रुजूअ फ़रमा लिया था। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي . فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

(3542) हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ), और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने उस औरत की इद्दत का तज़्किरा फ़रमाया जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो और वह वफ़ात से थोड़ा अर्सा बाद बच्चा जन दे। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: वह दोनों में से आख़री इद्दत गुज़ारे। हज़रत अबू सलमा ने फ़रमाया: बल्कि बच्चा पैदा होने से उसकी इद्दत ख़त्म हो जायेगी। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं अपने भतीजे के साथ हूँ। फिर उन्होंने नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के पास पैग़ाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया: सुबैआ अस्लमिया ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से थोड़ा अर्सा बाद बच्चा जन दिया था, फिर उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो आपने उसे निकाह की इजाज़त मरहमत फ़रमा दी।

(3542) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5706.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ

(3543) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि सुबैआ ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से चन्द दिन बाद बच्चा जन दिया था। तो

سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ .

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे आगे निकाह करने की इजाज़त दे दी।

(3543) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 3541, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5707.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا، سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ . فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي . يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " قَدْ حَلَلْتِ " .

(3544) हज़रत सुलैमान बिन यसार से मन्क़ूल है कि हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान का उस औरत के बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया जिसे अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से चन्द दिन बाद बच्चा पैदा हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया: उसे दोनों में से बाद वाली इद्दत गुज़ारनी होगी। हज़रत अबू सलमा ने फ़रमाया: जब बच्चा पैदा हो जाये तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। इतने में हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) आ गये। वह फ़रमाने लगे: मैं अपने भतीजे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान की ताईद करता हूँ। उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास के मौला कुरैब को हज़रत उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) के पास ये मसला पूछने के लिये भेजा। उसने वापस आकर बतलाया कि उन्होंने फ़रमाया है: सुबैआ ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से चन्द दिन बाद बच्चा जन दिया था और उसने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'तेरी इद्दत ख़त्म हो गई है।'

(3544) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 3541, मौता: 2/590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5708.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ ‏.‏

(3545) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मैं, हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) इकट्ठे बैठे थे। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) फ़रमाने लगे: जब कोई औरत अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के बाद बच्चा जन दे तो उसकी इद्दत दोनों में से आख़री है। हज़रत अबू सलमा ने कहा: हमने हज़रत कुरैब को हज़रत उम्मे सलमा (ﷻ) के पास इसके बारे में पूछने के लिये भेजा। चुनांचे वह उनके पास से होकर हमारे पास ख़बर लाये कि सुबैआ का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया था और उसने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के चन्द दिन बाद बच्चा जन दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे निकाह करने की इजाज़त दे दी।

(3545) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3541, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5709.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏

(3546) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (ﷻ) से रिवायत है कि क़बील-ए-असलम की एक औरत जिसका नाम सुबैआ था, वह अपने ख़ाविन्द के निकाह में थी कि उसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया जब कि वह हामिला थी। हज़रत अबू सनाबिल बिन बअकक (ﷻ) ने उसे शादी का पैग़ाम भेजा लेकिन उसने उनसे निकाह करने से इन्कार कर दिया। चुनांचे वह कहने लगे: तेरे लिये तो अभी निकाह करना दुरुस्त ही नहीं यहाँ तक कि तू दोनों इद्दतों में से आख़री इद्दत गुज़ार ले। तक़रीबन बीस रातें गुज़रीं तो उसने बच्चा जन दिया था। वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई तो आपने फ़रमाया: 'तू

निकाह कर सकती है।'

فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " انْكِحِي "

(3546) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5318, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5710.

फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से ये मालूम होता है कि हज़रत अबू सनाबिल ने वफ़ात के बाद ही शादी का पैग़ाम भेज दिया था लेकिन ये तास्सुर दुरुस्त नहीं। दरअस़ल उन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद पैग़ाम भेजा था। बयान में तक़दीम व ताख़ीर हो गई।

(3547) हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के पास मौजूद थे कि एक औ़रत आई और उसने कहा: मेरा ख़ाविन्द फ़ौत हुआ तो मैं हामिला थी। मैंने उसकी वफ़ात के बाद चार माह (दस दिन) पूरे होने से पहले ही बच्चा जन दिया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि दोनों मुद्दतों में से आख़री मुद्दत पूरी करनी होगी। अबू सलमा ने कहा कि नबी (ﷺ) के स़हाबा में से एक शख़्स़ ने मुझे ख़बर दी कि सुबैआ़ असलमिया रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगी: मेरा ख़ाविन्द फ़ौत हो गया। मैं हामिला थी। मैंने चार माह (दस दिन) से पहले बच्चा जन दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे निकाह करने की इजाज़त दे दी। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भी इसकी ताईद करता हूँ।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ . فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ.

(3547) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5711.

(3548) हज़रत उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को लिखा कि वह सुबैआ़ बिन्ते हारिस़ असलमिया

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ - فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي .

के पास जायें और उनसे उनका वाक़िया पूछें कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा तो आपने उन्हें क्या जवाब दिया था। तो हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा को लिखा कि हज़रत सुबैआ़ ने मुझे बताया है कि वह हज़रत सअ़द बिन ख़ौला (رضی اللہ عنہ) के निकाह में थी। वह बनू आ़मिर बिन लूई क़बीला से ताल्लुक़ रखते थे। जंगे बद्र में हाज़िर हुए थे। हज्जतुल विदा के दौरान में वह फ़ौत हो गये। उस वक़्त वह हामिला थी। उनकी वफ़ात से थोड़ा अ़र्सा बाद उसने बच्चा जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक हुई तो उसने शादी का पैग़ाम भेजने वालों के लिये ज़ैब व ज़ीनत की। बनू अ़ब्दुद्दार के एक आदमी अबू सनाबिल बिन बअ़कक उसके यहाँ आये तो कहने लगे: क्या वजह है कि तूने ज़ीनत कर रखी है? शायद तू आगे निकाह करने का इरादा रखती है। अल्लाह की क़सम! तू निकाह नहीं कर सकती यहाँ तक कि चार माह दस दिन गुज़र जायें। हज़रत सुबैआ़ ने फ़रमाया: जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो शाम के वक़्त मैंने अपने कपड़े पहने और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। आपने मुझे फ़तवा दिया कि जब तूने बच्चा जना तो तेरी इद्दत पूरी हो गई थी। और आपने मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ निकाह करने की इजाज़त दी।

(3548) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1484, बुख़ारी, अलमग़ाज़ी, हदीस़: 3991, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5712.

फ़ायदा : 'जब तूने बच्चा जना' गोया वज़अ़े हमल (बच्चा पैदा होने) से इद्दत पूरी हो जाती है लेकिन चूंकि ड़मूमन निफ़ास की हालत में निकाह नहीं किया जाता, इसलिये कुछ रिवायात में है कि 'जब तू पाक हो जाये ..... अलख़' वरना निफ़ास इद्दत में शामिल नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَقْصَى الأَجَلَيْنِ . فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا .

(3549) हज़रत ज़ुफ़र बिन औस बिन हदसान नस्री से रिवायत है कि हज़रत अबू सनाबिल बिन बअ़कक बिन सब्बाक़ (ﷺ) ने हज़रत सुबैअ़ा असलमिया (ﷺ) से कहा: तेरी इद्दत ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि चार माह दस दिन गुज़र जायें, यानी दोनों इद्दतों में से आख़री इद्दत। चुनांचे वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आईं और आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़तवा दिया कि मैं वज़अ़े हमल के बाद निकाह कर सकती हूँ। जब उनका ख़ाविन्द फ़ौत हुआ तो वह हमल के नवें महीने में थीं। वह हज़रत सअ़द बिन ख़ौला (ﷺ) के निकाह में थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदा में फ़ौत हो गये थे। तो जब हज़रत सुबैअ़ा ने बच्चा जना तो उन्होंने अपनी क़ौम के एक जवान शख़्स से निकाह कर लिया।

(3549) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5713.

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

(3550) हज़रत उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने उ़मर बिन

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنِ ادْخُلْ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمْلِهَا . قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا -فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ " .

अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को लिखा कि आप सुबैआ बिन्ते हारिस़ असलमिया के पास जायें और उनसे पूछें कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें उनके हमल के सिलसिले में क्या इरशाद फ़रमाया था? हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह उनके पास गये और उनसे पूछा तो उन्होंने बतलाया कि वह हज़रत सअद बिन ख़ौला (رضي الله عنه) के निकाह में थी। वह स़हाबी-ए-रसूल थे। बद्र में शरीक हुए थे। हज्जतुल विदा में फ़ौत हो गये तो उसने उनकी वफ़ात के बाद चार माह दस दिन गुज़रने से पहले ही बच्चा जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक हुई तो उसके पास अबू सनाबिल आये जो बनू अब्दुद्दार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने उसे ज़ैब व ज़ीनत की हालत में देखा तो कहा: शायद तू निकाह का इरादा रखती है जब कि अभी चार माह दस दिन नहीं गुज़रे। जब मैंने अबू सनाबिल से ये बात सुनी तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और आपसे पूरा वाक़िया कह सुनाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुझे बच्चा पैदा हुआ था, तेरी इद्दत ख़त्म हो गई थी।'

(3550) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5714.

फ़ायदा : हज़रत सअद बिन ख़ौला मुहाजिर थे मगर हज्जतुल विदा में मक्का मुकर्रमा ही में फ़ौत हो गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर इज़्हारे अफ़सोस भी फ़रमाया था। (رضي الله عنه).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ

(3551) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि मैं कूफ़ा शहर में अन्स़ार की एक बहुत बड़ी

مُحَمَّدٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ - لِلأَنْصَارِ - عَظِيمٍ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ . قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّهُ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ . قَالَ فَلَقِيتُ مَالِكًا قُلْتُ كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ قَالَ قَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى .

मज्लिस में बैठा था। उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला भी मौजूद थे। हाज़िरीन ने हज़रत सुबैआ (ﷺ) का वाक़िया ज़िक्र किया। मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद से ज़िक्र किया कि जब बच्चा पैदा हो तो औरत की इद्दत ख़त्म हो जाती है। हज़रत इब्ने अबी लैला कहने लगे: लेकिन उनके चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ)) तो इसके क़ाइल नहीं। मैंने ज़रा बलन्द आवाज़ में कहा: अगर मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा पर बोहतान बाँधूं जब कि वह कूफ़ा शहर में ज़िन्दा मौजूद हैं, फिर तो मैं बहुत बेबाक हूँ? फिर मैं अपने उस्ताद हज़रत मालिक से मिला। मैंने कहा कि हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) सुबैआ के बारे में क्या फ़रमाते थे? मालिक कहने लगे कि उन्होंने फ़रमाया: क्या तुम इस पर सख़्ती करते हो, नर्मी नहीं करते? छोटी सूर-ए-निसा (सूर-ए-तालक) बड़ी सूर-ए-निसा से बाद में उतरी है।

(3551) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4522.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सख़्ती करते हो' यानी अगर औरत को आख़री इद्दत गुज़ारने का पाबन्द बनाया जाये तो ये उस पर बेजा सख़्ती है कि बच्चा पहले पैदा हो तो चार माह दस दिन पूरे करे और अगर चार माह दस दिन पहले पूरे हो जायें तो बच्चा पैदा होने का इन्तेज़ार करे। गोया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने इस मस्लक को पसन्द नहीं फ़रमाया बल्कि वह हामिला औरत के लिये वज़अे हमल ही को इद्दत क़रार देते थे। **(2)** 'छोटी निसा' यानी वह छोटी सूरत जिसमें औरतों के मसाइल बयान हुए हैं। इससे मुराद सूर-ए-तलाक़ है जिसमें ये आयत है: 'हमल वाली औरतों की इद्दत वज़अे हमल (बच्चे की पैदाइश) है।' (अत्तलाक़ 65:4) **(3)** बड़ी सूर-ए-निसा से मुराद वह बड़ी सूरत है जिसमें औरतों के मसाइल बयान हुए, यानी सूर-ए-बक़रा जिसमें ज़िक्र है कि जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, वह चार महीने दस दिन इन्तेज़ार करे। **(4)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का

मक़सूद ये है कि हामिला औरतों का हुक्म बाद में बयान किया गया, लिहाज़ा वह चार माह दस दिन के हुक्म से मुस्तस्ना (अलग) हैं और यही सही मस्लक है। (5) हक़ बात तक पहुँचने के लिये अहले इल्म बैठ कर किसी मसले के बारे में बहस मुबाहसा कर सकते हैं।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ، – يَمَامِيٌّ – قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ .

(3552) हज़रत अल्क़मा बिन क़ैस से रिवायत है कि हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स चाहे मैं उससे मुबाहला कर सकता हूँ कि आयत: (व ऊलातुल अहमालि .....) 'हमल वाली औरतों की इद्दत ये है कि वह बच्चा जन दें' इस आयत से बाद उतरी है जिसमें उस औरत की इद्दत बयान की गई है जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो, लिहाज़ा जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, जब उसे बच्चा पैदा हो जाये तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। ये अल्फ़ाज़ मैमून बिन अब्बास के हैं।

(3552) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी, हदीस: 9/384, हदीस: 9642, वल बैहक़ी: 7/437

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) के इस हदीस में दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन मिस्कीन और मैमून बिन अब्बास। ये अल्फ़ाज़ मैमून के हैं। (2) 'मुबाहला' यानी जो झूठा, उस पर लानत। गोया उनको कामिल यक़ीन था कि हामिला औरत की इद्दत वज़ए हमल है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ،

(3553) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि छोटी सूर-ए-निसा (सूर-ए-तलाक़) सूर-ए-बक़रा के बाद नाज़िल हुई।

(3553) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी: 9/384, 385, हदीस: 9644, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5717, देखें, हदीस: 3551.

وَعَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ
الْقُصْرَى، نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस सूरत (सूर-ए-तलाक़) में मज़्कूर हुक्म के साथ सूर-ए-बक़रा के हुक्म की तख़्सीस की जायेगी। नतीजतन हामिला औरत, जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो, की इद्दत वज़अे हमल, यानी बच्चे की पैदाइश है। (2) इस हदीस का इस क़द्र तकरार सनद का इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर करने के लिये है, और इससे वाक़िये की तमाम जुज़्इयात सामने आ जाती हैं।

बाब : (57) उस औरत की इद्दत जिसका ख़ाविन्द उसे घर बसाये बग़ैर फ़ौत हो गया

باب(٥٧): عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ . فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه .

(3554) हज़रत इब्ने मसऊद (ؓ) से एक आदमी के बारे में पूछा गया जिसने एक औरत से शादी की, महर मुक़र्रर नहीं किया और उससे जिमाअ भी नहीं किया कि मर गया। हज़रत इब्ने मसऊद (ؓ) ने फ़रमाया: उसको उस जैसी दूसरी औरतों की तरह महर मिलेगा, न कम न ज़्यादा, उसे इद्दते वफ़ात भी गुज़ारनी होगी और उसे विरासत भी मिलेगी। इतने में हज़रत मअक़िल बिन सिनान अशजई (ؓ) उठे और फ़रमाने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारी एक औरत बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के बारे में आपके फ़ैसले जैसा फ़ैसला फ़रमाया था। हज़रत इब्ने मसऊद (ؓ) ये सुन कर बहुत ख़ुश हुए।

(3554) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3356, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5718.

फ़ायदा : बावजूद जिमाअ न होने के वह मुकम्मल बेवा शुमार होगी क्योंकि निकाह हो चुका है। महर का मुक़र्रर न होना निकाह के मुनाफ़ी नहीं, अलबत्ता महर की नफ़ी नहीं होनी चाहिए। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखें, हदीस: 3356)

बाब : (58) सोग करना

باب(٥٨): الإِحْدَادِ

(3555) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर (वह चार माह दस दिन तक सोग करेगी)'

(3555) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1491, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5719.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا "

(3556) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह तआला पर और यौमे आख़िरत पर ईमान रखती है, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह ख़ाविन्द के अलावा कसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे।'

(3556) तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/249, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5720, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ "

फ़ायदा : 'ईमान रखती है' शरीयत के अहकाम ईमान वालों ही के लिये हैं। अल्लाह तआला पर और आख़िरत के दिन पर ईमान न रखने वालों के लिये नेकी, बदी और गुनाह सवाब का तसव्वुर ही फ़ुज़ूल है। औरत का ज़िक्र सियाक़े कलाम के ऐतबार से है, वरना ये हुक्म मर्दों के लिये भी इसी तरह है। अलबत्ता उनके लिये बीवी पर सोग आम हालात के बराबर ही है और लाज़िम भी नहीं (तफ़सील के लिये देखें, हदीस: 3531)

बाब : (59) यहूदी या इसाई औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो उस पर सोग नहीं

باب(٥٩): سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

(3557) हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस मिम्बर पर फ़रमाते सुना: 'जो औरत अल्लाह तआला पर और उसके रसूल पर ईमान रखती है, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ

حَبِيبَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता वह ख़ाविन्द पर चार माह दस दिन सोग करेगी।'

(3557) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5721.

फ़ायदा : बाब पर इस्तेदलाल ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से है क्योंकि इस्लामी शरीयत मुसलमानों के लिये है। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) का मौक़िफ़ भी यही है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) और जुम्हूर का मौक़िफ़ ये है कि उस पर भी सोग वाजिब है लेकिन इस हदीस़ से पहले मौक़िफ़ की ताईद होती है।

باب(٦٠): مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

बाब : (60)
जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वह इद्दत गुज़ारने तक घर ही में रहेगी

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ فَقَتَلُوهُ - قَالَ شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا فَقَالَ " اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "

(3558) हज़रत फ़ारिआ बिन्ते मालिक (رضي الله عنها) से रिवायत है कि मेरा ख़ाविन्द अपने अज्मी गुलामों की तलाश में निकला। उन्होंने उसे पकड़ कर क़त्ल कर दिया। उस वक़्त मेरी रिहाइश एक दूर दराज़ घर में थी। मैं और मेरे दो भाई रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास हाज़िर हुए और आपसे स़ूरते हाल ज़िक्र की। आपने मुझे उस घर से मुन्तक़िल होने की इजाज़त दे दी लेकिन जब मैं वापस जाने को मुड़ी तो आपने बुलाकर फ़रमाया: 'अपने घर ही में रहो यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाये।'

(3558) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 2300, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5722,

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि इद्दते वफ़ात में औरत के लिये ख़ाविन्द के घर ठहरना ज़रूरी है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है मगर हज़रत अली, इब्ने अब्बास, आयशा और जाबिर

(ﷺ) से मन्क़ूल है कि वह जहाँ चाहे इद्दत गुज़ार सकती है मगर ये सही हदीस़ सराहतन वजूब पर दलालत करती है। शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है, लेकिन काम से फ़ारिग़ होकर फ़ौरन घर लौटे। रात बाहर मत गुज़ारे। वल्लाहु आलम! **(2)** 'दूर दराज़ घर' आबादी से या औरत के रिश्तेदारों से।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلاَ يَجْرِي عَلَىَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَاىَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ " افْعَلِي " . ثُمَّ قَالَ " كَيْفَ قُلْتِ " . فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ " اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ " .

(3559) हज़रत फ़ुरैआ बिन्ते मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि मेरे ख़ाविन्द ने कुछ अजमी ग़ुलाम किसी काम के लिये किराये पर लिये। उन्होंने उसे क़त्ल कर दिया। मैंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की और अर्ज़ किया कि मैं अपने ख़ाविन्द के ज़ाती घर में नहीं रह रही। और मुझे उसकी तरफ़ से कोई नफ़्क़ा वग़ैरह भी नहीं मिलता तो क्या मैं और मेरे यतीम बच्चे मेरे मयके में मुन्तक़िल हो जायें? मैं वहाँ इन बच्चों की देखभाल भी करूँगी। आपने फ़रमाया: 'ऐसे कर लो।' फिर आपने फ़रमाया: 'तूने कैसे कहा था?' मैंने दोबारा पूरी बात बताई तो आपने फ़रमाया: 'जहाँ तुझे वफ़ात की ख़बर पहुँची है, वहीं इद्दत पूरी कर।'

(3559) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5723.

फ़ायदा : 'फ़ुरैआ' साबिक़ा रिवायत में उनका नाम 'फ़ारिआ' बयान किया गया है। कोई इख़्तिलाफ़ नहीं 'फ़ुरैआ' 'फ़ारिआ' की तस्ग़ीर है। इन्हें दोनों तरह पुकारा जाता था। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ - قَالَتْ - فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(3560) हज़रत फ़ुरैआ (ﷺ) से रिवायत है कि मेरा ख़ाविन्द अपने अजमी ग़ुलामों की तलाश में निकला। उसे तरफ़े क़दूम मक़ाम पर क़त्ल कर दिया गया। मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपके सामने अपने मयके मुन्तक़िल होने का ज़िक्र किया और अपनी मजबूरी बयान की। आपने पहले तो मुझे रुख़सत इनायत फ़रमा

فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرْتُ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا - قَالَتْ - فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَادَانِي فَقَالَ " امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " .

दी लेकिन जब मैं वापस चली तो मुझे बुलाया और फ़रमाया: 'अपने उसी घर में ठहरी रह यहाँ तक कि मुक़र्ररा इद्दत पूरी हो जाये।'

(3560) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5724.

फ़ायदा : 'अपने उसी घर में ठहरी रह' वह घर अगरचे ख़ाविन्द की मिलल्कियत नहीं था मगर उसको निकाला भी नहीं जा रहा था, अलबत्ता अगर घर से निकाल दिया जाये या घर गिर पड़े या ख़तरा हो तो औरत मुन्तक़िल हो सकती है। वल्लाहु आलम बिस् सवाब।

باب(٦١): الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

बाब : (61) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसे रुख़्सत है कि जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } .

(3561) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि इस आयत ने औरत के लिये ख़ाविन्द के घर इद्दत गुज़ारने को मन्सूख़ कर दिया है। अब वह जहाँ चाहे इद्दत गुज़ार सकती है। इस आयत से मुराद है अल्लाह तआला का फ़रमान : (ग़ैर इख़राजिन), यानी औरतों को दौराने इद्दत में घरों से निकाला न जाये, वह ख़ुद चली जायें तो कोई हर्ज नहीं।

(3561) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5725.

फ़ायदा : दरअसल क़ुरआन मजीद में दो आयात हैं। दोनों सूर-ए-बक़र: में हैं। एक आयत का मफ़हूम ये है: 'जिन औरतों के ख़ाविन्द फ़ौत हो जायें, वह चार माह दस दिन तक अपने आपको रोके रखें।' दूसरी आयत का मफ़हूम ये है: 'ख़ाविन्द फ़ौत होने से पहले अपनी बीवियों के बारे में वसियत कर जायें कि उनको एक साल तक घरों से निकाला न जाये, अलबत्ता अगर वह ख़ुद चली जायें तो उनकी मर्ज़ी।' पहली आयत में 'रोके रखें' के अल्फ़ाज़ से ये समझा गया है कि वह ख़ाविन्द के घर ही में रहें। इसके अलावा यही उस औरत की इद्दत भी है। अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ये आयत नासिख़ है। और

इसके बाद आने वाली आयत जो हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का मदारे इस्तेदलाल है, मन्सूख़ है। इससे किसी क़िस्म का इस्तेदलाल करना सही नहीं है। बहरहाल हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के इस्तिम्बात के मुताबिक़ दूसरी आयत में उन औरतों को घर से चले जाने की इजाज़त दे दी गई है मगर कसीर सहाबा और जुम्हूर अहले इल्म का ख़्याल है कि घरों से जाने की रुख़सत चार माह दस दिन के दौरान में नहीं बल्कि साल से बाक़ी मानिन्दा मुद्दत, यानी सात माह बीस दिन के दौरान में है जो बतौर वसियत उनके लिये रिआयत रखी गई थी। और वह भी अब मन्सूख़ है। अब भी उनके लिये असल इद्दत गुज़ारना ख़ाविन्द के घर ही में वाजिब है। अहादीस में इसकी सराहत है, इसलिये हदीस, जो क़ुर्आन की सही तफ़्सीर और बज़ाते ख़ुद एक असल है, की रू से जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ही सही क़रार पाता है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 3558)

बाब : (62) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसकी इद्दत ख़बर मिलने के दिन से शुरू होगी

باب(۶۲): عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

(3562) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) की हमशीरा, हज़रत फ़ुरैआ बिन्ते मालिक (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मेरा ख़ाविन्द क़दूम जगह में क़त्ल हो गया। चुनांचे मैं नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और कहा कि हमारा घर दूर दराज़ जगह में है (मुझे मयके मुन्तक़िल होने की इजाज़त दी जाये) आपने इजाज़त दे दी, फिर बुलाया और फ़रमाया: 'अपने घर ही में चार माह दस दिन ठहर यहाँ तक कि मुक़र्ररा इद्दत पूरी हो जाये।'

(3562) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5726.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ، أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " .

फ़ायदा : इस हदीस में बाब पर दलालत करने वाले अल्फ़ाज़ नहीं हैं। सही बात ये है कि इद्दत वफ़ात से शुरू होगी न कि ख़बर मिलने से। अक़्लन व नक़्लन यही बात सही है। क़ुर्आन व हदीस में वफ़ात का ज़िक्र है न कि ख़बर मिलने का। इब्ने उमर, इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास (ﷺ) और ताबेईन की एक जमाअत का यही मौक़िफ़ है। अइम्मा में से इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ (رحمهم الله) और

अस्हाबुर राय वग़ैरह का यही मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ हज़रत अली (ﷺ) से बयान किया गया है, और हसन बसरी, क़तादा और अता ख़ुरासानी वग़ैरह का भी यही मौक़िफ़ है जो कि दुरुस्त नहीं।

बाब : (63)
सोग करने वाली मुसलमान औरत ज़ैब व ज़ीनत छोड़ेगी न कि यहूदी ईसाई औरत

تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

(3563) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा फ़रमाती हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हुई जब उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब (ﷺ) फ़ौत हुए थे। चुनांचे उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई और एक बच्ची को लगाई, फिर ख़ूशबू वाले हाथ अपने रुख़सारों पर मल लिये और फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूशबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो औरत अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे मगर ख़ाविन्द पर चार माह दस दिन तक सोग करना होगा।'

हज़रत ज़ैनब ने कहा: फिर मैं हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हुई जब उनके भाई फ़ौत हुए। उन्होंने भी ख़ूशबू मंगवाई और लगाई, फिर फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूशबू की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर फ़रमाते सुन रखा है: 'जो औरत अल्लाह तआला पर और आख़िरत पर ईमान रखती है उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".

قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ

وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

وَقَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ " . قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَتُرَاجِعُ بَعْدُ مَا

से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर वह चार माह दस दिन सोग करे।'

हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) को फ़रमाते सुना कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है। अब उसकी आँख में तकलीफ़ है। क्या मैं उसे सुरमा डाल दूँ? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' फिर आपने फ़रमाया: 'सिर्फ़ चार माह दस दिन ही तो हैं जब कि दौरे जाहिलियत में औरत साल के बाद मेंगनी फेंका करती थी।' (रावि-ए-हदीस) हज़रत हुमैद ने कहा कि मैंने हज़रत ज़ैनब से पूछा: साल के बाद मेंगनी फेंकने का मतलब क्या है? उन्होंने फ़रमाया: जब किसी औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाता था तो वह एक तंग और गंदे से छप्पर में दाख़िल हो जाती और गंदे कपड़े पहन लेती। न ख़ूशबू लगाती, न कोई और सफ़ाई की चीज़ यहाँ तक कि उसे एक साल गुज़र जाता, फिर उसके पास कोई जानवर, गधा, बकरी या कोई परिन्दा लाया जाता और वह (औरत) उसके साथ अपना जिस्म मलती। जूँ ही वह उस जानवर से अपना जिस्म मलती, वह जानवर मर जाता, फिर वह उस छप्पर से बाहर निकलती। उसे एक मेंगनी दी जाती तो वह उसको पीछे से फेंकती, फिर वह उसके बाद ख़ूशबू वग़ैरह जो चाहती लगाती।

हज़रत मालिक (رحمه الله) बयान करते हैं कि 'तफ़्तज़ु' के मआ़नी हैं: 'वह मलती थी।' और मुहम्मद की हदीस में मालिक (رحمه الله) से मरवी है

شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ مَالِكٌ تَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ . قَالَ مَالِكٌ الْحِفْشُ الْخُصُّ .

कि 'हिफ़्श' के मआनी झौंपड़ी के हैं।

(3563) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3530, मौता: 2/596-598, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5727.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मसल-ए-बाब के लिये देखिये हदीस: 3557 **(2)** 'कोई ज़रूरत न थी' क्योंकि मेरा ख़ाविन्द तो फ़ौत हो चुका है, और तीन दिन सोग के बाद ख़ुशबू लगाना ज़रूरी भी नहीं, अलबत्ता सोग का शुब्हा ख़त्म करने के लिये ख़ुशबू वग़ैरह लगा लेना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये, हदीस: 3531, 3532)

باب(٦٤): مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ

बाब : (64) सोग करने वाली औरत शोख़ रंगदार कपड़ों से परहेज़ करे

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " .

(3564) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर चार माह दस दिन करे। वह कोई शोख़ रंगदार कपड़ा न पहने। न धारीदार कपड़ा पहने। न सुरमा डाले। न कंघी करे। न ख़ुशबू लगाये मगर जब वह हैज़ से पाक हो तो कुछ क़ुस्त या अज़्फ़ार ख़ुशबू लगा सकती है।'

(3564) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5342, मुस्लिम, 938/66, 1491, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5728.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शोख़ रंगदार' यानी जो कपड़ा बनने के बाद रंगा जाये। उमूमन ऐसा रंग शोख़ होता है। **(2)** 'धारीदार कपड़ा' असल अरबी लफ़्ज़ 'सौब अस्बिन' इस्तेमाल किया गया है, यानी वह कपड़ा जिसे बनने से पहले रंगा जाये, हालांकि ऐसा कपड़ा पहनना तो सोग वाली के लिये जायज़ है जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम में सराहत है: (इल्ला सौब अस्बिन) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 313, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 938, बाद: 1491) तो यहाँ 'वला सौब अस्बिन' फ़ाश ग़लती है कि 'इल्ला' की बजाये 'वला' हो गया जिससे मफ़हूम बिल्कुल उलट हो गया है। सुनन कुब्रा नसाई में 'इल्ला सौब अस्बिन' ही है। मौजूद

अल्फ़ाज़ का जवाज़ मुहैया करने के लिये तर्जुमा 'धारीदार' किया गया है क्योंकि धारीदार कपड़े में भी शोख़ी होती है। (3) 'कुछ ख़ूशबू लगा सकती है' ये ख़ूशबू ज़ीनत के लिये नहीं बल्कि हैज़ की बू ख़त्म करने के लिये है, और ये ख़ूशबू हैज़ वाली जगह पर लगाई जायेगी न कि बाक़ी जिस्म पर।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ ".

(3565) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (؀) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वह (इद्दत के दौरान में) कसने से रंगा हुआ ज़र्द कपड़ा और मिश्क़ (गैरू) से रंगा हुआ सुर्ख़ कपड़ा न पहने, न वह मेहंदी लगाये न सुरमा।'

(3565) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5729, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1328.

फ़ायदा : बाद में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है, ख़्वाह वह किसी चीज़ और किसी रंग से रंगा हुआ हो। 'मिश्क़' सुर्ख़ मिट्टी (गैरू) को कहते हैं जिससे वह कपड़ा रंगते थे। आज कल हर कपड़ा उमूमन बाद ही में रंगा जाता है, इसलिये ऐसा कपड़ा मिलना मुश्किल है जिसका बनने से पहले सूत रंगा गया हो, लिहाज़ा आज कल ऐसे सादा कपड़े जिनमें उमूमन ज़ैब व ज़ीनत का इज़्हार नहीं होता, वह भड़कीले, फूलदार और शोख़ रंग के नहीं होते, पहनने चाहिए, जैसे: पुराने कपड़े वग़ैरह। मक़सूद तर्के ज़ीनत है। वल्लाहु आलम!

باب(٦٥): الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ

बाब : (65) सोग वाली औरत के लिये मेहंदी लगाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ

(3566) हज़रत उम्मे अतिया (؀) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह तआला पर और आख़िरत पर ईमान रखती है, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह ख़ाविन्द के अलावा किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا "

करे। (दौराने सोग) वह (बेवा औरत) सुरमा न लगाये, मेहंदी न लगाये और बुनाई के बाद रंगा हुआ कपड़ा न पहने।'

(3566) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़:313, 5341, 5342, 5343, व मुस्लिम, हदीस़: 938.

باب: (٦٦) الرُّخْصَةِ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ

बाब : (66) सोग वाली औरत बेरी के पत्तों के साथ कंघी कर सकती है

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ، يَقُولُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا، تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجِلاَءَ فَأَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلاَءِ فَقَالَتْ لاَ تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا فَقَالَ " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ " . قُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ . قَالَ " إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ " . قُلْتُ بِأَىِّ

(3567) हज़रत उम्मे हकीम बिन्ते असीद अपनी वालिदा मोहतरमा से बयान करती हैं कि उनका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया और उन्हें आँखों में तकलीफ़ थी। वह सुरमा डाल लिया करती थीं, फिर उन्होंने अपनी लोण्डी को हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) के पास भेजा और उनसे जिलाअ सुरमा डालने के बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया कि सोग वाली औरत सुरमा नहीं डाल सकती मगर अशद्द (सख़्त) मजबूरी के वक़्त (जब सुरमा डाले बग़ैर चारा न हो) जब मेरे ख़ाविन्द हज़रत अबू सलमा फ़ौत हुए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाये जब कि मैंने आँखों पर ऐलवा लगा रखा था। आपने फ़रमाया: 'उम्मे सलमा! ये क्या है?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये सिर्फ़ ऐलवा है। इसमें कोई ख़ुशबू वग़ैरह नहीं। आपने फ़रमाया: 'ये चेहरे को हुस्न व रौनक़ बख़्शता है, लिहाज़ा रात के अलावा इसे न लगाया कर और किसी ख़ुशबूदार तेल या मेहंदी के साथ कंघी न किया कर क्योंकि ये रंग (वाली ज़ीनत) है।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो

شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ " .

किस चीज़ के साथ कंघी किया करूँ? फ़रमाया: 'बेरी के पत्ते सर पर बाँध लिया कर, फिर कंघी कर लिया कर।'

(3567) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2305, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5731.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम ये बात सही है कि कोई ऐसी चीज़ जो रंग दे, जैसे: सुरमा या मेहंदी या जो चेहरे को ख़ूबसूरत और बारौनक़ बनाये, जैसे: ऐलवा या जो चीज़ खूशबू दे, जैसे: खूशबूदार साबुन, सेंट वग़ैरह, सोग के दौरान में औरत पर हराम हैं, अलबत्ता गुस्ल, सादा कंघी और बग़ैर ख़ूशबू के साबुन इस्तेमाल किये जा सकते हैं। बेरी के पत्ते न रंग देते हैं न ख़ूशबू, लिहाज़ा इस्तेमाल हो सकते हैं।

النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

बाब : (67) सोग वाली औरत के लिये सुरमा लगाना मना है

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، - وَهُوَ ابْنُ مُوسَى - قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا . وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا . فَقَالَ " أَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ " لاَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ " .

(3568) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक क़ुरैशी औरत आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी की आँखें दुखने लगी हैं तो क्या मैं उसे सुरमा डाल दूँ? उसका ख़ाविन्द फ़ौत हो चुका था। आपने फ़रमाया: 'चार माह दस दिन तक नहीं डाल सकती।' वह कहने लगी: मुझे उसकी नज़र का ख़तरा है। आपने फ़रमाया: 'हरगिज़ नहीं, चार माह दस दिन में नहीं। जाहिलियत में इस जैसी औरत को अपने ख़ाविन्द पर एक साल तक सोग करना पड़ता था, फिर साल के इख़्तिताम पर वह मेंगनी फेंका करती थी।'

(3568) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5732.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 3531.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

(3569) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और अपनी बेटी के बारे में पूछा जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया था और उसे आँखों की तकलीफ़ थी। आपने फ़रमाया: 'जाहिलियत के दौर में ऐसी औरतों को एक साल तक सोग करना पड़ता था, फिर साल के बाद वह मेंगनी फेंकती थी। अब तो इद्दत सिर्फ़ चार माह दस दिन है।'

(3569) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5733.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि आँखों की तकलीफ़ का इलाज सुरमा सोग के सरासर ख़िलाफ़ है, इसलिये इस दौरान में सुरमा लगाना मम्नूअ (मना) है। **(2)** 'सिर्फ़ चार माह दस दिन' तलाक़ की इद्दत तीन हैज़ है मगर वफ़ात की इद्दत चार माह दस दिन है क्योंकि इसमें सोग का इज़ाफ़ा भी है, और मुद्दत की ज़्यादती से इस्तेबर-ए-रहम का यक़ीन हासिल हो जायेगा क्योंकि चार माह के बाद लाज़िमन बच्चा हरकत शुरू कर देता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ فَقَالَ " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . فَقُلْتُ

(3570) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि एक क़ुरैशी औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है। मुझे उसकी आँखों का ख़तरा है। उसका मक़सद सुरमा की इजाज़त हासिल करना था। आपने फ़रमाया: 'इससे पहले तुममें से ऐसी औरत एक साल के बाद मेंगनी फेंका करती थी। अब तो इद्दत सिर्फ़ चार माह दस दिन है।' रावी ने कहा कि मैंने हज़रत जैनब से पूछा: साल के बाद मेंगनी फेंकने का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया: जाहिलियत में जब किसी औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाता तो वह अपने सबसे गंदे घर में जाकर बैठ जाती यहाँ तक कि जब उसे एक

لِزَيْنَبَ مَا رَأْسُ الْحَوْلِ قَالَتْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ .

साल गुज़र जाता तो वह निकलती और अपने पीछे मेंगनी फेंकती।

(3570) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5734.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ ‏"‏ ‏.‏

(3571) हज़रत ज़ैनब से रिवायत है कि एक औरत ने हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) से पूछा कि क्या औरत अपने ख़ाविन्द की इद्दते वफ़ात के दौरान में सुरमा डाल सकती है? वह कहने लगीं कि एक औरत नबी(ﷺ) के पास आई थी और उसने इसके मुताल्लिक़ पूछा था। आपने फ़रमाया था: 'दौरे जाहिलियत में जब किसी औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाता था तो वह एक साल तक ठहरी रहती थी, फिर अपने पीछे मेंगनी फेंकती और निकलती। अब तो इद्दत सिर्फ़ चार माह दस दिन है, लिहाज़ा वह सुरमा नहीं डाल सकती यहाँ तक कि ये मुद्दत गुज़र जाये।'

(3571) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5735.

باب : (٦٨)
الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ لِلْحَادَّةِ

बाब : (68)
सोग वाली औरत कुस्त और अज़फ़ार ख़ुशबू इस्तेमाल कर सकती है?

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، - هُوَ الدُّورِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ

(3572) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उस औरत को जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो, तुहर के वक़्त कुस्त और अज़फ़ार ख़ुशबू इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है।

عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ .

(3572) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 2291, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5736, देखें, हदीस: 3566.

फ़ायदा : कुस्त और अज़्फ़ार ख़ूशबू की अक़साम (किस्में) हैं जो उस दौर में इस्तेमाल होती थीं। दूसरी ख़ूशबूओं का भी यही हुक्म है। इद्दत के दौरान में उनका इस्तेमाल मना है, अलबत्ता हैज़ के इख़्तिताम पर जायज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3564)

باب : (٦٩)
نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

बाब : (69)
जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसे अख़राजात नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके लिये विरासत मुक़र्रर कर दी गई है

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

(3573) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने अल्लाह तआला के इस फ़रमान (वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौन मिन्कुम ....) 'जो लोग क़रीबुल मर्ग हों और उनकी बीवियाँ ज़िन्दा हों तो वह मरने से पहले अपनी बीवियों के लिये वसियत कर जायें कि उन्हें एक साल तक अख़राजात दिये जायें, और उन्हें घर से न निकाला जाये।' के बारे में फ़रमाया कि ये हुक्म विरासत की आयत से मन्सूख़ है जिसमें उनके लिये चौथा या आठवाँ हिस्सा मुक़र्रर किया गया है। और एक साल की मुद्दत भी मन्सूख़ है क्योंकि उनकी इद्दत चार माह दस दिन तक मुक़र्रर कर दी गई है।

(3573) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2698, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5737.

फ़ायदा : ये आयत हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के नज़दीक तो मन्सूख़ है मगर कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये हुस्ने सुलूक की एक सूरत है कि ख़ाविन्द वसीयत कर जाये कि मेरी बीवी को एक साल तक

घर से निकाला न जाये ताकि उसे परेशानी न हो, जब वह अपना इन्तेज़ाम कर ले तो मुन्तक़िल हो जाये। अलबता ये वाजिब नहीं और न लवाहिक़ीन के लिये इस पर अ़मल वाजिब है। चूंकि औ़रत का हिस्स-ए-विरास़त मुक़र्रर कर दिया गया है, लिहाज़ा उसे दौराने इद्दत अख़राजात देना लवाहिक़ीन के लिये ज़रूरी नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } قَالَ نَسَخَتْهَا { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }

(3574) हज़रत इक्रिमा ने अल्लाह तआला के फ़रमान: (वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौन मिन्कुम ....) 'जो लोग क़रीबुल मर्ग हों और उनकी बीवियाँ ज़िन्दा हों तो वह मरने से पहले अपनी बीवियों के लिये वस़ियत कर जायें कि उन्हें एक साल तक अख़राजात दिये जायें और उन्हें घर से न निकाला जाये।' के बारे में फ़रमाया कि इस आयत को इस (दूसरी) आयत ने मन्सूख़ कर दिया: (वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिन्कुम ....) 'जो लोग फ़ौत हो जायें और उनकी बीवियाँ ज़िन्दा हों तो बीवियाँ चार माह दस दिन तक अपने आपको (इधर उधर जाने, ज़ेब व ज़ीनत करने और निकाह वग़ैरह से) रोक कर रखें।'

(3574) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5738, पिछली हदीस़ देखें।

باب(٧٠): الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا

बाब : (70) जिस औ़रत को तलाक़े बाइन हो चुकी हो, वह दौराने इद्दत अपने घर से किसी दूसरी जगह जा सकती है

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أَخْبَرَتْهُ

(3575) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन आ़स़िम से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ), जो कि बनू मख़ज़ूम के एक आदमी के निकाह में थी, ने मुझे बताया कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे आख़री तलाक़ दे दी। वह किसी जंग को गये हुए

थे। उन्होंने अपने वकील को हुक्म दिया कि मुझे कुछ अख़राजात वग़ैरह अदा करे। मैंने उन्हें कम महसूस किया। मैं नबी (ﷺ) की किसी ज़ोज-ए-मुतह्हरा के पास गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैं उनके पास ही थी। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये फ़ातिमा बिन्ते क़ैस है। इसके ख़ाविन्द ने इसे तलाक़ दे दी है और कुछ अख़राजात भी भेजे हैं लेकिन उसने (कम समझ कर) क़बूल नहीं किये जब कि ख़ाविन्द का ख़्याल है कि मैंने ये भी बतौर एहसान भेजा है। आपने फ़रमाया: 'वह दुरुस्त कहता है।' फिर आपने फ़रमाया: 'तू उम्मे कुल्सूम के घर चली जा और वहाँ इद्दत गुज़ार।' फिर आपने फ़रमाया: 'उम्मे कुल्सूम के पास आने जाने वालों की कसरत रहती है, लिहाज़ा तू अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम के यहाँ मुन्तक़िल हो जा। वह नाबीना शख़्स है।' मैं उनके घर मुन्तक़िल हो गई और वहीं इद्दत गुज़ारी। जब इद्दत ख़त्म हुई तो अबू जहम और मुआविया बिन अबू सुफ़ियान ने मुझे निकाह के पैग़ाम भेजे। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपसे इस बारे में मश्वरा किया तो आपने फ़रमाया: 'अबू जहम के बारे में तो मुझे ख़तरा है कि उसकी लाठी हर वक़्त हरकत में रहेगी। बाक़ी रहा मुआविया! तो वह माली लिहाज़ से फ़क़ीर है।' बाद में मैंने हज़रत उसामा (رضي الله عنه) से निकाह कर लिया।

(3575) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3247, मुसनद अहमद: 6/414, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5739.

وَكَانَتْ، عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَتَقَالَّتْهَا فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلاَنٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ شَىْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ امْرَأَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى " . فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ " أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ " . فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

फ़ायदा : फ़ायदा: 'उम्मे कुल्सूम' ये दुरुस्त नहीं। दीगर रिवायात में 'उम्मे शरीक' ज़िक्र है और यही दुरुस्त है। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस़: 3224, 3239, 3246, 3247)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ . فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

(3576) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं अबू अम्र बिन हफ़्स़ बिन मुग़ीरा के निकाह में थी। उन्होंने मुझे तीन में से आख़री तलाक़ भेज दी। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल होने के बारे में पूछा। आपने मुझे हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (जो नाबीने थे) के घर मुन्तक़िल होने के लिये फ़रमाया। मरवान ने (अपने दौरे हुकूमत में) हज़रत फ़ातिमा की इस मसले में तस्दीक़ नहीं की कि ऐसी मुतल्लक़ा ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल हो सकती है। उर्वा कहते हैं कि हज़रत आयशा(ﷺ) ने भी हज़रत फ़ातिमा की इस बात को तस्लीम नहीं किया था।

(3576) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5740.

फ़ायदा : देखिये साबिक़ा हदीस़ के हवाला जात।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ . فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ .

(3577) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से मन्क़ूल है, कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीन तलाक़ें दे दी हैं (यानी अलग अलग) मुझसे ख़तरा है कि कोई चोर चकार दीवार न फलाँग आये, लिहाज़ा आपने मुझे इजाज़त दे दी और मैं ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल हो गई।

तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5741.

फ़ायदा : ख़ाविन्द का घर आबादी से दूर था। ख़ाविन्द घर में नहीं था। औरत जवान थी। गोया कई ख़तरात थे।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ، - بَصْرِيٌّ - عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَذَكَرَ، آخَرِينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

(3578) हज़रत शअ़बी से रिवायत है कि मैं हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे उनके बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़ैसले की बाबत पूछा तो उन्होंने बताया: मुझे मेरे ख़ाविन्द ने आख़री तलाक़ दे दी थी। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की अ़दालते आ़लिया में इसके ख़िलाफ़ रिहाइश व अख़राजात (दौराने इद्दत) का दावा कर दिया लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे रिहाइश व अख़राजात नहीं दिलवाये और मुझे इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया।

(3578) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5742.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، - هُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ " . فَحَصَبَهُ الأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا . قَالَ عُمَرُ إِنْ جِئْتِ

(3579) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से रिवायत है, कहती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तलाक़ दे दी। मैंने ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल होने का इरादा कर लिया। चुनांचे मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो आपने फ़रमाया: :अपने चचा के बेटे अ़म्र बिन उम्मे मक्तूम के घर मुन्तक़िल हो जा और वहाँ इद्दत पूरी कर।' (ये सुनकर) हज़रत अस्वद ने हज़रत शअ़बी को कंकर मार कर कहा: तू मरे! ऐसा फ़तवा क्यूँ देता है? हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया था: अगर तू दो गवाह ले आये जो गवाही दें कि वाक़ेअ़तन रसूलुल्लाह (ﷺ) से हमने ये बात सुनी है तो ठीक वरना हम एक औरत

بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلاَّ لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } .

के कहने से अल्लाह तआला की किताब का ये हुक्म नहीं छोड़ सकते: (ला तुख़्रिजूहुन्ना ....) 'मुतल्लक़ा औरतों को घरों से न निकालो और न वह ख़ुद मुन्तक़िल हों, मगर ये कि वह किसी वाज़ेह बुराई का इर्तिकाब कर बैठें।'

(3579) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5743.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस पर मुकम्मल बहस और इस मसले की पूरी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 3224 **(2)** हज़रत उमर (ﷺ) हर हदीस के लिये ये ज़रूरी नहीं समझते थे कि दो शख़्स गवाही दें, तब क़बूल होगी बल्कि वह इस रिवायत को अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ अक़्ल व नक़ल के यक्सर ख़िलाफ़ समझते थे अगरचे उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त न था जैसा कि ऊपर गुज़रा, इसलिये ये फ़रमाया, वरना बहुत से मक़ामात पर एक आदमी की रिवायत को उन्होंने क़बूल फ़रमाया है और अमल किया है, जैसे: मजूस से जिज़्या वसूल करने और ताऊन के इलाक़े से निकलने के बारे में रिवायात।

باب: (٧١) خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ

बाब : (71) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, वह दौराने इद्दत दिन के वक़्त घर से निकल सकती है

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

(3580) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरी ख़ाला को तलाक़ हो गई। उन्होंने अपने नख़लिस्तान में जाना चाहा। एक आदमी उन्हें मिला तो उसने उन्हें रोक दिया। वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो आपने फ़रमाया: 'तू जाकर अपनी खजूरों का फल तोड़ सकती है? हो सकता है तू उससे सदक़ा करे या कोई और नेक काम करे।'

(3580) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5744.

फ़ायदा : ज़रूरत हो तो सोग वाली औरत घर और खेत में काम कर सकती है। मुमकिन है कोई और काम करने वाला न हो। शरीयत लोगों की ज़रूरियात और मजबूरियों का बहुत लिहाज़ रखती है।

बाब : (72) मुतल्लक़ा बायना (जिससे रुजूअ नहीं हो सकता) का नान व नफ़्क़ा (ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं)

باب : (٧٢) نَفَقَةِ الْبَائِنَةِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً - قَالَتْ - فَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيرٍ وَخَمْسَةٌ تَمْرٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " صَدَقَ " . وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلاَنٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا .

(3581) हज़रत अबू बक्र बिन हफ़्स ने कहा कि मैं और हज़रत अबू सलमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) के पास हाज़िर हुए। वह फ़रमाने लगीं: मुझे मेरे ख़ाविन्द ने आख़री तलाक़ दे दी, मुझे रिहाइश और पूरा नफ़्क़ा न दिया बल्कि अपने एक चचाज़ाद भाई के पास मेरे लिये दस क़फ़ीज़ रख छोड़े: पाँच गंदूम के और पाँच जौ के। चुनांचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और इस बारे में बात की तो आपने फ़रमाया: 'वह दुरुस्त कहता है।' और मुझे किसी के घर में इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया। उन्हें उनके ख़ाविन्द ने तलाक़े बाइना (जिसके बाद जिमाअ मुमकिन न हो) दे दी थी।

(3581) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5745.

फ़ायदा : क़फ़ीज़ एक पैमाना है जो तक़रीबन 25 किलो के बराबर है। (मुताल्लिक़ा मसला देखिये: हदीस: 3224, 3579 में)

बाब : (73) मुतल्लक़ा बाइना हामिला हो तो उसका नान व नफ़्क़ा

باب(٧٣): نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

(3582) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन उस्मान ने सईद बिन ज़ैद की बेटी को बत्ता (तीसरी) तलाक़ दे दी। उसकी वालिदा का नाम

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - وَأُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - الْبَتَّةَ فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذَلِكَ، مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا بِالانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو لَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلاَقِهَا فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالاَ وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلاَّ بِإِذْنِنَا . فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا

हमना बिन्ते क़ैस था। चुनांचे उसकी ख़ाला फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) ने उसे अब्दुल्लाह बिन अम्र के घर से मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया। हज़रत मरवान ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने उसे पैग़ाम भेजा और इद्दत ख़त्म होने तक वापस अपने घर जाने का हुक्म दिया। उसने उन्हें वापसी पैग़ाम भेजा कि मुझे मेरी ख़ाला हज़रत फ़ातिमा ने ये फ़तवा दिया है और बताया है कि जब उन्हें उनके ख़ाविन्द अबू अम्र बिन हफ़्स मख़्ज़ूमी ने तलाक़ दे दी थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया था। हज़रत मरवान ने हज़रत क़बीसा बिन ज़ुऐब को हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ भेजा और इसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मैं हज़रत अबू अम्र के निकाह में थी। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत अली (ﷺ) को यमन में अमीर मुक़र्रर फ़रमाया तो मेरा ख़ाविन्द भी उनके साथ गया और वहाँ से उसने तलाक़ भेज दी और ये आख़री तलाक़ थी जो बाक़ी थी, और उसने हज़रात हारिस़ बिन हिशाम और अयाश बिन अबी रबीया को मुझे नफ़्क़ा देने को कहा। मैंने हज़रात हारिस़ व अयाश को पैग़ाम भेजा कि मेरे ख़ाविन्द का भेजा हुआ नान व नफ़्क़ा मुझे दें, तो उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हमारे ज़िम्मे तेरा कोई नफ़्क़ा नहीं मगर ये कि तू हामिला हो। और तू हमारी इजाज़त के बग़ैर हमारी रिहाइशगाह में भी नहीं रह सकती। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपसे सारी सूरते हाल बयान की तो आपने उनकी तस्दीक़ की। मैंने

أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " . وَهُوَ الأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَعَمَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कहाँ मुन्तक़िल हो जाऊँ? आपने फ़रमाया: : तू इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ चली जा।' वह नाबीना शख़्स हैं जिनकी वजह से अल्लाह तआला ने अपनी किताब (क़ुर्आन मजीद) में रसूलुल्लाह (ﷺ) पर इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया था। मैं उनके यहाँ मुन्तक़िल हो गई। मैं उनके यहाँ फ़ालतू कपड़े उतार सकती थी यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा निकाह हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضی الله عنه) से कर दिया।

(3582) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5746.

फ़ायदा : हमल की हालत में मुतल्लक़ा बायना नान व नफ़्क़ा की मुस्तहिक़ हे और इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है। रिवायत गुज़र चुकी है।

باب(٧٤): الأَقْرَاءِ

बाब : (74) क़ुरुअ का मफ़हूम

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِي - قَالَ - ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ "

(3583) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश(رضی الله عنها) ने बयान किया कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अपने (बेक़ायदा) ख़ून की शिकायत की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये एक बीमारी है। ग़ौर किया कर। जब तुझे हैज़ आये तो नमाज़ न पढ़ और जब तेरा हैज़ गुज़र जाये तो पाक हो और अगला हैज़ आने तक नमाज़ पढ़ती रह।'

(3583) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 280, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5747, अबी दाऊद, हदीस: 274-279, 281 वग़ैरह.

फ़ायदा : लफ़्ज़ 'कुरुअ' लुग़त के लिहाज़ से तुहर की हालत को भी कहते हैं और हैज़ को भी मगर क़ुर्आन व हदीस़ में ये जहाँ इस्तेमाल हुआ है हैज़ के मआनी में इस्तेमाल हुआ है। यही बात मुहक़्क़क़ है। ये हदीस़ किताबुत्तहारा में गुज़र चुकी है।

बाब : (75)
तीन तलाक़ों के बाद रुजूअ नहीं हो सकता

نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وَقَالَ { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ } الآيَةَ وَقَالَ { يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } إِلَى قَوْلِهِ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا } وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنَسَخَ ذَلِكَ

(3584) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से अल्लाह तआला के फ़रामीन (मा नन्सख़ मिन ....) 'जो आयत हम मन्सूख़ कर दें या भुला दें, हम उससे बेहतर या कम अज़ कम उस जैसी आयत और ले आते हैं' और (व इज़ा बद्दल्ना .....) 'जब हम किसी आयत की जगह कोई और आयत ले आते हैं और अल्लाह तआला अपनी उतारी हुई आयतों को ख़ूब जानता है ...अलख़' और (यम्हुल्लाहु .....) 'अल्लाह तआला जो चाहे मिटा देता है और जो चाहे बाक़ी रखता है और उसके पास ही अस़ल किताब है।' के बारे में फ़रमाया कि क़ुर्आन मजीद में सबसे पहले क़िब्ला मन्सूख़ हुआ। इसी तरह फ़रमायाः (वल मुतल्लक़ातु.....) 'तलाक़ शुदा औरतें तीन हैज़ तक अपने आपको रोक रखें और उनके लिये ये जायज़ नहीं कि उस चीज़ को छुपायें जो अल्लाह तआला ने उनके रहम में पैदा फ़रमाई है। (आख़री आयत तक) पहले ये दस्तूर था कि कोई आदमी जब अपनी बीवी को तलाक़ देता तो वह उससे रुजूअ का हक़ रखता था, चाहे तीन तलाक़ें ही दे चुका हो। अल्लाह तआला ने इस दस्तूर को मन्सूख़ फ़रमा दिया और फ़रमायाः (अत्तलाक़ु ......) 'रजई तलाक़ दो

وَقَالَ {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

दफ़ा ही है। रखना है तो अच्छे तरीक़े से रखे वरना अच्छे तरीक़े से छोड़ दे।'

(3584) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2195, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5748.

फ़ायदा : तलाक़ से रुजूअ स़िर्फ़ दो दफ़ा ही मुमकिन है, तीसरी दफ़ा तलाक़ देने से औरत हराम हो जाती है। न रुजूअ न निकाह। ये मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है। जाहिलियत के रिवाज में औरतों के लिये बड़ी मुसीबत थी।

باب(٧٦): الرَّجْعَةِ

बाब : (76) रुजूअ का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي - فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " . قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

(3585) हज़रत यूनुस बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी जब कि वह हैज़ से थी। हज़रत उमर (ﷺ) नबी (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हुए और आपको ये बात बताई तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे कहो कि इससे रुजूअ करे। जब वह पाक हो जाये तो फिर चाहे तो तलाक़ दे दे।' मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा कि क्या वह तलाक़ शुमार की गई? उन्होंने फ़रमाया: और क्या! तुम बताओ कि अगर तलाक़ देने वाला स़ही तलाक़ से आजिज़ रहा और उसने हिमाक़त कर दी तो क्या तलाक़ शुमार नहीं होगी?

(3585) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3428, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5749.

फ़ायदा : 'जब वह पाक हो जाये' दीगर रिवायात में स़राहत है कि वह पाक हो, फिर दोबारा हैज़ आये, फिर पाक हो तो अब अगर वह चाहे तो तलाक़ दे दे, चाहे तो रख ले। और ये दरम्यान वाला तुहर अमली रुजूअ के लिये है। हैज़ के दौरान में तो स़िर्फ़ ज़बानी रुजूअ ही हो सकता है। (मज़ीद तफ़स़ील के लिये देखिये, हदीस़: 3418)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رضى الله عنه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلاَقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ " . قَالَ تَعَالَى { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .

(3586) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत उमर(ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये बात ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'इसे कहो कि इससे रुजूअ करे यहाँ तक कि उसे एक हैज़ और आये, फिर जब वह पाक हो जाये तो अगर वह चाहे तो उसे तलाक़ दे दे, चाहे रख ले। ये वह तलाक़ है जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (फ़तल्लिक़ूहुन्ना .....) 'औरतों को उनके सही वक़्त में तलाक़ दो।'

(3586) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3418, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5750, 5751.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ

(3587) हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) से रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से जब उस शख़्स के बारे में पूछा जाता जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो वह फ़रमाते: अगर उसने पहली या दूसरी तलाक़ दी है तो (वह रुजूअ करे क्योंकि) मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि उससे रुजूअ कर, फिर उसे अपने पास रख यहाँ तक कि उसे एक और हैज़ आये, फिर वह पाक हो तो अब चाहे तो उसे जिमाअ से पहले तलाक़ दे दे। और अगर तूने तीसरी तलाक़ दी है तो तूने औरत को तलाक़ देने के बारे में अल्लाह तआला के हुक्म की

بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .

नाफ़रमानी की है। और तेरी बीवी तुझ से जुदा हो गई।

(3587) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1471/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5752.

फ़ायदा : 'नाफ़रमानी की है' यानी हैज़ की हालत में तलाक़ दे कर लेकिन वह तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी। चूंकि ये तीसरी तलाक़ है, लिहाज़ा उनमें अब्दी जुदाई हो जायेगी।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، - مَرْوَزِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعَهَا .

(3588) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें रुजूअ का हुक्म दिया, लिहाज़ा उन्होंने रुजूअ कर लिया।

(3588) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 2/61, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5753.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ . وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا .

(3589) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दी थी। उन्होंने फ़रमाया: तू अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: उसने भी अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। फिर हज़रत उमर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और आपको ये बात बताई, चुनांचे आपने उसे हुक्म दिया कि उससे रुजूअ करे यहाँ तक कि वह पाक हो तो फिर चाहे तो तलाक़ दे दे।

(रावि-ए-हदीस अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने कहा कि) मैंने उससे ज़्यादा, उस (अपने बाप) से नहीं सुना।

(3589) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1471/13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5754.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(3590) हज़रत उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हफ़्सा को तलाक़ दे दी थी, फिर आपने रुजूअ़ फ़रमा लिया था। वल्लाहु आ़लम!

(3590) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 2283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5755.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस वाक़िये की तफ़्सील किसी हदीस़ में ज़िक्र नहीं। अग़लब गुमान ये है कि इराद-ए-तलाक़ मुराद है वरना तलाक़ दी होती तो हरमे नबवी के बारे में ऐसी ख़बर इतनी गुमनाम न रहती बल्कि मदीना में धूम मच जाती। आप ने एक महीने के लिये अलग रहने की क़सम खाई थी तो उसी सुबह मदीना मुनव्वरा और मस्जिदे नबवी के दरो दीवार लोगों की चीख़ों से गूंज उठे थे। ये सांहा तो मख़्फ़ी रह ही नहीं सकता था। किसी हदीस़ के मआ़नी मुतय्यन करने के लिये वाक़ेआ़ती शहादत का लिहाज़ भी ज़रूरी है। **(2)** बाब का मक़सद ये मालूम होता है कि तलाक़ के बाद रुजूअ़ मशरूअ़ है। जिस तरह ख़ाविन्द तलाक़ के बारे में ख़ुद मुख़्तार है, इसी तरह रुजूअ़ के बारे में भी ख़ुद मुख़्तार है। रुजूअ़ के लिये औरत की रज़ामन्दी ज़रूरी नहीं, अलबत्ता तीसरी तलाक़, लिआ़न और ख़ुलअ़ के बाद रुजूअ़ नहीं हो सकता। इसी तरह जिस औरत को जिमाअ़ से पहले तलाक़ हो जाये उससे भी रुजूअ़ मुमकिन नहीं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الخيل وَالسَّبَقِ وَالرَّمى

घोड़ों, घूड़ दौड़ पर इनाम और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

बाब : (1) क़यामत तक घोड़े की पेशानी में ख़ैर व बरकत रख दी गई है

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْمُرِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلاَحَ وَقَالُوا لاَ جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ وَقَالَ

(3591) हज़रत सलमा बिन नुफ़ैल किंदी (ﷺ) से मरवी है कि मैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा था कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों ने घोड़ों को अहमियत देना छोड़ दी है और उन्होंने हथियार रख दिये हैं और वह कहने लगे हैं: अब जिहाद नहीं रहा। जंग ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना चेहर-ए-अनवर लोगों की तरफ़ किया और इरशाद फ़रमाया: 'वह ग़लत कहते हैं। जिहाद तो अब फ़र्ज़ हुआ है और मेरी उम्मत का एक अज़ीम गिरोह हक़ (को ग़ालिब करने) के लिये लड़ता रहेगा। अल्लाह तआला उनसे लड़ने के लिये बहुत से लोगों के दिल कुफ़्र की तरफ़ माइल करता रहेगा और अल्लाह तआला उन्हें उनसे रिज़्क़ अता फ़रमाता रहेगा यहाँ तक कि क़यामत क़ाइम हो जाये और अल्लाह तआला का (ग़ल्बे वाला) वादा पूरा हो जाये।

" كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ " .

और (जिहाद की नियत से रखे गये) घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई है। मुझे वह्य की गई है कि मैं दुनिया में रहने वाला नहीं बल्कि अनक़रीब फ़ौत हो जाऊँगा, और तुम मेरे बाद गिरोहों में बट जाओगे और एक दूसरे की गर्दनें काटोगे। और (क़ुर्बे क़यामत फ़ित्नों के दौर में) ईमान वालों का अस्ल मर्कज़ शाम होगा।

(3591) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी: 7/52, हदीस: 6357, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4401.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जंग हो चुकी' क्योंकि जज़ीर-ए-अरब शिर्क से पाक हो गया है और बैतुल्लाह मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया है। **(2)** 'जिहाद तो अब शुरू हुआ है' अब तक तो अपने इलाक़े में जिहाद था। अजनबी इलाक़ों में जिहाद तो अब शुरू होगा। या मआनी ये हैं कि अभी तो जिहाद फ़र्ज़ हुए थोड़ी देर हुई है इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है? **(3)** 'ख़ैर' इज़्ज़त, दबदबा, रौब, सवाब और ग़नीमत वग़ैरह। **(4)** 'शाम होगा' कुछ दीगर रिवायात से भी मालूम होता है कि क़ुर्बे क़यामत शाम का इलाक़ा मोमिनीन के लिये फ़तह का मक़ाम होगा। मक्का मदीना में तो लड़ाई होगी ही नहीं। इस हदीस में गोया इशारा है कि अहले इस्लाम के लिये फ़ित्नों के दौर में शाम अमन और सलामती की जगह होगी। **(5)** इस हदीस में जिहाद के लिये रखे गये घोड़ों की दूसरे जानवरों पर फ़ज़ीलत साबित होती है क्योंकि उनके अलावा किसी जानवर की फ़ज़ीलत साबित नहीं, और ऐसे घोड़ों के ज़रिये से हासिल किया हुआ माल भी बेहतरीन मालों में से है। **(6)** इसमें इस्लाम, जिहाद और अहले इस्लाम के क़यामत तक बाक़ी रहने की ख़ुशख़बरी है और मुसलमानों की आपस में लड़ाई के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) की पेशीनगोई का भी ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(3592) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत तक के लिये (जिहाद के लिये रखे गये) घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर रख दी गई है। घोड़े तीन क़िस्म के होते हैं: कुछ तो आदमी के लिये सवाब का

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سَتْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ وَلاَ تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

ज़रिया हैं, कुछ पर्दापोशी का काम देते हैं और कुछ गुनाह का सबब हैं। सवाब तो उस शख़्स के लिये है जो उन्हें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये वक़्फ़ कर देता है बल्कि वह उन्हें पालता ही जिहाद के लिये है। ऐसे घोड़े जो भी अपने पेट में डालें, उसके ऐवज़ में उस शख़्स के लिये सवाब लिखा जाता है और अगर कोई चरागाह सामने आ जाये ..... अलख़'

(3592) तख़रीज : **(सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4402.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ

(3593) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घोड़े किसी शख़्स के लिये सवाब का ज़रिया हैं, किसी के लिये पर्दा पोशी का सबब हैं और किसी के लिये गुनाह का मोजिब हैं। सवाब उस शख़्स के लिये है जिसने उन्हें जिहाद के लिये बाँध रखा है और चरागाह और बाग़ीचे में उनकी रस्सी फ़राख़ कर रखी है। वह रस्सी में बँधे हुए उस चरागाह और बाग़ीचे से जो कुछ भी खायें पीयेंगे, वह उसके लिये नेकियाँ ही नेकियाँ हैं। और अगर वह रस्सी तुड़ा कर एक दो टीले तक इधर उधर भाग जायें तो उनके निशानाते क़दम यहाँ तक कि उनकी लीद भी उसकी नेकियों में इज़ाफ़े का सबब है और अगर वह किसी नहर और दरिया के पास से गुज़रते वक़्त पानी पी लें, ख़्वाह उसने उन्हें पानी पिलाने का इरादा न किया हो, तो वह पानी भी उसके

فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا " . وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ " وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ " . وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَمِيرِ فَقَالَ " لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} " .

लिये नेकियाँ बन जायेगा। ये तो सवाब वाले घोड़े हैं। और जिस आदमी ने उन्हें अपने फ़ायदे के लिये बाँधा कि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज़ न करना पड़े, उसके साथ साथ उसने उन घोड़ों और उनकी सवारी के मसले में अल्लाह तआला का हक़ फ़रामूश नहीं किया, ये उस शख़्स के लिये पर्दापोश हैं। और जिस शख़्स ने फ़ख़्र, रियाकारी और अहले इस्लाम की मुख़ालिफ़त की ग़र्ज़ से घोड़े बाँधे, तो ये उसके लिये गुनाह का मोजिब होंगे।' नबी (ﷺ) से गधे (पालने) के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'उनके बारे में मुझ पर कोई मख़्सूस वह्य तो नहीं उतरी, अलबत्ता ये वाहिद जामेअ आयत मौजूद है: (फ़मय्यअ्मल मिस्क़ाल ज़र्रतिन) 'जो शख़्स ज़र्रा भर नेकी करेगा, उसकी जज़ा पा लेगा और जो ज़र्रा भर बुराई करेगा, उसकी सज़ा पा लेगा।'

(3593) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2371, मुस्लिम, हदीस: 24/987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4403.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नेक नियती' मामूल के कामों को भी सवाब का ज़रिया बना देती है, ख़्वाह इन्सान जुज़इयात में सवाब की नियत न भी करे। इसी तरह बदनियती नेकी के कामों को भी अज़ाब का ज़रिया बना देती है। **(2)** 'अल्लाह तआला का हक़ फ़रामूश नहीं किया' अल्लाह के हक़ से मुराद घोड़े की मुनासिब देख भाल करना, ताक़त से ज़्यादा काम न लेना, ज़रूरतमन्द को सवारी के लिये देना, और नेकी और ख़ैर के दूसरे कामों के लिये देना है। कुछ ने इससे मुराद घोड़ों की ज़कात अदा करना भी लिया है, ताहम पहला मफ़हूम ही दुरुस्त है क्योंकि घोड़ों पर ज़कात नहीं है, बशर्ते कि उन्हें तिजारती मक़सद के लिये न रखा हुआ हो। **(3)** इन्सान हो या जानवर, सबसे अच्छे तरीक़े से पेश आना चाहिए और जो किसी के साथ नेकी करता है तो अल्लाह तआला उसे ज़ाया नहीं करता बल्कि पूरा अज्र देता है।

बाब : (2)
घोड़ों से मोहब्बत का बयान

باب(٢): حُبِّ الْخَيْلِ

(3594) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को बीवियों के बाद कोई चीज़ घोड़ों से बढ़ कर महबूब नहीं थी।

(3594) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4404, देखें, हदीस़: 1086, हदीस़: 34.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ .

बाब : (3)
किस रंग व सूरत के घोड़े अच्छे होते हैं?

باب(٣): مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْلِ

(3595) हज़रत अबू वहब (ﷺ) से रिवायत है ..... और वह सहाबी थे ...... कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अम्बिया (ﷺ) के नाम अपनाओ। अल्लाह (ﷻ) को सबसे ज़्यादा प्यारे नाम अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान हैं। (जिहाद के लिये) घोड़े रखा करो और (प्यार से) उनकी पेशानियों और पुश्तों पर हाथ फेरा करो। उनके गले में हार डाला करो लेकिन तंदी न डालो, और क़रमज़ी ग के घोड़े रखा करो जिनकी पेशानी और हाथ पाँव सफ़ेद हों या इस तरह के सुर्ख़ या स्याह घोड़े रखो। (यानी उनकी पेशानी और हाथ पाँव सफ़ेद हों)'

(3595) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4406.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَّازُ، هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाम का भी शख़्सियत पर असर होता है, लिहाज़ा नाम अच्छा रखना चाहिए। हदीस़ का वह हिस़्सा जिसमें अम्बिया (ﷺ) के नाम रखने का हुक्म है वह ज़ईफ़ है, ताहम

अम्बिया वाले नाम रखने में कोई हर्ज नहीं बल्कि मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने बेटे का नाम इब्राहीम रखा था। ज़ाती तौर पर अम्बिया (عليهم السلام) के नाम अफ़ज़ल हैं और अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखना उनसे मोहब्बत की अलामत है। लेकिन मआनी के लिहाज़ से अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान अफ़ज़ल हैं जैसा कि सही हदीस़ में है क्योंकि इनमें ऐतराफ़े अ़ब्दियत है। इन जैसे दीगर नामों, जैसे: अ़ब्दुर्रहीम, अ़ब्दुल हमीद वग़ैरह का भी इन्शाअल्लाह यही हुक्म है। वल्लाहू आलम! **(2)** 'हाथ फेरा करो' दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि उनहें साफ़ सुथरा रखा करो, उनकी ख़ूब देख भाल किया करो। **(3)** 'तंदी न डालो' क्योंकि ये सख़्त और तेज़ होती है, इससे गला कटने का ख़तरा होता है। **(4)** 'क़रमज़ी' स्याह व सुर्ख़ दोनों रंगों के इम्तियाज़ (मिलने) से ये रंग बनता है। इस क़िस्म के घोड़ों का बेहतर साबित होना तजुर्बे की बुनियाद पर था न कि वह्य से। किसी और इलाक़े और ज़माने में इसके ख़िलाफ़ भी मुमकिन है। वैसे इन रंगों के घोड़े ख़ूबसूरत मालूम होते हैं। माथे पर फूल की तरह सफ़ेदी और चारों पाँव घुटनों से नीचे सफ़ेद, क्या ही भले लगते हैं!

बाब : (4) घोड़ों में शिकाल

باب(٤): الشِّكَالِ فِي الْخَيْلِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ . وَاللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ .

(3596) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) घोड़े में शिकाल को पसन्द नहीं फ़रमाते थे।

अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊद के हैं।

(3596) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 102/1875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4407.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) के इस रिवायत में दो उस्ताद हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और इस्माईल बिन मसऊ़द। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊ़द के हैं। इस्हाक़ बिन इब्राहीम का सियाक़ इससे कुछ मुख़्तलिफ़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

(3597) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने घोड़े में शिकाल को नापसन्द फ़रमाया है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ أَنْ تَكُونَ ثَلاَثٌ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلاَثَةُ مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلاَّ فِي رِجْلٍ وَلاَ يَكُونُ فِي الْيَدِ .

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि शिकाल ये है कि तीन पाँव तो सफ़ेद हों मगर एक आ़म रंग का हो। या तीन पाँव आ़म रंग के हों और एक सफ़ेद हो, और शिकाल पाँव में होता है, हाथों में नहीं।

(3597) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 102/1875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4408.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) का घोड़ों में शिकाल को नापसन्द करना दो वजूहात की बिना पर हो सकता है: ○ मुमकिन है उस दौर का तजुर्बा शाहिद हो कि ऐसे घोड़े जंग में इतने मुफ़ीद नहीं होते। ○ अ़रबी ज़बान में शिकाल घोड़े की तीन टाँगों को बाँधने को कहते हैं। इस तरह लफ़्ज़ शिकाल में कोई, अच्छा तफ़ावुल नहीं पाया जाता, इसलिये मुमकिन है आपने इस ज़ाहिरी मआ़नी की वजह से नापसन्द फ़रमाया हो। इसकी मिस़ाल ये है कि बच्चे की पैदाइश पर जानवर ज़बह करना सुन्नत है लेकिन आपने उसके लिये लफ़्ज़ अ़क़ीक़ा नापसन्द फ़रमाया क्योंकि इसमें अ़क़ूक़ (नाफ़रमानी) का मआ़नी मुतबादिर है। **(2)** 'शिकाल' की और भी कई तारीफ़ें की गई हैं जिनकी तफ़्स़ील शुरूहाते हदीस़ में मौजूद है। आज कल भी जंगों में घोड़ों की काफ़ी अहमियत है अगरचे लड़ाई की नोईयत बदल चुकी है।

باب(٥): شُؤْمِ الْخَيْلِ

बाब : (5) कोई घोड़ा मन्हूस हो सकता है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ " .

(3598) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه)) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन चीज़ों में नहूसत हो सकती है: औ़रत, घोड़ा और घर।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 116/2225, बुख़ारी, 2858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4409.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में है कि अगर नहूसत किसी चीज़ में होती तो इन तीन चीज़ों में होती, इसलिये कुछ हज़रात ने तो इस पैराय-ए-कलाम से नफ़ी मुराद ली है चूंकि इन तीन चीज़ों में नहूसत नहीं है, लिहाज़ा नहूसत का कोई वजूद नहीं। लेकिन बहुत सी अहादीस़ में नहूसत स़ाबित की गई है। ज़रूरी नहीं

कि तमाम अहादीस़ एक ही मआनी की हों, वरना उनके राविंयों पर वहम का इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा जिसकी कोई दलील नहीं, याद रहे सही यही है कि इन चीज़ों में नहूसत मुमकिन है, अलबत्ता इमाम मालिक (رحمہ اللہ) के नज़दीक नहूसत से कोई ऐसा मख़्फ़ी वस्फ़ मुराद है जिसकी बिना पर वह औरत, घोड़ा या घर नुक़सान का सबब बनते रहते हैं और वह मख़्फ़ी वस्फ़ अल्लाह तआला ही का पैदाकर्दा है, लिहाज़ा इस तसव्वुर से अक़ीदे पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ेगी, जबकि कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने नहूसत की तोजीह कुछ दूसरी अहादीस़ ही से बयान की है कि औरत के अख़्लाक़ अच्छे न हों, बदज़बान हो, नाफ़रमान हो, झगड़ालू हो जिससे घर में बेचैनी और बेबरकती की फ़िज़ा छाई रहे। इसी तरह घोड़ा अड़ियल हो, हिदायत के उलट करता हो, हर वक़्त मार पीट की थकावट बरदाश्त करनी पड़े वग़ैरह जिसकी वजह से ज़हन परेशान रहे। इसी तरह घर का पड़ोस, माहौल, आब व हवा अच्छे न हों, यानी घर तंग हो, हवा और रोशनी का सही गुज़र न हो जिसकी बिना पर तफ़रीह तबअ हासिल न हो, बीमारियाँ हमलावर हों वग़ैरह। ये तौजीह भी बहुत मुनासिब है क्योंकि अहादीस़ इसकी ताईद करती हैं।

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ " .

(3599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घर, औरत और घोड़े में नहूसत मुमकिन है।'

(3599) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5093, मुस्लिम, हदीस़: 2225, पिछली हदीस़ देखें, मौता: 2/982, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4410, 4411,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ يَكُ فِي شَىْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ " .

(3600) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर नहूसत का वजूद है तो वह घर, घोड़े और औरत में हो सकती है।'

(3600) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 2227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4412.

बाब : (6) घोड़ों में बरकत होती है

باب(٦): بَرَكَةِ الْخَيْلِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ " .

(3601) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घोड़ों की पेशानियों में बरकत रख दी गई है।'

(3601) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1874, बुख़ारी, हदीस़: 2851, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4413.

फ़ायदा : इन घोड़ों से मुराद जिहाद में इस्तेमाल होने वाले घोड़े हैं। बरकत की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3591.

बाब : (7) घोड़ों की पेशानी के बाल बटना

باب(٧): فَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ " .

(3602) हज़रत जरीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप अपने घोड़े की पेशानी के बाल अपनी दो उँगलियों के दरम्यान बट रहे थे और फ़रमा रहे थे: 'घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई है, यानी स़वाब और ग़नीमत।'

(3602) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1872/97, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4414.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अपने दस्ते मुबारक से घोड़े के बाल बटना घोड़ों से मोहब्बत, प्यार और लगाव की बिना पर था। (2) 'क़यामत तक' इससे ये लाज़िमी नतीजा निकलता है कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, इसके अलावा इन अल्फ़ाज़ से ये हुक्म मुस्तफ़ाद होता है कि जिहाद करते रहना चाहिए, ख़्वाह हाकिम नेक हो या बुरा। (3) जिहाद में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का ख़ुसूसी ख़्याल रखा जाये, वह घोड़े हों या दीगर अस्लहा वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(3603) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'क़यामत तक के लिये घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर है।'

(3603) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1871, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4415.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(3604) हज़रत उर्वा बारिक़ी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई है।'

(3604) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1873/98, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2850, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4416.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ " .

(3605) हज़रत उर्वा बिन अबी अल जअ़द (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुनाः 'घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई है, यानी सवाब और माले ग़नीमत।'

(3605) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4417.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ" .

(3606) हज़रत उर्वा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुनाः 'क़यामत तक के लिये घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर रख दी गई है, यानी सवाब और माले ग़नीमत।'

(3606) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4418.

(3607) हज़रत उर्वा बिन अबी अल जअ़द(ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत तक घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर रख दी गई है, यानी सवाब और ग़नीमत।'

(3607) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3604, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4419.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ " .

फ़ायदा : घोड़ों का ज़िक्र ख़ुसूसन, इसलिये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में घोड़े जिहाद के लिये इन्तेहाई मुफ़ीद भी थे और नागुज़ीर भी और अब भी उनकी अफ़ादियत से इन्कार नहीं। आप का मक़सद मुसलमानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये हर वक़्त तैयार रहने की तर्ग़ीब दिलाना है। अब घोड़ों के अलावा जदीद जंगी अस्लहा और हथियारों की तैयारी व फ़राहमी ज़रूरी है।

बाब : (8) आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे सकता है

باب(٨): تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

(3608) हज़रत ख़ालिद बिन यज़ीद जुहनी से रिवायत है कि हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (ﷺ) मेरे पास से गुज़रते तो फ़रमाते: ख़ालिद! आओ बाहर जाकर तीर अन्दाज़ी करें। एक दिन मुझे ज़रा देर हो गई तो फ़रमाने लगे: खालिद! आओ मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई है। मैं उनके पास पहुँचा तो फ़रमाने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला एक तीर की वजह से तीन अश्ख़ास को जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा: एक तो तीर बनाने वाला, जो तीर बनाते वक़्त अच्छी (जिहाद या सवाब की) नियत रखता है। दूसरा तीर फेंकने वाला, और तीसरा तीर पकड़ाने वाला। तीर अन्दाज़ी (की

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ يَا خَالِدُ اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي . فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ

اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا " . أَوْ قَالَ " كَفَرَ بِهَا " .

मश्क़) किया करो और सवारी (की मश्क़) किया करो। और मेरे नज़दीक तीर अन्दाज़ी घुड़सवारी से ज़्यादा पसन्दीदा है। मुस्तहब खेल सिर्फ़ तीन हैं: आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे या अपनी बीवी से दिल लगी करे या अपने तीर कमान से तीर अन्दाज़ी (की मश्क़) करे। जिस आदमी ने तीर अन्दाज़ी सीखने के बाद उसे अहमियत न देते हुए छोड़ दिया तो उसने (अल्लाह तआला की) नेमत की नाशुक्री की।'

(3608) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2513, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4420, व सहीह अलहाकिम: 2/95.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पसन्दीदा है' क्योंकि तीर चलाना न आता हो तो घुड़सवारी बेफ़ायदा है, जबकि तीर अन्दाज़ी अकेली भी मुफ़ीद है। **(2)** 'मुस्तहब खेल' यानी उनमें सवाब हासिल होता है क्योंकि उनसे अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल होती है, जबकि दूसरे खेल सिर्फ़ जिस्मानी तफ़रीह का फ़ायदा देते हैं और इस जिस्मानी तफ़रीह का क्या फ़ायदा जो किसी काम न आये? अगर जिस्मानी तफ़रीह और वर्जिश जिहाद वग़ैरह में मुफ़ीद हों तो सवाब का मोजिब हैं। **(3)** 'नाशुक्री की' अलबत्ता अगर अपनी दीगर मसरूफ़ियात की बिना पर छोड़ा तो कोई हर्ज नहीं। **(4)** मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत की सनद को हसन क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने ख़ालिद बिन यज़ीद की जहालत की बिना पर इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम 'तीन खेल मुस्तहब हैं' वाला हिस्सा दीगर सही अहादीस से साबित है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई, 30/13 व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 3580)

बाब : (9) घोड़े की दुआ

باب(٩): دَعْوَةِ الْخَيْلِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ،

(3609) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर अरबी घोड़े को रात के आख़री हिस्से में दो दफ़ा इस दुआ की इजाज़त दी जाती है, ऐ अल्लाह! तूने इन्सानों में से जिस शख़्स को मेरा मालिक बनाया है और

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلاَّ يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ " .

मुझे उसके साथ ख़ास किया है, उसके यहाँ मुझे उसके अहल व माल में से महबूब तरीन चीज़ बना दे।'

(3609) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/170, व सहीह अल हाकिम: 2/92.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन व हदीस़ से सराहतन साबित होता है कि जानवर भी अपनी ज़बान में कलाम करते हैं। चूंकि हम उनकी ज़बान नहीं समझ सकते, लिहाज़ा हम उन्हें बेज़बान समझ लेते हैं ख़ुसूसन अल्लाह तआला से तो हर चीज़ ही कलाम करती है, लिहाज़ा हदीस़ में कोई इश्काल नहीं। **(2)** 'रात के आख़री हिस्से में' क्योंकि ये क़बूलियते दुआ का वक़्त होता है। **(3)** 'अरबी घोड़े' ये अल्फ़ाज़ ग़ालिबन उस ज़माने के ऐतबार से हैं वरना अज्मी घोड़ा अजमी ज़बान में दुआ करता होगा। वल्लाहु आलम!

التَّشْدِيدِ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

बाब : (10) घोड़ी को गधे से जुफ़्ती कराना सख़्त गुनाह है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه قَالَ أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ " .

(3610) हज़रत अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक ख़च्चर तोहफ़े में मिला। आप उस पर सवार हुए। मैंने कहा: अगर हम घोड़ी को गधे से जुफ़्ती करवा लें तो हमारे पास भी इस जैसा ख़च्चर हो जाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये काम तो बे'इल्म और जाहिल लोग करते हैं।'

(3610) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 2565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4421, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1639.

फ़वाइद व मसाइल : (1) घोड़ी और गधे के मिलाप से ख़च्चर पैदा होता है लेकिन इस हदीस़ में इस मिलाप को नापसन्द किया गया है, हालांकि क़ुर्आन मजीद में घोड़े और गधे के साथ ख़च्चर का ज़िक्र

भी बतौर एहसान किया गया है जिससे ख़च्चर के वजूद और उसके बतौर नस्ल बाक़ी रहने का जवाज़ मालूम होता है, इसलिये उ़लमा ने इस हदीस़ में मुमानिअ़त या नापसन्दीदगी के हुक्म को तन्ज़ीही क़रार दिया है या इसे इस सूरत पर महमूल क़रार दिया जायेगा जब उसकी वजह से घोड़ों की नस्ल और उसकी अफ़ज़ाइश मुतास्सिर हो क्योंकि घोड़ा ख़च्चर से ज़्यादा मुफ़ीद और ज़रूरी है, इसकी नस्ल में कमी नहीं आनी चाहिए। (2) इसको बे'इल्मों का काम क़रार देने से भी मतलब ख़च्चरों की अफ़ज़ाइश की हौस़ला शिकनी ही है। कुछ उ़लमा ने कहा है कि ख़ुद ये काम न किया जाये, अलबत्ता ख़च्चरों का इस्तेमाल जायज़ है।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لاَ . قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ قَالَ خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَثَةٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ .

(3611) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के पास बैठा था। इतने में एक आदमी ने उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ में क़िराअत फ़रमाते थे? उन्होंने कहा: नहीं। उस आदमी ने कहा: मुमकिन है कि आप दिल में पढ़ते हों? वह कहने लगे: अल्लाह करे तू ज़ख़्मी हो। ये तो पहली से बुरी बात है। रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह के बन्दे थे। अल्लाह तआ़ला ने आपको जो भी अहकाम दिये, आपने आगे पहुँचा दिये। अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम (अहले बैत) को लोगों से अलग कोई ख़ुसूसी हुक्म नहीं दिया मगर ये तीन चीज़ें (हों तो हों): आपने हमें हुक्म दिया कि हम वुज़ू अच्छी तरह करें, हम स़दक़ा न खायें और घोड़ी को गधे से जुफ़्ती न करायें।

(3611) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 141, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4422.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नहीं' स़हाब-ए-किराम (ﷺ) में से सिर्फ़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) इस ख़्याल में मुतफ़र्रिद (तन्हा) हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर और अ़स्र में मुत्लक़न क़िराअत नहीं करते थे। ऊँची न आहिस्ता। दीगर स़हाबा से स़राहत ला'इल्मी पर महमूल किया जायेगा। ग़लती से अल्लाह

तआला ही पाक है। (2) 'ज़ख़्मी हो' नाराज़ी से फ़रमाया, हालांकि उस शख़्स की बात बजा थी। आप के ऊँचा न पढ़ने से ये इस्तेदलाल कैसे किया जा सकता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे? बाक़ी सारी नमाज़ भी तो आहिस्ता ही पढ़ी जाती है। तो क्या सारी नमाज़ में ख़ामोश रहते थे? इस बात के तो हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) भी क़ाइल नहीं थे। दरहक़ीक़त ये उनकी ग़लती है। (ﷺ). (3) 'तीन चीज़ें' मगर ये तीन चीज़ें भी अहले बैत से ख़ास नहीं। वुज़ू अच्छी तरह करना सब के लिये ज़रूरी है। सदक़ा भी हर मालदार पर हराम है और तीसरा काम भी हर उम्मती के लिये मना है, अलबत्ता 'मुअज़्ज़िज़ीन' के लिये ज़्यादा सख़्ती है। वह अहले बैत हों या अहले इल्म। वल्लाहु आलम!

बाब : (11) घोड़े का चारा (वग़ैरह भी सवाब का मोजिब है)

باب(۱۱): عَلَفِ الْخَيْلِ

(3612) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने अल्लाह के रास्ते में घोड़ा वक़्फ़ किया, अल्लाह तआला पर ईमान रखते हुए और उसके वाद-ए-सवाब की तस्दीक़ करते हुए तो उस घोड़े का खाना पीना, पेशाब व गोबर उसके तराज़ू में नेकियों का ज़रिया बन जायेंगे।'

(3612) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2853, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4423.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ "

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़यामत के दिन आमाल और सवाब दोनों का वज़न होगा। (2) अल्लाह के रास्ते में घोड़े और दीगर चीज़ों का वक़्फ़ करना मुस्तहब है। (3) आमाल की क़बूलियत के लिये ईमान शर्त है, इसलिये काफ़िरों के अच्छे अमल क़यामत के दिन उनके किसी काम नहीं आयेंगे। उन्हें उनका बदला दुनिया में दे दिया जाता है।

बाब : (12)
ग़ैर तज़्मीर शुदा घोड़ों की दौड़ का फ़ासला

باب : (١٢)
غَايَةِ السَّبَقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ

(3613) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घोड़ों में दौड़ करवाई। आपने उनको हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक दौड़ाया। और जिन घोड़ों को दौड़ के लिये तैयार नहीं किया गया था, उनके दरम्यान सनिय्यतुल विदा से मस्जिदे बनू ज़ुरैक़ तक दौड़ करवाई।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ .

(3613) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1870, बुख़ारी, हदीस: 2869, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4425.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तज़्मीर शुदा घोड़े' इससे मुराद वह घोड़े हैं जिन्हें दौड़ के लिये ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया जाता था। तरीक़ा ये था कि कुछ अर्से के लिये उन्हें ख़ूब खिला पिलाकर मोटा ताज़ा कर लिया जाता था, फिर बतदरीज ख़ूराक कम की जाती थी और उसे एक बन्द कमरे में दाख़िल कर दिया जाता और उस जिल वग़ैरह दे दिये जाते, फिर उसे भूखा रखा जाता ताकि बकस्रत (बहुत ज्यादा) पसीना आने से उसके जिस्म से फ़ालतू मवाद ख़त्म हो जाये। नतीजतन वह मज़बूत और सख़्त जिस्म वाला बन जाता। ख़ूब दौड़ता और दौड़ने से पसीना न आता था और न साँस चढ़ता था। और जंग में बहुत मुफ़ीद साबित होता था। **(2)** हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक छः मील का फ़ासला था और सनिय्यतुल विदा से मस्जिदे बनू ज़ुरैक़ तक एक मील। इतना फ़र्क़ होता था तज़्मीर शुदा और ग़ैर तज़्मीर शुदा घोड़ों में। **(3)** बेहतरीन अफ़ादियत के हुसूल के लिये जानवरों के साथ ऐसा मामला किया जा सकता है जिसमें उनके लिये ज़्यादा मशक़्क़त और तकलीफ़ का पहलू हो जैसा कि तज़्मीर के लिये भूखा रखना और कमरे में बन्द रखना वग़ैरह। **(4)** मस्जिद की निस्बत मस्जिद बनाने वाले की तरफ़ की जा सकती है और ये निस्बत तमीज़ के लिये होगी न कि तम्लीक के लिये।

बाब : (13)
दौड़ के लिये घोड़ों की तज़्मीर करना

باب : (١٣)
إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبَقِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا .

(3614) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तज़्मीर शुदा घोड़ों के दरम्यान हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक दौड़ का मुक़ाबला करवाया और उन घोड़ों को जिनकी तज़्मीर नहीं की गई थी, सनिय्यतुल विदा से बनू ज़ुरैक़ की मस्जिद तक दौड़ाया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने भी इस मुक़ाबले में हिस्सा लिया था।

(3614) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 420, मुस्लिम, हदीस: 1870, मौता: 2/467, 468, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4424.

बाब : (14)
घूड़ दौड़ पर इनाम मुक़र्रर करना

باب : (١٤)
السَّبَقِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ " .

(3615) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीर अन्दाज़ी, घूड़ दौड़ और ऊँट दौड़ के अ़लावा किसी मुक़ाबले में इनाम (मुक़र्रर करना या हासिल करना) दुरुस्त नहीं।'

(3615) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2574, तिर्मिज़ी, हदीस: 1700, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4426, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1638.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि इस क़िस्म के मुक़ाबले मुन्अक़िद करने से जंगी कुव्वत मज़बूत होगी और लोगों में जिहाद की रग़बत पैदा होगी, इसलिये इन मुक़ाबलों में शिर्कत से सवाब हासिल होगा। दूसरे खेलों में मुक़ाबले का कोई आला और मुस्तक़िल फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा इनमें कोई सवाब नहीं, अलबत्ता अगर खेल जायज़ हो तो इसमें मुक़ाबला भी जायज़ होगा। (2) इन तीन चीज़ों के अलावा भी अगर कोई और चीज़ जिहाद के मक़सद को पूरा करती हो तो उसमें भी मुक़ाबला कारे सवाब होगा।

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ " .

(3616) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीर अन्दाज़ी, घूड़ दौड़ और ऊँट दौड़ के अलावा किसी चीज़ में इनाम नहीं रखा जा सकता।'

(3616) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4427.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ لاَ يَحِلُّ سَبَقٌ إِلاَّ عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ .

(3617) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि ऊँट दौड़ या घूड़ दौड़ के अलावा किसी मुक़ाबले में इनाम मुक़र्रर करना हलाल और जायज़ नहीं।

(3617) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 9/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4428.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ

(3618) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक ऊँटनी थी जिसे अज़्बा कहा जाता था। इससे कोई ऊँट आगे नहीं बढ़ सकता था। एक आराबी अपने जवान ऊँट पर आया और उससे मुक़ाबले में आगे बढ़ गया। ये बात मुसलमानों को बहुत नागवार गुज़री। जब

عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ . قَالَ " إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَىْءٌ إِلاَّ وَضَعَهُ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके चेहरों के तास्सुरात देखे जबकि वह कह रहे थे: ऐ अल्लाह के रसूल! अज़्बा तो पीछे रह गई! तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने ये बात लाज़िम क़रार दे दी है कि दुनिया की जो चीज़ भी बलन्द मर्तबा होगी, अल्लाह तआला उसे (किसी न किसी वक़्त) नीचा दिखाये।'

(3613) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2871, 2872, 6501, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4429.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अज़्बा लुग़वी लिहाज़ से इसके मआनी 'कन कटी' हैं मगर आपकी ऊँटनी कनकटी नहीं थी बल्कि उसका उर्फ़ी नाम अज़्बा था। मुमकिन है कान ज़्यादा छोटे हों, तश्बीहन अज़्बा कह दिया गया हो। **(2)** 'नीचा दिखायेगा' क्योंकि (कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन) (अर्रहमान: 55/26) 'दुनिया की हर चीज़ ज़वाल पज़ीर है।' इसलिये ये मुमकिन नहीं कि कोई चीज़ हमेशा उरूज की हालत में रहे। हर जवान को बूढ़ा होना है और हर क़वी को कमज़ोर होना है। हर तेज़ को सुस्त होना है। इल्ला माशा अल्लाह! **(3)** स़हाबा (ﷺ) के दिलों में अल्लाह के रसूल (ﷺ) की इज़्ज़त व अज़मत इतनी ज़्यादा थी कि वह आपकी ऊँटनी पर भी किसी की सबक़त ले जाना पसन्द नहीं करते थे जबकि बद्दू हज़रात में बे अदबी और सख़्ती पाई जाती थी। **(4)** हदीस़ तवाज़ोअ और इन्किसार पर उभारती है और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तवाज़ोअ, इन्किसार और हुस्ने ख़ुल्क़ की मिस़ाल है।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، - مَوْلَى لِبَنِي لَيْثٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ " .

(3619) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऊँटों और घोड़ों के अलावा दीगर जानवरों में दौड़ का इनामी मुकाबला नहीं करवाया जा सकता।'

(3619) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4430, देखें, हदीस़: 3615.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3615.

बाब : (15)
(घुड़ दौड़ में) जलब का बयान

باب : (١٥)
الْجَلَبِ

(3620) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में जलब, जनब और निकाहे शिग़ार की कोई गुंजाइश नहीं। और जो शख़्स डाका डाले, वह हममें से नहीं।'

(3620) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4431.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .

फ़ायदा : जलब और जनब की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3337.

बाब : (16)
(घुड़ दौड़ में) जनब का बयान

باب : (١٦)
الْجَنَبِ

(3621) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में जलब, जनब और निकाहे वटा की इजाज़त नहीं।'

(3621) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4432, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .

फ़ायदा : निकाहे वटा से मुराद वह निकाह है जिसमें दोनों तरफ़ से हक़्क़े महर न हो। अगर दोनों तरफ़ से हक़्क़े महर मुक़र्रर हो तो फिर जायज़ है अगरचे उसके नुक़सानात भी ढके छुपे नहीं।

(3622) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आराबी ने (अपने ऊँट पर)

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ

حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَابَقَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَسَبَقَهُ فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ " حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ اللَّهُ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) (की ऊँटनी) से दौड़ का मुक़ाबला किया। वह आपसे आगे बढ़ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़हाब-ए-किराम (ﷺ) गोया इस बिना पर ग़मगीन व अफ़्सुर्दा से हो गये। आपसे ये बात कही गई तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला ने ये लाज़िम कर लिया है कि जो चीज़ भी दुनिया में अपने आपको ऊँचा करेगी, आख़िरकार अल्लाह तआ़ला उसे नीचा दिखायेगा।'

(3622) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3618, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4433.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ का जनब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता अस़ल बाब से ताल्लुक़ है कि ऊँट दौड़ करवाई जा सकती है। इस हदीस़ की तफ्सील हदीस़: 3618 में गुज़र चुकी है। **(2)** 'ऊँचा करेगी' यानी अपने आपको ऊँचा समझेगी। ज़ाहिर है जानवरों में भी ये एहसास तो मौजूद है। तभी वह मुक़ाबले में आगे बढ़ने की जान तोड़ कोशिश करते हैं। इस तरह वह अपने आपको ऊँचा भी करते हैं, लिहाज़ा कोई ऐतराज़ नहीं।

باب: (١٧)
سُهْمَانِ الْخَيْلِ

बाब : (17)
(माले ग़नीमत में) घोड़े के हिस़्सों का बयान

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ

(3623) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जंगे ख़ैबर में वालिदे मोहतरम हज़रत ज़ुबैर बिन अ़व्वाम (ﷺ) को चार हिस़्से दिये थे। एक उनका अपना, दूसरा आपका रिश्तेदार होने की वजह से क्योंकि अ़ब्दुल मुत्तलिब की बेटी हज़रत स़फ़िया(ﷺ) हज़रत ज़ुबैर की वालिदा थीं और बाक़ी दो हिस़्से घोड़े के।

(3623) तख़रीज : (सनद स़ही) अद्दारक़ुतनी:

سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ .

4/110, हदीस़: 4143, अल बैहक़ी: 9/52, 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4434.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) आपके फूफीज़ाद भाई थे। शरीयते इस्लामिया ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के रिश्तेदारों के लिये ख़ुम्स (पाचवाँ हिस्सा) में हक़ रखा था ताकि ये उनके लिये ज़कात का नेमुल बदल बन सके, और आप अपने रिश्तेदारों को तोहफ़े तहाइफ़ दे सकें। ये ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा) हर ग़नीमत से अलग निकाल कर बैतुलमाल में रखा जाता था जिसे आप अपनी स़वाबदीद के मुताबिक़ अपनी ज़ाते अक़्दस, अपने रिश्तेदारों और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद और उनकी जंगी क़ुव्वत की मज़बूती के लिये इस्तेमाल फ़रमाते थे। (ﷺ). **(2)** जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ाइल हैं कि घोड़े को माले ग़नीमत में से दो हिस्से मिलेंगे। आदमी को एक। गोया घुड़सवार को तीन हिस्से और पैदल को एक हिस्सा। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) से मन्क़ूल है कि मैं घोड़े को इन्सान पर फ़ज़ीलत नहीं दे सकता, लिहाज़ा वह घोड़े के लिये एक हिस्से के क़ाइल हैं, हालांकि इसमें फ़ज़ीलत की कोई बात नहीं। वैसे भी तो घोड़ा इन्सान से ज़्यादा खाता है तो क्या ज़्यादा खाने की वजह से वह अफ़ज़ल हो गया? घोड़े को दो हिस्से देना इसी बिना पर है कि इस पर ख़र्च ज़्यादा उठता है, और वह जंग में आदमी से ज़्यादा काम करता है। एक सवार पैदल से कई गुना ज़्यादा मुफ़ीद है और ये फ़र्क़ सिर्फ़ घोड़े की वजह से है, लिहाज़ा इन्साफ़ यही है कि उसका हिस्सा आदमी से ज़्यादा रखा जाये। अहादीस़ इस बारे में स़रीह हैं। मुब्हम रिवायात को स़रीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा, और हदीस़ के मुक़ाबले में राय और क़यास की कोई अहमियत नहीं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

वक़्फ़ का मफ़हूम व मअ़नी

वक़्फ़ से मुराद ये है कि कोई चीज़ लिवज्हिल्लाह (अल्लाह को राजी करने के लिये) अपनी मिल्कियत से निकाल दी जाये लेकिन किसी दूसरे की मिल्क न की जाये बल्कि इसी तरह बग़ैर मालिक के छोड़ दी जाये ताकि न वह बेची जा सके, न उसका तबादला हो सके और न उसमें विरासत जारी हो। वह क़यामत तक इसी तरह रहेगी, अलबत्ता इससे हासिल होने वाली आमदनी उन लोगों पर ख़र्च की जायेगी जिनके लिये वह वक़्फ़ की गई हो, जैसे: मुसाफ़िर या रिश्तेदार या फ़क़ीर या तलबा वग़ैरह।

वक़्फ़ करने वाला वक़्फ़ का नाज़िम मुक़र्रर करेगा, ख़्वाह अपने आपको या किसी और को या हुकूमत को या किसी इदारे को।

क़ुरूने ऊला में वक़्फ़ की बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जैसे: सय्यदना उ़स्मान (ﷺ) का ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद के लिये वक़्फ़ करना, कुआँ ख़रीद कर वक़्फ़ करना, हज़रत उ़मर (ﷺ) का ख़ैबर वाली ज़मीन वक़्फ़ करना वग़ैरह। इससे इस्लामी रियासत का बोझ कम होता है और उसे इस्तेहकाम मिलता है क्योंकि इसकी आमदनी से बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं।

दौरे हाज़िर में माद्दियत परस्ती का रुझान बढ़ गया है और सीम व ज़र की मोहब्बत लोगों के दिलों में पेवस्त हो चुकी है और दूसरी तरफ़ हुकूमतें भी फ़लाह व बहबूद के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं रखतीं। बिलख़ुसूस दीनी इदारे और मसाजिद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम हो चुके हैं। ग़ैर माक़ूल मुशाहिरों की वजह से क़ाबिल और ज़हीन लोग मसाजिद व मदारिस से ऐराज़ करने लगे हैं। दूसरी तरफ़ हुकूमती इदारों में पुर कशिश मुराआ़त उन्हें अपनी तरफ़ माइल कर रही हैं। ऐसे हालात में जहाँ अहले इल्म को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए वहाँ अहले स़र्वत और मालदार लोगों को इस कारे ख़ैर में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जायदादों का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ करना चाहिए। ये ऐसी नेकी है जो रहती दुनिया तक बाक़ी रहेगी। ये आख़िरत का ज़ादे राह है। जितना ज़्यादा होगा सफ़रे आख़िरत उसी क़द्र आसान होगा। उमूरे दीन में नुस़रत से अल्लाह की मदद नसीब होगी।

हैरत नाक बात ये है कि झूठे नबी क़ादयानी के पेरोकार अपने झूठ को फैलाने के लिये अपनी जायदादों और आमदनियों में से एक ख़ास़ हिस़्सा वक़्फ़ कर जाते हैं लेकिन अहले इस्लाम हैं कि उन्हें अपने दीन के दिफ़ा की ज़रा फ़िक्र नहीं। अल्लाह तआ़ला हमें हिदायत नसीब फ़रमाये। आमीन!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الإحباس

वक़्फ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب(١): مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

बाब : (1) बवक़्ते वफ़ात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो कुछ छोड़ा, उसका बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى صَدَقَةً .

(3624) हज़रत अम्र बिन हारिस़ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी वफ़ात के वक़्त न कोई दिरहम छोड़ा न दीनार, न ग़ुलाम न लौण्डी, अलबत्ता आपका सफ़ेद ख़च्चर जिस पर आप सवारी फ़रमाया करते थे। आपका अस्लहा और आपकी ज़मीन तरके में शामिल थे मगर आपने उन्हें फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ फ़रमा दिया था। क़ुतैबा बिन सईद दूसरी मर्तबा 'बतौर स़दक़ा' के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं।

(3624) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4461, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6421.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सारी ज़िन्दगी जायदाद नहीं बनाई, सिर्फ़ खाया पिया और ज़रूरत व इस्तेमाल की चीज़ें रखीं जैसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से वाज़ेह हो रहा है। ज़रूरत व इस्तेमाल की चीज़ों के बारे में भी आपने स़राहत फ़रमा दी थी कि मेरी वफ़ात के बाद वह चीज़ें बैतुल माल में चली जायेंगी और उनका मफ़ाद भी सब मुसलमानों को होगा। तमाम अम्बिया (ﷺ) का यही तर्ज़े अमल रहा है ताकि कोई नाबकार ये न कह सके कि अम्बिया ने नबुवत का खड़ाक माल इकट्ठा करने के लिये रचाया था। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक. इसी उस़ूल की बिना पर रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात के बाद आपकी मत्रूका ज़मीन तक़्सीम नहीं की गई बल्कि बैतुलमाल में रही। **(2)** अगर वक़्फ़ का कोई नाज़िम मुक़र्रर न किया गया हो तो वह बैतुलमाल में दाख़िल होगा और हाकिमे वक़्त उसका नाज़िम होगा।

(3625) हज़रत अम्र बिन हारिस़ (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वफ़ात के वक़्त कोई चीज़ छोड़ कर नहीं गये, अलावा आपके सफ़ेद ख़च्चर, अस्लहा और ज़मीन के जिन्हें आपने वक़्फ़ क़रार दे दिया था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً .

(3625) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2873, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6422.

(3626) हज़रत अम्र बिन हारिस़ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने (अपनी वफ़ात के वक़्त) अपने ख़च्चर, अस्लहा और ज़मीन के अलावा कुछ तरका नहीं छोड़ा और उन्हें भी आप (अपनी ज़िन्दगी में) स़दक़ा व वक़्फ़ क़रार दे चुके थे। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَرَكَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً .

(3626) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6423.

बाब : (2)
वक़्फ़ की दस्तावेज़ कैसे लिखी जाये? और इब्ने उमर की हदीस़ की बाबत इब्ने औ़न पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب(٢): الإِحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

(3627) हज़रत उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मुझे ख़ैबर के इलाक़े में कुछ ज़मीन मिली। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: मुझे ऐसी ज़मीन मिली है कि मेरे ख़याल के मुताबिक़ मुझे इस जैसी महबूब और क़ीमती चीज़ कभी नहीं मिली। (और मैं चाहता हूँ कि इसे स़दक़ा कर दूँ।) आपने फ़रमाया: 'अगर तू

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ

أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ إِنْ "وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا . قَالَ . فَتَصَدَّقَ بِهَا - "شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ - فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً وَيُطْعِمَ

चाहे तो इसे (वक़्फ़ की सूरत में) सदक़ा कर दे।' चुनांचे हज़रत उमर ने वह ज़मीन सदक़ा कर दी, इस शर्त पर कि वह ज़मीन न बेची जा सकेगी, न किसी को हिबा की जायेगी, अलबत्ता (इसकी आमदनी) फ़ुक़रा, रिश्तेदारों, ग़ुलामों (की आज़ादी), मेहमानों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च की जायेगी। जो शख़्स इस ज़मीन का इन्तेज़ाम करेगा, उसके लिये इजाज़त है कि उससे मुनासिब अन्दाज़ में खा पी ले और अपने मिलने जुलने वालों को खिला पिला दे, अलबत्ता वह माल जमा न करे।

(3627) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6424.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर दीनी या दुनियावी काम से पहले अहले इल्म व फ़ुज़ला से मश्वरा कर लेना मुस्तहब है जैसा कि उमर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। **(2)** इस हदीस से सदक़-ए-जारिया और हज़रत उमर (ﷺ) की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि वह नेकी में कितनी सबक़त ले जाने वाले थे। (ﷺ). **(3)** वक़्फ़ की आमदनी ग़ुरबा और अग़निया दोनों पर ख़र्च करना जायज़ है, इसलिये कि रिश्तेदार और मेहमान के लिये हाजतमन्द होने की शर्त नहीं लगाई।

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(3628) (एक दूसरे तरीक़ से मरवी रिवायत में) हज़रत उमर (ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) से साबिक़ा रिवायत की तरह नक़ल फ़रमाते हैं।

(3628) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6425.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ

(3629) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) को ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली। वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये और कहा: मैंने ऐसी ज़मीन हासिल की है कि मेरे ख़याल के मुताबिक़ इससे क़ीमती और उम्दा माल

فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ - فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .

मुझे कभी नहीं मिला। (मेरा ख़्याल है मैं इसे सदक़ा कर दूँ) आप इस बारे में क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमायाः 'अगर तुम चाहो तो असल ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और उसकी आमदनी सदक़ा कर दो।' चुनांचे हज़रत उमर (ﷺ) ने इस शर्त पर उसे सदक़ा (वक़्फ़) कर दिया कि उसे न तो बेचा जा सकेगा, न किसी को हिबा की जा सकेगी और न इसमें विरासत चलेगी, अलबत्ता इसकी आमदनी फ़ुक़रा, रिश्तेदारों, ग़ुलामों (की आज़ादी), मुजाहिदीन, मेहमानों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च होगी। जो शख़्स उसका नाज़िम (देख रेख करने वाला) बनेगा, वह मुनासिब मिक़्दार में उससे ख़ुद भी खा पी सकता है और अपने दोस्तों को भी खिला पिला सकता है लेकिन वह इससे माल जमा न करे।

(3629) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2772, मुस्लिम, हदीस: 1632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6426.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वक़्फ़ पर ज़कात का हुक्म नहीं लगता बल्कि जिनके लिये वक़्फ़ हो, वह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़्वाह वह अमीर ही हों। (2) 'रिश्तेदारों' मुमकिन है इससे मुराद हज़रत उमर (ﷺ) के रिश्तेदार हों या रसूलुल्लाह (ﷺ) के, यानी अहले बैत। (3) 'नाज़िम' वक़्फ़ का नाज़िम अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक़ वक़्फ़ से तनख़्वाह ले सकता है जिसे हदीस में लफ़्ज़ 'मारूफ़' से बयान किया गया है। नाज़िम का हाथ वक़्फ़ में खुला नहीं होना चाहिए वरना बद उन्वानी का रास्ता खुल सकता है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا

(3630) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः हज़रत उमर (ﷺ) को ख़ैबर में ज़मीन मिली। वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे इस सिलसिले में मश्वरा किया और कहा कि मुझे बहुत क़ीमती और लम्बी चौड़ी ज़मीन मिली है। मेरा ख़्याल है इससे क़ब्ल मुझे कभी इससे क़ीमती और उम्दा माल नहीं

فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ - فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ - يَعْنِي - عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ اللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ .

मिला। आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'अगर तुम चाहो तो अस़ल ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और इसकी आमदनी स़दक़ा कर दो।' चुनांचे उन्होंने ज़मीन को इस तरह स़दक़ा कर दिया कि उसे बेचा न जा सकेगा, न वह तोहफ़े में दी जा सकेगी। और उसकी आमदनी फ़ुक़रा (फकीरों), रिश्तेदारों, ग़ुलामों (की आज़ादी), मुजाहिदीन, मुसाफ़िरों और मेहमानों पर स़दक़ा कर दी। जो शख़्स़ इसका इन्तेज़ाम करे तो उसके लिये कोई गुनाह नहीं कि वह ख़ुद (मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़) इससे कुछ खा पी ले या अपने किसी दोस्त को खिला पिला दे, अलबत्ता माल जमा न करे।

(3630) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6427.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . فَحَبَّسَ أَصْلَهَا أَنْ لاَ تُبَاعَ وَ لاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ

(3631) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) को ख़ैबर के इलाक़े में कुछ ज़मीन हास़िल हुई। वह नबी (ﷺ) के पास इस सिलसिले में मश्वरा करने के लिये हाज़िर हुए तो आप ने फ़रमाया: 'अगर तुम चाहो तो अस़ल ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और मुनाफ़ा स़दक़ा कर दो।' चुनांचे हज़रत उमर (ﷺ) ने अस़ल ज़मीन वक़्फ़ कर दी कि न इसे बेचा जाये न हिबा किया जाये, न इसमें विरास़त जारी हो। और इसकी आमदनी फ़ुक़रा, रिश्तेदारों, ग़ुलामों, मसाकीन, मुसाफ़िरों और मेहमानों के लिये स़दक़ा कर दी। जो शख़्स़ इसका इन्तेज़ाम करे, उसके लिये कोई हर्ज नहीं कि ख़ुद मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ इससे खा पी ले या अपने किसी दोस्त को ख़िला पिला

صَدِيقَةٌ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .

दे, बशर्ते कि वह माल जमा न करे।

(3631) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6428.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ " .

(3632) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी: (लन तनालुल बिर्र....) 'तुम हरगिज़ नेकी हासिल न कर सकोगे यहाँ तक कि वह चीज़ ख़र्च करो जिसे तुम बहुत पसन्द करते हो।' हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) ने फ़रमाया: हमारा रब तआला हमसे हमारे माल तलब फ़रमाता है। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़मीन अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल करने के लिये वक़्फ़ कर दी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम इसे अपने रिश्तेदारों हस्सान बिन स़ाबित और उबय बिन कअब में तक़्सीम कर दो।'

(3632) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 998/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6429.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपनी ज़मीन' दरअस़ल ये बीरे हा नामी बाग़ था जो मस्जिदे नबवी के सामने शिमाल की जानिब था। बहुत ज़र ख़ेज़ और घना था। (2) 'तक़्सीम कर दो' मालूम हुआ कि ये मशहूर मआनी में वक़्फ़ नहीं था वरना किसी को मालिक न बनाते, अलबत्ता हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) के इब्तेदाई अल्फ़ाज़: जअल्तु अर्ज़ी लिल्लाहि वक़्फ़ पर दलालत करते हैं। शायद इन अल्फ़ाज़ की बिना पर ही इस रिवायत को 'वक़्फ़' के बाब में लाया गया है। मुमकिन है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वक़्फ़ के बजाये तक़्सीम को मुनासिब ख़्याल फ़रमाया हो, लिहाज़ा ये हुक्म फ़रमाया। (3) अक़रबा में से सबसे ज़्यादा क़राबतदार को देना वाजिब नहीं बल्कि जिसे मुनासिब हो उसे दे दिया जाये। (4) आदमी अपने बाग़ के गिर्द चार दीवारी बना सकता है। नेक और अहले इल्म लोगों का बाग़ में तफ़रीह करने और उसका पानी और फल इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। ये बाग़ के मालिक के लिये नेकियाँ शुमार होंगी। (5) आदमी मर्ज़ुल मौत में न हो तो सुलुस़ माल से ज़्यादा की वसीयत कर सकता है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अबू तल्हा (ﷺ) से ये नहीं पूछा कि कितने माल का स़दक़ा किया है।

बाब : (3)
मुश्तरका चीज़ का वक़्फ़

باب(٣): حَبْسِ الْمَشَاعِ

(3633) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उ़मर (ﷺ) ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से कहा कि वह सो हिस़्से जो मुझे ख़ैबर में मिले हैं, मैंने कभी भी उनसे ज़्यादा उ़म्दा माल हास़िल नहीं किया। मेरा इरादा है कि वह स़दक़ा कर दूँ। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अस़ल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और उसके फल और फ़स़लें स़दक़ा कर दो।'

(3633) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6430.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَىَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا " .

फ़ायदा : बाब का मक़्सूद ये है कि मुश्तरक चीज़ में से एक आदमी का हिस़्सा वक़्फ़ हो सकता है, ख़्वाह अभी अलग अलग हदबन्दी न की गई हो। इमाम स़ाहिब ये समझते हैं कि वह सो हिस़्से अभी ग़ैर मुअ़य्यन थे। उनकी हदबन्दी नहीं हुई थी। वैसे ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि हज़रत उ़मर(ﷺ) तो उस ज़मीन की तारीफ़ में रत्बुल्लिसान थे। अगर अभी मुअ़य्यन ही न हुई थी तो ये तारीफ़ कैसी? वल्लाहु आ़लम! ख़ैर! ये मसला दुरुस्त है कि मुश्तरका चीज़ में वक़्फ़ हो सकता है।

(3634) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उ़मर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ऐसा माल हास़िल हुआ है कि इस जैसा कभी हास़िल नहीं हुआ। मेरे पास सो ग़ुलाम थे। मैंने उनके ऐवज़ ख़ैबर के इलाक़े में सो हिस़्से ज़मीन ख़रीद ली। मेरा ख़्याल है कि मैं उसे स़दक़ा करके अल्लाह तआ़ला का क़ुर्ब हास़िल करूँ। आपने फ़रमाया: 'अस़ल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और फल स़दक़ा कर दो।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رضى الله عنه قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ

خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ " فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ " .

(3634) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6431.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْضٍ لِي بِثَمْغٍ قَالَ " احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا " .

(3635) हज़रत उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से समग़ मक़ाम पर अपनी ज़मीन के बारे में मश्वरा किया तो आपने फ़रमाया: 'असल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और इसका फल सदक़ा कर दो।'

(3635) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6432.

फ़ायदा : ये बात याद रखने की है कि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) वक़्फ़ के क़ाइल नहीं 'क्योंकि इसमें वक़्फ़ वाली चीज़ बग़ैर मालिक के रह जाती है जो मुनासिब नहीं' हालांकि मालिक की कमी नाज़िम पूरी कर रहा है और वह चीज़ मिल्क की ख़राबियों, जैसे: फ़रोख़्त, हिबा और विरासत से भी महफ़ूज़ हो जाती है। अलबत्ता इमाम साहिब मस्जिद के लिये वक़्फ़ के क़ाइल हैं क्योंकि वहाँ मजबूरी है। मस्जिद का कोई मालिक नहीं बन सकता। हालांकि मुनासिब था कि मस्जिद के वक़्फ़ से इस्तेदलाल करते हुए आम वक़्फ़ के भी क़ाइल हो जाते। अहादीस की मुख़ालिफ़त भी न करनी पड़ती।

باب(۴): وَقْفِ الْمَسَاجِدِ

बाब : (4) मसाजिद भी वक़्फ़ होती हैं

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - وَذَاكَ أَنِّي قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ

(3636) हज़रत हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मैंने हज़रत अम्र बिन जावान से, जो कि बनू तमीम में से थे, पूछा कि हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस (सय्यदना अली व मुआविया(ﷺ) की कशमकश से) अलग क्यों रहे? वह कहने लगे: मैंने हज़रत अहनफ़ को फ़रमाते सुना कि मैं एक दफ़ा हज को जाते हुए मदीना मुनव्वरा गया। अभी

الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَا كَانَ قَالَ سَمِعْتُ الأَحْنَفَ يَقُولُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَى آتٍ فَقَالَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا يَعْنِي النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيلَ هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ - قَالَ -فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ . فَقَالَ عُثْمَانُ أَهَا هُنَا عَلِيٌّ أَهَا هُنَا الزُّبَيْرُ أَهَا هُنَا طَلْحَةُ أَهَا هُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلاَنٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . فَابْتَعْتُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلاَنٍ . قَالَ " فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ هَلْ

हम अपने ख़ैमों में अपने पालान ही उतार रहे थे कि किसी आने वाले ने आकर कहा: लोग मस्जिद में इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने जाकर देखा तो वाक़ेई लोग जमा थे और उनके दरम्यान कुछ लोग बैठे थे। देखा तो वह अ़ली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर, तल्हा और सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) थे। जब मैं उनके पास खड़ा था तो आवाज़ आई: ये हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (ﷺ) आ गये हैं। वह तशरीफ़ लाये तो उन पर एक बड़ी सी ज़र्द चादर थी। मैंने अपने साथी से कहा: ज़रा ठहरो ताकि मैं देखूँ, आप कैसे तशरीफ़ लाये हैं? हज़रत उ़स्मान फ़रमाने लगे: क्या यहाँ अ़ली हैं? ज़ुबैर हैं? तल्हा हैं? सअ़द हैं? उन्होंने कहा: हाँ! आपने फ़रमाया: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स फ़ुलां ख़ानदान का खजूरों का बाड़ा ख़रीद कर (मस्जिद में शामिल कर) देगा, अल्लाह तआ़ला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा।' मैंने वह बाड़ा ख़रीद कर दिया, फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया कि मैंने फ़ुलां ख़ानदान का बाड़ा ख़रीद लिया है। आपने फ़रमाया: 'उसे हमारी मस्जिद में शामिल कर दो। इसका स़वाब तुझे मिलेगा?' सबने कहा: बिल्कुल दुरुस्त है। आपने फ़रमाया: मैं तुम्हें उसकी क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स रूमा कुआँ ख़रीदेगा, अल्लाह तआ़ला उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैं (उसे ख़रीद कर)

रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: मैंने रूमा का कुआँ ख़रीद लिया है। आपने फ़रमाया: 'इसे मुसलमानों के पीने के लिये वक़्फ़ कर दो। इसका सवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा?' सबने कहा: बिल्कुल ठीक है। आपने फ़रमाया: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स तंगी वाले लश्कर को तैयार करेगा, अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने उन्हें सारा सामान दिया यहाँ तक कि वह कोई रस्सी या महार तक की कमी महसूस न करते थे? उन सब ने कहा: बिल्कुल सही है। हज़रत उस्मान कहने लगे: ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा।

(3636) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3184, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6433.

تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ . قَالَ " فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يُجَهِّزْ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तंगी वाला लश्कर' मुराद ग़ज़्व-ए-तबूक का लश्कर है क्योंकि ये सख़्त गर्मी और फ़क़्र के दौर में रवाना हुआ था। (ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 3184) अलबत्ता उसमें इब्तेदाई अल्फ़ाज़ नहीं हैं। हज़रत उमर बिन जावान का मक़सद ये है कि हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस का हज़रत अली और हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) की जंगों से अलग रहना इस तास्सुर की बिना पर है जो उन्होंने हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) की शहादत के वाक़िये से अख़्ज़ किया कि ऐसी जंगें अज़ीम शख़्सियतों की शहादत का बाइस बन जाती हैं, लिहाज़ा उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कहीं ईमान ज़ाया न हो जाये और आदमी किसी मुक़द्दस शख़्सियत के क़त्ल में मुलव्विस न हो जाये। (2) हदीस में हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) का मस्जिद के लिये ज़मीन वक़्फ़ करने का ज़िक्र है जिससे मस्जिद के लिये वक़्फ़ करना साबित होता है।

(3637) हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम (अपने घरों से) हज करने के

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ

حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا . فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَإِذَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْهِ مُلاَءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهَا هُنَا عَلِيٌّ أَهَا هُنَا طَلْحَةُ أَهَا هُنَا الزُّبَيْرُ أَهَا هُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلاَنٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ " . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ

इरादे से निकले तो मदीना मुनव्वरा भी गये। अभी हम अपनी क़यामगाहों में अपने पालान उतार ही रहे थे कि किसी ने आकर कहा: मस्जिदे नबवी में बहुत से लोग जमा हैं और वह कुछ घबराये हुए से हैं। हम सब मस्जिद की तरफ़ चले तो वाक़ेअतन लोग मस्जिद के दरम्यान में चन्द बुज़ुर्गों के इर्द गिर्द जमा थे। पता चला कि वह अली, ज़ुबैर, तल्हा और सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) हैं। अभी हम इसी तरह खड़े थे कि (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आये। उन पर ज़र्द रंग की एक बड़ी चादर थी जिससे उन्होंने अपने सर को ढाँप रखा था। वह फ़रमाने लगे: यहाँ अली हैं? तल्हा हैं? ज़ुबैर हैं? सअद हैं? वह कहने लगे: जी हाँ। फ़रमाने लगे: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स फ़ुलां ख़ानदान का खलियान ख़रीदेगा, अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने बीस या पच्चीस हज़ार (दिरहम) का ख़रीदा, फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपको इत्तिला की। आपने फ़रमाया: 'इस जगह को हमारी मस्जिद में शामिल कर दो। तुम्हें इसका सवाब ज़रूर मिलेगा?' वह सब कहने लगे: अल्लाह की क़सम! सही है। फिर उस्मान (ﷺ) कहने लगे: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स बीरे रूमा ख़रीदेगा, अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने वह

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا . قَالَ " اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ " . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ " مَنْ جَهَّزَ هَؤُلاَءِ اللَّهُ غَفَرَ لَهُ " . يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا . قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

कुआँ इतनी इतनी रक़म से ख़रीदा, फिर मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मैंने वह कुआँ इतने का ख़रीद लिया है। आपने फ़रमाया: 'इसे आम मुसलमानों के पीने के लिये वक़्फ़ कर दो। इसका सवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा?' सबने (तस्दीक़ करते हुए) कहा: अल्लाह की क़सम! दुरुस्त है। फिर कहने लगे: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों के चेहरों को देख कर फ़रमाया था: 'जो शख़्स इन (लोगों, यानी तंगी वाले लश्कर, मुजाहिदीने तबूक) को सामान मुहैया करेगा, अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने उन सब को सामान मुहैया किया यहाँ तक कि उन्हें किसी रस्सी या महार की भी कमी महसूस न हुई? उन सब ने कहा: हाँ, अल्लाह की क़सम! आप (ؓ) ने फ़रमाया: ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा।

(3637) तख़रीज · (सनद हसन) देखें, हदीस: 3184, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6434.

फ़ायदा : ज़रूरत के वक़्त आदमी अपनी नेकी दूसरों पर ज़ाहिर कर सकता है बशर्ते कि उसमें रिया का ख़दशा न हो।

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ شَهِدْتُ

(3638) हज़रत सुमामा बिन हज़्न क़ुशैरी से मन्क़ूल है कि मैं उस वक़्त हज़रत उस्मान (ؓ) के घर के पास मौजूद था जब हज़रत उस्मान(ؓ) ने दीवार के ऊपर से (मुहासरा करने वाले बाग़ियों पर) झाँका और फ़रमाने लगे: मैं तुम से अल्लाह की

क़सम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ! क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो बीरे रूमा के सिवा वहाँ मीठा पानी नहीं था। आपने फ़रमायाः 'कोई शख़्स बीरे रूमा ख़रीद कर अपना डोल भी दूसरे मुसलमानों के डोलों के बराबर क़रार देगा तो उसे अल्लाह तआ़ला जन्नत में इससे बेहतर अ़ता फ़रमायेगा।' मैंने अपने ख़ालिस माल से वह कुआँ ख़रीदा और मैंने उसमें अपने डोल को आ़म मुसलमानों के डोलों के बराबर ही समझा, जबकि आज तुमने मुझे इससे पानी पीने से रोक रखा है यहाँ तक कि मैं समन्दरी पानी (जैसा नमकीन पानी) पीता हूँ? हाज़िरीन ने कहाः हाँ, अल्लाह की क़सम! (ये बात सही है) हज़रत उ़स्मान ने फ़रमायाः मैं तुमसे अल्लाह की क़सम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ! क्या तुम जानते हो कि मैंने (ग़ज़्व-ए तबूक का) तंगी वाला लश्कर अपने माल से तैयार किया था? उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! हाँ। फिर फ़रमायाः मैं तुमसे अल्लाह की क़सम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मस्जिदे नबवी नमाज़ियों के लिये तंग हो गई थी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स फ़ुलां ख़ानदान का अहाता ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसे जन्नत में इससे बेहतर देगा।' मैंने अपने ख़ालिस माल से वह अहाता ख़रीदा और मस्जिद में इज़ाफ़ा कर दिया। आज तुम ने मुझे इस मस्जिद में दो रकअ़त पढ़ने से रोक रखा है? हाज़िरीन ने कहाः अल्लाह की क़सम! आप सही कह रहे हैं। आपने फ़रमायाः मैं तुमसे

الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ " . فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلاَنٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ " . فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَى ثَبِيرِ ثَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِرِجْلِهِ وَقَالَ " اسْكُنْ ثَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ " . قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ . قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ .

अल्लाह की क़सम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा के स़बीर पहाड़ पर थे। आपके साथ हज़रात अबू बक्र व उमर और मैं भी था। पहाड़ में हरकत हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस पर अपना पाँव मारा और फ़रमाया: 'ऐ स़बीर! सुकून से रह। तुझ पर इस वक़्त एक नबी, एक स़िद्दीक़ और दो शहीद हैं?' हाज़िरीन ने कहा: अल्लाह की क़सम! सच है। आपने नार-ए-तकबीर बलन्द फ़रमाया और कहा: रब्बे काबा की क़सम! उन लोगों (मेरे मुख़ालिफ़ीन) ने मेरे हक़ में गवाही दे दी, उन्होंने मेरे हक़ में गवाही दी है कि मैं शहीद हूँगा।

(3638) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3703, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6435.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शहीद हूँगा' जबकि ये क़तई बात है कि शहीद मज़्लूम होता है और उसके क़ातिल कम अज़ कम ज़ालिम होते हैं। गोया ये ख़ुद गवाही दे रहे हैं कि हम ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन को ज़ुल्मन क़त्ल करेंगे। **(2)** मीठा पानी पीना ज़ुहद के मुनाफ़ी नहीं बल्कि मीठा पानी पीना और उसे किसी से तलब करना मुबाह है, नमकीन या खारा पानी पीने में कोई फ़ज़ीलत नहीं जैसा कि सूफ़िया का तरीक़ा है, और इस हदीस़ से लज़ीज़ खानों के तनावुल का जवाज़ स़ाबित होता है। **(3)** 'स़बीर' वह पहाड़ है जो मक्का और मिना के दरम्यान वाक़ेअ है। मिना से मक्का दाख़िल होते हुए दायीं तरफ़ आता है। इस रिवायत में 'स़बीर' का ज़िक्र है जबकि मशहूर रिवायत में 'उहुद पहाड़' का ज़िक्र है और कुछ में 'हिरा' का भी ज़िक्र है। 'उहुद' का एहतिमाल ज़्यादा क़वी है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ حِينَ

(3639) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि जब बाग़ियों ने हज़रत उस़्मान(ؓ) (के घर) का मुहास़रा कर लिया और उन्हें (बाहर निकलने से रोक दिया) तो आपने एक दफ़ा दीवार के ऊपर से उन्हें झाँका और फ़रमाया: मैं उस शख़्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पहाड़ वाले दिन जब उसने हरकत की थी

حَصَرُوهُ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِينَ اهْتَزَّ فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ " اسْكُنْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ " . وَأَنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَقُولُ " هَذِهِ يَدُ اللَّهِ وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ " . فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ " مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً " . فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ يَزِيدُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ " . فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلاً شَهِدَ رُومَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَأَبَحْتُهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ .

और आपने उस पर अपना पाँव मारा था, ये फ़रमाते सुना है कि 'ऐ पहाड़! सुकून से रह। (इस वक़्त) तुझ पर नबी, सिद्दीक़ और दो शहीदों के अलावा कोई नहीं।' उस वक़्त मैं भी आपके साथ था। बहुत से हाज़िरीन ने इसकी गवाही दी। फिर हज़रत उस्मान (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं अल्लाह की क़सम देकर उस शख़्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बैतुर रिज़वान के दिन फ़रमाते सुना है: 'ये अल्लाह का हाथ है और ये उस्मान का।' बहुत से लोगों ने इसकी भी गवाही दी, फिर फ़रमाने लगे: मैं अल्लाह की क़सम देकर उस शख़्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तंगी वाले लश्कर के दिन ये फ़रमाते सुना है: आज कौन शख़्स ख़र्च करेगा जो यक़ीनन क़बूल होगा?' तो मैंने अपने माल से निस्फ़ लश्कर को साज़ो सामान मुहैया किया। इस बात की भी बहुत से लोगों ने गवाही दी, फिर हज़रत उस्मान ने फ़रमाया: मैं अल्लाह की क़सम देता हूँ उस शख़्स को जिसने सुना रसूलुल्लाह (ﷺ) से, आप फ़रमाते थे: 'कौन ऐसा शख़्स है जो बढ़ा दे इस मस्जिदे (नबवी) को जन्नत के घर के बदले में?' फिर मैंने उस ज़मीन को अपने माल से ख़रीद लिया। चुनांचे उन लोगों ने इसकी भी गवाही दी, फिर फ़रमाया: मैं अल्लाह की क़सम देकर उस शख़्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने बीरे रूमा की फ़रोख़्त का वाक़िया देखा है। मैंने इसे अपने माल से ख़रीद कर मुसाफ़िरों के लिये वक़्फ़ किया। बहुत से लोगों ने इसकी गवाही दी।

(3639) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6436.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उ़स्मान (ﷺ) का इन शवाहिद को पेश करने से मक़सद कोई फ़ख़्र या रियाकारी या हुसूले तारीफ़ नहीं था बल्कि उस नाज़ुक मौक़े पर साबित फ़रमाना चाहते थे कि मैं हक़ पर हूँ और बाग़ी बातिल पर हैं। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रामीन वाज़ेह हैं। मगर बाग़ियों पर कोई अस़र न हुआ क्योंकि वह बातिनन इस्लाम के दुश्मन थे और ख़िलाफ़त का ख़ातमा चाहते थे। **(2)** पहाड़ पर आपका पाँव मारना और उससे ख़िताब फ़रमाना अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आपकी ऐजाज़ी शान का इज़्हार है जिसका अस़ल मक़सद उन हज़रात को उनकी मन्क़बत व फ़ज़ीलत से आगाह फ़रमाना था, और दुनिया के सामने ऐलान मक़सूद था। वल्लाहु आलम! **(3)** 'बैतुर रिज़वान' वह बैत है जिसके नतीजे में बैत करने वालों को अल्लाह तआ़ला की रज़ामन्दी हासिल हुई और बा'क़ायदा क़ुर्आन मजीद में इसका ऐलान हुआ। ये वाक़िया सुलह हुदैबिया के दौरान में हज़रत उ़स्मान (ﷺ) की शहादत की अफ़वाह फैलने पर पेश आया। **(4)** 'ये अल्लाह का हाथ है और ये उ़स्मान का' चूंकि हज़रत उ़स्मान मौक़े पर मौजूद न थे, और आपको ये इल्म भी नहीं था कि उ़स्मान ज़िन्दा हैं, लिहाज़ा आपने एक हाथ को अपने दूसरे हाथ पर रख कर फ़रमाया: ये उ़स्मान की तरफ़ से बैत है। अपने एक हाथ को हज़रत उ़स्मान का हाथ क़रार दिया और दूसरे को अल्लाह तआ़ला का क्योंकि ये बैत अल्लाह तआ़ला के हुक्म से हो रही थी। क़ुर्आन मजीद में भी है (इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक ......) (अल फ़तह 48/10) इसमें हज़रत उ़स्मान और ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) की अ़ज़मते शान वाज़ेह तौर पर नुमायाँ है। **(5)** 'निस्फ़ लश्कर' गोया उस लश्कर की तैयारी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा था जिसकी तफ़्सील मज़्कूर नहीं।

(3640) हज़रत अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी से रिवायत है कि जब हज़रत उ़स्मान (ﷺ) को उनके घर में महसूर कर दिया गया तो लोग उनके घर के बाहर जमा हो गये। आपने दीवार से उनकी तरफ़ झाँका। (फिर रावी ने साबिक़ा हदीस़ बयान की) (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3184)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ - قَالَ - فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(3640) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3699, बुख़ारी, हदीस़: 2778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6437.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

वसीयत का मफ़हूम व मआनी

वसीयत से मुराद वह बातें हैं जो कोई शख़्स अपनी वफ़ात से मा'बाद के लिये अपने माल व औलाद के मुताल्लिक़ करे। वसीयत की दो क़िस्में हैं: O माली वसीयत O दीगर उमूर से मूताल्लिक़ वसीयत। विरासत के अहकाम नाज़िल होने से पहले माल के बारे में वसीयत करना फ़र्ज़ था। जब अल्लाह तआला ने हर वारिस को उसका मुक़र्रर हिस्सा दे दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी वज़ाहत फ़रमा दी तो वसीयत करने का वजूब साक़ित हो गया, ताहम किसी नादार रिश्तेदार को या सदक़ा करने की वसीयत का जवाज़ बरक़रार रहा, अलबत्ता इसे एक तिहाई माल के साथ मुकय्यद कर दिया गया। इससे ज़्यादा की वसीयत से मना कर दिया गया है। अब एक तिहाई माल के बारे में वसीयत वाजिबुल अमल होगी। इससे ज़्यादा वारिसों की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। माली वसीयत किसी वारिस के बारे में नहीं की जा सकती, यानी वसीयत की वजह से वारिस का हिस्सा कम हो सकता है न ज़्यादा।

दीगर उमूर के बारे में अगर इन्सान कोई वसीयत करना चाहता है तो उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए और इस बारे में कोताही नहीं करनी चाहिए, जैसे: कोई शख़्स कारोबारी मामलात या लेन देन के बारे में वसीयत करना चाहता है तो गवाहों की मौजूदगी में या तहरीरी तौर पर वसीयत करे। कोई शख़्स अगर समझता है कि उसके वारिसीन उसके फ़ौत होने पर बिदआत व ख़ुराफ़ात या ग़ैर शरई उमूर के मुर्तकिब होंगे या ख़्वातीन नौहा करेंगी या उसकी औलाद को दीन से बर्गश्ता किया जायेगा तो ऐसे उमूर के बारे में वसीयत ज़रूरी है ताकि इन्सान अल्लाह तआला के यहाँ बरीउज़ ज़िम्मा हो सके।

किसी को विरासत से महरूम करना, किसी पर ज़ुल्म करना या क़तअ रहमी की वसीयत करना हराम है जिसका वबाल वफ़ात के बाद इन्सान को भुगतना पड़ेगा, और वारिसीन की ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसी ज़ालिमाना या ग़ैर शरई वसीयत को नाफ़िज़ न करें।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الوصايا

वसीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1)
वसीयत में ताख़ीर (देरी) मकरूह है

باب : (١)
الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ".

(3641) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक आदमी नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन से सदक़े का सवाब ज़्यादा है? आपने फ़रमाया: 'तू उस वक़्त सदक़ा करे जब तू तन्दुरुस्त हो, तुझे माल की ज़रूरत हो, फ़क्र का डर हो और ज़िन्दगी की उम्मीद हो। और सदक़ा करने में ताख़ीर न कर यहाँ तक कि जब रूह हलक़ तक आ जाये तो फिर तू कहे: फुलां को इतना दे दो। अब तो तेरा माल दूसरों का हो चुका।'

(3641) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2543, सुनन अलकुब्रा अल नसाई, हदीस: 6438.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अफ़ज़ल सदक़ा वह है जो उस वक़्त किया जाये जब ख़ुद ज़रूरत हो क्योंकि ये सिद्क़ नियत पर दलालत करता है। अगर उस वक़्त सदक़ा किया जाये जब अपने आपको ज़रूरत न रहे या ज़िन्दगी की उम्मीद न रहे तो वह फ़ालतू माल का सदक़ा है जिसकी कोई ख़ास वक़अत नहीं। **(2)** बाब पर दलालत इस तरह है कि सदक़ा करते रहने से वसीयत की ज़रूरत नहीं रहेगी, लिहाज़ा ताख़ीर भी नहीं होगी। **(3)** 'दूसरों का हो चुका' तेरे मरते ही वारिस मालिक बन जायेंगे और उनका तसर्रुफ़ होगा। गोया ये तेरा नहीं रहा।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ ".

(3642) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक दफ़ा) फ़रमाया: 'तुममें से किस शख़्स को अपने वारिस़ का माल अपने माल से बढ़ कर प्यारा है?' स़हाबा ने अ़र्ज़ किया: ऐ अलाह के रसूल! हममें से हर शख़्स़ को अपना माल ही वारिस़ के माल से ज़्यादा प्यारा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़ भी ऐसा नहीं जिसे अपने वारिस़ का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा न हो क्योंकि तेरा माल तो वह है जो तूने ख़र्च कर लिया और जो तू छोड़ गया, वह तेरे वारिस़ का माल है।'

(3642) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6439.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्बान जायें उस ज़ाते अक़्दस पर। किस ख़ूबी से इस हक़ीक़त को वाज़ेह फ़रमाया जिससे सब ही ग़ाफ़िल हैं। इल्ला माशाअल्लाह! **(2)** हदीस़ में नेकी की तर्ग़ीब दिलाई गई है और बताया गया है कि आदमी अपनी ज़िन्दगी में जो कुछ भलाई और नेकी के कामों में ख़र्च करेगा वही आख़िरत में उसके लिये नफ़ा बख़्श स़ाबित होगा। मौत के बाद वारिसीन में से अगर कोई ख़र्च करेगा तो उसे उस ख़र्च का अज्र नहीं मिलेगा क्योंकि अब माल वारिसीन का है न कि मय्यत का।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ".

(3643) हज़रत मुतर्रिफ़ अपने वालिद मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर (ﷺ)) से बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने (अल हाकुमुत्तकास़ुर .....) 'तुम को कस़रत की ख़्वाहिश व तलब ने (अल्लाह तआ़ला और आख़िरत से) ग़ाफ़िल रखा यहाँ तक कि तुमने क़ब्रें देख लीं।' की तफ़्सीर में फ़रमाया: 'इन्सान कहता है: मेरा माल, मेरा माल हालांकि तेरा माल तो वह है जो तूने खा कर ख़त्म कर दिया या पहन कर बोसीदा कर दिया या स़दक़ा ख़ैरात करके

उसका सवाब जारी कर लिया।'

(3643) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2958, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6440.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ، قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ ".

(3644) हज़रत अबू हबीबा ताई बयान करते हैं कि एक शख़्स ने मरते वक़्त चन्द दीनार अल्लाह तआला के रास्ते में ख़र्च करने की वसीयत की तो हज़रत अबू दर्दा (ﷺ) से इस बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान है: 'जो शख़्स मरते वक़्त गुलाम आज़ाद करता है या सदक़ा करता है, वह उस शख़्स की तरह है जो ख़ुद सैर होने के बाद तोहफ़ा भेजता है।'

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 3968, तिर्मिज़ी: 2123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6441, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1219, वल हाकिम: 2/213, हाफ़िज़ फ़िल्फ़तह: 5/374.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इस रिवायत की सनद हसन है, लेकिन इस सनद को हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि इसकी सनद में अबू हबीबा नामी रावी मजहूल है, ताहम शवाहिद की बिना पर कुछ उलमा ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 30/86) **(2)** मक़सद ये है कि मौत के वक़्त सदक़ा सवाब के लिहाज़ से सेहत के वक़्त के सदक़े से कमतर है। ये मतलब नहीं कि इसका कोई सवाब या फ़ायदा नहीं क्योंकि नेकी तो हर वक़्त ही मुफ़ीद है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ".

(3645) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान अपनी किसी चीज़ के बारे में वसीयत करना चाहता है, उसके लिये दो रातें भी बग़ैर वसीयत के गुज़ारना जायज़ नहीं बल्कि वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए।

(3645) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1627/1, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6442.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क्योंकि ज़िन्दगी का कोई यक़ीन नहीं। मौत किसी भी वक़्त आ सकती है, लिहाज़ा मतलूब वसीयत फ़ौरन करनी चाहिए, और वसीयत पर गवाह भी मुक़र्रर कर लिये जायें ताकि बाद में झगड़ा न पड़े। वसीयत भी तहरीरी होनी चाहिए ताकि इख़्तिलाफ़ न हो। दो रातों के ज़िक्र से ज़ाहिरन समझ में आता है कि एक रात की ताख़ीर कर सकता है। वल्लाहु आलम! मुमकिन है दो का ज़िक्र इत्तेफ़ाक़न हो जैसा कि आइन्दा किसी हदीस में तीन का भी ज़िक्र है। गोया बिला ज़रूरत एक रात की ताख़ीर भी जायज़ नहीं। **(2)** उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि वसीयत वाजिब नहीं है, सिर्फ़ उस शख़्स के लिये वाजिब है जिसके ज़िम्मे हुक़ूक़ हों, जैसे: फ़र्ज़, अमानत वग़ैरह, ताहम मुस्तहब ज़रूर है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ".

(3646) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान शख़्स के लिये, जिसके पास कोई चीज़ है जिसमें वह वसीयत करना चाहता है, ये मुनासिब नहीं कि वह दो रातें भी गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसके पास उसकी वसीयत तहरीरी सूरत में मौजूद होनी चाहिए।'

(3646) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2738, मौता: 2/761, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6443.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَوْلَهُ.

(3647) हज़रत नाफ़ेअ ने इसे हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) का क़ौल बतलाया है।

(3647) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6444.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فَإِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ

(3648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान आदमी के लिये जायज़ नहीं कि उस पर तीन रातें गुज़रें मगर इस हाल में कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने फ़रमाया:

ثَلاَثُ لَيَالٍ إِلاَّ وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान सुना है, उस वक़्त से मेरी वसीयत (हर वक़्त) मेरे पास मौजूद रहती है।

(3648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1627/4, पिछली हदीस देखें: 3645, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6445.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ فَيَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ".

(3649) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद मोहतरम से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान शख़्स के पास कोई चीज़ हो जिसमें वह वसीयत करना चाहता है, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह तीन रातें भी गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।'

(3649) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1627/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6446.

باب : (٢) هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

बाब : (2) क्या नबी (ﷺ) ने कोई वसीयत फ़रमाई थी?

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ. قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

(3650) हज़रत तल्हा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई वसीयत फ़रमाई थी? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। मैंने कहा: फिर मुसलमानों पर वसीयत करना क्यों ज़रूरी क़रार दिया गया है? उन्होंने फ़रमाया कि आपने किताबुल्लाह पर अमल करने की वसीयत फ़रमाई।

(3650) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2740, मुस्लिम, हदीस: 1634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6447.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नहीं' यानी कोई माली वसीयत नहीं फ़रमाई क्योंकि आपका कुल तर्का वक़्फ़ था जो बैतुल माल में जमा हुआ। या इस वसीयत की नफ़ी है जो कुछ बेदीन लोगों ने मशहूर की थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) के हक़ में ख़िलाफ़त की वसीयत की थी। **(2)** 'मुसलमानों पर वसीयत' शायद उनको इशारा: (कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र .....) की तरफ़ हो, हालांकि ये आयत तो मन्सूख़ है। या मुमकिन है इन अहादीस़ की तरफ़ इशारा हो जिनका तज़्किरा गुज़िश्ता औराक़ (हदीस़: 3645 से 3649) में हुआ। उन अहादीस़ में भी वसीयत के फ़र्ज़ होने की स़राहत नहीं बल्कि वसीयत में ताख़ीर से रोका गया है कि अगर कोई वसीयत करना चाहता है तो ताख़ीर न करे। **(3)** 'किताबुल्लाह ..... की वसीयत फ़रमाई' और यही आपका सारी ज़िन्दगी मतलूब व मक़सूद रहा, लिहाज़ा वसीयत भी इसी से मुताल्लिक़ फ़रमाई।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ أَوْصَى بِشَىْءٍ.

(3651) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (वफ़ात के वक़्त) कोई दीनार, दिरहम, बकरी, ऊँट नहीं छोड़े और न आपने (माल या ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़) कोई वसीयत फ़रमाई।

(3651) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1635, पिछली हदीस़ देखें, 6448.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَمَا أَوْصَى.

(3652) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) स रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (अपनी वफ़ात के वक़्त) कोई दिरहम, दीनार, बकरी और ऊँट वग़ैरह नहीं छोड़ कर गये। और न आपने कोई वसीयत की।

(3652) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6449.

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ، وَأَحْمَدُ

(3653) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई दिरहम, कोई दीनार,

بْنُ يُوسُفَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ أَوْصَى. لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرٌ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا.

कोई बकरी या कोई ऊँट नहीं छोड़ा, और न आपने कोई वसीयत ही फ़रमाई।

(रावि-ए-हदीस) जाफ़र बिन मुहम्मद ने (रिवायत बयान करते हुये) दीनार व दिरहम का ज़िक्र नहीं किया।

(3653) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6450.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ये रिवायत अपने दो उस्ताद जाफ़र बिन मुहम्मद और अहमद बिन यूसुफ़ से बयान करते हैं। आख़री जुम्ले में ये बताना चाहते हैं कि जाफ़र बिन मुहम्मद ये रिवायत बयान करते वक़्त (दिरहमा व ला दीनारा) के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं करते जबकि अहमद बिन यूसुफ़ इन अल्फ़ाज़ को नक़ल करते हैं। इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद सिर्फ़ दोनों की रिवायत का फ़र्क़ बताना है, इससे रिवायत की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ता, और इमाम नसाई के उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ भी इन अल्फ़ाज़ को बयान करते हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى

(3654) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: लोग कहते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को वसीयत फ़रमाई है (जबकि हक़ीक़त ये है कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेशाब करने के लिये थाल मँगवाया। इतने में आपके आज़ा ढीले पड़ गये (और आप अल्लाह को प्यारे हो गये) मुझे (आपकी वफ़ात का) पता भी नहीं चला तो आपने किस को वसीयत फ़रमा दी?

(3654) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6451.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का मक़सूद ये है कि मैं वफ़ात से क़ब्ल हमा वक़्त रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में मसरूफ़ रही। वफ़ात से कई दिन पहले आप मेरे घर मुन्तक़िल हो चुके थे। अगर आप हज़रत अली (رضي الله عنه) को वसीयत फ़रमाते तो मुझे लाज़िमन इल्म होता, और फिर ऐन वफ़ात के वक़्त तो

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया मक्का मुकर्रमा का है फ़तहे मक्का के मौक़े पर। (2) 'बेटी के सिवा' यानी औलाद में से, वरना अ़स्बात तो थे। (3) 'ज़्यादा ही है' इससे कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि सुलुस (तिहाई) से भी कम में वसीयत करनी चाहिए। दीगर हज़रात मआनी करते हैं: 'एक तिहाई बहुत है।' गोया एक तिहाई में वसीयत हो सकती है। (4) मरीज़ की इयादत और उसके लिये शिफ़ा की दुआ करना मशरूअ है और मरीज़ के लिये जायज़ है कि वह अपनी बीमारी की शिद्दत को बयान करे लेकिन इसमें कराहत और अ़दमे रिज़ा का पहलू न हो।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ " لاَ " . قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ " لاَ " . قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ " .

(3657) हज़रत सअ़द (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) मेरी बीमार पुर्सी को तशरीफ़ लाये। मैं उन दिनों मक्का में था। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: निस्फ़? फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: तो फिर तिहाई? आपने फ़रमाया: 'हाँ तिहाई। तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को मालदार छोड़ कर मरे तो बेहतर है बजाये इसके कि तू उन्हें फ़क़ीर छोड़ कर मरे कि वह लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें।'

(3657) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2742, मुस्लिम, हदीस: 1628, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई: 6454.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَ

(3658) हज़रत सअ़द (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मक्का मुकर्रमा में नबी-ए-अकरम (ﷺ) इस (सअ़द) की बीमार पुर्सी को आया करते थे क्योंकि आप इस बात को नापसन्द फ़रमाते थे कि कोई शख़्स उस जगह फ़ौत हो जहाँ से वह हिजरत कर चुका है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह सअ़द बिन अ़फ़रा पर रहम फ़रमाये।' (क्योंकि वह मक्का में फ़ौत हो गये

आप मेरी गोद में थे, और माली वसीयत तो आपको करनी ही नहीं थी क्योंकि आपने माल छोड़ा ही नहीं। बाक़ी रही किताब व सुन्नत की वसीयत तो वह सब मुसलमानों के लिये थी न कि सिर्फ़ हज़रत अ़ली के लिये। और अगर ख़िलाफ़त की वसीयत मुराद हो तो हज़रत अ़ली (ﷺ) ने कभी ऐसी वसीयत का दावा नहीं फ़रमाया, लिहाज़ा ये सिर्फ़ प्रोपेगेण्डा था।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي - قَالَتْ - وَدَعَا بِالطَّسْتِ.

(3655) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुये तो आपके पास मेरे सिवा कोई और न था। आपने थाल मँगवाया।

(3655) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6452.

باب(٣): الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

बाब : (3) वसीयत एक तिहाई माल में हो सकती है

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ".

(3656) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं इस क़द्र बीमार हो गया कि मौत को झाँकने लगा। रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरी बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये। मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है और मेरी बेटी के सिवा मेरा कोई वारिस नहीं। तो क्या मैं अपना दो तिहाई माल सदक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: निस्फ़? फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: एक तिहाई? फ़रमाया: 'एक तिहाई, एक तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को मालदार छोड़ कर जाये तो वह बेहतर है बजाये इसके कि तू उन्हें फ़क़ीर बनाकर छोड़ जाये। वह लोगों से (भीख) माँगते फिरें।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6733, मुस्लिम, हदीस: 1628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6453.

ابْنَ عَفْرَاءَ أَوْ يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ ". وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ".

थे) उस वक़्त मेरी एक बेटी ही थी। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: जी! निस्फ़? फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: तिहाई? फ़रमाया: 'हाँ तिहाई बल्कि तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को मालदार छोड़ कर जाये तो बेहतर है इस बात से कि उन्हें फ़क़ीर छोड़ जाये। वह लोगों के हाथ तकते रहें।'

(3658) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6455.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ، آلِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ " لاَ ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(3659) हज़रत सअ़द (رضی الله عنه) की आल में से किसी ने बयान किया कि हज़रत सअ़द बीमार हो गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो हज़रत सअ़द ने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सारे माल (को सदक़ा करने) की वसीयत कर दूँ आपने फ़रमाया: 'नहीं' फिर (रावी ने साबिक़ा) हदीस बयान की।

(3659) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/172 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6456, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَكَى بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ بَكَى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمُوتُ بِالأَرْضِ

(3660) हज़रत आ़मिर बिन सअ़द अपने वालिद मोहतरम से बयान करते हैं कि वह मक्का में बीमार हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये। जब सअ़द ने आपको देखा तो रोने लगे और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उस जगह फ़ौत हो जाऊँगा जहाँ से मैंने हिजरत की थी? फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह नहीं' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपने सारे माल की फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा करने की वसीयत कर दूँ?

الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا قَالَ " لاَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ " لاَ ". قَالَ يَعْنِي بِثُلُثَيْهِ قَالَ " لاَ ". قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ " لاَ ". قَالَ فَثُلُثَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَنِيكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ".

आपने फ़रमाया: 'नहीं' उसने कहा: दो सुलुस़ वस़ीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उसने कहा: निस़्फ़ की वस़ीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'नहीं' उसने कहा: फिर सुलुस़ की वस़ीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'सुलुस़! सुलुस़ भी ज़्यादा ही है। तू अपने बेटों को मालदार छोड़ जाये तो ये इससे बेहतर है कि तू उनको फ़क़ीर छोड़ जाये। वह लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें।'

(3660) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6457, देखें, हदीस़: 3657.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِي فَقَالَ " أَوْصَيْتَ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " بِكَمْ ". قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ " فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ". قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ. قَالَ " أَوْصِ بِالْعُشْرِ ". فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ " أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ".

(3661) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी बीमारी के दौरान में मेरी बीमार पुर्सी को तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुमने कोई वस़ीयत की है?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'कितने माल की?' मैंने कहा: अपना तमाम माल फ़ी सबीलिल्लाह स़दक़ा करने की। आपने फ़रमाया: 'अपने बच्चों के लिये क्या छोड़ा है?' मैंने कहा: वह मालदार हैं। फ़रमाया: 'स़िर्फ़ दसवें हिस़्से की व.ीयत करो।' आपकी और मेरी तकरार जारी रही यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'चलो तीसरे हिस़्से की वस़ीयत कर लो। वैसे तीसरा हिस़्सा भी ज़्यादा ही है।'

(3661) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 975, मुसनद अहमद: 1/174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6458.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ

(3662) हज़रत सअ़द (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) मेरी बीमारी के दौरान में बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये। मैंने कहा: ऐ

أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ " لاَ ". قَالَ فَالشَّطْرُ قَالَ " لاَ ". قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ".

अल्लाह के रसूल! मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: निस्फ़? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: तिहाई? आपने फ़रमाया: 'तिहाई! तिहाई भी बहुत है।'

(3662) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/172, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6459.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ " لاَ ". قَالَ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ " لاَ ". قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ " نَعَمِ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ ".

(3663) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत सअ़द (ﷺ) की बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ ले गये। सअ़द (ﷺ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने दो तिहाई माल की वसीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहा: तो फिर तिहाई की वसीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहा: तो फिर तिहाई की वसीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'तिहाई की वसीयत कर दो) वैसे तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को मालदार छोड़ कर जाये तो ये बेहतर है इससे कि तू उन्हें फ़क़ीर व नादार छोड़ कर जाये कि वह लोगों से माँगते फिरें।'

(3663) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6460.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ".

(3664) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि अगर लोग तिहाई से कम कर के चौथाई तक वसीयत करें तो बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था: 'तिहाई भी ज़्यादा ही है।'

(3664) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2743, मुस्लिम, हदीस: 1629, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6461.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ ". قَالَ فَأُوصِي بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لاَ ". قَالَ فَأُوصِي بِثُلُثِهِ قَالَ " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ".

(3665) हज़रत सअ़द बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये। मैं बीमार था। मैंने कहा: मेरी औलाद सिर्फ़ एक बेटी है तो क्या मैं अपना सब माल फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च करने की वसीयत कर दूँ? नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: निस्फ़ माल की वसीयत कर दूँ? नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: तो तिहाई की वसीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'तिहाई की कर दो। वैसे तिहाई भी ज़्यादा ही है।'

(3665) तख़रीज : (सनद सही) अद्दारमी: 2/407, हदीस: 3198, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6462.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جُدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ. قَالَ " اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ ". فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّمَا أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا

(3666) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जंगे उहुद के दिन शहीद हो गये। छः बेटियाँ और अपने ज़िम्मे बहुत क़र्ज़ छोड़ गये। जब खजूरों की कटाई का वक़्त आया तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया: आप जानते हैं कि मेरे वालिद उहुद की जंग के दिन शहीद हो गये थे। वह अपने ज़िम्मे काफ़ी क़र्ज़ छोड़ गये हैं। मैं चाहता हूँ (आप तशरीफ़ लायें ताकि शायद) क़र्ज़ ख़्वाह हज़रात आपका लिहाज़ रखें (और रिआयत कर दें) आपने फ़रमाया: 'तुम जाओ और हर क़िस्म की खजूरों के अलग अलग ढेर लगा दो।' मैं ऐसा करने के बाद फिर आपको बुला लाया। जब क़र्ज़ ख़्वाहों ने आपको देखा तो वह मुझ पर बहुत भड़के। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके तर्ज़े अ़मल को देखा तो आप (उठे और) सबसे बड़े ढेर के इर्द

يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " ادْعُ أَصْحَابَكَ ". فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَأَنَا رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً.

गिर्द चक्कर लगाने लगे। तीन चक्कर लगाने के बाद आप उस पर बैठ गये, फिर फ़रमाया: 'अपने क़र्ज़ ख़्वाहों को बुलाओ।' आप उन सबको माप माप कर देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने मेरे वालिद का सब क़र्ज़ उतार दिया। मैं तो इस बात पर भी राज़ी था कि मेरे वालिदे मोहतरम का क़र्ज़ अदा हो जाये, ख़्वाह कुछ भी बाक़ी न रहे। (मगर क़र्ज़ की अदायगी के बावजूद) एक खजूर भी कम नहीं हुई।

(3666) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4053, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6463.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत का ऊपर दिये गये बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता आइन्दा बाब से ताल्लुक़ है। इमाम नसाई (رحمه الله) बहुत जगह ऐसा करते हैं। उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। मुमकिन है तवील बाब के आख़िर में एक हदीस बाब की तब्दीली की तरफ़ इशारा करने के लिये लाते हों कि नया बाब आ रहा है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'छ: छ: बेटियाँ' कुछ रिवायात में नो का ज़िक्र है। मुमकिन है तीन शादीशुदा हों, इसलिये यहाँ उनका ज़िक्र नहीं किया। ये छ: ग़ैर शादी शुदा थीं जिनकी ज़िम्मेदारी हज़रत जाबिर के ज़िम्मे थी। वल्लाहु आलम! **(3)** 'भड़के' दरअसल वह यहूदी थे और यहूदी इन्तेहाई ख़ुद ग़र्ज़, संग दिल और बे लिहाज़ क़ौम हैं बल्कि हर सूद ख़ोर शख़्स ऐसा ही होता है। **(4)** 'चक्कर लगाये' बरकत के लिये या खजूरों की मिक़्दार का सही अन्दाज़ा करने के लिये। **(5)** 'कम नहीं हुई' ये नबी (ﷺ) की बरकत थी। **(6)** हाकिम का अपनी रिआया की ज़रूरत पूरी करने के लिये ख़ुद चल कर जाना और उनके हक़ में सिफ़ारिश करना ताकि उनके साथ नर्मी का मामला किया जा सके, मुस्तहब अमल है।

بَابُ (٤): قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيهِ

बाब : (4) क़र्ज़ की अदायगी विरासत की तक़्सीम से क़ब्ल होनी चाहिए और हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस नक़ल करने वालों के, इस हदीस में, इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - وَهُوَ الأَزْرَقُ - قَالَ

(3667) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मेरे वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ فَانْطَلِقْ مَعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لِكَىْ لاَ يَفْحُشَ عَلَىَّ الْغُرَّامُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا فَسَلَّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَأَوْفَاهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَخَذُوا.

बिन हराम (ﷺ)) फ़ौत हो गये। उनके ज़िम्मे काफ़ी क़र्ज़ था। मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और गुज़ारिश की: अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो गये हैं। उन पर काफ़ी क़र्ज़ है। उन्होंने (अदायगी के लिये) कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए उसके जो खजूरें फल देंगी, जबकि खजूरों की पूरी फ़स्ल भी उनका क़र्ज़ न चुका सकेगी बल्कि कई साल लगेंगे, लिहाज़ा ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें ताकि क़र्ज़ ख़्वाह मुझसे बद सुलूकी न करें, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाकर हर ढेर के गिर्द घूमते रहे और बरकत व सलामती की दुआ फ़रमाते रहे, फिर ऊपर बैठ गये और क़र्ज़ ख़्वाहों को बुलाया। फिर उन्हें पूरा पूरा क़र्ज़ अदा किया। फिर भी इतनी खजूरें बची रहीं जितनी उन लोगों (क़र्ज़ ख़्वाहों) ने लीं।

(3667) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6464.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ - قَالَ - وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا

(3668) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि (मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम (ﷺ) फ़ौत हो गये और बहुत सा क़र्ज़ अपने ज़िम्मे छोड़ गये। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से दरख़्वास्त की कि आप उनके क़र्ज़ ख़्वाहों से सिफ़ारिश फ़रमायें कि वह उनके ज़िम्मे कुछ क़र्ज़ माफ़ कर दें। आपने उनसे कहा मगर उन लोगों ने बात न मानी। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: 'जाओ! हर क़िस्म की खजूरें अलग अलग रखो। अज्वा अलग, अज़्क़ इब्ने ज़ैद

الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَصْنَافَهُ ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ ". قَالَ فَفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ فِي أَعْلاَهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ ثُمَّ قَالَ " كِلْ لِلْقَوْمِ ". قَالَ فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ ثُمَّ بَقِيَ تَمْرِي كَأَنْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

अलग, इसी तरह दूसरी। फिर मुझे पैग़ाम भेजना।' मैंने इसी तरह किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये। और उनके ऊपर या दरम्यान में बैठ गये और फ़रमाया: 'उन्हें माप कर दो।' मैंने उन्हें माप माप कर देनी शुरू कर दीं यहाँ तक कि सबको उनका क़र्ज़ पूरा पूरा अदा कर दिया, फिर भी मेरी खजूरें बच गईं गोया कि उनमें कुछ भी कमी न आई।

(3668) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6465.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، - حَرَمِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَهُ وَتُؤَخِّرَ نِصْفَهُ ". فَأَبَى الْيَهُودِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجِدَادَ ". فَآذِنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ - فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ - ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ

(3669) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक यहूदी को मेरे वालिद मोहतरम से कुछ खजूरें लेनी थीं। वह जंगे उहुद के दिन शहीद हो गये और दो बाग़ छोड़ गये। लेकिन (मेरे अन्दाज़े के मुताबिक़) उस यहूदी का क़र्ज़ दोनों बाग़ों के फल के बराबर था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने यहूदी से कहा: क्या तू इतनी रिआयत करेगा कि निस्फ़ क़र्ज़ इस साल ले ले और निस्फ़ बाद में ले लेना।' यहूदी ने इन्कार कर दिया। तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'जब खजूरों की कटाई पूरी हो जाये तो मुझे बताना।' चुनांचे मैंने वक़्त पर बताया तो आप (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) तशरीफ़ लाये। नीचे से खजूरें माप माप कर दी जाती रहीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) बरकत की दुआ फ़रमाते रहे। यहाँ तक कि छोटे बाग़ ही से हमने उसे उसका क़र्ज़ पूरा कर दिया, फिर मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपके साथियों के पास ताज़ा खजूरें और पानी लाया। सब ने खाया और पिया। फिर आपने फ़रमाया: 'ये वह नेमतें हैं जिनके

فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ " هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ ".

बारे में तुमसे सवाल किया जायेगा।'

(3669) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/338, 351, 391, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6466.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ " إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي ". فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ " ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ ". قَالَ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ " ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ ". فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالاَ قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ.

(3670) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेरे वालिद मोहतरम फ़ौत हुये तो उनके ज़िम्मे बहुत सा क़र्ज़ था। मैंने उनके क़र्ज़ ख़्वाहों को पेशकश की कि वह अपने क़र्ज़ के ऐवज़ इस साल का सारा फल ले लें। वह न माने। उनका ख़्याल था कि इस फल से क़र्ज़ पूरा नहीं होगा, चुनांचे मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूरी बात कह सुनाई। आपने फ़रमाया: 'जब तू खजूरें काट कर खलियान में रख ले तो मुझे इत्तिला करना।' जब मैंने खजूरें काट कर खलियान में रख लीं तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, चुनांचे आप, हज़रत अबू बक्र(ﷺ) और हज़रत उमर (ﷺ) के साथ तशरीफ़ लाये और खलियान पर बैठ कर बरकत की दुआ की। फिर फ़रमाया: 'अपने क़र्ज़ ख़्वाहों को बुलाओ और उन्हें उनका क़र्ज़ पूरा पूरा देते जाओ।' जिस किसी का भी मेरे वालिद मरहूम के ज़िम्मे क़र्ज़ था, मैंने उन सब को अदा कर दिया, फिर भी तेरह वस्क़ बच गये। मैंने आपसे तज़्किरा किया तो आप मुस्कुराये और फ़रमाया: 'जाकर अबू बक्र और उमर को भी बताओ।' मैंने उन्हें बताया तो वह कहने लगे: जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहाँ दुआ की थी तो हमें उसी वक़्त यक़ीन हो गया था कि ऐसे ही होगा।

(3670) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6467.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी भी लम्बे वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात एक हदीस़ में ज़िक्र नहीं हो सकतीं। कुछ बातें एक रिवायत में होती हैं, कुछ दूसरी में, 'व हाकज़ा' इसलिये मुख़्तलिफ़ रिवायात ज़िक्र फ़रमाईं ताकि वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात वाज़ेह हो जायें। अगर ज़ाहिरन तआरुज़ नज़र आये तो अक़्ली दलालत से तत्बीक़ दी जायेगी, इसीलिये कुछ मक़ामात में क़ौसैन में इज़ाफ़े किये गये हैं। **(2)** अगर ज़रूरतमन्द की हाजत पूरी करने की क़ुदरत न हो तो दुआ के ज़रिये से उसकी मदद की जा सकती है।

बाब : (5) वारिस़ के हक़ में वस़ीयत करना जायज़ नहीं

باب(٥): إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".

(3671) हज़रत अम्र बिन ख़ारिजा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और कहा: 'अल्लाह तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा अब वारिस़ के लिये वस़ीयत नहीं की जा सकती।'

(3671) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 2121, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6468, अबी दाऊद, हदीस़: 3565.

फ़ायदा : इब्तेदाई दौर में औलाद वारिस़ बनती थी। माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों के लिये वस़ीयत की जाती थी। उनका हक़ मुक़र्रर नहीं था। उसी दौर में ये आयत उतरी: 'तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत आने लगे तो, अगर वह माल छोड़े जा रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिये मारूफ़ तरीक़े से वस़ीयत करे।' (अल बक़र: 2/180) फिर अल्लाह तआला ने सूर-ए-निसा में वालिदैन, औलाद, ख़ाविन्द, बीवी और बहन भाईयों के हिस़्से मुक़र्रर फ़रमा दिये, लिहाज़ा अब वस़ीयत की ज़रूरत न रही। शाज़ व नादिर तौर पर अगर किसी के लवाहिक़ीन में कोई नादार शख़्स़ ग़ैर वारिस़ है तो वह उसके लिये वस़ीयत कर सकता है लेकिन वारिस़ के हक़ में न मुक़र्ररा हद से ज़्यादा की वस़ीयत की जा सकती है न कम की। जो मुक़र्रर कर दिया गया है, वही मिलेगा। इस बात को इस हदीस़ ने बयान कर दिया। अब चाहे यूँ कह लें कि इस हदीस़ ने पहली आयत को मन्सूख़ कर दिया और चाहे तो यूँ कह लें कि पहली आयत को मन्सूख़ तो मुक़र्ररा हिस़्सों वाली आयत ने किया है लेकिन नस्ख़ का बयान इस हदीस़ में है। बहरहाल मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है कि न वारिस़ का हिस़्सा बढ़ाया जा सकता है, न कम किया जा सकता है। महरूम करना तो दूर की बात है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ غَنْمٍ، ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ، ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلاَ تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ".

(3672) हज़रत इब्ने ख़ारिजा (ﷺ) ने ज़िक्र फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपनी सवारी पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा और सुना है, जबकि सवारी जुगाली कर रही थी और उसका लुआब (मेरे कंधों के दरम्यान) गिर रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने हर शख़्स को विरासत में से हिस्सा दे दिया है, लिहाज़ा वारिस के लिये वसीयत जायज़ नहीं।'

(3672) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6469.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लुआब गिर रहा था' गोया ये ऊँटनी की गर्दन के नीचे खड़े थे। मुमकिन है अदबन महार पकड़ रखी हो। **(2)** 'हर शख़्स को' यानी जिसे विरासत का अहल समझा। अक्सर वारिसीन का ज़िक्र क़ुर्आन मजीद में है। कुछ वारिसीन के हिस्सों का ज़िक्र अहादीस में है, जैसे: दादी, नानी का हिस्सा। उन सब हिस्सों की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ ही है क्योंकि हदीस भी तो वह्य है।

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".

(3673) हज़रत अम्र बिन ख़ारिजा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (ﷻ) ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा किसी वारिस के बारे में (कमी या बेशी की) वसीयत नहीं की जा सकती।'

(3673) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6470.

بَاب : (٦)
إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ

बाब : (6)
जब मय्यत अपने क़रीबी रिश्तेदारों के लिये वसीयत कर दे (तो मुराद कौन होंगे?)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3674) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी: (व अन्ज़िर अशीरतकल

جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ " يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَيَا بَنِي هَاشِمٍ وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا ".

अक़्रबीन) 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़रीबी को दावत दी। आपने उमूमी तौर पर भी सब को डराया और ख़ास़ ख़ास़ नाम लेकर भी। आपने फ़रमाया: 'ऐ कअ़ब बिन लूई की औलाद! ऐ मुर्रा बिन कअ़ब की औलाद! ऐ अ़ब्दे शम्स की औलद! ऐ अ़ब्दे मुनाफ़ की औलाद! ऐ हाशिम की औलाद! ऐ अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद! अपने आपको आग से बचा लो। ऐ फ़ातिमा! तू भी अपने आपको आग से बचा ले। मैं तुम्हारे लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। अलबत्ता मेरी तुमसे रिश्तेदारी है। मैं इसके तक़ाज़े पूरे करता रहूँगा।'

(3674) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6471.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम होता है कि क़रीबी रिश्तेदारों से मुराद पूरा क़बीला है, ख़्वाह मुस्लिम हों या काफ़िर। विरास़त में चूंकि कुफ़्र मानेअ़ है, लिहाज़ा रिश्तेदारों के लिये वस़ीयत की सूरत में काफ़िर रिश्तेदारों को नहीं शामिल किया जायेगा। (2) 'आग से बचा लो' यानी जहन्नम की आग से बचा लो। कुफ़्र व शिर्क को छोड़ कर और मेरी इताअ़त करके। (3) 'इख़्तियार नहीं रखता' कि तुम्हें अल्लाह की रहमत दे सकूँ या तुम से उसके अ़ज़ाब को रोक लूँ। बाक़ी रही शफ़ाअ़त तो वह भी अल्लाह तआ़ला की इजाज़त के साथ मुक़य्यद है, लिहाज़ा इसमें भी 'मुख़्तारे कुल' नहीं। (4) रिश्तेदारी के तक़ाज़ों से मुराद दुनियावी लेन देन, हमदर्दी और तब्लीग़ वग़ैरह हैं। (5) तब्लीग़ में रिश्तेदारी को मुक़द्दम करने का मक़स़द भी उनकी क़राबत का हक़ अदा करना और उन पर हुज्जत क़ाइम करना है ताकि ग़ैर क़राबत दारों को ऐतराज़ का मौक़ा न मिल सके।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ مُوسَى

(3675) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्दे मुनाफ़ की औलाद! अपने आपको रब तआ़ला (के अ़ज़ाब) से बचा लो। मैं तुम्हारे लिये अल्लाह

بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ أَنَا بَالُّهَا بِبِلاَلِهَا ".

तआला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! अपने आपको अपने रब्बे करीम (के अज़ाब) से छुड़ा लो। मैं तुमहारे लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। लेकिन मेरा तुमसे रिश्ता है जिसका हक़ मैं अदा करता रहूँगा।'

(3675) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6472.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قَالَ " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ".

(3676) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ये आयत नाज़िल हुई: (व अन्ज़िर अशीरतकबल अक़्रबीन) 'और (ऐ पैग़म्बर!) अपने क़रीबी रिश्तेदारों को (अज़ाबे इलाही से) डराये।' तो आपने फ़रमाया: 'ऐ जमाअते क़ुरैश! अपने आपको (तौहीद के ज़रिये से) अल्लाह तआला (के अज़ाब) से छुड़ा लो। मैं तुम्हारे लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! मैं तुम्हारे लिये भी अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! मैं तेरे लिये भी अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़्तियार नहीं रखता। ऐ रसूलुल्लाह(ﷺ) की फूफी सफ़िया! मैं तुझे भी अल्लाह तआला (के अज़ाब) से कोई फ़ायदा नहीं दे सकूँगा। ऐ मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा! (दुनिया में) मुझसे जो चाहे माँग ले मगर अल्लाह तआला (के अज़ाब) से मैं तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।'

(3676) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4771, मुस्लिम, हदीस: 206, देखें, हदीस: 3674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6473.

फ़ायदा : 'फ़ायदा न दे सकूँगा' यानी अगर तुम मुसलमान न हुये, और अपने इख़्तियार से तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ سَلِينِي مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ".

(3677) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ये आयत नाज़िल हुई: 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए और फ़रमाया: 'ऐ जमाअ़ते क़ुरैश! अपने आपको अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से छुड़ा लो। मैं अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ अ़ब्दे मुनाफ़ की औलाद! मैं तुम्हें अल्लाह तआ़ला (की पकड़) से कोई किफ़ायत नहीं कर सकूँगा। ऐ अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब! मैं तुझे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ रसूलुल्लाह (ﷺ) की फूफी सफ़िया! मैं तुझे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ फ़ातिमा! तू (दुनिया में) मुझ से जो चाहे माँग ले, मैं तुझे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।'

(3677) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2753, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6474.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنْذِرْ

(3678) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब ये आयत उतरी: 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों को (अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब से) डराइये।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद! ऐ सफ़िया

عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ ".

बिन्ते अ़ब्दुल मुत्तलिब! ऐ अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद! मैं तुम्हें अल्लाह तआ़ला (की पकड़) से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। दुनियावी माल में से मुझसे जो चाहो माँग लो।'

(3678) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 205/350, देखें, हदीस़: 3674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6475.

باب(٧): باب(٧): إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ هَلْ يُسْتَحَبُّ لأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

बाब : (7) अगर कोई अचानक फ़ौत हो जाये तो क्या घर वालों के लिये बेहतर है कि उसकी तरफ़ से स़दक़ा करें?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ ". فَتَصَدَّقَ عَنْهَا.

(3679) हज़रत आ़यशा (﵅) से मरवी है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: मेरी वालिदा की जान अचानक निकल गई। अगर उसे बातचीत का मौक़ा मिलता तो वह ज़रूर स़दक़ा करती। क्या मैं अब उसकी तरफ़ से स़दक़ा कर सकता हूँ? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' चुनांचे उस शख़्स़ ने अपनी वालिदा की तरफ़ से स़दक़ा किया।

(3679) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2760, मौता: 2/760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6476.

फ़ायदा : ये शख़्स़ हज़रत सअ़द बिन उबादा (﵁) थे। ये ख़ुद और उनकी वालिदा मोहतरमा इन्तेहाई सख़ी थे। वह नेक और सख़ी ख़ातून उनकी अ़दमे मौजूदगी में अचानक फ़ौत हो गई थीं। तफ़्सील आइन्दा हदीस़ में आ रही है।

أَنْبَأَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(3680) हज़रत सअ़द बिन अ़म्र बिन शुरहबील बिन सईद बिन सअ़द बिन उ़बादा अपने वालिद से और वह अपने दादा हज़रत सईद बिन सअ़द बिन उबादा (﵁) से रिवायत करते हैं कि (मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत सअ़द बिन उबादा(﵁) नबी-ए-

جَدِّهِ، قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِي. فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِي الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ ". فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.

अकरम (ﷺ) के साथ किसी जंग में गये हुये थे कि मदीना मुनव्वरा में उनकी वालिदा मोहतरमा की वफ़ात का वक़्त आ गया। उनसे कहा गयाः कोई वसीयत फ़रमाइये। वह कहने लगीं: मैं क्या वसीयत करूँ? माल तो सअ़द का है। वह हज़रत सअ़द(ﷺ) के वापस आने से पहले ही फ़ौत हो गयीं। फिर जब सअ़द आये तो उनसे इस बात का तज्किरा किया गया, चुनांचे वह (रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास हाज़िर होकर) कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या उन्हें फ़ायदा होगा? नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः 'हाँ' सअ़द कहने लगेः मेरा फुलां फुलां बाग़ उनकी तरफ़ से सदक़-ए-जारिया है।

(3680) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा फ़ी सहीहा, हदीसः 2500, मौताः 2/760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6477, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीसः 857.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पिछली रिवायत में ज़िक्र था कि 'उनकी जान अचानक निकल गई।' इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें बिल्कुल बातचीत का मौक़ा नहीं मिला। उसका मतलब ये है कि वह ज़्यादा देर बीमार न रहीं बल्कि थोड़ी देर ही में फ़ौत हो गयीं, वरना उन्होंने कुछ न कुछ बातचीत की है। या मुमकिन है वफ़ात के क़रीब उनकी ज़बान बन्द हो गई हो और वह कलाम न कर सकी हों जैसा कि कुछ अहादीस से मालूम होता है। और ये बातचीत पहले की हो। **(2)** 'हाँ' मालूम हुआ मय्यत की तरफ़ से माली सदक़ा किया जा सकता है और मय्यत को उसका फ़ायदा होगा। **(3)** माली सदक़े के बारे में तो इत्तेफ़ाक़ है कि मय्यत की तरफ़ से किया जा सकता है मगर बदनी इबादात, जैसेः क़िराअते क़ुर्आन, नमाज़, वग़ैरह के बारे में इख़्तिलाफ़ है राजेह बात यही है कि ये मय्यत की तरफ़ से अदा नहीं किये जा सकते, न ईसाले सवाब की नियत ही से उन्हें अदा करना जायज़ है, अलबत्ता रोज़े के बारे में नबी (ﷺ) का फ़रमान हैः 'जो शख़्स फ़ौत हो गया और उसके ज़िम्मे रोज़े थे तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखेगा।' इसी तरह अगर मय्यत तरका छोड़ गई है और उसके ज़िम्मे हज था या नज़र वग़ैरह तो उसके वारिसीन उसकी तरफ़ से अदा करेंगे। वैसे औलाद के बदनी व माली हर नेक काम का अज्र वालिदैन को मिलता रहता है, ख़्वाह वह नियत करें या न करें क्योंकि औलाद वालिदैन के लिये सदक़-ए-जारिया है। वल्लाहु आलम! (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये हदीसः 3696)

बाब : (8) मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करने की फ़ज़ीलत

باب(٨): فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ".

(3681) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इन्सान मर जाता है तो तीन सूरतों के अलावा, उसके सब अमल मुन्क़तअ हो जाते हैं। (और वह ये हैं:) सदक़-ए-जारिया, वह इल्म जिससे (बाद में भी) फ़ायदा उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करती रहे।'

(3681) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1631, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6478.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सदक़-ए-जारिया' यानी ऐसा सदक़ा जिसका फ़ायदा लोगों को सदक़ा करने वाले की वफ़ात के बाद भी तादेर पहुँचता रहे। जब तक उसका फ़ायदा जारी रहेगा, तब तक सवाब भी जारी रहेगा। लेकिन इससे मुराद वह सदक़ा है जो मय्यत ने अपनी ज़िन्दगी में ख़ुद किया हो न कि वह जो मय्यत की तरफ़ से उसकी वफ़ात के बाद किया जाये। बाब के उन्वान से मालूम होता है कि इमाम नसाई (رحمه الله) दूसरा सदक़ा मुराद ले रहे हैं लेकिन ये दुरुस्त नहीं क्योंकि यहाँ मय्यत के आमाल का ज़िक्र है। **(2)** 'वह इल्म' जैसे: तस्नीफ़शुदा किताबें या तर्बीयत शुदा शागिर्द या कैसेट वग़ैरह। **(3)** 'नेक औलाद' जिसकी उसने सही तर्बीयत की हो और उसे अच्छे कामों का आदी बनाया हो। (मज़ीद तफ़्सील साबिक़ा हदीस में मुलाहिज़ा फ़रमायें)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ ".

(3682) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से कहा: मेरे वालिद मोहतरम फ़ौत हो गये हैं। वह काफ़ी माल छोड़ गये हैं लेकिन उन्होंने कोई वसीयत वग़ैरह नहीं की। अगर मैं उनकी तरफ़ से (अपने तौर पर) सदक़ा कर दूँ तो क्या उनकी ये ग़लती माफ़ हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(3682) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6479.

फ़ायदा : 'ये ग़लती' यानी कस्रते माल होने के बावजूद सदक़ा और वसीयत न करने की। उसे गुनाह इस तनाज़ुर में शुमार किया है कि ये एक ऐसे अज्रे अज़ीम से महरूमी है जिसका हुसूल बिल्कुल मुमकिन था। या मुराद आम ग़लतियाँ हैं, यानी मेरे सदक़ा करने से क्या उनके गुनाह माफ़ हो जायेंगे?

(3683) हज़रत शरीद बिन सुवैद सक़फ़ी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा ने (वफ़ात के वक़्त) वसीयत की थी कि मेरी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाये। मेरे पास एक हबशी लौण्डी है। अगर मैं उसे आज़ाद कर दूँ तो क्या मेरी ज़िम्मेदारी अदा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे पास लेकर आ।' मैं लेकर आया तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'मैं कौन हूँ?' उसने कहा: आप अल्लाह तआला के रसूल हैं। आपने फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दे। ये मोमिना है।'

(3683) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6480.

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً نُوبِيَّةً أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُعْتِقَهَا عَنْهَا قَالَ " ائْتِنِي بِهَا ". فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ رَبُّكِ ". قَالَتِ اللَّهُ. قَالَ " مَنْ أَنَا ". قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ " فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ मोमिन को आज़ाद करना अफ़ज़ल है, और ग़ुलाम, लौण्डी की आज़ादी बराबर है। (2) जो शख़्स अल्लाह तआला की वहदानियत और रसूलुल्लाह(ﷺ) की रिसालत का इक़रार करे तो उसके इक़रार को तस्लीम किया जायेगा। उससे मज़ीद किसी दलील का मुतालबा नहीं किया जायेगा।

(3684) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत सअद (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से पूछा: मेरी वालिदा फ़ौत हो गई है और वह कोई वसीयत नहीं कर सकी, तो क्या मैं (अपने तौर पर) उसकी तरफ़ से सदक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(3684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6481.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ".

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ". قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

(3685) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा फ़ौत हो गई है। अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा कर दूँ तो क्या उसे फ़ायदा होगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उस आदमी ने कहा: मेरे पास एक बाग़ है। मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने वह उसकी तरफ़ से सदक़ा (वक़्फ़) कर दिया है।

(3685) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2770, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6482.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا قَالَ " أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ ".

(3686) हज़रत सअद बन उबादा (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं। उनके ज़िम्मे एक नज़र थी। अगर मैं उनकी तरफ़ से गुलाम आज़ाद कर दूँ तो क्या उनसे (नज़र की) अदायगी हो जायेगी? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अपनी वालिदा की तरफ़ से गुलाम आज़ाद कर सकते हो।'

(3686) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी फिल्कबीर: 6/18, हदीस: 5368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6483, बुख़ारी, हदीस: 2761, मुस्लिम, हदीस: 1638 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से बाक़ी रिवायात, जिनमें मुत्लक नज़र का ज़िक्र है, का इब्हाम दूर हो जाता है कि वह नज़र गुलाम आज़ाद करना थी। कुछ ने कहा है कि मुमकिन है नज़र कुछ और हो लेकिन चूंकि नज़र क़सम के बराबर होती है और क़सम का कफ़्फ़ारा गुलाम आज़ाद करना है, इसलिये नज़र की जगह गुलाम आज़ाद किया गया हो। लेकिन पहली बात ही राजेह मालूम होती है। **(2)** पिछली रिवायात में सिर्फ़ वसीयत का ज़िक्र था। इस रिवायत में नज़र का ज़िक्र है। मुमकिन है दोनों बातें हों। नज़र भी न पूरी कर सकी हों और वसीयत भी न कर सकी हों। हज़रत सअद ने दोनों काम कर दिये। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، عَنْ عِيسَى، -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْضِهِ عَنْهَا ".

(3687) हज़रत सअ़द बिन उबादा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से उस नज़र के बारे में सवाल किया जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी। और वह उसे पूरा करने से पहले फ़ौत हो गई थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ये नज़र उसकी तरफ़ से पूरी कर दो।'

(3687) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6484.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْضِهِ عَنْهَا ".

(3688) हज़रत सअ़द बिन उबादा (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से उस नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थे और वह नज़र पूरी करने से पहले फ़ौत हो गई थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ये नज़र अपनी वालिदा की तरफ़ से पूरी कर दो।'

(3688) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6485.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْضِهِ عَنْهَا ".

(3689) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत सअ़द (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी और वह उसे पूरा करने से पहले फ़ौत हो गई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।'

(3689) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2761, मुस्लिम, हदीस: 1638, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6486.

बाब : (9) सुफ़ियान पर (वाक़ेअ होने वाले इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र)

باب : (٩) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ " اقْضِهِ عَنْهَا ".

(3690) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत सअद बिन उबादा (ﷺ) ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से उस नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थे लेकिन वह उसे पूरा करने से पहले फ़ौत हो गई थी। आपने फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ से तुम उसे पूरा कर दो।'

(3690) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6487, मुस्लिम, हदीस: 1638.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا.

(3691) हज़रत सअद (ﷺ) से रिवायत है मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ौत हो गईं, जबकि उनके ज़िम्मे एक नज़र थी। मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से पूछा तो आपने मुझे वह नज़र उनकी तरफ़ से अदा करने का हुक्म दिया।

(3691) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6488.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْضِهِ عَنْهَا ".

(3692) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि हज़रत सअद बिन उबादा अन्सारी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा मोहतरमा के ज़िम्मे थी लेकिन वह उसकी अदायगी से पहले ही फ़ौत हो गईं थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।'

(3692) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6489.

फ़ायदा : हज़रत सअद (ﷺ) अन्सार के मशहूर क़बीले बनू ख़ज़रज के सरदार थे। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، - هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ " اقْضِهِ عَنْهَا ".

(3693) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत सअद बिन उबादा(ﷺ) नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ौत हो गई हैं। उनके ज़िम्मे एक नज़र थी जिसे वह पूरा न कर सकीं। आपने फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ से तुम पूरी कर दो।'

(3693) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6490.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ". قُلْتُ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " سَقْىُ الْمَاءِ ".

(3694) हज़रत सअद बिन उबादा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ौत हो गई हैं। क्या मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' मैंने अर्ज़ किया: कौन सा सदक़ा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखता है? आपने फ़रमाया: 'पानी पिलाना।'

(3694) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6491, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 858, वल हाकिम: 1/414, देखें, हदीस: 3680.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा रिवायत और माबाद की दो रिवायात को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इन रिवायात को शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है। राजेह यही है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर हसन है। तफ़्सील के लिये देखिये: (मुसनद इमाम अहमद: 37/123-125, व सहीह सुनन अबी दाऊद लिल अल्बानी (मुफ़स्सल): 5/366-369, रक़म: 1474-1476) **(2)** वक़्त वक़्त की बात है। उस वक़्त पानी की क़िल्लत थी, इसलिये आपने पानी पिलाने को अफ़ज़ल क़रार दिया। ज़रूरी नहीं कि हर जगह और हर वक़्त यही अफ़ज़ल हो। जिसे भूख है, ज़ाहिर है उसे खाना खिलाना अफ़ज़ल होगा। इसी तरह मय्यत के हक़ में दुआ करते रहना उन सदक़ात से भी अफ़ज़ल है। मुमकिन है आपने पानी पिलाने को इसलिये अफ़ज़ल

क़रार दिया हो कि उस पर इन्सान और हैवानी ज़िन्दगी मौक़ूफ़ है। पानी पिलाने से मुराद कुआँ खुदवा देना या नलका लगाना वग़ैरह है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " سَقْىُ الْمَاءِ ".

(3695) हज़रत सअ़द बिन उबादा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा स़दक़ा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'पानी पिलाना।

(3695) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6493.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ أُمَّهُ، مَاتَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ". قَالَ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " سَقْىُ الْمَاءِ ". فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ.

(3696) हज़रत सअ़द बिन उबादा (ﷺ) से मरवी है कि वालिदा फ़ौत हो गईं तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं तो क्या मैं उनकी तरफ़ से स़दक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा: अफ़ज़ल स़दक़ा कौन सा है? आपने फ़रमाया: 'पानी पिलाना' इसी बिना पर हज़रत सअ़द (ﷺ) ने मदीना में सबील क़ाइम कर दी थी (ताकि मुसाफ़िर वग़ैरह किसी तंगी के बग़ैर हर वक़्त पानी पी सकें।)

(3696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6493.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सबील मुख़फ़्फ़फ़ है फ़ी सबीलिल्लाह से। जहाँ पानी का ज़ख़ीरा हो और वह आम लोगों के लिये हो, उसे सबील कहते हैं। (2) ईस़ाले स़वाब या इहदा-ए-स़वाब के मसले में बिल उ़मूम लोग इफ़रात व तफ़रीत का शिकार हैं, एक गिरोह तो मुत्लक़न ईस़ाले स़वाब का क़ाइल नहीं और कुछ दूसरे लोगों ने उसे बहुत आ़म कर दिया है और हर तरह की इबादात का स़वाब फ़ौत शुदगान को पहुँचाने के क़ाइल और आमिल हैं, हमारे नज़दीक दोनों गिरोह का मौक़िफ़ स़ही नहीं है।

इसकी अ़दमे मशरूईयत के क़ाइल मुन्किरीने हदीस़ हैं, वह कहते हैं कि क़ुर्आन मजीद में है: 'और इन्सान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी।' (अन्नज्म: 53/39) ये नस़्से क़ुर्आन है जिससे

यही मालूम होता है कि इन्सान को रोज़े क़यामत उसी अ़मल की जज़ा मिलेगी जो उसने ख़ुद किया होगा। अच्छे अ़मल की अच्छी जज़ा और बुरे अ़मल की बुरी जज़ा। ये नहीं होगा कि बुराईयों के मुर्तकिब शख़्स की जज़ा, उसके मरने के बाद, ईसाले सवाब की नियत से किये गये अ़मलों से तब्दील हो जाये। कुर्आनि करीम की ये आयत और इसका ये मफ़हूम बिल्कुल सही है। लेकिन कुर्आनि करीम की ये आयत आ़म है। इससे वह चीज़ें मुस्तस्ना होंगी जिनका इस्बात अहादीसे सहीहा से होता है, इसलिये कि कुर्आन के उ़मूम की तख़्सीस अहादीस से साबित है, कुर्आन के बहुत से उ़मूम की तख़्सीस या उसके इज्माल की तफ़्सील अहादीस से की गई है, इसलिये दीन वह है जो दोनों के मजमूए से साबित है, अहादीस को नज़र अन्दाज़ करके महज़ कुर्आन के उ़मूम या इज्माल से किसी मसले का इस्बात गुमराही है, इसलिये हमें देखना होगा कि कुर्आन के ज़ेरे बहस उ़मूम को अहादीस में किस तरह मख़्सूस किया गया है, वह मख़्सूस या मुस्तस्ना चीज़ें यक़ीनन जायज़ और मुस्तहब बल्कि कुछ हालात में वाजिब होंगी।

○ मय्यत के लिये दुआ व इस्तेग़फ़ार: उनमें एक दुआ व इस्तेग़फ़ार है, यानी फ़ौत शुदगान के लिये मग़फ़िरत और रफ़ओ दर्जात की दुआ व इल्तेजा करना। ये अहादीस से बल्कि ख़ुद कुर्आन से भी साबित है, कुर्आनि करीम में वालिदैन के लिये मग़फ़िरत व तलबे रहमत की दुआ सिखलाई गई है: (रब्बिर्हम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरन) 'ऐ अल्लाह इन पर इस तरह रहमत फ़रमा, जैसे बचपन में इन्होंने मुझे शफ़क़त से पाला।' (बनी इस्राईल 17/24)

ये दुआ सिर्फ़ ज़िन्दगी ही के लिये नहीं बल्कि जब तक इन्सान ज़िन्दा है, उसे हुक्म है कि वह वालिदैन के लिये ये दुआ करता रहे, अब अगर दुआ का फ़ायदा ही मय्यत को न हो तो इस दुआ के करने का क्या मतलब? अगर फ़ौत शुदगान के लिये दुआ की अफ़ादियत ही न हो तो कुर्आनि करीम का ये हुक्म (नऊ़ज़ुबिल्लाह) अबस फ़ेअ़ल क़रार पायेगा। इसी तरह आ़म मोमिनों के लिये मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म है: (रब्बनग फिर लना व लिइख़्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान) 'ऐ अल्लाह हमें बख़्श दे और हमारे उन भाईयों को जिन्होंने ईमान लाने में हमसे सबक़त की।' (अल हश्र: 59/10)

इसमें तमाम मोमिनीने साबिक़ीन आ गये, जिसमें ज़िन्दा मुर्दा सब शामिल हैं यहाँ तक कि सदियों क़ब्ल के फ़ौत शुदा मुसलमान भी, अल्लाह तआ़ला ने अ़र्श के उठाने वाले फ़रिश्तों की बाबत फ़रमाया कि वह अहले ईमान, उनके आबा व अज्दाद और उनकी अज़्वाज व ज़ुर्रियात के लिये मग़फ़िरत व रहमत और दुख़ूले जन्नत की दुआ करते हैं। (अल मोमिन 40/7) फ़रिश्तों की ये दुआ सिर्फ़ ज़िन्दा मुसलमानों ही के लिये नहीं है बल्कि ईमान पर मरने वाले सब मुसलमानों के लिये भी है।

कुर्आनि करीम की मज़्कूरा और दीगर कुछ आयात से वाज़ेह है कि दुआ का फ़ायदा जिस तरह ज़िन्दा को पहुँचता है, उसी तरह मुर्दा को भी पहुँचता है, इसी लिये सबके लिये बिला तख़्सीस दुआ करने का हुक्म है

और फ़रिश्ते भी सब ही के लिये दुआ करते हैं न कि सिर्फ़ ज़िन्दा के लिये। और हदीस़ में भी नबी (ﷺ) ने फ़ौत शुदगान के लिये निहायत ख़ुलूस से दुआ करने का हुक्म दिया है, नमाज़े जनाज़ा बजाये ख़ुद किया है? ये मय्यत के लिये मग़फ़िरत ही की दुआ है। क़ब्रिस्तान जा कर जो दुआ पढ़ी जाती है जिसके अल्फ़ाज़ नबी (ﷺ) ने बयान फ़रमाये हैं, इसमें भी अपने और फ़ौत शुदगान के लिये मग़फ़िरत, सलामती और आफ़ियत की दुआ है, अगर दुआ का फ़ायदा फ़ौतशुदा लोगों को न होता तो नबी (ﷺ) ख़ुद ये दुआएँ पढ़ते न अपनी उम्मत को पढ़ने की तल्क़ीन फ़रमाते। और इसी तरह नमाज़े जनाज़ा पढ़ना भी ग़ैर ज़रूरी होता। इसके अलावा शफ़ाअत से भी मोमिनों को क़यामत के दिन फ़ायदा होगा जो क़ुर्आने करीम से साबित है। ये भी अज़ क़बीले दुआ ही है, इसलिये फ़ौत शुदगान के लिये दुआए मग़फ़िरत, एक मुफ़ीद अमल है।

ताहम दुआ की क़बूलियत के लिये ज़रूरी है कि दुआ में दर्ज ज़ेल आदाब व शराइत को मल्हूज़ रखा जाये:

- ख़ुलूसे दिल और पूरी तवज्जा और निहायत इल्हाह व ज़ारी से दुआ की जाये।
- दुआ करने वाले का ज़रिय-ए-आमदनी हलाल हो, उसकी कमाई हराम की न हो।
- दुआ में पहले हम्द व सना और दरूद शरीफ़ का एहतिमाम किया जाये, वग़ैरह।

○ इन्सान के अच्छे या बुरे अमल का सिला और सदक़ाते जारिया: इन्सान ने ज़िन्दगी में ऐसे काम किये हों जिनके असरात व फ़वाइद उसके मरने के बाद भी जारी रहें, इन फ़ुयूज़ाते जारिया का सवाब भी उसे पहुँचता रहेगा, इसी तरह अगर ऐसे बुरे काम किये होंगे जो महज़ उसकी कोशिशों की वजह से जारी हुये होंगे तो उनका गुनाह भी मुसल्सल उसके नाम-ए-आमाल में दर्ज होता रहेगा, जिसे हदीस़ में है कि जो भी क़त्ल नाहक़ होता है तो क़ातिल के साथ साथ उसका गुनाह आदम (عليه السلام) के बेटे (क़ाबील) को भी मिलता है जिसने सबसे पहले अपने भाई (हाबील) को नाहक़ क़त्ल करके इस ज़ालिमाना रस्म का आग़ाज़ किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 6867).

मशहूर हदीस़ है: 'जब इन्सान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुन्क़तअ हो जाता है लेकिन तीन चीज़ें जारी रहती हैं: 1. सदक़-ए-जारिया, 2. ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता रहे, 3. नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1631)

इस हदीस़ की बुनियाद भी यही है कि ज़िन्दगी में उसने ऐसे अमल किये हों जिसका सिलसिल-ए-फ़ैज़ उसके मरने के बाद भी जारी रहे तो उसका अज्र भी उसे बराबर मिलता रहेगा, सदक़-ए-जारिया (मस्जिद व मदरसा की तामीर, कुआँ या पानी की सबील या पानी की मोटर वग़ैरह लगवाना) उसका अपना अमल

है। लेकिन ऐसा अ़मल जो मरने के साथ ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसके मरने के बाद भी जारी है। दीनी उ़लूम की तालीम व तदरीस या उनकी तौज़ीह व तशरीह उसका अपना अ़मल है, जब तक उसके शागिर्द या किताबें मौजूद हैं और उनसे लोग फ़ैज़याब हो रहे होंगे, उसे अज्र व स़वाब मिलता रहेगा। औलाद की स़ही तर्बीयत करके उन्हें स़ालेह बनाना, उसकी कोशिशों का नतीजा है, जब तक उसकी काविशों की वजह से औलाद नेक रहेगी, नेकी के कामों में हिस़्सा लेती रहेगी, उसे भी अज्र व स़वाब मिलेगा। औलाद क़ी बाबत रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक फ़रमान भी है, फ़रमायाः 'सबसे पाकीज़ा ख़ूराक वह है जो तुम अपनी कमाई से खाओ और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी ही कमाई का हिस़्सा है।' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 1358) इसलिये औलाद की तमाम नेकियों का अज्र अ़लल इत्लाक़ (माँ) बाप को मिलेगा, औलाद उनके लिये दुआ़ करे या न करे। स़हीह मुस्लिम की रिवायत में 'दुआ़ करे' के अल्फ़ाज़ तर्ग़ीब के लिये हैं, शर्त के तौर पर नहीं।

सुनन इब्ने माजा की दर्ज ज़ैल हदीस़ से मज़्कूरा उमूर की मज़ीद वज़ाहत होती है: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः मोमिन को उसकी मौत के बाद उसके आ़माल और हसनात का जो स़िला मिलता है उनमें - वह इल्म है जो उसने लोगों को सिखलाया और उसे फैलाया, - वह नेक औलाद जो वह छोड़ गया। - क़ुर्आन पाक का नुस्ख़ा किसी को (पढ़ने के लिये) दे गया। - कोई मस्जिद बना गया। - कोई मुसाफ़िर ख़ाना तामीर कर गया। - कोई नहर खुदवा गया। - स़दक़ा जो उसने अपनी ज़िन्दगी और स़ेहत में दिया। ये भी उसको उसकी मौत के बाद उसको मिलेगा। (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 242)

○ स़दक़ा व ख़ैरात करनाः मरने के बाद उसके अक़ारिब की तरफ़ से ईस़ाले स़वाब की नियत से स़दक़ा व ख़ैरात करना, इसमें अगरचे मरने वाले का कोई हिस़्सा नहीं है लेकिन चूंकि ये अहादीस़ से स़ाबित है, इसलिये ईस़ाले स़वाब का ये तरीक़ा भी जायज़ और मशरूअ़ है। इसमें कुछ उ़लमा ने अक़ारिब या स़िर्फ़ वारिस़ की शर्त आ़ईद की है। हमारे नज़दीक ये मौक़िफ़ ज़्यादा स़हीह और क़ुर्आने करीम के बयानकर्दा उस़ूल: (व अल्लैसा लिल्इन्सानि इल्ला मा सहा) के मुताबिक़ है। और औलाद हदीस़ की रू से ख़ुद इन्सान की अपनी कमाई (कस्ब व सई) है। इसके अ़लावा अहादीस़ में जो वाक़ियात बयान हुये हैं, वह भी क़रीबी रिश्तेदारों ही के हैं और ये एक फ़ितरी चीज़ है कि मरने वाले के लिये स़दक़ा व ख़ैरात का एहतिमाम बिल उ़मूम अक़रबा ही करते हैं और कर सकते हैं, इसलिये औलाद में से जो भी किसी मय्यत के ईस़ाले स़वाब के लिये कोई स़दक़ा करेगा, मय्यत को उसका स़वाब पहुँचेगा (बशर्ते कि हलाल व तय्यब माल से हो और इन्दल्लाह क़बूल हो जाये), ताहम तीजा, सातवाँ, दसवाँ या चहलुम वग़ैरह का स़वाब नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये बिदआ़त हैं जो हिन्दूओं की नक़्क़ाली में मुसलमानों ने अपनाई हुई हैं और उनमें रिश्तेदारों ही की लज़्ज़त काम व दहन का सामान है, स़दक़ा व ख़ैरात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।

❍ सदक़े का मतलब: सदक़ा, अल्लाह की रिज़ा के लिये बग़ैर किसी दिन की तअय्युन के, ग़ुरबा व मसाकीन की ज़रूरियात को पूरा करने का नाम है, उन्हें अगर खाने की ज़रूरत है तो उन्हें खाना मुहैया किया जाये, लिबास की ज़रूरत है तो उनकी तनपोशी का एहतिमाम किया जाये, वह इलाज के ज़रूरत मन्द हैं तो उनके लिये दवा दारू का इन्तेज़ाम किया जाये, उन्हें शादी की ज़रूरत है तो उसमें उनके साथ तआउन किया जाये, कारोबारी मुश्किलात हैं तो उनमें उनको सहारा दें, दीन की नश्र व इशाअत में हिस्सा लिया जाये वग़ैरह।

❍ मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है: वारिसीन, यानी औलाद के लिये ज़रूरी है कि वह सबसे पहले अगर मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ है, तो उसकी अदायगी का एहतिमाम करे। अगर औलाद उसकी इस्तेताअत (ताक़त) नहीं रखती तो कोई भी शख़्स ये काम कर सकता है, अहादीस़ में इसकी स़राहत मिलती है और अहादीस़ से ये भी मालूम होता है कि उसका फ़ायदा मय्यत को पहुँचता है वरना उसकी मग़फ़िरत का मामला क़र्ज़ की अदायगी तक मुअल्लक़ रहता है, यहाँ तक कि शहीद के ज़िम्मे भी जो क़र्ज़ है, जब तक उसे अदा न कर दिया जाये, उसकी मग़फ़िरत ग़ैर यक़ीनी है।

❍ मय्यत की तरफ़ से रोज़ा रखने का मसला: रोज़ा रखने की रिवायात दो तरह से मरवी हैं, एक में मुत्लकन रोज़े की बाबत सवाल किया गया, पूछने वाले ने पूछा कि मय्यत के ज़िम्मे एक महीने या पन्द्रह दिन के रोज़े हैं? क्या वह रखे जायें? नबी (ﷺ) ने जवाब में फ़रमाया: 'अगर उसके ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ होता तो तुम अदा करते?' उसने कहा: हाँ, तो आपने फ़रमाया: 'मय्यत के ज़िम्मे अगर रोज़े हैं तो ये अल्लाह का क़र्ज़ हैं, उन्हें अदा करना दुनियावी क़र्ज़ों से ज़्यादा अहम है।' और कुछ रिवायात में है कि मय्यत के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हैं। आपने उन्हें पूरा करने का हुक्म फ़रमाया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 952, 1952, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1147, 1148)

कुछ उलमा ने इन अहादीस़ की बिना पर मय्यत की तरफ़ से इसके क़ज़ा शुदा या नज़र के रोज़े रखने का जवाज़ तस्लीम किया है और कुछ उलमा के ख़याल में इससे मुराद सिर्फ़ नज़र के रोज़ों की क़ज़ा है, यानी उन्होंने रोज़ों की क़ज़ा से मुताल्लिक़ रिवायत को नज़र की स़राहत वाली रिवायत के साथ ख़ास़ कर दिया है, चुनांचे शैख़ अल्बानी (رحمه الله) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी रिवायत: 'जो शख़्स़ फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े हों, तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़ा रखे।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1952)

इस हदीस़ की तालीक़ में लिखते हैं: 'ज़्यादा राजेह बात ये है कि क़ज़ा का ये हुक्म नज़र के रोज़ों से मुताल्लिक़ है न कि रमज़ान के रोज़ों से।' (तालीक़ात रियाज़ुस्सालेहीन, स़फ़ा: 627)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) का ये मौक़िफ़ ज़्यादा स़ही मालूम होता है, इसलिये कि रोज़ा बदनी इबादत है,

इसमें नयाबत जायज़ नहीं, जब ज़िन्दगी में नयाबत की गुंजाइश नहीं है तो मरने के बाद उसका जवाज़ क्योंकर तस्लीम किया जा सकता है? इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर सिर्फ़ नज़र के रोज़े मय्यत की तरफ़ से रखने जायज़ होंगे क्योंकि ये नस्से सरीह (सही हदीस) से साबित हैं।

और दूसरे उलमा के नज़दीक क़ज़ा शुदा और नज़र, दोनों क़िस्म के रोज़े रखने जायज़ हैं, ताहम उनके नज़दीक भी सिर्फ़ रोज़ों ही का जवाज़ है, कोई और बदनी इबादत मय्यत की तरफ़ से नहीं की जा सकती, चुनांचे हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'बदनी इबादत में असल ये है कि इसमें नयाबत नहीं हो सकती और रोज़ा इबादत है, इसमें ज़िन्दगी में नयाबत की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह मौत में (मरने के बाद) भी नहीं हो सकती, सिवाए इस सूरत के जिसकी बाबत कोई दलील हो, चुनांचे जिसकी बाबत दलील वारिद होगी, नयाबत उस सूरत तक ही महदूद होगी और बाक़ी इबादात अपनी असल पर बाक़ी रहेंगी (इनमें नयाबत जायज़ नहीं होगी) यही बात राजेह है। (फ़तहुलबारी: 4/247, मतबूआ दारुस्सलाम, अर्रियाज़)

इस उसूल की रू से मय्यत की तरफ़ से सिर्फ़ नज़र के रोज़े या ज़्यादा से ज़्यादा उसके ज़िम्मे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा जायज़ होगी, इसके अलावा मय्यत की तरफ़ से कोई और बदनी इबादत करनी जायज़ नहीं होगी और ये कहना सही नहीं होगा कि चूंकि एक इबादत का मय्यत की तरफ़ से करना साबित है तो दूसरी इबादात भी इसकी वजह से सही होंगी। इबादात में इस क़िस्म के क़यास की गुंजाइश नहीं। इबादात तोफ़ीक़ी हैं, यानी शरीयत की तरफ़ से मुक़र्रर हैं इनमें अपनी तरफ़ से कमी बेशी करना जायज़ नहीं है।

मल्हूज़: ख़्याल रहे कि रोज़े सिर्फ़ उसकी तरफ़ से रखने ज़रूरी होंगे जो क़ुदरत रखने के बावजूद रोज़े न रख सका हो। अगर शदीद बीमारी की वजह से किसी के फ़र्ज़ी रोज़े रह गये हों और वह उसी बीमारी की हालत में फ़ौत हो जाये तो (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) के तहत अल्लाह उसको वैसे ही माफ़ फ़रमा देगा। रोज़े उसके ज़िम्मे मुतसव्विर ही नहीं होंगे। (अल मुहल्ली लि इब्ने हज़्म: 7761, हदीस: 1/398)

○ मय्यत की तरफ़ से हज करना: दूसरी चीज़ जिसका ज़िक्र हदीस में है। मय्यत की तरफ़ से हज करने का है, यानी साहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद अगर कोई शख़्स किसी मजबूरी की वजह से हज नहीं कर सका और फ़ौत हो गया या उसने हज की नज़र मानी थी लेकिन उसने अभी नज़र पूरी नहीं की थी कि उसका वक़्ते आख़िर आ गया, इन दोनों सूरतों में मय्यत की तरफ़ से हज करना जायज़ ही नहीं बल्कि वाजिब है क्योंकि नबी (ﷺ) ने इसे अल्लाह का ऐसा हक़ क़रार दिया जिसका क़र्ज़ की तरह अदा करना ज़रूरी है। एक औरत नबी (ﷺ) के पास आई और उसने कहा कि मेरी माँ ने हज करने की नज़र मानी थी लेकिन हज करने से पहले फ़ौत हो गई, क्या मैं उसकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: हाँ, उसकी

तरफ़ से हज कर। भला ये बतला अगर तेरी माँ पर क़र्ज़ का बोझ होता तो क्या तू उसे अदा करती? (उसी तरह) अल्लाह का क़र्ज़ अदा करो, अल्लाह तआला इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसका हक़ पूरा किया जाये।' (सहीह बुख़ारी, जज़ाउस्सैद, फ़तहुलबारी: 4/84)

इसी तरह हदीस में उस शख़्स की तरफ़ से भी हज करने का हुक्म है जो साहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद ज़्यादा बुढ़ापे या किसी और उज़्र की वजह से ख़ुद हज करने पर क़ादिर न हो। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) हदीसे मज़्कूर की शरह में लिखते हैं: 'इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख़्स फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे हज करना हो तो उसके वारिस पर वाजिब है कि उसके माल में से उसकी तरफ़ से हज का इन्तेज़ाम करे, जैसे उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो उसे अदा करना उसके लिये ज़रूरी है। इस पर इज्मा है कि आदमी का क़र्ज़ उसके असल माल से अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह और भी क़ज़ा के ऐतबार से जो उसके मुशाबेह हक़ हैं, (उनकी अदायगी भी ज़रूरी है) और हज के साथ हर वह हक़ भी इस हुक्म में शामिल होगा जो मरने वाले के ज़िम्मे हो, जैसे कोई कफ़्फ़ारा या नज़र या ज़कात वग़ैरह।' (फ़तहुलबारी: 4/85)

हज ऐसी इबादत है जो बदनी के साथ साथ माली इबादत भी है, इसी तरह कफ़्फ़ारा और ज़कात वग़ैरह भी इसी क़बील से है, ये माली इबादात अगर मय्यत के ज़िम्मे हों तो उनका अदा करना ज़रूरी है क्योंकि अहादीस में इसकी सराहत आ गई है, ताहम इनके अलावा किसी और इबादत का मय्यत की तरफ़ से करना जायज़ नहीं होगा।

रोज़े और हज की बाबत मज़्कूरा अहादीस से ये बात मालूम होती है कि जिसके ज़िम्मे ये फ़राइज़ रह गये हों, यानी वह अपनी ज़िन्दगी में किसी माक़ूल वजह से अदा न कर सका हो। रोज़े (नज़र या बक़ौल कुछ उलमा रमज़ान के) रह गये, सेहत मन्द या क़ादिर होने के बावजूद उसने नहीं रखे तो उनका अदा करना वारिसीन के लिये ज़रूरी होगा। इससे एक तो ये उसूल मालूम हुआ कि मय्यत के ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ रह जाये तो वह अल्लाह का एक क़र्ज़ है जिसकी अदायगी का एहतिमाम (दूसरे क़र्ज़ों की तरह) किया जाना चाहिए, चुनांचे हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इसी बुनियाद पर ये मौक़िफ़ इख़्तियार किया है कि अगर किसी ने ऐतकाफ़ की नज़र मानी थी, लेकिन वह ये नज़र पूरी करने से क़ब्ल ही फ़ौत हो गया, तो उसकी तरफ़ से उस नज़र का पूरा किया जाना ज़रूरी है। (अल मुहल्ली: 635) बल्कि हर नज़र ताअत का पूरा करना ज़रूरी है (हवाल-ए-मज़्कूर) इसी तरह इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) के नज़दीक अगर किसी शख़्स की नमाज़ भूल जाने या नींद की वजह से रह गई और वह उसे नहीं पढ़ सका और उसे मौत आ गई तो ये नमाज़ भी उसके ज़िम्मे अल्लाह का क़र्ज़ है जिसकी अदायगी के वारिसीन मुकल्लफ़ हैं। (अलमुहल्ली: 775) ताहम नयाबत के मज़्कूरा उसूल की रू से वारिसीन की ये ज़िम्मेदारी नहीं, अलबत्ता कफ़्फ़ारा और माली वाजिबात, ज़कात वग़ैरह की अदायगी ज़रूरी है।

दूसरा उसूल ये मालूम हुआ कि जिसके ज़िम्मे शरअन कोई हक़ वाजिब न हो तो वारिसीन उसकी अदायगी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, जैसे एक शख़्स ग़ुर्बत में फ़ौत हो गया, उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ तो उसके वारिसीन साहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद उसकी तरफ़ से हज करने के मुकल्लफ़ नहीं हैं, ताहम ईसाले सवाब के नुक़्त-ए-नज़र से हज करना सही है या नहीं? तो उसकी गुंजाइश अबू दाऊद की एक हदीस से मालूम होती है जो आगे आ रही है।

○ मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी करना: मय्यत की तरफ़ से ईसाले सवाब के लिये क़ुर्बानी करना कैसा है? इसमें उलमा की दो रायें हैं, एक राय ये है कि ये भी चूंकि सदक़े की एक सूरत है और मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करने का सबूत मौजूद है, इसलिये ये जायज़ है। इसी लिये वह ये भी कहते हैं कि मय्यत की तरफ़ से की गई क़ुर्बानी का सारा गोश्त ग़ुरबा व मसाकीन ही में तक़्सीम किया जाये और इसमें से कोई हिस्सा अपने लिये न रखे, जैसे क़ुर्बानी के गोश्त में होता है कि इन्सान कुछ अपने लिये रख लेता है और कुछ रिश्तेदारों और ज़रूरत मन्दों में तक़्सीम कर देता है।

और दूसरी राय ये है कि फ़ौतशुदा की तरफ़ से क़ुर्बानी करने की कोई सही हदीस नहीं है। वह रिवायत भी सनदन साबित नहीं है जिसमें है कि हज़रत अली (ﷺ) हमेशा दो जानवरों की क़ुर्बानी किया करते थे, एक अपनी तरफ़ से और दूसरी रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से, अलबत्ता ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये अमल सही सनद से साबित है कि आपने जो क़ुर्बानी की वह आपने अपनी और अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से की जो क़ुर्बानी की इस्तेताअत नहीं रखते और कुछ रिवायात में दो जानवर क़ुर्बान करने का ज़िक्र है, एक अपने और अपने घर वालों की तरफ़ से और दूसरा अपनी उम्मत के ग़ैर मुस्ततीअ लोगों की तरफ़ से लेकिन उलमा के एक गिरोह की राय है कि नबी (ﷺ) का ये फ़ेअल आपकी ख़ुसूसियात में से है जिसमें उम्मत के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर वग़ैरह इसी बात के क़ाइल हैं। मुहद्दिसे अस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसी राय का इज़्हार किया है, चुनांचे वह लिखते हैं: 'अहादीस में जो आया है कि नबी (ﷺ) ने अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से क़ुर्बानी की जो क़ुर्बानी की इस्तेताअत नहीं रखते थे तो ये आपकी ख़ुसूसियात में से है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने फ़तहुलबारी (9/514) में अहले इल्म से नक़ल किया है। और यही बात सही है, इस लिये किसी के लिये जायज़ नहीं है कि वह नबी (ﷺ) की इक़्तेदा में उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी करे, ज़्यादा लायक़ बात यही है कि इस क़ुर्बानी पर दूसरी इबादात का क़यास न किया जाये, जैसे नमाज़, रोज़ा, तिलावत और इस जैसी दीगर ताआत हैं क्योंकि नबी (ﷺ) से इसकी बाबत कोई चीज़ मन्क़ूल नहीं, लिहाज़ा कोई शख़्स किसी शख़्स की तरफ़ से नमाज़ पढ़े न कोई किसी और की तरफ़ से रोज़ा रखे न कोई किसी दूसरे शख़्स की तरफ़ से क़ुर्आन पढ़े, और उसकी असल क़ुर्आन की ये आयत है कि 'इन्सान को उसी की जज़ा मिलेगी जिसकी

उसने कोशिश की होगी।' ताहम इस अस़ल से वह उमूर मुस्तस़्ना हैं जिनकी बाबत नस़ में स़राहत आ गई है। (इर्वाउल ग़लील: 4/354)

○ मय्यत के लिये क़ुर्आन ख़्वानी : अब रह गया मसला क़ुर्आन ख़्वानी का कि इस तरह ईस़ाले स़वाब स़ही है या नहीं? इसका जवाब मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में वाज़ेह है कि क़ुर्आन ख़्वानी बदनी इबादत है, जैसे नमाज़, रोज़ा बदनी इबादात हैं, और इबादात, बिल ख़ुस़ूस़ बदनी इबादात एक दूसरे की तरफ़ से अदा नहीं की जा सकतीं। कोई शख़्स़ नमाज़ पढ़ कर, रोज़ा रख कर किसी फ़ौत शुदा को स़वाब नहीं पहुँचा सकता, इसलिये कि इसकी कोई दलील नहीं है, महज़ हमारे मफ़रूज़े पर किसी को स़वाब नहीं पहुँच सकता, फ़ौत शुदा के ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ रह गये हों तो उनको नयाबतन अदा करना और बात है। अगर इसकी अदायगी के लिये शरई दलील मौजूद है तो उनका अदा करना स़ही होगा (जैसा कि पहले तफ़्स़ील गुज़री) लेकिन महज़ अपनी तरफ़ से नेकी के कुछ काम कर के किसी फ़ौत शुदा को उसका स़वाब पहुँचाना, एक अलग सूरत है, इसके लिये शरई दलील का होना ज़रूरी है। ये दोनों ही सूरतें (व अल्लैसा लिल इन्सानि इल्ला मासअ़ा) के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पहली सूरत को चूंकि अहादीस़ ने इस उ़मूम से मुस्तस़्ना कर दिया है, इसलिये उनके जवाज़ और कुछ दफ़ा वजूब में कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी सूरत इस क़ुर्आनी उ़मूम की रू से ममनूअ़ होगी, जब तक कि उसके लिये कोई स़ही दलीले शरई मौजूद न हो।

और क़ुर्आन ख़्वानी के लिये कोई शरई दलील नहीं है और क़यास से किसी मिलती जुलती शक्ल का हुक्म तो मालूम किया जा सकता है लेकिन इबादात में क़यास करके अपने तौर पर किसी काम को स़वाब का बाइस़ क़रार नहीं दिया जा सकता, क़ुर्आन ख़्वानी की हैसियत ऐसी ही है, इसे लोगों ने अपने तौर पर मुर्दों के लिये स़वाब रसानी का ज़रिया समझ लिया है, किसी शरई दलील से इसका इस्बात नहीं होता या फिर कुछ इबादात पर उन्होंने क़यास किया है हालांकि इबादात में क़यास की गुंजाइश ही नहीं है।

क़ुर्आन ख़्वानी की रस्म क़ौम के बे'अ़मल और बद'अ़मल बनाने की एक बुरी बुनियाद है।

क़ुर्आन ख़्वानी की रस्म एक तो इसलिये स़ही नहीं है कि दलाइले शरईया से इसकी ताईद नहीं होती। यही वजह है कि ख़ैरुल क़ुरून (अ़हदे रिसालत, अ़हदे स़हाबा व ताबेईन) में इसका कोई नाम व निशान नहीं मिलता। अगर ये कारे ख़ैर या एक जायज़ अ़मल होता तो स़हाबा व ताबेईन भी इसे ज़रूर करते। अगर उन्होंने नहीं किया और यक़ीनन नहीं किया तो इसे किसी लिहाज़ से भी मुस्तहसन और जायज़ अ़मल क़रार नहीं दिया जा सकता। ये रस्म क़ौम को बे'अ़मल और बद'अ़मल बनाने की एक साज़िश है, जब एक शख़्स़ का ये अ़क़ीदा हो कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे क़ुर्आन पढ़ पढ़ कर बख़्शेंगे जिससे मेरी निजात हो जायेगी तो ज़ाहिर बात है कि वह ज़िन्दगी में अहकाम व फ़राइज़े इस्लाम की पाबन्दी को ज़रूरी नहीं समझेगा, सारी ज़िन्दगी क़ुर्आनी उस़ूलों के ख़िलाफ़ गुज़ारेगा, नमाज़, रोज़ों का एहतिमाम और

इस्लाम के हलाल व हराम के दरम्यान तमीज़ ही नहीं करेगा। क्या वाक़ेई क़ुर्आने करीम मुर्दे बख़्शवाने ही के लिये नाज़िल हुआ था? ज़िन्दों की रहनुमाई के लिये नाज़िल नहीं हुआ था? क़ाबिले ग़ौर अम्र ये है कि जिस शख़्स ने सारी उम्र क़ुर्आने करीम से रहनुमाई हासिल नहीं की बल्कि क़ुर्आनी तालीमात से बेन्याज़ होकर ज़िन्दगी गुज़ारी, अब मरने के बाद उसके लिये क़ुर्आन ख़्वानी क्या वाक़ेई मुनाफ़ा बख़्श है? अगर जवाब इस्बात में है तो फिर क़ुर्आने करीम पर अमल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। हर बे'अमल और बद'अमल मुसलमान को मरने के बाद दो चार छ: क़ुर्आन पढ़ कर बख़्श दो। पस उसकी निजात के लिये काफ़ी है।

बख़्शिश का कितना आसान नुस्ख़ा है जो अक़्ल व क़यास की बुनियाद पर घड़ लिया गया है।

★ कुछ ज़ईफ़ अहादीस से इस्तेदलाल: दारक़ुतनी की दो रिवायात से इस्तेदलाल करके हर क़िस्म की इबादात का सवाब बख़्शने का जवाज़ साबित किया जाता है जो हस्बे ज़ेल हैं:

एक रिवायत में है कि एक शख़्स ने नबी (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मैं अपने वालिद की ख़िदमत उनकी ज़िन्दगी में तो करता हूँ, उनके मरने के बाद कैसे करूँ? फ़रमाया: 'ये भी उनकी ख़िदमत ही है कि उनके मरने के बाद तू अपनी नमाज़ के साथ उनके लिये भी नमाज़ पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिये भी रोज़े रखे।'

एक दूसरी रिवायत हज़रत अली (رضي الله عنه) से मरवी है जिसमें वह बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का क़ब्रिस्तान पर गुज़र हुआ और वह ग्यारह मर्तबा (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ कर उसका अज्र मरने वालों को बख़्श दे तो जितने मुर्दे हैं, उतना ही अज्र उसे अता कर दिया जायेगा।' (तफ़हीमुल क़ुर्आन: 5/216)

लेकिन ये दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ ही नहीं, मनघड़ंत हैं, इसके अलावा सुनन दारक़ुतनी में ये रिवायात हमें नहीं मिलीं, इसलिये उनसे इस्तेदलाल सही नहीं। इस तरह की कुछ और रिवायात भी बयान की जाती हैं लेकिन वह भी सख़्त ज़ईफ़ होने की बिना पर नाक़ाबिले इस्तेदलाल हैं। मज़ीद देखिये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 245)

❍ ईसाले सवाब की तीन सूरतों का जवाज़: अलबत्ता इस ज़िम्न में एक और हदीस बयान की जाती है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضي الله عنه) के दादा आस बिन वाइल ने ज़मान-ए-जाहिलियत में सो ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी थी, उनके चचा हिशाम बिन आस ने उनकी वफ़ात के बाद अपने हिस्से के पचास ऊँट (अपने बाप की तरफ़ से) ज़बह कर दिये। हज़रत अम्र बिन आस(رضي الله عنه) (आस के दूसरे बेटे) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं क्या करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद का

इक़रार कर लिया था तो तुम उनकी तरफ़ से रोज़ा रखो या सदक़ा करो, वह उनके लिये नाफ़ेअ होगा।' (तफ़हीमुल क़ुर्आन: 5/621)

ये रिवायत मुसनद अहमद के हवाले से नक़ल की गई है। और सुनन अबू दाऊद में भी मौजूद है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2883)

अबू दाऊद में है कि सो गर्दनें आज़ाद करने की उन्होंने वसीयत की थी, चुनांचे बाप के मरने के बाद उनके एक बेटे हिशाम ने पचास गर्दनें आज़ाद कर दीं और दूसरे बेटे हज़रत अम्र (ﷺ) ने क़बूले इस्लाम के बाद बाक़ी पचास गर्दनें आज़ाद करने का इरादा किया तो उन्होंने इसकी बाबत रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम्हारे बाप ने इस्लाम क़बूल कर लिया था तो तुम उसकी तरफ़ से जो ग़ुलाम आज़ाद करोगे या सदक़ा करोगे, या हज करोगे तो वह उसे पहुँचेगा।'

ये रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीह अन जद्दिही की सनद से मरवी है जिसकी सेहत के बारे में मुहद्दिसीन के दरम्यान इख़्तिलाफ़ है, ताहम अक्सर मुहद्दिसीन ने इसकी सेहत को तस्लीम किया है, इसलिये ये रिवायत तो यक़ीनन क़ाबिले इस्तेदलाल है लेकिन इससे सिर्फ़ वही उमूर साबित होंगे जिनका ज़िक्र इस हदीस़ में है। और वह तीन हैं ग़ुलाम आज़ाद करना, सदक़ा करना और हज करना। रोज़ों का ज़िक्र इसमें नहीं है और ये तीनों चीज़ें माली इबादात से ताल्लुक़ रखती हैं जिनकी इजाज़त सदक़ा करने वाली रिवायात से भी निकलती है, इसके अलावा रिवायत में सराहत है कि नबी (ﷺ) ने इन तीनों कामों की इजाज़त मय्यत के बेटे को दी, इसलिये औलाद की तरफ़ से मय्यत के ईसाले सवाब के लिये तीनों काम जायज़ होंगे। इससे मय्यत की तरफ़ से हर क़िस्म की इबादत करने का जवाज़ साबित करना सही नहीं। इसलिये कि इबादात तौफ़ीफ़ी हैं, इनमें क़यास व राय का दख़ल नहीं।

★ मुरव्वजा क़ुर्आन ख़्वानी की क़बाहतें: बहर हाल क़ुर्आन ख़्वानी की रस्म जो बहुत आम हो गई है, इसका जवाज़ महल्ले नज़र ही है, शरई दलाइल से इसकी ताईद नहीं होती। इसके अलावा इसकी और भी मुतअद्दिद (कई) क़बाहतें हैं जिन्हें देखते हुये इसका जवाज़ तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, जैसे: क़ुर्आने करीम ज़िन्दों के लिये आया है कि वह इससे रोशनी हासिल करें और इसके साँचे में अपनी ज़िन्दगी ढालें, इसके मुताबिक़ अपना लाइहा अमल तैयार करें और इसे अपनी ज़िन्दगी का दस्तूर बनायें। लेकिन एक मुसलमान क़ुर्आने करीम को अपना दस्तूरे हयात तो न बनाये। इससे हिदायत व रहनुमाई तो हासिल न करे बल्कि सारी ज़िन्दगी इसके उसूल व ज़वाबित को पामाल करते हुये गुज़ार दे लेकिन मरने के बाद इसी क़ुर्आन को किराये पर पढ़वा कर उसको निजात का ज़रिया समझा जाये? ये क़ुर्आने करीम का एहतिराम है या इसके साथ इस्तेहज़ा व मज़ाक़?

इसी तरह गोया कुर्आने करीम से बे ऐतनाई का सबक़ दिया जाता है, जब कुर्आन ख़्वानी ही के ज़रिये से निजात हो जायेगी तो फिर इसके हलाल व हराम की पाबन्दी क्या ज़रूरी है? इसके अहकाम के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की क्या ज़रूरत है? चुनांचे ये हक़ीक़त है कि कुर्आन ख़्वानी का रिवाज बिल उ़मूम उन्ही लोगों में ज़्यादा है जो ज़िन्दगी में कुर्आन के अहकाम व क़वानीन को ज़रा अहमियत नहीं देते और सारी ज़िन्दगी इसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुये गुज़ार देते हैं। इसी तरह लोगों को बावर कराया जा रहा है कि कुर्आने करीम हयात बख़्श किताब नहीं बल्कि मुर्दा बख़्श किताब है, ये ज़िन्दों की रहनुमाई के लिये नहीं आई बल्कि सिर्फ़ मुर्दे बख़्शवाने के लिये नाज़िल हुई है। यूँ कुर्आन ख़्वानी की रस्म से कुर्आने करीम के नुज़ूल का अस़ल मक़स़द लोगों के ज़हनों से निकाला जा रहा है।

इस ऐतबार से ये रस्म मुसलमानों को बे'अ़मल और बद'अ़मल बनने और बनाने का ज़रिया स़ाबित हो रही है, इसका ये नतीजा ही इसके ग़ैर शरई और ग़ैर स़ही होने के लिये काफ़ी है, ताहम मज़्कूरा दलाइल से भी इसका अ़दमे जवाज़ वाज़ेह है।

★ मज़्कूरा मबाहिस़ का ख़ुलास़ा : बहरहाल ईस़ाले स़वाब (फ़ौत शुदगान को अज्र व स़वाब पहुँचाने की नियत से कुछ नेकी के काम करना) तो अहादीस़ से स़ाबित है। लेकिन इस मक़स़द के लिये सिर्फ़ वही काम उसी हद तक मशरूअ़ (जायज़) हैं जिसकी स़राहत अहादीस़ में मिलती है, जैसे नज़र के या बक़ौल कुछ उ़लमा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रह गये। या स़ाहिबे इस्तेताअ़त होने के बावजूद कोई हज नहीं कर सका, या किसी और नेकी के काम की नज़र मानी लेकिन पूरी न कर सका। ये तमाम आ़माल मरने वाले के ज़िम्मे बाक़ी रह गये। उनका मय्यत की तरफ़ से अदा करना उसी तरह ज़रूरी है, जैसे उसके ज़िम्मे बन्दों का क़र्ज़ हो तो उसका अदा करना ज़रूरी है।

लेकिन ये अदा-ए-फ़र्ज़ की वह सूरतें हैं जो अदा-ए-क़र्ज़ की तरह हैं, उनको अल्लाह का क़र्ज़ क़रार दिया गया है, इसलिये उनकी अदायगी ज़रूरी है।

दूसरी सूरत अदा-ए-फ़र्ज़ की नहीं है। सिर्फ़ मय्यत के वारिसीन अपने मरने वाले को स़वाब पहुँचाना चाहते हैं जिसको ईस़ाले स़वाब कहा जाता है। इसके लिये आप नफ़्ली नमाज़ पढ़ कर, नफ़्ली रोज़े रख कर उनका स़वाब मय्यत को नहीं पहुँचा सकते, इसी तरह कुर्आन ख़्वानी के ज़रिये से स़वाब नहीं पहुँचा सकते क्योंकि उनका कोई शरई स़बूत नहीं है, अलबत्ता मय्यत की तरफ़ से गुलाम आज़ाद करके और हज करके उनको स़वाब पहुँचा सकते हैं क्योंकि उनका स़बूत अहादीस़ से मिलता है।

इसी तरह मरहूमीन के लिये दुआएँ की जा सकती हैं, इससे भी उन्हें फ़ायदा पहुँचता है। इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए।

बाब : (10) यतीम के माल की सरपरस्ती की मुमानिअत का बयान

باب : (١٠) النَّهْيُ عَنِ الْوِلاَيَةِ، عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ

(3697) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: 'ऐ अबू ज़र! मैं तुझे कमज़ोर समझता हूँ और मैं तेरे लिये वही कुछ पसन्द करता हूँ जो अपने लिये पसन्द करता हूँ। तू दो आदमियों का भी अमीर न बनना और न किसी यतीम के माल का सरपरस्त बनना।'

(3697) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1826, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6494.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) यतीम के माल की सरपरस्ती चूंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसमें फ़रीक़े सानी की तरफ़ से किसी मुज़ाहमत या निगरानी का ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा ये इन्तेहाई हमदर्दी, अल्लाह के डर बल्कि ईसार की मुतक़ाज़ी है। हर आदमी इस मर्तबे का नहीं होता, लिहाज़ा इसमें जल्दबाज़ी या पेशकश से रोका गया है, अलबत्ता अगर किसी पर ये ज़िम्मेदारी मजबूरन आन पड़े तो उसे सरअंजाम देनी होगी। जो शख़्स इसके तक़ाज़े पूरे न कर सके, वह इससे इन्कार कर दे। **(2)** 'कमज़ोर' यानी तुझ में इमारत व सयादत और सरबराही के औसाफ़ कमज़ोर हैं। बाद के वाक़ेआत ने, इसका सबूत मुहैया कर दिया, जैसे: तमाम सहाबा से इख़्तिलाफ़े राय, ख़लीफ़-ए-राशिद से इख़्तिलाफ़, माल रखने और बैतुल माल क़ाइम करने के मसले में उनका मस्लक तमाम सहाबा से जुदागाना था। इसी बिना पर उन्हें ज़िन्दगी के आख़री दिन रब्ज़ा में गुज़ारने पड़े। अगरचे वह इन्तेहाई ज़ाहिद और नेक शख़्स थे मगर इमारत इससे मुख़्तलिफ़ चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि जो शख़्स इन्तेहाई नेक हो, वह इमारत व सयादत का भी उतना ही अहल हो, लिहाज़ा आपने उन्हें इमारत से मना फ़रमा दिया। **(3)** 'सरपरस्त न बनना' क्योंकि जो शख़्स मुत्लकन माल जमा रखने का क़ाइल न हो, मुमकिन है वह इसी जोश में यतीम का माल भी सदक़ा कर दे। (ﷺ).

बाब : (11) जो शख़्स (वसीयत के नतीजे में) यतीम के माल की देख भाल करे, उसका उसमें क्या हक़ है?

باب(١١): مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَىْءٌ وَلِي يَتِيمٌ. قَالَ " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَاذِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ ".

(3698) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और वह अपने दादा से बयान करते हैं कि एक आदमी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आया और कहा: मैं फ़क़ीर हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, हाँ मेरे पास एक यतीम है (जिसके माल का मैं सरपरस्त हूँ।) आप ने फ़रमाया: 'तू अपने यतीम के माल से खा सकता है लेकिन न तो फ़ुज़ूल ख़र्ची और इस्राफ़ हो, न (उसका माल) ज़ाया करने वाला और न (उस यतीम के माल से) कोई जमा पूँजी बनाने वाला हो।'

(3698) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2872, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6495, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने अल जारूद, हदीस, हदीस: 952 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया मोहताज शख़्स यतीम के माल से अपनी निगरानी और इन्तेज़ाम की उजरत ले सकता है और वह भी इन्तेहाई मुनासिब। लेकिन जो शख़्स खाता पीता है उसके लिये अपनी निगरानी वग़ैरह का मुआवज़ा न लेना ही बेहतर है। **(2)** यतीम के माल से तिजारत अगर इस नियत से करे कि उससे हासिल शुदा मुनाफ़ा ख़ुद हासिल कर ले तो ये तिजारत जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، - وَهُوَ ابْنُ السَّائِبِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ

(3699) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब ये आयत उतरी: (वला तक़्रबू मालल यतीमि इल्ला बिल्ल .....) 'और तुम यतीम के माल के क़रीब न जाओ मगर इन्तेहाई अच्छे अन्दाज़ से।' और (इन्नल्लज़ीना याकुलून ......) 'जो लोग ज़ुल्म के साथ नाहक़ यतीमों का माल खाते हैं ..... अलख़' तो लोगों

أَحْسَنُ} وَ{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} قَالَ اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إِلَى قَوْلِهِ {لأَعْنَتَكُمْ}.

ने यतीमों के माल और खाने पीने से अलैहदगी इख़्तियार कर ली। इससे मुसलमानों के लिये मशक़्क़त पैदा हुई, चुनांचे उन्होंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की। फिर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (वयस्अलूनक .....) 'लोग आपसे यतीम बच्चों (के साथ रहने) के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिये: उनकी इस्लाह करना बहुत बेहतर है। (और अगर अल्लाह चाहता तो) तुम्हें तकलीफ़ में डाल देता।'

(3699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2871, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6496, व सहीह अल हाकिम: 2/278, 279, अत्तबरानी फ़ी तफ़्सीरिही: 2/371, 372, अल मोजम अल कबीर: 4/14, हदीस: 3502.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुये लिखा है कि मोजम कबीर की हदीस इससे किफ़ायत करती है क्योंकि इसकी सनद हसन है। इससे मालूम हुआ कि मज़्कूरा हदीस मुहक़्क़िक़े किताब के नज़दीक भी क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 30/181)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} قَالَ كَانَ يَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ

(3700) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से अल्लाह तआला के इस फ़रमान: (इन्नल्लज़ीना ....) 'यक़ीनन जो लोग यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं .... अलख़' के बारे में मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: यतीम जिन लोगों के ज़ेरे साया परवरिश पा रहे थे (ये आयत सुन कर) उन्होंने यतीम का खाना पीना अलग कर दिया यहाँ तक कि बर्तन भी। लेकिन इससे मुसलमानों के लिये मशक़्क़त पैदा हुई, फिर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (व इन तुखालितूहुम ....) 'अगर तुम यतीमों के साथ

تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} {فِي الدِّينِ} فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.

मिल जुल कर रहो तो कोई हर्ज नहीं। वह तुम्हारे (दीनी) भाई हैं।' गोया अल्लाह तआला ने उनके साथ मिल कर रहना जायज़ क़रार दे दिया।

(3700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम फ़ी तफ़्सीर: 2/395, हदीस़: 2081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6497, पिछली हदीस़ देखें.

फ़ायदा : हर मुआशरे में यतीम बच्चे, अगर एक दो हों, तो वह दूसरे घर वालों के साथ ही रहते हैं। उनका खाना पीना भी मुश्तरका ही होता है। इसमें उनका भी फ़ायदा है। अगर उनका खाना पीना अलग हो तो ज़्यादा अख़राजात आते हैं। अ़रब में भी ऐसे ही था। जब ये आयत उतरी तो लोग डर गये कि कहीं यतीम बच्चों की कोई चीज़ हमारे पेट में न चली जाये, लिहाज़ा उन्होंने बतौर तक़्वा यतीम बच्चों का खाना पीना अलग कर दिया, हालांकि शरीयत का मन्शा ये नहीं था। इससे मुआशरे में बहुत सी मुश्किलात पैदा हुईं तो अल्लाह तआला ने दूसरी आयत के ज़रिये से स़राहत फ़रमा दी कि नियत ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी की हो तो उन्हें अपने साथ रखने में कोई हर्ज नहीं। अस़ल मक़स़द तो यतीमों का भला ही है जैसे भी मुमकिन हो।

باب(١٢): اجْتِنَابِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

बाब : (12) यतीम का माल खाने से इज्तेनाब करना चाहिए

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالشُّحُّ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ".

(3692) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सात मुह्लिक कामों से बचो।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन से हैं? आपने फरमाया: 'अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, जादू करना, जिस जान को अल्लाह तआला ने मोहतरम बनाया है उसे क़त्ल कर डालना सिवाए इसके कि हक़ के साथ हो, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन भाग जाना और पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना।'

(3701) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 89, बुख़ारी, हदीस़: 2766, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6498.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب النخل

अतिया से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب : (۱)
ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي النُّحْلِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، نَحَلَهُ غُلاَمًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ فَقَالَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

बाब : (1)
अतिया करने के बारे में हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) की रिवायत के नाक़िलीन के लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का बयान

(3702) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मेरे वालिद ने मुझे एक ग़ुलाम बतौर अतिया दिया, फिर वह नबी-ए-अकरम(ﷺ) को गवाह बनाने के लिये आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुये। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने तमाम बच्चों को अतिया दिया है? उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस ले लो।'

ये सियाक़ मुहम्मद बिन मन्सूर का है। (कुतैबा बिन सअ़द बिल मआ़नी बयान करते हैं।)

(3702) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 16223/11, बुख़ारी, हदीस़: 2586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6499.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाप और औलाद का बाहमी रिश्ता बहुत क़रीबी है। इस में ज़र्रा भर ख़राबी भी बहुत से मफ़ासिद का मोजिब है, लिहाज़ा शरीयत की तरफ़ से हिदायत है कि बच्चों में

मसावात से काम लिया जाये ताकि किसी को एहसासे महरूमी न हो। सिर्फ़ एक बेटे को अतिया देना दूसरे बेटों में उस भाई और बाप के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकता है जिसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं, इसलिये इससे रोक दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि अतिया देना है तो सब को दिया जाये। ऐसी सरीह रिवायत की मौजूदगी में अहनाफ़ का ये कहना ताज्जुब ख़ेज़ है कि 'औलाद में मसावात कोई ज़रूरी नहीं।' (2) ये मसावात सिर्फ़ तोहफ़ा और अतिया में है। बाक़ी रहे नफ़्क़ात तो उसमें हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होगा, जैसे: खाने पीने 'पहनने' तालीम, निकाह वग़ैरह के अख़राजात सब के बराबर नहीं हो सकते। ये ज़रूरत के मुताबिक़ होंगे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي غُلاَمًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَارْجِعْهُ " .

(3703) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उनके वालिद उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले गये और कहा: मैंने अपने इस बेटे को अपना एक गुलाम बतौर अतिया दिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने तमाम बेटों को अतिया दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस करो।'

(3703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2586, मुस्लिम, हदीस: 1623/9, पिछली हदीस देखें, मौता: 2/751, 752, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6500.

फ़ायदा : सही हदीस में है कि तोहफ़ा देकर वापस लेना मना है मगर बाप अपनी औलाद से वापस ले सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ

(3704) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मरवी है कि उनके वालिद हज़रत बशीर बिन सअ़द(ﷺ) अपने बेटे नौमान को रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले गये और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने इस बेटे को अपना

النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْجِعْهُ " .

एक गुलाम बतौर अतिया दिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बेटों को अतिया दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस करो।'

(3704) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6501.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْفِذَهُ أَنْفَذْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " .

(3705) हज़रत बशीर बिन सअद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैं नौमान बिन बशीर को लेकर नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम अतिया किया है। अगर आप इसे मुनासिब समझते हैं तो मैं इस अतिये को नाफ़िज़ कर देता हूँ। आपने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बेटों को अतिया किया है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस करो।'

(3705) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3702, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6502.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، نَحَلَهُ نُحْلاً فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ أَشْهِدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي . فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ

(3706) हज़रत नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से मरवी है कि मेरे वालिद ने मुझे एक (गुलाम का) अतिया दिया। मेरी वालिदा उनसे कहने लगीं: मेरे बेटे के अतिये पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह बना लें। मेरे वालिद रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और पूरी बात आपसे ज़िक्र की। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इस पर गवाह बनना पसन्द नहीं फ़रमाया।

لَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ .

(3706) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1623/12, देखेयं, हदीस: 3702, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6504.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'गवाह बना लें' कहीं कल को दूसरे बेटे झगड़ा न करें। **(2)** 'पसन्द नहीं फ़रमाया' क्योंकि ये जुल्म था और जुल्म पर गवाह बनना जुल्म में शिर्कत के मुतरादिफ़ (बराबर) है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بَشِيرٍ، أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلاَمًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " .

(3707) हज़रत बशीर बिन सअ़द (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने अपने एक बेटे को एक गुलाम तोहफ़े में दिया। फिर वह नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास आये कि नबी (ﷺ) को इस तोहफ़े पर गवाह बनायें। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने पूरी औलाद को ऐसे तोहफ़े दिये हैं? उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया, फिर इसे भी वापस कर।'

(3707) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3702, 3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6503.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ بَشِيرًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ نِحْلَةً . قَالَ " أَعْطَيْتَ لإِخْوَتِهِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " .

(3708) हज़रत उर्वा (رحمه الله) से रिवायत है कि हज़रत बशीर (ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने नौमान को एक तोहफ़ा दिया है। आपने फ़रमाया: 'उसके भाईयों को भी दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस कर।'

(3708) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6505.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ

(3709) हज़रत नौमान (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मुझे मेरे वालिद मोहतरम उठा कर नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमते आलिया

زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ " كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ " .

में ले गये और अ़र्ज़ किया: आप गवाह हो जाइये कि मैंने नौमान को अपने माल से इतना इतना तोहफ़ा दिया है। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने हर बेटे को इस तरह का तोहफ़ा दिया है जैसा नौमान को दिया है?'

(3709) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2375, मुस्लिम, हदीस़: 1623/17, देखें, हदीस़: 3702.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ . فَقَالَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى شَىْءٍ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً " . قَالَ بَلَى . قَالَ " فَلاَ إِذًا " .

(3710) हज़रत नौमान (ﷺ) से मरवी है कि उनके वालिद उन्हें नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास ले गये। उनका मक़सद आपको उस अ़तिया पर गवाह बनाना था जो उन्होंने उसे दिया था। आपने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बच्चों को इस जैसा तोहफ़ा दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'मैं ऐसी किसी चीज़ पर गवाह नहीं बन सकता। क्या तुझे ये बात पसन्द नहीं कि वह सब तुझसे हुस्ने सुलूक में बराबर हों?' उन्होंने कहा: ज़रूर। आपने फ़रमाया: 'तो फिर स़िर्फ़ एक को तोहफ़ा न दे।'

(3710) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6507.

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ

(3711) हज़रत नौमान बिन बशीर अन्सारी(ﷺ) बयान करते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा बिन्ते रवाहा ने उनके वालिद मोहतरम से मुतालबा किया कि मेरे बेटे को अपने माल में से कोई अ़तिया दें। वह एक साल तक टाल मटोल करते रहे। आख़िर उनके जी में आया तो उन्होंने उसे

لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا " . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لاِبْنِكَ هَذَا " . قَالَ لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" .

(नौमान को) अतिया दे दिया। तो उसकी वालिदा कहने लगी: मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं जब तक तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह नहीं बनाते। वह आपके पास जाकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! इसकी माँ बिन्ते रवाहा (एक साल से) मुझसे इस अतिये की ख़ातिर झगड़ती रही है जो मैंने इस (नौमान) को दिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ बशीर! क्या इसके अलावा भी तेरे बच्चे हैं? उन्होंने कहा: जी हाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुमने उनमें से हर एक को इस जैसा तोहफ़ा दिया है जो तूने अपने इस बेटे को दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर मुझे (इस पर) गवाह न बनाओ क्योंकि मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बन सकता।'

(3711) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3702, 3703, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6508.

फ़ायदा : 'गवाह न बनाओ' ये मतलब नहीं कि किसी और को बना लो बल्कि ये डाँटने का एक अन्दाज़ है कि ऐसा मत करो, जैसे कि क़ुरआने मजीद में है (फ़मन शाअ फ़ल्यूमिन वमन शाअ फ़ल्यक्फ़ुर) (अल कहफ़ 18/29) तभी तो इसे ज़ुल्म कहा गया है। और ज़ुल्म हराम है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ

(3712) हज़रत नौमान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने मेरे लिये मेरे वालिद से किसी अतिये का मुतालबा किया। उन्होंने मुझे अतिया दे दिया। तो वह कहने लगीं: मैं तो तब राज़ी हूँगी जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह बनाया जाये। मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं अभी बच्चा था, और मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी वालिदा

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ " يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ " .

बिन्ते रवाहा ने उसके लिये मुझसे किसी अतिये का मुतालबा किया है और उसकी ख़्वाहिश है कि मैं आपको इस अतिये का गवाह बनाऊँ। आपने फ़रमाया: 'ऐ बशीर! क्या इसके अलावा तेरे और बेटे भी हैं?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तूने उन्हें भी ऐसा अतिया दिया है जैसा इसे दिया है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर मुझे गवाह न बनाओ क्योंकि मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बन सकता।'

(3712) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 3709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6509.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَأَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ لِهَذَا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ " .

(3713) हज़रत आमिर शअबी (رحمه الله) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मुझे बताया गया कि हज़रत बशीर बिन सअद (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी अम्रा बिन्ते रवाहा ने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसके बेटे नौमान को कोई अतिया दूँ और फिर आपको उस (अतिये) पर गवाह भी बनाऊँ। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरे बेटे हैं?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तूने उनको भी इस जैसा तोहफ़ा दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। तो आपने फ़रमाया: 'मुझे ज़ुल्म पर गवाह न बनाओ।'

(3713) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6510.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

(3714) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन

نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدْ فَقَالَ " هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".

मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मैंने अपने बेटे को अतिया दिया है। आप गवाह हो जाइये। आपने फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरी औलाद है?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने इसकी तरह उन्हें भी अतियात दिये हैं?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तो क्या मैं ज़ुल्म पर गवाह बनूँ?'

(3714) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6511, बुख़ारी, हदीस: 2650, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ فِطْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ عَلَى شَىْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ " أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ " . قَالَ نَعَمْ . وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا أَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ .

(3715) हज़रत नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) फ़रमाते थे: मेरे वालिद मोहतरम मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गये। वह आपको उस अतिये पर गवाह बनाना चाहते थे जो उन्होंने मुझे दिया था। आपने फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा तेरी और औलाद भी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने पूरी हथेली खोल कर हाथ के साथ इशारा करते हुये फ़रमाया: 'तूने उनमें बराबरी क्यूँ न की?'

(3715) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/268, 276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6512.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ

(3716) हज़रत नौमान (رضي الله عنه) ख़ुत्बे में फ़रमा रहे थे मुझे मेरे वालिद मोहतरम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले गये। वह आपको उस अतिये पर

مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ " هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " سَوِّ بَيْنَهُمْ " .

गवाह बनाना चाहते थे जो उन्होंने मुझे दिया था। आपने फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरे बेटे हैं?' वह कहने लगे: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर उनमें बराबरी करो।'

(3716) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6513.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ " .

(3717) हज़रत मुफ़ज्जल बिन मुहल्लब से रिवायत है कि मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) को ख़ुत्बे के दौरान में फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने बेटों के दरम्यान इन्साफ़ करो। अपने बेटों के दरम्यान अदल करो।'

(3717) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6514.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई कुछ रिवायात में मुत्लक़ औलाद का ज़िक्र है। लफ़्ज़ औलाद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है, इसलिये अगर आदमी अपनी ज़िन्दगी में औलाद को हिबा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह अपनी तमाम औलाद (मुज़क्कर व मुअन्नस) में बराबरी करे। विरासत की तक़सीम में मुज़क्कर व मुअन्नस का फ़र्क़ किया जायेगा हिबा और अतिया में नहीं। वल्लाहु आलम! (2) जुम्हूर अहले इल्म ने बेटों में बराबरी को मुस्तहब क़रार दिया है, वाजिब नहीं, मगर ऐसी सही और सरीह रिवायात की मौजूदगी में ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الهبة

हिबा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

कोई चीज़ बिला ऐवज़ किसी की मिल्क में दे देना हिबा कहलाता है, चाहे उससे सवाब मक़सूद न हो। अगर सवाब मक़सूद हो तो उसे सदक़ा कहा जाता है। कभी कभी ये दोनों लफ़्ज़ एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं।

باب(١): هِبَةُ الْمَشَاعِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ . فَقَالَ " اخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ " . فَقَالُوا قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ

बाब : (1)
मुश्तरका चीज़ का हिबा भी जायज़ है

(3718) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ)) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठे थे कि आपके पास क़बील-ए-हवाज़िन का वफ़्द हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा: ऐ मुहम्मद! हम एक असल अरबी क़बीला हैं और हम पर जो मुसीबत नाज़िल हुई है आप उससे बख़ूबी वाक़िफ़ हैं, लिहाज़ा आप हम पर एहसान फ़रमायें, अल्लाह तआला आप पर एहसान फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम माल लेना पसन्द कर लो या अपनी औरतें और अपने बच्चे।' वह कहने लगे: आपने हमें माल और ख़ानदान में से एक चीज़ पसन्द करने को फ़रमाया है तो हम अपनी औरतों और अपने बच्चों को पसन्द करते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मेरे और अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के हिस्से में आये हैं, वह मैंने तुम्हें दे दिये। जब मैं ज़ुहर की नमाज़ से फ़ारिग़ हों तो तुम खड़े होकर कहना: हम

الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا " . فَلَمَّا صَلَّوُا الظُّهْرَ قَامُوا فَقَالُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَمَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ " . فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَتِ الأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلاَ . وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فَلاَ . وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلاَ . فَقَامَتْ بَنُو سُلَيْمٍ فَقَالُوا كَذَبْتَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَىْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا " . وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا فَأَلْجَئُوهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ

मोमिनीन से अपने बीवी बच्चे वापस लेने के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) से मदद के ख़्वास्तगार हैं।' जब लोगों ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली तो उन्होंने खड़े होकर यही बात कही। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मेरे और अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के हिस्से में आया है, वह तो तुम्हारा हो गया।' मुहाजिरीन कहने लगे: जो हमारे हिस्से में आये हैं उनका इख़्तियार भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को है। अन्सार ने भी कहा: जो कुछ हमारे हिस्से में आया है, उसका इख़्तियार भी रसूलुल्लाह(ﷺ) को है। अक़रअ बिन हाबिस ने कहा: मैं और बनू तमीम तो किसी को इख़्तियार नहीं देते। उयय्ना बिन हिस्न ने कहा: मैं और (मेरा क़बीला) बनू फ़ज़ारा भी अपने हिस्से में किसी को इख़्तियार नहीं देते। अब्बास बिन मिर्दास ने कहा: मैं और (मेरा क़बीला) बनू सुलैम भी इख़्तियार नहीं देते। बनू सुलैम उठ खड़े हुये और कहने लगे: तू ग़लत कहता है। जो कुछ हमारे हिस्से में आया है उसका इख़्तियार भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! उन्हें उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दो। अलबत्ता जो शख़्स इस ग़नीमत से अपने हिस्से को बरक़रार रखना चाहे तो उसे (उस हिस्से के ऐवज़) छ: छ: ऊँट मिल जायेंगे, उस माल में से जो पहले पहल अल्लाह (ﷻ) हमें अता फ़रमायेगा (लेकिन अब वह अपना हिस्सा छोड़ दे)' फिर आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुये तो लोग भी सवार हुये (और आपको घेरे में ले लिया) कि हमें ग़नीमत तक्सीम कर दीजिये यहाँ तक कि उन्होंने

فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَىَّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لَكُمْ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمًا قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقَوْنِي بَخِيلاً وَلاَ جَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا " . ثُمَّ أَتَى بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ " هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ خُمُسٌ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ " . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتُ هَذِهِ لأُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةَ بَعِيرٍ لِي . فَقَالَ " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ " . فَقَالَ أَوَبَلَغَتْ هَذِهِ فَلاَ أَرَبَ لِي فِيهَا . فَنَبَذَهَا . وَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

इस धक्कम पेल में आपको एक दरख़्त तक पहुँचा दिया। आपकी चादर दरख़्त के काँटों में फँस गई। आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! मुझे मेरी चादर तो वापस कर दो। अल्लाह की क़सम! अगर तुम्हारे लिये (मेरे पास) तिहामा के दरख़्तों के बराबर ऊँट होते तो मैं वह सब तुममें तक्सीम कर देता, फिर तुम मुझे बख़ील या बुज़दिल या झूठा न पाते।' फिर आप एक ऊँट के पास आये। उसके कोहान से कुछ ऊन उखाड़ी और अपनी दो ऊँगलियों के दरम्यान पकड़ कर इरशाद फ़रमाया: 'सुनो! ऐ लोगो! मेरे लिये माले फ़ै में से कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं, अलावा ख़ुम्स (पाँचवें हिस्से) के और वह भी वापस तुम्हें ही मिल जाता है।' (ये सुन कर) एक आदमी बालों का एक गुच्छा लेकर उठा और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने ऊँट का नम्दा दुरुस्त करने के लिये ये गुच्छा लिया था। आपने फ़रमाया: 'इसमें जो मेरा और अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का हिस्सा था वह तुझे माफ़ है (बाक़ी को तू जाने) वह शख़्स कहने लगा: इस मामूली सी चीज़ का ये मर्तबा है? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं और उसने उसे फेंक दिया। आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! सूई और धागे तक (माले ग़नीमत) मेरे पास पहुँचा दो क्योंकि ख़्यानत क़यामत के दिन ख़्यानत करने वाले के लिये उयूब और आर बन जायेगी।'

(3718) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2694, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6515, इब्ने जारूद, हदीस: 1080 वग़ैरह, इब्ने हिशाम, हदीस: 203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुसीबत नाज़िल हुई है' ये ग़ज़्व-ए-हुनैन की बात है। फ़तहे मक्का के

बाद नबी (ﷺ) को इत्तिला मिली कि बनू हवाज़िन वग़ैरह मुसलमानों के मुक़ाबले के लिये इकट्ठे हो रहे हैं। आपने उनसे मुक़ाबले का फ़ैसला फ़रमाया। जंग हुई तो हवाज़िन वग़ैरह को शिकस्त हुई और उनके बीवी, बच्चे, ऊँट, बकरियाँ ग़र्ज ये कि हर चीज़ मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गई। आपने तक्सीम करने से चौदह दिन तक एहतिराज़ फ़रमाया कि अगर ये क़बीला मुसलमान होकर आ जाये तो उनका अहल व माल उन्हें वापस कर दिया जाये। लेकिन वह डरते न आये। आख़िर आपने उनका माल व अहल तक्सीम फ़रमा दिया। तक्सीम के बाद वह लोग वफ़्द की सूरत में आये। अपने इस्लाम का भी ऐलान किया और अपने अहल व माल की वापसी की दरख़्वास्त भी की। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हारा बहुत इन्तेज़ार किया। अगर तुम पहले आ जाते तो सब कुछ तुम्हें मिल जाता। मगर अब तक्सीम हो चुकी है। सब कुछ वापस लेना मुश्किल होगा, लिहाज़ा अहल व माल में से एक चीज़ को पसन्द कर लो।' (2) अक़रअ बिन हाबिस, उयय्ना बिन हिस्न और अ़ब्बास बिन मिर्दास और उनके क़बीले नो मुस्लिम थे। उनमें अभी ईमानी ख़साइल पूरी तरह जागुज़ीं नहीं हुये थे और न उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तर्बीयत से फ़ैज़याब होने का मौक़ा ही मिला (3) 'छः छः ऊँट मिल जायेंगे' आपका मक़सद ये था कि मैं उनके बीवी बच्चों की वापसी का फ़ैसला कर चुका हूँ, लिहाज़ा सबको वापस करने पड़ेंगे, अलबत्ता जो अपना हिस्सा बरक़रार रखना चाहता है, उसे हम आइन्दा मिलने वाली किसी ग़नीमत से उसके हिस्से के ऐवज़ छः ऊँट दे देंगे। अब वह उनके बीवी बच्चे उन्हें वापस कर दे। (4) 'लोगों ने घेर लिया' ये ग़ालिबन इस्लामी लश्कर में शामिल लोग नहीं थे क्योंकि उन्हें तो हिस्सा मिल चुका था, बल्कि ये इर्द गिर्द के आराब होंगे जो ग़नीमत की ख़बर सुन कर दौड़े आये होंगे और बिला वजह माँग रहे थे, जबकि ग़नीमत तक्सीम हो चुकी थी। इसके बावजूद आपने तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा किया और गुस्ताख़ी पर उनका मुआख़िज़ा भी नहीं किया। (5) 'तिहामा' हिजाज़ के नशैबी इलाक़े को कहते हैं। इसके मुक़ाबले में बालाई इलाक़े को नज्द कहते हैं। (6) 'तुम्हें ही मिल जाता है' क्योंकि ख़ुम्स बैतुल माल में जमा होता ा। आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक़ उससे ले लेते थे और बाक़ी मुसलमानों के मसालेह ही पर सर्फ़ होता था। (7) 'मेरा और ख़ानदाने अ़ब्दुल मुत्तलिब का हिस्सा' इन लफ़्ज़ों से बाब के मसले पर दलालत होती है कि आप और ख़ानदाने अ़ब्दुल मुत्तलिब का हिस्सा अलग नहीं था बल्कि कुल के अन्दर ही शामिल था और वही आपने हिबा या माफ़ किया है, लिहाज़ा मुश्तरक चीज़ का हिबा करना जायज़ है। (8) अगर इमाम मुसलमानों की मसलिहत की ख़ातिर क़ैदियों पर एहसान करते हुये उन्हें आज़ाद कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं।

बाब : (2)
बाप का अपने बेटे को अतिया देकर वापस लेने का बयान और इस मसले में नाक़िलीने हदीस़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (٢)
رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

वज़ाहत : ये इख़्तिलाफ़ सनद में है। वह ये कि कुछ ने इसे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (ﷺ) की मुसनद बनाया है, कुछ ने इब्ने उमर (ﷺ) और कुछ ने इब्ने अब्बास (ﷺ) की। फिर कुछ ने मौसूल बयान किया है और कुछ ने मुर्सल। लेकिन इस इख़्तिलाफ़ से हदीस़ की स़ेहत मुतास्सिर नहीं होती जैसा कि पहले कई बार बयान हो चुका है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " .

(3719) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स़ हिबा कर के वापस नहीं ले सकता मगर वालिद अपनी औलाद से वापस ले सकता है। और हिबा करके वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो क़ै करके फिर चाटता है।'

(3719) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2378, अलबैहक़ी: 6/179, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6516.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से दो मसले मालूम होते हैं: ○ हिबा में रुजूअ हराम है। ○ वालिद के लिये रुजूअ जायज़ है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। मगर लतीफ़ा ये है कि अहनाफ़ ने इन दोनों में मामला उलट दिया है। उनके नज़दीक हिबा में रुजूअ जायज़ है मगर बाप या महरम रिश्तेदार रुजूअ नहीं कर सकता। दलील ये है की महरम रिश्तेदार का हिबा स़िला रहमी है और स़िला रहमी को क़तअ करना जायज़ नहीं, बख़िलाफ़ अजनबी शख़्स़ के कि उसका हिबा तो उसकी ख़ुशी पर मौक़ूफ़ है, लिहाज़ा जब चाहे वापस ले सकता है। ताज्जुब है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की स़ही और स़रीह हदीस़ के ख़िलाफ़ किस धड़ल्ले से अक़्ली ढकोसले घड़े जाते हैं, हालांकि यूँ भी कहा जा सकता था कि जब कोई चीज़ किसी को हिबा कर दी जाती है तो वह उसकी मिल्क बन जाती है। किसी की मिल्क से कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर छीनना जायज़ नहीं, लिहाज़ा हिबा में रुजूअ दुरुस्त नहीं, अलबत्ता वालिद अपनी औलाद की मिल्क से किसी वक़्त भी कोई चीज़ बिला इजाज़त ले सकता है,

लिहाज़ा उसके लिये रुजूअ भी जायज़ है। ये अक़्ली तौजीह इस हदीस़ के भी मुवाफ़िक़ है: 'तू और तेरा माल तेरे वालिद का है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2291) (मज़ीद देखिये, हदीस़: 3732) **(2)** 'उस कुत्ते की तरह है' और कुत्ते से मुशाबिहत हराम है, लिहाज़ा ये काम भी हराम है। चूंकि अहनाफ़ रुजूअ को जायज़ समझते हैं, लिहाज़ा वह कहते हैं कि कुत्ते के लिये क़ै चाटना कौन सा हराम है कि रुजूअ हराम हो। ये तो सिर्फ़ तश्बीह के लिये है, हालांकि आइन्दा हदीस़ में स़राहतन ला यहिल्लु के अल्फ़ाज़ हैं। हदीस़ पर अ़मल करना ही निजात देगा। तावीलें किसी काम नहीं आयेंगी। **(3)** ऐसी चीज़ जो शरीयत में मना है उससे नफ़रत दिलाने के लिये किसी क़बीह चीज़ की मिस़ाल देना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ " .

(3720) हज़रत इब्ने उ़मर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ किसी को अ़तिया दे तो फिर उसके लिये जायज़ नहीं कि उसे वापस ले मगर वालिद अपनी औलाद को जो अ़तिया दे, उसे वापस ले सकता है। और जो शख़्स़ तोहफ़ा दे कर वापस लेता है, वह कुत्ते की तरह है जो खाता है यहाँ तक कि जब ज़रूरत से ज़्यादा सैर हो जाता है तो क़ै करता है, फिर अपनी क़ै को चाटने लगता है।'

(3720) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6517, 6518, व स़हीह इब्ने अल जारूद, हदीस़: 994, वल हाकिम: 4/46.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، - وَهُوَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - عَنْ وُهَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" .

(3721) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हिबा करके वापस लेने वाला कुत्ते की तरह है जो क़ै करता है, फिर अपनी क़ै चाटने लगता है।'

(3721) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2589, मुस्लिम, हदीस़: 1622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6521.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ مِنْ وَلَدِهِ " . قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ عَائِذٌ فِي قَيْئِهِ فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلاً قَالَ " فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .

(3722) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी के लिये जायज़ नहीं कि कोई चीज़ हिबा करे, फिर उसे वापस ले। मगर बाप अपनी औलाद से वापस ले सकता है।' हज़रत ताऊस ने कहा: जब मैं बच्चा था तो मैं सुना करता था कि 'क़ै चाटने वाला' लेकिन उस वक़्त मुझे ये इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये ऐसे शख़्स की मिसाल बयान की है और फ़रमाया है: 'जो शख़्स ऐसे करे, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है जो खाता है, फिर क़ै करता है, फिर अपनी क़ै चाटता है।'

(3722) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6522.

بَاب(٣): ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

बाब : (3) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : ये इख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़े हदीस में है जो कि वाज़ेह है। सईद बिन मुसय्यब जिन अल्फ़ाज़ से बयान करते हैं इक्रिमा उनसे मुख़्तलिफ़ बयान करते हैं।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ " .

(3723) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सदक़ा (या तोहफ़ा) देकर वापस लेता है, वह कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै में लोट जाता है, यानी उसे खा लेता है।'

(3723) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1622, बुख़ारी, हदीस: 2621, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6523.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، - وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ " .

(3724) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सदक़ा करके वापस लेता है, उसकी मिस़ाल कुत्ते की तरह है जो क़ै करके उसमें लौट जाता है, यानी उसे चाटने लगता है।

(3724) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6524.

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " . قَالَ الأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

(3725) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सदक़ा करके उसे वापस ले लेता है, उसकी मिस़ाल कुत्ते की तरह है जो क़ै करके उसे चाटता है।'

इमाम औज़ाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन अ़ली बिन हुसैन से सुना, वह ये हदीस़ अ़ता बिन अबी रबाह को बयान कर रहे थे।

(3725) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6525.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " .

(3726) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हिबा करके रुजूअ करने वाला अपनी क़ै चाटने वाले की तरह है।'

(3726) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3723, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6526.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " .

(3727) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तोहफ़े में रुजूअ करने वाला अपनी क़ै चाटने वाले की तरह है।'

(3727) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3723, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6527.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " .

(3728) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमें बुरी मिसाल का मिस्दाक़ नहीं बनना चाहिए। तोहफ़ा देकर वापस लेने वाला अपनी क़ै चाटने वाले (कुत्ते) की तरह है।'

(3728) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6528.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .

(3729) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम पर बुरी मिसाल सादिक़ नहीं आनी चाहिए। हिबा करके रुजूअ करने वाला कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै चाटता है।'

(3729) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6529, मुसनद अहमद: 1/217.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ " .

(3730) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बुरी मिसाल हमारे लिये मुनासिब नहीं। हिबा वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते और उसकी क़ै जैसी है।'

(3730) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6530.

باب(٤): ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ

बाब : (4) हिबा और तोहफ़े में रुजूअ करने के बारे में ताऊस पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .

(3731) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तोहफ़ा देकर वापस लेने वाला कुत्ते की तरह है जो क़ै करता है, फिर उस क़ै को चाटना शुरू कर देता है।'

(3731) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3721, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6531.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " .

(3732) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हिबा करके वापस लेने वाला अपनी क़ै चाटने वाले (कुत्ते) की तरह है।'

(3732) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6532.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3733) हज़रत इब्ने उमर और इब्ने अब्बास(ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि

بِهِ، حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी शख़्स के लिये हलाल नहीं कि वह अतिया देकर वापस ले मगर वालिद अपनी औलाद को अतिया देकर वापस ले सकता है। और जो शख़्स अतिया देकर वापस लेता है, वह उस कुत्ते की तरह है जो खाता है यहाँ तक कि जब (ज़रूरत से ज़्यादा) सैर हो जाता है तो क़ै कर देता है, फिर दोबारा उसे चाटना शुरू कर देता है।'

(3733) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3720, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6533, 6534.

फ़ायदा : तफ़्सील हदीस: 3719 में गुज़र चुकी है। वालिद के लिये रुजूअ इसलिये भी जायज़ है कि उसे तादीब (अदब सिखाने) के लिये उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और औलाद को अदब सिखाना अतिया से बहुत अफ़ज़ल है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ " . قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا " . وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا " كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ " .

(3734) हज़रत ताऊस (रहमतुल्लाह अलैह) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी के लिये जायज़ नहीं कि वह तोहफ़ा देकर रुजूअ करे, अलबत्ता वालिद कर सकता है।' हज़रत ताऊस ने कहा: मैं बच्चों को यूँ कहते सुनता था, वह कह रहे होते: ओए अपनी क़ै चाटने वाले! लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे बतौर मिसाल बयान फ़रमाया है यहाँ तक कि मुझे ये हदीस पहुँची: 'जो शख़्स हिबा करके वापस ले, उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है जो अपनी क़ै चाटता है।'

(3734) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6535.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ أَخْبَرَنَا بَعْضُ، مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ " .

(3735) हज़रत ताऊस (رحمه الله) बयान करते हैं कि हमें ऐसी शख़्सियत ने बताया जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ियारत फ़रमाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स हिबा करके रुजूअ करता है, उसकी मिस़ाल उस कुत्ते जैसी है जो खाता है, फिर क़ै करता है, फिर अपनी क़ै चाटता है।'

(3735) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6536.

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

रुक़्बा का मफ़हूम व मआनी

रुक़्बा भी तोहफ़ा और अतिया की एक सूरत है। एक शख़्स दूसरे को कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा दे और कहे: अगर मैं तुझसे पहले मर गया तो ये तोहफ़ा तेरे पास ही रहेगा और अगर तू मुझसे पहले मर गया तो ये तोहफ़ा वापस आ जायेगा, जैसे: घर वग़ैरह। इसे रुक़्बा इसलिये कहते हैं कि दोनों में से हर एक दूसरे की मौत का इन्तेज़ार करता है। और रुक़्बा भी इन्तेज़ार को कहते हैं। चूंकि ये कोई अच्छी सूरत नहीं कि दोनों में से हर एक दूसरे की मौत का इन्तेज़ार बल्कि ख़्वाहिश करे, लिहाज़ा शरीयत ने इस शर्त को बातिल क़रार दिया है। अब जो शख़्स किसी को अतिया करेगा और वह अतिया उसके आख़री साँस तक उसके पास रहे तो वह मरने के बाद भी वापस नहीं आयेगा बल्कि उसका तर्का शुमार होगा और उसके वारिसीन को मिलेगा, हाँ जो चीज़ किसी को कुछ अर्से के लिये दी जाये, जैसे: साल, दो साल, दस साल वग़ैरह, वह वक़्ते मुक़र्ररा के बाद वापस आ जायेगी।

كتاب الرقبى

रुक़्बा का मफ़हूम व मआनी

बाब : (1)

इस मसले की बाबत हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मरवी रिवायत में इब्ने अबी नजीह पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (۱)

ذِكۡرِ الاِخۡتِلاَفِ عَلَى ابۡنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي خَبَرِ زَيۡدِ بۡنِ ثَابِتٍ فِيهِ

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि उबैदुल्लाह बिन अम्र हज़रत ताऊस और ज़ैद बिन साबित के दरम्यान वास्ता बयान नहीं करते, मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी दरम्यान में 'किसी आदमी' का वास्ता बयान करते हैं और अब्दुल जब्बार बिन अला इसे इब्ने अब्बास (ﷺ) से मौक़ूफ़न बयान करते हैं, यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) की हदीस की सनद मुज़्तरिब है लेकिन इसका मतन हज़रत जाबिर और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से सही साबित है जैसा कि आगे ये अहादीस आ रही हैं।

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الرُّقْبَى جَائِزَةٌ

(3736) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा नाफ़िज़ हो जायेगा।'

(3736) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6537.

फ़ायदा : 'नाफ़िज़ हो जायेगा' यानी किसी भी सूरत में देने वाले को वापस नहीं मिलेगा।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا .

(3737) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने रुक़्बा मुस्तक़िलन उसी शख़्स के लिये बना दिया जिसे वह दिया गया था।

(3737) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/186, 189, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6538.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ .

(3738) शायद हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रुक़्बा वापस नहीं आयेगा, चुनांचे जो शख़्स किसी को कोई चीज़ रुक़्बा देगा तो वह चीज़ उस शख़्स की मीरास बन जायेगी।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6536.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रुक़्बा वापस नहीं आयेगा' यानी रुक़्बा की राइज सूरत मोतबर नहीं। दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि रुक़्बा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अतिया की अच्छी सूरत नहीं। लेकिन अगर कोई शख़्स करेगा तो वापसी की शर्त ग़ैर मोतबर होगी बल्कि जिसे दे दिया गया था, उसके वारिसीन को उसकी वफ़ात के बाद मिल जायेगा। **(2)** 'शायद' अब्दुल जब्बार बिन अला को शक है।

बाब : (2) (इस हदीस में) अबू ज़ुबैर पर (किये गये) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि कुछ ने मरफ़ूअ बयान किया है, कुछ ने मौक़ूफ़ और कुछ ने मुर्सल। लेकिन हदीस मुत्तसिल और मरफ़ूअ साबित है जैसा कि पहले बयान किया गया है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ "

(3739) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने माल रुक़्बा की सूरत में न दो (क्योंकि वह वापस नहीं मिलेंगे) लेकिन अगर किसी शख़्स ने कोई चीज़ रुक़्बा के तौर पर दी तो वह उसी की रहेगी जिसको उसने दी।'

(3739) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6540.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

(3740) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा उसी शख़्स के लिये मुस्तक़िल हो जायेगा जिसे दिया गया। और रुक़्बा भी मुस्तक़िलन उसी शख़्स को मिलेगा जिसे दिया गया। और हिबा को वापस लेने वाला अपनी क़ै चाटने वाले की तरह है।'

(3740) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6541.

फ़ायदा : 'उ़म्रा' की तफ़्सील आइन्दा आ रही है। उ़म्रा और रुक़्बा हिबा की दो सूरतें हैं। हिबा में रुजूअ़ जायज़ नहीं लिहाज़ा इन दो सूरतों में भी रुजूअ़ जायज़ नहीं। वापसी की शर्त बातिल है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ .

(3741) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि उ़म्रा और रुक़्बा बराबर हैं (वापस नहीं आयेंगे)

(3741) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6542.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ تَحِلُّ

(3742) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रुक़्बा और उ़म्रा हलाल नहीं। जिसे कोई चीज़ बतौर उ़म्रा दी गई, वह उसी की रहेगी और जिस शख़्स को कोई चीज़ बतौर

रुक़्बा दी गई, वह भी उसी की रहेगी।

الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ .

(3742) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6543.

फ़ायदा: 'हलाल नहीं' - 'यानी राइज सूरत में। वैसे भी ये अतिया की कोई अच्छी सूरतें नहीं। देखिये, हदीस: 3738.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلاَ الرُّقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ . أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ .

(3743) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि उम्रा और रुक़्बा दुरुस्त नहीं। जिस शख़्स को उम्रा दिया गया या रुक़्बा दिया गया, वह उसी के पास रहेगा जिसे उम्रा या रुक़्बा दिया गया। उसकी ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी। (यानी उसके वारिसीन को मुन्तक़िल हो जायेगा।)

इस हदीस को हन्ज़ला बिन अबी सुफ़ियान जुहई ने मुर्सल बयान किया है।

(3743) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6544.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " .

(3744) हज़रत ताऊस (رحمه الله) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा हलाल नहीं। जिस शख़्स को रुक़्बा दिया जायेगा तो उसमें विरासत जारी होगी (और वह वापस नहीं आयेगा)'

(3744) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6545.

أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْعُمْرَى مِيرَاثٌ " .

(3745) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा विरासत बन जायेगा।'

(3745) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6546, देखें, हदीस: 3736.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ

(3746) हज़रत ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा वारिसीन को

أَبِيهِ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

मिल जायेगा, (देने वाले को वापस नहीं मिलेगा)'

(3746) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 6547.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(3747) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा मुस्तक़िल्लन नाफ़िज़ हो जायेगा।'

(3747) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 3559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 6548, व स़हीह इब्ने हिब्बान, मुसनद अल हुमैदी, हदीस़: 399.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " .

(3748) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा वारिस़ों को मिल जायेगा।'

(3748) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 6549.

फ़ायदा : यानी जिसको उ़म्रा दिया गया था, उसकी वफ़ात की सूरत में उसके वारिसीन को मिलेगा, देने वाले को वापस नहीं मिलेगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(3749) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा वारिस़ों को मिल जायेगा।' वल्लाहु आलम!

(3749) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 6550.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

उ़म्रा का मफ़हूम व मआ़नी

उ़म्रा भी हिबा की एक सूरत है, इसमें उ़म्र की क़ैद लगाई जाती है। अ़तिया देने वाला कहता है: मैंने ये चीज़ तुझे उम्र भर के लिये दी। कभी कहा जाता है कि जब तू मर जायेगा तो वापस मुझे मिल जायेगी। लेकिन चूंकि ये शर्त शरीयत के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा ग़ैर मोतबर है क्योंकि जो चीज़ किसी शख़्स के पास ज़िन्दगी भर आख़री साँस तक रही, वह उसका तर्का शुमार होगी और उसके वारिसीन को मिलेगी। उसकी वापसी की शर्त ग़लत है और ग़लत शर्त फ़ासिद होती है, और ये हिबा है और हिबा में रुजूअ़ करना शरअ़न हराम है। इस लिहाज़ से भी ये शर्त नाजायज़ है। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب العمرى

उ़म्रा का मफ़हूम व मआ़नी

باب : (١)

اَلْعُمْرٰى لِلْوَارِثِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ " .

बाब : (1)

(इसका बयान कि) उ़म्रा वारिसीन के लिये होगा

(3750) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा वारिसीन ही को मिलेगा।'

(3750) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6552.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ".

(3751) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा (मुअ़्मर लहू के) वारिसीन को मिलेगा।'

(3751) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6553.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .

(3752) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि उम्रा वारिसीन को मिलेगा।

(3752) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1552.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .

(3753) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि उम्रा (मुअ़्मर लहू की वफ़ात के बाद उसके) वारिसीन को मिल जायेगा।

(3753) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6554.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، عَرَضَ عَلَىَّ مَعْقِلٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ " .

(3754) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने कोई चीज़ बतौर उम्रा दी तो वह उसी की होगी जिसको दी गई। ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी। और रुक़्बा न दिया करो। जिस शख़्स़ को कोई चीज़ बतौर रुक़्बा दी गई तो अपने रास्ते ही पर जायेगी, (यानी जिसे दी गई उसकी हो जायेगी, वापस नहीं आयेगी)'

(3754) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6555.

خْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْحَجُورِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(3755) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा नाफ़िज़ हो जायेगा (वापस नहीं आयेगा)'

(3755) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6556, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "

(3756) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा नाफ़िज़ हो जायेगा।'

(3756) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6557.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ طَاوُسٍ، بَتَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى .

(3757) हज़रत ताऊस (رحمه الله) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़म्रा और रुक़्बा को क़तई क़रार दिया है (वह वापस नहीं होंगे)

(3757) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6558.

باب(٢): ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى

बाब : (2) उ़म्रा के बारे में हज़रत जाबिर (ﷺ) की हदीस़ के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र

वज़ाहत : ये इख़्तिलाफ़ सनद और मतन दोनों में है। सनद में इख़्तिलाफ़ ये है कि कुछ ने इसे मुत्तस़िल बयान किया है और कुछ ने मुर्सल, और कुछ ने इसे इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की मुसनद बनाया है और कुछ ने इब्ने उ़मर (ﷺ) की। लेकिन इब्ने उ़मर (ﷺ) की मुसनद बनाना दुरुस्त नहीं। मतन में इख़्तिलाफ़ वाज़ेह है कि मुख़्तलिफ़ रावियों ने मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। लेकिन ये इख़्तिलाफ़ नुक़सानदेह नहीं क्योंकि मफ़हूम सब रिवायात का एक ही है। वह ये कि उ़म्रा और रुक़्बा नहीं देना

चाहिए लेकिन अगर दे दिया गया तो वापस नहीं होगा बल्कि देने वाले ही का हो जायेगा। और उसके मरने के बाद उसके वारिसीन को मिलेगा।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ فَقَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(3758) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन उन्हें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया जिसमें फ़रमाया: 'उम्रा नाफ़िज़ हो जायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2626, कमा सयाती, हदीस: 3760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6559.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى . قُلْتُ وَمَا الرُّقْبَى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ . فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ .

(3759) हज़रत अता से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्रा और रुक़्बा से मना फ़रमाया है। मैंने कहा: रुक़्बा क्या होता है? उन्होंने फ़रमाया: कोई शख़्स दूसरे शख़्स से कहे: ये चीज़ तेरी ज़िन्दगी तक तेरे लिये है। वैसे अगर तुम उम्रा या रुक़्बा करोगे तो वह नाफ़िज़ हो जायेंगे।

(3759) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6561.

फ़ायदा : 'तेरी ज़िन्दगी तक' ये उम्रा की तफ़्सीर है न कि रुक़्बा की। ये दोनों तोहफ़े की अच्छी सूरतें नहीं, लिहाज़ा उनसे रोका गया है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(3760) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा जारी हो जायेगा (वापस नहीं आयेगा)

(3760) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1625/30, बुख़ारी, हदीस: 2626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6560.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

(3761) हज़रत अता (رحمه الله) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को

أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ " .

कोई चीज़ ज़िन्दगी भर के लिये दी गई, वह उसकी है। ज़िन्दगी में भी और मौत के बाद भी (यानी अस़ल शख़्स़ की मौत के बाद उसके वारिसीन की होगी)'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6562.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " .

(3762) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा और उम्रा न दो। जिस शख़्स़ को कोई चीज़ बतौर उम्रा या रुक़्बा दी गई, वह (उसकी वफ़ात के बाद) उसके वारिसीन की होगी।'

(3762) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 3556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6563, व स़हीह इब्ने हिब्बान, देखें, हदीस़: 3760.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " .

(3763) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा और रुक़्बा नहीं लौटेंगे, लिहाज़ा जिस शख़्स़ को कोई चीज़ बतौर उम्रा या रुक़्बा दी गई, वह उसी की है। ज़िन्दगी में भी, मरने के बाद भी।'

(3763) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6564.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، { قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، } قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ

(3764) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: उम्रा और रुक़्बा मुनासिब नहीं। जिस शख़्स़ को कोई चीज़ बतौर उम्रा या रुक़्बा दी गई, वह उसी की है। ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी।' अता कहते हैं कि ये दूसरे शख़्स़ (जिसे उम्रा या रुक़्बा के तौर पर कोई चीज़ दी गई है उस) के लिये है।

شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " . قَالَ عَطَاءٌ هُوَ لِلآخَرِ .

(3764) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6565.

أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقْبَى وَقَالَ " مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ "

(3765) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुक़्बा से मना फ़रमाया है, और फ़रमाया: 'जिस शख़्स को कोई चीज़ बतौर रुक़्बा दी गई, वह उसी की रहेगी।'

(3765) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6566.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " .

(3766) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को कोई चीज़ बतौर उम्रा दी गई, वह ज़िन्दगी और मौत हर हाल में उसी की रहेगी।'

(3766) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1625/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6567.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ امْسِكُوا عَلَيْكُمْ - يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ - لاَ تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " .

(3767) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ जमाअते अन्सार! अपने माल अपने पास रखो। उन्हें बतौर उम्रा न दो क्योंकि जो शख़्स कोई चीज़ बतौर उम्रा देगा (वह उसे वापस नहीं मिलेगी बल्कि) वह उसी शख़्स की रहेगी जिसे दी गई। ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी।'

(3767) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1625/27, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6568.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي

(3768) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने माल

अपने पास रखो और उन्हें बतौर उम्रा न दो क्योंकि जिस शख़्स को कोई चीज़ उम्र भर के लिये दी गई, वह उसी की रहेगी। ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी।'

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ " .

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 3/374, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6569, पिछली हदीस देखें.

(3769) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा उसी का है जिसे दिया गया।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا " .

(3769) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6570, तिर्मिज़ी, हदीस: 1351, देखें, हदीस: 3767.

(3770) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा उसके पास रहेगा जिसे दिया गया और रुक़्बा भी उसी के पास रहेगा जिसे दिया गया।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا " .

(3770) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6571.

बाब : (3) इस हदीस में इमाम ज़ोहरी पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

वज़ाहत : ये इख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़ का है। इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) के शागिर्द उन से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। कोई उम्रा की मुमानिअत की इल्लत के बग़ैर मुत्लक़ अल्फ़ाज़ बयान करता है, कोई इल्लत का तज़किरा करता है, फिर कोई इल्लत मरफ़ूअन बयान करता है, कोई मुदरज और कोई अबू सलमा का क़ौल। लेकिन ये इख़्तिलाफ़ मुज़िर (नुक्सानदेह) नहीं। मफ़हूम सब का एक ही है। इसी लिये इमाम मुस्लिम (رحمه الله) ने अपनी सही में ये तमाम अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि मुमानिअत की इल्लत, हदीस में मुदरज है और ये अबू सलमा का क़ौल है। वल्लाहु आलम!

(3771) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को कोई चीज़ बतौर उम्रा दी गई, वह उसी की है और (उसकी वफ़ात के बाद) उसकी औलाद की। जो भी उसके लवाहिक़ीन में से उसका वारिस बनेगा, वह उसका मालिक होगा।'

(3771) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3551, 3552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6572.

(3772) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा उसी का है जिसे दिया गया, (उसकी ज़िन्दगी में) और (उसकी वफ़ात के बाद) उसकी औलाद का है। औलाद में से जो उसका वारिस बनेगा, वह उम्रा का वारिस भी बनेगा।'

(3772) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1625, बुख़ारी, 2625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6573.

(3773) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा उसी का रहेगा जिसे दिया गया। (ज़िन्दगी में तो) उसका है और (उस की वफ़ात के बाद) उसकी औलाद का है। उसकी औलाद में से जो उसका वारिस बनेगा, वह उसका भी वारिस होगा।'

(3773) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6574.

(3774) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी दूसरे शख़्स को कोई चीज़ उसके

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ " .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ " .

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ " .

लिये और उसकी औलाद के लिये बतौर उम्रा दे दे तो वह उसके लिये और उसकी औलाद के लिये होगी। इसमें विरासत चलेगी।'

(3774) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6575.

फ़ायदा : औलाद के लिये न भी कहे तब भी वह चीज़ औलाद को बतौर विरासत मिलेगी। साबिक़ा अहादीस में इसकी सराहत है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ " .

(3775) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जो शख़्स किसी को कोई चीज़ उसके लिये और उसकी औलाद के लिये बतौर उम्रा दे तो उसकी इस बात ने उसका हक़ उस चीज़ से ख़त्म कर दिया। अब वह उसी की होगी जिसे दी गई और बाद में उसकी औलाद को मिलेगी।'

(3775) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6576.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .

(3776) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को कोई चीज़ उसके लिये और उसकी औलाद के लिये बतौर उम्रा दी गई, वह उसी के पास रहेगी जिसे दी गई। देने वाले के पास वापस नहीं जायेगी क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें विरासत वाक़ेअ हो चुकी है।

(3776) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6577.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ

(3777) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी को कोई तोहफ़ा उसके लिये और उसकी औलाद के लिये दिया, वह उसी के पास रहेगा जिसे उसने दिया है और उससे आगे उसके वारिसीन में अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा विरासत और हक़ के मुताबिक़ विरासत चलेगी।

(3777) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6578.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ .

(3778) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स के बारे में फ़ैसला फ़रमाया जिसे कोई चीज़ उसके लिये और उसकी औलाद के लिये बतौर उम्रा दी गई: 'वह मुस्तक़िल तौर पर उसकी हो चुकी। देने वाला उसमें न कोई शर्त लगा सकता है न कोई इस्तिस्ना कर सकता है।'

(रावि-ए-हदीस) हज़रत अबू सलमा ने कहा: इसकी वजह ये है कि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें विरासत वाक़ेअ होगी, लिहाज़ा मीरास ने उसकी हर क़िस्म की शर्त ख़त्म कर दी है।

(3778) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6579.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

(3779) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी दूसरे शख़्स को कोई चीज़ उसके लिये और उसकी औलाद के लिये बतौर उम्रा दी और कहा कि मैंने ये चीज़ तुझे और तेरी औलाद को दी जब

" أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .

तक तुममें से कोई एक बाक़ी है। तो वह उसी के पास रहेगी जिसे दी गई और देने वाले को वापस नहीं मिलेगी क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें विरासत वाक़ेअ हो गई।'

(3779) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6580.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِي إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَىَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ.

(3780) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्रा के बारे में फ़ैसला फ़रमाया कि जब कोई शख़्स दूसरे को उसकी औलाद तक के लिये कोई हिबा कर दे और फिर ये इस्तिस्ना करे कि अगर तुझे और तेरी औलाद को कोई हादसा पेश आ गया तो ये हिबा मुझे और मेरी औलाद को मिल जायेगा (आपने फ़ैसला फ़रमाया:) 'वह हिबा उसी का है जिसे दिया गया और उसकी औलाद का है।'

(3780) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6581.

फ़ायदा : हदीस: 3774 से इस हदीस तक उम्रा की ये सूरत बयान की गई है कि ये चीज़ तेरे और तेरी औलाद के लिये है। ज़ाहिर है ये चीज़ तो वापस आने से रही क्योंकि देने वाला ख़ुद 'औलाद' की सराहत कर चुका है। इस क़िस्म की अहादीस से इमाम मालिक (رحمه الله) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि अगर उम्रा देने वाला 'औलाद' की सराहत न करे तो वह चीज़ मुअमर लहू की वफ़ात के बाद देने वाले को वापस मिल जायेगी। मगर ये इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि इसकी सराहत नहीं की गई। सिर्फ़ उन अहादीस से ऐसे मफ़हूमन समझ में आता है जबकि दीगर अहादीस में सराहतन सिर्फ़ उम्रा का लफ़्ज़ कहने पर भी वापसी की नफ़ी की गई है। चाहे उसने औलाद का ज़िक्र न भी किया हो। जब मन्तूक़ (सराहत) और मफ़हूम में मुक़ाबला हो तो मन्तूक़ (सराहत) ही को तर्जीह दी जाती है। तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है।

बाब : (4)इस हदीस़ में अबू सलमा पर यहया बिन अबी कस़ीर और मुहम्मद बिन अ़म्र के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

ذِكْرِ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " .

(3781) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा उसी के पास रहेगा जिसे दिया गया।'

(3781) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6582.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

(3782) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा उसी का है जिसे दिया गया (वापस नहीं आयेगा)'

(3782) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6583.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ " .

(3783) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा (मुरव्वजा शक्ल में) दुरुस्त नहीं। अब जिसे कोई चीज़ बतौर उ़म्रा दी गई, वह उसी के पास रहेगी (वापस नहीं जायेगी।)'

(3783) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2379, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6584.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ،

(3784) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे कोई चीज़ बतौर उ़म्रा दी गई, वह उसी की रहेगी।'

(3784) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6585.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(3785) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा नाफ़िज़ हो जायेगा (वापस नहीं आयेगा)'

(3785) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1626, बुख़ारी, हदीस: 2626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6586.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى، فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " . قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطُهُ . قَالَ قَتَادَةُ فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

(3786) हज़रत क़तादा (رحمه الله) से रिवायत है कि सुलैमान बिन हिशाम ने मुझसे उम्रा के बारे में पूछा तो मैंने कहा: मुझे हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन ने क़ाज़ी शुरैह से बयान किया कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि उम्रा मुस्तक़िल्लन जारी हो जायेगा।

क़तादा ने कहा कि मुझे (बा सनद) हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से पहुँचा है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा नाफ़िज़ हो जायेगा।'

हज़रत क़तादा ने कहा कि हज़रत हसन बसरी कहा करते थे: उम्रा वापस नहीं होगा।

हज़रत क़तादा ने कहा कि हज़रत ज़ोहरी ने कहा: उम्रा उस वक़्त मुस्तक़िल्लन होगा जब उम्रा उस (की वफ़ात के बाद उस) की औलाद के लिये भी किया जाये। लेकिन अगर वह उसके बाद उसकी औलाद के लिये उम्रा न करे तो उम्रा करने वाले के लिये उसकी शर्त मोतबर होगी।

हज़रत क़तादा ने कहा कि अता बिन अबी रबाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा: मुझे हज़रत जाबिर बिन

फ़क़ाल ... فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " . قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ الْخُلَفَاءُ لاَ يَقْضُونَ بِهَذَا . قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .

अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उम्रा जारी हो जायेगा (वापस नहीं होगा)'

क़तादा ने कहा: हज़रत ज़ोहरी ने कहा कि ख़ुलफ़ा इस हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैसला नहीं करते थे।

हज़रत अ़ता ने कहा कि ख़लीफ़ा अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान ने इस हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैसला किया है।

(3786) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6587.

फ़ायदा : ये तमाम अक़वाल हज़रत क़तादा ने इस मसले की तफ़हीम के लिये बयान फ़रमाये हैं। किसी ख़लीफ़ा का स़ही हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैसला न करना उस हदीस़ को कमज़ोर नहीं बनाता, अलबत्ता इन अक़वाल से ये मालूम होता है कि मसला मुख़्तलफ़ फ़ीह है। लेकिन स़ही बात वही है जो अहादीस़े स़हीहा से स़ाबित है जैसा कि तफ़्स़ील से बयान हो चुका।

باب : (٥)

عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

बाब : (5)

क्या औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अतिया दे सकती है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " . اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

(3787) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि वह अपने माल में से हिबा करे क्योंकि उसका ख़ाविन्द उसकी इस्मत का मालिक है।' अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन मअ़मर के हैं।

(3787) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 3546, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6589, 6590, व स़हीह अलहाकिम: 2/47, इब्ने माजा, हदीस़: 2388.

फ़ायदा : इस हदीस़ से ज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अपने माल में से भी अतिया नहीं दे सकती। अगर ये मफ़हूम हो तो फिर ये हुक्म इस्तेहबाबी होगा ताकि ख़ाविन्द बीवी में बदमज़गी पैदा न हो क्योंकि बहुत सी अहादीसे सहीहा में ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अतिया करने का ज़िक्र है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) ने बारहा आपकी इजाज़त के बग़ैर अपने माल में तसर्रुफ़ फ़रमाया, जैसे हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) ने आपको बताये बग़ैर अपनी लौण्डी आज़ाद की। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने आपको बताये बग़ैर बरीरा को ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया वग़ैरह। या इस रिवातय में 'अपने माल' से मुराद ख़ाविन्द का माल होगा जो औरत के तसर्रुफ़ में होता है। इसमें लाज़िमन इजाज़त होनी चाहिए। तमाम दलाइल का लिहाज़ रखना ज़रूरी है न कि सिर्फ़ एक रिवायत का।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ح وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا" .

(3788) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(رضي الله عنه)) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया तो आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाने के लिये खड़े हुये, चुनांचे आपने अपने ख़ुत्बे में फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर (ख़ाविन्द के माल से) अतिया दे।'

(3788) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 2541, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6591, 6592.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने यहाँ इस हदीस़ की सनद को ज़ईफ़ कहा है। पीछे हदीस़: 2541 में इसकी सनद को हसन और सुनन अबू दाऊद (हदीस़: 3547) में मुत्लक़न हसन कहा है। मुहक़्क़िक़े किताब का यहाँ इस हदीस़ की सनद को ज़ईफ़ कहना समझ से बाला तर है। दलाइल की रू से राजेह बात ये है कि हदीस़ हसन और क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

(3789) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अल्क़मा स़क़फ़ी से मन्क़ूल है कि बनू सक़ीफ़ का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उनके साथ तोहफ़े तहाइफ़ भी थे। आपने

بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ " أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالُوا لاَ بَلْ هَدِيَّةٌ . فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ

फ़रमायाः 'ये तोहफ़ा हैं या सदक़ा? अगर तोहफ़े हैं तो उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की रज़ामन्दी मक़सूद होगी और अपना कोई मक़सद पूरा करना मतलूब होगा और अगर सदक़ा हैं तो इससे अल्लाह तआला की रज़ामन्दी मक़सूद होगी।' उन्होंने कहाः ये तोहफ़े हैं। आपने उनसे तहाइफ़ क़बूल फ़रमाये और उनके साथ तशरीफ़ फ़रमा हो गये। आप उनसे हाल अहवाल पूछते थे, वह आपसे पूछते रहे, यहाँ तक कि आपने ज़ुहर की नमाज़ अस्र के साथ पढ़ी।

(3789) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) फ़िसारीखिल कबीरः 5/250, 251, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6593, देखें, हदीसः 780.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ " .

(3790) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मैंने फ़ैसला किया है कि मैं किसी क़ुरैशी, अन्सारी, सक़फ़ी या दौसी शख़्स के अलावा किसी से तोहफ़ा क़बूल नहीं करूँगा।'

(3790) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमैदी, हदीसः 1057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6594, व मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 11/65, हदीसः 19921, तिर्मिज़ी, हदीसः 3945, व सहीह अल हाकिमः 2/62, 63, इब्ने हिब्बान, हदीसः 1145, 1146.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस फ़रमान का सबब ये हुआ कि एक आराबी ने आपको एक ऊँट तोहफ़े में दिया। उसका मक़सद मुआवज़ा लेना था। आपने उसे छः ऊँट दे दिये, फिर भी वह राज़ी न हुआ, इसलिये आपने ये इरशाद फ़रमाया क्योंकि लोगों ने आपको आम बादशाहों की तरह समझ रखा था कि जिन से हीले बहानों से पैसे बटोरे जाते हैं। (2) क़ुरैशी, अन्सारी, सक़फ़ी, दौसी चूंकि आपके तर्बीयत याफ़्ता और आपकी हैसियत से वाक़िफ़ थे, वह आपको तोहफ़ा तबर्रुक की ग़र्ज़ से देते थे, इसलिये आपने इन क़बीलों को मुस्तस्ना क़रार दिया। (3) इस हदीस का मक़सद ये है कि अगर तोहफ़ा देने वाला लालची

शख़्स हो और जो ऐवज़ दिया जाये उस पर राज़ी न होता हो तो तोहफ़ा क़बूल करने से इन्कार भी किया जा सकता है। (4) तोहफ़ा देने वाले को उसके तोहफ़े के मुक़ाबले ऐवज़ देना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " .

(3791) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गोश्त लाया गया। आपने पूछा: ये कैसा है?' अर्ज़ की गई कि ये गोश्त बरीरा पर सदक़ा किया गया था (और उसने उसमें कुछ हमें भेजा है) आपने फ़रमाया: 'ये उसके लिये सदक़ा था, हमारे लिये तोहफ़ा और हदिया है।'

(3791) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1495, मुस्लिम, हदीस: 1074, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6595.

फ़ायदा : इस हदीस का मक़सद ये है कि सदक़े के माल से कोई ग़रीब शख़्स हदिया भेज सकता है। और उसे हर शख़्स क़बूल कर सकता है, अमीर हो या ग़रीब क्योंकि अब उसकी हैसियत तोहफ़े की है, सदक़े की नहीं। गोया जो चीज़ बज़ाते ख़ुद हराम न हो तो देने वाले और लेने वाले की नियत और हैसियत के लिहाज़ से उसकी हैसियत बदलती रहती है। इस मसले की तफ़सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 3477.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

क़सम और नज़र का मफ़हूम व मआनी

अरबी में क़सम को यमीन कहा जाता है। यमीन के लुग़वी मआनी दायाँ हाथ हैं। अरब लोग बात को और सौदे या अहद को पक्का करने के लिये अपना दायाँ हाथ फ़रीक़े सानी के हाथ पर रखते थे। क़सम भी बात को पुख़्ता करने के लिये होती है, इसलिये कभी क़सम के मौक़े पर भी अपना हाथ दूसरे के हाथ पर रखते थे। इस मुनासिबत से क़सम को यमीन कहा जाता है।

नज़र से मुराद ये है कि कोई शख़्स किसी ऐसे फ़ेअल को अपने लिये वाजिब क़रार दे ले जो जायज़ हो। अल्लाह तआला ने उसे ज़रूरी क़रार नहीं दिया, वह बदनी काम हो या माली। दोनों का नतीजा एक ही है, यानी क़सम के साथ भी फेअल मुअक्कद हो जाता है और नज़र के साथ भी, लिहाज़ा उन्हें इकट्ठा ज़िक्र किया, और शरीयत ने क़सम और नज़र का कफ़्फ़ारा एक ही रखा है। क़सम और नज़र दोनों अल्लाह तआला ही के लिये हो सकती हैं वरना शिर्क का ख़तरा है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الأيمان والنذور

क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1)
नबी (ﷺ) की क़सम कैसे होती थी?

باب : (١)
كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ

(3792) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) (उमूमन) यूँ क़सम खाया करते थे: 'क़सम उस ज़ात की जो दिलों को फेरने वाली है! बात ऐसे नहीं।'

(3792) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4703.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَتْ يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अल्फ़ाज़ की मुनासिबत ये है कि क़सम पर क़ाइम रहना दिल की मज़बूती और इस्तेक़ामत पर मौक़ूफ़ है और दिल अल्लाह तआला के क़ब्जे में हैं। गोया क़सम के साथ साथ ये दुआ भी है कि अल्लाह तआला मेरे दिल को क़ाइम रखे। **(2)** मालूम हुआ कि क़सम में लफ़्ज़ अल्लाह ज़िक्र हो या अल्लाह तआला की मख़्सूस सिफ़ात में से कोई एक सिफत, दोनों बराबर हैं।

बाब : (2)
मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब के साथ क़सम खाना

باب : (٢)
الْحَلِفِ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ

(3793) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़सम, जो आप उमूमन उठाया करते थे, ये थी: 'मुझे क़सम है उस ज़ात

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادِ

بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا " لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ " .

की जो दिलों को फेरने वाली है! मामला ऐसे नहीं।'

(3793) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4704.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ला' ये गुज़िश्ता कलाम की नफ़ी है। गोया ये क़सम किसी कलाम की नफ़ी के लिये खाई गई है। मुमकिन है ये सिर्फ़ ताकीद के लिये आया हो, जैसे: (ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा) (अल्क़ियामा: 75/1) **(2)** इन अल्फ़ाज़ के साथ क़सम खाना मुस्तहब है। **(3)** अल्लाह तआला के अफ़आल के साथ क़सम खाना जायज़ है। **(4)** राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी कहा है कि साबिक़ा हदीस इससे किफ़ायत करती है।

باب : (٣)
الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब : (3) अल्लाह तआला की इज़्ज़त की क़सम खाना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا . فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا . فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ

(3794) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा फ़रमाया तो हज़रत जिब्रईल (عليه السلام) को जन्नत की तरफ़ भेजा और फ़रमाया: जाओ, जन्नत और उसमें जन्नतियों के लिये बनाई हूई चीज़ों को देखो। उन्होंने जाकर देखा, फिर वापस आये तो कहने लगे: तेरी इज़्ज़त की क़सम! जो शख़्स भी जन्नत के बारे में सुनेगा, ज़रूर इसमें दाख़िल होगा। अल्लाह तआला ने हुक्म दिया तो जन्नत को सख़्तियों और तबअ (तबीअत) को नागवार गुज़रने वाली चीज़ों से घेर दिया गया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: अब फिर जाओ और देखो कि मैंने जन्नत में अपने बन्दों के लिये क्या कुछ

إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ . قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا . فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ . فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا " .

बनाया है। उन्होंने जाकर देखा तो जन्नत के इर्द गिर्द सख़्तियों और मुश्किलात की बाड़ लगी हुई थी। वह आकर कहने लगे: तेरी इज़्ज़त की क़सम! मुझे ख़तरा है कि कोई शख़्स भी इसमें दाख़िल नहीं हो (सके) गा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: जाओ आग (जहन्नम) को देखो और जो कुछ मैंने अहले जहन्नम के लिये तैयार कर रखा है। उन्होंने जाकर देखा तो आग के शोले एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह वापस आकर कहने लगे: तेरी इज़्ज़त की क़सम! कोई इसमें दाख़िल नहीं होगा। अल्लाह तआला ने हुक्म दिया तो उसके इर्द गिर्द तबअ की मर्ग़ूब चीज़ों की बाड़ लगा दी गई। फ़रमाया: अब जाकर देखो। उन्होंने देखा तो उसके इर्द गिर्द ख़ुशनुमा चीज़ों की बाड़ लग चुकी थी। वह वापस आकर कहने लगे: 'तेरी इज़्ज़त की क़सम! मुझे ख़तरा है कोई शख़्स इससे नहीं बच सकेगा। ज़रूर दाख़िल हो जायेगा।'

(3794) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4744, तिर्मिज़ी: 2560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4702, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 1/26, 27.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह तआला की इज़्ज़त अल्लाह तआला की ज़ात से कोई अलग चीज़ नहीं बल्कि वस्फ़े लाज़िम है, लिहाज़ा उस वस्फ़ के साथ क़सम खाई जा सकती है। **(2)** जिब्रईल (عليه السلام) का क़सम खा कर ऊपर दिये गये तब्सिरे फ़रमाना उनका अपना अन्दाज़ा है। इसके बावजूद अल्लाह तआला के बेशुमार बन्दे जहन्नम से दूर रह कर जन्नत में दाख़िल होंगे और वह मकरूहात को लज़ीज़ समझ कर अपनायेंगे और शहवात को दुश्मन समझ कर उनसे दूर रहेंगे। **(3)** जन्नत और जहन्नम के गिर्द मकरूहात व शहवात की बाड़ लगाई जानी आलमे बाला की एक हक़ीक़त भी हो सकती है और महज़ तम्सील भी कि मकरूहात (जैसे: नमाज़, रोज़े और जिहाद जैसे मुश्किल कामों) को अपनाये बग़ैर जन्नत के लज़ाइज़ (लज्ज़तें) हासिल नहीं किये जा सकते और शहवात को इख़्तियार करने का लाज़िमी नतीजा जहन्नम की आग है। वल्लाहु आलम! **(4)** जन्नत और जहन्नम दोनों

अल्लाह तआला की मख़्लूक़ हैं और हक़ीक़तन मौजूद हैं, मोतज़िला का ये दावा कि अल्लाह तआला उन्हें क़यामत के दिन पैदा करेगा, बिल्कुल दुरुस्त नहीं।

बाब : (4)
ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना सख़्त गुनाह है

باب: (۴)
التَّشْدِيدِ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ " . وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ " لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " .

(3795) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स क़सम खाना चाहे वह अल्लाह तआला के सिवा किसी की क़सम न खाये।' क़ुरैश अपने आबा व अज्दाद की क़समें खाया करते थे, लिहाज़ा आपने फ़रमायाः 'अपने आबा व अज्दाद की क़समें न खाया करो।'

(3795) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 1646/4, बुख़ारी, हदीसः 3836, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4705.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़सम इन्तेहाई मुअज्जम ज़ात की खाई जाती है। और हक़ीक़तन मुअज्जम अल्लाह तआला ही की ज़ात है, लिहाज़ा क़सम उसी के नाम की होनी चाहिए। आबा व अज्दाद अगरचे क़ाबिले ताज़ीम हैं मगर वह हक़ीक़तन साहिबे अज़मत नहीं, लिहाज़ा उनके नाम की क़सम खाना जायज़ नहीं। बल्कि अल्लाह तआला की किसी भी मख़्लूक़ यहाँ तक कि अम्बिया, मलाइका और काबा वग़ैरह की क़सम भी ममनूअ है। जिस तरह अल्लाह तआला के सिवा किसी की भी इबादत जायज़ नहीं। गोया क़सम भी इबादत है। **(2)** क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने बहुत सी मख़्लूक़ात की क़समें खाई हैं क्योंकि अल्लाह तआला की क़सम ताज़ीम की ख़ातिर नहीं होती बल्कि इस्तेदलाल की ख़ातिर होती है, यानी अल्लाह तआला की मख़्लूक़ात शरई उसूलों की सेहत व सदाक़त पर गवाह हैं। **(3)** ग़ैरुल्लाह के नाम पर खाई गई क़सम का इन्अिक़ाद नहीं होगा क्योंकि ये हराम है। ऐसी क़सम खाने वाले को चाहिए कि वह अपने रब से इस्तेग़फ़ार करे।

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،

(3796) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तुम्हें मना फ़रमाता

قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " .

है कि तुम अपने आबा व अज्दाद की क़समें खाओ।'

(3796) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4706, पिछली हदीस देखें.

بَاب(٥): الْحَلِفِ بِالآبَاءِ

बाब : (5) आबा व अज्दाद (बाप दादों) की क़सम खाना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ، لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي وَأَبِي . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " . فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا .

(3797) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه)) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत उमर (رضي الله عنه) को एक दफ़ा कहते सुना: मेरे बाप की क़सम! मेरे बाप की क़सम! आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हें आबा व अज्दाद के नाम की क़समें खाने से मना फ़रमाता है।' (हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया:) अल्लाह की क़सम! इसके बाद मैंने कभी भी ऐसी क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, न किसी की नक़ल करते हुए।

(3797) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6647, मुस्लिम, हदीस: 1646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4707.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपने तौर पर' यानी ख़ुद क़सदन क़सम खाई हो। और 'नक़ल करते हुए' यानी फुलां ने ये क़सम खाई। (2) हज़रत उमर (رضي الله عنه) को जो मक़ाम व मर्तबा अल्लाह तआला ने अता किया वह उसी इताअत और फ़रमांबरदारी की बिना पर था। दोबारा कभी इस बात को न दोहराया जिससे अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) ने मना फ़रमा दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ

(3798) हज़रत उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम्हें आबा व अज्दाद की क़सम खाने से

- قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا .

मना फ़रमाता है।' हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! इसके बाद मैंने कभी ऐसी क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, न किसी से नक़्ल करते हुए।

(3798) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6645, मुस्लिम, हदीस: 1646/2, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4708.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، -وَهُوَ ابْنُ حَرْبٍ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا .

(3799) हज़रत उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तुम्हें आबा व अज्दाद की क़समें खाने से रोकता है।' हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैंने इसके बाद कभी आबा व अज्दाद की क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, न किसी से नक़्ल करते हुए।

(3799) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4709.

باب(٦): الْحَلِفِ بِالأُمَّهَاتِ

बाब (6)
माओं की क़सम खाना (भी नाजायज़ है)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ " .

(3800) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'न तुम आबा व अज्दाद की क़सम खाओ, न माओं की और न बुतों की, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की क़सम खाओ और सिर्फ़ उसी वक़्त खाओ जब तुम सच्चे हो।'

(3800) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4710, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1176.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लफ़्ज़ 'अन्दाद' इस्तेमाल किया गया है जिससे मुराद वह चीज़ें हैं जिन्हें लोग माबूद समझते हैं या माबूद जैसा सुलूक करते हैं, ख़्वाह ज़िन्दा हों या मुर्दा जानदार हों या बेजान। चूंकि उस वक़्त आम बुतों की पूजा होती थी, इसलिये ये मआनी किये गये हैं, और याद रहना चाहिए कि बुत दरअसल कुछ नेक लोगों के मुजस्समे थे वरना मुश्रिक सिर्फ़ पत्थरों की पूजा नहीं करते थे। **(2)** अगरचे हर ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना मना है मगर बुतों या मारूफ़ माबूदों की क़सम खाना तो शिर्क है, इसलिये कि ये मुश्रिकीन से मुशाबिहत है। हज़रत मसीह (ﷺ) की क़सम खाना भी इसमें दाख़िल है। **(3)** झूठी क़सम खाना हराम और कबीरा गुनाहों में से है जैसा कि दूसरी अहादीस़ में ज़िक्र है।

बाब : (7) इस्लाम के अलावा किसी और दीन की क़सम (भी सख़्त गुनाह है)

باب: (٧)
الْحَلِفِ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " . قَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ مُتَعَمِّدًا وَقَالَ يَزِيدُ " كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " .

(3801) हज़रत स़ाबित बिन ज़ह्हाक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ झूठा होने के बावजूद अम्दन इस्लाम के अलावा किसी और दीन की क़सम खाये तो वह ऐसे ही होगा जैसे उसने कहा: और जिस शख़्स़ ने किसी चीज़ से ख़ुदकुशी कर ली, अल्लाह तआला जहन्नम की आग में उसे उसी चीज़ के साथ अज़ाब देता रहेगा।'

(3801)तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी: 1363, मुस्लिम, हदीस़: 110/177, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4711.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस क़सम की सूरत ये है कि कोई शख़्स़ कहे: अगर मैंने फ़ुलां काम किया हो तो मैं यहूदी या ईसाई वग़ैरह हो जाऊँ, हालांकि उसने वह काम किया है और उसे याद भी है। या अगर मैं ये काम करूँ तो मैं यहूदी या ईसाई, जब कि उसकी नियत वह काम करने की है, सिर्फ़ धोखादेही के लिये क़सम खाता है। ज़ाहिर है उस शख़्स़ ने यहूदी या ईसाई होने को पसन्द किया है। गोया वह यहूदी या ईसाई ही है। **(2)** 'अज़ाब देता रहेगा' यानी उसकी मौत से लेकर हश्र तक। उसके बाद उसके मजमूई आमाल की बुनियाद पर उसके जन्नत या जहन्नम में जाने का फ़ैसला होगा। ये उसकी क़िस्मत है।

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ " .

(3802) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने झूठा होने के बावजूद किसी और दीन की क़सम खाई तो वह उसी तरह है जिस तरह उसने कहा। और जो शख़्स अपने आपको किसी चीज़ से क़त्ल कर डाले, उसे आख़िरत में उसी चीज़ के साथ अज़ाब दिया जायेगा।'

(3802) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4712.

फ़ायदा : इन्सान का नफ़्स उसकी मिल्कियत नहीं बल्कि ये अल्लाह तआला की मिल्कियत है। इसमें ऐसा तसर्रुफ़ जायज़ नहीं जो अल्लाह तआला की मशियत के ख़िलाफ़ हो जैसा कि अपने आपको क़त्ल करना या भूखा प्यासा रखना वग़ैरह।

باب(٨): الْحَلِفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الإِسْلاَمِ

बाब : (8) इस्लाम से बरी होने की क़सम (क़बीह है)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا " .

(3803) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कहे: (अगर मैंने फुलां काम किया हो तो) मैं इस्लाम से ला'ताल्लुक़ हूँ। अगर वह झूठा है तो फिर वह वाक़ेअतन इस्लाम से ला'ताल्लुक़ है। और अगर वह सच्चा है तो फिर भी वह सही सालिम इस्लाम की तरफ़ नहीं लौटेगा।'

(3803) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2100, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4713, व सहीह अलहाकिम: 4/298.

फ़ायदा : 'नहीं लौटेगा।' यानी वह अल्फ़ाज़ कहने की बिना पर गुनाहगार होगा और उसके ईमान में कमी वाक़ेअ होगी क्योंकि ये इन्तेहाई क़बीह अल्फ़ाज़ हैं। गोया उसने इस्लाम को मामूली चीज़ ख़याल किया। सच्चा हो तब भी ऐसे ला उबाली पन की कोई गुंजाइश नहीं

बाब : (9) काबा की क़सम (दुरुस्त नहीं)

باب(۹): الْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ

(3804) जुहैना क़बीले की एक औरत हज़रत कुतैला (ﷺ) से रिवायत है कि यहूदी शख़्स नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आया और कहा: तुम भी शिर्क करते हो और ग़ैरुल्लाह को माबूद बनाते हो क्योंकि तुम कहते हो: जो अल्लाह तआला चाहे और आप चाहें। और तुम काबा की क़सम खाते हो। तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब वह क़सम खाने लगें तो कहें: रब्बे काबा की क़सम! और कहें जो अल्लाह तआला चाहे, फिर आप चाहें।

(3804) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/371, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4714, व सहीह अलहाकिम: 4/297.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ قُتَيْلَةَ، - امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَنَّ يَهُودِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ . فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا " وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " . وَيَقُولُونَ " مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) काबा मख़्लूक़ है और मख़्लूक़ की क़सम खाना जायज़ नहीं। इसी तरह अल्लाह तआला की मशियत में किसी और की मशियत को शरीक करना भी नाजायज़ है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनकी जगह सही अल्फ़ाज़ सिखला दिये। काबा की बजाये रब्बे काबा की क़सम और शिअ्ता, की बजाये सुम्मा शिअ्ता, यानी ग़ैरुल्लाह की मशियत को अल्लाह तआला की मशियत (मर्ज़ी) के ताबेअ और उससे मुअख़्ख़र रखा और समझा जाये। (2) हदीस से पता चलता है कि यहूदियत और ईसाइयत में भी शिर्क एक मारूफ़ जुर्म था और वह उसके नुक़सानात से वाक़िफ़ थे मगर इस मारिफ़त के बावजूद वह इसमें वाक़ेअ हो गये।

बाब : (10) बुतों के नाम की क़सम खाना (मुश्रिकीन से मुशाबिहत है)

باب(۱۰): الْحَلِفِ بِالطَّوَاغِيتِ

(3805) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अपने आबा व अज्दाद और बुतों की क़समें

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِالطَّوَاغِيتِ " .

न खाओ।'

(3805) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1648, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4715.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3800.

باب(١١): الْحَلِفِ بِاللاَّتِ

बाब : (11) लात की क़सम खाना

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ " .

(3806) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स लात की क़सम खाये, वह कहे: ला इलाह इल्लल्लाह (अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं) और जो शख़्स अपने साथी से कहे: आओ मैं तुमसे जुआ खेलूँ तो उसे सदक़ा करना चाहिए।'

(3806) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4860, मुस्लिम, हदीस: 1647, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4716.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लात' एक बुत का नाम है जो सफ़ा पहाड़ी पर रखा हुआ था। जो शख़्स जानबूझ कर ताज़ीमन 'लात' वग़ैरह की क़सम खाता है वह काफ़िर है। उसके कुफ़्र में किसी को इख़्तिलाफ़ नहीं। वह इस्लाम से ख़ारिज़ होगा। उसे तज्दीदे ईमान के लिये दोबारा कलिम-ए-इस्लाम का इक़रार करना होगा। और जो शख़्स जहालत (अदमे इल्म) या भूल कर क़सम खा ले तो वह ला इलाह इल्लल्लाह कहे। इस कलिमे की बरकत से अल्लाह तआला उसके इस नुक़सान की तलाफ़ी फ़रमा देगा। **(2)** 'सदक़ा करना चाहिए' जुआ क़बीह चीज़ है जो इन्सान को माद्दा परस्त, कंजूस, ख़ुद ग़र्ज़ और पत्थर दिल बना देता है, लिहाज़ा इस क़बीह लफ़्ज़ का इलाज सदक़ा बतलाया गया जो इन्सान को इलाह परस्त, सख़ी, हमदर्द और नर्म दिल बनाता है। **(3)** सदक़ा कितना हो? कुछ के नज़दीक जो मयस्सर हो और कुछ के नज़दीक वह रक़म सदक़ा करे जिसमें जुआ खेलना चाहता था। कम हो या ज़्यादा।

बाब : (12)लात व उज़्ज़ा की क़सम खाना

باب(١٢): الْحَلِفِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى

(3807) हज़रत सअद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम एक दफ़ा किसी मामले में बहस़ कर रहे थे। मेरा दौरे जाहिलियत अभी ताज़ा था। मैं लात व उज़्ज़ा की क़सम खा बैठा तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़हाबा कहने लगे तूने बुरी बात कही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और आपको ये बात बताओ। हम तो समझते हैं कि तूने कलिम-ए-कुफ़्र कहा है। मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपको पूरी बात बताई। आपने मुझे फ़रमाया: 'तीन दफ़ा कह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह यक्ता है। कोई उसका साझी नहीं। और तीन दफ़ा शैतान से (बचने के लिये) अल्लाह तआला की पनाह माँग और तीन दफ़ा अपने बायें तरफ़ थूक दे और दोबारा ऐसी बात न कहना।'

(3807) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2097, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4717.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ، عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِئْسَ مَا قُلْتَ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ فَإِنَّا لاَ نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي " قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تَعُدْ لَهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत सअद (ﷺ) बिल्कुल इब्तेदाई दौर के मुसलमान हैं। साबिक़ून अव्वलून में शामिल हैं। चन्द बुज़ुर्ग ही आपसे क़ब्ल मुसलमान हुए थे। ख़ुद उनके बयान के मुताबिक़ वह तीसरे नम्बर पर मुसलमान हुए। अश्र-ए-मुबश्शरा में दाख़िल हैं। (ﷺ). (2) उज़्ज़ा भी एक बुत था जिसकी पूजा आम थी। जाहिलियत में बुतों की क़समें खाने का रिवाज था। उन्होंने भी बिला क़स्द आदतन ऐसी क़सम खा ली। (तफ़्सील साबिक़ा हदीस़ में देखिये) (3) किसी शख़्स से गुनाह हो जाये तो उस पर इस्तेग़फ़ार करना वाजिब है और दोबारा उस गुनाह का इर्तिकाब भी न करे क्योंकि ये तौबा की शुरूत में से है।

(3808) हज़रत सअद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं लात व उज़्ज़ा की क़सम खा बैठा तो मुझे मेरे साथी कहने लगे: तूने बहुत बुरा कलिमा कहा और बहुत क़बीह बात की है। मैं

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ

بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابِي بِئْسَ مَا قُلْتَ قُلْتَ هُجْرًا . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ تَعُدْ" .

रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और ये बात आपसे ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'तीन दफ़ा कह: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिये बादशाही है। उसी के लिये तारीफ़ है। और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। और तीन दफ़ा अपने बायें जानिब थूक दे और शैतान से बचाव के लिये अल्लाह की पनाह तलब कर और फिर दोबारा ऐसी बात न करना।'

(3808) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4718, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1178, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : गोया ये शैतानी वस्वसा था जिसके लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इलाज तज्वीज़ फ़रमाया कि अल्लाह तआला को याद रख और शैतान से नफ़रत करते हुए थूक दे। और ज़बान से भी अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़।

باب(١٣): إِبْرَارِ الْقَسَمِ

बाब : (13)
किसी की क़सम पूरी करना (भी ज़रूरी है)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ .

(3809) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें सात चीज़ों का हुक्म दिया: जनाज़ों के साथ जाना, मरीज़ की बीमार पुर्सी करना, छींकने वाले को दुआ देना, दावत देने वाले की दावत क़बूल करना, मज़्लूम की मदद करना, क़सम खाने वाले की क़सम को पूरा करना और सलाम का जवाब देना।

(3809) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1941, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4719.

फ़ायदा : 'क़सम पूरी करना' यानी अगर किसी भाई ने तेरे बारे में कोई क़सम खा ली है, जैसे: 'अल्लाह की क़सम! तू मेरे साथ चलेगा।' तो तुझे चाहिए कि उसके साथ चले ताकि उसकी क़सम को गज़न्द न पहुँचे बशर्ते कि इस काम में गुनाह या ज़ुल्म न हो। अगर गुनाह है और ख़ौफ़ व ज़रर का अन्देशा है या किसी पर ज़ुल्म होता है तो फिर वह काम नहीं करना चाहिए। वह ख़ुद ही कफ़्फ़ारा देगा।

باب(١٤): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

बाब : (14) जो शख़्स एक चीज़ पर क़सम खा ले, फिर वह कोई और चीज़ बेहतर समझे (तो क्या करे?)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَلَى الأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُهُ " .

(3810) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं इस ज़मीन की जिस चीज़ पर भी क़सम खा लूँ, फिर उसके अलावा किसी और चीज़ को बेहतर देखूँ तो मैं वह बेहतर काम करूँगा।'

(3810) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1649/10, बुख़ारी, हदीस: 3133, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4720.

फ़ायदा : ज़मीन से शायद इशारा हो कि दुनियावी चीज़ों में मेरा ये तरीक़े कार है। बाक़ी दीनी काम तो वह सब के सब बेहतर होते हैं। उन्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनियावी कामों में अगर किसी ग़ैर बेहतर चीज़ पर क़सम खाई गई तो उसे छोड़ कर बेहतर काम कर लेना चाहिए, क़सम का कफ़्फ़ारा दे दिया जाये, अलबत्ता अगर किसी जायज़ काम पर फ़रीक़ैन के दरम्यान वादा या मुआहिदा तै पा गया है और आदमी ने उसे पूरा करने की क़सम खा ली है मगर बाद में वह देखता है कि फ़ायदा या नफ़ा फ़रीक़े सानी के हक़ में जा रहा है, मुझे इसमें नुक़सान है, तो इस सूरत में वह क़सम की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ़रीक़े सानी का भी हक़ है जो मजरूह होता है। गोया हदीस में मज़्कूर तरीक़े कार ज़ाती अफ़आल में होगा न कि किसी दूसरे के हक़ में, वरना ये ख़ुदग़र्ज़ी होगी।

باب(١٥): الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

बाब : (15) कफ़्फ़ारा क़सम तोड़ने से पहले भी दिया जा सकता है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي

(3811) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं कुछ अशअरी

مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ " . ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا . قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

अफ़राद के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हम आपसे (जिहाद के सिलसिले में) सवारियाँ माँगने आये थे। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें सवारियाँ नहीं दूँगा और न मेरे पास सवारियाँ हैं।' फिर हम ठहरे रहे जितनी देर अल्लाह ने चाहा कि (बाद में) आपके पास कुछ ऊँट लाये गये। आपने हमें तीन ऊँट देने का हुक्म दिया। जब हम ऊँट लेकर चल पड़े तो हमने एक दूसरे से कहा: अल्लाह तआला हमारे लिये इन ऊँटों में बरकत नहीं फ़रमायेगा क्योंकि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास सवारियाँ माँगने आये थे तो आपने क़सम खाई थी कि मैं तुम्हें सवारियाँ नहीं दूँगा। (अब शायद आप क़सम भूल गये हैं। ये सोच कर) हम दोबारा नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे सारी बात ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें सवारियाँ नहीं दीं बल्कि अल्लाह तआला ने दी हैं। अल्लाह की क़सम! अगर मैं किसी चीज़ पर क़सम खा लूँ, फिर मैं उसकी बजाये कोई और चीज़ बेहतर समझूँ तो मैं क़सम का कफ़्फ़ारा दे देता हूँ और बेहतर काम कर लेता हूँ।'

(3811) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6718, मुस्लिम, हदीस: 1649, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4721.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अश्अर एक क़बीला था जिसकी बिना पर हज़रत अबू मूसा को अशअरी कहा जाता था। जब ये लोग नबी (ﷺ) के पास पहुँचे थे तो उस वक़्त आप किसी बिना पर ग़ुस्से की हालत में थे। वैसे आपके पास उस वक़्त सवारियाँ थी भी नहीं। **(2)** 'मैंने नहीं दीं' यानी अब अल्लाह तआला ने ऊँट भेज दिये जो मैंने तुम को दे दिये। बाक़ी रही क़सम तो उसका जवाब आगे ज़िक्र है। **(3)** इस हदीस में क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा देने का ज़िक्र है। जुम्हूर इसके क़ाइल हैं, अलबत्ता अहनाफ़ इसे दुरुस्त नहीं समझते कि जब कफ़्फ़ारा का सबब ही वाक़ेअ नहीं हुआ तो कफ़्फ़ारा कैसे हो

सकता है? हालांकि जब नियत क़सम तोड़ने की हो गई तो बेहतर है कि कफ़्फ़ारा पहले दे दिया जाये ताकि कफ़्फ़ारा लाज़िम ही न आये अगर चे बाद में कफ़्फ़ारा अदा करना भी दुरुस्त है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

(3812) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी चीज़ पर क़सम खाये, फिर उसकी बजाये कोई और चीज़ बेहतर समझे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और बेहतर काम कर ले।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/212, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4723, इब्ने हिब्बान: 1180 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ " .

(3813) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई किसी काम की क़सम खाये, फिर कोई और काम उससे बेहतर समझे तो उसे चाहिए कि वह अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे और जिसे वह बेहतर समझ रहा है उस काम को अमल में लाये।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1652, बुख़ारी, हदीस: 6622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4724.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

(3814) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मुझसे) फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खाये (और फिर कोई और काम बेहतर समझे) तो (पहले) अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और बेहतर काम कर ले।'

(3814) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4725.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، وَذَكَرَ، كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .

(3815) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खा ले, फिर तू कोई और काम ज़्यादा अच्छा समझे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और जो काम ज़्यादा अच्छा है, वह कर ले।'

(3815) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4726.

باب(١٦): الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ

बाब : (16) क़सम तोड़ने के बाद कफ़्फ़ारा देने का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " .

(3816) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ किसी चीज़ पर क़सम खा ले, फिर किसी दूसरी चीज़ को उससे बेहतर ख़्याल करे तो बेहतर चीज़ पर अ़मल करे और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे।'

(3816) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/256, 378, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4727.

फ़ायदा : साबिक़ा अहादीस़ में कफ़्फ़ारे का ज़िक्र क़सम तोड़ने से पहले था और इस हदीस़ (और आइन्दा अहादीस़) में क़सम तोड़ने का ज़िक्र पहले है और कफ़्फ़ारे का बाद में। गोया दोनों जायज़ हैं। किसी एक के ज़रूरी होने की स़राहत नहीं। अगर कोई एक सूरत ज़रूरी होती तो आप स़राहतन उसे इख़्तियार करने की तल्क़ीन फ़रमा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बहरहाल ये मस्लक जुम्हूर अहले इल्म का है और यही दुरुस्त है। अहादीसे स़हीहा पर अ़मल करना क़यासात पर अ़मल करने से कहीं बेहतर है।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهَا " .

(3817) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कोई काम करने की क़सम खाये, फिर किसी और काम को उससे बेहतर ख़्याल करे तो अपनी क़सम को छोड़ दे और वह काम करे जो बेहतर हो, अलबत्ता कफ़्फ़ारा दे दे।'

(3817) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1651, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4728.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ " .

(3818) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी काम की क़सम खा ले, फिर किसी दूसरे काम को उससे बेहतर समझे तो बेहतर काम कर ले और अपनी क़सम छोड़ दे।'

(3818) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4729.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلاَ يُعْطِينِي وَلاَ يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَىَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أُعْطِيَهُ وَلاَ أَصِلَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي .

(3819) हज़रत अबुल अह्वस अपने वालिद मोहतरम से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने चचाज़ाद भाई के पास जाता हूँ और उससे कुछ माँगता हूँ तो वह मुझे नहीं देता और मुझसे सिला रहमी नहीं करता, फिर कभी वह मेरा मोहताज हो जाता है और मेरे पास आकर मुझसे माँगता है जबकि मैं क़सम खा चुका हूँ कि मैं उसे नहीं दूँगा और उससे सिला रहमी नहीं करूँगा। फ़रमाइये, मैं क्या करूँ? आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं वह काम करूँ जो

बेहतर है (यानी उससे सिला रहमी करूँ) और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँ।

(3819) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 2109, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4730, मुसनद अल हुमैदी: 885.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में एहसान की तर्ग़ीब दिलाई गई है कि अगर कोई किसी से बुराई करे तो उसे चाहिए कि वह जवाबन बुराई करने वाले के साथ नर्मी से पेश आये। **(2)** अगर किसी ने क़तअ रहमी की क़सम खाई है तो वह उसका कफ़्फ़ारा देगा और सिला रहमी करेगा।

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ " .

(3820) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खा ले, फिर कोई और काम उससे बेहतर समझे तो बेहतर काम कर ले और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे।

(3820) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3813, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4731.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ " .

(3821) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मुझसे) फ़रमाया: 'जबकि तू किसी काम को करने की क़सम खा ले, फिर तू उसकी बजाये कोई और काम उससे बेहतर समझे तो जो काम बेहतर है वह कर ले और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दे।'

(3821) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3813, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4732.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ

(3822) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'जब तू कोई काम करने की क़सम खा ले, फिर तू कोई और काम उससे बेहतर समझे तो जो बेहतर

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ " .

है उसे अ़मल में ले आ और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे।'

(3822) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3813, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 473.

باب : (۱۷) الْيَمِينِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

बाब : (17) ग़ैर मम्लूका चीज़ के बारे में क़सम खाना (ग़ैर मोतबर है)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ "

(3823) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो चीज़ मिल्कियत में नहीं, उसमें न नज़र मानी जा सकती है, न क़सम खाई जा सकती है। और (इसी तरह अल्लाह तआ़ला की) नाफ़रमानी और क़तअ़ रहमी की नज़र और क़सम भी मोतबर नहीं।'

(3823) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4734.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन चीज़ों में नज़र और क़सम नहीं माननी चाहिए, मना है। और अगर कोई इन चीज़ों के बारे में क़सम खा ले या कोई नज़र मान ले तो वह पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नज़र या क़सम के साथ ममनूअ़ काम जायज़ नहीं हो सकता, अलबत्ता ऐसी क़सम के कफ़्फ़ारे के बारे में इख़्तिलाफ़ है। राजेह बात यही मालूम होती है कि कफ़्फ़ारा अदा करना होगा क्योंकि ये सज़ा है इस बात की कि उसने अल्लाह तआ़ला का मुअज्ज़म व मुक़द्दस नाम ऐसी चीज़ में क्यूँ इस्तेमाल किया जो शरअ़न ममनूअ़ है। गोया उसने अल्लाह तआ़ला के नाम की तौहीन की है, लिहाज़ा उन चीज़ों में नज़र और क़सम के मोतबर न होने का मतलब ये है कि नज़र और क़सम के बावजूद वह काम जायज़ नहीं होगा बल्कि ऐसी नज़र या क़सम को तोड़ना वाजिब है। और इस ग़लती का वह कफ़्फ़ारा अदा करे। कुछ हज़रात का ख़्याल है कि ऐसी नज़र या क़सम मुन्अक़िद ही नहीं होती, लिहाज़ा कफ़्फ़ारा की ज़रूरत नहीं मगर ये बात कमज़ोर मालूम होती है। **(2)** मुबाह चीज़ों में नज़र मानना जायज़ है, अल्लाह तआ़ला की मअ़सियत में नज़र मानना जायज़ नहीं।

बाब : (18) जो शख़्स क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह पढ़ ले?

باب : (۱۸) مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى

(3824) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दे, वह चाहे तो क़सम को पूरा करे और चाहे तो छोड़ दे। उसे कोई गुनाह नहीं होगा।'

(3824) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4735, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 3859.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्शाअल्लाह के मआनी हैं: अगर अल्लाह तआला ने चाहा। इन लफ़्ज़ों से साफ़ ज़ाहिर है कि क़सम खाने वाले ने हतमी क़सम नहीं खाई। गोया अगर ये काम कर सका तो करेगा वरना समझा जायेगा कि अल्लाह तआला ने नहीं चाहा, लिहाज़ा ये काम न हो सका। ज़ाहिर है इस पर गुनाह क्योंकर आयेगा? अलबत्ता वादा वग़ैरह में इनशाअल्लाह को वादा ख़िलाफ़ी के लिये बहाना नहीं बनाया जा सकता बल्कि सिर्फ़ तबर्रुकन ही पढ़ना चाहिए वरना वादे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। **(2)** 'इन्शाअल्लाह' इन अल्फ़ाज़ का ज़ाहिरन कहना मक़सूद है। अगर कोई नियत में 'इन्शाअल्लाह' कहेगा तो उसका ऐतबार नहीं क्योंकि क़सम का इन्अिक़ाद ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से होता है नियत से नहीं।

बाब : (19) क़सम में नियत का ऐतबार किया जायेगा

باب(۱۹): النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ

(3825) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा आमाल का मदार नियतों पर है। और हर शख़्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की, चुनांचे जिस शख़्स की (नियत) हिज्रत (करते वक़्त) अल्लाह और उसके रसूल (की रज़ामन्दी और हुक्म की तामील) के लिये होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا

لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " .

लिये ही समझी जायेगी लेकिन जिस शख़्स की हिजरत (का मक़सूद) दुनिया का हुसूल और किसी औरत से निकाह वग़ैरह था तो उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिये समझी जायेगी जो उसका मक़सूद थीं।'

(3825) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 75.

फ़ायदा : ये उसूली और जामेअ हदीस है जिसका ताल्लुक़ शरई उमूर से भी है और दुनियावी उमूर से भी। अगर शरई उमूर से इसका ताल्लुक़ हो तो उसके शरई मआनी मुराद होंगे, यानी ख़ुलूस लिवज्हिल्लाह। और अगर इसका ताल्लुक़ उमूरे दुनिया से हो तो इसके लुग़वी मआनी मुराद होंगे, यानी क़सद व इरादा। क़सम भी दुनियावी उमूर से है, लिहाज़ा जिस नियत से क़सम खाई जायेगी, वही नियत मोतबर होगी। या क़सम का मफ़हूम वही मोतबर होगा जो क़सम खाने वाले का मक़सूद था। (ये हदीस और इसकी तफ़्सीली बहस पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 75)

باب : (٢٠) تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (20) अल्लाह तआला की हलालकर्दा चीज़ को हराम कर ले तो (क़सम वाला कफ़्फ़ारा देना होगा)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ

(3826) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) से मरवी है कि नबी (ﷺ) (अपनी एक बीवी) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (رضی اللہ عنہا) के यहाँ ज़्यादा देर ठहरते थे क्योंकि आप वहाँ से शहद पीते थे। मैंने और हफ़्सा ने आपस में इत्तेफ़ाक़ किया कि हममें से जिसके पास नबी-ए-अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लायें तो वह कहे: बिलाशुब्हा मैं आपसे मग़ाफ़ीर की बू महसूस कर रही हूँ। आपने मग़ाफ़ीर (गूंद) खाई है? आप हममें से किसी एक के यहाँ तशरीफ़ लाये तो उसने ये लफ़्ज़ कह दिये। आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि मैंने तो ज़ैनब बिन्ते जहश के यहाँ शहद पिया है। दोबारा हरगिज़ नहीं

لَهُ فَقَالَ " لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " . فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } إِلَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ } عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا } لِقَوْلِهِ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً " .

पियूँगा।' तो फिर ये आयत उतरी: (या अय्युहन्नबिय्यु ......) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ को क्यूँ हराम क़रार दे रहे हैं जिसे अल्लाह तआला ने आपके लिये हलाल क़रार दिया है?' आगे हज़रत आयशा और हफ़्सा से ख़िताब करते हुए फ़रमाया: (इन ततूबा ......) 'अगर तुम अल्लाह तआला के हुज़ूर (अपनी ग़लती से) तौबा करो (तो तुम्हें लाइक़ है)' (व इज़ ....) 'जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपनी एक बीवी से राज़ की बात कही' इसमें इशारा है आपके फ़रमान की तरफ़ कि 'मैंने तो शहद पिया है (आइन्दा नहीं पियूँगा।)'

(3826) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4737.

फ़ायदा : किसी हलाल चीज़ को अपने लिये हराम क़रार दे लेना, नज़र और क़सम की तरह है। हलाल को हराम करना भी सही नहीं, लिहाज़ा उस चीज़ को इस्तेमाल करना होगा और कफ़्फ़ारा देना होगा। अगरचे ज़ाहिरन क़सम या नज़र के अल्फ़ाज़ न हों। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3410)

باب(۲۱): إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ خُبْزًا بِخَلٍّ

बाब : (21) जब कोई शख़्स क़सम खाये कि सालन इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर सिरके के साथ रोटी खा ले तो?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْتَهُ فَإِذَا فِلَقٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلْ فَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ " .

(3827) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ आपके किसी घर में दाख़िल हुआ तो आपको रोटी के टुकड़े और सिरका पेश किये गये। आपने मुझे फ़रमाया: 'खाओ' (सिरका बेहतरीन सालन है।)'

(3827) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2052/167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4738.

फ़ायदा : सालन किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं बल्कि जिस चीज़ से भी रोटी तर हो जाये या गले से बा'आसानी गुज़र जाये, ख़्वाह वह शोरबा और माइअ की शक्ल में हो या जामिद शक्ल में जैसा कि गोश्त, अण्डा वग़ैरह, उसे सालन ही कहेंगे। सिरका भी रोटी को तर कर के अपने ज़ाइक़े की मदद से गले से गुज़रने में मदद देता है बल्कि हजम में भी मददगार है यही सालन के औसाफ़ हैं, लिहाज़ा सिरका भी सालन है। सालन इस्तेमाल न करने की क़सम खाने वाला सिरका इस्तेमाल करे तो उसे क़सम का कफ़्फ़ारा करना होगा क्योंकि उसकी क़सम टूट गई।

باب(٢٢): فِي الْحَلِفِ وَالْكَذِبِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ

बाब : (22) दिली क़स्द व इरादे के बग़ैर क़सम या झूठ के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकल जायें तो?

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِنَا فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ".

(3828) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (ﷺ) से रिवायत है कि हमें (ताजिरों को) दलाल कहा जाता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास (बाज़ार में) तशरीफ़ लाये। हम ख़रीद व फ़रोख़्त कर रहे थे। आपने हमारे नाम से बेहतर नाम हमारे लिये मुक़र्रर फ़रमाया। आपने फ़रमायाः 'ऐ ताजिरों की जमाअत! बेचते वक़्त (बसा औक़ात बिला क़स्द) क़सम और झूठ सादिर हो जाते हैं, लिहाज़ा तुम फ़रोख़्त के साथ साथ सदक़ा भी किया करो।'

(3828) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊदः 3320, तिर्मिज़ी, हदीसः 1208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4739, व सहीह इब्ने जारूद, हदीसः 557, वल हाकिमः 2/5.

फ़वाइद व मसाइल : (1) समासिरा, सिमसारुन की जमा है। ये अजमी लफ़्ज़ है। इससे मुराद वह लोग हैं जो लोगों की चीज़ें उजरत लेकर बेचते हैं। अजमी लोग तिजारत का काम ज़्यादा करते थे, लिहाज़ा ये लफ़्ज़ सब ताजिरों के लिये इस्तेमाल होने लगा। आपने इस लफ़्ज़ को पसन्द नहीं फ़रमाया और इसे तुज्जार से बदल दिया। (2) इस हदीस का ये मक़सूद नहीं कि ताजिर लोग झूठी क़समें खा कर और झूठ बोल कर तिजारत करते रहें और बाद में कुछ सदक़ा कर दिया करें। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सल्ला, बल्कि इमाम साहिब (رحمه الله) ने इस हदीस का मफ़हूम मुतय्यन फ़रमाया कि यहाँ क़सम और झूठ से मुराद बिला इरादा क़सम और झूठ के अल्फ़ाज़ सादिर होना है, जिनका मुतकल्लिम को एहसास

भी नहीं होता। चूंकि इस बात का तिजारत में ज़्यादा इम्कान है, इसलिये सदक़े का हुक्म दिया वरना झूठी क़सम के ज़रिये से सामान बेचना बहुत बड़ा गुनाह है जो हुक़ूकुल इबाद की ज़ेल में आता है। सदक़ा भी उसे नहीं मिटा सकता लेकिन उमूमन सदक़ा करते रहना चाहिए क्योंकि सदक़ा गुनाहों को मिटाता है। (3) मुख़ातब को अच्छे नाम से पुकारना मुस्तहब है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَاصِمٍ، وَجَامِعٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " . فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِنَا ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ " .

(3829) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम बक़ीअ के बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख़्त किया करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमें उस वक़्त सिम्सार (दलाल) कहा जाता था। आपने फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत!' तो आपने हमारे साबिक़ा नाम से बेहतर नाम रखा। फिर फ़रमाया: 'खरीद व फ़रोख़्त करते वक़्त (बिला क़सद) क़सम और झूठ सादिर हो जाते हैं, लिहाज़ा साथ साथ सदक़ा भी किया करो।'

(3829) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4740.

باب(٢٣): فِي اللَّغْوِ وَالْكَذِبِ

बाब : (23) फ़ुज़ूल बातों और (बिला क़सद) झूठ का हल?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ " .

(3830) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम बाज़ार में (तिजारत कर रहे) थे। आपने फ़रमाया: 'इस बाज़ार में फ़ुज़ूल बातों और झूठ की आमेज़िश होती रहती है, लिहाज़ा सदक़ा करते रहो।'

(3830) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4741.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّينَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ " .

(3831) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम मदीना मुनव्वरा में ग़ल्ले की ख़रीद व फ़रोख़्त किया करते थे और अपने आपको सिम्सार कहा करते थे। लोग भी हमें यही कहते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन हमारे पास तशरीफ़ लाये। आपने हमें हमारे और लोगों के रखे हुए नाम से बेहतरीन नाम दिया। आपने फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत! तुम्हारे सौदों में (बिला क़स्द व इरादा) झूठ और क़समों की मिलावट होती रहती है, लिहाज़ा तुम अपने सौदों के साथ साथ सदक़े की भी मिलावट किया करो।'

(3831) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4742.

फ़ायदा : इमाम साहिब (رحمہ اللہ) ने इस बाब से इशारा फ़रमाया कि तिजारत के अलावा भी जिस काम (जैसे: खेल वग़ैरह) में लग़्व, शोर व गुल, बिला वजह क़समों वग़ैरह का इम्कान हो तो वहाँ भी सदक़ा होना चाहिए। इसी तरह जिस शख़्स से बिला क़स्द क़सम सादिर हो जाती हो या उसे फ़ालतू और ला'यानी गुफ़्तगू की आदत हो, उसे भी सदक़ा करते रहना चाहिए।

باب : (٢٤) النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

बाब : (24) नज़र मानने की मुमानिअत का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ " إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " .

(3832) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज़र मानने से मना किया है और फ़रमाया: 'इसका कोई फ़ायदा नहीं, अलबत्ता इसके साथ बख़ील आदमी से कुछ माल निकल आता है।'

(3832) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1639, बुख़ारी, हदीस: 6608, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4743.

फ़ायदा : जायज़ नज़र मानना गुनाह और मअ़सियत तो नहीं मगर मुस्तहसन चीज़ भी नहीं क्योंकि इसमें सदक़े और नेकी को मशरूत किया जाता है। वह इस तरह कि अगर मैं सेहत याब हो गया तो फिर नेकी या सदक़ा करूँगा। ज़ाहिर है अल्लाह तआला से शर्तें लगाना अच्छी बात नहीं लेकिन नफ़ल नेकी या सदक़े के लिये शर्त लगाना मना भी नहीं, लिहाज़ा इसे मुस्तहसन क़रार नहीं दिया गया मगर पूरा करना भी ज़रूरी क़रार दिया गया है। नज़र की बजाये सही तरीक़ा ये है कि अज़ ख़ुद बग़ैर किसी शर्त के सदक़ा या नेकी करके अपनी हाजत के लिये दुआ माँगे क्योंकि दुआ तो तक़दीर को भी बदल सकती है मगर नज़र से कुछ भी हासिल नहीं होता। सख़ी आदमी सदक़ा करने में जल्दी करता है और बग़ैर ऐवज़ के सदक़ा करता है जबकि बख़ील शख़्स वैसे सदक़ा नहीं करता बल्कि किसी चीज़ के ऐवज़ में सदक़ा करता है, इसलिये नज़र मान कर उसे चार व नाचार सदक़ा करना पड़ता है। इशारतन मालूम हुआ नज़र मानना कंजूस और बख़ील शख़्स का काम है। ज़ाहिर है ये कोई अच्छी मिसाल नहीं। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने कहा है कि नज़र मानने से इसलिये रोका गया है कि हो सकता है बाद में पूरी न हो सके। गोया दरअसल ये नज़र पूरी करने की ताकीद है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ " إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ " .

(3833) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नज़र मानने से मना किया और फ़रमाया: 'नज़र किसी तक़दीर को रद्द नहीं करती, अलबत्ता इस तरीक़े से कंजूस आदमी से कुछ न कुछ माल निकाला जाता है।'

(3833) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4744.

बाब : (25)
नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करती

باب : (٢٥)
النَّذْرِ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " النَّذْرُ

(3834) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करती, अलबत्ता ये ऐसी चीज़ है जिसके साथ कंजूस आदमी से कुछ न कुछ माल निकाला जाता है।'

لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ " .

(3834) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4745.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَىْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " .

(3835) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(अल्लाह तआला ने फ़रमाया:) नज़र इन्सान के लिये कोई ऐसी चीज़ नहीं लाती जो मैंने उसके लिये मुक़द्दर न की हो, अलबत्ता इसके ज़रिये से बख़ील शख़्स से कुछ माल निकाला जाता है।'

(3835) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4746, बुख़ारी, हदीस: 6694, मुस्लिम, हदीस: 1640/7.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आम लोगों का ज़हन ये है कि नज़र मानने से शायद तक़दीर या मुसीबत टल जाती है, हालांकि नज़र से कुछ भी नहीं होता, न ये शरअन मुस्तहसन है। इसके बजाये सदक़ा मुसीबत को रद करता है और दुआ भी तक़दीर को टाल सकती है। अल्लाह तआला दुआ की बरकत से अपना कोई फ़ैसला बदल सकते हैं। उसे कोई रोक सकता है, न मजबूर कर सकता है और न कोई उससे पूछ ही सकता है। (ला युस्अलु अम्मा यफ़अलु) (अल अम्बिया: 21/23) वह सब कुछ करने पर क़ादिर है। लिहाज़ा नज़र की बजाये, सदक़े, नेकी और दुआ की तरफ़ रग़बत करनी चाहिए। (2) ये हदीस, अहादीसे क़ुदसिया में शुमार की गई है।

باب: (٢٦) النَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

बाब : (26) नज़र के ज़रिये से कंजूस शख़्स से माल निकाला जाता है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " .

(3836) हज़र अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़र न माना करो क्योंकि नज़र तक़दीर को रद नहीं कर सकती। इसके साथ तो बख़ील से कुछ माल निकाला जाता है।'

(3836) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4747.

बाब : (27) इताअ़त और नेकी की नज़र (पूरी करने) का बयान

باب : (٢٧) النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

(3837) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की किसी इताअ़त की नज़र माने तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह तआ़ला की इताअ़त करे और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की किसी नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी न करे।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .

(3837) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 6696, मौताः 2/476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4748.

फ़ायदा : नेकी चूंकि मतलूब है, लिहाज़ा वह जिस तौर पर भी मुमकिन हो करनी चाहिए। अगरचे नज़र मानना इतना अच्छा काम नहीं मगर नेकी चूंकि अच्छा काम है, इसलिये वह लाज़िमन की जाये। नेकी तो नज़र के बग़ैर भी करनी चाहिए। नज़र के साथ मज़ीद मुअक्कद हो गई है।

बाब : (28) नाफ़रमानी की नज़र (पूरी न करने) का बयान

باب(٢٨): النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

(3838) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुनाः 'जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की इताअ़त की नज़र माने वह इताअ़त करे, और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह हरगिज़ नाफ़रमानी न करे।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .

(3838) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4749.

फ़ायदा : नाफ़रमानी हर हाल में बहुत बुरी है और नज़र मान कर नाफ़रमानी करना मज़ीद क़बीह है। नज़र मानने से कोई बुराई नेकी नहीं बन सकती, लिहाज़ा नज़र के बहाने अल्लाह तआ़ला की

नाफ़रमानी करना जायज़ न होगा बल्कि मज़ीद गुनाह होगा, इसलिये नाफ़रमानी की नज़र पूरी न की जाये बल्कि उसका कफ़्फ़ारा दे दिया जाये। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3823)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .

(3839) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अल्लाह तआला की इताअत की नज़र माने तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह तआला की इताअत करे और जो शख़्स अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह उसकी नाफ़रमानी (बिल्कुल) न करे।'

(3839) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4750.

باب(۲۹): الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

बाब : (29) नज़र पूरी करने का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " . فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ مَرَّتَيْنِ بَعْدَهُ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو جَمْرَةَ .

(3840) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से बेहतरीन लोग मेरे दौर के हैं, फिर जो लोग उनके बाद आयेंगे और फिर जो उनके बाद आयेंगे और फिर जो उनके बाद आयेंगे।' (रावि-ए-हदीस ने कहा:) मुझे याद नहीं कि आपने ये लफ़्ज़ दो दफ़ा फ़रमाये या तीन दफ़ा। फिर आपने ऐसे लोगों का ज़िक्र फ़रमाया जो ख़यानत करेंगे यहाँ तक कि उनके पास अमानत नहीं रखी जायेगी। गवाहियाँ देंगे जबकि उनसे गवाही तलब नहीं की जायेगी। वह नज़रें मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे और उनमें मोटापा आम हो जायेगा।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि नस्र बिन इमरान की कुनियत अबू जम्रा है (अबू हम्ज़ा नहीं)

(3840) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2651, मुस्लिम: 2535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4751.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मेरे दौर के' यानी सहाब-ए-किराम (ﷺ) उम्मत में सबसे अफ़ज़ल हैं और ये बात मुत्तफ़क़ अलैहि है क्योंकि उन्हें बराहे रास्त नबवी फ़ैज़ान हासिल हुआ है। 'उनके बाद' से मुराद ताबेईन और 'उनके बाद' से मुराद तबअ़े ताबेईन हैं। ये लफ़्ज़ दो दफ़ा ही सही है। तीन दफ़ा सही नहीं क्योंकि ये तीन दौर ही मशहूर बिल ख़ैर हैं। वैसे भी रावी को तीसरी दफ़ा के बारे में शक है। इस लिहाज़ से भी वह सही नहीं। अगर बिल फ़र्ज़ तीन दफ़ा ये लफ़्ज़ हों तो आपके दौर से मुराद सिर्फ़ आपकी हयाते तय्यबा तक का दौर होगा और 'उनके बाद' से मुराद सहाबा होंगे जो आपके बाद ज़िन्दा रहे। सहाबा (ﷺ) का दौर 110 हिजरी तक रहा है। दूसरे दौर से मुराद ताबेईन और तीसरे से मुराद तबअ़ ताबेईन होंगे। वल्लाहु आलम! **(2)** 'गवाहियाँ देंगे' यानी झूठी, तभी तो उनसे गवाही नहीं ली जायेगी और अगर ज़बरदस्ती देंगे तो मानी नहीं जायेगी। **(3)** 'मोटापा आम हो जायेगा' यानी अक्सर लोग मोटे होंगे और मोटा होने को पसन्द करेंगे बल्कि मोटा होने की कोशिश करेंगे, यानी ऐश परस्त होंगे। सहल पसन्द होंगे। खाने पीने और सोने पर ख़ूब ज़ोर देंगे। पस्त हिम्मत होंगे। ग़र्ज़ नाकारा बन जायेंगे। क्योंकि मोटापे को ये सब चीज़ें लाज़िम हैं। आपका मक़सूद भी यही चीज़ें बताना है न कि सिर्फ़ मोटापा। वल्लाहु आलम! **(4)** 'अबू जम्रा है' इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये वज़ाहत इसलिये पेश की ताकि इल्तेबास का ख़तरा दूर हो जाये क्योंकि इमाम शोबा (رحمه الله) सात ऐसे आदमियों से रिवायत करते हैं जिनकी कुनियत अबू हम्ज़ा है और एक ऐसे आदमी से भी रिवायत करते हैं जिनकी कुनियत अबू जम्रा है, इस सनद में यही आदमी है, इसलिये इमाम नसाई (رحمه الله) ने वज़ाहत फ़रमा दी कि ये उन आदमियों से अलग शख़्स है जिनकी कुनियत अबू हम्ज़ा है। इसकी कुनियत अबू जम्रा है और नाम नस्र बिन इमरान है। वल्लाहु आलम!

बाब : (30)
जिस नज़र से अल्लाह तआला की रज़ामन्दी मक़सूद न हो, उसे पूरा नहीं करना चाहिए

(3841) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी के पास से गुज़रे जो एक दूसरे आदमी को रस्सी बाँध कर खींच रहा था। आपने वह रस्सी पकड़ कर काट दी। वह कहने लगा: मैंने ये नज़र मानी थी।

(3841) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4752.

باب : (٣٠)
النَّذْرِ فِيمَا لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا فِي قَرَنٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ

फ़ायदा : ऐसे काम की नज़र पूरी करना ज़रूरी है जो नेकी और तक़र्रुब वाला हो। इस क़िस्म की फ़ुज़ूल नज़र जिससे सिवाए मशक़्क़त और ज़िल्लत के कुछ हासिल न हो, न नज़र मानने वाले को कोई फ़ायदा हो और न किसी दूसरे को, ये ला'यानी नज़र है। इसे पूरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बे'फ़ायदा है।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ أَوْ بِشَىْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ " قُدْهُ بِيَدِكَ " .

(3842) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) एक आदमी के पास से गुज़रे जो काबा का तवाफ़ कर रहा था। उसे एक और इन्सान उसकी नाक में नकेल डाल कर खींच रहा था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से उसे काट दिया और उसे हुक्म दिया कि उसका हाथ पकड़ कर उसे चला। इस रिवायत में ये लफ़्ज़ भी आते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) तवाफ़ के दौरान में एक आदमी के पास से गुज़रे जिसने अपना हाथ किसी दूसरे आदमी के साथ रस्सी या धागे वग़ैरह के साथ बाँध रखा था, चुनांचे नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से उस रस्सी को काट दिया और फ़रमाया: 'इसे हाथ पकड़ कर चला।'

(3842) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4753.

फ़ायदा : गले, नाक या हाथ को रस्सी बाँध कर आदमी को खींचना जानवरों के साथ तश्बीह है। उनके आक़िल न होने की वजह से उनके गले या नाक वग़ैरह में रस्सी डालनी पड़ती है ताकि उन्हें क़ाबू किया जा सके, जबकि इन्सान आक़िल है। उसे ज़बान या ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से समझाया जा सकता है, लिहाज़ा रस्सी या नकेल की ज़रूरत नहीं बल्कि ये जानवरों के साथ मुशाबिहत है और इन्सानियत की तौहीन है जिसे दीने फ़ितरत के आख़री नबी कैसे गवारा फ़रमा सकते थे? दौरे जाहिलियत में लोग ऐसी नज़रें मान लिया करते थे जिनसे सिवाए मशक़्क़त, तकलीफ़ या ज़िल्लत के कुछ हासिल नहीं होता। शरीयते इस्लामिया ने ऐसी तमाम नज़रों को कल्अदम क़रार दिया, यानी न वह मानी जायेंगी, और न उन पर अमल किया जायेगा, अलबत्ता कफ़्फ़ारा अदा करना होगा।

बाब : (31) ग़ैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना (ग़ैर मोतबर है)

باب(٣١): النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " .

(3843) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला की नाफ़रमानी और इन्सान की ग़ैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना ग़ैर मोतबर है।'

(3843) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1641, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4754.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3823.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ " .

(3844) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दीने इस्लाम के अलावा किसी और दीन की क़सम खाये और हो भी झूठा तो वह उसी तरह होगा जिस तरह उसने (अपने आपको) कहा। और जो शख़्स दुनिया में किसी चीज़ से ख़ुदकुशी करे, क़यामत के दिन उसे उसी चीज़ के साथ अज़ाब दिया जायेगा। और किसी शख़्स के लिये उस नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं जो उसने अपनी ग़ैर मम्लूका चीज़ के बारे में मानी हो।'

(3844) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6047, मुस्लिम, हदीस: 110, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4755.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 3801.

बाब : (32)
जो शख़्स बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नज़र माने तो (उसका हुक्म)?

باب : (٣٢)
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى

أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ " .

(3845) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मरवी है कि मेरी बहन ने बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नज़र मानी, फिर उसने मुझसे कहा कि मैं इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस्तेफ़सार करूँ, चुनांचे मैंने इसके लिए नबी-ए-अकरम(ﷺ) से ये मसला पूछा तो आपने फ़रमाया: 'पैदल भी चले और सवार भी हो।'

(3845) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1866, मुस्लिम, हदीस: 1644/12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4756.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पैदल जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं मगर ये मना भी नहीं और पैदल जाना मुमकिन भी है, लिहाज़ा ये नज़र पूरी करनी चाहिए वरना कफ़्फ़ारा अदा करे। इस रिवायत में कफ़्फ़ारे का ज़िक्र नहीं मगर कुछ दीगर रिवायात से कफ़्फ़ारे का इस्बात होता है, जैसे: रिवायत: 3846 **(2)** 'पैदल भी चले और सवार भी हो' एक मफ़हूम तो ये है कि वह पैदल चले जहाँ तक चल सके। जब आजिज़ आ जाये तो सवार हो जाये। और मुमकिन है आपका मक़सूद ये हो कि चाहे पैदल चले, चाहे सवार हो, अलबत्ता सवारी की सूरत में कफ़्फ़ारा देना होगा। गोया ऐसी नज़र बेफ़ायदा होने की वजह से पूरी करना ज़रूरी नहीं, कफ़्फ़ारा दे सकता है। पहले मआनी की रू से उसे ताक़त की हद तक चलना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम! **(3)** ऐसी नज़र की सूरत में कहाँ से पैदल चले? कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक घर ही से पैदल चले और कुछ के नज़दीक मीक़ात से एहराम बाँधने के बाद। पहले मआनी मुतबादिर हैं मगर बसा औक़ात ये मुमकिन नहीं, जैसे: हिन्दुस्तान वालों के लिये।

बाब : (33)
जब कोई औरत नंगे पाँव और नंगे सर चलने की क़सम खा ले तो?

باب(٣٣): إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَتَمْشِي حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ

(3846) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) ने बताया कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से अपनी एक बहन के बारे में पूछा जिसने नज़र मानी थी कि वह नंगे पाँव, नंगे सर और पैदल जायेगी। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे कहो कि सर ढाँपे और सवार हो जाये और तीन दिन के रोज़े रख ले।'

(3846) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4757, तिर्मिज़ी, हदीस: 1544, मुसनद अहमद: 4/147.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، - وَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " .

बाब : (34)
जो रोज़े रखने की नज़र माने मगर रोज़े रखने से पहले फ़ौत हो जाये तो?

باب(٣٤): مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ

(3847) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक औरत समन्दरी सफ़र पर गई। उसने नज़र मानी कि (सही सलामत वापसी की सूरत में) वह एक माह के रोज़े रखेगी। लेकिन वह रोज़े रखने से क़ब्ल ही फ़ौत हो गई। उसकी बहन नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और ये सूरते हाल आपसे ज़िक्र की तो आपने हुक्म दिया कि तू उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले।

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ

فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا

(3847) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4758, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2054, अबू दाऊद, हदीस: 3308.

फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत के ज़िम्मे नज़र के (या फ़र्ज़ी) रोज़े हों तो उसके लवाहिक़ीन उसकी तरफ़ से रोज़े रख सकते हैं। बशर्ते कि मय्यत को रोज़े रखने का मौक़ा मिला हो लेकिन वह रख न सका हो। अहनाफ़ के नज़दीक मय्यत की तरफ़ से रोज़े नहीं रखे जा सकते बल्कि रोज़ों का फ़िद्या दिया जायेगा। मगर ये इस सरीह रिवायत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। हाँ ये कहा जा सकता है कि उसकी तरफ़ से रोज़े रखना फ़र्ज़ नहीं, फ़िद्या भी दिया जा सकता है। वल्लाहु आलम!

باب : (٣٥)
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

बाब : (35)
जो शख़्स फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे नज़र बाक़ी हो तो?

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ " اقْضِهِ عَنْهَا".

(3848) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत सअद बिन उबादा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी लेकिन वह उसकी अदायगी से पहले फ़ौत हो गई थी। आपने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।'

(3848) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4759.

फ़ायदा : किसी रिवायत में सराहत नहीं कि वह नज़र क्या थी? कुछ हज़रात ने एक रिवायत से इस्तिम्बात किया है कि वह नज़र गुलाम आज़ाद करने की थी मगर उस रिवायत में भी सराहत नहीं कि नज़र आज़ाद करने की थी। उसमें सिर्फ़ गुलाम आज़ाद करने का ज़िक्र है। मुमकिन है वह गुलाम नज़र के कफ़्फ़ारे में आज़ाद किया गया हो, न कि बतौर नज़र। कुछ ने रोज़े कहा है। वल्लाहु आलम! बहर सूरत अगर मय्यत नज़र पूरी करने की वसीयत कर जाये तो नज़र पूरी करना वारिसीन पर फ़र्ज़ होगा वरना मुस्तहब।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْضِهِ عَنْهَا " .

(3849) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सअ़द बिन उबादा(ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी मगर वह उसकी अदायगी से पहले फ़ौत हो गई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।'

(3849) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4760.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، - وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ . قَالَ " اقْضِهِ عَنْهَا "

(3850) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सअ़द बिन उबादा(ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा: मेरी वालिदा फ़ौत हो गई है। उसके ज़िम्मे एक नज़र थी जिसे वह अदा नहीं कर सकी थी। आपने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।'

(3850) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4761.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3680, 3696.

باب : (٣٦)
إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ

बाब : (36)
जब कोई शख़्स नज़र माने, फिर पूरी करने से पहले मुसलमान हो जाये तो?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ

(3851) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) अपने वालिद उ़मर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उनके ज़िम्मे जाहिलियत में एक रात ऐतकाफ़ बैठने की नज़र थी। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो आपने

فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ

उन्हें (एक रात) ऐतकाफ़ बेठने का हुक्म दिया।

(3851) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2042, मुस्लिम, हदीस: 1656, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4762.

फ़ायदा : ये नज़र नेकी की थी, इसलिये आपने उसे पूरा करने का हुक्म फ़रमाया वरना कुफ़्र के दौरान में अहकाम वाजिब नहीं होते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ .

(3852) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत उमर (ﷺ) के ज़िम्मे (दौरे जाहिलियत में) एक रात मस्जिदे हराम में ऐतकाफ़ बैठने की नज़र थी। उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसके मुताल्लिक़ पूछा तो आपने उन्हें ऐतकाफ़ बैठने का हुक्म दिया।

(3852) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3144, मुस्लिम: 1656/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4763.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ .

(3853) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने दौरे जाहिलियत में एक दिन ऐतकाफ़ बैठने की नज़र मानी थी। (मुसलमान होने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसके बारे में पूछा तो आपने उन्हें ऐतकाफ़ बैठने का हुक्म दिया।

(3853) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4764.

फ़ायदा : ऐसी नज़र जो कुफ़्र की हालत में मानी हो और उसमें अल्लाह तआला की इताअत हो तो इस्लाम क़बूल करने के बाद भी वह नज़र पूरी की जायेगी।

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ،

(3854) हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि जब उनकी तौबा क़बूल हुई तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ

रसूल! मैं अपने कुल माल को अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक़ सदक़ा करते हुए इससे ला'ताल्लुक़ होना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल रख ले। ये तेरे लिये बेहतर होगा।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मुमकिन है ज़ोहरी ने ये हदीस़ अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब से भी सुनी हो और उनसे (उनके भाई) अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब के वास्ते से भी। इस लम्बी हदीस़ में हज़रत कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) की तौबा का ज़िक्र है।

(3854) तख़रीज : (सनद स़ही) .अबू दाऊद, हदीस़: 3318, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4765, व स़हीह अल बैहक़ी वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) ये हदीस़ चार तुरुक़ से बयान करते हैं: एक तरीक़ में वह अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब से बयान करते हैं और वह अपने वालिद कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) से जैसा कि इस हदीस़ की सनद में है। दूसरे तरीक़ में अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब से बयान करते हैं जैसा कि हदीस़: 3855 में है। तीसरे तरीक़ में अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब से बयान करते हैं, और वह अपने वालिद अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब से जैसा कि हदीस़: 3856 में है और चौथे तरीक़ में भी वह अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब ही से बयान करते हैं, लेकिन यहाँ अ़ब्दुर्रहमान आगे अपने वालिद की बजाये अपने चचा उ़बैदुल्लाह बिन कअ़ब (رضي الله عنه) से बयान करते हैं जैसा कि हदीस़: 3857 में है। वल्लाहु आ़लम! उस वाक़िये का ताल्लुक़ ग़ज़्व-ए-तबूक से था। इस जंग में हज़रत कअ़ब (رضي الله عنه) से सुस्ती हो गई। वह शामिल न हो सके। (رضي الله عنه). **(2)** ये हदीस़ मज़्कूरा बाब से नहीं बल्कि आइन्दा बाब से मुताल्लिक़ है। इमाम नसाई (رحمه الله) ने बहुत से मक़ामात पर ऐसे किया है। जब एक बाब के तहत बहुत सी अहादीस़ हों तो आख़िर में एक हदीस़ ऐसी लाते हैं जो आइन्दा बाब से ताल्लुक़ रखती है। शायद ये इशारा करना मक़सूद होता है कि आगे नया बाब आ रहा है। ये उस्लूब सिर्फ़ इमाम नसाई (رحمه الله) ने इख़्तियार किया है।

बाब : (37)
जब कोई शख़्स अपना माल बतौर नज़र सदक़े के लिये पेश करे तो?

باب : (٣٧)
إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . مُخْتَصَرٌ.

(3855) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब से रिवायत है कि उन्होंने (अपने वालिद मोहतरम) हज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) को अपना वाक़िया बयान करते हुए सुना, जब वह ग़ज़्व-ए तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पीछे रह गये थे। उन्होंने फ़रमाया: जब मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने बैठा तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तौबा में से ये भी है कि मैं अपने माल को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामन्दी के लिये सदक़ा करते हुए अपने माल से ला'ताल्लुक़ हो जाऊँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल रख ले। ये तेरे लिये बेहतर है।' मैंने कहा: मैं अपनी ख़ैबर वाली जायदाद रख लेता हूँ। ये रिवायत मुख़्तसर है।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, 3451-3456, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4766, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आपके सामने बैठा' ये उस वक़्त की बात है जब उनकी तौबा की क़बूलियत का ऐलान हो गया था और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुलाक़ात व ज़ियारत को बेताबाना हाज़िर हुए थे। आख़िर पचास दिन बीत चुके थे। **(2)** 'मेरी तौबा में से है' गोया उन्होंने जब तौबा की थी तो साथ नज़र भी मानी थी कि अगर मेरी तौबा क़बूल हो गई तो मैं अपना सारा माल सदक़ा कर दूँगा। अब आपके सामने ज़िक्र किया तो आपने इस्लाह फ़रमा दी कि सारा माल सदक़ा करने की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ माल अपने पास भी रखना चाहिए ताकि नज़र मानने वाला मोहताज ही न हो जाये। इस तरह ये आइन्दा के लिये भी दस्तूर बन गया कि अगर कोई शख़्स अपना सारा माल सदक़ा करने की नज़र मान ले तो वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ माल रख सकता है बल्कि उसे रखना चाहिए। और इस हदीस को मज़्कूरा बाब के तहत ज़िक्र करने की यही वजह है। वल्लाहु आलम!

(3856) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने (अपने वालिद मोहतरम) हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) को अपना वाक़िया बयान फ़रमाते हुए सुना, जब वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पीछे रह गये थे। उन्होंने फ़रमाया: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तौबा में से ये भी है कि मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल के लिये स़दक़ा करते हुए उससे ला'ताल्लुक़ हो जाऊँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल रख ले, ये तेरे लिये बेहतर होगा।' मैंने कहा: मैं अपना ख़ैबर वाला हिस्सा रख लेता हूँ।

(3856) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4757.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ عَلَىَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अल्लाह और उसके रसूल के लिये' क्योंकि इस मौक़े पर अल्लाह और उसका रसूल दोनों नाराज़ हो गये थे, लिहाज़ा दोनों को राज़ी करना मक़स़ूद था। अल्लाह तआला के अलावा किसी दूसरे को राज़ी करना मना नहीं, जैसे: वालिदैन की रज़ामन्दी का हुस़ूल। वैसे भी अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) की रज़ामन्दी और नाराज़ी इकट्ठी ही होती है। अल्लाह राज़ी तो रसूल भी राज़ी। अल्लाह नाराज़ तो रसूल भी नाराज़, अलबत्ता किसी इबादत, जैसे: नमाज़, रोज़ा वग़ैरह में स़िर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा व स़वाब ही मक़स़ूद होना चाहिए। **(2)** स़दक़ा वसूल करने वाले को स़दक़ा देने वाले की ताक़त भी मद्दे नज़र रखनी चाहिए, उस पर उतना बोझ डाला जाये जितना वह उठा सके।

(3857) हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी है, और मेरी तौबा में से ये भी है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ

بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . فَقَالَ " أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " . قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ .

रज़ामन्दी की ख़ातिर सदक़ा करते हुए उससे ला'ताल्लुक़ हो जाऊँ। आपने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल रख ले, ये तेरे लिये बेहतर होगा।' मैंने कहा: ठीक है। मैं अपना ख़ैबर वाला हिस्सा रख लेता हूँ।

(3857) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2769/55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4767.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ख़ैबर वाला हिस्सा' यानी ग़ज़्व-ए-ख़ैबर की ग़नीमत से जो मुझे मेरा हिस्सा मिला था। और वह ज़मीन व बाग़ की सूरत में था। **(2)** अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से दी गई रुख़्सत को क़बूल करना चाहिए, ख़्वाह वह रुख़्सत सफ़री नमाज़ों में हो या दीगर मामलात में, इसी में सआदत है।

باب : (٣٨)
هَلْ تَدْخُلُ الأَرَضُونَ فِي الْمَالِ إِذَا نَذَرَ

बाब : (38)
अगर माल सदक़ा करने की नज़र माने तो क्या ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी?

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ إِلاَّ الأَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3858) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम ग़ज़्व-ए-ख़ैबर वाले साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे तो हमें ग़नीमत में सिर्फ़ माल, घरेलू सामान और कपड़े वग़ैरह ही मिले थे। बनू ज़ुबैब के एक आदमी हज़रत रिफ़ाअ बिन ज़ैद (ﷺ) ने आपको एक काला ग़ुलाम बतौर तोहफ़ा दिया। उसका नाम मिदअम था। रसूलुल्लाह (ﷺ) वादि-ए-क़ुरा की जानिब चले। जब हम वादि-ए-क़ुरा में पहुँचे तो मिदअम रसूलुल्लाह (ﷺ) (की सवारी) का पालान वग़ैरह उतार रहा था कि एक तीर आया। उसे लगा और उसे ख़त्म कर दिया। लोग कहने लगे: उसे जन्नत

غُلاَمًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوُجِّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا " . فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ " .

मुबारक हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! बिलाशुबहा वह चादर जो उसने ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के दिन (मेरी इजाज़त के बग़ैर) माले ग़नीमत से उठाई थी, इस पर आग बन कर भड़क रही है।' जब लोगों ने ये बात सुनी तो कोई आदमी एक तस्मा, कोई दो तस्मे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँच गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये एक दो तस्मे भी आग का सबब बन सकते हैं।'

(3858) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6707, मौता: 2/459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4768.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में रसूलुल्लाह (ﷺ) को ग़नीमत में ज़मीनें तो क़तअन मिली थीं जबकि इस हदीस में ज़मीन का सराहतन ज़िक्र नहीं बल्कि लफ़्ज़ 'अमवाल' ज़िक्र है। लाज़िमी बात है कि अमवाल से मुराद ज़मीन ही होगी और यही बाब का मक़सूद है कि अगर माल की नज़र माने तो ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी। साबिक़ा रिवायात जिनमें कअ़ब बिन मालिक (رضی الله عنه) की नज़र का ज़िक्र है, वह भी इस मक़सूद पर दलालत करती हैं क्योंकि उनमें माल सदक़ा करने ही की नज़र थी, बाद में हज़रत कअ़ब ने ख़ैबर की ज़मीन को इससे मुस्तस्ना किया था। मालूम हुआ माल की नज़र में ज़मीन भी शामिल थी। **(2)** 'जन्नत मुबारक हो' बज़ाहिर क्योंकि वह सफ़रे जिहाद के दौरान में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत करते हुए किसी काफ़िर के तीर से शहीद हुआ था। **(3)** 'सबब बन सकते हैं' अगर ख़यानत के साथ हासिल किये जायें और बैतुल माल में जमा न कराये जायें, यानी मामूली चीज़ में ख़यानत अज़ाब का ज़रिया बन सकती है।

बाब : (39)
क़सम (या नज़र) में इन्शाअल्लाह कहना

باب: (٣٩)
الإِسْتِثْنَاءِ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .

(3859) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दिया, उसने इख़्तियार हासिल कर लिया।'

(3859) तख़रीज : (सनद सही) वल हाकिम: 4/303, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4769, देखें, हदीस: 3824.

फ़ायदा : यानी अब चाहे उसे पूरा करे या न करे जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है। (तफ़सील देखिये, हदीस: 3824 में)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .

(3860) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दिया, उसने क़सम पूरा करने से इस्तिस्ना हासिल कर लिया।'

(3860) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4770.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "

(3861) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी चीज़ पर क़सम खाई और साथ ही इन्शाअल्लाह कह दिया तो उसे इख़्तियार है। चाहे तो उसे पूरा करे, चाहे पूरा न करे।'

(3861) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4771.

बाब : (40) जब कोई शख़्स क़सम खाये और कोई आदमी उसे इन्शाअल्लाह कह दे तो क्या उसे इस्तिस़्ना हासिल होगा?

باب(٤٠): إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ " .

(3862) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा हज़रत सुलैमान बिन दाऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं रात को अपनी नव्वे (90) औरतों के पास ज़रूर जाऊँगा। उनमें से हर एक शहसवार जनेगी जो अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करेगा। आप के साथी ने आप से (बतौर तल्क़ीन) कहा: इन्शाअल्लाह, लेकिन आपने इन्शाअल्लाह न कहा, फिर आप उन सब औरतों के पास गये लेकिन उनमें से किसी को भी हमल न ठहरा सिवाए एक औरत के। उसने भी नाक़िस़ बच्चा जना। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! अगर वह इन्शाअल्लाह कह देते तो सब बच्चे शहसवार बन कर अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करते।'

(3862) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4772.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि साथी के 'इन्शाअल्लाह' कहने से क़सम खाने वाले को इस्तिस़्ना का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और ये बात हदीस़ से ज़ाहिर है। (2) मौलाना मौदूदी और दीगर कई हज़रात ने इस रिवायत को अक़्ल की सान पर चढ़ा कर मशकूक ठहराया है। वह कहते हैं कि एक रात में नव्वे औरतों के साथ मुबाशरत कैसे मुमकिन है? उनका ये ऐतराज़ सरासर बातिल है क्यों कि अम्बिया (ﷺ) को आम इन्सानों से कहीं ज़्यादा कुव्वत वदीअत होती है और फिर अल्लाह तआला उनके औक़ात में भी बरकत डालता है, और ये उनका मोजिज़ा ही तस्लीम कर लिया जाये जो वाक़ेअतन ख़र्क़े आदत ही होता है, फिर क़यासी तौर पर भी ऐसा ना मुमकिन नहीं क्योंकि रसूले अकरम

(ﷺ) से एक गुस्ल के साथ तमाम बीवियों से मुबाशरत साबित है, इसलिये ये हदीस बिला रैब सही है। **(3)** 'नव्वे औरतों' कुछ रिवायात में साठ, सत्तर, निन्यानवे, सौ का भी ज़िक्र है। साठ बीवियाँ होंगी, बाक़ी उन्तालीस लौण्डियाँ। नव्वे में मज्मूआ से कस्र हज़्फ़ कर दी गई है। सौ में कस्र पूरी कर दी गई है और सत्तर से मुत्लक़ कस्रत मुराद है क्योंकि ये अदद कस्रत के इज़्हार के लिये उमूमन इस्तेमाल होता है। वल्लाहु आलम! **(4)** 'इन्शाअल्लाह न कहा' साथी के कहने को काफ़ी समझा या किसी और तरफ़ तवज्जा थी वरना क़सदन अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल नहीं हो सकते थे। कभी कभी उम्मत को मसला समझाने के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से क़सदन सह्व तारी कर दिया जाता है। **(5)** 'जिहाद करते' ये ख़ास उनके हक़ में है वरना ज़रूरी नहीं कि हर इन्शाअल्लाह कहने वाले की क़सम लाज़िमन पूरी हो जाये।

बाब : (41) नज़र का कफ़्फ़ारा

باب : (۴۱) كَفَّارَةِ النَّذْرِ

(3863) हज़रत उक्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नज़र का कफ़्फ़ारा (वही है जो) क़सम का कफ़्फ़ारा है।'

(3863) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4773, मुस्लिम, हदीस: 1645.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .

फ़ायदा : क़सम का कफ़्फ़ारा क़ुर्आन मजीद में सराहतन मज़्कूर है और वह है: दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या गुलाम की आज़ादी। अगर इन तीनों में से किसी की ताक़त न हो तो फिर तीन रोज़े रखने होंगे। और यही नज़र का कफ़्फ़ारा है। कफ़्फ़ारे में तर्तीब ज़रूरी नहीं बल्कि जो भी अमल आसानी का बाइस हो किया जा सकता है। अगर नेक काम की नज़र हो और उसे पूरा करने की इस्तेताअत हो तो नज़र ही पूरी करनी होगी। कफ़्फ़ारा उस सूरत में है जब नज़र पूरी करना मुमकिन न हो या नज़र मअ्सियत (ना फरमानी) की हो।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ " .

(3864) हज़रत आयशा (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुनाह वाली नज़र पूरी नहीं करनी चाहिए।'

(3864) तख़रीज : (सनद सही)

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

(3865) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की नाफ़रमानी वाली नज़र पूरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे की तरह है।'

(3865) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3291.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "

(3866) हज़रत आयशा (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की नाफ़रमानी वाली नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला कफ़्फ़ारा है।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " .

(3867) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मअ़सियत वाली नज़र पूरी न की जाये (बल्कि उसका कफ़्फ़ारा दिया जाये) और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।'

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3865.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

(3868) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मअ़सियत की नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे की तरह है।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि कहा गया है कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत अबू सलमा से ये रिवायत नहीं सुनी।

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3865.

फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में जैसा कि इमाम स़ाहिब ने फ़रमाया, इन्क़िताअ़ है लेकिन शवाहिद की बिना पर ये हदीस़ स़ही है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ "

(3869) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुनाह की नज़र पूरी नहीं करनी चाहिए (बल्कि उसमें कफ़्फ़ारा है) और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3865.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ الَّذِي، كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

(3870) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की नाफ़रमानी वाली नज़र पूरी न की जाये (बल्कि उसका कफ़्फ़ारा दिया जाये) और ऐसी नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: (रावि-ए-हदीस़) सुलैमान बिन अरक़म मत्रूकुल हदीस़ है। वल्लाहु आलम! इस हदीस़ में यहया बिन अबी कस़ीर के कई एक शागिर्दों ने इसकी मुख़ालिफ़त की है।

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

(3870) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3292, तिर्मिज़ी: 1525, पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत : मुख़ालिफ़त ये है कि यहया बिन अबी कसीर के बाक़ी शागिर्द इसे इमरान बिन हुसैन(ﷺ) की मुसनद बनाते हैं जबकि सुलेमान बिन अरक़म ने इसे सीधा आयशा (ﷺ) की मुसनद बनाया है। सुलेमान बिन अरक़म मतरूकुल हदीस है जिसकी बिना पर ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन शवाहिद की बिना पर सही और क़ाबिले अमल है।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، -وَهُوَ عَلِيٌّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " .

(3871) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुनाह की नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे के बराबर है।'

(3871) तख़रीज : (सनद सही)

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، -وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ " .

(3872) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मआसियत की नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला कफ़्फ़ारा है।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

(3873) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुस्से में आकर मानी हुई नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे की तरह है।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (ﷺ) फ़रमाते हैं: (रावि-ए-हदीस़) मुहम्मद बिन ज़ुबैर ज़ईफ़ है, ऐसा शख़्स हुज्जत नहीं होता, वैसे भी इस हदीस़ में इस पर इख़्तिलाफ़ किया गया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ لاَ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ . وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

(3874) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुस्से की हालत में नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम का कफ्फारा है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 3871.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " .

(3875) हज़रत इमरान (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुस्से की हालत में नज़र दुरुस्त नहीं, अलबत्ता इसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।' कहा गया है कि ज़ुबैर ने ये हदीस़ हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से नहीं सुनी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 3871.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . وَقِيلَ إِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلاَ وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ " .

(3876) अहले बस्रा में से एक शख़्स से रिवायत है, उसने कहा: मैं हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) के पास रहा। उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'नज़र दो तरह की होती है: जो नज़र अल्लाह तआला की इताअत के बारे में हो, वह तो अल्लाह के लिये मोतबर होगी और उसे पूरा करना चाहिए और जो नज़र अल्लाह तआला की नाफ़रमानी के बारे में हो, वह शैतानी काम है। उसे पूरा नहीं किया जायेगा, अलबत्ता उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे की तरह होगा।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلاً، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، نَذَرَ نَذْرًا لاَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " .

(3877) एक आदमी ने हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा जिसने नज़र मान ली थी कि मैं अपनी क़ौम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा। हज़रत इमरान ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: ग़ुस्से की हालत में नज़र मोतबर नहीं, अलबत्ता उसका कफ़्फ़ारा कफ़्फ़ार-ए-क़सम है।'

(3877) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3871, 3873.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " .

(3878) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ग़ुस्से और नाफ़रमानी की नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है।'

(3878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/443, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ، - وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ .

(3879) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नाफ़रमानी वाली नज़र दुरुस्त नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है।'

अल्फ़ाज़े हदीस में मन्सूर बिन ज़ाज़ान ने मुहम्मद बिन ज़ुबैर की मुख़ालिफ़त की है।

(3879) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3869.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ .

(3880) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्सान उस चीज़ में नज़र नहीं मान सकता जिसका वह मालिक नहीं और न अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की नज़र मान सकता है।

अली बिन ज़ैद ने मन्सूर बिन ज़ाज़ान की मुख़ालिफ़त की है, उसने ये रिवायत बवास्त-ए-हसन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से बयान की है।

(3880) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/429, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : अलबत्ता अगर नज़र मान ले तो दोनों सूरतों में नज़र पूरी करना मना है। कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा जिस तरह पीछे गुज़रा।

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ

(3881) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नाफ़रमानी की नज़र मोतबर नहीं और न उस चीज़ की जिसका वह मालिक नहीं।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .

अली बिन ज़ैद ज़ईफ़ रावी है। और (उसकी बयानकर्दा) ये हदीस़ ख़ता है, जबकि दुरुस्त (अब्दुर्रहमान बिन समुरा के बजाये) इमरान बिन हुसैन ही है, और हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से ये रिवायत एक और सनद से भी बयान की गई है।

(3881) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " .

(3882) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नाफ़रमानी की नज़र पूरी न की जाये और न उस चीज़ की जिसका वह इन्सान मालिक नहीं।'

(3882) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3843.

باب : (٤٢)
مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ

बाब : (42)
जिस शख़्स़ ने कोई नज़र अपने आप पर वाजिब कर ली लेकिन वह उसे पूरा करने से आजिज़ है तो उस पर क्या वाजिब होगा?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ " .

(3883) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक आदमी को देखा जिसे दो शख़्सों के सहारे चलाया जा रहा था। आपने फ़रमाया: 'ऐसे क्यूँ?' लोगों ने कहा: हुज़ूर! इसने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह तक चल कर जायेगा। फ़रमाया: 'अल्लाह तआला को क्या ज़रूरत कि ये शख़्स अपने आपको अज़ाब में डाले? इसे कहो सवार हो जाये।'

(3883) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1865, मुस्लिम, हदीस़: 1642.

फ़ायदा : जो शख़्स अपनी नज़र पूरी करने से आजिज़ आ जाये तो उसे कफ़्फ़ारा अदा करना होगा। तफ़्सील के लिये देखिये, रिवायत: 3845.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ " مَا بَالُ هَذَا " . قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ " . فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

(3884) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बुज़ुर्ग आदमी के पास से गुज़रे जिसे दो आदमी सहारा दे कर चला रहे थे। फ़रमाया: 'इसे क्या हुआ?' लोगों ने कहा: इसने पैदल चलने की नज़र मानी है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला को कोई ज़रूरत नहीं कि ये अपने आपको अज़ाब में डाले। इसे कहो सवार हो जाये।' तो मुख़ातब ने उसे सवार होने को कहा।

(3884) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ " مَا شَأْنُ هَذَا " . فَقِيلَ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا " . فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

(3885) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गुज़र ऐसे शख़्स पर से हुआ जिसे उसके दो बेटे पकड़ कर सहारे से चला रहे थे। आपने फ़रमाया: 'इसे क्या हुआ?' कहा गया: इसने काबा तक पैदल चलने की नज़र मानी है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला को कोई फ़ायदा नहीं कि ये अपने आपको अज़ाब में डाले।' चुनांचे आपने उसे सवार होने का हुक्म दिया।

(3885) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1537, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'हुक्म दिया' क्योंकि वह चलने से आजिज़ था। जो चल सके, वह चले, आजिज़ हो जाये तो सवार हो जाये और कफ़्फ़ारा दे।

बाब : (43)
क़सम में इन्शाअल्लाह कहना

باب : (٤٣)
الاِسْتِثْنَاءِ

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .

(3886) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिसने क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कहा, वह क़सम पूरी करने से मुस्तस्ना हो गया।'

(3886) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 1532, व इब्ने माजा, हदीसः 2104, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीसः 1885.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ " قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ " .

(3887) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरफ़ूअन रिवायत है कि हज़रत सुलैमान (عليه السلام) ने फ़रमायाः मैं रात को नव्वे बीवियों के पास ज़रूर जाऊँगा। उनमें से हर एक औरत ऐसा लड़का जनेगी जो अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करेगा। आपसे कहा गयाः इन्शाअल्लाह कहें लेकिन उन्होंने न कहा, चुनांचे आप उन सबके पास गये लेकिन सिर्फ़ एक औरत ने बच्चा जना, वह भी नाक़िस। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अगर वह इन्शाअल्लाह कह देते तो उनकी क़सम न टूटती और उनकी दिली मुराद बर आती (पूरी होती)।'

(3887) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 5242, मुस्लिम, हदीसः 1654/24.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीसः 3824 और 3862.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الأذان

मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (44)
शुरूत की तीसरी क़िस्म : बटाई पर ज़मीन देना और उसकी दस्तावेज़ात

باب: (۴۴)
الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ

वज़ाहत : इमाम नसाई (رحمه الله) ने क़सम और नज़र को शुरूत में दाख़िल किया है क्योंकि उ़मूमन इनमें कोई न कोई शर्त होती है। बटाई पर ज़मीन देने में भी शर्तें लगाई जाती हैं, इसलिये बटाई को भी शुरूत में दाख़िल किया है और क़सम व नज़र के ज़िक्र के बाद तीसरे नम्बर पर उसे ज़िक्र किया है। चूंकि शुरूत की बिना पर मामला तवील और पैचीदा हो जाता है, इसलिए ऐसे मामलात की दस्तावेज़ात के नमूने भी पेश फ़रमा दिये हैं। जज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा!

बटाई पर ज़मीन देना मुख़्तलफ़ फ़ीह मसला है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये जायज़ है बशर्ते कि उसमें कोई ज़ालिमाना शर्त न लगाई जाये, ख़ुसूसन ऐसी शर्त जिससे मुजारिअ़ को नुक़सान हो क्योंकि उ़मूमन वह ग़रीब होता है और ख़तरा होता है कि उस बेचारे की साल भर की मेहनत ज़ाया न चली जाये। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) बटाई को दुरुस्त नहीं समझते। शायद इसलिये कि इसमें आ़मिल की उजरत मज्हूल होती है और अलग नहीं होगी। हालांकि मुज़ारबत (कि एक शख़्स की रक़म से दूसरा शख़्स तिजारत करे और मुनाफ़ा दोनों तक़सीम कर लें) में भी यही कुछ होता है और मुज़ारबत सब के नज़दीक जायज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से बटाई पर ज़मीन देना क़तअ़न स़ाबित है। जो चीज़ आ़म राइज हो और उसमें उ़मूमन लोगों का नफ़ा हो, तनाज़आ़त क़ाइम न होते हों, शरीयत ने उनको जायज़ रखा। अगरचे उनमें थोड़ी बहुत कोई ख़राबी भी हो क्योंकि मक़सद तो अ़वामुन्नास की भलाई है। ऐसे मसाइल में मुसामहत से काम लिया जाता है, जैसे: बिल्ली के झूठे का इस्तेमाल, कुत्ते का शिकार वग़ैरह। हाँ, अगर किसी रिवाज से ज़ुल्म राह पाता हो या मुआ़शरे में मफ़ासिद (फसाद) पैदा होते हों तो उसे ममनूअ़ क़रार दिया जा सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

(3888) हज़रत अबू सईद (ﷺ) ने फ़रमाया: जब तू किसी मज़दूर से मज़दूरी कराना चाहे (किसी शख़्स को नौकर और मुलाज़िम रखे) तो उसे उसकी उजरत साफ़ बता दे।

(3888) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 181, तोहफतुल अशराफ़: 3/326.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ، حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ.

(3889) हज़रत हसन बसरी से मरवी है, उन्होंने नापसन्द फ़रमाया कि किसी शख़्स को उसकी उजरत और मज़दूरी बताये बग़ैर मज़दूर रखा जाये।

(3889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ لاَ حَتَّى تُعْلِمَهُ.

(3890) हज़रत हम्माद बिन अबी सुलैमान से पूछा गया: क्या किसी को नौकर रखा जा सकता है इस शर्त पर कि उसे खाना मिलेगा? फ़रमाया: नहीं मगर ये कि उसे बतला दिया जाये।

(3890) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 5/230

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا.

(3891) हज़रत हम्माद और हज़रत क़तादा से मन्क़ूल है कि एक शख़्स दूसरे से कहे कि मैं तुझ से मक्का तक के लिये सवारी इतने किराये पर लेता हूँ, अगर पूरा महीना या इतनी मुद्दत (जिसकी वह सराहत करे) सफ़र में रहा तो तुझे इतने रूपये मज़ीद दूँगा। तो इन दोनों बुज़ुर्गों ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा। अलबत्ता उन्होंने इस बात को नापसन्द किया है कि वह कहे: मैं तुझ से ये सवारी इतने किराया पर लेता हूँ और अगर मैं एक माह से ज़्यादा सफ़र में रहा तो तुझे इतना किराया कम दूँगा।

(3891) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि सवारी तेज़ चली और वक़्त कम लगा तो मैं तुझे ज़्यादा रक़म दूँगा और अगर सवारी तेज़ न चली और वक़्त ज़यादा लगा तो मैं तुझे कम किराया दूँगा। पहली सूरत इसलिये जायज़ है कि इसमें इनाम देने की सूरत है। और ज़ाहिर है इनाम देना तो जायज़ है। दूसरी सूरत इसलिये मना है कि इसमें सवारी व उस पर जुल्म है। एक तो वक़्त ज़्यादा लगा और दूसरा किराया भी कम। और ज़ुल्म जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ إِنَّكَ لاَ تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى.

(3892) हज़रत इब्ने जुरैज ने कहा: मैंने हज़रत अ़ता से पूछा: मैं एक ग़ुलाम को एक साल के लिये सिर्फ़ ख़ुराक की शर्त पर और एक साल के लिये इतनी (मुअ़य्यन) रक़म पर नौकर रखता हूँ (क्या ये जायज़ है?) उन्होंने फ़रमाया: कोई हर्ज नहीं, और नौकर रखते वक़्त जो तू शर्त लगा ले, वह दुरुस्त है। (मैंने कहा:) अगर मैं उसे नौकर रखूं जबकि साल का कुछ हिस्सा गुज़र चुका हो? वह फ़रमाने लगे: तो गुज़िश्ता दिनों का हिसाब नहीं करेगा।

(3892) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायात ज़िक्र करने का मक़सद ये है कि नौकर की उजरत मालूम और मुअ़य्यन होनी चाहिए या तो नक़द, यानी रूपये पैसे की सूरत में, या ख़ूराक वग़ैरह की सूरत में, और कोई ऐसी शर्त न लगाई जाये जो नौकर के लिये नुक़सानदेह हो। मुज़ारआत, यानी बटाई में भी यही सूरत है कि अगर मुजारिअ़ की उजरत मुअ़य्यन हो जाये, जैसे: तुझे पैदावार का निस्फ़ या तिहाई वग़ैरह मिलेगा और कोई ऐसी शर्त न लगाई जाये जो मुजारिअ़ के लिये नुक़सानदेह हो तो मुज़ारआत (बटाई) दुरुस्त होगी। हाँ अगर उजरत वाज़ेह न हो या मुजारिअ़ को नुक़सान पहुँचाया जाये तो ये ज़ुल्म होगा। याद रहे पैदावार के निस्फ़ या तिहाई वग़ैरह को मज्हूल उजरत न समझा जाये। इस तरह तो ख़ूराक वाली उजरत भी मज्हूल होगी क्योंकि किसी की ख़ूराक कम होती है किसी की ज़्यादा। एक ही शख़्स कभी कम खाता है कभी ज़्यादा। इसके बावजूद ये सब के नज़दीक जायज़ है।

बाब : (45) तिहाई या चौथाई पैदावार की शर्त पर ज़मीन बटाई पर देने से मुमानिअत की मुख़्तलिफ़ रिवायात और इस रिवायत के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र

باب(٤٥): ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى قَوْمِهِ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ. قَالُوا مَا هِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا نُكْرِيهَا بِشَىْءٍ مِنَ الْحَبِّ. قَالَ " لاَ ". قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ " لاَ ". وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي قَالَ " لاَ ازْرَعْهَا أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ ". خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ.

(3893) हज़रत उसैद बिन ज़ुहैर (ﷺ) से रिवायत है कि मैं अपनी क़ौम बनू हारिसा की तरफ़ गया और उन्हें कहा: ऐ बनू हारिसा! तुम पर एक नई मुसीबत नाज़िल हो गई है। वह कहने लगे: वह क्या? मैंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से रोक दिया है। हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर दे सकते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: हम मुअय्यन तोड़ी के ऐवज़ ज़मीन किराया पर देते थे? आपने फ़रमाया: 'नहीं' (मैंने अर्ज़ की:) हम पानी वाले नालों के क़रीब उगने वाली फ़सल के ऐवज़ ज़मीन बटाई पर देते थे? आपने फ़रमाया: 'नहीं। खुद काश्त करो या अपने (दीनी) भाई को बतौर अतिया (कुछ मुद्दत के लिये) दे दो।'

हज़रत मुजाहिद ने हज़रत राफ़ेअ बिन उसैद की मुख़ालिफ़त की है।

(3893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी फिल्कबीरः 1/210, हदीसः 571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4589.

फ़वाइद व मसाइल : (1) राफ़ेअ बिन उसैद ने उसैद बिन ज़ुहैर का वाक़िया बनाया है जबकि मुजाहिद ने इसे उसैद बिन ज़ुहैर के वास्ते से राफ़ेअ बिन ख़दीज से बयान किया है, यानी उन्होंने राफ़ेअ बिन ख़दीज का वाक़िया बनाया है। **(2)** ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर रिवायात की रोशनी में मसले की वज़ाहत कुछ इस तरह है कि मालिक अपनी ज़मीन जैसे चाहे, बटाई या ठेके पर दे सकता

है। शरीयत के उसूल इसी बात की ताईद करते हैं मगर चन्द शराइत हैं कि मुज़ारिअ पर ज़ुल्म न हो और मुआशरे में ख़राबी पैदा न होती हो। नबी (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी के वक़्त मदीना मुनव्वरा के लोग ज़ालिमाना शराइत पर मुज़ारअत (खेती-बाड़ी) करते थे, जैसे: अच्छी ज़मीन की पैदावार अपने लिये और नाक़िस ज़मीन की पैदावार मुज़ारिअ के लिये। या इससे मुअय्यन फ़सल (गन्दूम या जौ वग़ैरह की मुअय्यन मिक़्दार) वसूल कर लेते थे, उसे कुछ बचे या न बचे। ज़ाहिर है इस तरीक़े से मुज़ारअत ज़ुल्म है, लिहाज़ा आपने ऐसी मुज़ारअत से मना फ़रमाया है। या बड़े जागीरदारों को मना फ़रमाया जिनके पास फ़ालतू ज़मीनें थीं यहाँ तक कि वह उन्हें आबाद नहीं कर सकते थे। आपने उन्हें रग़बत दिलाई कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें अपने मुसलमान ग़रीब भाईयों को एक दो साल के लिये दे दिया करो कि वह उनसे पैदावार हासिल कर लें और अपना गुज़ारा कर लें। तुम्हारा गुज़ारा तो बख़ूबी हो रहा है। गोया ये वक़्ती पाबन्दी थी जिसका हुकूमत को इख़्तियार होता है, और ये सब के लिये नहीं थी बल्कि सिर्फ़ बड़े बड़े जागीरदारों के लिये थी। ख़ुसूसन जबकि उस दौर में मदीना मुनव्वरा में ग़रीब मुहाजिरीन बकस्रत थे। अब भी अगर हुकूमत ज़रूरत महसूस करे तो बड़े जागीरदारों पर पाबन्दी लगा सकती है कि वह इतनी ज़मीन अपने पास रखें जिसे वह ख़ुद ब ख़ूबी काश्त कर सकें। बाक़ी ज़मीन ग़रीब मुज़ारिईन में तक़्सीम कर दें या हुकूमत ख़ुद ये काम करे ख़ुसूसन जबकि ये जागीरें भी हुकूमते वक़्त की ख़ूशामद और नाजायज़ हिमायत करके हासिल की गई हों। अगर एक हुकूमत किसी को जागीर दे सकती है तो बाद में आने वाली हुकूमत उन जागीरदारों को अवामुन्नास के मफ़ाद में ख़त्म भी कर सकती है और महदूद भी। हज़रत उमर (ﷺ) जो कि सही मआनी में एक मुज्तहिद ख़लीफ़ा थे, से ऐसी मिसालें मिलती हैं। और जहाँ ऐसे मफ़ासिद न हों, वहाँ बटाई या ठेके पर ज़मीन देना सही है। ख़ैबर का इलाक़ा जो आपके क़ब्ज़े में आ गया था, यहूदियों को बटाई पर दिया गया। ज़मीनदार सहाबा व ताबेईन अपनी ज़मीनें बटाई वग़ैरह पर देते थे, लिहाज़ा ये अमल सही है। बहर हाल आपका मना फ़रमाना या तो ज़मीनदारों की ज़ालिमाना शराइत लगाने की बिना पर था या इन्तेज़ामी तौर पर वक़्ती हुक्म या मसलिहते आम्मा या फ़ुक़रा की मवाख़ात के पेशे नज़र था। ये इन्तेहाई मुनासिब तत्बीक़ है जिससे सब रिवायात पर अमल मुमकिन है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ،

(3894) हज़रत उसैद बिन ज़ुहैर (ﷺ) बयान करते हैं कि हमारे पास हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) आये और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें तिहाई या चौथाई पर ज़मीन बतौर बटाई देने से रोक दिया है। इसी तरह आपने मुज़ाबना से भी रोक दिया है। और मुज़ाबना ये है कि दरख़्त के

قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ - وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ.

ऊपर लगे हुए फल को ख़ुश्क खजूरों की मुअय्यन मिक़्दार के ऐवज़ ख़रीदा या बेचा जाये।

(3894) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 3398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4590.

फ़ायदा : मुज़ाबना से मना फ़रमाने की वजह ये है कि इसमें किसी एक फ़रीक़ को नुक़सान का एहतिमाल है। न मालूम दरख़्त पर मौजूद फल ख़ुश्क मुअय्यन फ़ल के बराबर हो या न। इस एहतिमाल की बिना पर इससे मना फ़रमा दिया गया ताकि किसी पर ज़ुल्म न हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ". وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ.

(3895) हज़रत उसैद बिन ज़ुहैर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और कहा: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद था। और रसूलुल्लाह(ﷺ) की इताअत ही तुम्हारे लिये बेहतर है। आप (ﷺ) ने तुम्हें मुज़ारअत (बटाई) से रोक दिया है और आपने फ़रमाया है: 'जिस शख़्स के पास फ़ालतू ज़मीन है, वह किसी को बतौर अतिया दे दे या उसे ऐसे ही रहने दे।' इसी तरह आपने मुज़ाबना से भी मना फ़रमा दिया है। और मुज़ाबना ये है कि एक आदमी के पास बहुत से खजूर के दरख़्त हों। कोई दूसरा शख़्स आये और दरख़्तों पर लगी हुई खजूरों को मुअय्यन ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ ख़रीदे।

(3895) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4591.

फ़ायदा : अलबत्ता मुज़ाबना की ये सूरत ग़रीब लोगों के लिये थोड़ी मिक़्दार में (पन्द्रह बीस मन तक) खाने पीने के लिये जायज़ है क्योंकि ये उनकी मजबूरी है और शरीयत मजबूरियों का लिहाज़ रखती है। लेकिन तिजारती बुनियाद पर कसीर मिक़्दार में जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ - وَلَمْ أَفْهَمْ - فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ - فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ.

(3896) हज़रत उसैद बिन ज़ुहैर (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत राफ़ेअ बिन खदीज (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और कहा .... लेकिन मैं (मुमानिअत की वजह) नहीं समझ सका .... रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें ऐसे काम से मना फ़रमाया दिया है जो तुम्हारे लिये मुफ़ीद था। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत इस मुफ़ीद काम से तुम्हारे लिये बदर्जा बेहतर है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तुम्हें हक़्ल से रोक दिया है। और हक़्ल से मुराद ज़मीन को तिहाई या चौथाई हिस्से के ऐवज़ बटाई पर देना है, लिहाज़ा जिस शख़्स के पास फ़ालतू ज़मीन है, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं तो वह अपने किसी (मुसलमान ग़रीब) भाई को दे दे या फिर छोड़ दे। इसी तरह आपने मुज़ाबना से भी मना फ़रमाया है। और मुज़ाबना ये है कि एक शख़्स खजूर के बहुत से दरख़्तों के पास बहुत सी ख़ुश्क खजूरें लेकर आये और कहे: ये इतने इतने (यानी मुअय्यन वस्क़ खजूरों के ऐवज़ ले ले।

(3896) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4592.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(3897) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें (यानी बड़े ज़मीनदार अन्सार को) एक ऐसे काम से रोक दिया है जो हमारे लिये फ़ायदामन्द था मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत हमारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर मुफ़ीद है। आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद

وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَنَا قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ". خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ.

काश्त करे, अगर वह ख़ुद काश्त न कर सके तो अपने किसी मुसलमान भाई को (बिला ऐवज़) काश्त के लिये (वक़्ती तौर पर) दे दे।'

अ़ब्दुल करीम बिन मालिक ने सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान की मुख़ालिफ़त की है।

(3897) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3894, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4593.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों हदीसों की सनदों में कोई इख़्तिलाफ़ नज़र नहीं आता क्योंकि इस रिवायत में भी इब्ने अबी राफ़ेअ़, राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से बयान कर रहा है और आइन्दा हदीस में भी। तोहफ़तुल अशराफ़ में इस हदीस की सनद इस तरह है: उसैद बिन (अख़ी) राफ़ेअ़ बिन ख़दीज, क़ाल: क़ाल राफ़ेअ़ बिन ख़दीज यानी दरम्यान में 'अख़ी' के लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा है। और यही बात सही है। इमाम नसाई (رحمه الله) का तब्सरा: ख़ालफ़हू अ़ब्दुल करीम बिन मालिक भी इसी सूरत में सही बनता है, वरना मुख़ालिफ़त नज़र नहीं आती। इस सूरत में गोया सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान बवास्त-ए-मुजाहिद, राफ़ेअ़ बिन ख़दीज के भतीजे उसैद से बयान करते हैं और वह राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से। जबकि अ़ब्दुल करीम बिन मालिक, राफ़ेअ़ बिन ख़दीज के भतीजे से नहीं बल्कि बेटे से बयान करते हैं और वह अपने बाप राफ़ेअ़ से। बहरहाल सही बात ये है कि राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से उनका बेटा ही बयान करता है भतीजा नहीं क्योंकि अ़ब्दुल करीम बिन मालिक ज़्यादा सिक़ा और अस्बत हैं। वल्लाहु आलम! **(2)** 'दे दे' यानी अगर उसके पास फ़ालतू है वरना अगर वह ख़ुद ग़रीब है और किसी उ़ज़्र की बिना पर काश्त नहीं कर सकता (जैसे वह बीमार है या बेवा या यतीम है वग़ैरह) तो बिला रैब (शक) बटाई पर काश्त के लिये दे सकता है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَأَبَى طَاوُسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

(3898) हज़रत मुजाहिद (رحمه الله) से रिवायत है कि मैंने हज़रत ताऊस का हाथ पकड़ा और उन्हें हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) के किसी बेटे के पास ला खड़ा किया तो उसने उन्हें अपने वालिद के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन बटाई पर देने से मना किया है। लेकिन हज़रत ताऊस ने तस्लीम न किया। वह फ़रमाने लगे: मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से ख़ुद सुना है, वह इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे।

عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلاً.

ये रिवायतअबू अ़वाना ने अबू हुसैन से, उन्होंने मुजाहिद से और मुजाहिद ने अबू राफ़ेअ़ से मुर्सल बयान की है।

(3898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1550, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4594.

फ़ायदा : गोया रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत राफ़ेअ़ को मना फ़रमाना उन जैसे बड़े ज़मीनदारों या ज़ालिमाना शराइत पर ज़मीन बटाई पर देने वालों के साथ ख़ास था, आम न था, वरना सहाब-ए किराम (رضي الله عنهم) आपकी वफ़ात के बाद ज़मीन बटाई पर न देते। और ये सही इस्तेदलाल है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ.

(3899) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक ऐसे काम से मना फ़रमा दिया जो हमारे लिये मुफ़ीद था। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान सर और आँखों पर (ब सरो चश्म तस्लीम किया है।) आपने हमें मना फ़रमाया कि हम ज़मीन को उसकी कुछ पैदावार के ऐवज़ किराये पर दें।

इब्राहीम बिन मुहाजिर ने (अबू हुसैन की) मुताबिअ़त की है (इसी तरह हकम और अ़ब्दुल मलिक ने भी)

(3899) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4595, देखें, हदीस़: 3897.

फ़ायदा : इब्राहीम बिन मुहाजिर की ये मुताबिअ़त मुर्सल बयान करने में है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ

(3900) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) एक अन्सारी आदमी की ज़मीन के पास से गुज़रे। आप जानते थे कि वह शख़्स मोहताज है। आपने फ़रमाया: 'ये ज़मीन किसी की है?' उसने कहा: फ़ुलां की है। उसने मुझे किराये (बटाई या ठेके) पर दी है। आप ने फ़रमाया: 'अगर वह अपने इस (ग़रीब)

عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ " لِمَنْ هَذِهِ الأَرْضُ ". قَالَ لِفُلاَنٍ أَعْطَانِيهَا بِالأَجْرِ. فَقَالَ " لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ ". فَأَتَى رَافِعٌ الأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ.

भाई को (वक़्ती तौर पर अतिये के तौर पर) दे देता (तो क्या ही ख़ूब होता) तो हज़रत राफ़ेअ अन्सार के पास आये और कहने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया है जो तुम्हारे लिये मुफ़ीद था लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत तुम्हारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर मुफ़ीद है।

(3900) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4596.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ.

(3901) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ारअत से मना फ़रमाया है।

(3901) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4597.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا ".

(3902) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और हमें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया जो हमारे लिये नफ़ा मन्द था। आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या किसी भाई को बतौर अतिया (काश्त के लिये) दे दे, या फिर पड़ी रहने दे।'

(3902) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4598.

फ़ायदा : 'पड़ी रहने दे' या इज़्हारे नाराज़ी है न कि इख़्तियार व इजाज़त।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ

(3903) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़

الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَنَا قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا ". وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ

लाये और हमें ऐसे काम से मना फ़रमाया जो हमारे लिये मुफ़ीद था। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) का फरमान ही हमारे लिये सब से बढ़ कर बेहतर है। आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या पड़ी रहने दे या किसी भाई को बतौर वक़्ती अतिया के दे दे।'

(3903) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4599.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ. فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَالَ " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا ". وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ

ये हदीस (3904) दलालत करती है कि ताऊस ने ये हदीस हज़रत राफ़ेअ से नहीं सुनी।

(3904) हज़रत अम्र बिन दीनार बयान करते हैं कि हज़रत ताऊस अपनी ज़मीन सोने चाँदी (यानी रक़म) के ऐवज़ ठेके पर देना नापसन्द करते थे लेकिन तिहाई या चौथाई पैदावार के ऐवज़ बटाई पर देना जायज़ समझते थे। हज़रत मुजाहिद ने उनसे कहा: हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضی اللہ عنہ) के बेटे के यहाँ जाइये और उनसे उनकी हदीस सुनिये। उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! अगर मुझे इल्म होता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है तो मैं हरगिज़ ये काम न करता लेकिन मुझे उनसे बड़े आलिम हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तो सिर्फ़ ये फ़रमाया था: 'तुममें से कोई शख़्स अपने (मुसलमान) भाई को अपनी (फ़ालतू) ज़मीन बतौर अतिया के दे दे तो ये उसके लिये बेहतर है, बजाये इस बात के कि वह उससे मुक़र्ररा पैदावार वसूल कर ले।'

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ.

इस हदीस़ में अ़ता पर इख़्तिलाफ़ किया गया है (अ़ता के शागिर्दों ने इस पर इख़्तिलाफ़ किया है और वह इस तरह कि) अ़ब्दुल मलिक बिन मैसरा ने (जब बयान किया तो) कहा: अ़न अ़ता, अ़न राफ़ेअ़. इसका ज़िक्र हम साबिक़ा हदीस़ में कर आये हैं। और अ़ब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान ने (जब बयान किया तो) कहा: अ़न अ़ता, अ़न जाबिर.

(3904) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1550, बुख़ारी:2330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4600.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत ताऊस मुक़र्ररा रक़म के ठेके को शायद, इसलिये नापसन्द फ़रमाते होंगे कि इसमें मुज़ारिअ़ के नुक़स़ान का एहतिमाल है। मालिक ज़मीन ने तो मुक़र्ररा रक़म वसूल कर ली। ज़मीन में इतनी फ़सल हो या न हो। अलबत्ता बटाई में एक फ़रीक़ के नुक़स़ान का ख़तरा नहीं। नुक़स़ान होगा तो दोनों का, नफ़ा होगा तो दोनों का। और ये हक़ीक़त है कि मुज़ारिअ़ के लिये बटाई ठेके से बेहतर है, अलबत्ता ठेके भी मजबूरी की बिना पर जायज़ है। ठेका दरअस़ल ज़मीन का किराया है। जब दूसरी चीज़ों का किराया जायज़ है तो ज़मीन का किराया भी जायज़ है, और बटाई में तनाज़अ़ (विवाद) का इम्कान है। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी भी हो सकती है, जबकि ठेका की स़ूरत में तनाज़अ़ और बदगुमानी का ख़तरा नहीं रहता। **(2)** 'मुक़र्ररा पैदावार' यानी निस़्फ़ या तिहाई या चौथाई वग़ैरह, न कि वज़न के लिहाज़ से मुअय्यन क्योंकि ये तो क़तअ़न जायज़ नहीं। **(3)** हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के ख़्याल के मुताबिक़ ये आपने बतौर हमदर्दी नस़ीहत फ़रमाई है न कि शरई क़ानून बयान फ़रमाया है। और ये स़ही बात है।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ ".

(3905) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे। अगर वह ख़ुद काश्त न कर सकता हो तो अपने मुसलमान भाई को बतौर वक़्ती अ़तिया के दे दे। बटाई ठेके पर न दे।'

(3905) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1536/91, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4601.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ.

(3906) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने किसी भाई को वक़्ती तौर पर बतौर अ़तिया दे दे लेकिन उसे किराया (बटाई या ठेके) पर न दे।'

इस हदीस़ को (अन अ़ता अन जाबिर से) बयान करने में अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़म्र औज़ाई ने अ़ब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान की मुताबिअ़त की है।

(3906) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4602.

फ़ायदा : 'वक़्ती अ़तिया' यानी एक दो साल के लिये उसे दे दे ताकि वह पैदावार हासिल कर ले। ज़मीन अस़ल मालिक ही की रहेगी। मुक़र्ररा मुद्दत गुज़रने पर मालिक उसे वापस ले लेगा।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ لأُنَاسٍ فُضُولُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ". وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ.

(3907) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि कुछ लोगों के पास फ़ालतू ज़मीनें थीं। वह उन्हें निस़्फ़ या तिहाई या चौथाई पैदावार के ऐवज़ बटाई पर देते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के पास फ़ालतू ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या किसी इस्लामी भाई को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे या फिर संभाले रखे।'

मतर बिन तहमान ने इस (औज़ाई) की मुवाफ़िक़त की है। (मतर ने भी अपनी रिवायत में अ़न अ़ता अ़न जाबिर कहा है, न कि अ़न इब्ने अ़ब्बास)

(3907) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2340, मुस्लिम, हदीस़: 1536/89, क़ब्ल, हदीस़: 1544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4604.

(3908) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और कहा: 'जिस शख़्स के पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या किसी को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे। उसे किराया पर न दे।'

(3908) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1536/88, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4604.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ - وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ - هُوَ الْفَاخُورِيُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلاَ يُؤَاجِرْهَا " .

(3909) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरफ़ूअन रिवायत है कि (रसूलुल्लाह (ﷺ) ने) ज़मीन को किराया पर देने से मना फ़रमाया है।

ज़मीन किराये या ठेके पर देने की मुमानिअत के मसले में अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज ने मतर बिन तहमान की मुवाफ़िक़त की है। वल्लाहु आलम!

(3909) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1536/87, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4605.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، . وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، .

फ़ायदा : किराया की दो सूरतें हैं: मुक़र्ररा रक़म, या पैदावार में से मुक़र्रर हिस्सा, जैसे: निस्फ़, तिहाई या चौथाई वग़ैरह। पहली सूरत को उर्फ़े आम में ठेका और दूसरी सूरत को बटाई कहते हैं। मना का मफ़हूम शुरू में बयान हो चुका है।

(3910) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना, मुहाक़ला और कच्चे फलों की बैअ से मना फ़रमाया है मगर अराया की बैअ हो सकती है।

यूनुस बिन उबैद ने इब्ने जुरैज की मुताबिअत की है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا. تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ.

(3910) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2381, मुस्लिम, हदीस: 1536/81, 82, बाद, हदीस: 1543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4606.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुख़ाबरा बटाई पर ज़मीन देने को कहा जाता है। मना की तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है। **(2)** मुज़ाबना दरख़्त पर लगे हुए फल की बैअ मुअय्यन मिक़्दार में ख़ुश्क फल के ऐवज़ करना और मुहाक़ला, खेत में उगी हुई फ़सल की बैअ मुअय्यन मिक़्दार में ख़ुश्क ग़ल्ले के ऐवज़ करना। (इन दो की मुमानिअत की वजह देखिये, फ़ायदा हदीस: 3894 में) **(3)** कच्चे फल की बैअ इसलिये मना है कि उसके पकने तक कई आफ़ात नाज़िल हो सकती हैं। बाद में झगड़े का एहतिमाल है, और इसमें ख़रीदार को नुक़सान का क़वी एहतिमाल है जबकि बेचने वाला अपनी रक़म ले चुका। हो सकता है फल ज़ाया हो जाये। ख़रीदार रक़म कहाँ से और क्यों देगा? **(4)** अराया, अरिया की जमा है। ये मुज़ाबना से इस्तिस्ना है। अरिया से मुराद वह दरख़्त है जो कोई बाग़ वाला किसी ग़रीब आदमी को बतौर तोहफ़ा दे देता है कि इस साल इस दरख़्त का फल तू इस्तेमाल कर। दरख़्त असल मालिक ही का रहता है, जबकि फल की देख भाल और निगेहदाश्त वग़ैरह के लिये उस ग़रीब शख़्स को बाग़ में आना जाना पड़ेगा। मुमकिन है उसके आने जाने से बाग़ वाले को तकलीफ़ हो या वह ग़रीब शख़्स इतनी देर तक फल के पकने का इन्तेज़ार न कर सकता हो, लिहाज़ा शरीयत ने फ़रीक़ैन की मजबूरी को मद्दे नज़र रखते हुए इजाज़त दी है कि वह इस दरख़्त पर मौजूद फल की बैअ ख़ुश्क मुअय्यन फल के साथ कर लें। उस ग़रीब शख़्स को ख़ुश्क फल मिल जायेगा। दरख़्त फल समेत बाग़ वाले को वापस चला जायेगा। ये भी मुज़ाबना ही है मगर ग़रीब शख़्स के लिये थोड़ी मिक़्दार में (तक़रीबन बीस मन तक) उसकी ख़ुसूसी इजाज़त दी गई है।

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ. وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ

(3911) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और मज्हूल इस्तिस्ना करने से मना फ़रमाया है, हाँ इस्तिस्ना मालूम हो तो किया जा सकता है।

हम्माम बिन यहया की रिवायत गोया दलील की तरह है इस पर कि अता ने हज़रत जाबिर (ﷺ) की नबी (ﷺ) से बयानकर्दा ये हदीस नहीं सुनी: 'जिस की ज़मीन हो उसे चाहिए कि वह ख़ुद उसे काश्त करे।'

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ".

(3911) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4607.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लेकिन इमाम साहिब का ये तब्सरा महल्ले नज़र है क्योंकि सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। इसमें भी अता जाबिर (ﷺ) से रिवायत करते हैं। जो सय्यदना जाबिर (ﷺ) से उनके सिमाअ की सरीह दलील है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2340, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1536, बअद हदीस: 1543) **(2)** 'मज्हूल इस्तिस्ना' जैसे: कोई शख़्स बाग़ का फल फ़रोख़्त करते वक़्त कहे कि उसमें से दस पौधों का फल मैं लूँगा। मगर पौधे मुअय्यन न करे। इस क़िस्म का मज्हूल इस्तिस्ना बाद में झगड़े का सबब बनता है, इसलिये मना है, और ख़रीदार पर ज़ुल्म का भी ख़तरा है कि बाग़ का मालिक बेहतरीन पौधे अपने लिये ख़ास कर ले, अलबत्ता अगर पौधे शुरू ही में मुतअय्यन कर दिये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं क्योंकि सौदा वाज़ेह है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ ". وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

(3912) हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने किसी भाई को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे लेकिन उसे किराये पर न दे।'

मुहाक़ला से मुमानिअत (की हदीस) यज़ीद बिन नुऐम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत की है।

(3912) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1536/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4608.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَقْلِ. وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ. خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ.

(3913) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हक़्ल से मना फ़रमाया है और इससे मुराद मुज़ाबना है।

हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह ने मुआविया बिन सलाम की मुख़ालिफ़त की है।

(3913) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1536/103, बाद हदीस: 1544, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुआविया बिन सलाम, यहया बिन अबी कसीर और हज़रत जाबिर(ﷺ) के दरम्यान यज़ीद बिन नुऐम का वास्ता ज़िक्र करते हैं और हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह अबू सलमा का वास्ता बयान करते हैं। लेकिन ये इख़्तिलाफ़ मुज़िर्र (नुक्सानदेह) नहीं। सहीह मुस्लिम में ये हदीस इन दोनों तुरुक़ से मरवी है। हक़्ल के ये मआनी मारूफ़ नहीं। पीछे (हदीस: 3894, 3895 में) गुज़र चुका है कि हक़्ल से मुराद ज़मीन में बटाई पर देना है। अलबत्ता हक़्ल को मुहाक़ला के मआनी में लें तो ये मआनी बन सकते हैं क्योंकि मुहाक़ला और मुज़ाबना एक ही चीज़ हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि मुहाक़ला खेती में होता है और मुज़ाबना फलों में। वैसे दोनों मना हैं।

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ " الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ ". خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(3914) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुज़ाबना और मुख़ाज़रा से मना फ़रमाया है। और मुख़ाज़रा ये है कि फल पकने से क़ब्ल उसकी बैअ की जाये। और मुख़ाबरा ये है कि दरख़्त पर लगे अंगूरों की बैअ मुक़र्ररा वज़न के मुनक़्क़ा (ख़ुश्क अंगूरों) से की जाये।

अम्र बिन अबू सलमा ने यहया बिन अबू कसीर की मुख़ालिफ़त की है कि उन्होंने अन अबीह अन अबी हुरैरा कहा है (जबकि यहया ने अन अबी सलमा अन जाबिर कहा है।)

(3914) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4610.

फ़ायदा : मुख़ाज़रा और मुख़ाबरा की तफ़्सीर दुरुस्त नहीं बल्कि मुख़ाज़रा से मुराद कच्ची खेती का सौदा है और मुख़ाबरा से मुराद बटाई पर ज़मीन देना है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

(3915) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया।

मुहम्मद बिन अम्र लैसी ने यहया बिन अबू कसीर और अम्र बिन अबू सलमा की मुख़ालिफ़त की है। और इसे अबू सलमा के वास्ते से अबू सईद से रिवायत किया है।

وَالْمُزَابَنَةِ. خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

(3915) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4611.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3910.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. خَالَفَهُمُ الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَءِ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

(3916) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया।

अस्वद बिन अ़ला ने इन (तीनों, यानी मुहम्मद बिन अ़म्र, उ़मर बिन अबू सलमा और यहया बिन अबू कसीर) की मुख़ालिफ़त की है। और (उसने अपनी सनद में कहा है: अ़न अबी सलमा, अ़न राफ़ेअ़ इब्ने ख़दीज.

(3916) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4612.

वज़ाहत : मुहम्मद बिन अ़म्र, उ़मर बिन सलमा और यहया बिन अबू कसीर ने बित तर्तीब अबू सईद ख़ुदरी, अबू हुरैरह और जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) का नाम लिया है जबकि अस्वद बिन अ़ला ने इन मज़्कूरा के बजाये राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) कहा है।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

(3917) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया।

ये रिवायत क़ासिम बिन मुहम्मद ने भी हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से बयान की है।

(3917) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4613.

वज़ाहत : इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये बात अस्वद की बयानकर्दा रिवायत की ताईद में फ़रमाई है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرَّةً أُخْرَى.

(3918) उ़स्मान बिन मुर्रा ने कहा कि मैंने क़ासिम (बिन मुहम्मद) से मुज़ारअ़त (मुज़ारबत) के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) ने एक दूसरी बार यूँ फ़रमाया।

(3918) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4614, पिछली हदीस़ देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मर्रतन उख़रा के बारे में दो एहतिमाल हैं: एक ये कि ये इमाम नसाई(رحمه الله) के शागिर्द का क़ौल है और वह इमाम स़ाहिब (رحمه الله) के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने हमें दोबारा बयान किया। और दूसरा एहतिमाल ये है कि ये इमाम नसाई (رحمه الله) का अपना क़ौल है और वह अपने उस्ताद अ़म्र बिन अ़ली के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने हमें दोबारा बयान किया। सुनन अल कुब्रा के अल्फ़ाज़ दूसरे मफ़हूम पर दलालत करते हैं। इसकी इबारत है: (अख़बरना अ़म्र बिन अ़ली मर्रतन उख़रा) यहाँ तर्जुमा पहले मफ़हूम के मुताबिक़ किया गया है। दोनों मुमकिन हैं। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह, सुनन नसाई: 31/144) **(2)** रावियों का इख़्तिलाफ़ बयान किया जा रहा है। किसी ने किसी स़हाबी का नाम लिया, किसी ने किसी का। मुमकिन है सबसे रिवायत आती हो।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. وَاخْتُلِفَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيهِ

(3919) ह़ज़रत उ़स्मान बिन मुर्रा ने कहा कि मैंने ह़ज़रत क़ासिम से ज़मीन किराये पर देने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन को किराये (बटाई या ठेके) पर देने से मना फ़रमाया है।

इस हदीस़ में सईद बिन मुसय्यब पर इख़्तिलाफ़ किया गया है।

(3919) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4615.

वज़ाहत : 'इख़्तिलाफ़ किया गया है।' इसका मतलब ये है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब के शागिर्दों ने उन पर इख़्तिलाफ़ किया है। कोई कहता है कि सईद ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) का ज़िक्र किया है, कोई कहता है कि सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ का ज़िक्र किया है। कोई शागिर्द सईद की मुर्सल रिवायत बयान करता है कि सईद ने ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान की है, किसी स़हाबी का वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और किसी शागिर्द ने अ़न सईद बिन अल मुसय्यब अ़न राफ़ेअ़ बिन ख़दीज कहा है। ये सारी तफ़्सील इन मज़्कूरा अहादीस़ की इस्नाद देखने से वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है। अल्फ़ाज़ का इख़्तिलाफ़ वाज़ेह है। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلاَمًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ " مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ ". فَقَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ. فَقَالَ " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ ". قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ ". قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.

(3920) हज़रत अबू जाफर उ़मैर बिन यज़ीद ख़तमी से रिवायत है कि मेरे चचा ने मुझे और अपने एक ग़ुलाम को हज़रत सईद बिन मुसय्यब(رحمه الله) के पास बटाई के बारे में पूछने के लिये भेजा। तो वह फ़रमाने लगे कि हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक कि उनके पास हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) की हदीस़ पहुँची तो वह उनसे जाकर मिले। हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) बनू हारिस़ा के यहाँ तशरीफ़ लाये तो आपने एक खेत देखा। आपने फ़रमाया: 'ज़ुहैर की खेती किस क़द्र अच्छी है?' लोगों ने कहा: ये खेती ज़ुहैर की नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या ज़ुहैर की ज़मीन नहीं? लोगों ने कहा: ज़रूर ये ज़मीन उसी की है मगर उसने आगे किराये पर दे रखी है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी खेती लो और उसे उसका ख़र्चा वापस कर दो।' हज़रत राफ़ेअ़ ने फ़रमाया: हमने अपनी खेती (फ़स़ल) ले ली और मुज़ारिअ़ को उसका ख़र्चा और मेहनत वापस कर दी।

तारिक़ बिन अ़ब्दुर्रहमान ने इस रिवायत को सईद बिन

मुसय्यब से रिवायत किया है लेकिन रावियों ने इस हदीस़ में उन पर इख़्तिलाफ़ किया है।

(3920) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 3399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4616.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस मसले की तफ़्सीलात पीछे गुज़र चुकी हैं। (देखिये, हदीस़: 3893) (2) 'ख़र्चा वापस कर दो' गोया इस फ़ासिद अ़क़्द की बिना पर ये ऐसे हो गया जैसे किसी की ज़मीन बिला इजाज़त काश्त कर दी। और बिला इजाज़त काश्त का यही हुक्म है कि ज़मीन ज़मीन वाले की और बिला इजाज़त काश्त करने वाले को उसका ख़र्चा वापस किया जायेगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ". مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلاَمَ الأَوَّلَ وَجَعَلَ الأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ

(3921) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। हज़रत सईद ने फ़रमाया: काश्त कार तीन क़िस्म के होते हैं: एक तो वह जिसकी अपनी ज़मीन है और वह उसमें काश्त करता है। दूसरा वह शख़्स जिसे कुछ अ़र्शे के लिये ज़मीन काश्त के लिये (बतौर अ़तिया) दे दी जाती है और वह उसमें काश्त करता है। तीसरा वह जो ज़मीन सोने चाँदी के ऐवज़ किराये (ठेके) पर लेता है।

(इमाम नसाई (رحمه الله) ने फ़रमाया कि) इस्राईल ने इस रिवायत को तारिक़ से सुन कर जुदा किया, चुनांचे उसने पहले कलाम को मुर्सल किया और आख़री कलाम (इन्नमा यज़्रउ स़लास़ा .....) के मुताल्लिक़ कहा कि ये हज़रत सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) का क़ौल है, हदीसे रसूल नहीं।

(3921) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 3400, इब्ने माजा, हदीस़: 2449, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4617.

फ़ायदा : 'सोने चाँदी के ऐवज़' ठेके और बटाई में कोई फ़र्क़ नहीं। दोनों जायज़ हैं बल्कि बटाई ठेके के

मुक़ाबले में मुज़ारिअ के लिये ज़्यादा मुफ़ीद है। जिसमें मुज़ारिअ को सिर्फ़ काम करना पड़ता है, जबकि ठेके में रक़म भी पहले देनी पड़ती है और फ़सल पर ख़र्च भी करना पड़ता है। गोया ठेका अमीरों का काम है और बटाई ग़रीबों का। और शरीयत ग़रीबों की हामी है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ. رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ.

(3922) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला से मना फ़रमाया है। सईद ने कहा ...... और आगे इस (सईद) ने इसी (मज़्कूरा रिवायत) की तरह ज़िक्र किया (यानी इन्नमा यज़्रउ सलासा)

सुफ़ियान सौरी ने भी तारिक़ से ये हदीस रिवायत की है (जिस तरह कि इस्राईल ने तारिक़ से रिवायत की है)

(3922) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4618.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلاَمَ الأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ.

(3923) हज़रत तारिक़ से रिवायत है कि मैंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब को फ़रमाते सुना कि काश्तकारी तीन क़िस्म ही की हो सकती है: अपनी मम्लूका ज़मीन में काश्त की जाये। वक़्ती अतिये के तौर पर मिली हुई ज़मीन में काश्त की जाये या ख़ाली ज़मीन सोने चाँदी (यानी रूपये पैसे) के ऐवज़ ठेके पर लेकर काश्त की जाये।

ज़ोहरी ने कलामे अव्वल को सईद बिन मुसय्यब से रिवायत किया और उसने इसे मुर्सल बयान किया है।

(3923) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4619.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

(3924) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है।

मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन लबीबा ने इसे सईद बिन

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.

मुसय्यब से रिवायत किया और उन्होंने कहा कि ये सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से मरवी है।

(3924) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4620, 4621, देखें, हदीस: 3921.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ " أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ". وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ.

(3925) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में फ़ालतू ज़मीन रखने वाले अपनी ज़मीनें पानी के नालों के क़रीब उगने वाली फ़सल के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। फिर (बसा औक़ात) लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर होकर इसकी बाबत आपस में लड़ते झगड़ते, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इनको इस तरह बटाई पर देने से मना कर दिया और फ़रमाया: 'सोने चाँदी (रूपये पेसे) के ऐवज़ ठेके पर दिया करो।'

सुलैमान ने राफ़ेअ़ से ये हदीस बयान की तो कहा: अन रजुल मिन उमूमतिही (उनके चचाओं में से एक साहब से)

(3925) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 3391, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4622.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस में मज़्कूरा मसला सही है। मुहक़्क़िक़े किताब ने भी इसके शवाहिद का ज़िक्र किया है, और अबी दाऊद की हदीस: 3391 की तहक़ीक़ में लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम अबू दाऊद ही की हदीस: 3395 इससे किफ़ायत करती है। लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद शवाहिद की बिना पर सही है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'मना फ़रमा दिया' क्योंकि इस क़िस्म की बटाई से मुज़ारिअ़ को नुक़सान होता है। मेहनत वह करता मगर अच्छी अच्छी फ़सल मालिके ज़मीन ले जाता और उसको रद्दी फ़सल पर गुज़ारा करना पड़ता था, लिहाज़ा आपने इससे मना फ़रमा दिया। अलबत्ता अगर मुत्लक़न हिस्सा (जैसे: कुल पैदावार का निस्फ़ या तिहाई वग़ैरह) की बुनियाद पर बटाई हो तो न

झगड़ा पैदा होगा न मुज़ारिअ़ पर ज़ुल्म होगा, इसलिये बटाई की ये सूरत जायज़ है। ठेका भी जायज़ है।

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ. أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى.

(3926) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अपनी ज़मीनें पैदावार की तिहाई या चौथाई या मुक़र्ररा मिक़्दार में ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। एक दिन मेरे चचाओं में से कोई स़ाहब आये और कहने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ऐसे काम से रोक दिया है जो हमारे लिये बहुत मुफ़ीद था, जबकि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) की इताअ़त हमारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर मुफ़ीद है। आपने हमें ज़मीनें पैदावार के तिहाई या चौथाई हिस़्से या मुअ़य्यन ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर देने से मना फ़रमाया है। और आपने ज़मीन के मालिक को हुक्म दिया है कि वह ख़ुद काश्त करे या किसी (मुसलमान भाई) को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे। आपने बटाई ठेके वग़ैरह को सख़्त नापसन्द फ़रमाया है।

अय्यूब ने यअ़्ला बिन हकीम से ये हदीस़ नहीं सुनी।

(3926) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 1548/113, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4623, बुख़ारी, हदीस़: 3929.

फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) ने ये हदीस़ ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से नहीं सुनी बल्कि अपने किसी चचा के वास्ते से सुनी है। कभी चचा का ज़िक्र नहीं भी किया। मुमकिन है बाद में ख़ुद भी जाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ लिया हो। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ

(3927) अय्यूब बयान करते हैं कि यअ़्ला बिन हकीम ने मुझे लिखा कि मैंने सुलैमान बिन यसार से सुना, वह हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से हदीस़ बयान करते थे कि हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज(ﷺ) ने फ़रमाया: हम फ़ालतू ज़मीनें

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى. رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ.

पैदावार की तिहाई या चौथाई या मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे।

सईद ने ये रिवायत यअ्ला बिन हकीम से बयान की है।

(3927) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4624.

फ़ायदा : तिहाई या चौथाई के ऐवज़ बटाई पर ज़मीन देना तो जायज़ है, अलबत्ता मुअय्यन मिक़्दारे ग़ल्ला के ऐवज़ जायज़ नहीं क्योंकि हो सकता है उस ज़मीन में इतना ग़ल्ला पैदा ही न हो। हाँ, मुक़र्ररा रक़म ली जा सकती है क्योंकि रक़म ज़मीन से अलग चीज़ है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ رُبُعٍ وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى ". رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ.

(3928) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। फिर मेरे एक चचा आये और कहने लगे: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस काम से रोक दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद था। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हमारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर मुफ़ीद है। हम ने पूछा: वह कौन सा काम है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिस शख़्स के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने किसी भाई को (बतौर तोहफ़ा) काश्त के लिये दे दे और उसे पैदावार के तिहाई या चौथाई या मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ किराये पर न दे।'

इस हदीस़ को हन्ज़ला बिन क़ैस ने हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत किया है (और हन्ज़ला से रबीया ने रिवायत किया है) तो रबीया पर इस हदीस़ की रिवायत में (उसके शागिर्दों की तरफ़ से) इख़्तिलाफ़ किया गया है।

(3928) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4625.

फ़ायदा : रबीया के शागिर्दों में से जब उनके शागिर्द लैस़ बयान करते हैं तो वह राफ़ेअ बिन ख़दीज के बाद उनके चचा का ज़िक्र करते हैं और मरफ़ूअन बयान करते हैं। जब औज़ाई रबीया से बयान करते हैं तो वह राफ़ेअ से मरफ़ूअन बयान करते हैं लेकिन राफ़ेअ के बाद 'अम्मुहू' का ज़िक्र नहीं करते। मालिक भी औज़ाई की तरह ही बयान करते हैं लेकिन उन्होंने मतन में औज़ाई की मुख़ालिफ़त की है जैसा कि हदीस़: 3931 में है। सुफ़ियान स़ौरी जब रबीया से बयान करते हैं तो वह राफ़ेअ से मौक़ूफ़न बयान करते हैं और उनके चचा का ज़िक्र नहीं करते। लेकिन ये इख़्तिलाफ़ मुज़िर नहीं क्योंकि मरफ़ूअ बयान करने वाले रावी स़िक़ा हैं और स़िक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती है, लिहाज़ा इस रिवायत का मरफ़ूअ होना राजेह है। रहा राफ़ेअ बिन ख़दीज के चचा का मसला, तो मुमकिन है पहले उन्होंने चचा से सुना हो, फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बराहे रास्त सुन लिया हो। इसी लिये स़हीहैन में ये हदीस़ दोनों तरह मरवी है। स़हीह बुख़ारी (हदीस़: 2339) में 'अम्मुहू' के ज़िक्र के साथ है और स़हीह मुस्लिम (हदीस़: 1548) में 'अमा' के ज़िक्र के साथ भी और 'अम्मुहू' के ज़िक्र के बग़ैर भी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَشَىْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِي صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ.

(3929) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से रिवायत है, कहते हैं कि मुझे मेरे चचा ने बयान फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में नालों के क़रीब उगने वाली खेती या मुतय्यन ग़ल्ला जिसे ज़मीन वाला ख़ुद मुस्तस़्ना करता था, के ऐवज़ ज़मीन किराये पर देते थे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इस काम से मना फ़रमा दिया। (रावी कहता है:) मैंने हज़रत राफ़ेअ से पूछा: दीनार और दिरहम (रूपये पैसे) के ऐवज़ ठेके पर ज़मीन देना कैसा है? तो हज़रत राफ़ेअ ने फ़रमाया: सोने चाँदी (रूपये पैसे) के ऐवज़ ठेके पर देने में कोई हर्ज नहीं।

इमाम औज़ाई (رحمه الله) ने इस (लैस़) की मुख़ालिफ़त की है।

(3929) तख़रीज : (सनद स़हीह) बुख़ारी, हदीस़: 2346, 2347, मुस्लिम, हदीस़: 1547/115, बाद हदीस़: 1548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4626.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'औज़ाई ने मुख़ालिफ़त की है' ये मुख़ालिफ़त इस तरह है कि लैस और औज़ाई दोनों रबीया बिन अबी अब्दुर्रहमान से बयान करते हैं, रबीया बयान करते हैं हन्ज़ला बिन क़ैस से और वह हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से, लेकिन, लैस अपनी रिवायत में हज़रत राफ़ेअ के चचा का ज़िक्र करते हैं जैसा कि ऊपर ज़िक्र हुआ, जबकि औज़ाई अपनी रिवायत में 'चचा' का ज़िक्र नहीं करते। **(2)** 'कोई हर्ज नहीं' हर्ज तो बटाई में भी कोई नहीं अगर उसमें कोई ज़ुल्म वाली शर्त न हो, अलबत्ता फ़ालतू ज़मीन वाले के लिये बेहतर है कि वह फ़ालतू ज़मीन ठेके या बटाई की बजाये किसी ग़रीब भाई को साल दो साल के लिये वैसे ही काश्त करने के लिये दे दे।

أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، - هُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ.

(3930) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस अन्सारी से रिवायत है कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) से सोने चाँदी (रूपये पैसे) के ऐवज़ ज़मीन किराये पर देने से मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इसमें कोई हर्ज नहीं। अस्ल बात ये थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में लोग अपनी ज़मीनें नालों के साथ साथ और नालों (मौहगों) के सामने उगने वाली फ़स्ल के ऐवज़ बटाई पर देते थे। कभी इस हिस्से की फ़स्ल महफ़ूज़ रहती और दूसरे हिस्से की ज़ाया हो जाती। कभी दूसरे हिस्से की फ़स्ल महफ़ूज़ रहती और इस हिस्से की फ़स्ल ज़ाया हो जाती। उस वक़्त ज़मीन के किराये की ये शक्ल ही राइज थी, इसलिये आपने इससे मना फ़रमाया। लेकिन कोई और मालूम और मुअय्यन चीज़ (रक़म) मुक़र्रर कर ली जाये जिनका कोई ज़ामिन भी हो तो कोई हर्ज नहीं।

मालिक बिन अनस ने इस (औज़ाई) की सनद में मुवाफ़िक़त की है और इस (औज़ाई) के अल्फ़ाज़ में इसकी मुख़ालिफ़त की है।

तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 2346, मुस्लिम: 1547/116 पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4667.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुवाफ़िक़त की है' इस सनद में मुवाफ़िक़त इस तरह से है कि जिस तरह इमाम औज़ाई ने अपनी सनद में राफ़ेअ बिन ख़दीज के चचा का ज़िक्र नहीं किया उसी तरह इमाम मालिक बिन अनस ने भी सनद में राफ़ेअ बिन ख़दीज के चचा का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन दोनों के अल्फ़ाज़े हदीस में कुछ फ़र्क़ है अगरचे अल्फ़ाज़ के इस फ़र्क़ की वजह से हदीस के मआनी और मफ़हूम में कोई फ़र्क़ या असर नहीं पड़ता। वल्लाहु आलम! **(2)** गोया मना फ़रमाने की वजह वह ज़ालिमाना शर्तें थीं जिनकी बिना पर मुज़ारिअ को सरासर नुक़सान होता था कि ज़मीन में से अच्छे हिस्सों की फ़सल मालिक अपने लिये ख़ास कर लेते थे और नाकारा हिस्सों की फ़सल पर मुज़ारिअ को टरख़ा दिया जाता था। चूंकि ये ज़ुल्म था, लिहाज़ा शरीयत ने इससे मना फ़रमा दिया। अगर कोई ज़ालिमाना शर्त न हो तो बटाई में भी कोई हर्ज नहीं। (देखिये, हदीस: 3935)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لاَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلاَ بَأْسَ. رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رضى الله عنه عَنْ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(3931) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) से ज़मीन किराये पर देने के बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये (बटाई) पर देने से मना फ़रमाया है। मैंने कहा: सोने चाँदी (दीनार, दिरहम यानी रूपये पैसे) के साथ भी? उन्होंने कहा: नहीं। आपने तो सिर्फ़ ज़मीन की पैदावार के ऐवज़ देने से मना फ़रमाया था। सोने चाँदी के ऐवज़ तो कोई हर्ज नहीं।

सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) ने भी ये रिवायत रबीआ से बयान की है, लेकिन उन्होंने इसे मरफ़ूअ बयान नहीं किया। (लेकिन इसका कोई नुक़सान नहीं है क्योंकि अक्सर लोगों ने इसे मरफ़ूअ बयान किया है।)

(3931) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3929, मौता: 2/711, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4629.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ

(3932) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस से मरवी है, कहते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) से ख़ाली ज़मीन सोने चाँदी के ऐवज़ ठेके पर देने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: जायज़ है। इसमें

قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الأَرْضِ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ.

कोई हर्ज नहीं। मना तो तब है जब ज़मीन की पैदावार के हिस्से के ऐवज़ दी जाये।

यहया बिन सईद ने भी ये रिवायत हन्ज़ला बिन क़ैस से बयान की है और उन्होंने इसे मरफ़ूअ बयान किया है।

जिस तरह कि इमाम मालिक बिन अनस (ﷺ) ने रबीआ से मरफ़ूअ बयान किया है।

(3932) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4630.

फ़ायदा : मालूम यूँ होता है कि सोने चाँदी के ऐवज़ जायज़ क़रार देना हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज का अपना इज्तेहाद है जैसा कि आइन्दा हदीस से वाज़ेह हो रहा है वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस अन्दाज़ से बटाई से मना फ़रमाया है उस अन्दाज़ के मुताबिक़ तो सोने चाँदी के ऐवज़ भी दुरुस्त न होना चाहिए क्योंकि आपने ग़ुरबा से हमदर्दी के तौर पर बटाई से रोका है जैसा कि साबिक़ा अहादीस में सराहत है, लिहाज़ा सोने चाँदी के ऐवज़ भी मना होना चाहिए क्योंकि ये भी ग़रीब से हमदर्दी के ख़िलाफ़ है बल्कि ग़रीब के लिये बटाई ठेके से बेहतर है। (देखिये, हदीस: 3921)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ. رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ.

(3933) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ज़मीनें बटाई पर देने से मना फ़रमाया। उन दिनों सोने चाँदी के ऐवज़ ज़मीन देने का रिवाज न था बल्कि आदमी अपनी ज़मीन नालों के क़रीब उगने वाली फ़सल और मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर देता था, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की।

ये हदीस सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने राफ़ेअ बिन ख़दीज से बयान की है और इस हदीस में इमाम ज़ोहरी पर इख़्तिलाफ़ किया गया है। (ज़ोहरी के शागिर्दों ने इख़्तिलाफ़ किया है। ज़ोहरी की बयानकर्दा रिवायात को देखने से ये बात समझ में आ जाती है।)

(3933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4631.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ، نَحْوَهُ. تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ.

(3934) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने भी ये हदीस़ इसी तरह बयान फ़रमाई है।

उक़ैल बिन ख़ालिद ने इस (इमाम मालिक) की मुताबिअत की है।

(3934) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4012, 4013, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4632, मौता: 2/711.

फ़ायदा : ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले कई लोग हैं, जैसे: इमाम मालिक, उक़ैल बिन ख़ालिद और शुऐब बिन अबू हम्ज़ा वग़ैरह। इमाम मालिक और उक़ैल बिन ख़ालिद दोनों ने ये रिवायत मौसूल बयान की है, जबकि शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इस इख़्तिलाफ़ से हदीस़ की स़ेहत पर कोई अस़र नहीं पड़ता क्योंकि मौसूल बयान करने वाले रावी सिक़ा हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(3935) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे यहाँ तक कि उन्हें मालूम हुआ कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बटाई से रोकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उनसे मिले और कहा: ऐ इब्ने ख़दीज! ज़मीन की बटाई के मुताल्लिक़ आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से क्या बयान करते हैं? तो हज़रत राफ़ेअ ने कहा: मैंने अपने दो चचाओं से सुना है और वह दोनों बदरी स़हाबी थे, वह अपने घर वालों को बता रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना किया है जबकि मैं जानता था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में ज़मीनें बटाई पर दी जाती थीं (और आप मना नहीं फ़रमाते थे) फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) को ख़दशा महसूस हुआ कि ऐसा न हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में कोई हुक्म जारी फ़रमाया हो मगर

فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ.

मुझे पता न चला हो, इसलिये उन्होंने ज़मीन बटाई पर देनी छोड़ दी।

शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है।

(3935) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1547/112, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4633, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : बारहा गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस वक़्त की मुरव्वजा बटाई से रोका था जिसमें मुआवज़ा मख़्सूस मक़ामात की फ़सल या मुअय्यन मिक़्दार में ग़ल्ला तै पाता था। या आपने बड़े ज़मीनदारों को अज़ राहे हमदर्दी मुफ़्त ज़मीन देने की रग़बत दिलाई थी वरना बटाई सही शराइत के साथ आपके दौर में जारी थी। ख़ैबर को आपने ख़ुद बटाई पर दिया। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में ऐसे होता रहा। बड़े बड़े मुज्तहिद सहाबा बटाई पर देते रहे, लिहाज़ा मुहक़्क़क़ बात यही है कि बटाई पर ज़मीन देना दुरुस्त है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا، - يَزْعُمُ - شَهِدَا بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ.

(3936) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि मेरे दो चचा जो बदरी सहाबी थे, बयान फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देनें से मना फ़रमाया है।

(जिस तरह बिश्र बिन शुऐब ने ये रिवायत अपने बाप शुऐब से बयान की है इसी तरह) उस्मान बिन सईद ने (भी) ये रिवायत शुऐब से बयान की है। लेकिन (बिश्र के बरअक्स) इस (शुऐब) ने राफ़ेअ बिन ख़दीज के दो चचाओं का ज़िक्र नहीं किया।

(3936) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4634.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ،

(3937) हज़रत ज़ोहरी से रिवायत है कि हज़रत इब्ने मुसय्यब फ़रमाते थे कि सोने चाँदी के बदले में ज़मीन किराये पर देना मना नहीं लेकिन हज़रत

قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ.

राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है।

(इमाम ज़ोहरी के शागिर्दों में से) अब्दुल करीम बिन हारिस़ ने इस (शुऐब बिन अबू हम्ज़ा) की मुवाफ़िक़त में इस हदीस़ को मुर्सल बयान किया है। (और शुऐब की तरह अब्दुल करीम ने भी इमाम ज़ोहरी और हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) के दरम्यान हज़रत सालिम का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।)

(3937) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4635.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو خُزَيْمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ قَالَ بِشَىْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الأَرْضِ وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ. رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.

(3938) हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी से रिवायत है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है। इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) ने कहा कि इसके बाद हज़रत राफ़ेअ से पूछा गया कि उस दौर में लोग ज़मीन किराये पर कैसे देते थे? उन्होंने फ़रमाया: या तो मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़, या ये शर्त लगाते थे कि जो फ़स़ल पानी के नालों के साथ साथ या पानी के मौहगे के सामने सामने उगेगी, वह हमारी होगी।

ये रिवायत नाफ़ेअ ने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से बयान की है और इस हदीस़ में नाफ़ेअ पर इख़्तिलाफ़ किया गया है।

(3938) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4636.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इख़्तिलाफ़ किया गया है' वह इख़्तिलाफ़। वल्लाहु आलम। ये है कि हज़रत नाफ़ेअ के कई शागिर्दों ने उनसे ये रिवायत बयान की, जैसे: मूसा बिन उक़्बा, इब्ने औन, अय्यूब, कस़ीर बिन फ़रक़द, उबैदुल्लाह बिन उमर और जुवैरिया बिन अस्मा वग़ैरह। लेकिन इन तमाम शागिर्दों में

से कोई तो अपने उस्ताद हज़रत नाफ़ेअ से यही रिवायत बयान करते हुए 'उमूमा' के अल्फ़ाज़ बयान करता है, और कोई 'बअज़ उमूमा' के, जब कि कोई इन अल्फ़ाज़ के बग़ैर ही ये रिवायत बयान करता है। (2) ये सूरतें तो क़तअन मना हैं क्योंकि ऐसी शराइत सरीह ज़ुल्म हैं और इनमें मुज़ारिअ का वाज़ेह तौर नुक़सान है जिसे शरीयत जायज़ क़रार नहीं दे सकती थी, अलबत्ता ज़मीन आम बटाई पर देना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عُمُومَتَهُ، جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعُوا فَأَخْبَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ كُلُّ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لاَ أَدْرِي كَمْ هِيَ. رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ.

(3939) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) को बताया कि मेरे चचा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गये। फिर वापस आये तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमा दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फ़रमाने लगे: हम क़तअन जानते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में ज़मीन वाला पानी के नालों, जहाँ से पानी फ़सल को लगता था, के क़रीब उगने वाली फ़सल के ऐवज़ या मुअय्यन तोड़ी वग़ैरह के ऐवज़ बटाई पर देता था। मैं नहीं जानता कि इस (मुअय्यन तोड़ी) की मिक़्दार कितनी थी। (और आपने उसी से मना फ़रमाया है न कि आम बटाई से)

ये रिवायत इब्ने औन ने हज़रत नाफ़ेअ से बयान की है तो उन्होंने 'अन बअज़ि उमूमा' के अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हैं।

(3939) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3934, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4637, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : इमाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) का ख़्याल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) इस हदीस में बयानकर्दा बटाई की सूरत को जायज़ समझते थे और इस पर अमल भी करते थे क्योंकि उनको नह्य का इल्म न था, बाद में उनको हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज ने नह्य (मनाही) के बारे में बताया तो वह उससे रुक गये। जैसा कि हदीस: 3935 में ज़िक्र है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

(3940) हज़रत नाफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ज़मीन का किराया लिया

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، شَيْءٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَى إِلَى رَافِعٍ وَأَنَا مَعَهُ فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ.

करते थे, फिर उन्हें हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) से कोई रिवायत पहुँची तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हज़रत राफ़ेअ के पास चले गये। मैं भी उनके साथ था। हज़रत राफ़ेअ ने उन्हें अपने किसी चचा के हवाले से बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह ने किराया लेना छोड़ दिया।

(3940) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1547/111, देखें, हदीस: 3926, 3935, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4638.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ. رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمُومَتَهُ.

(3941) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ज़मीन का किराया लिया करते थे यहाँ तक कि उन्हें हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(ﷺ) ने अपने किसी चचा से बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन का किराया लेने से मना फ़रमाया है। इसके बाद हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने किराया लेना छोड़ दिया।

ये रिवायत अय्यूब ने भी नाफ़ेअ अन राफ़ेअ की सनद से बयान की है लेकिन उन्होंने 'उमूमा' यानी हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) के चचा का ज़िक्र नहीं किया।

(3941) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4639.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ

(3942) हज़रत नाफ़ेअ से मरवी है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) अपनी ज़मीन बटाई पर दिया करते थे यहाँ तक कि हज़रत मुआविया (ﷺ) की ख़िलाफ़त के आख़री दिनों में उनको मालूम हुआ कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) इसके

خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبِرُ فِيهَا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا. وَافَقَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ.

मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से नह्य बयान करते हैं, चुनांचे वह उनके पास गये, मैं भी उनके साथ था, और उनसे पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़मीनों के किराये से मना फ़रमाते थे, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने उसके बाद ये काम छोड़ दिया। फिर जब उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा जाता था तो वह फ़रमाते थे कि राफ़ेअ बिन ख़दीज कहते हैं कि नबी-ए अकरम (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया था।

उबैदुल्लाह बिन उमर, कसीर बिन फ़रक़द और जुवैरिया बिन अस्मा ने इस (अय्यूब) की मुवाफ़िक़त की है।

(3942) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1547/109, बुख़ारी: 2344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4640.

फ़ायदा : मतलब ये है कि जिस तरह अय्यूब ने हज़रत राफ़ेअ (رضي الله عنه) के 'किसी चचा' का ज़िक्र नहीं किया उसी तरह इसकी मुवाफ़िक़त करते हुए मज़्कूरा तीनों हज़रात ने भी चचे का ज़िक्र नहीं किया।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. قَالَ نَافِعٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا.

(3943) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ज़मीनें किराये पर दिया करते थे। उन्हें बताया गया कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने इससे मना फ़रमाया है। हज़रत नाफ़ेअ ने कहा कि हज़रत इब्ने उमर बलात में उनके पास गये। मैं भी उनके साथ था। आपने उनसे (इसके मुताल्लिक़) पूछा तो उन्होंने कहा: हाँ, वाक़ेअतन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीनों का किराया लेने से मना फ़रमाया है, इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह ने ज़मीनों का किराया लेना छोड़ दिया।

(3943) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4641.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किराये की दो सूरतें हैं: एक ज़मीन की पैदावार का हिस्सा, दूसरी रक़म। अगर ज़मीन पैदावार के हिस्से के ऐवज़ दी जाये तो उसे बटाई कहते हैं और अगर रक़म के ऐवज़ काश्त के लिये दी जाये तो उसे ठेका कहते हैं। अरबी ज़बान में दोनों को किराअ कहते हैं। (2) बलात, मस्जिदे नबवी और बाज़ार के दरम्यान एक जगह का नाम था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَأْثُرُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ حَدِيثًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَ الأَرْضِ.

(3944) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) को बतलाया कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ज़मीन किराये पर देने के मुताल्लिक़ एक हदीस नक़ल फ़रमाते हैं। मैं और वह आदमी जिसने आपको ये बताया था, आपके साथ चले यहाँ तक कि आप हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) के पास आये तो उन्होंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से रोका है। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देना छोड़ दी।

(3944) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4642.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

(3945) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) को बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीनें किराये पर देने से मना फ़रमाया है।

(3945) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4643.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عِنَانٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ

(3946) हज़रत नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) अपनी ज़मीन उसकी कुछ पैदावार के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। उनको मालूम हुआ कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) इससे रोकते हैं और फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى رَافِعٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَىْءٍ ".

इससे मना फ़रमाया है। अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) कहने लगे: हम तो राफ़ेअ को पहचानने से भी पहले ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। फिर उन्होंने अपने दिल में शक सा महसूस किया और मेरे कंधे पर हाथ रखा यहाँ तक कि हम हज़रत राफ़ेअ के पास पहुँच गये। हज़रत अब्दुल्लाह उन्हें कहने लगे: क्या आपने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को ज़मीन बटाई पर देने से मना फ़रमाते सुना है? हज़रत राफ़ेअ ने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'ज़मीन को किसी भी चीज़ के ऐवज़ किराये पर न दो।'

(3946) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4644, देखें, हदीस: 1662.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعٍ، أَخْبَرَاهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. وَاخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

(3947) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है।

इस हदीस को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत किया है (और अब्दुल्लाह बिन उमर से अम्र बिन दीनार बयान करते हैं) तो अम्र बिन दीनार पर इख़्तिलाफ़ किया गया है।

(3947) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4645.

फ़ायदा : अम्र बिन दीनार से ये हदीस बयान करने वाले इसके कई एक शागिर्द हैं, जैसे: सुफ़ियान बिन उयय्ना, इब्ने जुरैज, हम्माद बिन ज़ैद और मुहम्मद बिन मुस्लिम। किसी शागिर्द ने हदीस बयान करते हुए अम्र बिन दीनार अन इब्ने उमर कहा है, किसी ने अम्र बिन दीनार अन जाबिर कहा है और किसी ने दोनों हदीसों को मिला दिया है और अम्र बिन दीनार अन इब्ने उमर व जाबिर कह दिया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،

(3948) हज़रत अम्र बिन दीनार ने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि हम

قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

ज़मीन बटाई पर दिया करते थे और इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक कि राफ़ेअ़ बिन ख़दीज ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बटाई से मना फ़रमाया है।

(3948) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1547/107, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4646.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِ، فَيَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا عَامَ الأَوَّلِ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخِبْرِ. وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

(3949) हज़रत अ़म्र बिन दीनार बयान करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) को फ़रमाते सुना, जबकि उनसे बटाई के बारे में पूछा गया था: हम इसमें कोई हर्ज नहीं समझते यहाँ तक कि राफ़ेअ़ बिन ख़दीज ने हमें पहले साल बतलाया कि उन्होंने नबी-ए-अकरम(ﷺ) को बटाई से मना फ़रमाते सुना है।

हम्माद बिन ज़ैद ने इन दोनों (सुफ़ियान बिन उ़यय्ना और इब्ने जुरैज) की मुवाफ़िक़त की है।

(3949) तख़रीज : (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4647.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुवाफ़िक़त की है।' वह मुवाफ़िक़त इस तरह से है कि जिस तरह हज़रत सुफ़ियान बिन उ़यय्ना और इब्ने जुरैज ने अपनी रिवायत में हज़रत जाबिर (ﷺ) के बजाये कहा है कि अ़म्र बिन दीनार ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से बयान किया है, इसी तरह हम्माद बिन ज़ैद ने भी, इस रिवायत में जाबिर के बजाये कहा है कि अ़म्र बिन दीनार ने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से बयान किया है। **(2)** 'पहले साल' हदीस: 3942 में गुज़र चुका है कि हज़रत मुआ़विया (ﷺ) की ख़िलाफ़त के आख़री दिनों की ये बात है, लिहाज़ा यहाँ पहले साल से मुराद ये हो सकता है कि यज़ीद की हुकूमत का पहला साल हो या हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) की हुकूमत का। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا لاَ نَرَى

(3950) हज़रत अ़म्र बिन दीनार से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि हम बटाई में कोई हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक कि (यज़ीद या हज़रत इब्ने ज़ुबैर की ख़िलाफ़त

का) पहला साल हुआ तो राफ़ेअ कहने लगे कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है।

आरिम ने इस (यहया बिन हबीब) की मुख़ालिफ़त की है और कहा है: अन हम्माद, अन अम्र, अन जाबिर.

(3950) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4648.

بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ.

फ़ायदा : इसकी वज़ाहत ये है कि इससे पहले ये बात बयान हुई थी कि हम्माद बिन ज़ैद ने अपनी रिवायत में सुफ़ियान और इब्ने जुरैज की मुवाफ़िक़त की है और हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) के बजाये हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) कहा है, जबकि इस रिवायत में हज़रत जाबिर का ज़िक्र किया गया है। दरअस़ल ये इख़्तिलाफ़ हम्माद के शागिर्दों में है। यहया बिन हबीब और आ़रिम दोनों हम्माद के शागिर्द हैं। यहया बिन हबीब जब बयान करता है तो इब्ने उ़मर का ज़िक्र करता है, और आ़रिम, इब्ने उ़मर के बजाये हज़रत जाबिर का ज़िक्र करता है। वल्लाहु आलम!

(3951) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है।

मुहम्मद बिन मुस्लिम ताइफ़ी ने इस (हम्माद बिन ज़ैद) की मुताबिअ़त की है।

(3951) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/338, 339, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4649.

قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ.

फ़ायदा : मतलब ये है कि जिस तरह साबिक़ा रिवायत में 'हम्माद बिन ज़ैद अन अ़म्र बिन दीनर अन जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह' है, उसी तरह इस रिवायत में भी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) के बजाये हज़रत जाबिर ही मज़्कूर है। अल्फ़ाज़ ये हैं: मुहम्मद बिन मुस्लिम अन अ़म्र बिन दीनार अन जाबिर. वल्लाहु आलम!

(3952) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मुख़ाबरा, मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया।

सुफ़ियान बिन उ़यय्ना ने (दोनों स़हाबा की) दो हदीसों

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ.

को जमा कर दिया है और कहा है: 'अन इब्ने उमर, व जाबिर।'

(3952) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4650, देखें, हदीस: 3948.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3910.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.

(3953) हज़रत इब्ने उमर और जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल की फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि वह पक जाये। और आपने मुख़ाबरा से भी मना फ़रमाया है कि ज़मीन को पैदावार के तिहाई या चौथाई हिस्से के ऐवज़ बटाई पर दिया जाये।

इसे अबू नजाशी अता बिन सुहैब ने रिवायत किया है और इस हदीस में इस पर इख़्तिलाफ़ किया गया है।

(3953) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1536/93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4651, 4652.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इख़्तिलाफ़ किया गया है।' इख़्तिलाफ़ ये है कि यहया बिन अबू कसीर जब अबू नजाशी से बयान करते हैं तो वह इस रिवायत को राफ़ेअ बिन ख़दीज की मुसनद बनाते हैं, लेकिन औज़ाई जब अबू नजाशी से बयान करते हैं तो वह इसे राफ़ेअ के चचा ज़ुहैर बिन राफ़ेअ की मुसनद बनाते हैं जैसा कि आइन्दा रिवायत में है। दोनों तरह सही है जैसा कि पीछे ज़िक्र हो चुका है। ये हदीस सहीहैन में दोनों तरह मरवी है। **(2)** कच्चे फल की फ़रोख़्त से रोकने की वजह हदीस: 3910 में ज़िक्र हो चुकी है, अलबत्ता वह फल इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जिन्हें इस्तेमाल ही कच्चा किया जाता है। **(3)** पकने से मुराद भी बिल्कुल खाने के लिये तैयार हो जाना नहीं बल्कि रंग बदल जाना मुराद है, यानी जो फल ज़र्द हो जायें, और जो सुर्ख़ हो कर पकते हैं, वह सुर्ख़ हो जायें और जो रंग नहीं बदलते, वह कुछ नर्म हो जायें। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

(3954) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे पूछा: 'क्या तुम अपनी फ़ालतू ज़मीनें बटाई पर देते हो?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ, ऐ अल्लाह के

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَافِعٍ " أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ ". قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا". خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ.

रसूल! हम उन्हें पैदावार के चौथाई हिस़्से या चन्द वस्क़ जौ के ऐवज़ बटाई पर देते हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे न करो, ख़ुद काश्त करो या किसी को एक दो साल के लिये (आरयतन) बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दो, वरना रखे रखो।'

औज़ाई ने इस (यहया बिन अबू कसीर) की मुख़ालिफ़त और उसने कहा है: अन राफ़ेअ अन ज़ुहैर बिन राफ़ेअ.

(3954) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1548/114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4653.

फ़ायदा : 'मुख़ालिफ़त की है।' ये मुख़ालिफ़त मुसनद बनाने में है जैसा कि पिछली हदीस़ में बयान हुआ है। देखिये, हदीस़: 3953 का फ़ायदा।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ أَتَانَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا. قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَقٌّ سَأَلَنِي " كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ ". قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ " فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ". رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ

(3955) हज़रत राफ़ेअ से रिवायत है कि हमारे पास हज़रत ज़ुहैर बिन राफ़ेअ आये और फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ऐसे काम से रोक दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद था। मैंने कहा: वह क्या? वह फ़रमाने लगे: अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़रमान ही स़ही और बरहक़ है। आपने मुझसे पूछा: 'तुम अपनी (ज़ाइद) ज़मीनों को क्या करते हो?' मैंने कहा: हम उन्हें पैदावार के तिहाई या चौथाई हिस़्से और चन्द वस्क़ खजूरों या जौ के ऐवज़ बटाई पर देते हैं। आपने फ़रमाया: 'तो ऐसे न करो, उन्हें ख़ुद काश्त करो या किसी को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दो या इसी तरह रहने दो।'

ये रिवायत बुकैर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अशज ने उसैद बिन राफ़ेअ से बयान की है तो इसे (हज़रत राफ़ेअ बिन

رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لِأَخِي رَافِعٍ.

ख़दीज के बजाये) हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) के भाई की रिवायत बनाया है। (देखिये आइन्दा रिवायत)

(3955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1548/114, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2339, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4654.

फ़ायदा : 'वस्क़' साठ साअ का होता है और एक साअ सवा दो किलो का होता है। गोया वस्क़ तक़रीबन तीन मन पन्द्रह किलो का होता है और ये वज़न नहीं बल्कि पैमाना था। मुद और साअ दो बर्तन थे जिनमें वह ग़ल्ला नापते थे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ أَخَا، رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَىْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ.

(3956) (हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) के बेटे) उसैद से रिवायत है कि (वालिदे मोहतरम) राफ़ेअ के भाई ने अपनी क़ौम से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आज एक ऐसी चीज़ से रोक दिया है जो तुम्हारे लिये मुफ़ीद थी। वैसे आपके हुक्म ही की इताअत की आयेगी और वही सबसे बेहतर है। आपने ज़मीन बटाई पर देने से रोक दिया है।

(3956) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4655.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا. رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ.

(3957) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने कहा: मैंने उसैद बिन राफ़ेअ बिन ख़दीज अन्सारी को ये ज़िक्र करते सुना कि उनको मुहाक़ला से रोक दिया गया था। और मुहाक़ला से मुराद ये है कि ज़मीन अपनी पैदावार के कुछ हिस्से के ऐवज़ काश्त के लिये दे दी जाये।

ये रिवायत ईसा बिन सहल बिन राफ़ेअ ने बयान की है।

(3957) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4656.

फ़ायदा : मुहाक़ला के एक मआनी हदीस: 3910 में बयान किये गये हैं। दूसरे मआनी इस हदीस में बयान किये गये हैं। हक़्ल के मआनी भी यही हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حَجْرِ جَدِّي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَبَلَغْتُ رَجُلاً وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ. فَقَالَ يَا بُنَىَّ دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

(3958) हज़रत ईसा बिन सहल बिन राफ़ेअ बिन ख़दीज ने बयान किया कि मैं यतीम था और अपने दादा मोहतरम हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज के यहाँ परवरिश पा रहा था। मैं बालिग़ हुआ तो उनके साथ हज को गया। मेरा भाई इमरान बिन सहल आया और कहने लगा: अब्बा जान! हमने अपनी फुलां ज़मीन दो सौ दिरहम के ऐवज़ किराये पर दे दी है। वह कहने लगे: बेटा! उसे छोड़ दो, अल्लाह तआला तुम्हें उसकी बजाये और जगह से रिज़्क़ अता फ़रमायेगा क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है।

(3958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3401, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4657.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ". فَسَمِعَ قَوْلَهُ " لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ".

(3959) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि अल्लाह तआला हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضی اللہ عنہ) को माफ़ फ़रमाये, अल्लाह की क़सम! इस हदीस़ (यानी बटाई से मुताल्लिक़ हदीस़) को मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। बात ये थी कि दो आदमी (मालिके ज़मीन और मुज़ारिअ) झगड़ पड़े। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हारा ये हाल है तो ज़मीन किराये पर मत दो।' हज़रत राफ़ेअ ने स़िर्फ़ इतनी बात सुनी कि 'ज़मीन किराये पर मत दो।'

(3959) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 3390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4658.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया उस दौर की मुरव्वजा बटाई को रोकने की एक वजह ये भी थी कि ये

तनाज़आत (विवादों) का बाइस थी। और आप झगड़े को सख़्त नापसन्द फ़रमाते थे, लिहाज़ा अगर बटाई की ऐसी सूरत हो जो तनाज़अ और झगड़े का सबब न बने तो कोई हर्ज नहीं जैसा कि आज कल बटाई का रिवाज है। और यही बात सही है। (2) इमाम नसाई (ﷺ) ने बटाई के बारे में हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) की रिवायत को मुख़्तलिफ़ सनदों के साथ तफ़्सील से नक़ल फ़रमाया है ताकि तमाम जुज़्इयात मालूम हो जायें। इन तमाम रिवायात को पढ़ने से वही नतीजा निकलता है जो किताबुल मुज़ाराआ के शुरू में है, और अहादीस: 3892, 3893, 3898, 3904, 3941, 3945, 3933 और 3943 में मुतफ़र्रिक़ तौर पर बयान किया गया है। अगरचे कुछ मुख़्तसर अहादीस ग़लतफ़हमी का मोजिब बनती हैं मगर ये मुसल्लमा ज़ाब्ता है कि फ़तवा की बुनियाद कोई एक आध रिवायत नहीं बन सकती बल्कि इस मसले से मुताल्लिक़ तमाम वारिद शुदा अहादीस को मिला कर नतीजा निकाला जाये और फिर उसकी रोशनी में मुख़्तलिफ़ रिवायात को हल किया जाये। (3) साबिक़ा तफ़्सीली रिवायात से ये भी समझ में आता है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) की रिवायत जो इस बाब में मदार है, सख़्त इज़्तेराब की हामिल है। सनद के लिहाज़ से भी और मतन के लिहाज़ से भी लेकिन तत्बीक़ मुमकिन है, लिहाज़ा रिवायत अस्लन सही है। इज़्तेराब उस वक़्त रिवायत की सेहत के ख़िलाफ़ होता है जब उसका हल मुमकिन न हो।

(बटाई के दस्तावेज़)

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ وَلِلْمُزَارِعِ رُبُعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (ﷺ) बयान करते हैं कि मुज़ारअत का मामला लिखना इस शर्त पर हो कि बीज और दीगर अख़राजात, ज़मीन के मालिक के ज़िम्मे हों और मुज़ारिअ के लिये पैदावार का चौथा हिस्सा हो।

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا فِي مَدِينَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِيَ الأَرْضُ الَّتِي تُعْرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ يُحِيطُ بِهَا كُلِّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ

ये वह तहरीर है जो फ़ुलां बिन फ़ुलां बिन फ़ुलां ने फ़ुलां बिन फ़ुलां के लिये अपनी सेहत और इख़्तियार की हालत में लिखी है। तूने फ़ुलां शहर में फ़ुलां जगह वाक़ेअ अपनी पूरी ज़मीन बटाई के तौर पर मेरे सुपुर्द कर दी है और ये ज़मीन फ़ुलां नाम से मशहूर है और इसकी ये हुदूदे अर्बआ हैं, जिन्होंने इसको घेर रखा है। इसकी एक हद पूरी की पूरी फ़ुलां जगह से मिली हुई है। इसी तरह

दूसरी, तीसरी और चौथी। तूने अपनी वह तमाम ज़मीन जिसकी यहाँ हुदूद बयान कर दी गई हैं, तमाम हुक़ूक़ समेत मेरे सुपुर्द कर दी है जिनमें इसके पानी की बारी, नहर नाले और रहट वग़ैरह दाख़िल हैं। ये ख़ाली ज़मीन है जिसमें न कोई दरख़्त है और न फ़स्ल। मुकम्मल साल के लिये जिसकी इब्तेदा फ़ुलां साल के फ़ुलां महीने से होगी और इसका इख़्तियार फ़ुलां साल के फ़ुलां माह के गुज़रने पर होगा। मैं इस तमाम ज़मीन को जिसका हुदूदे अर्बअ़ा और मक़ाम व महल इस दस्तावेज़ में बयान कर दिया गया है, इस मुक़र्ररा साल में अव्वल से आख़िर तक काश्त करूँगा। जो कुछ भी मैं मुनासिब समझूँगा, इसमें गन्दुम, जौ, तिल, चावल, रूई (कपास), चारा, बाक़ला, चने, लौबिया, मसूर, ककड़ियाँ, तरबूज़, गाजरें, शलजम, मूली, प्याज़, लहसुन और दीगर सब्जियाँ, फूल और सर्दियों, गर्मियों के तमाम ग़ल्ले काश्त करूँगा। उनके बीज वग़ैरह के अख़राजात तेरे ज़िम्मे होंगे मुझ पर नहीं, ख़्वाह ये काम मैं ख़ुद सरअंजाम दूँ या अपने साथियों, नौकरों से कराऊँ। बैल और काश्त कारी के आलात मुहैया करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। मैं काश्त भी करूँगा, ज़मीन को आबाद भी करूँगा और हर वह काम करूँगा जिससे फ़स्ल की परवरिश और इस्लाह हो। ज़मीन में हल चलाऊँगा, घास फूस साफ़ करूँगा और काश्त शुदा रक़्बे में जिसे पानी लगाने की ज़रूरत होगी, पानी लगाऊँगा और जहाँ राख व गोबर डालने की ज़रूरत होगी, वह भी डालूँगा। पानी के नाले,

الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزِيقُ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ بِهَا وَجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِيهَا أَرْضًا بَيْضَاءَ فَارِغَةً لاَ شَيْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَ لاَ زَرْعٍ سَنَةً تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلُّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَآخِرُهَا انْسِلاَخُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَ جَمِيعَ هَذِهِ الأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيهِ هَذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا كُلَّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَا لِي أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَمَاسِمَ وَأُرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ وَبَاقِلاً وَحِمَّصٍ وَلُوبِيَا وَعَدَسٍ وَمَقَاثِي وَمَبَاطِيخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ وَفِجْلٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَبُقُولٍ وَرَيَاحِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغَلاَّتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِبُذُورِكَ وَبَذْرِكَ وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِي عَلَى أَنْ أَتَوَلَّى ذَلِكَ بِيَدِي وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي وَأُجَرَائِي وَبَقَرِي وَأَدَوَاتِي وَإِلَى زِرَاعَةِ ذَلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابُ

أَرْضِهِ وَتَنْقِيَةُ حَشِيشِهَا وَسَقْيِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى سَقْيِهِ مِمَّا زُرِعَ وَتَسْمِيدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيدِهِ وَحَفْرِ سَوَاقِيهِ وَأَنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَا يُجْتَنَى مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَا يُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ وَدِيَاسَةِ مَا يُدَاسُ مِنْهُ وَتَذْرِيَتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ دُونِي وَأَعْمَلَ فِيهِ كُلِّهِ بِيَدِي وَأَعْوَانِي دُونَكَ عَلَى أَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَلَكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ بِحَظِّ أَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ وَلِيَ الرُّبُعُ الْبَاقِي مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَقِيَامِي عَلَى ذَلِكَ بِيَدِي وَأَعْوَانِي وَدَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِي لَكَ لاَ مِلْكَ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةَ إِلاَّ هَذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ

नालियाँ खोदूँगा और फल तोड़ने के वक़्त फल तोड़ूँगा। और कटाई के वक़्त कटाई करूँगा। फिर फ़सल को इकट्ठा करूँगा और उसकी गहाई करूँगा और सफ़ाई व उड़ाई करूँगा लेकिन इन कामों के तमाम अख़राजात तेरे ज़िम्मे होंगे, मेरे ज़िम्मे नहीं। मैं ये तमाम काम बज़ाते ख़ुद या अपने साथियों की मदद से करूँगा। तेरे ज़िम्मे कुछ न होगा। और फिर इस मुक़र्ररा मुद्दत में जो इस तहरीर में बयान कर दी गई है, अव्वल से आख़िर तक अल्लाह तआला जो पैदावार फ़रमायेगा, उस तमाम में से तुझे तेरी ज़मीन, तेरे पानी, तेरे बीज और दीगर अख़राजात करने की वजह से तीन चौथाई हिस्सा मिलेगा और मुझे अपनी काश्त कारी, काम काज, अपने हाथों और अपने साथियों की मदद से इन तमाम इन्तेज़ामात के ऐवज़ एक चौथाई हिस्सा मिलेगा। तूने अपनी वह तमाम ज़मीन जिसकी हुदूद इस तहरीर में बयान कर दी गई हैं, इसके तमाम हुक़ूक़ व मुनाफ़े समेत मेरे सुपुर्द कर दी है और मैंने इस तमाम ज़मीन पर फुलां साल के फुलां महीने की फुलां तारीख़ को क़ब्ज़ा कर लिया है। अब ये तमाम ज़मीन मेरे क़ब्ज़े में है, अलबत्ता मैं इसके किसी हिस्से का भी मालिक नहीं। न मेरा कोई दावा या मुतालबा होगा सिवाए काश्तकारी के जो फुलां साल के लिये इस दस्तावेज़ में बयान कर दिया गया है। जब ये साल पूरा हो जायेगा तो ये तमाम तुझे वापस कर दी जायेगी। तेरे क़ब्ज़े में होगी और तुझे हक़ होगा कि ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुझे इस ज़मीन से निकाल दे और इस ज़मीन को मेरे

فَإِذَا انْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ وَلَكَ أَنْ تُخْرِجَنِي بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِي وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبَبِي أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَكُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ نُسْخَتَيْنِ.

क़ब्ज़े से या हर उस शख़्स के क़ब्ज़े से जिसे मेरी वजह से क़ब्ज़ा हासिल हुआ हो, निकाल ले। फ़ुलां (मालिक ज़मीन) और फ़ुलां (मुज़ारिअ) इन तमाम बातों का इक़रार करते हैं, और इस तहरीर के दो नुस्ख़े (एक ज़मीन के मालिक के लिये और दूसरा मुज़ारिअ के लिये) तैयार किये गये हैं।

फ़ायदा : ऊपर दिये गये दस्तावेज़ इस सूरत में है जब बीज और अख़राजात मालिक ज़मीन के ज़िम्मे तै कर लिये गये हों और पैदावार में 1:3 की निस्बत तै कर ली गई हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बटाई में ऐसे हो। ये भी हो सकता है कि बीज और अख़राजात दोनों के ज़िम्मे हों और हिस्सा निस्फ़ हो जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज है। या बीज और अख़राजात सब मुज़ारिअ के ज़िम्मे हों और उसका हिस्सा पैदावार में मालिक ज़मीन से ज़्यादा हो। ग़र्ज़ वह जिन शराइत पर भी इत्तेफ़ाक़ कर लें, वही मोतबर होगी बशर्ते कि उनमें किसी एक फ़रीक़ पर ज़ुल्म या दबाव न हो।

بَابٌ (٤٦): ذِكْرِ اخْتِلاَفِ الأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ

बाब : (46) मुज़ारअ़त (बटाई) के बारे में मन्क़ूल अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الأَرْضِ. قَالَ وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلاَ يُنْفِقَ

(3960) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन फ़रमाते थे कि मेरे नज़दीक ज़मीन मुज़ारबत के माल की तरह है। जो कुछ माल मुज़ारबत में दुरुस्त है, वह ज़मीन में भी दुरुस्त है और जो माल मुज़ारबत में दुरुस्त नहीं, वह ज़मीन में भी दुरुस्त नहीं। और वह इस बात में कोई हर्ज नहीं समझते थे कि ज़मीन मुज़ारिअ के सुपुर्द कर दे और वह (मुज़ारिअ) इसमें ख़ुद या अपनी औलाद और अपने साथियों और अपने बैलों वग़ैरह के साथ काम करे और ख़र्च कुछ न करे बल्कि अख़राजात सब के सब मालिक ज़मीन की तरफ़ से हों।

شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الأَرْضِ.

(3960) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2662.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने सीरीन (ﷺ) का मुज़ारअत (बटाई) को मुज़ारबत पर क़यास करना बिल्कुल सही है। दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं। मुज़ारबत में एक शख़्स दूसरे को रक़म हवाले करता है कि उसके साथ तिजारत करो। वक़्ते मुक़र्ररा के बाद इसका नफ़ा फ़ुलां निस्बत से तक़्सीम कर लेंगे और मुज़ारअत में एक शख़्स अपनी ज़मीन दूसरे के सुपुर्द करता है कि इसमें काश्तकारी करो। पैदावार को फ़ुलां निस्बत से तक़्सीम कर लेंगे। असल रक़म और ज़मीन मालिकों को वापस मिल जाती है। दोनों में बाल बराबर फ़र्क़ नहीं, अलबत्ता हज़रत इब्ने सीरीन का ये फ़रमाना कि 'मुज़ारिअ सिर्फ़ काम करे, अख़राजात सब के सब मालिक ज़मीन के ज़िम्मे हों' ज़रूरी नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसी शराइत सराहतन मज़्कूर नहीं, लिहाज़ा फ़रीक़ैन जो भी तै कर लें, जायज़ होना चाहिए, अलबत्ता किसी पर ज़ुल्म न हो। (देखिये साबिक़ा हदीस)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

(3961) हज़रत इब्ने उमर (رضی الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदियों को ख़ैबर की खजूरें (दरख़्त) और ज़मीन इस शर्त पर सुपुर्द कर दी थीं कि वह अपने माल से उन दरख़्तों और ज़मीन में काम करेंगे और रसूलुल्लाह (ﷺ) को कुल पैदावार का निस्फ़ (बतौर मालिक ज़मीन) मिलेगा।

(3961) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1551/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4663.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपने माल से' मालूम हुआ कि यहूदी अपने अख़राजात से ज़मीन में काश्त करते थे और पैदावार बराबर तक़्सीम होती थी। (2) 'सुपुर्द कर दी थी' गोया ख़ैबर फ़तह करने के बाद ज़मीन के मालिक रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमान थे और यहूदी मुज़ारिअ। और ये बटाई के जवाज़ की सरीह दलील है। बाद में यहूदियों को वहाँ से निकाला गया तो उनको ज़मीनों का मुआवज़ा नहीं दिया गया क्योंकि वह मालिक नहीं मुज़ारिअ थे। 'जब तक हमारी मर्ज़ी होगी, हम तुम्हें रखेंगे' ये सरीह हदीस है। मालिकान को तो ऐसे नहीं कहा जाता, लिहाज़ा जिन लोगों ने बटाई को ममनूअ क़रार देने के लिये ख़ैबर की ज़मीन के बारे में तावीलात की हैं, वह तारे अन्कबूत से भी कमज़ोर हैं।

(3962) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदियों को ख़ैबर की ज़मीन और खजूरों के दरख़्त इस शर्त पर दिये थे कि वह अपने मालों के साथ उनमें काम करेंगे और रसूलुल्लाह (ﷺ) को (बहैसियत मालिक होने के) इस ज़मीन का निस्फ़ फल मिलेगा।

(3962) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4664.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرَتِهَا.

फ़ायदा : खजूरों या किसी भी फल के दरख़्त किसी शख़्स के सुपुर्द कर दिये जायें कि वह उन्हें पानी लगाये, दरख़्तों की देख भाल और ख़िदमत करे यहाँ तक कि जब वह फल देंगे तो निस्फ़ (या कोई और हिस्सा) फल उसे मिल जायेगा। इसे अरबी ज़बान में मुसाकात कहते हैं। और अगर किसी को ख़ाली ज़मीन दे दी जाये कि वह उसमें काश्त करे, मेहनत करे और पैदावार का एक मुअय्यन हिस्सा (जैसे तिहाई, चौथाई या निस्फ़) उसे मिलेगा, उसे मुख़ाबरत या मुज़ारअत या बटाई कहा जाता है। गोया आप (ﷺ) ने यहूदियों से मुसाक़ात भी की और मुज़ारअत भी। और ये दोनों जायज़ हैं। कुछ लोग जो बटाई को जायज़ नहीं समझते, वह मुसाक़ात को जायज़ समझते हैं और मुसाक़ात के बित तबअ मुज़ारअत को भी, यानी अगर खजूर या किसी भी फल दार दरख़्तों वाली ज़मीन भी दरख़्तों के साथ दे दी जाये और वह दरख़्तों की ख़िदमत और निगेहबानी के साथ साथ उस ज़मीन में काश्त भी करे तो उसे फलों के साथ साथ फ़सल से भी हिस्सा दिया जा सकता है, हालांकि मुसाक़ात और मुज़ारअत में कोई फ़र्क़ नहीं। अगर जायज़ हैं तो दोनों जायज़ हैं वरना दोनों नाजायज़। किसी एक को दूसरे के बित तबअ जायज़ क़रार देना भी अजीब बात है। अगर बटाई नाजायज़ है तो मुसाक़ात के बित तबअ क्योंकर जायज़ होगी? दरअसल दोनों जायज़ हैं। इकट्ठे भी और अलग अलग भी। हर मस्लक के मुहक़्क़िक़ उलमा इसी के क़ाइल हैं। मुहद्दिसीन तो तमाम के तमाम जायज़ समझते हैं। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक.

(3963) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में ज़मीनें किराये पर दी जाती थीं। इस शर्त पर कि पानी के नालों के क़रीब उगने वाली

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لاَ أَدْرِي كَمْ هُوَ.

फ़सल और कुछ मुअय्यन तोड़ी, न मालूम वह कितनी होती थी, मालिके ज़मीन को मिलेगी (और बाक़ी मुज़ारिअ को)

(3963) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4665, पिछली हदीस देखें, सियाती तरक़ा, हदीस: 4611.

फ़ायदा : रिवायत मुख़्तसर है, यानी आपने बटाई की इस सूरत से मना फ़रमा दिया क्योंकि इसमें नाजायज़ शर्त है कि अच्छी ज़मीन की फ़सल मालिक ले जायेगा और रद्दी ज़मीन की फ़सल मुज़ारिअ को मिलेगी, और मालिक तो मुअय्यन मिक़्दार में तोड़ी ले जायेगा, मुज़ारिअ को इतनी बचे या न बचे या बिल्कुल ही न बचे। ये मुज़ारिअ पर जुल्म है, लिहाज़ा आपने इस क़िस्म की ख़ास सूरत से मना फ़रमा दिया है न कि आम बटाई से। (इस हदीस का दूसरा मफ़हूम हदीस: 3939 के फ़ायदे में देखिये)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ كَانَ عَمَّاىَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ.

(3964) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अस्वद ने फ़रमाया कि मेरे दो चचा तिहाई या चौथाई हिस्से के ऐवज़ काश्त किया करते थे और मेरे वालिद भी उनके साथ शरीक होते थे और हज़रत अल्क़मा और अस्वद इस बात को जानते थे लेकिन रोकते नहीं थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4666, देखें, हदीस: 96, और देखें, हदीस: 1090.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

(3965) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि तुममें से कोई शख़्स अपनी (ज़्यादा) ज़मीन सोने चाँदी (रक़म) के ऐवज़ ठेके पर दे दे।

(3965) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4667.

फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि ग़रीब आदमी के लिये ठेके की बजाये बटाई पर ज़मीन लेना ज़्यादा मुफ़ीद है, अगरचे ज़मीन देने वाले के लिये ठेका मुफ़ीद रहता है। और शरीयत ग़रीबों की हामी है। (देखिये, हदीस: 3921)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ.

(3966) हज़रत इब्राहीम नख़ई और हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क़ूल है कि वह ख़ाली ज़मीन को किराये (बटाई या ठेके) पर देने में कोई हर्ज नहीं समझते थे।

(3966) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4669.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلاَّ بِقَضَاءَيْنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا. وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ.

(3967) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक़ हज़रत क़ाज़ी शुरैह मुज़ारिब के बारे में दो फ़ैसले फ़रमाते थे: कभी तो वह मुज़ारिब से कहते कि तुझे पहुँचने वाली मुसीबत पर कोई गवाह या दलील पेश करो ताकि तुम्हें माज़ूर क़रार दिया जाये और कभी माल वाले को कहते कि तुम दलील और गवाह पेश करो जिसके पास तुमने अमानत रखी है, उसने ख़्यानत की है वरना उससे क़सम ली जायेगी कि उसने तुझ से ख़्यानत नहीं की।

(3967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4670.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक शख़्स दूसरे को कुछ रक़म देकर कहे कि तुम इससे कारोबार करो, नफ़ा हम दोनों तक़्सीम कर लेंगे। इसे मुज़ारबत कहते हैं। रक़म देने वाला तो मालिके माल है और लेने वाले को मुज़ारिब कहते हैं जो इस रक़म से कारोबार करता है। अगर मुज़ारिब आकर कह दे कि जनाब! असल माल सब या कुछ चोरी हो गया या गुम हो गया तो क्या फ़ैसला होगा? मज़्कूरा हदीस़ में ये मसला ज़ेरे बहस है। क़ाज़ी शुरैह जो कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर के सबसे बड़े क़ाज़ी थे, के सामने ऐसा मसला पेश होता तो वह अंदाजा लगाते थे कि मुजारिब मश्कूक है या नहीं अगर वह मश्कूक नज़र आता तो उसे कहते: अपनी बात का सबूत पेश करो वरना तुम्हारी बात नहीं मानी जायेगी और अगर वह बेगुनाह नज़र आता तो उसे मुद्दई क़रार देते और कभी मुद्दआ अलैह क्योंकि इस लिहाज़ से कि वह नुक़सान का दावा कर रहा है, मुदई बन सकता है और लिहाज़ से कि मालिके माल ने इसे अदालत में पेश किया है कि ये मेरा माल नहीं देता, मुद्दआ अलैह भी बन सकता है। हालात के तक़ाज़े के मुताबिक़

कि किसी फ़रीक़ पर ज़्यादती न हो, उसे दोनों में से कोई एक बनाया जा सकता है। (2) मुज़ारअत के बाब में इस हदीस का ताल्लुक़ ये है कि मुज़ारअत भी मुज़ारबत की तरह है और इसी पर क़यास है, लिहाज़ा अगर मालिके ज़मीन और मुज़ारिअ के दरम्यान कोई झगड़ा पैदा हो जाये तो अदालत क़ाज़ी शुरैह(رحمه الله) के अन्दाज़े फ़ैसला से रहनुमाई हासिल कर सकती है, यानी मुज़ारिअ को मुद्दई भी बनाया जा सकता है और मुद्दआ अलैह भी।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِإِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(3968) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते हैं कि कोई हर्ज नहीं कि साफ़ ज़मीन सोने चाँदी (नक़द रक़म) के ऐवज़ किराये (ठेके) पर दे दी जाये।

(3968) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 1090.

(मुज़ारबत के दस्तावेज़)

وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا كَتَبَ

इमाम नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि जब कोई शख़्स किसी दूसरे को कुछ माल बतौर मुज़ारबत दे और उसकी तहरीर लिखना चाहे तो उसे यूँ लिखना चाहिए। (लिखने वाला वह शख़्स होगा जिसे माले मुज़ारबत दिया जाये।)

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ

ये वह तहरीर है जो फ़ुलां बिन फ़ुलां ने अपनी ख़ुशी से सेहत और इख़्तियार की हालत में फ़ुलां बिन फ़ुलां के लिये लिखी है। तूने मुझे फ़ुलां साल के फ़ुलां महीने के आग़ाज़ में सही (खरे) और उम्दा दस हज़ार दिरहम बतौर मुज़ारबत सुपुर्द किये हैं। जिसमें हर दस दिरहम (वज़न के लिहाज़ से) सात मिस्क़ाल के बराबर होते हैं। इस शर्त पर कि मैं ज़ाहिरी और पोशीदा मामलात में अल्लाह तआला से डरता रहूँगा और बहर सूरत अमानत अदा करूँगा, और मैं इनके साथ जो चीज़ ख़रीदना मुनासिब समझूँगा, ख़रीदूँगा और जिस

التِّجَارَاتِ وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرْضٍ عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي وَأُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِيَ فِيهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيهِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْوَضَحَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ.

क़िस्म की तिजारत में भी इनको सर्फ़ करना बेहतर समझूँगा, करूँगा और इनसे ख़रीदी हुई चीज़ों में से जो चीज़ें बेचना मुनासिब समझूँगा, उन्हें नक़द या उधार और रक़म के ऐवज़ या सामान के ऐवज़ बेचूँगा। मैं इन तमाम मामलात में अपनी राय पर अमल करूँगा और अगर मैं मुनासिब समझूँ तो किसी भी शख़्स को वकील बनाऊँगा और अस़ल माल जो तूने मुझे दिया है और जिसकी मिक़्दार इस तहरीर में बयान कर दी गई है के अलावा जो भी अल्लाह तआला इसमें इज़ाफ़ा और नफ़ा अता फ़रमायेगा, वह मेरे और तेरे दरम्यान बराबर तक़्सीम होगा। निस़्फ़ मुझे अपनी मेहनत और काम की वजह से मिलेगा। और अगर (अल्लाह न करे) इस कारोबार में नुक़सान हुआ तो वह अस़ल माल से शुमार होगा। तो मैंने तुझसे ये दस हज़ार स़ही (खरे) और उम्दा दिरहम फुलां साल के फुलां महीने के शुरू में वसूल कर लिये हैं और ये तेरी रक़म मेरे पास बतौर मुज़ारबत है। इन शराइत के मुताबिक़ जो इस तहरीर में लिख दी गई हैं।

फुलां (रक़म लेने वाला) और फुलां (रक़म देने वाला) इस तहरीर का इक़रार करते हैं। और अगर माल का मालिक उधार ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त न देना चाहता हो तो तहरीर में यूँ लिखा जायेगा और तूने मुझे उधार ख़रीद व फ़रोख़्त से रोक दिया है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुज़ारअत के साथ चूंकि मुज़ारबत का गहरा ताल्लुक़ है और दोनों एक से हैं, इसलिये मुज़ारअत के साथ मुज़ारबत का ज़िक्र फ़रमाया। (2) इमाम नसाई (رحمه الله) ने मुज़ारबत

के लिये लफ़्ज़ 'क़िराज़' इस्तेमाल फ़रमाया है क्योंकि मुज़ारबत में क़िराज़ पाया जाता है। (3) मुज़ारबत पर दिया गया माल मुज़ारिब (कारोबार करने वाला) के हाथ में बतौर अमानत रहेगा। अगर वह माल ...... अल्लाह न करे .... चोरी हो जाये या ज़ाया हो जाये, जैसे: गुम हो गया या आग लग गई वग़ैरह तो मुज़ारिब ज़िम्मेदार न होगा, अलबत्ता इससे सबूत या हलफ़िया बयान (जो भी मुनासिब हो) लिया जायेगा। (4) अगर कारोबार में ख़सारा हो जाये तो वह असल माल से मुतसव्विर होगा। मुज़ारिब को हिस्सा न देना पड़ेगा। मालिक का माल गया और मुज़ारिब की मेहनत गई। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सल्ला!

बाब : .... तीन अश्ख़ास के दरम्यान शिर्कते अनान (की दस्तावेज़)

بَابُ شَرِكَةِ عِنَانٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ

هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمُ اشْتَرَكُوا شَرِكَةَ عِنَانٍ لاَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ فِي ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ خَلَطُوهَا جَمِيعًا فَصَارَتْ هَذِهِ الثَّلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي أَيْدِيهِمْ مَخْلُوطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَشْتَرُونَ جَمِيعًا بِذَلِكَ وَبِمَا رَأَوْا مِنْهُ اشْتِرَاءَهُ بِالنَّقْدِ وَيَشْتَرُونَ بِالنَّسِيئَةِ عَلَيْهِ مَا رَأَوْا أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ مِنْهُ بِالنَّقْدِ وَبِمَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ عَلَيْهِ

ये वह तहरीर है जिसमें फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां सेहते अक़्ल और इख़्तियार के साथ शरीक हैं। वह तीनों सही (खरे) और उम्दा तीस हज़ार दिरहम में आपस में शिर्कते अनान के तौर पर न कि शिर्कते मुफ़ावज़ा के तौर पर शिर्कत हैं। इन दराहिम में से हर दस दिरहम सात मिस्क़ाल के वज़न के बराबर हैं। हर एक शख़्स ने दस दस हज़ार दिरहम शामिल किये हैं, चुनांचे इस तरह ये तीस हज़ार दिरहम हो गये और वह इनमें तिहाई तिहाई के शरीक हैं। इस शिर्कत पर कि वह इसमें अल्लाह तआला से डरते हुए काम करेंगे। और उनमें से हर एक शख़्स दूसरे को उसकी अमानत अदा करेगा। इस रक़म के साथ वह जो चीज़ चाहेंगे, नक़द ख़रीदेंगे और जो चाहेंगे, उधार ख़रीदेंगे। और जिस क़िस्म की तिजारत वह मुनासिब समझें, करेंगे। और इन तीनों में हर एक अपने साथियों के बग़ैर जो मुनासिब समझेगा, ख़रीदेगा। चाहे नक़द, चाहे उधार। इसमें वह चाहें तो इकट्ठे मिल कर काम करें और चाहें तो अलग

بِالنَّسِيئَةِ يَعْمَلُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَى جَائِزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَفِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُونَ الآخَرَيْنِ فَمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَمِنْ كَثِيرٍ فَهُوَ لاَزِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَمَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ عَلَى رَأْسِ مَالِهِمُ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ أَثْلاَثًا وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ أَثْلاَثًا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ ثَلاَثَ نُسَخٍ مُتَسَاوِيَاتٍ بِأَلْفَاظٍ وَاحِدَةٍ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ وَاحِدَةٌ وَثِيقَةٌ لَهُ أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ.

अलग करें। मगर दोनों सूरतों में जो भी वह काम करेंगे, वह सब पर नाफ़िज़ होगा। करने वाले पर भी और दूसरों पर भी। और जो चीज़ एक को लाज़िम होगी, थोड़ी हो या ज़्यादा, वह उसके दूसरे साथियों को भी लाज़िम होगी और उन सब पर वाजिब होगी। और अल्लाह तआला उनके इस रासुल माल (अस़ल माल) जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में बयान कर दी गई है, जो इज़ाफ़ा और नफ़ा अ़ता फ़रमायेगा, वह इन तीनों में बराबर तक़्सीम होगा। और जो इसमें नुक़्सान और तावान होगा, वह भी इन तीनों के ज़िम्मे उनके अस़ल माल के मुताबिक़ होगा। इस तहरीर के बिऐनिही इन्ही अल्फ़ाज़ के साथ तीन नुस्ख़े तैयार किये गये हैं और मज़्कूरा तीनों में से हर एक को एक एक नुस्ख़ा दिया गया है जो हर एक के लिये सनद रहेगा।

फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां इस तहरीर का इक़रार करते हैं।

फ़वाइद व मसाइल : (1) चन्द अश्ख़ास़ मिल कर कारोबार करें तो उसे शिर्कत कहा जाता है। जुम्हूर फ़ुक़हा ने इसकी चार क़िस्में बनाई हैं: ○ शिर्कते अ़नान ○ शिर्कते मुफ़ावज़ा ○ शिर्कते ज़ाया ○ शिर्कते वजूहा। यहाँ शिर्कते अ़नान की बहस़ है। इसमें हर शरीक दूसरे का वकील तो होता है, कफ़ील नहीं। इस शिर्कत में वुस्अ़त है। सब शुरका का माल बराबर भी हो सकता है, कम व बेश भी। इसी तरह मुनाफ़ा में भी बराबरी ज़रूरी नहीं, ख़्वाह माल बराबर भी हो। इसी तरह माल बराबर न हो तब भी मुनाफ़ा में बराबरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक के दीनार हों, दूसरे के दिरहम। बाक़ी

तफ़्सीलात मज़्कूरा दस्तावेज़ में ज़िक्र हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि शिर्कत दो अफ़राद में भी हो सकती है अगरचे मज़्कूरा दस्तावेज़ में इत्तेफ़ाक़न तीन अफ़राद का ज़िक्र है। (2) शिर्कते मुफ़ावज़ा जिसका ज़िक्र आइन्दा दस्तावेज़ में है, इस शिर्कते अनान से ख़ास है। इसमें हर शरीक दूसरे का वकील भी होता है, कफ़ील भी, यानी एक के ज़िम्मे में माल दूसरे से भी तलब किया जा सकता है, और इसमें सब शुरका अस़ल माल, तसर्रुफ़ और क़र्ज़ वग़ैरह में बराबर होते हैं। दस्तावेज़ में चार शुरका का ज़िक्र है मगर ये शिर्कत दो अफ़राद में भी हो सकती है।

بَابُ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُهَا

बाब : ...... चार अफ़राद के दरम्यान शिर्कते मुफ़ावज़ा की दस्तावेज़ उस शख़्स के मज़हब के मुताबिक़ जो उसे जायज़ समझता है

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (याअय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल्उक़ूद) 'ऐ ईमान वालो! बाहमी अहद व पैमान पूरे किया करो।'

هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْسِ مَالٍ جَمَعُوهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَنَقْدٍ وَاحِدٍ وَخَلَطُوهُ وَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مُمْتَزِجًا لاَ يُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ وَحَقُّهُ سَوَاءٌ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ سَوَاءٌ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَقْدًا وَنَسِيئَةً بَيْعًا وَشِرَاءً فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلاَتِ وَفِي كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ بِكُلِّ

ये वह दस्तावेज़ है जिसकी रू से फ़ुलां, फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां बाहम बतौर शिर्कते मुफ़ावज़ा शरीक हैं। इन सबने एक ही क़िस्म और एक ही नक़दी जमा कर ली है और वह अस़ल माल उन सबके हाथ में मिला जुला है। किसी के माल का कोई अलग इम्तियाज़ नहीं। इनमें हर फ़र्द अस़ल माल और हुक़ूक़ में बराबर है। इस शर्त पर कि वह सब इसमें काम करेंगे और इसके अलावा दूसरे छोटे बड़े लेन देन और तिजारत करेंगे, ख़्वाह नक़द करें या उधार ख़रीदें या बेचें। जिस तरह लोग करते हैं, फिर ख़्वाह वह इकट्ठे होकर काम करें, अगर मुनासिब समझें या अलग अलग। जैसे वह मुनासिब समझें और जो उनके जी में आये। इस

مَا رَأَى وَكُلُّ مَا بَدَا لَهُ جَائِزٌ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَلَى أَنَّهُ كُلُّ مَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَيْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ وَمَا رَزَقَ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا عَلَى حِدَتِهِ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نَقِيصَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكِيلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ وَالْمُخَاصَمَةِ فِيهِ وَقَبْضِهِ وَفِي خُصُومَةِ كُلِّ مَنِ اعْتَرَضَهُ بِخُصُومَةٍ وَكُلِّ مَنْ يُطَالِبُهُ بِحَقٍّ وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِي شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ وَفِي قَضَاءِ دُيُونِهِ وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ.

सूरत में भी हर शख़्स का तसर्रुफ़ दूसरे शुरका पर नाफ़िज़ होगा और इस शिर्कत में, जिसकी वज़ाहत इस तहरीर में हो चुकी है, जो हक़ या क़र्ज़ वग़ैरह एक को लाज़िम आयेगा, वह उसके शुरका जिनका नाम इस तहरीर में बयान किया जा चुका है, में से हर एक को लाज़िम आयेगा, और अल्लाह तआला इस शिर्कत में जो इज़ाफ़ा या नफ़ा उन सबको या उनमें से किसी एक को अलग तौर पर अता फ़रमायेगा, वह उन सबमें बराबर तक़्सीम होगा। इसी तरह अगर कमी आ जाये तो वह भी उन सबके ज़िम्मे बराबर होगी। और फ़ुलां, फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां में से हर एक ने दूसरे शुरका, जिनका इस तहरीर में नाम लेकर ज़िक्र किया गया है, में से हर एक को अपना वकील बनाया है कि वह उसकी तरफ़ से उसके किसी हक़ का मुतालबा करे और उसके हक़ के बारे में मुक़द्दमा बाज़ी करे और उसे क़ब्ज़े में ले। और अगर कोई दूसरा शख़्स इस सिलसिले में कोई झगड़ा करे तो वह उसे उसकी तरफ़ से जवाब दे। या जो शख़्स इसका मुतालबा करे, उसको मुनासिब जवाब दे। इसी तरह हर शख़्स ने अपने हर शरीक को अपनी वफ़ात के बाद इस शिर्कत में अपना वसी मुक़र्रर किया है कि वह उसके क़र्ज़े अदा करे और उसकी वसीयत को कमा हक़्क़हू नाफ़िज़ करे, और उनमें से हर एक ने दूसरे शरीक पर जो ज़िम्मेदारी डाली है तो हर शरीक इस ज़िम्मेदारी को क़बूल करता है।

फ़ुलां, फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां इस तहरीर का इक़रार करते हैं।

फ़ायदा : शिर्कते मुफ़ावज़ा की इज्माली तारीफ़ तो साबिक़ा हदीस़ के तहत ज़िक्र कर दी गई है और इसकी तफ़्सील इस दस्तावेज़ में बयान की गई है। शुरू में आयते करीमा ज़िक्र करने का मक़्सद ये है कि चन्द अफ़राद आपस में जो अ़हद कर लें, उसे वह पूरा करें। और ये शिर्कते मुफ़ावज़ा भी एक अ़हद और वादा है। इसे भी पूरा करना चाहिए बशर्ते कि कोई शिर्कत शरीअत की नुसूस़ के ख़िलाफ़ न हो। इमाम स़ाहिब का मक़्सद ये है कि शिर्कते मुफ़ावज़ा या और भी शिर्कत में कोई हर्ज नहीं, लिहाज़ा जिन फ़ुक़हा ने शिर्कते मुफ़ावज़ा को दुरुस्त क़रार नहीं दिया, उनका मौक़िफ़ कमज़ोर है। उनका ख़्याल है कि हर शख़्स अपना ख़ुद ज़िम्मेदार है। एक के क़र्ज़ का मुतालबा दूसरे से कैसे किया जा सकता है? (ला तज़िरू वाजिरतुंवविज़्रा उख़्रा) (बनी इस्राईल 17/15) मगर बाहमी मुआहिदे के बाद कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता ये शिर्कत सि़र्फ़ माली मामलात में होगी।

बाब : (47)
शिर्कते अब्दान

باب: (۴۷)
شَرِكَةِ الأَبْدَانِ

(3969) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि बद्र के दिन मैं, अ़म्मार और सअ़द शरीक बन गये। सअ़द दो क़ैदी लाये, जबकि मैं और अ़म्मार कोई क़ैदी न ला सके।

(3969) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 3388, देखें, हदीस़: 623.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَىْءٍ.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम शिर्कते अब्दान की वज़ाहत कुछ इस तरह है कि दो (या ज़्यादा) आदमी एक काम मिल कर करें और उससे हासि़ल होने वाली आमदनी आपस में बराबर तक़्सीम कर लें अगरचे मुमकिन है एक आदमी ज़्यादा काम करे दूसरा कम, जैसे मज़्कूरा रिवायत में ज़िक्र है कि हज़रत सअ़द (ﷺ) को दो ग़ुलाम मिले, दूसरे दो को कुछ न मिल सका मगर उन्होंने दो क़ैदी तीनों में बराबर बाँट लिये। (यानी उनकी क़ीमत या उनका फ़िद्या) इसी तरह दो मिस्तरी या मज़दूर या दो दर्ज़ी इकट्ठे काम करें और मज़दूरी बराबर बाँट लें। इसे शिर्कत सनाए भी कहते हैं। शरअ़न इसमें कोई क़बाहत नहीं क्योंकि इसकी बुनियाद हमदर्दी और मुरव्वत है कि कोई भाई कमज़ोर होने की बिना पर मईशत से महरूम न रहे।

(3970) हज़रत ज़ोहरी से मरवी है कि जिन दो गुलामों ने आपस में शिर्कते मुफ़ावज़ा कर रखी हो और उनमें से एक अपने आक़ा से आज़ादी का मुआहिदा करे तो दूसरा भी उसकी तरफ़ से अदायगी करेगा।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِي أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ.

(3970) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : शिर्कते मुफ़ावज़ा में दो शख़्स अपने तमाम माल और फ़वाइद व मुनाफ़ा में शरीक होते हैं। एक दूसरे के वकील और कफ़ील होते हैं यहाँ तक कि एक के क़र्ज़ का मुतालबा दूसरे से किया जा सकता है, लिहाज़ा ऐसी सूरत में जब एक अपनी आज़ादी की क़ीमत अपने मालिक से तै करे तो दूसरा भी उसके साथ तआवुन और हिस्सेदारी करेगा।

बाब : .... शुरका के शराकत ख़त्म करने की दस्तावेज़

بَابُ تَفَرُّقِ الشُّرَكَاءِ عَنْ شَرِيكِهِمْ

ये तहरीर फ़ुलां, फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां ने (मुश्तरका तौर पर) लिखी है और इनमें से हर एक इस तहरीर में ज़िक्र किये गये अफ़राद में से हर एक के लिये अपनी सेहत व इख़्तियार की हालत में इन तमाम बातों का इक़रार करता है जो इस तहरीर में ज़िक्र की गई हैं। शराकत के दौरान में हमारे दरम्यान मामलात (लेन देन), तिजारत, ख़रीद व फ़रोख़्त, माली तौर पर और लेन देन, क़र्ज़, बुयूअ, अहद, अमानत, हुण्डी, मुज़ारबत, उधार, किराया जात, मुज़ारअत और ठेके वग़ैरह में शराकत रही है। अब हमने बाहमी रज़ामन्दी से हर उस शराकत को ख़त्म कर दिया है जो हमारे दरम्यान माली मामलात और लेन देन में जारी थी और हर क़िस्म की शराकत को फ़स्ख़ (ख़त्म) कर दिया है जो हमारे दरम्यान राइज थी। और

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بَيْنَهُمْ وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمِّينَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مُعَامَلاَتٌ وَمُتَاجَرَاتٌ وَأَشْرِيَةٌ وَبُيُوعٌ وَخُلْطَةٌ وَشَرِكَةٌ فِي أَمْوَالٍ وَفِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلاَتِ وَقُرُوضٌ وَمُصَارَفَاتٌ وَوَدَائِعُ وَأَمَانَاتٌ وَسَفَاتِجُ وَمُضَارَبَاتٌ وَعَوَارِي وَدُيُونٌ وَمُؤَاجَرَاتٌ وَمُزَارَعَاتٌ وَمُؤَاكَرَاتٌ وَإِنَّا تَنَاقَضْنَا عَلَى التَّرَاضِي مِنَّا جَمِيعًا بِمَا فَعَلْنَا جَمِيعَ مَا كَانَ بَيْنَنَا مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَنَا

فِي نَوْعٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَفَسَخْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي جَمِيعِ مَا جَرَى بَيْنَنَا فِي جَمِيعِ الأَنْوَاعِ وَالأَصْنَافِ وَبَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ نَوْعًا نَوْعًا وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهِ فَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ وَصَارَ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَلاَ قِبَلَ أَحَدٍ بِسَبَبِهِ وَلاَ بِاسْمِهِ حَقٌّ وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةٌ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا قَدِ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِّهِ وَجَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ فِي يَدِهِ مُوَفَّرًا أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ.

हमने तफ़्सील के साथ इसकी तमाम अक़्साम का ऊपर इस तहरीर में ज़िक्र कर दिया है। हम इसकी मुद्दत और इसकी इन्तेहा को जानते हैं। और हमने इसका सही सही कमा हक़्क़हू हिसाब कर लिया है। और हममें से हर शख़्स ने इसमें से अपना पूरा पूरा हक़ वसूल कर लिया है और अपने क़ब्ज़े में कर लिया हे, चुनांचे हममें से किसी का इस तहरीर में ज़िक्रकर्दा साथियों में से किसी के ज़िम्मे कुछ भी बाक़ी नहीं, और न उनमें से किसी की वजह से किसी और शख़्स पर कोई हक़ या दावा या मुतालबा होगा क्योंकि हममें से हर शख़्स ने इस तमाम कारोबार से अपना पूरा पूरा हक़ वसूल कर लिया है और वह सही सलामत उसके क़ब्ज़े में जा चुका है।

फ़ुलां, फ़ुलां, फ़ुलां और फ़ुलां इस तहरीर का इक़रार करते हैं।

بَابُ تَفَرُّقِ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مُزَاوَجَتِهِمَا

बाब : ...... ख़ाविन्द और बीवी की रिश्त-ए-इज़्दवाज से अलैहदगी की दस्तावेज़

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (वला यहिल्लु लकुम अन ....) 'तुम्हारे लिये जायज़ नहीं कि तुमने जो कुछ अपनी बीवियों को दे रखा है, उसमें से कोई चीज़ वापस लो, मगर ये कि इन दोनों (मियाँ बीवी) को ख़तरा हो कि वह अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा हुदूद को क़ाइम न रख सकेंगे। ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं कि औरत महर (पूरा या कुछ) वापस कर के अपने आपको (निकाह की क़ैद से) आज़ाद करा ले।'

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَتْهُ فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهَا وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ إِنِّي كُنْتُ زَوْجَةً لَكَ وَكُنْتَ دَخَلْتَ بِي فَأَفْضَيْتَ إِلَيَّ ثُمَّ إِنِّي كَرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَأَحْبَبْتُ مُفَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ مِنْكَ بِي وَلاَ مَنْعِي لِحَقٍّ وَاجِبٍ لِي عَلَيْكَ وَإِنِّي سَأَلْتُكَ عِنْدَمَا خِفْنَا أَنْ لاَ نُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ أَنْ تَخْلَعَنِي فَتُبِينَنِي مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بِجَمِيعِ مَالِي عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقٍ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا جِيَادًا مَثَاقِيلَ وَبِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا جِيَادًا مَثَاقِيلَ أَعْطَيْتُكَهَا عَلَى ذَلِكَ سِوَى مَا فِي صَدَاقِي فَفَعَلْتَ الَّذِي سَأَلْتُكَ مِنْهُ فَطَلَّقْتَنِي تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِجَمِيعِ مَا كَانَ بَقِيَ لِي عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَبِالدَّنَانِيرِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ سِوَى ذَلِكَ فَقَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةً لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إِيَّايَ بِهِ وَمُجَاوَبَةً عَلَى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا ذَلِكَ وَدَفَعْتُ إِلَيْكَ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي خَالَعْتَنِي عَلَيْهَا وَافِيَةً

ये वह दस्तावेज़ है जिसे फ़ुलाना बिन्ते फ़ुलां बिन फ़ुलां ने, फ़ुलां बिन फ़ुलां बिन फ़ुलां (अपने ख़ाविन्द) के लिये सेहत और इख़्तियार की हालत में लिखा है। मैं तेरी बीवी रही। तूने मुझे अपने घर बसाया और मुझसे जिमाअ वगैरह भी करता रहा। अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती बल्कि तुझ से जुदा होना चाहती हूँ कि तूने मुझे कोई नुक़सान नहीं पहुँचाया, और न मेरा कोई हक़, जो तुझ पर वाजिब था, मुझे देने से इन्कार किया। जब हमें इस बात का ख़तरा पैदा हो गया कि हम (ख़ाविन्द बीवी की हैसियत से) अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा हुदूद क़ाइम नहीं रख सकेंगे तो मैंने तुझसे ये मुतालबा किया था कि मुझे ख़ुलअ दे दो, यानी उस महर के ऐवज़ जो तेरे ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, एक तलाक़ देकर मुझे अलैहदा (अलग) कर दो। वह महर आला क़िस्म के इतने दीनार हैं और वज़न के लिहाज़ से उनमें से सात मिस्क़ाल दस दिरहम के बराबर होते हैं। मज़ीद मैं तुझे इतने इसी क़िस्म के आला दीनार महर के अलावा अपनी तरफ़ से दूँगी। तूने मेरा मुतालबा पूरा कर दिया। और मुझे मेरे बाक़ी मान्दा महर की रक़म जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में ज़िक्र की गई है, और इसके अलावा दूसरे दीनार जिनका ज़िक्र भी किया गया है, के ऐवज़ एक बाइन तलाक़ दे दी। और जब तूने मुझे मुख़ातब करते हुए तलाक़ दी तो मैंने इसे बिल मुशाफ़ा क़बूल किया, पहले इससे कि हम कोई और बात शुरू करें। और मैंने तुझे ये दीनार, जिनका ज़िक्र इस तहरीर में किया गया है और

سِوَى مَا فِي صَدَاقِي فَصِرْتُ بَائِنَةً مِنْكَ مَالِكَةً لأَمْرِي بِهَذَا الْخُلْعِ الْمَوْصُوفِ أَمْرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَلاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيَّ وَلاَ مُطَالَبَةَ وَلاَ رَجْعَةَ وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيعَ مَا يَجِبُ لِمِثْلِي مَا دُمْتُ فِي عِدَّةٍ مِنْكَ وَجَمِيعَ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَمَامِ مَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِي عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي يَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةٌ فَكُلُّ مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَعْوَى وَمِنْ طَلِبَةٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَهُوَ فِي جَمِيعِ دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ وَصَاحِبُهُ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ بَرِيءٌ وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا كُلَّ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَكُلَّ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ مِمَّا وُصِفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مُشَافَهَةً عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا فِيهِ أَقَرَّتْ فُلاَنَةُ وَفُلاَنٌ.

जिन पर तूने मुझे ख़ुलअ़ दिया है, महर के अलावा पूरे के पूरे अदा कर दिये हैं और अब मैं तुझ से अलग हो चुकी हूँ। और इस ख़ुलअ़ की बिना पर, जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में बयान कर दी गई है, अपने मामलात की ख़ुद मालिक बन चुकी हूँ। अब तेरा मुझ पर कोई इख़्तियार नहीं रहा और न तुझे किसी मुतालबे या रूजूअ़ का हक़ हासिल है। और मैंने तुझसे वह सब वसूल कर लिया है जो दौराने इद्दत में मुझ जैसी (खुलअ़ वाली) औरत के लिये वाजिब है। या जिसकी मुझ जैसी मुतल्लक़ा को तुझ जैसे ख़ाविन्द से ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम दोनों में से किसी का किसी के ज़िम्मे कोई हक़ या दावा या मुतालबा बाक़ी नहीं रहा। अब अगर हम दोनों में से कोई एक, दूसरे के ख़िलाफ़ किसी हक़, दावा या मुतालबे का तक़ाज़ा करे तो वह झूठा होगा और फ़रीक़े स़ानी इस क़िस्म के हर तक़ाज़े से बरी होगा। हममें से हर एक ने इस बात को क़बूल किया है जिसका फ़रीक़े स़ानी ने इसके लिये इक़रार किया है या जिससे इसको बरी किया है। जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में ज़िक्र कर दी गई है। जबकि हम इस मामले में एक दूसरे से बिल मुशाफ़ा बात कर रहे हैं। पहले इससे कि हम ये बात ख़त्म करें या मज्लिस बरख़ास्त करें, जो इस सिलसिले में हमारे दरम्यान मुन्अक़िद हुई थी।

फ़ुलाना (बीवी) और फ़ुलां (ख़ाविन्द) ने इस तहरीर का इक़रार किया।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये तहरीर ख़ुलअ़ की है जिसमें बीवी अपने ख़ाविन्द से कुछ दे दिला कर

तलाक़ तलब करती है। तफ़्सील पीछे किताबुत तलाक़ में गुज़र चुकी है। (2) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ख़ाविन्द ख़ुलअ में महर के अलावा कोई चीज़ औरत से नहीं ले सकता जैसा कि आयते करीमा से वाज़ेह है। इमाम नसाई (رحمه الله) शायद महर के अलावा भी औरत से उसका ज़ाती माल लेने के क़ाइल होंगे। तभी तहरीर में ज़्यादा रक़म का भी ज़िक्र है।

باب(٤٨): الْكِتَابَةِ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا.

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفَتَاهُ النُّوبِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلاَنًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وُضَّحٍ جِيَادٍ وَزْنِ سَبْعَةٍ مُنَجَّمَةٍ عَلَيْكَ سِتُّ سِنِينَ مُتَوَالِيَاتٍ أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي نُجُومِهَا فَأَنْتَ حُرٌّ بِهَا لَكَ مَا لِلأَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَخْلَلْتَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَحِلِّهِ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ وَكُنْتَ رَقِيقًا لاَ كِتَابَةَ لَكَ وَقَدْ قَبِلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ

बाब : (48)
गुलाम का मालिक से मुआहिद-ए आज़ादी

अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (वल्लज़ीना ...) 'तुम्हारे मम्लूकों में से जो मुकातिबत करना चाहें तो उनसे मुकातिबत कर लो, अगर तुम्हें उनके अन्दर भलाई महसूस हो।'

ये तहरीर फ़ुलां बिन फ़ुलां ने अपनी सेहत और इख़्तियार की हालत में अपने हब्शी गुलाम, जिसका नाम फ़ुलां है, के लिये लिखी है और वह इस वक़्त इसकी मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैंने तुझसे तीन हज़ार सही (खरे) और उम्दा दिरहम पर आज़ादी का मुआहिदा किया है जिनमें से हर दस वज़न के लिहाज़ से सात मिस्क़ाल के बराबर होंगे जो तुझसे क़िस्त वार पे दर पे छः सालों में वसूल किये जायेंगे इस मुद्दत की इब्तेदा फ़ुलां साल के फ़ुलां महीने से होगी, इस शर्त पर कि तू ये मुक़र्रर शुदा रक़म जिसकी मिक़्दार इस तहरीर में बयान कर दी गई है, मुक़र्ररा क़िस्तों में मुझे अदा कर देगा तो तू उनके ऐवज़ आज़ाद होगा। तुझे आज़ाद लोगों के हुक़ूक़ हासिल होंगे और तुझ पर उन्हीं जैसे फ़राइज़ लागू होंगे। और अगर तूने बरवक़्त क़िस्तें अदा न कीं तो आज़ादी का मुआहिदा बातिल हो जायेगा और तू ग़ुलाम

مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا ذٰلِكَ فِيهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ.

रहेगा। तुझे इस मुआहिदे का कोई फ़ायदा न होगा। और मैंने इस मक़सद के लिये मुन्अक़िद होने वाली मज्लिस में, मज्लिस के बरख़ास्त होने और कोई नई बात शुरू होने से पहले तेरे मुआहिद-ए-आज़ादी को इन शुरूत के मुताबिक़ जो इस तहरीर में बयान कर दी गई हैं, क़बूल कर लिया है।

फुलां (मालिक) और फुलां (ग़ुलाम) ने इस मुआहिदे का इक़रार किया।

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ग़ुलामी को अच्छा नहीं समझती बल्कि इसे ख़त्म करने की रग़बत दिलाती है, इसलिये शरीयत ने ग़ुलामों को आज़ाद करना अफ़ज़ल अमल गरदाना है। बहुत से शरई मसाइल में ग़ुलाम की आज़ादी को कफ़्फ़ारे का हिस्सा बना दिया गया है। जो ग़ुलाम कमाई के क़ाबिल हो और वह अपनी कमाई से अपनी आज़ादी की क़ीमत अदा कर सकता हो, उसके मालिक के लिये ज़रूरी क़रार दिया गया है कि वह उससे आज़ादी का मुआहिदा करे जैसा कि ऊपर दी गई आयत से वाज़ेह होता है। (फ़कातिबूहुम) (अन्नूर 24/43) हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अनस(ﷺ) को अपने मालदार ग़ुलाम हज़रत सीरीन (ﷺ) से मुआहिद-ए-आज़ादी पर मजबूर किया था बल्कि इन्कार पर सज़ा दी थी। इस मुआहिदे में तै शुदा रक़म उस ग़ुलाम से एक साथ वसूल नहीं की जायेगी बल्कि क़िस्तें मुक़र्रर की जायेंगी ताकि वह आसानी से अदा कर सके। इस मुद्दत के दौरान में मालिक को ये हक़ नहीं होगा कि उस ग़ुलाम को बेचे, मगर ये कि ग़ुलाम ख़ुद चाहे।

باب(٤٩): تَدْبِيرِ

बाब : (49) ग़ुलाम या लौण्डी को मुदब्बर बनाने की दस्तावेज़

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفَتَاهُ الصَّقَلِّيِّ الْخَبَّازِ الطَّبَّاخِ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي دَبَّرْتُكَ لِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ

ये तहरीर फुलां बिन फुलां बिन फुलां ने अपने सक़्ली (सैक़ल गर) ग़ुलाम के लिये लिखी है जो कि रोटियाँ और सालन पकाने का काम करता है और उसका नाम फुलां है और वह आज उसकी मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैं अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के हुसूल के लिये और उसके सवाब

عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتِي إِلاَّ سَبِيلَ الْوَلاَءِ فَإِنَّهُ لِي وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِي أَقَرَّ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قُرِئَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وَعَرَفَهُ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ثُمَّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَيْهِ أَقَرَّ فُلاَنٌ الصَّقَلِّيُّ الطَّبَّاخُ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَقٌّ عَلَى مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ فِيهِ.

की उम्मीद करते हुए तुझे मुदब्बर करता हूँ, लिहाज़ा तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है। मेरी वफ़ात के बाद किसी का तुझ पर कोई इख़्तियार नहीं होगा, अलबत्ता हक़्के वला मुझे और मेरी औलाद को तुझ पर हासिल रहेगा। मैं, फ़ुलां बिन फ़ुलां ने अपनी ख़ुशी के साथ स़ेहत और इख़्तियार की हालत में इस तहरीर के मुन्दरजात का इक़रार किया है, जबकि ये सारी तहरीर फ़ुलां फ़ुलां गवाहों की मौजूदगी में मुझे पढ़ कर सुनाई गई तो मैंने उनके सामने इस बात का इक़रार किया है कि मैंने इसे सुन कर समझ लिया है और इसका मफ़हूम अच्छी तरह जान लिया है। मैं अल्लाह तआला को इस पर गवाह बनाता हूँ, और अल्लाह तआला काफ़ी गवाह है, फिर हाज़िरीन को इस पर गवाह बनाता हूँ। फ़ुलां स़क़्ली बावर्ची (गुलाम) ने अपनी बदनी और अक़्ली स़ेहत की हालत में इक़रार किया है कि जो कुछ इस तहरीर में लिखा गया है, वह बिल्कुल दुरुस्त और स़ही है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुदब्बर करने का मतलब ये है कि मालिक अपने किसी ग़ुलाम या लौण्डी फ़िल्वक़्त नहीं बल्कि अपनी वफ़ात के बाद के लिये आज़ाद करे। जूँ ही मालिक फ़ौत होगा, ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा। ऐसे ग़ुलाम को मुदब्बर करने के बाद बेचा नहीं जा सकता वरना अ़हद की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी और अ़हद की ख़िलाफ़वर्ज़ी कबीरा गुनाह है, मगर ये कि कोई ख़ास़ हक़ीक़ी वजह हो, जैसे: इस ग़ुलाम के अ़लावा मालिक की कोई और जायदाद न हो और वह मरते वक़्त मुदब्बर करे क्योंकि मर्ज़ुल मौत में ग़ुलाम को मुदब्बर करना वसीयत के मर्तबे में है और वसीयत स़िर्फ़ तिहाई माल में हो सकती है, लिहाज़ा उसका ये फ़ेअ़ल दुरुस्त न होगा। ऐसे ग़ुलाम को बेचा जा सकता है। आ़म हालात में मुदब्बर को फ़रोख़्त करने की इजाज़त नहीं। यही मुहक़्क़क़ मस्लक है। वल्लाहु आ़लम! (2) 'स़ेहत व इख़्तियार की हालत में' ये अल्फ़ाज़ हर दस्तावेज़ में लिखे जाते हैं। मालूम हुआ ये दोनों चीज़ें स़ेहत और इख़्तियार हर माली अ़क़्द के लिये शर्त हैं। बीमारी की हालत में, जब वह मर्ज़ुल मौत की

हालत में हो, माली मामलात में कामिल इख़्तियार नहीं रहता। इख़्तियार से मुराद अपनी मर्ज़ी है, यानी इस सिलसिले में मुझ पर कोई जबर नहीं।

बाब : (50) गुलाम की आज़ादी की दस्तावेज़

باب(٥٠): عِتْقٍ

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا لِفَتَاهُ الرُّومِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلاَنًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتِغَاءَ لِجَزِيلِ ثَوَابِهِ عِتْقًا بَتًّا لاَ مَثْنَوِيَّةَ فِيهِ وَلاَ رَجْعَةَ لِي عَلَيْكَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ لاَ سَبِيلَ لِي وَلاَ لأَحَدٍ عَلَيْكَ إِلاَّ الْوَلاَءَ فَإِنَّهُ لِي وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي.

ये तहरीर फ़ुलां बिन फ़ुलां ने ख़ुशी के साथ अपनी सेहत और इख़्तियार की हालत में अपने रूमी गुलाम के लिये जिसका नाम फ़ुलां है, फ़ुलां साल के फ़ुलां महीने में लिखी है। वह आज इसकी मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैंने अल्लाह(ﷻ) का क़ुर्ब हासिल करने के लिये और उसके अ़ज़ीम सवाब की ग़र्ज़ से तुझे आज़ाद कर दिया है। इसमें न कोई इस्तिस़्ना है और न मुझे तुझ पर रुजूअ का हक़ है। तू अल्लाह तआला की रज़ामन्दी और आख़िरत की नेकी की ग़र्ज़ से आज़ाद है। अब मुझे या किसी और को तुझ पर कोई इख़्तियार नहीं रहा, अलबत्ता मुझे और मेरे बाद मेरे अ़स्बा को तुझ पर हक़्क़े वला हासिल है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इस्तिस़्ना' यानी कोई शर्त नहीं लगाई थी। तू ग़ैर मशरूत तौर पर आज़ाद है। शर्त को इस्तिस़्ना भी कहा जा सकता है। (2) 'हक़्क़े वला' आज़ाद करने वाले शख़्स को आज़ादकर्दा गुलाम को उसका मौला कहा जाता है। इस निस्बत में तब्दीली कबीरा गुनाह है, बिऐनिही उसी तरह जैसे कोई अपने अ़सल बाप को छोड़ कर किसी और को बाप कहना शुरू कर दे। निस्बत के अ़लावा आज़ाद करने वाले को विरासत का हक़ भी हासिल हो जाता है बशर्ते कि आज़ादकर्दा गुलाम का कोई नस्बी रिश्तेदार वारिस़ मौजूद न हो। (3) आज़ाद करने वाले को हक़्क़े वला लाज़िमन हासिल होगा, ख़्वाह उसने सवाब हासिल करने के लिये गुलाम को आज़ाद किया हो या मुआवज़ा लेकर, ख़्वाह फ़ौरन आज़ाद किया हो, ख़्वाह मुदब्बर किया हो। (4) 'मौला' आज़ादकर्दा गुलाम को भी कहा जाता है और आज़ाद करने वाले को भी। गोया दोनों एक दूसरे के मौला हैं, अलबत्ता आज़ाद करने वाला 'मौला आ़ला' है और आज़ादकर्दा गुलाम 'मौला अस्फ़ल'